समाजशास्त्र एवं भारतीय समाज

BASOC-102

Self Learning Material

Directorate of Distance Education

SWAMI VIVEKANAND SUBHARTI UNIVERSITY

MEERUT-250005

UTTAR PRADESH

SIM Module Developed by :

Reviewed by :

-

Assessed by:

Study Material Assessment Committee, as per the SVSU ordinance No. VI (2).

Copyright © Laxmi Publications Pvt Ltd.

No part of this publication which is material protected by this copyright notice may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior permission from the publisher.

Information contained in this book has been published by Laxmi Publications Pvt Ltd and has been obtained by its authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the publisher and its author shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specially disclaim and implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Published by : Laxmi Publications Pvt Ltd., 113, Golden House, Daryaganj, New Delhi-110 002.
Tel: 43532500, E-mail: info@laxmipublications.com

DEM C—
Typeset at: Printed at:
Edition: 2020

विषय-सूची

1. समाजशास्त्र : एक परिचय **1–22**

1.1 उद्देश्य (Objectives) 1
1.2 प्रस्तावना (Introduction) 1
1.3 समाजशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ (Meaning and Definition of Sociology) 2
1.4 समाजशास्त्र की प्रकृति (Nature of Sociology) 3
1.5 समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता (Sociology cannot be Regarded as a Science) 3
1.6 समाजशास्त्र विज्ञान है (Sociology is a Science) 5
1.7 समाजशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Sociology) 7
1.8 समाजशास्त्र का कार्य-क्षेत्र (Fields of Sociology) 10
1.9 समाजशास्त्र का महत्त्व (Importance of Sociology) 11
1.10 समाजशास्त्र और अन्य विषय (Sociology and Other Subjects) 15
1.11 सारांश (Summary) 21
1.12 अभ्यास प्रश्न (Review Questions) 21
1.13 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings) 22

2. समाजशास्त्र की पद्धतियाँ **23–66**

2.1 उद्देश्य (Objectives) 23
2.2 प्रस्तावना (Introduction) 24
2.3 समाजशास्त्र की पद्धतियाँ (Methods of Sociology) 24
2.4 अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व (Main theoretical Element of Research Method) 26
2.5 विशुद्ध शोध (Pure Research) 30
2.6 सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग (Scientific Method in Studying Social Phenomena) 33
2.7 वस्तुनिष्ठता एवं मूल्यनिरपेक्षता (Objectivity and Value Neutrality) 35
2.8 तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएँ (Definition and Characteristics of Fact) 44
2.9 अवधारणा (Concept) 47
2.10 सिद्धांत (Theory) 50
2.11 परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Hypothesis) 55
2.12 सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति (The Social Survey Method) 62
2.13 प्रकरण-अध्ययन पद्धति (The Case Study Method) 62
2.14 प्रश्नावली एवं साक्षात्कार पद्धति (Questionnaire and Interview Method) 63
2.15 लोकमत-संग्रह पद्धति (The Public Opinion Poll Method) 64
2.16 वर्स्टहन पद्धति (The verstehen Approach) 64
2.17 प्रकार्यात्मक पद्धति (The Functional Theory) 64
2.18 सारांश (Summary) 65
2.19 अभ्यास प्रश्न (Review Questions) 66
2.20 संदर्भ पुस्तकें (Further readings) 66

3. समाजशास्त्र एवं सामाजिक व्यवस्था 67–116

3.1 उद्देश्य (Objectives) 67
3.2 प्रस्तावना (Introduction) 68
3.3 समाज (Society) 69
3.4 समुदाय (Community) 71
3.5 समिति (Association) 73
3.6 संस्था (Institution) 75
3.7 संगठन (Organisation) 77
3.8 सामाजिक संरचना (Social Structure) 78
3.9 सामाजिक व्यवस्था अर्थ एवं परिभाषा (Social System : Meaning and Definition) 80
3.10 सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Stratification) 82
3.11 सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत (Theories of Social Stratification) 83
3.12 धर्म-तंत्र की अवधारणा (Concept of Hierarchy) 86
3.13 असमानता तथा स्तरीकरण (Inequality and Stratification) 88
3.14 जाति तथा वर्ग (Caste and Class) 89
3.15 क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है (Is Caste Changing into Class?) 92
3.16 व्यक्ति तथा समाज में वास्तविक संबंध (The Relationship between Individual and Society) 93
3.17 समाज की उत्पत्ति (The Origin of Society) 95
3.18 समाज के प्रकार (Types of Society) 97
3.19 औद्योगिक समाज (Industrial Society) 100
3.20 समाज का स्वरूप तथा तुलनात्मक अध्ययन (Structure of Society and Comparative Study) 103
3.21 मानव-समाज और पशु-समाज में भेद (Difference between Human Society and Animal Society) 107
3.22 भाषा तथा समाज (Language and Society) 109
3.23 सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) 112
3.24 सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन (Social Mobility and Social Change) 114
3.25 सारांश (Summary) 115
3.26 अभ्यास प्रश्न (Review Questions) 116
3.27 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings) 116

4. समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास 117–143

4.1 उद्देश्य (Objectives) 117
4.2 प्रस्तावना (Introduction) 117
4.3 समाजशास्त्र की उत्पत्ति (Origin of Sociology) 118
4.4 समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology) 118
4.5 भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in India) 120
4.6 समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सिद्धांत (Theories of the Origin of Sociology) 126
4.7 धर्म और समाज (Religion and Society) 130
4.8 धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Religious Minorities) 133
4.9 धर्म निरपेक्षता (Secularisation) 137
4.10 धर्मनिरपेक्षता के कारण (Causes of Secularisation) 138
4.11 धार्मिक रूढ़िवाद (Religious Fundamentalism) 139
4.12 धार्मिक रूढ़िवाद-एक वैश्विक समस्या/इसके परिणाम (Religious Fundamentalism – A Global Problem) 140
4.13 धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव के कारण (Origin Causes of Religious Fundamentalism) 141

4.14 सारांश (Summary) 142
4.15 अभ्यास प्रश्न (Review Questions) 143
4.16 संदर्भ पुस्तकें (Further readings) 143

5. समाजीकरण 144–183

5.1 उद्देश्य (Objectives) 144
5.2 प्रस्तावना (Introduction) 144
5.3 समाजीकरण का अर्थ (Meaning of Socialization) 145
5.4 समाजीकरण की प्रक्रिया (Process of Socialization) 146
5.5 समाजीकरण के अभिकरण (Agencies of Socialization) 149
5.6 समाजीकरण के तत्त्व (Elements of Socialization) 152
5.7 समाजीकरण के महत्त्व (Role of Socialization) 153
5.8 प्रौढ़ों का समाजीकरण (Socialization of Adults) 154
5.9 वैयक्तीकरण (Individualization) 154
5.10 वैयक्तीकरण के पक्ष (Aspects of Individualization) 155
5.11 महिलाएँ एवं समाज (Women and Society) 156
5.12 कन्याधन एवं दहेज-प्रथा (Bride-wealth and Dowry System) 165
5.13 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण एवं उपाय (Causes and Measures of Violence Against Women) 169
5.14 हिन्दू महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Hindu Women) 172
5.15 मुस्लिम महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Muslim Women) 177
5.16 महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न (Efforts to Solve Problems of Women) 178
5.17 सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न (Efforts Made by the Government) 179
5.18 सारांश (Summary) 183
5.19 अभ्यास प्रश्न (Review Questions) 183
5.20 संदर्भ पुस्तकें (Further readings) 183

BA-SOCIOLOGY-I YEAR

Sociology & Indian Society

BASOC-102

Unit – I

The Meaning and Definitions of Sociology, Nature of Sociology, Scope of Sociology, Fields of Sociology, Importance of Sociology and Social Science, Sociology the Discipline. Sociology and its relationship with history, economics, political science, psychology, anthropology, law and biology. Sociology as a science.

Unit – II

Methods of Sociology, The Scientific or Experimental Method, Historical Method, Scientific study of Social Phenomena, Problem of objectivity and value neutrality, issue of measurement in social science, elements of scientific method concepts theory an facts, hypothesis, research designs descriptive, The Social survey methods. The Case study method, Questionnaire method, Interview method, the public opinion Poll method. The Verstehen's approach, The Functional Theory.

Unit – III

Sociology and Society, Community, Association, Institution, Organization, Social structure, Social System, Social stratification, concept of hierarchy, inequality and stratification, theories of stratification class different conceptions of class, caste and class, caste as a class. Man and Society, The origin of Society, Tribal Society, Agrarian society, Industrial society,

Nature of Society, Human and Animal society, Language & Society Social mobility, Types of mobility open and closed models, intra and intergenerational mobility, vertical and horizontal mobility, social mobility and social change.

Unit – IV

The origin of Sociology, Development of Sociology, Psychological approach, Important theories of the origin of sociology, Religion and Society, Size, growth and regional distribution of different religions groups, educational levels of different groups, problems of religious minorities, communal tension, secularism, conversions, religious fundamentalism.

Unit – V

Socialization Process of Socialization, Agencies of Socialization, Elements and Role of Socialization, Socialization of Adults, Individualization, women and Society, Demographic profile of women, special problems dowry, atrocities, discrimination, existing programmes for women and their impact situational analysis of children, child welfare programmes reservation to women.

इकाई–1
(Unit–1)

नोट

समाजशास्त्र : एक परिचय
(Sociology : An Introduction)

रूपरेखा

1.1 उद्देश्य (Objectives)
1.2 प्रस्तावना (Introduction)
1.3 समाजशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ (Meaning and Definition of Sociology)
1.4 समाजशास्त्र की प्रकृति (Nature of Sociology)
1.5 समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता (Sociology cannot be Regarded as a Science)
1.6 समाजशास्त्र विज्ञान है (Sociology is a Science)
1.7 समाजशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Sociology)
1.8 समाजशास्त्र का कार्य-क्षेत्र (Fields of Sociology)
1.9 समाजशास्त्र का महत्त्व (Importance of Sociology)
1.10 समाजशास्त्र और अन्य विषय (Sociology and Other Subject)
1.11 सारांश (Summary)
1.12 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)
1.13 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

1.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, विद्यार्थी योग्य होंगे:

- समाजशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र की व्याख्या,
- समाजशास्त्र के महत्त्व का वर्णन और
- समाजशास्त्र और अन्य विषय के संबंधों की जानकारी।

1.2 प्रस्तावना (Introduction)

समाज का एक अंत:संबंधित समग्र के रूप में अध्ययन करने पर समाजशास्त्र के मुख्य सरोकार एवं समाजशास्त्रीय कल्पनाओं के बारे में परिचय मिलता है। व्यक्तिगत पसंद और नौकरी के बाजार पर हमारी परिचर्चा से पता चलता है कि किस प्रकार आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक संस्थाएँ अंत:संबंधित हैं और किस प्रकार एक व्यक्ति इससे बँधा हुआ भी है तथापि कुछ सीमा तक इसको बदल भी सकता है।

अगले कुछ अध्याय विभिन्न संस्थाओं और साथ ही साथ संस्कृति पर आधारित होंगे। ये समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख शब्दावली एवं संकल्पनाओं पर भी केंद्रित होंगे, जिससे समाज को समझने में आपको मदद मिलेगी क्योंकि समाजशास्त्र मुनष्य के सामाजिक जीवन, समूहों और समाजों का अध्ययन है। इसकी विषय-वस्तु है एक सामाजिक प्राणी की तरह स्वयं हमारा व्यवहार।

समाजशास्त्र ऐसा कार्य करने वाला पहला विषय नहीं है। लोगों ने हमेशा से उस समाज और समूह को देखा और समझा है जिसमें ये रहते हैं। यह सभी सभ्यताओं और युगों के दार्शनिकों, धार्मिक गुरुओं और विधिवेत्ताओं की पुस्तकों से स्पष्ट होता है। अपने जीवन और अपने समाज के बारे में सोचने वाला मानव स्वभाव केवल दार्शनिकों एवं सामाजिक विचारकों तक सीमित नहीं है।

नोट

हम सभी के अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में और दूसरों की जिंदगी के बारे में भी अपने-अपने विचार रहते हैं और इसी तरह अपने समाज और दूसरे समाजों के बारे में भी। ये रोजाना की हमारी धारण ााएँ और हमारी सामान्य बौद्धिक समझ ही है जिसके अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। तो भी एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का एक समाज के बारे में प्रेक्षण एवं विचार दार्शनिक अनुचिंतनों एवं सामान्य बौद्धिक समझ से हटकर है।

1.3 समाजशास्त्र की परिभाषा एवं अर्थ (Meaning and Definition of Sociology)

सोशियोलॉजी (Sociology) शब्द 1839 में फ्रांसीसी विद्वान आगस्ट काम्टे द्वारा गढ़ा गया था। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1876 में, फ्रांस में 1889 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में, पोलैण्ड एवं भारत में प्रथम महायुद्ध के बाद, मिस्र एवं मैक्सिको में 1925 में तथा स्वीडेन में 1947 में आरम्भ हुआ।

'Sociology' दो विभिन्न भाषाओं से लिए गए दो शब्दों Socius एवं Logus से मिलकर बना है। इसमें Socius लैटिन भाषा से लिया गया है। जिसका अर्थ है **'समाज'** और दूसरा शब्द Logus ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है **'शास्त्र'**। इस प्रकार Sociology का शाब्दिक अर्थ समाज का शास्त्र या समाज का विज्ञान है। जहाँ तक इसकी परिभाषा का प्रश्न है तो अलग-अलग विद्वानों ने इसकी परिभाषा अलग-अलग ढंग से देने का प्रयास किया है। गिडिंग्स, समनर, वार्ड आदि ने समाजशास्त्र को एक ऐसे विज्ञान के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया है जो समाज को इकाई मान कर समग्र रूप से इसका अध्ययन करता है। वार्ड के अनुसार, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी तरह गिडिंग्स ने लिखा है कि, समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। दूसरी ओर, मैकाइवर तथा पेज, आर्नोल्ड एम. रोज, पार्क एवं बर्गेस जैसे अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा है। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं।

लेकिन गिन्सबर्ग, सिमेल, हॉबहाउस तथा ग्रीन जैसे समाजशास्त्रियों का विचार है कि सामाजिक संबंधों की अपेक्षा सामाजिक अंतर्क्रियाएँ अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। सामाजिक संबंध तो इतने प्रकार के हैं कि उनका व्यवस्थित अध्ययन करना भी कठिन है। अत: ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र को यदि हम सामाजिक अन्तर्क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहकर परिभाषित करें तो इसकी प्रकृति को ज्यादा स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में जर्मन विचारक मैक्स वेबर का एक अलग दृष्टिकोण है। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों को समझने के लिए सामाजिक अन्तर्क्रियाओं को समझना ही पर्याप्त नहीं है। दरअसल अन्तर्क्रियाओं का निर्माण सामाजिक क्रियाओं से होता है और इनको कर्ता के दृष्टिकोण से ही समझना चाहिए। अत: वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं की व्याख्या व्यक्तिपरक अर्थ के आधार पर करता है।

जॉनसन, बोगार्डस तथा फ्पफलेमिंग जैसे अनेक समाजशास्त्रियों की यह मान्यता है कि समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉनसन की मान्यता है कि समाजशास्त्र को केवल सामाजिक संबंधों का अध्ययन कह देना पर्याप्त नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि सामाजिक संबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है, जैसे-संबंध अति साधारण भी हो सकता है और प्रतिस्पर्धात्मक भी। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक संबंधों के अध्ययन से हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकते। अत: समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहना चाहिए।

स्पष्टत: समाजशास्त्र की परिभाषा के संबंध में ऊपरी तौर पर मतभेद जरूर है पर मूलत: सभी विद्वान यह स्वीकार करते हैं कि समाजशास्त्र, सामाजिक-क्रिया, सामाजिक-अन्तर्क्रिया, सामाजिक-मूल्यों या सामाजिक-संबंधों का समग्र रूप से अध्ययन करने वाला विज्ञान है।

नोट

1.4 समाजशास्त्र की प्रकृति (Nature of Sociology)

समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ आलोचक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, जबकि दूसरे आलोचकों के अनुसार समाजशास्त्र भी राजनीति शास्त्र, इतिहास और अन्य सामाजिक शास्त्रों की भाँति एक विज्ञान है।

इस विषय पर किसी निर्णय पर पहुँचने से पूर्व हमें 'विज्ञान' शब्द के अर्थ को भलीभाँति समझना होगा।

विज्ञान का अर्थ

विज्ञान "ज्ञान अथवा अध्ययन का वह अंग है जिसमें क्रमबद्ध ढंग से एवं सामान्य नियमों की क्रिया को दिखलाते हुए तथ्यों अथवा सत्यों का वर्णन होता है।" इसमें तथ्यों को इकट्ठा करके उन्हें व्यवस्थित ढंग से संयुक्त किया जाता है ताकि प्रमाणिक निष्कर्षों की खोज की जा सके। वैज्ञानिक ज्ञान प्रमाण एवं तर्क पर आधारित होता है। अतएव यह सत्यापन योग्य होता है तथा इसे संचरित किया जा सकता है। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएँ हैं–

(*i*) सुस्पष्ट, अविरोधी एवं मूर्त्त सूत्र निर्माण की संभावना,

(*ii*) सामान्यीकरणों के निर्माण एवं भविष्यवाणी करने की योग्यता,

(*iii*) आँकड़े एवं सामान्यीकर के सत्यापन की संभावना।

वैज्ञानिक विधि में प्रयुक्त विभिन्न पथ हैं। पर्यवेक्षण, अंकन, वर्गीकरण, परिकल्पना, सत्यापन एवं भविष्यवाणी।

विलियम इसलिंगर (William Esslinger) के अनुसार, "विज्ञान की प्रमुख भेदक विशेषता यह है कि वह अनन्य रूप एवं विधिवत ढंग से तर्क पर आधारित होता है। प्रयोग एवं भविष्यवाणी इसकी अपेक्षाएँ नहीं हैं। इसमें समीक्षा की विधियाँ क्रमबद्ध होती हैं।" हक्सले के अनुसार भी, "विज्ञान तर्क एवं प्रमाण पर आधारित ज्ञान का क्रमबद्ध पुंज है।"

1.5 समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं माना जा सकता (Sociology cannot be Regarded as a Science)

जो लेखक समाजशास्त्र को विज्ञान मानने से इंकार करते हैं, उनके तर्क निम्नलिखित हैं–

1. **प्रयोग की कमी (Lack of experimentation)**–समाजशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं, इस संबंध में भ्रान्ति का कारण यह है कि विज्ञान शब्द के कई अर्थ बताये गये हैं। यदि 'विज्ञान' शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में किया जाये जिस अर्थ में भौतिक विज्ञानों में किया जाता है, तो समाजशास्त्र विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता। जब 'विज्ञान' शब्द का प्रयोग भौतिक विज्ञानों में किया जाता है तो इसमें प्रयोग तथा पूर्वकथन (prediction) की जुड़वाँ प्रक्रिया शामिल होती है। इस दृष्टि से समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है, जैसा कि स्प्रॉट (Sprout) ने कहा है, "यदि आप प्रयोग नहीं कर सकते, यदि आप नाप-तोल नहीं कर सकते, यदि आप मोटे तौर पर एकत्वबोधक धारणा स्थापित नहीं कर सकते, यदि आप अपनी सामाजिक इंजीनियरिंग के विषय में आश्वस्त नहीं हो सकते तो आपको किसी भी तरह वैज्ञानिक अध्ययन में व्यस्त नहीं कहा जा सकता है।"

   इसमें कोई संदेह नहीं है कि समाजशास्त्र भौतिक विज्ञानों की भाँति प्रयोग एवं पूर्वकथन

नहीं कर सकता, क्योंकि मानव-व्यवहार तथा मानव-संबंधों की सामग्री जिसका समाजशास्त्र अध्ययन करता है, बड़ी विचित्र तथा अनिश्चित है। कुछ भावनाएँ ऐसी होती हैं जिनके संबंध में कोई प्रश्न ही नहीं किया जा सकता। उनका निरपेक्ष भाव भी नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए, काम-जीवन (sex life) और धर्म जैसे विषय गंभीर वाद-विवाद को भड़का देते हैं। विवादग्रस्त विषयों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति विरोधी मतों की निन्दा का पात्र बन सकता है। यदि यह विषय नशाबन्दी, गोहत्या, गर्भपात, परिवार नियोजन या छुआछूत है तो शोधकर्ता अवश्य ही इनके पक्ष में होगा या विपक्ष में। उसके द्वारा दिया गया कोई भी निरपेक्ष विश्लेषण दोनों ही पक्षों को रुष्ट करने वाला हो सकता है। इसके अतिरिक्त समाज इतना जटिल एवं परिवर्तनशील है कि उसके विभिन्न तत्वों को पृथक् करना तथा उनका विश्लेषण करना—जैसा भौतिक विषयों में किया जा सकता है, सम्भव नहीं है। हम संसार को किसी भी प्रयोगशाला में प्रयोग करके देख सकते हैं कि पानी के दो तत्त्व होते हैं। इसमें दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन होता है, परंतु समाजशस्त्र में ऐसी प्रयोगशाला में प्रयोग की बात कठिन तथा असंभव है।

2. **वस्तुनिष्ठता की कमी (Lack of Objectivity)**—वैज्ञानिक विधि अपनाने में समाजशास्त्री के सामने दूसरी कठिनाई यह है कि वह अपने प्रयोगाधीन वस्तु के साथ पूर्णत: निरपेक्ष नहीं रह सकता, जबकि भौतिकशास्त्री रह सकता है। मानव की अपनी रुचियाँ तथा अपने पूर्वाग्रह (prejudices) होते हैं, अतएव उसके लिये यह संभव नहीं है कि प्रयोग की वस्तु को बिल्कुल निर्लिप्त भाव से देखे। किसी वस्तु के संबंध में बचपन से हमारे मन में जो कल्पनाएँ हैं, उनसे हम बिल्कुल मुक्त हो जायें, बहुत कठिन बात है। अत: हमारे मूल्यांकन पूर्वाग्रहकारी होंगे, यह निश्चित-सा है। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यक्ति मानव-व्यवहार के अध्ययन में निरपेक्ष रहने का प्रयत्न करता है, तो उसको शीघ्र ही सनकी, संशयवादी, पागल या देशद्रोही कहा जा सकता है। अपनी शोध में जनता द्वारा सहयोग के स्थान पर उसे उनके विरोध का सामना करना पड़ सकता है तब आत्मरक्षा के लिए वह कुछेक सामाजिक मूल्यों को स्वीकार कर लेता है और अपने अध्ययन से उन घटनाओं को निकाल देता है जो समाजशास्त्रीय उपयोगिता रखती हैं और सामाजिक अस्तित्व का मूलाधार हैं। तीसरी कठिनाई यह है कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन शारीरिक इंद्रियों से नही किया जा सकता। सामाजिक संबंधों में हम जो कुछ देखते हैं, वह हमारे आंतरिक जीवन का बाह्य रूप मात्र है। अत: यदि कोई समाजशास्त्री किसी व्यक्ति की ब्राह्य क्रियाओं को भलीभाँति समझना चाहता है, तो उसे उस व्यक्ति के मन की क्रिया को भी समझना पड़ेगा। भौतिक विज्ञानवेत्ता को ऐसी जटिल समस्या का सामना नहीं करना पड़ता।

3. **यथातथ्यता की कमी (Lack of Exactivity)**—विज्ञान का एक और लक्षण यह है कि उसमें पर्यवेक्षण (observation) तथा अनुमान (hypothesis) के आधार पर कुछ नियम बनाये जा सकते हैं और उन नियमों की कसौटी पर भविष्यवाणी की जा सकती है। समाजशास्त्र को इस दृष्टि से भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पहली बात यह है कि इसके नियमों को नपे-तुले शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता और दूसरी बात यह भी है कि इसकी भविष्यवाणी सही न निकले।

   इसके निष्कर्ष बहुधा काल और स्थान के कारण परिसीमित होते हैं। इस तथ्य के कारण कि सामाजिक संबंधों का क्षेत्र विस्तृत है तथा मानवीय अभिप्रेरणायें जटिल हैं, इसलिए मानव व्यवहार के बारे में कोई पूर्वकथन करना कठिन है।

4. **पारिभाषिक शब्दावली अस्पष्ट (Terminological Theofficiency)**—यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि समाजशास्त्र में अस्पष्ट एवं सुनिश्चित शब्दावली का अभाव होता है। विभिन्न व्यक्ति कुछ शब्दों को विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त करते हैं। उदाहरणतया, 'जाति' एवं (caste) वर्ग शब्दों का अभी तक सुस्पष्ट अर्थ उपलब्ध नहीं है। मंडल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने

नोट

अपने निर्णय में कहा है कि वर्ग की अवधारणा को जाति से पृथक् नहीं किया जा सकता। क्या जाति में वर्ग निहित है? यह भ्रांति अभी तक दूर नहीं हुई है। शब्द विचारों-वैज्ञानिक अथवा अन्यथा-का माध्यम होते हैं। समाजशास्त्र में अभी तक यथेष्ट वैज्ञानिक शब्दावली का विकास नहीं हो पाया है। हमारे अनेक पारिभाषिक शब्द यथा—धर्म, जाति, वर्ग, समूह दैनिक जीवन में प्रयुक्त शब्द हैं। जब तक हम भ्रामक शब्दों को प्रयुक्त करते रहेंगे, पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग समाजशास्त्र को विज्ञान का पद दिलाने में बाधक होगा।

उपर्युक्त कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जाता है कि समाजशास्त्र नाम की कोई वस्तु नहीं है—अधिक से अधिक यदि कुछ है तो 'सामाजिक अध्ययन' (social studies)। सामाजिक संबंधों का निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं है; शोधकर्ता निरपेक्ष हो ही नहीं सकता। निरपेक्ष विश्लेषण के बिना विज्ञान असंभव है।

1.6 समाजशास्त्र विज्ञान है (Sociology is a Science)

आलोचकों के तर्क कुछ सीमा तक सत्य प्रतीत होते हैं। वस्तुत: सामाजिक घटनावस्तु की वैज्ञानिक समीक्षा कठिनाइयों से युक्त है। समाजिक अध्ययन अपने स्वरूप के कारण उतने यथार्थ नहीं हो सकते जितना प्राकृतिक अथवा भौतिक विज्ञान। परंतु आलोचक अपने पक्ष को बढ़ा-चढ़ा कर वर्णित करते हैं, जब वह समाजशास्त्र को वैज्ञानिकता से पूर्णतया इंकार करते हैं। कदाचित् उनकी धारणा है कि निष्कर्षों की यथार्थता एवं पूर्वकथन की योग्यता ही किसी अध्ययन को वैज्ञानिकता का पद दे सकता है। परंतु यह धारणा विज्ञान के स्वरूप के बारे में सही समझ नहीं है। मौसम विज्ञान सही पूर्वकथन नहीं कर पाता, परंतु क्या इस आधार पर उसे विज्ञान कहने से इंकार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, निष्कर्षों की सार्वभौमिक मान्यता एवं पूर्वकथन की पूर्णरूपेण सत्यता विज्ञान के मापदंड नहीं हैं। किसी विषय के वैज्ञानिक स्वरूप का निर्धारक तत्व इसके द्वारा प्रयुक्त विधियाँ हैं। यदि अध्ययन की विधियाँ वैज्ञानिक हैं तो उस विषय को विज्ञान कहना त्रुटिपूर्ण नहीं होगा। समाजशास्त्र अपने विषय-वस्तु के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है जैसा निम्न अंकित है।

समाजशास्त्र को विज्ञान कहे जाने के विरुद्ध दी गयी आपत्तियों को तर्क से काटा जा सकता है। वस्तुत: अपनी विषय-सामग्री का अध्ययन करते समय समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, अत: यह विज्ञान कहलाने योग्य है।

पहली बात यह है कि समाजशास्त्री प्रत्यक्ष रूप से प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकता। समाजशास्त्र की विषय-वस्तु अर्थात् सामाजिक व्यवहार किसी भी दूसरी प्राकृतिक घटना के समान वैज्ञानिक शोध के योग्य है। कुछ विशेष क्षेत्रों, यथा-औद्योगिक क्षेत्रों में मनुष्यों की सहमति से उन पर अनेक अप्रत्यक्ष प्रयोग किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र समाजमिति (sociometry), प्रश्नावली विधि (question-naire), साक्षात्कार विधि (interview), व्यक्तिगत जीवन अध्ययन विधि (case study method) आदि विधियों का प्रयोग करता है जिसमें सामाजिक व्यवहार के अध्ययन में परिमाणात्मक मापों का इस्तेमाल किया जाता है। इन विधियों को प्रयोगात्मक विधि के समान ठहराया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह जानना चाहते हैं कि क्या अल्प-आय वाले परिवारों में शिशुओं की मृत्यु-दर अधिक है तो हम आँकड़े इकट्ठे करते हैं। समाजशास्त्र के पास पर्याप्त यथेष्ठ विधियाँ हैं। कठिनाई केवल सामग्री इकट्ठा करने की है, क्योंकि सामग्री इकट्ठा करने की प्रक्रिया महँगी है।

दूसरी बात यह है कि वैज्ञानिक शोध की दो बुनियादी विधियाँ-पर्यवेक्षण एवं तुलना समाजशास्त्री को सुलभ हैं और वह इनका प्रयोग करता है।

तीसरी बात यह है कि सभी भौतिक विज्ञानों में प्रयोग बन्द प्रयोगशाला में नहीं किये जाते। खगोलविज्ञान (astronomy) में उसकी विषय-सामग्री को प्रयोगशाला में बन्द करके प्रयोग नहीं किया जा सकता। नक्षत्रों तथा ग्रहों को प्रयोगशाला में नहीं लाया जा सकता। फिर यदि खगोलविज्ञान को, जो प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकता, विज्ञान कहा जा सकता है तो समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानने का कोई औचित्य नहीं है। न्यूटन (Newton) तथा आर्कमिडीज (Archimedes) ने अपने नियमों की खोज

प्रयोगशाला में बैठकर नहीं की थी। एक समाजशास्त्री के मार्ग में बाधाएँ उसकी विषय-वस्तु से उत्पन्न नहीं होती, परन्तु उसके अपने ही समाज द्वारा उस पर लादी गयी सीमाओं से उत्पन्न होती हैं।

चौथी बात यह है कि समाजशास्त्र नियमों का निर्माण करता है और पूर्वकथन भी करता है, चाहे उसका पूर्वकथन पूर्णत: ठीक सिद्ध न हो। यह ऐसे नियमों को खोजने का प्रयत्न करता है जो संस्कृति में विभिन्नताओं की उपेक्षा करते हुए भी सामान्यत: लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, यह नियम कि किसी समुदाय (community) की सामाजिक क्रियाएँ उस समुदाय के लोगों द्वारा उचित समझी जाती हैं, क्योंकि वे रीतियाँ (mores) होती हैं, इसलिए नहीं कि वे क्रियाएँ रीतियाँ इसलिए हैं, क्योंकि वे उचित हैं। लोग विवाह की संस्था को इस प्रकार से नियमित करते हैं कि सगोत्र-गमन (incest) को रोका जा सके। ये नियम सार्वभौमिक हैं। उनकी न्यायसंगतता से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, कोई भी विज्ञान इस बात का गर्व नहीं कर सकता कि उसका पूर्वकथन कभी गलत नहीं होगा। अन्य विज्ञानों द्वारा स्थापित नियमों में भी बाद में समय के साथ परिवर्तन करना पड़ा है। स्प्रॉट (sprott) के अनुसार, "सिद्धांतो में उन परिवर्तनों ने जो इतनी शीघ्रता या तेजी से हुए हैं, हमें शंकित बना दिया है कि विज्ञान हमें आज जो शिक्षा दे रहा है, क्या वही 'कल' देगा। सामाजिक जीवन के कुछ क्षेत्रों में पूर्वकथन कुछ सीमा तक संभव है।" क्यूवीर (Cuvier) के अनुसार, "समाजशास्त्र के पूर्वकथनीय मूल्य को उन्नत किया जा रहा है। बच्चों के व्यक्तित्व और पारिवारिक संबंधों पर काफी सही सूचना उपलब्ध है। जब समाजशास्त्र और अधिक परिपक्व हो जायेगा और मानवीय व्यवहार के पीछे निहित नियमों को अधिक पूर्ण रूप से समझने लग जायेगा तो वह अधिक यथार्थ पूर्वकथन करने योग्य हो जायेगा।"

नोट

पाँचवी बात यह है कि समाजशास्त्र कार्य-कारण संबंधों की स्थापना करता है। परिवार के अध्ययन में, इसने पारिवारिक विघटन एवं तलाक, नगरीकरण एवं पारिवारिक विघटन के बीच संबंध की खोज की है। इस प्रकार, यह सामाजिक प्रक्रियाओं एवं संबंधों के 'कैसा' (how) एवं 'क्यों' (why) का उत्तर ढूँढने का प्रयत्न करता है।

अन्तिमतया, यदि 'विज्ञान' शब्द को उस अर्थ में प्रयुक्त किया जाय जिन अर्थो में क्यूवीर (Cuvier), पियर्सन (Pearson), गिडिंग्स (Giddings) तथा अन्य शास्त्रियों ने किया है तो समाजशास्त्र को विज्ञान कहे जाने के विरुद्ध सभी आपत्तियाँ निर्मूल सिद्ध हो जायेगी। क्यूवीर (cuvier) के अनुसार, "विज्ञान पर्यवेक्षण एवं पुन:पर्यवेक्षण की प्रक्रिया द्वारा विश्व में समानताओं की खोज की विधि है, जिसके परिणाम, अंत में नियम के रूप में घोषित किये जाते हैं जो ज्ञान के क्षेत्रों में सुव्यवस्थित कर लिये जाते हैं।" पियर्सन (Pearson) के अनुसार, "विज्ञान का कार्य तथ्यों का वर्गीकरण, उनके तारतम्य एवं सापेक्ष महत्त्व का पता लगाना है।" गिडिंग्स (Giddings) के अनुसार, "विज्ञान तथ्यों का पता लगाने और उनको समझने के प्रयत्न से न कुछ अधिक है और न कम। विज्ञान तथ्यों का सामना करने में सहायता करने के अतिरिक्त कुछ नहीं करता।" विज्ञान की एक सरल परिभाषा यह है कि यह केवल संगठित सूझबूझ है जिसमें तथ्यों का व्यक्तिनिष्ठ पर्यवेक्षण तथा उनकी सैद्धान्तिक व्याख्या की जाती है। विज्ञान की एक परंपरागत परिभाषा यह है कि यह किसी विषय से संबंधित क्रमबद्ध पर्यवेक्षण, अनुभव एवं अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान का संग्रह है जिसके एकीकृत संपूर्ण में विश्लेषण एवं वर्गीकरण किया जाता है। लुंडबर्ग (Lundberg) के अनुसार, "विज्ञान उन अवस्थाओं जिनके अधीन घटनाएँ घटित होती हैं, की खोज की प्रक्रिया है।" वेबर (Weber) के अनुसार, "समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया की सार्थक व्याख्या करने का प्रयत्न करता है जिससे कार्य-कारण की एक सामान्य व्याख्या पर पहुँचा जा सके।" अतएव समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो 'विज्ञान' शब्द द्वारा निर्दिष्ट माँगों की पूर्ति करता है। वह अपनी विषय-वस्तु का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। यह सामाजिक संबंधों, विशेषतया संस्थाओं एवं समितियों के प्रकारों एवं रूपों का वर्गीकरण करने का प्रयतन करता है। यह सामाजिक जीवन के विभिन्न कारकों एवं भागों के बीच संबंधों को निर्धारित करने का प्रयत्न करता है। यह अपनी सामग्री के क्रमबद्ध अध्ययन से सामान्य नियमों को ढूँढने का प्रयत्न करता है। ऐसे नियम सामाजिक समस्याओं के समाधान में प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र भी अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र तथा मनोविज्ञान की ही भाँति एक विज्ञान है। यद्यपि यह अभी तक पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है, तथापि समाजशास्त्री ऐसे उपकरणों की खोज में हैं जो इसके अध्ययन

को अधिक सूक्ष्म तथा इसके नियमों को अधिक वैज्ञानिक बनाने में सहायक होंगे। काम्टे (Comte) ने इसे 'सामाजिक भौतिकशास्त्र' (Social physics) का नाम दिया था।

राबर्ट बीर्सटेड (Robert Bierstedt) ने अपनी पुस्तक 'सामाजिक व्यवस्था' (The Social Order) में समाजशास्त्री की प्रकृति की निम्नलिखित विशेषताओं का वर्णन किया है–

नोट

1. समाजशास्त्र एक सामाजिक, न कि प्राकृतिक विज्ञान है।
2. सामाजशास्त्र स्वीकारात्मक (positive), न कि आदर्शात्मक (normative) विज्ञान है।
3. समाजशास्त्र एक विशुद्ध अथवा सैद्वान्तिक, न कि व्यावहारिक विज्ञान है।
4. समाजशास्त्र एक अमूर्त, न कि मूर्त विज्ञान है।
5. समाजशास्त्र एक सामान्यीकृत, न कि विशेषीकृत विज्ञान है।
6. समाजशास्त्र तर्कपरक एवं आनुभविक (empirical) विज्ञान है।

1.7 समाजशास्त्र का क्षेत्र (Scope of Sociology)

अलेक्स इंकेल्स के अनुसार, "समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो सीमा निर्धारित की जा सकती है और न ही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है" समाजशास्त्र के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र का विस्तार किन सीमाओं तक है। समाजशास्त्र के विषय-क्षेत्र के संबंध में विद्वानों के मतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है।

1. स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक सम्प्रदाय तथा (Formal or Specialistic or Particularistic School)
2. समन्वयात्मक संप्रदाय (Synthetic School) प्रथम विचारधारा के पोषक समाजशास्त्र को एक विशेष विज्ञान मानते हैं जबकि द्वितीय विचारधारा के समर्थक समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानने के पक्ष में है।

1. स्वरूपात्मक संप्रदाय (Formal School)

जर्मन समाजशास्त्री जार्ज सिमेल इस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। इस संप्रदाय से संबंधित अन्य विद्वानों में वीरकान्त, वानयिज, मैक्सवेबर तथा टानीज आदि प्रमुख हैं। इस विचारधारा से संबंधित समाजशास्त्रियों के मान्यतानुसार अन्य विज्ञानों जैसे रसायनशास्त्र, भौतिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, राजनीतिशास्त्र आदि के समान समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र एवं विशेष विज्ञान है। जैसे प्रत्येक विज्ञान की अपनी कोई प्रमुख समस्या या सामग्री होती है जिसका उसी शाखा के अंतर्गत अध्ययन की जाने वाली भी कोई मुख्य समस्या या सामग्री होनी चाहिए। ऐसा होने की स्थिति मे ही समाजशास्त्र एक विशिष्ट एवं स्वतंत्र विज्ञान बन सकेगा और इसका क्षेत्र निश्चित हो सकेगा। इस सम्प्रदाय के अनुसार, यदि समाजशास्त्र को संपूर्ण समाज का एक सामान्य अध्ययन बनाने की कोशिश की गयी तो वैज्ञानिक आधार पर ऐसा करना संभव नहीं रह जाएगा।

(*i*) **जार्ज सिमेल के विचार (Views of George Simmel):** जार्ज सिमेल ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन माना है। इनके अनुसार, यदि अन्य विज्ञानों के समान समाजशास्त्र भी सामाजिक संबंधों की अन्तर्वस्तु का अध्ययन करने लगा तो यह एक विशिष्ट विज्ञान नहीं बन सकेगा। अतः समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए। इनके अनुसार, सभी भौतिक एवं अभौतिक वस्तुओं का अपना एक स्वरूप और एक अंतर्वन्तु होती है जो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। स्वरूप और अंतर्वस्तु का एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उदाहरण हेतु–तीन एक समान बोतलों में से एक में पानी, दूसरे में दूध और तीसरे में शराब भरी

जा सकती है। पानी, दूध और शराब का बोतलों के स्वरूप पर और इनके स्वरूप का बोतलों की अंतर्वस्तु पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। बोतल की विशेष आकृति या बनावट उसका स्वरूप है और उसमें भरा हुआ पानी, दूध और शराब उसकी अंतर्वस्तु है। इसी प्रकार सामाजिक संबंधों के स्वरूपों और अंतर्वस्तु में भी अंतर पाया जाता है और ये भी एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। अनुकरण, सहयोग, प्रतिस्पर्धा, प्रमुख अधीनता, श्रम विभाजन आदि सामाजिक संबंधों के इन्हीं स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।

(*ii*) **वीरकांत के विचार (Views of Vier Kant):** समाजशास्त्र को तो एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में मानसिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करना चाहिए जो व्यक्तियों को एक-दूसरे से अथवा समूह से बांधते हैं। समाजशास्त्र यश, सम्मान, प्रेम, लज्जा, स्नेह, समर्पण, घृणा, सहयोग, संघर्ष आदि भावनात्मक या मानसिक पहलुओं का अध्ययन करता है।

(*iii*) **वानविज के विचार (Views of Von Wiese):** इन्होंने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों का उल्लेख किया है और बताया कि समाजशास्त्र को स्वयं को इन्हीं स्वरूपों के अध्ययन में अपने-आपको लगाना चाहिए।

(*iv*) **मैक्स वेबर के विचार (Views of Max Weber):** इन्होंने भी समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान माना है। इनके अनुसार, समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन है। सामाजिक क्रियाओं को इन्होंने उन व्यवहारों के रूप में स्पष्ट किया है जो कि अर्थपूर्ण और साथ ही साथ जो अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों से प्रभावित भी होते हैं।

अत: समाजशास्त्र का कार्य सामाजिक व्यवहार को समझना और उनकी व्यारका करना है।

टानीज, वोगल, रॉस, पार्क एवं वर्गेस आदि समाजशास्त्रियों ने भी स्वरूपात्मक सम्प्रदाय का समर्थन किया है। इस सम्प्रदाय से संबद्ध सभी समाजशास्त्री, समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूपों तक ही सीमित मानते हैं।

स्वरूपात्मक सम्प्रदाय की आलोचना

(*i*) सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किसी अन्य विज्ञान द्वारा नहीं किया जाता, अत: समाजशास्त्र को एक नवीन विज्ञान के रूप में इनका अध्ययन करना चाहिए। ऐसा कहना निराधार है। सामाजिक संबंधों के बहुत से स्वरूप जैसे-प्रभुत्व, सत्ता, शक्ति, स्वामित्व, आज्ञापालन, दासता, संघर्ष आदि का अध्ययन कानूनशास्त्र में काफी सीमा तक व्यवस्थित रूप में किया जाता है। **सोरोकिन** के अनुसार "स्वरूपों का अध्ययन अन्य विज्ञानों के द्वारा भी किया जाता है, अत: समाजशास्त्र के लिए मानवीय संबंधों के स्वरूपों के विज्ञान के रूप में कोई स्थान नहीं है।"

(*ii*) इस सम्प्रदाय के समर्थकों ने स्वरूप और अनतर्वस्तु में भेद किया है और इन्हें एक दूसरे से पृथक् माना है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूप और अंतर्वस्तु को एक-दूसरे से पृथक् करना संभव नहीं है।

(*iii*) इस सम्प्रदाय के समर्थक समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों में पृथक् एवं स्वतंत्र विज्ञान बनाने के पक्षधर हैं। परंतु यह संभव नहीं है, क्योंकि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता पायी जाती है। सभी सामाजिक विज्ञान थोड़ी बहुत मात्रा में एक-दूसरे से कुछ न कुछ ग्रहण करते हैं। **सोरोकिन** के अनुसार "शायद ही ऐसा कोई विज्ञान हो जो अन्य विज्ञानों से किसी न किसी रूप में संबंध न रखता हो।"

(*iv*) इस संप्रदाय की मान्यता के अनुसार समाजशास्त्र में केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन किया जाए तो सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष समाजशास्त्र के क्षेत्र (सीमा) के अंतर्गत नहीं आयेंगे। ऐसी स्थिति में समाजशास्त्र का क्षेत्र बहुत संकुचित हो जाएगा जो कि इस विषय के विकास की दृष्टि से उचित नहीं है।

(*v*) सामजशास्त्र संपूर्ण रूप से समाज का विज्ञान है। यह प्रमाणित हो गया है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्ष एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। यदि सामाजिक जीवन के किसी एक भी भाग या पक्ष में परिवर्तन आता है तो उसका असर अन्य भागों या पक्षों पर भी पड़ता है। अत: इस संप्रदाय के समर्थकों के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत केवल सामाजिक संबंधों के स्वरूपों के अध्ययन पर जोर देना उचित नहीं है।

(*vi*) स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थकों ने समाजीकरण के स्वरूपों और सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में कोई विभेद नहीं किया है। तथा दोनों को एक-दूसरे का पर्याय मान लिया है जबकि यथार्थ में ऐसा नहीं है। सामाजिक संबंधों के स्वरूपों में केवल सामाजीकरण के नहीं बल्कि असमाजीकरण के स्वरूप भी मौजूद हैं।

2. समन्वयात्मक संप्रदाय (Synthetic School)

सोरोकिन, दुर्खीम, हॉब हाउस तथा गिंसवर्ग इस संप्रदाय के प्रमुख समर्थकों में से हैं। ये विद्वान समाजशास्त्र को विशिष्ट की बजाय सामान्य विज्ञान बनाना चाहते हैं। इन विद्वानों के अनुसार, समाज के संबंध में संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति हेतु समाजशास्त्र के क्षेत्र को सामाजिक संबंधों के स्वरूप तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। इसे तो संपूर्ण समाज का सामान्य अध्ययन करना चाहिए इस संबंध में इस संप्रदाय के समर्थकों ने दो तर्क दिये हैं।

(*i*) समाज की प्रकृति जीवित शरीर की भांति है जिसके विभिन्न अंग एक-दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से अंतर्सम्बन्धित हैं और एक अंतर होने वाला कोर्ड भी परिवर्तन दूसरे अंगों को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकता है। अत: समाज को समझने के लिए उसकी विभिन्न इकाईयों या अंगों के पारस्परिक संबंधों को जानना अति आवश्यक है। यह कार्य उसी समय हो सकता है जब समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान बनाया जाए और इसके क्षेत्र को काफी व्यापक किया जाये।

(*ii*) समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान बनाने के पक्ष में एक तर्क दिया जाता है कि प्रतयेक सामाजिक विज्ञान के द्वारा समाज के एक भाग या पक्ष का ही अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के तौर पर राजनीतिशास्त्र द्वारा समाज के एक पक्ष-राजनीतिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के द्वारा आर्थिक जीवन का अध्ययन किया जाता है। ऐसा कोई भी विज्ञान नहीं हैं जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का संपूर्ण समझ या समग्र रूप में अध्ययन करता हो। अत: समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में यह कार्य करना है। ऐसा होने पर ही समान वास्तविक प्रकृति को समझा जा सकता है। इसके संबंध में हमारा ज्ञान काफी संकुचित और एकाकी है यथार्थ में समाजशास्त्र का लोगों को सामाजिक जीवन की अवस्थाओं से परिचित कराने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका है और यह उसी समय संभव है जब इसके क्षेत्र को एक विज्ञान के रूप में विस्तृत किया जाये।

(क) दुर्खीम के विचार (Views of Durkheim): फ्रांसीसी समाजशास्त्री ईमाइल दुर्खीम भी इसी विचारधारा के समर्थक हैं। दुर्खीम के अनुसार, एक सामान्य समाजशास्त्र का निर्माण करना संभव है जो विशिष्ट विज्ञानों के विशेष क्षेत्रों के नियमों पर आधारित अधिक सामान्य नियमों से निकलकर बना हो। ये ही सामूहिक रूप में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हीं के अध्ययन से समाज को भलीभांति समझा जा सकता है। दुर्खीम के अनुसार "हमारा विश्वास है कि समाजशास्त्रियों को विशिष्ट विज्ञान जैसे कानून का इतिहास, प्रथाएं एवं धर्म, सामाजिक अंकशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि में किए गए अन्वेषणों से नियमित रूप से परिचित रहने की बहुत अधिक जरूरत है क्योंकि इनमें उपलब्ध सामग्रियों से ही के समाजशास्त्र को एक विशिष्ट स्वतंत्र नियामों का विकास कर सकेंगे। इसके पश्चात् इसे एक सामान्य विज्ञान के रूप में अन्य सामा. जिक विज्ञानों के साथ समन्वय स्थापित करना है।"

नोट

(ख) *सोरोकिन के विचार (Views of Sorokin):* सोरोकिन के अनुसार-मान लीजिए यदि सामाजिक घटनाओं को स्वीकृत कर दिया जाए और प्रत्येक वर्ग का अध्ययन एक विशेष सामाजिक विज्ञान करे तो इन विशेष सामाजिक विज्ञानों के अतिरिक्त ऐसे विज्ञान की आवश्यकता होगी जो सामान्य एवं विशेष विज्ञानों के संबंधों का अध्ययन करे। कोई भी सामाजिक विज्ञान पूर्णत: स्वतंत्र है। प्रत्येक सामाजिक विज्ञान को किसी न किसी रूप में अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका कारण यह है कि एक विज्ञान द्वारा सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष या एक विशिष्ट मान्यताएं पारंपरिक रूप से एक-दूसरे को प्रभावित करती हैं। अत: एक निष्कर्ष में समन्वय स्थापित कर सके ताकि समाज को समग्र रूप से समझा जा सके। समाजशास्त्र का कार्य विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के पारस्परिक संबंधों या उनके सामान्य तत्वों का अध्ययन करना है। चाहे किसी भी प्रकार के संबंध आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक स्थापित करें अथवा कोई भी क्रिया करें, उनमें कुछ सामान्य तत्व अवश्य होते हैं। इन्हीं सामान्य तत्वों या अन्तर्सम्बंधों का अध्ययन समाजशास्त्र में किया जाता है।

मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, "समाजशास्त्री होने के कारण हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे संबंध आर्थिक, राजनीतिक अथवा धार्मिक हैं बल्कि इस कारण भी कि वे साथ ही सामाजिक भी होते हैं।"

सोरोकिन के अनुसार, "समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र सामान्य होना चाहिए और इसे सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक पक्ष का अध्ययन करना चाहिए।"

समन्वयात्मक सम्प्रदाय की आलोचना (Criticism of Synthetic School)

1. यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के तथ्यों एवं प्रघटनाओं का अध्ययन किया जाएगा तो यह अन्य सामाजिक विज्ञानों की एक खिचड़ी मात्र या 'हरफनमौला' विज्ञान बन जाएगा।
2. यदि सामजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान होगा तो इसका अपना कोई स्वतंत्र क्षेत्र नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इसे अन्य सामाजिक विज्ञानों पर आश्रित रहना पड़ेगा।
3. यदि समाजशास्त्र में सभी प्रकार के सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा तो ऐसी स्थिति में यह किसी भी तथ्य या प्रघटना का पूर्णता के साथ अध्ययन नहीं कर पाएगा।
4. यदि समाजशास्त्र विभिन्न विज्ञानों का योग या संकलन मात्र होगा तो इसकी अपनी कोई निश्चित पद्धति विकसित नहीं हो पायेगी।

1.8 समाजशास्त्र का कार्य-क्षेत्र (Fields of Sociology)

क्योंकि समाजशास्त्र का विषय-क्षेत्र काफी व्यापक है, अतएव इस के अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है। प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं–

(*i*) **समाजशास्त्रीय सिद्धांत (Sociological theory):** इसमें समाजशास्त्रीय अवधारणाओं, नियमों एवं सामान्यीकरणों का अध्ययन सम्मिलित है।

(*ii*) **ऐतिहासिक समाजशास्त्र (Historical theory):** इसके अंतर्गत भूतकालीन सामाजिक संस्थाओं एवं वर्तमान संस्थाओं की उत्पत्ति का अध्ययन किया जाता है।

(*iii*) **परिवार का समाजशास्त्र (Sociology of family):** परिवार का जन्म, विकास, इसके कार्य प्रकार, स्वरूप तथा इसकी समस्याओं, जैसे तलाक आदि का अध्ययन सम्मिलित है।

(*iv*) **मानव-सांख्यिकी एवं परिस्थिति विज्ञान (Human ecology and demography):** इसमें जनसंख्या तथा समाज में भौगोलिक तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है।

(*v*) **समुदाय का समाजशास्त्र (Sociology of Community):** यह समुदाय का अध्ययन है। इसके दो भाग हैं–

(*i*) ग्रामीण समाजशास्त्र, एवं (*ii*) नगरीय समाजशास्त्र।

(*vi*) **विशेष समाजशास्त्र (Special Sociology):** पिछले कुछेक दिनों में सामाजिक संबंधों के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए विशेष समाजशास्त्रों का विकास किया गया है। इस प्रकार आज हमारे सामने ये विशेष समाजशास्त्र हैं–शैक्षिक समाजशास्त्र, धर्म का समाजशास्त्र, आर्थिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र, कानून का समाजशास्त्र, सामाजिक विघटन, अपराधविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, सामाजिक मनःचिकित्साशास्त्र, लोक-समाजशास्त्र (folk sociology), औद्योगिक समाजशास्त्र, कला का समाजशास्त्र, सेना का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, व्याधि का समाजशास्त्र, मनोरंजन का समाजशास्त्र, छोटे समहों का समाजशास्त्र, नौकरशाही (bureaucracy) का समाजशास्त्र, सामाजिक स्तरीकरण का समाजशास्त्र, लिंग (sex) का समाजशास्त्र।

भविष्य में, अन्य नये विशिष्ट समाजशास्त्रों के विकसित होने की संभावना है।

1.9 समाजशास्त्र का महत्त्व (Importance of Sociology)

यह प्रश्न स्वाभाविक है कि समाजशास्त्र का महत्त्व क्या है, इससे किस प्रयोजन की पूर्ति होती है और इसके अध्ययन से क्या लाभ होता है? परेटो (Pareto) जैसे कुछ आलोचकों का कथन है कि समाजशास्त्र का कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि इसमें जीवन की यथार्थ वास्तविकताओं का अध्ययन नहीं किया जाता और चूँकि इसका संबंध ऐसे विचारों से है जो वैज्ञानिक खोजों से तनिक भी संबंधित नहीं है, अतः सामाजिक जीवन में उनका कोई उपयोग नहीं है। परंतु समाजशास्त्र के महत्त्व के बारे में यह दृष्टिकोण ठीक नहीं है। समाजशास्त्र की महत्त्वपूर्ण अवधारणाओं के अध्ययन से इसके महत्त्व का पता लग जाता है–

1. **समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है (Sociology makes a scientific study of society):** समाजशास्त्र के जन्म से पूर्व समाज का कभी भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन नहीं किया जाता था, और समाज किसी भी विज्ञान की विषय-सामग्री नहीं था। समाजशास्त्र द्वारा ही समाज का वास्तविक वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। इतना ही नहीं, बल्कि आधुनिक संसार की अनेक समस्याओं से संबंधित होने के कारण समाजशास्त्र ने इतना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है कि समाजशास्त्री उपागम को अन्य सभी सामाजिक शास्त्रों को समझने का श्रेष्ठतम उपागम माना जाता है। समाज का वैज्ञानिक ज्ञान मानव-संबंधों में किसी भी महत्त्वपूर्ण सुधार की पूर्व आवश्यकता है।
2. **समाजशास्त्र व्यक्ति के विकास में संस्थाओं के स्थान का अध्ययन करता है (Sociology studies the role of institution in the development of individual):** समाजशास्त्र के माध्यम से ही महान सामाजिक संस्थाओं तथा प्रत्येक संस्था से व्यक्ति के संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। घर तथा परिवार, स्कूल तथा शिक्षा, चर्च तथा धर्म, राज्य तथा सरकार, उद्योग तथा कार्य, समुदाय तथा संघ आदि ऐसी महान संस्थाएँ हैं जिनके माध्यम से समाज की गाड़ी चलती है। इसके अतिरिक्त ये संस्थाएँ मनुष्य की अवस्थाएँ निर्धारित करती हैं। समाजशास्त्र इन संस्थाओं और मनुष्य के विकास में उनके योग का अध्ययन करता है और इन संस्थाओं को अधिकाधिक शक्तिशाली बनाने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देता है, ताकि ये अच्छे ढंग से व्यक्ति की सेवा कर सकें।
3. **समाज-संबंधी ज्ञान तथा उसके आयोजन के लिए समाजशास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है (The study of sociology is indispensable for understanding and planning of society):** समाज की रचना बड़ी जटिल तथा विचित्र है। समाजशास्त्र के अध्ययन के बिना इसकी विभिन्न समस्याओं को समझना एवं हल कर पाना असंभव है। उचित ही कहा गया

नोट

है कि हम समाज को तब तक नहीं समझ सकते हैं और न उसे सुधार सकते हैं, जब तक कि हम उसकी रचना तथा उसकी संचालन-विधि के बारे में जानकारी प्राप्त नही कर लेते, ठीक उसी प्रकार जैसे कोई भी व्यक्ति कार की मशीनरी और उसके पुर्जे फिट करने की विधि आदि को जाने बिना बिगड़ी हुई कार को ठीक नहीं कर सकता। सामाजिक समस्याओं का समाजशास्त्र के साथ वैसा ही संबंध है, जैसा कि जीवविज्ञान और कीटाणुशास्त्र का औषधविज्ञान के साथ है, या गणित तथा भौतिक विज्ञान का इंजीनियरिंग के साथ है।

जिस प्रकार सैद्धान्तिक तथा प्रयोगात्मक विज्ञानों में अनुसंधान किये बिना रोगों को दूर करने या पुल-निर्माण की आधुनिक विधि मालूम कर पाना संभव नहीं है, उसी प्रकार समाजशास्त्र से संबंधित अनुसंघानों के बिना सफल सामाजिक आयोजन भी संभव नहीं है। यह मान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुशलतम उपायों के निर्धारण में सहायता करता है।

किन्हीं भी सामाजिक नीतियों के क्रियान्वयन से पहले समाज के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, मान लो कि जनन-दर को घटाने की नीति वांछनीय समझी जाती है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्तम साधनों का निर्णय केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिवार-व्यवस्था, रीति-रिवाज और रूढ़िगत मूल्यों को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा और इनके लिए समाजशास्त्रीय ढंग का विश्लेषण आवश्यक है।

4. **सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए समाजशास्त्र बहुत महत्त्वपूर्ण है (Sociology is of great importance in the solution of social problems):** आधुनिक संसार के सामने अनेक समस्याएँ हैं जिन्हें समाज के वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा ही हल किया जा सकता है। स्पष्ट है कि सामाजिक बुराइयाँ अकारण ही नहीं पैदा होतीं, बल्कि हर बात का उचित कारण होता है। समाजशास्त्र का काम वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना और उनका हल ढूँढ़ना है। मानवीय व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन करने के फलस्वरूप हमें उस ज्ञान तथा उन सिद्धांतों का पता लगेगा जिनसे हम सामाजिक अवस्थाओं पर नियंत्रण पा सकेंगे और उनको सुधार सकेंगे।
5. **समाजशास्त्र ने मनुष्य के वास्तविक महत्त्व तथा उसके सम्मान की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है (Sociology has drawn our attention to the intrinsic worth and dignity of man):** मनुष्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदलने में समाजशास्त्र का बड़ा योग रहा है। एक बृहत् विशिष्ट समाज में हम सभी सीमित हैं, उस सीमा तक जहाँ तक हम संपूर्ण संस्था और संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। हम दूसरे क्षेत्रों के लोगों को निकटता से नहीं जान सकते। उनको निकट से जानने और उन लक्ष्यों का अनुमान लगाना जिनके सहारे दूसरे जीवित हैं और उन परिस्थितियों को जानना जिनमें वे रह रहे हैं, के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। अब हमने मनुष्य के वास्तविक मूल्यों को एक मनुष्य के रूप में और जाति, रंग, विश्वास तथा दूसरे तत्वों के भेदभाव की व्यर्थता एवं अनुपयुक्तता को समझना आरंभ कर दिया है। जिस जातीय या सामाजिक भेद ने पहले एक व्यक्ति को दूसरे से पृथक कर दिया था, वह अब समाप्त हो रहा है और हम धीरे-धीरे मानवीय भ्रातृ-भावना की ओर बढ़ रहे हैं।
6. **अपराध आदि समस्याओं के संबंध में समाजशास्त्र ने हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है (Sociology has changed our outlook with regard to the problems of crime etc.):** इसके अतिरिक्त समाजशास्त्र ने विभिन्न प्रकार के अपराधों के बारे में हमारा दृष्टिकोण बदल दिया है। अब अपराधियों को पतित पशुओं की भाँति नहीं दुत्कारा जाता। इसके विपरीत, उन्हें मानसिक रोगग्रस्त मनुष्य समझा जाता है और उनके रोग को दूर करके उन्हें समाज का उपयोगी सदस्य बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अपराधशास्त्र, दण्ड-समाज-सुधार-कार्य तथा सामाजिक चिकित्सा आदि जो सामाजिक अवस्थाओं को समझने और लोगों की व्यक्तिगत

समस्याओं को हल करने के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, समाजशास्त्र के सहायक शास्त्र ही तो हैं।

नोट

7. **मानव-संस्कृति को समृद्ध बनाने मे समाजशास्त्र ने बड़ा योग दिया है (Sociology has made great contirbution to enrich human culture):** समाजशास्त्र ने मानव-संस्कृति को समृद्ध बनाने में बड़ा योगदान दिया है। इसने हमारे मन से अनेक भ्रान्तियों को हटाया है। समाजशास्त्र ने हमें ऐसी ट्रेनिंग दी है कि हर व्यक्ति अपने धर्म, रीति-रिवाज, नैतिकता तथा संस्थाओं से संबंधित प्रश्नों को तर्कपूर्ण दृष्टि से देखे। इसके अतिरिक्त इसने हमें वस्तुनिष्ठ, गुणदोष तथा निरपेक्ष बना दिया है। यह मनुष्य को स्वयं तथा दूसरों को अच्छी प्रकार समझने योग्य बनाता है। अपने अतिरिक्त अन्य समाजों ओर समूहों के तुलनात्मक अध्ययन से वह अपने अस्तित्व से संबंधित बहुत-सी वस्तुओं को देखने में समर्थ होता है जो अन्यथा उसके ध्यान में नहीं आती। उसका जीवन अधिक धनी और पूर्ण हो जाता है जो कि अन्यथा नहीं हो सकता था। समाजशास्त्र हमें संकीर्ण व्यक्तिगत राग-द्वेष, अहंवादी महत्त्वाकांक्षाओं तथा वर्ग-द्वेष को त्यागने का महत्त्व भी समझाता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र के सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्तियों तथा संपूर्ण समाज की यथासंभव पूरी सेवा करने का प्रोत्साहन देते हैं।
8. **समाजशास्त्र अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में अति महत्त्वपूर्ण है (Sociology is of great importance in the solution of international problems):** भौतिक विज्ञानों में हुई उन्नत्ति के फलस्वरूप संसार के देश एक दूसरे के निकट आ गये हैं। परंतु सामाजिक संबंधों के क्षेत्र में वह एक दूसरे से दूर हैं। मूलभूत प्रश्न यह है कि सभी प्रकार की वैज्ञानिक प्रगति से क्या लाभ हैं यदि राष्ट्र एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। समाज के ऊपर आधुनिक युद्ध के अनेक भयंकर परिणाम होते हैं। आधुनिक युद्ध की सामाजिक लागत विविध रूप में प्रदर्शित होती हैं। युद्ध के अनेक कारण होते हैं परंतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण हैं:—राज्यों के राजनीतिक संगठनों एवं उनके संबंधों के मध्य प्रकार्यात्मक असंतुलन। हम बीसवीं शताब्दी के संसार में निवास करते हैं जो राजनीतिक तौर पर अठारहवीं शताब्दी की परिस्थितियों में विभाजित है। परिणामस्वरूप, राजनीतिक इकाइयों के मध्य एवं उनके अंदर उपस्थित तनावें, संघर्ष एवं युद्ध को समय-समय पर स्थान देते हैं। राष्ट्र-राज्य की हम पूजा करते हैं तो विश्व-राज्य कैसे स्थापित किया जा सकता है। युद्ध के समाजशास्त्र के अध्ययन से युद्ध के विभिन्न कारणों की ही समझ उत्पन्न होगी जो ऐसे सभी कारणों को दूर करने में सहायक होगी जिनसे राष्ट्रों के मध्य तनाव बढ़ता है एवं अंततः युद्ध की उत्पत्ति होती है।
9. **शिक्षा के विषय के रूप में भी समाजशास्त्र उपयोगी है (Sociology is useful as a teaching subject):** चूँकि समाजशास्त्र एक महत्त्वपूर्ण शास्त्र है, अतः शिक्षा के रूप में भी यह लोकप्रिय हो रहा है। कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों के पाठ्य-विषय में इसे महत्त्वपूर्ण स्थान दिया जाने लगा है। हाल में ट्रेनिंग कॉलेजों में भी इसे विषय के रूप में स्थान दिया गया है, क्योंकि अध्यापकों को केवल अपना विषय तथा अपने शिष्यों को व्यक्तिगत रूप में ही जानने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उन्हें उस सामूहिक-जीवन की प्रकृति के बारे में भी जानना आवश्यक होता है जिसके लिए उन्हें अपने विद्यार्थियों को तैयार करना होता है। समाजशास्त्र की शिक्षा देने से समाजीकृत विचारधारा का जन्म होगा, समाजीकृत व्यवहार का विकास होगा, सामाजिक योजना की वृद्धि होगी और एक नयी सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा।

समाजशास्त्र के महत्त्व का एक अन्य प्रमाण यह है कि आई० ए० एस० और पी० सी० एस० तथा ऐसी ही अन्य उच्च परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में भी इसे सम्मिलित कर लिया गया है। यह विचार ठीक ही है कि समाजशास्त्र के अध्ययन के बिना उन लोगों की ट्रेनिंग तथा उनका ज्ञान अधूरा ही रहेगा जिन्हें देश के शासन में महत्त्वपूर्ण पदों को सँभालना है।

नोट

व्यवसाय के रूप में समाजशास्त्र (Sociology as a Profession)

समाजशास्त्र के विद्यार्थी निम्नलिखित क्षेत्रों में रोजगार पा सकते हैं–

(*i*) उद्योगों एवं सरकार में लेबर वेलफेयर अधिकारी, मानव-संबंध अधिकारी तथा पर्सनल ऑफीसर के रूप में।

(*ii*) सामाजिक सुरक्षा, यथा–रोजगार कार्यालय, बेरोजगारी बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना के क्षेत्र में।

(*iii*) अपराधियों के सुधार-संबंधी क्षेत्र में, यथा–प्रोबेशन अधिकारी, बाल भवनों या सुधार-घर के अधीक्षक के रूप में।

(*iv*) सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में समाज कल्याण अधिकारी, बाल कल्याण अधिकारी, ग्राम कल्याण अधिकारी, हरिजन कल्याण अधिकारी, कबीला कल्याण अधिकारी के रूप में।

(*v*) सामाजिक शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी के रूप में।

(*vi*) विधवा-कल्याण के क्षेत्र में नारी निकेतन के अधीक्षक के रूप में।

(*vii*) बूढों, अंपगो, अनाथों के लिए खोले गये आश्रमों में उनके अधीक्षक के रूप में।

(*viii*) परिवार नियोजन के क्षेत्र में सामाजिक शोधकर्ता के रूप में।

संक्षेप में, समाजशास्त्र का सबसे अधिक महत्त्व इस बात में है कि यह आधुनिक अवस्थाओं के आधुनिकतम ज्ञान से परिचित कराता है, अच्छे नागरिकों के निर्माण में योग देता है, समुदाय की समस्याओं को हल करने में सहायता देता है, समाज के बारे में ज्ञान की वृद्धि करता है, व्यक्ति को समाज के साथ उसके संबंध से परिचित कराता है, अच्छे समाज के साथ तादात्म्य करता है तथा लोगों की अनेक घटनाओं एवं बातों का कारण जानने में सहायता करता है। प्रो० बीच (Beach) का कथन है, "समाजशास्त्र आधुनिक संसार की बहुत-सी मूल समस्याओं पर प्रत्यक्ष प्रभाव द्वारा सब प्रकार के व्यक्तियों को भाता है।" प्रो० गिडिंग्स का कथन है, "जिस प्रकार अर्थशास्त्र यह बतलाता है कि जिन वस्तुओं को हम प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें कैसे प्राप्त करें; उसी प्रकार समाजशास्त्र बतलाता है कि हम जो बनना चाहते हैं, वैसे किस प्रकार बनें।"

समाजशास्त्र के महत्त्व का तात्पर्य यह नहीं है कि इसे समाजशास्त्र की आवश्यकता है या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि समाजशास्त्र के द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार किया जाये। स्पष्टत: इससे व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों प्रकार के लाभ हैं।

भारत में समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व और भी अधिक है। पाश्चात्य प्रभाव के कारण भारतीय समाज ध्रुव गति से परिवर्तित हो रहा है। इसकी रीतियाँ बदल रही हैं। संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है। विवाह-बंधन शिथिल पड़ रहे हैं। टूटे परिवारों की संख्या बढ़ रही है। स्त्रियों एवं बच्चों में स्वतंत्रता की भावना बढ़ रही हैं परिवार-नियोजन की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। चलचित्रों ने विचारधारा एवं रहन-सहन के ढंग को प्रभावित किया है। भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद तथा जातिवाद सिर उठा रहे हैं। राजनीतिक दलों में सत्ता की होड़ चरम सीमा पर है। प्रशासकीय तंत्र के प्रत्येक स्तर पर भ्रष्टाचार है। बेरोजगारी की समस्या गंभीर है। बढ़ते हुए नगरीकरण ने अनेक समस्याओं, यथा–आत्महत्या, झुग्गी-झोपड़ी, संक्रामक रोग, अपराध, बाल-अपराध, समूह-संघर्ष आदि को जन्म दिया है। लोग आंदोलनकारी तरीकों का सहारा अधिक मात्रा में ले रहे हैं। शिक्षा प्रणाली में घोर अव्यवस्था है। शिक्षण-संस्थाओं में हिंसात्मक कार्यवाहियाँ बढ़ रही हैं और यहाँ तक कि उच्च-पदस्थ एवं सम्मानित व्यक्तियों तथा उपकुलपतियों तक को अपमानित किया जा रहा है। संक्षेप में, प्रत्येक ओर चारित्रिक विघटन और संकट मौजूद हैं।

भारतीय समाज में व्याप्त उक्त विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए इन समस्याओं की सामाजिक पृष्ठभूमि को समझना होगा। समाजशास्त्र इस पृष्ठभूमि को समझने में काफी सहायक होगा।

1.10 समाजशास्त्र और अन्य विषय (Sociology and Other Subjects)

समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों के संबंधों के विषय में कुछ विद्वानों में मतभेद है। समाजशास्त्र के अतिरिक्त अन्य अनेक विज्ञान भी समाज का ही अध्ययन करते हैं। इनमें मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र आदि आते हैं। कॉम्टे ने इन दूसरे सामाजिक विज्ञानों को बेकार माना है, क्योंकि समाज का अध्ययन टुकड़ों में बाँट कर नहीं किया जा सकता। कॉम्टे का कहना है कि समाज एक पूर्णता है और उसका अध्ययन भी पूर्णता में ही होना चाहिए। इस तरह कॉम्टे के अनुसार, समाजशास्त्र ही एक मात्र सामाजिक विज्ञान है।

1. समाजशास्त्र और इतिहास (Sociology and History)

इतिहास मानवजाति के कार्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को उससे समाज के अध्ययन में सहायता मिलती है। पॉल बर्थ के शब्दों में, "संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उनकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है।"

अर्नोल्ड टयनबी की पुस्तक समाजशास्त्र में बड़ी सहायक सिद्ध हो रही है। आजकल समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भी इतिहास का अध्ययन किया जा रहा है। इतिहास और दर्शन तो समाजशास्त्र के लिये बड़ा ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रकार समाजशास्त्र और इतिहास में बड़ा निकट संबंध है।

समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर: उपरोक्त संबंध होते हुए भी समाजशास्त्र और इतिहास में निम्नलिखित अंतर हैं:

1. **दृष्टिकोण का अंतर –** समाजशास्त्र और इतिहास के दृष्टिकोण भिन्न-भिन्न है। साधारणतया इतिहास में उन घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। जो अनोखी या असाधारण होती है। समाजशास्त्र उन घटनाओं का अध्ययन करता है जिनकी पुनरावृत्तियाँ अधिक होती हैं। इतिहास विशेष देशकाल की घटनाओं का वर्णन करता है। समाजशास्त्र सार्वभौमिक नियमों की खोज करता है और विशेष देशकाल की घटनाओं से संबंध नहीं रखता।
2. **स्वरूप का अंतर –** इतिहास मूर्त्त और समाजशास्त्र अमूर्त्त विज्ञान है। पार्क के शब्दों में, "इसी अर्थ में इतिहास मानव अनुभव और मानव प्रकृति का मूर्त्त और समाजशास्त्र अमूर्त्त विज्ञान है।" इतिहास घटनाओं, संस्कृतियों आदि का इतिवृत्तात्मक वर्णन करता है, परंतु समाजशास्त्र उनके कारणों और सामान्य सिद्धांतों की खोज करता है। उदाहरण के लिए, इतिहास युद्धों का वर्णन मात्र करता है अथवा उनके स्थूल कारण बतलाता है। समाजशास्त्र उन प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है जो युद्ध को प्रोत्साहित करती हैं।
3. **विषय-सामग्री का अंतर –** इतिहास भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र साधारणतया वर्तमान समाज से संबंधित है। उसको भूतकाल की घटनाओं में वहीं तक रुचि है जहाँ तक उनसे वर्तमान समाजों को समझने में सहायता मिल सकती है।
4. **जोर देने का अंतर –** इतिहास व्यक्तियों के कार्यों पर बल देता है। समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई मानव समूह है। निम्नलिखित तालिका से समाजशास्त्र व इतिहास के अंतर को समझा जा सकता है–

समाजशास्त्र और इतिहास में अंतर

	समाजशास्त्र		इतिहास
1.	वर्तमान दशाओं का विश्लेषण करता है।	1.	वास्तविक घटनाओं का वर्णन करता है।
2.	प्राचीन घटनाओं से अधिक प्रयोजन नहीं रखता।	2.	प्राचीन घटनाओं का भी वर्णन करता है।
3.	वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है।	3.	ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग करता है।

नोट

4.	प्रयोगात्मक है।	4.	निश्चयात्मक है।
5.	व्यावहारिक है।	5.	मौखिक है।
6.	समुदायों का अध्ययन करता है।	6.	व्यक्तियों के कार्यों का अध्ययन करता है।
7.	समुदायों के नियंत्रणों को अधिक महत्त्व देता है।	7.	समुदायों के नियंत्रण को कम महत्त्व देता है।
8.	पुनरावृत्ति वाली घटनाओं से संबंधित है।	8.	अधिकतर अद्वितीय घटनाओं से संबंधित है।
9.	सर्वभौम घटनाओं के सामान्यीकरण से संबंधित है।	9.	विशेष देशकाल की घटनाओं के यथार्थ वर्णन से संबंधित है।
10.	सभ्यता तथा संस्कृति की उत्पत्ति तथा विकास की देशकाल के प्रसंग में वर्णन करता है।	10.	सभ्यता तथा संस्कृति की क्रियाओं का अध्ययन करता है।
11.	युद्ध को प्रोत्साहन देने वाली प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।	11.	युद्ध के कृत्रिम कारणों का वर्णन करता है।
12.	सामाजिक घटना के रूप में युद्ध का अध्ययन करता है।	12.	राजनीतिक घटना के रूप में युद्ध का वर्णन करता है।
13.	विश्लेषण के साथ-साथ समस्याओं को सुलझाने का भी सुझाव नहीं देता।	13.	केवल यथा तथ्य वर्णन करता है, सुझााव देता है।

2. समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र (Sociology and Political Science)

समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र के घनिष्ठ संबंध के विषय में बार्न्स ने लिखा है, "समाजशास्त्र और आधुनिक राजनीति सिद्धांत के विषय में सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सिद्धांत में पिछले तीस वर्षों में जो परिवर्तन हुए हैं उनमें से अधिकतर समाजशास्त्र द्वारा सुझाये हुए और बतलाये हुए मार्ग पर ही हुये हैं।" वास्तव में राजनीतिशास्त्र की समस्याओं को भली प्रकार समझने के लिए समाजशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक समस्याओं का सामाजिक पक्ष भी होता है। गिडिंग्स के शब्दों में, "समाजशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धांतों को न पढ़े हुए लोगों का राज्य का सिद्धांत पढ़ाना वैसा ही है जैसा कि न्यूटन द्वारा बतलाये हुए गति के नियमों को न जानने वाले को खगोल विद्या अथवा उष्णता और यान्त्रिकता के संबंध का शास्त्र पढ़ाना।" जी. ई. जी. कैटलिन ने राजनीतिशास्त्र तथा समाजशास्त्र को एक चित्र के दो पक्ष कहा है कॉम्टे और स्पेन्सर के अनुसार राजनीतिशास्त्र और समाजशास्त्र में कोई अंतर नहीं है। एफ. जी. विल्सन के मत में "वास्तव में, यह मान लिया जाना चाहिये कि बहुधा यह निश्चित करना बड़ा कठिन हो जाता है कि कोई विशेष लेखक समाजशास्त्री माना जाए या राजनीतिशास्त्री या दार्शनिक।"

समाजशास्त्र और राजनीतिशास्त्र में अंतर

समाजशास्त्र		राजनीति विज्ञान	
1.	समाज का विज्ञान है।	1.	राज्य या राजनीतिक समाज का विज्ञान है।
2.	सामाजिक दृष्टिकोण रखता है।	2.	शासन का दृष्टिकोण रखता है।
3.	संगठित और असंगठित समुदायों का अध्ययन है।	3.	केवल संगठित समुदायों का अध्ययन करता है।
4.	सब प्रकार से सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है।	4.	केवल राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है।

नोट

5.	समाज के सब रूपों का अध्ययन करता है।	5.	केवल राजनीतिक समाज का अध्ययन करता है।
6.	सामाजिक नियंत्रण के सब साधनों का अध्ययन करता है।	6.	केवल राज्य द्वारा स्वीकृत नियंत्रण का अध्ययन करता है।
7.	सब समुदायों का अध्ययन करता है।	7.	केवल एक समिति या राज्य का अध्ययन करता है।
8.	चेतन और अचेतन कामों की व्याख्या करता है।	8.	केवल चेतन कार्यों का विश्लेषण करता है।

3. समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र (Sociology and Economics)

समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध – अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए फेयर चाइल्ड बक और स्लसिंगर ने लिखा–"अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जोकि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिये की जाती है।" इस प्रकार अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। आर्थिक संबंधों का सामाजिक क्रियाओं और संबंधों से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। दूसरी ओर सामाजिक संबंधों पर भी आर्थिक संबंधों का प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार घनिष्ठ संबंध के कारण कुछ समाजशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को समाजशास्त्र की एक शाखा ही मान लिया है। थामस के शब्दों में, "वास्तव में अर्थशास्त्र विस्तृत विज्ञान की एक शाखा मात्र है।" सिल्वरमैन के शब्दों में, "साधारण प्रयोजनों के लिये इसे सामाजिक संबंधों के सामान्य सिद्धांतों का अध्ययन करने वाले पितृ विज्ञान समाजशास्त्र की एक शाखा माना जा सकता है।"

सामान्य समस्याएँ – इस प्रकार समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का बड़ा ही निकट संबंध है। मैकाइवर ने लिखा है–"आर्थिक घटनायें सदैव सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं के समस्त स्वरूपों द्वारा निश्चित होती हैं और वे सदैव प्रत्येक प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं और क्रियाओं का पूर्व निश्चित सृजन, स्वरूपीकरण और परिवर्तन करती रहती है।" इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र की अनेक समस्यायें सामान्य हैं। उदाहरण के लिये बेकारी की समस्या मुख्य रूप से आर्थिक है, परंतु उसका एक सामाजिक पक्ष भी है। अनेक सामाजिक प्रक्रियाएँ भी बेकारी बढ़ाती है। इन कारणों का विश्लेषण समाजशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र से बेकारी के आर्थिक कारणों का पता लगता है और उनके निवारण के लिये सुझाव उपस्थित करता है। भारत की पंचवर्षीय योजना में बेकारी को दूर करने के लिये चेष्टा की जा रही है। इस चेष्टा में यह बात ध्यान में रखी गई है कि सामाजिक पक्ष का सुधार हुए बिना बेकारी दूर नहीं हो सकती। शिक्षित बेकारी का एक बड़ा कारण शिक्षित व्यक्तियों का शारीरिक श्रम करने से घृणा करना भी है। इससे शिक्षित व्यक्ति कुछ थोड़ी-सी नौकरियों के पीछे भागते हैं। शिक्षित में जोखम उठाने की भी बड़ी कमी है। अत: व्यापार और व्यवसाय की ओर भी अपेक्षाकृत कम लोग जाते हैं। इससे नौकरियों में बड़ी प्रतियोगिता रहती है और लाखों शिक्षित युवक बेकार रहते हैं। इस बेकारी को दूर करने के लिए केवल नौकरियों की संख्या बढ़ाने से ही काम नहीं चल सकता क्योंकि देश के सारे शिक्षित नवयुवकों के लिये नौकरियों की व्यवस्था कर पाना असंभव है। इसके लिए लोगों के दृष्टिकोण तथा आदेशों में परिवर्तन करना पड़ेगा। यह बेकारी की समस्या का सामाजिक पक्ष है।

बेकारी की समस्या के साथ-साथ अनेक समस्याएँ ऐसी भी हैं जिसका अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है, जैसे निर्धनता, जनसंख्या, आर्थिक नियोजन, उत्पादन संबंधी समस्या इत्यादि। वास्तव में आर्थिक क्रिया के चारों पक्षों-उत्पादन, विनिमय, वितरण तथा उपभोग आदि पर समाजशास्त्र भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार करता है, क्योंकि इन सब पर सामाजिक संरचना तथा संस्थाओं आदि का भी प्रभाव पड़ता है। सच तो यह है कि अधिकांश आर्थिक समस्याओं का कुछ न कुछ सामाजिक पक्ष अवश्य होता है जिसका समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है।

परंतु समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के इस घनिष्ठ संबंध का अर्थ यह नहीं है कि अर्थशास्त्र कोई स्वतंत्र विज्ञान नहीं है। वह स्वतंत्र विज्ञान है, उसमें और समाजशास्त्र में निम्नलिखित अंतर भी हैं—

नोट

समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर

	समाजशास्त्र		अर्थशास्त्र
1.	समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्यन करता है।	1.	अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन है।
2.	समाजशास्त्र के क्षेत्र में पूरा समाज सम्मिलित होता है।	2.	अर्थशास्त्र का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक सीमित है।
3.	समाजशास्त्र का दृष्टिकोण व्यापक है।	3.	अर्थशास्त्र केवल आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधों और क्रियाओं का अध्ययन करता है।
4.	समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, उसकी इकाई समूह है।	4.	अर्थशास्त्र में इकाई मनुष्य है और वह विशेषतया मनुष्य के आर्थिक पक्ष का मूलतः अध्ययन करता है।
5.	समाजशास्त्र की पद्धतियाँ अर्थशास्त्र से भिन्न है।	5.	अर्थशास्त्र में निगमन और आगमन से काम लिया जाता है।

इस प्रकार समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्षेत्र, विषय-सामग्री, दृष्टिकोण तथा पद्धतियाँ अलग-अलग हैं। अतः अर्थशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है और समाजशास्त्र से परस्पर सहायता का संबंध रखता है।

समाजशास्त्र, मानवशास्त्र व अर्थशास्त्र, इन तीनों विज्ञानों में अनेक समस्याओं का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए, जनसंख्या की ही समस्या को लीजिए। अर्थशास्त्र में जनसंख्या के अध्ययन का बड़ा महत्त्व है। माल्थन का प्रसिद्ध जनसंख्या का सिद्धांत अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत है। इसमें यह बतलाया गया है कि जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है अर्थात् दुगुनी, चौगुनी, अठगुनी होती जाती है, जीवनयापन के साधनों से अत्यधिक बढ़ जायेगी और प्रकृति को बाढ़ों, अकालों महामारियों आदि के द्वारा जनसंख्या कम करनी पड़ेगी।

मानवशास्त्र में आदिम संस्कृतियों के अध्ययन में जनसंख्या के रूप तथा मात्रा के प्रभाव को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इसका सांस्कृतिक जीवन पर अवश्य प्रभाव पड़ता है। मजरेला ने लिखा है, "बहिर्विवाह और बहुविवाह उन समाजों में पाये जाते हैं जहाँ पर असीमित आर्थिक साधन होते हैं, जिनके उपयोग के लिए बहुत-से मनुष्यों की आवश्यकता होती है जन-रीतियों, रूढ़ियों और परम्पराओं पर भी जनसंख्या का बड़ा प्रभाव पड़ता है।"

4. समाजशास्त्र और मनोविज्ञान (Sociology and Psychology)

समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। थाउलस के शब्दों में—"मनोविज्ञान मानवीय अनुभव और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।" इस तरह समाजशास्त्र और मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र बहुत कुछ मिलता-जुलता है और दोनों ही यथार्थ विज्ञान हैं। दोनों ही तथ्यात्मक हैं और वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हैं। दोनों की भविष्यवाणी करने की शक्ति अन्य विज्ञानों के मुकाबले में कम है। दोनों में तटस्थता रखना कठिन है।

समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर—समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में इतनी अधिक समानता होते हुए भी दोनों में निम्नलिखित अंतर हैं—

1. दृष्टिकोण का अंतर—मैकाइवर ने लिखा है कि "यह केवल सामान्य सामग्री की ओर दृष्टिकोण का अंतर है।" मनोविज्ञान के अनुसार मनुष्य के हर एक व्यवहार का आधार मनुष्य का मन

या चेतना है। समाजशास्त्र के अनुसार सामाजिक व्यवहारों का आधार मनुष्य की समूह में रहने की प्रवृत्ति है। मनोविज्ञान का दृष्टिकोण वैयक्तिक है, समाजशास्त्र का सामाजिक है।

2. मनोविज्ञान की इकाई व्यक्ति है, समाजशास्त्र में समूह को इकाई माना जाता है। इस तरह मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक और भौगोलिक पर्यावरण से निकाल कर मनुष्य का अध्ययन करता है। दूसरी ओर समाजशास्त्री समाज के प्रसंग में मनुष्य का अध्ययन करता है।
3. मनोविज्ञान तथा समाजशास्त्र की प्रणालियाँ अलग-अलग हैं।

मनोविज्ञान और समाजशास्त्र–दृष्टिकोण तथा प्रणालियों आदि में अंतर होने पर भी समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। मानव मनोविज्ञान को समझे बिना समाजशास्त्र में मानव संबंधी क्रियाओं, अंत:संबंधों आदि को समझना लगभग असंभव है। उसी प्रकार सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, क्रियाओं तथा घटनाओं को जाने बिना मानव मनोविज्ञान के बहुत से गूढ़ रहस्य छिपे ही रह जाते हैं। इस प्रकार दोनों विज्ञान एक-दूसरे के पूरक हैं मैकाइवर के शब्दों में "समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है।"

समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान–समाज मनोविज्ञान की परिभाषा करते हुए क्रेन और क्रचफील्ड ने लिखा है, "समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का विज्ञान है।" समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान में इतनी अधिक समानता है कि कार्ल पियर्सन ने तो उसमें कोई अंतर ही नहीं माना है। मनोविज्ञान की यह शाखा समाजशास्त्र से उसके संबंध को और भी निकट कर देती है। वार्ड के अनुसार, समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान की यह शाखा समाजशास्त्र से उसके संबंध को और भी निकट कर देती है। वार्ड के अनुसार, "मनोविज्ञान समाजशास्त्र की महज एक कड़ी है।" लेपियर और फ्रांसवर्थ लिखते हैं कि "समाज मनोविज्ञान समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के लिए वैसा ही है जैसा कि शारीरिक रसायनशास्त्र जीवनशास्त्र और रसायनशास्त्र के लिए हैं।"

इस तरह यह स्पष्ट है कि समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान में बहुत कुछ समानता है। परंतु फिर भी इन दोनों में मौलिक अंतर है। यह मौलिक अंतर अग्रलिखित है–

1. **विषय सामग्री का अंतर**–समाजशास्त्र समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है। परंतु समाज मनोविज्ञान समाज में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। क्लाइनवर्ग के शब्दों में "इस समय यह भी सच है, कि समाजशास्त्र का मौलिक संबंध समूह के व्यवहार से है और समाज मनोविज्ञान का सामूहिक परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार से।" इस तरह समाजशास्त्र और समान मनोविज्ञान की विषय सामग्री अलग-अलग है। बोगार्डस लिखता है "जैसे मनोविज्ञान मानसिक क्रियाओं का अध्ययन करता है वैसे ही समाजशास्त्र सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है।"
2. **दृष्टिकोण का अंतर**–समाजशास्त्र और समाज मनोविज्ञान के अध्ययन करने के दृष्टिकोण में अंतर है। समाज मनोविज्ञान में सांस्कृतिक व सामाजिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति के दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र इन दृष्टिकोणों से संबंधित सामाजिक नियमों या मूल्यों का अध्ययन करता है। रिवर्स ने लिखा है कि दोनों शास्त्रों का परस्पर संबंध जरूर है परंतु एक शास्त्र को दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

इस प्रकार मनोविज्ञान समाजशास्त्र को घटक तत्व प्रदान करता है। समाज मनोविज्ञान समाजशास्त्र को प्रभावक तत्व प्रदान करता है।

5. समाजशास्त्र और नृविज्ञान (Sociology and Anthropology)

मानवशास्त्र की विभिन्न शाखाओं की अनेक खोजों ने समाजशास्त्र के सिद्धांतों पर नया प्रकाश डाला है। मानवशास्त्र की समाजशास्त्र के सबसे निकट शाखा सामाजिक मानवशास्त्र है इसका उद्देश्य सामाजिक परिस्थितियों में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करना है। उसकी अनेक खोजों से समाजशास्त्र के अनेक

नोट

विषयों को नया प्रकार मिला है। समाजशास्त्र ने सांस्कृतिक क्षेत्र, सांस्कृतिक उपकरण, अन्योन्याश्रित उपकरण, सांस्कृतिक पश्चायन आदि धारणायें सामाजिक मानवशास्त्र से ली हैं और उनके आधार पर सांस्कृतिक समाजशास्त्र का विकास हुआ है।

6. समाजशास्त्र और विधिशास्त्र (Sociology and Jurisprudence)

विधिशास्त्र कानून का विज्ञान है। यह कानूनी नियमों का अध्ययन करता है। विधिशास्त्र तथा समाजशास्त्र का निकटतर संबंध है। समाजशास्त्र, समाज में मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन करता है। मनुष्य का व्यवहार कानून द्वारा नियंत्रित एवं नियमित होता है, अतः कानून समाजशास्त्री के लिए भी अध्ययन का एक विषय बन जाता है। परंतु कानून के अध्ययन में समाजशास्त्री तथा विधिशास्त्री दोनों का दृष्टिकोण अलग-अलग होता है। वकील उन कानूनों का अध्ययन करता है जिनका पालन करना मनुष्य के लिए अनिवार्य है। उसका इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि ये कानून नागरिकों के व्यवहार पर किस प्रकार और किस सीमा तक प्रभाव डालते हैं।

दूसरी ओर, समाजशास्त्री कानून का सामाजिक घटनावस्तु के रूप में अध्ययन करता है। उसकी मुख्य अभिरुचि स्वयं कानूनों को जानने में नहीं, अपितु यह जानने में है कि क्या कानूनों का पालन किया जाता है। यदि हाँ, तो किस प्रकार? इस दृष्टिकोण से समाजशास्त्री द्वारा कानून के अध्ययन को कानून का समाजशास्त्र (sociology of law) या समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र (sociological jurisprudence) की संज्ञा दी गयी है। अपराधशास्त्र एवं दण्डशास्त्र इसकी महत्त्वपूर्ण शाखा है। अपराधशास्त्र, अपराध तथा अपराधी के व्यवहार का अध्ययन सामाजिक दृष्टि से करता है। दंडशास्त्र विभिन्न प्रकार की दंड प्रणालियों तथा अपराधियों को उपयोगी नागरिक बनाने के लिए विभिन्न सुधारों एवं पनुर्वास-योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करता है। कानून समाजशास्त्र की इन शाखाओं ने कानून निर्माताओं एवं कानून को क्रियान्वित करने वालों के ज्ञान में वृद्धि कर उनकी काफी सहायता की है ताकि उनको यह ज्ञान हो सके कि कानून वास्तविक रूप में किस प्रकार कार्य करते हैं तथा अपराध को किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार, समाजशास्त्र ने उन विविध समस्याओं को, जो समाज के सामने उपस्थित हैं तथा जिनको हल करना है, पर आपराधिक विधिशास्त्र की दृष्टि से काफी प्रकाश डाला है। परिणामतः विधिशास्त्र ने एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया है कि कानून मनुष्यों के लिए बनाये जाते हैं तथा उनको निर्मित एवं क्रियान्वित करते समय मानवीय तथा सामाजिक पहलू को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

7. समाजशास्त्र तथा जीवविज्ञान (Sociology and Biology)

जीवविज्ञान मनुष्य के जैविक विकास, उसकी लैंगिक, शरीरशास्त्रीय एवं वैयक्तिक विशेषताओं का विज्ञान है। इससे पता चलता है कि मनुष्य के शरीर और मन का विकास किस प्रकार हुआ, उसकी शारीरिक प्रणाली बाहरी संसार के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करती है तथा उसके समग्र व्यक्तित्व में उसकी शारीरिक संरचना क्या कार्य करती है।

समाजशास्त्र मानवीय अन्तःक्रिया एवं अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन है। एन.जी. मुलर (N.G. Muller) के अनुसार, "मनुष्य के लिए किस प्रकार की प्रगति संभव अथवा वांछनीय है, इस संबंध में हमारे विचार आंशिक रूप में इस बात पर निर्भर है कि मनुष्य का स्वभाव क्या है, उसका उद्भव किस प्रकार हुआ, उसमें परिवर्तन किस प्रकार हुए या हो सकते हैं तथा उसका शेष प्रकृति (nature) के साथ क्या संबंध है।" मनुष्य की सामाजिक प्रगति के ढंगों एवं इसकी सीमाओं को निर्धारित करना उसकी शारीरिक समर्थकता एवं सीमा के ज्ञान के बिना संभव नहीं है।

मिशा टीटीव (Mischa Titiev) के अनुसार, "मनुष्य की संस्कृति के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना उसकी शरीर-रचना के बारे में बिना कुछ जानकारी प्राप्त किये असंभव है।" डार्विन का विकासीय सिद्धांत समाजशास्त्र में काफी उपयोगी रहा है। स्पेंसर, एक प्रमुख समाजशास्त्री, ने समाज के विकास की प्राकृतिक विकास के सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की है। मानव-परिस्थिति-विज्ञान (ecology) जैविक परिस्थिति-विज्ञान पर आधारित है। जननविज्ञान (genetics), जिसका समाजशास्त्र में बहुत महत्त्व है,

जीवविज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शाखा है। मानवीय व्यवहारों पर आनुवंशिकता (heredity) के प्रभाव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवविज्ञान से काफी सहायता मिलती है।

समाजशास्त्र अपनी ओर से जीवविज्ञान को नयी दिशाओं से ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देता है; उदाहरणतया, जनसंख्या को सीमित करने की आवश्यकता से जन्म-नियंत्रण (birth control) के साधनों की खोज हुई।

नोट

परंतु जीववैज्ञानिक सिद्धांतों का समाजशास्त्र में अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस विषय पर गिन्सबर्ग का कथन है, "जैविक तत्व समाज के विद्यार्थियों के लिए स्पष्टतया महत्त्वपूर्ण हैं, क्योंकि समाज की इकाई जीवित प्राणी है, परंतु सामाजिक तथ्यों को समझने में जीववैज्ञानिक सिद्धान्तों के सुलभ प्रयोग एवं विशेषतया सामाजिक विकास या परिवर्तन में विशुद्ध प्रजातीय तत्वों पर अधिक बल देने की प्रवृत्ति से बड़ी भ्रान्ति हुई हैं।"

1.11 सारांश (Summary)

- सोशियोलॉजी (Sociology) शब्द 1839 फ्रांसीसी विद्वान आगस्ट काम्टे द्वारा गढ़ा गया था। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में 1876 में, फ्रांस में 1889 में, ग्रेट ब्रिटेन में 1907 में, पोलैण्ड एवं भारत में प्रथम महायुद्ध के बाद, मिस्र एवं मैक्सिको में 1925 में तथा स्वीडेन में 1947 में आरम्भ हुआ।
- समाजशास्त्र विज्ञान है या नहीं, इस विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कुछ आलोचक समाजशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते, जबकि दूसरे आलोचकों के अनुसार समाजशास्त्र भी राजनीति शास्त्र, इतिहास और अन्य सामाजिक शास्त्रों की भाँति एक विज्ञान है।
- अलेक्स इंकेल्स के अनुसार, "समाजशास्त्र परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करता है, इसलिए समाजशास्त्र के अध्ययन की न तो सीमा निर्धारित की जा सकती है और नही इसके अध्ययन क्षेत्र को बिल्कुल स्पष्ट रूप से पारिभाषित किया जा सकता है।" समाजशास्त्र के क्षेत्र से तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र का विस्तार किन सीमाओं तक है।
- इतिहास मानवजाति के कार्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र को उससे समाज के अध्ययन में सहायता मिलती है। पॉल बर्थ के शब्दों में "संस्कृति और संस्थाओं का इतिहास समाजशास्त्र को समझने और उनकी सामग्री जुटाने में सहायक होता है।"
- समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर संबंध-अर्थशास्त्र की परिभाषा करते हुए फेयर चाइल्ड बक और स्लसिंगर ने लिखा–"अर्थशास्त्र मनुष्य की उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जोकि आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के भौतिक साधनों को प्राप्त करने के लिए की जाती है।" इस प्रकार अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है।

1.12 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)

1. "समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।" व्याख्या कीजिए।
2. समाजशास्त्र की परिभाषा करते हुए नीतिशास्त्र एवं सामाजिक मनोविज्ञान से इसके संबंध की व्याख्या कीजिए।
3. समाजशास्त्र का इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र से क्या संबंध है?
4. सामाजिक जीवन पर भौगोलिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है?
5. "इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र वर्तमानकालीन इतिहास है।" व्याख्या कीजिए।

1.13 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

नोट

- बॉटोमोर, टाम. 1962. सोशियोलॉजी : ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, जार्ज, ऐलन एंड अनविन, लंदन।
- चौधरी, मैत्रेयी 2003. द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी. ओरियेंट लोंगमैन, नयी दिल्ली।
- बर्जर, पीटर एल. 1963. इनवीटेशन टू सोशियोलॉजी : ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. पेंगुइन, हारमंडस्वर्थ।
- गिंडिंस, एंथोनी. 2001. सोशियोलॉजी. चतुर्थ संस्करण, पोलिटी बेस, केंब्रिज।

इकाई–2
(Unit–2)

नोट

समाजशास्त्र की पद्धतियाँ
(Methods of Sociology)

रूपरेखा

2.1 उद्देश्य (Objectives)
2.2 प्रस्तावना (Introduction)
2.3 समाजशास्त्र की पद्धतियाँ (Methods of Sociology)
2.4 अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व (Main theoretical Element of Research Method)
2.5 विशुद्ध शोध (Pure Research)
2.6 सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग (Scientific Method in Studying Social Phenomena)
2.7 वस्तुनिष्ठता एवं मूल्यनिरपेक्षता (Objectivity and value Neutrality)
2.8 तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएँ (Definition and Characteristics of Fact)
2.9 अवधारणा (Concept)
2.10 सिद्धान्त क्या है (What is Theory)
2.11 परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and definition of Hypothesis)
2.12 सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति (The Social Survey Method)
2.13 प्रकरण-अध्ययन पद्धति (The Case Study Method)
2.14 प्रश्नावली एवं साक्षात्कार पद्धति (Questionnaire and Interview Methods)
2.15 लोकमत-संग्रह पद्धति (The Public opinion poll method)
2.16 वर्स्टेहन पद्धति (The Versterhen Approach)
2.17 प्रकार्यात्मक पद्धति (The Function theory)
2.18 सारांश (Summary)
2.20 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)
2.20 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

2.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, विद्यार्थी योग्य होंगे:

- समाजशास्त्र की विभिन्न पद्धति की व्याख्या,
- तथ्य की परिभाषा एवं विशेषता का वर्णन एवं
- सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति की जानकारी।

M-pc/E/Laxmi/Kunal ji 11-09-2020

2.2 प्रस्तावना (Introduction)

नोट

समाजशास्त्र की प्रकृति और इसकी उपयोगिता के साथ-साथ जिस विषय की अधिक चर्चा होती है वह है—समाजशास्त्र की पद्धति। हमने पहले ही कहा है कि अपने विकास के आरंभ से ही समाजशास्त्र ने वैज्ञानिकता को अपनाया एवं उसके लिए सतत् प्रयास भी किया। निश्चित रूप में सामाजिक यथार्थ का अध्ययन करने की पद्धतियाँ एक नहीं अनेक हैं।

इसका एक कारण तो यह भी है कि कुछ विद्वान इसे प्राकृतिक विज्ञान मानते हैं और दूसरे इसे प्राकृतिक विज्ञानों से भिन्न अथवा इतिहास या दर्शन जैसा मानते हैं। आधुनिक समय में अब कोई भी समाजशास्त्री इन्हें प्राकृतिक विज्ञान नहीं मानता और वे समझते हैं कि समाजशास्त्रीय तथ्यों का अध्ययन व्यवस्थित रूप से होना चाहिए।

2.3 समाजशास्त्र की पद्धतियाँ (Methods of Sociology)

प्राकृतिक विज्ञानों एवं सामाजिक विज्ञानों में विद्वानों के अनुसार दो महत्त्वपूर्ण अंतर है। प्राकृतिक विज्ञानों में वस्तु की व्याख्या और निरीक्षण वस्तु के बाहर से ही संभव है जबकि सामाजिक विज्ञानों में निरीक्षण एवं व्याख्या अंदर से अथवा सामाजिक इकाइयों के संपर्क में संभव है। दूसरी भिन्नता यह है कि प्राकृतिक विज्ञानों में निरीक्षण और वर्णन निरपेक्ष अथवा पूर्णत: वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं जबकि सामाजिक विज्ञानों में निरीक्षण और वर्णन में मूल्य उद्देश्य एवं अर्थ जुड़ जाते हैं। मैक्स वेबर ने सामाजिक विज्ञानों में भी मूल्य निरपेक्षता की वकालत की है परंतु अधिकांश विद्वान इसे संभव नहीं मानते हैं।

समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अनेक पद्धतियों अथवा उपागमों का प्रयोग करता है जिनमें प्रमुख हैं–

1. ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method)
2. तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)
3. प्रकार्यवादी पद्धति (Functional Method)
4. स्वरूपात्मक पद्धति (Formal Method)
5. संरचनात्मक पद्धति (Structural Method)

1. ऐतिहासिक पद्धति (Historical Method)

इसका आरंभ समाजशास्त्र के आरंभ से ही हुआ। वस्तुत: विकासवादी (Evolutionist) समाजशास्त्रियों ने मानव समाज का अध्ययन एक बृहत् ऐतिहासिक योजना के अनुरूप करना शुरू किया। इन अध्ययनों में सामजशास्त्रियों ने विकास के नियम, विकास के चरण एवं विकास के परिणामों की चर्चा सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचनाओं, समाजों एवं संस्कृति के संदर्भ में की। इसके अंतर्गत सामाजिक तथ्यों की व्याख्या उनकी उत्पत्ति उनके क्रमिक विकास एवं विकास के अलग-अलग चरणों के रूप में की गई। अगस्त काम्टे, हर्बर्ट, समनर, हॉब हाउस आदि समाजशास्त्री इसी आधार पर अपने अध्ययन करते रहे।

ऐतिहासिक पद्धति का एक दूसरा स्वरूप *मैक्स वेबर* की रचनाओं में परिलक्षित होता है। उन्होंने विकास की योजना एवं चरणों की व्याख्या नहीं की परंतु आधुनिक पूंजीवाद, नौकरशाही एवं नेतृत्व का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ में किया। हाल के वर्षों में *सी. राइट मिल्स* एवं *रेमां एरन* ने भी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर औद्योगिक समाजों के परिवर्तन का अध्ययन किया है।

कार्ल मार्क्स एवं उसके अनुयायियों ने भी ऐतिहासिक पद्धति का अनुसरण किया। इस संबंध में परिवर्तन के संदर्भ में ऐतिहासिक भौतिकवाद अथवा इतिहास का भौतिकवादी विश्लेषण की धारणा दी गयी। पूरे मानव समाज के इतिहास को तीन चरणों में बांट कर देखने की कोशिश की गयी एवं क्रांति का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया।

इस पद्धति की आलोचना यह कहकर की गयी कि बहुधा सामाजिक तथ्यों की उत्पत्ति अथवा ऐतिहासिक विकास का पता लगाना बहुत कठिन होता है। यह भी कहा गया कि विकास की योजनाएँ एक ही दिशा वाली हैं जो गलत हैं। विकास के चरण वास्तविकता के अनुरूप नहीं हैं एवं समस्त समाजों का विकास एक ही क्रम में नहीं हुआ है। इन आलोचनाओं के बावजूद यह पद्धति काफी प्रचलित है एवं मानव इतिहास के चरणों में बाँटकर देखने की प्रवृत्ति अब लगभग सर्वमान्य हो चुकी है।

2. तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method)

यद्यपि तुलनात्मक पद्धति का उदय विकासवादियों के साथ ही हुआ परंतु इसका विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम *इमाइल दुर्खीम* ने दिया। उसके अनुसार समाजशास्त्रीय व्याख्या कारणात्मक संबंधों की खोज में निहित है। प्रकृति विज्ञानी इसे प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं परंतु समाजशास्त्र में यह संभव नहीं है इसलिये इसे दो या दो से अधिक सामाजिक तथ्यों की तुलना से प्राप्त किया जा सकता है। आत्महत्या संबंधी अपने अध्ययन में जहाँ उसने आत्महत्या की दरों को सामाजिक संरचना की अवस्थाओं से जोड़ा वहीं उसने भिन्न-भिन्न समाजों की तुलना भी की है।

आधुनिक समाजशास्त्र में *एस. एम. लिपसेट* एवं *रिचर्ड बेनडिक्स* ने औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए, *बैरिंगटन* मूर ने लोकतंत्र एवं तानाशाही की सामाजिक जड़ों को जानने के लिए एवं *हारोविज* ने प्रगति के स्तरों को जानने के लिए तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया है।

तुलनात्मक पद्धति को *मैक्स वेबर* ने भी एक सहायक पद्धति के रूप में स्वीकार किया है। इस संबंध में उसने आदर्श प्रतिरूप की धारणा दी एवं इसका प्रयोग किया। समाजशास्त्र में अनेक समाजशास्त्री वेबर को ही तुलनात्मक पद्धति का जनक मानते हैं।

इसकी आलोचना करते हुए *रेडक्लिफ ब्राउन* ने कहा कि स्वतंत्र रूप से यह पद्धति निरर्थक है। जब तक इसका प्रयोग किसी व्यापक योजना अथवा सिद्धांत के अंतर्गत न किया जाए यह प्रभावी नहीं होता है। तुलना की इकाइयों के संबंध में अस्पष्टता भी इस पद्धति की मूल कमजोरी है।

3. प्रकार्यवादी पद्धति (Functional Method)

प्रकार्यवादी पद्धति का विकास विकासवादी पद्धति की आलोचना के फलस्वरूप हुआ। यह विकासवादियों के इस दावे को मानने को तैयार नहीं था कि मानव समुदाय के पूरे सामाजिक इतिहास की एक ही साथ वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है।

सामाजिक प्रकार्य की धारणा का प्रयोग 19वीं शताब्दी में होने लगा था। फ्रांसीसी समाजशास्त्री *इमाइल दुर्खीम* ने सबसे पहले प्रकार्य की सुनिश्चित परिभाषा दी। उसने इस पद्धति के आधार पर धर्म की व्याख्या भी की। प्रसिद्ध मानवशास्त्री मैलिनोस्की ने इस पद्धति का व्यापाक प्रयोग आस्ट्रेलिया के आस-पास के जनजातियों के अध्ययन में किया। उसने इसे सिद्धांत कम और पद्धति अधिक माना। बाद में अमेरिकी समाजशास्त्रियों *टालकॉट पारसंस* एवं *आर के मर्टन* ने इसे अत्यधिक लोकप्रिय बना दिया।

इस पद्धति की मान्यता है कि समाज व्यवस्था की अनेक अंशों में जीव से समानता है। समाज के अंग एक-दूसरे से जुड़े हैं। स्थापित लंबी अवधि वाले और नियमित अंग संरचना कहलाते हैं। संरचनाओं के अलग-अलग परिणाम हो सकते हैं परंतु वे आमतौर पर समाज में एकता, सुदृढ़ता, स्थिरता और संतुलन कायम करते हैं। इसलिए इस पद्धति का एक आवश्यक कदम संरचनाओं के सकारात्मक परिणामों को खोज निकालना है।

इस पद्धति की बहुत अधिक आलोचना हुई है। इस पर आरोप है कि यह यथास्थितिवादी है, वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था का पोषक है एवं परिवर्तन तथा परिवर्तन की शक्तियों की व्याख्या करने में असमर्थ है। अमेरिकी समाजशास्त्री *मर्टन* ने अप्रकार्य की धारणा देकर इन आरोपों से उबरने का प्रयास किया है।

नोट

4. स्वरूपात्मक पद्धति (Formal Method)

स्वरूपात्मक पद्धति भी विकासवादी एवं सर्वज्ञानी उपायों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप उभरी। इसे जर्मन समाजशास्त्री *जार्ज सिमेल* ने विकसित किया और काफी दिनों तक यह जर्मन पद्धति ही रह गयी। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों एवं संपर्कों के स्वरूपों का पता लगाया जाता है। *सिमेल* द्वारा व्यवहृत स्वरूप बहुत ठोस नहीं थे। हाल के वर्षों में *जी सी होमान्स* ने सामाजिक व्यवहार के प्रारंभिक स्वरूपों के रूप में समूहों का अध्ययन किया है। 20 के दशक में जो औद्योगिक समाजशास्त्र के अध्ययन किये गये थे उनकी मदद से उसने समूहों नियमों आदर्शों के स्वरूपों का पता लगाने की चेष्टा की है। यह पद्धति समाजशास्त्र में एकदम ही लोकप्रिय नहीं हो सकी है।

5. संरचनात्मक पद्धति (Structural Method)

विशेष रूप से मानवशास्त्र में एक और पद्धति जिसे *लेवी स्ट्रास* ने विकसित किया प्रचलित है जो संरचनावाद के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत मानव समाज के सार्वभौमिक तत्वों की खोज की चेष्टा की जाती है। चूंकि संरचना के अनेक अर्थ प्रचलित हैं इसलिये यह पद्धति समाजशास्त्र में अधिक प्रचलित नहीं हुई है।

पद्धति के संबंध में यह विवाद समाजशास्त्र में अभी तक चल रहा है। आमतौर पर वर्तमान समय में दो ही पद्धतियाँ प्रचलित हैं, एक तो नव प्रत्ययवादी जिस पर प्रकार्यवादी की छाप है। इनमें भी अनेक आंतरिक भिन्नताएँ हैं। नव प्रत्ययवाद का एक प्रकार समाजशास्त्रीय पद्धति में अधिक से अधिक सांख्यिकी के प्रयोग के पक्षधर हैं। आमतौर पर यह प्रयोगात्मक नमूनों के आधार पर उपकल्पना, निर्देशन, आंकड़ों के संग्रह करने के भिन्न तरीकों एवं सामान्यीकरण की तकनीकों का प्रयोग करता है। दूसरी है द्वंद्ववादी पद्धति जिसमें वर्गीय विश्लेषण के आधार पर सामाजिक घटनाओं एवं संगठनों की व्याख्या की जाती है। ऐतिहासिक अध्ययन समाजों का समष्टिगत लेखा-जोखा एवं द्वंद्वात्मक परिप्रेक्ष्य इस पद्धति की मुख्य विशेषताएँ हैं। यह पद्धति यूरोप में अधिक प्रचलित है जबकि नव प्रत्ययवादी पद्धति अमेरिका में अधिक प्रचलित है। भारत में अधिकतर समाजशास्त्रियों ने नव प्रत्ययवादी पद्धति को अपनाया है। परंतु *डी. पी. मुखर्जी, ए. आर. देसाई* समाजशास्त्रियों ने द्वंद्ववादी पद्धति के आधार पर भारतीय समाज के विश्लेषण के बहुत ही अच्छे प्रयास किए हैं।

2.4 अनुसंधान क्रियाविधि के प्रमुख सैद्धांतिक तत्व (Main theoretical Element of Research Method)

प्रत्येक सामाजिक शोध के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं और उद्देश्यों की प्राप्ति तब तक संभव नहीं हो सकती जब तक कि योजनाबद्ध रूप में शोध-कार्य को आरंभ न किया जाये। इसी योजना की रूपरेखा को शोध-प्रचना कहते हैं। एक सामाजिक शोध की समस्या या उपकल्पना जिस प्रकार की होगी, उसी के अनुसार शोध प्रचना का निर्माण किया जाता है जिससे शोध-कार्य को एक निश्चित दिशा प्राप्त हो सके।

शोध प्रचना का अर्थ (Meaninig of Research Design)

शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन से पूर्व ही इसका निर्धारण कर लिया जाता है। शोध के उद्देश्य के आधार पर अध्ययन विषय के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट शोध करने से पूर्व बनायी गयी योजना की रूपरेखा को शोध-प्रचनाएँ कहते हैं।

एकॉफ के अनुसार, "निर्णय क्रियान्वित करने की स्थिति आने से पूर्व ही निर्णय निर्धारित करने की प्रक्रिया को प्रचना कहते हैं।" जब यह शोध कार्य किसी सामाजिक घटना से समबद्ध होता है तो वह सामाजिक शोध की प्रचना कहलाता है। शोध-कार्य की प्रकृति व लक्ष्य के अनुरूप उपयुक्त शोध प्रचना को विभिन्न प्रकारों में से चुनकर शोधकर्त्ता अपने उपयोग में लाता है।

शोध प्रचना के प्रकार (Types of Research Design)

शोध कार्य में उपयोगी चार प्रकार की शोध प्रचनाएँ काम में लायी जाती हैं, इन्हें उपयोगिता के आधार पर अनुसंधानकर्त्ता स्वयं चुनता है।

नोट

1. **अन्वेषणात्मक अथवा निरूपणात्मक शोध-प्रचनाएँ (Exploratory or Formulative Research Design)–**

   जब किसी शोध कार्य का उद्देश्य किन्हीं सामाजिक घटना में अन्तर्निहित कारणों को ढूंढ निकालना होता है तो उससे संबंद्ध रूपरेखा को अन्वेषणात्मक शोध-प्रचना कहते हैं। इस प्रकार की शोध प्रचना में शोध कार्य की रूपरेखा इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है कि घटना की प्रकृति व धारा-प्रवाहों की वास्तविकताओं की खोज की जा सके। समस्या या विषय के चुनाव के बाद प्राक्कल्पना का सफलतापूर्वक निर्माण करने के लिए इस प्रकार के प्रचना का बहुत महत्त्व है, क्योंकि इसके सहयोग से हमारे लिए विषय का कार्य-कारण संबंध स्पष्ट हो जाता है।

   कभी-कभी समस्या के चुनाव और शोध-कार्य के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में हमें अन्य किसी स्रोत से कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता है। उस अवस्था में अन्वेषणात्मक शोध-प्रचना की सहायता से शोधकार्य में हमें सहायता मिलती है।

   अन्वेषणात्मक शोध प्रचना की सफलता हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

   (*i*) संबंद्ध साहित्य का अध्ययन इस दिशा में प्रथम अनिवार्यता है क्योंकि इसके अभाव में विषय के संबंध में कोई भी आरंभिक ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सकता है। संबंध साहित्य का अध्ययन करके विषय की प्रकृति के बारे में सामान्य ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है।

   (*ii*) अनुभव सर्वेक्षण, इस दिशा में दूसरी आवश्यकता है, हमारे लिए यह भी आवश्यक हो जाता है कि हम उन सभी व्यक्तियों से अपना संपर्क स्थापित करें जिनके विषय में हमें वह सूचना मिले कि शोध-विषय के संबंध में उनको पर्याप्त अनुभव या ज्ञान है, पर अशिक्षा, अवसर का अभाव या अन्य किसी कारण से वे अपने अनुभव, ज्ञान को लिखित स्वरूप दे नहीं सके हैं। ऐसे लोगों का व्यावहारिक ज्ञान हमारे लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य कर सकता है। अत: इनसे लाभ न उठाने की मुर्खता एक गंभीर शोधकर्ता कदापि नहीं कर सकता। इसलिए सूचनादाताओं का चुनाव इस ढंग से करना चाहिए कि विषय या समस्या के संबंध में अनुभव व ज्ञान रखने वाले संभावित सभी व्यक्ति उस चुनाव में आ जायें, चाहे वे कर्मचारी हो अथवा समस्या के विभिन्न दृष्टिकोण से देखने वाले समर्थक हों या आलोचक ऐसा करने से ही विषय के कारणों की खोज वास्तविक रूप में हो सकेगी।

   (*iii*) अन्तर्दृष्टि-प्रेरक घटनाओं का विश्लेषण, अन्वेषणात्मक शोध-प्रचना का तीसरा आवश्यक तत्व है। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययन विषय से संबंद्ध कुछ ऐसे तथ्य भी हो सकते हैं जिनका विश्लेषण करने पर अध्ययन वस्तु के संबंध में व्यावहारिक अन्तर्दृष्टि पनप सकती है। इस प्रकार की अन्तर्दृष्टि द्वारा प्राक्कल्पना के निर्माण में तथा वास्तविक शोध कार्य में अत्यधिक सहायता मिलती है। प्रत्येक समुदाय या समूह के जीवन में कुछ दृष्टि-आकर्षक, कुछ अत्यन्त सरल व स्पष्ट, कुछ व्याधिकीय, कुछ व्यक्तिगत विशिष्ट गुण संबंधी घटनाएँ होती हैं जो कि अन्तर्दृष्टि को प्रोत्साहित करने में सहायक सिद्ध होती हैं।

अन्वेषणात्मक शोध-प्रचना के मुख्य कार्य (Main Functions of Exploratory Research Design)–

नोट

अन्वेषणात्मक शोध-प्रचना के मुख्य कार्य सात हैं–(क) पूर्व-निर्धारित प्राक्कल्पना का तात्कालिक स्थितियों के सन्दर्भ में परीक्षण करना, (ख) विभिन्न शोध-पद्धतियों के प्रयोग की संभावनाओं का स्पष्टीकरण करना (ग) सामाजिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण समस्याओं की और शोधकर्त्ता के ध्यान को आकर्षित करना, (घ) विस्तृत शोधकार्य के लिए अपरिचित क्षेत्र में व्यवस्थित प्राक्कल्पना का आधार प्राप्त करना, (च) विज्ञानों की सीमाओं में विस्तार करके उसके क्षेत्र का विकास करना, और (छ) अधिक महत्त्वपूर्ण विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने हेतु शोधकर्त्ता को आकर्षित करना।

इस प्रकार अन्वेषणात्मक शोध प्रचना उन आधारों को प्रस्तुत करती है जो कि एक सफल शोध-कार्य के लिए महत्त्वपूर्ण होते हैं। *सेल्वटिल* तथा अन्य के अनुसार, "अन्वेषणात्मक अनुसंधान उस अनुभव के हेतु संबंद्ध प्राक्कल्पना के निरूपण में सहायक होगा।"

2. **वर्णनात्मक शोध प्रचना (Descriptive Research Design)–**विषय या समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों के आधार पर वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करना वर्णनात्मक शोध-प्रचना का मुख्य उद्देश्य है। इस हेतु यह आवश्यक होता है कि विषय के संबंध में हमें यथार्थ तथा पूर्ण सूचनाएँ प्राप्त हो जाएँ क्योंकि इनके बिना अध्ययन विषय या समस्या के संबंध में हम जो कुछ भी वर्णनात्मक विवरण प्रस्तुत करेंगे वह वैज्ञानिक न होकर केवल दार्शनिक ही होगा। वैज्ञानिक-वर्णन का आधार वास्तविक या विश्वसनीय तथ्य ही होंगे। जिस शोध-प्रचना का उद्देश्य वर्णनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना होता है उसे वर्णनात्मक शोध-प्रचना कहते हैं।

   इस प्रकार की शोध-प्रचना में तथ्यों का संकलन किसी भी वैज्ञानिक प्रविधि के द्वारा किया जा सकता है। प्राय: साक्षात्कार अनुसूची व प्रश्नावली, प्रत्यक्ष निरीक्षण, सहभागी-निरीक्षण, सामुदायिक रिकार्ड का विश्लेषण आदि प्रविधियों को वर्णनात्मक शोध-प्रचना में सम्मिलित किया जाता है। वर्णनात्मक शोध प्रचना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है–

(अ) अध्ययन विषय के चुनाव हेतु सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि शोध विषय इस प्रकार होना चाहिए जिससे संबंद्ध आवश्यक व निर्भर योग्य तथ्य हमें प्राप्त हो सके, (ब) इन तथ्यों को जिन विधियों के द्वारा सबसे अधिक उपयुक्त रूप में संकलित किया जा सके उसका चुनाव भी खूब सावधानी से होना चाहिए। किसी भी शोध कार्य की यथार्थता, प्रतिनिधियों के चुनाव का और भी अधिक महत्त्व इसलिए है, कि चुनाव ठीक ढंग से नहीं किया गया तो शोधकार्य में वैज्ञानिकता पनपने के स्थान पर उसमें दार्शनिक तत्वों का अधिक प्रवेश हो जाएगा, (स) इस प्रकार के शोध में विषय के वर्णनात्मक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। अत: पक्षपात, मिथ्या-झुकाव, पूर्व धारणा आदि के वर्णनात्मक विवरण में प्रविष्ट होने की संभावना अधिक रहती है, अपने वर्णन को अधिक रोचक व आकर्षक बनाने के लिए शोधकर्त्ता के वर्णन में अतिरंजित और अतिश्योक्ति से युक्त तथ्यों का समावेश हो जाता है। अत: इस प्रकार की स्थिति से बचने की संभावना है (द) विशिष्ट व आकर्षक तथ्यों के संबंध में भी अतिसंतुलित दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। वर्णनात्मक विवरण को एक 'साधारण' रूप प्रदान करने के लिए प्राय: शोधकर्त्ता अपना ध्यान आकर्षक व विशिष्ट तथ्यों पर अधिक केन्द्रित कर सकते हैं। लेकिन यह 'प्रवृत्ति' वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं हो सकती, (य) शोध के व्यय में मितव्ययिता करने की भी आवश्यकता होती है। वर्णनात्मक शोधकार्य प्राय: विस्तृत होते हैं, अत: यह आवश्यक है कि शोध कार्य को सीमित किया जाये। अनावश्यक मदों पर न तो श्रम और न धन को बर्बाद करना उचित है।

वर्णनात्मक शोध में निम्नलिखित चरण होते हैं–

1. शोध के उद्देश्य का निरूपण वर्णनात्मक शोध का प्रथम चरण होता है जिसमें शोध से संबंधित मौलिक प्रश्नों का स्पष्टीकरण तथा लक्ष्यों को परिभाषित करना सम्मिलित होता

नोट

है जिससे कि अनावश्यक व असंबद्ध तथ्यों का संकलन न हो तथा श्रम व धन की बर्बादी से बचा जा सके।

2. उद्देश्य को स्पष्ट करने के पश्चात् यह आवश्यक है कि तथ्य संकलन की प्रविधियों का चुनाव उचित ढंग से कर लिया जाये, क्योंकि यह चुनाव ठीक प्रकार से किए बिना विषय से संबंद्ध निर्भर योग्य तथ्यों, आंकड़ों अथवा प्रमाणों को एकत्रित करने की कोई संभावना नहीं रहती है। भिन्न-भिन्न शोध पद्धतियों के अपने-अपने गुण हैं। उपयुक्त पद्धति के चुनाव पर शोधकार्य की सफलता निर्भर करती है।
3. निर्देशनों का चुनाव अथवा सम्पूर्ण जनसंख्या की कुछ प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार के अध्ययन के आधार पर सम्पूर्ण जनसंख्या के विषय में विश्वसनीय निष्कर्ष निकाला जाता है। इन प्रतिनिधि इकाइयों में भी मिथ्या झुकाव से बचने की आवश्यकता है।
4. निर्देशनों के चुनाव के पश्चात् वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से आवश्यक आंकड़ों का संकलन और उनकी जांच की जाती है जिससे वर्णनात्मक विवरण में अनावश्यक बातों का समावेश न हो सके। वास्तविकता तो यह है कि साक्षात्कारकर्त्ता अथवा निरीक्षणकर्त्ता की ईमानदारी तथा परिश्रम पर शुद्ध तथा यथार्थ सूचनाएँ एकत्र की जा सकती हैं। अतः सामग्री संकलन के समय भी कार्यकर्ताओं पर नियमित रूप से निगरानी रखनी चाहिए।
5. जिन आंकड़ों अथवा तथ्यों का संकलन किया गया है उनकी समानता या भिन्नता के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण, सारणीकरण, अन्य सांख्यिकीय विवेचना, शुद्धता तथा प्रशिक्षण इस कार्य में अत्यंत महत्त्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। अतः इस स्तर पर अत्यंत निगरानी रखने की आवश्यकता रहती है।
6. अंतिम स्तर पर रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण आता है जिसमें शोध-विषय के संबंध में तथ्ययुक्त विवरण तथा सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। इस स्तर पर भाषा के प्रयोग पर विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। क्योंकि अत्यधिक अलंकारयुक्त भाषा से विषय के विवरण में अतिरंजना पनप सकती है और उसका विभिन्न लोगों के द्वारा विभिन्न अर्थ लगाए जाने का भी डर रहता है। इन समस्त चरणों से सफलतापूर्वक गुजरने के पश्चात् ही वर्णनात्मक शोध-कार्य अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है।

3. **परीक्षात्मक शोध प्ररचना (Experimental Research Design)**—भौतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र भी अपने शोधकार्य में परीक्षण प्रणाली का उपयोग कर अधिकाधिक यथार्थता लाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार भौतिक विज्ञानों में कुछ निश्चित नियंत्रित अवस्थाओं में रखकर विषय का अध्ययन किया जाता है उसी प्रकार नियंत्रित दशाओं में रखकर निरीक्षण-परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन की रूपरेखा को परीक्षणात्मक शोध-प्ररचना कहते हैं। *चैपिन* के अनुसार, "समाजशास्त्रीय शोध में परीक्षणात्मक प्ररचना की अवधारणा नियंत्रण की दशाओं के अंतर्गत निरीक्षण द्वारा मानवीय संबंधों के व्यवस्थित अध्ययन की ओर संकेत करती है।" प्रयोगशाला-पद्धति के द्वारा विषय का अध्ययन परीक्षण ात्मक शोध का ही दूसरा नाम है।

   1. **पश्चात् परीक्षण (After-Only Experiment)**—इसके अन्तर्गत सभी दृष्टि से प्रायः सामाजिक विशेषताओं व प्रकृति वाले दो समूहों को चुन लिया जाता है जिनमें से एक समूह, नियंत्रित समूह और दूसरा परीक्षणात्मक समूह कहलाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जाता है, जबकि परीक्षणात्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। इस प्रकार यदि प्रथम समूह से भिन्न हो जाता है तो उसी कारक को उस परिवर्तन का कारण मान लिया जाता है।

नोट

2. **पूर्वपश्चात् परीक्षण (Before-After Experiment)**—इसके अंतर्गत अध्ययन के लिए केवल एक ही समूह का चुनाव किया जाता है और उसी का अध्ययन एक अवस्था विशेष के पहले और बाद में किया जाता है। इन दोनों अध्ययनों के अंतर को देखा जाता है और उसे परिवर्तित परिस्थिति का परिणाम मान लिया जाता है।
3. **कार्यान्तर-तथ्य परीक्षण (Export-Facts Experiment)**—इस प्रकार का परीक्षण किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। पर ऐतिहासिक घटनाओं को दोहराना शोधकर्त्ता के वश में नहीं होता। अत: वह दो समूहों का चुनाव करता है जिनमें से एक में घटना (जिसका कि उसे अध्ययन करना है) घटित हो चुकी है जबकि दूसरे में नहीं। इन दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगाने का प्रयत्न किया जाता है, कि जिस समूह में वह घटना घटित हुई है वह किन कारणों से हुई है। संक्षेप में, ऐतिहासिक घटना-चक्रों का परीक्षण कर वर्तमान घटनाओं या अवस्थाओं के कारणों की खोज कार्यान्तर तथ्य परीक्षण कहलाता है।

2.5 विशुद्ध शोध (Pure Research)

विशुद्ध अनुसन्धान (शोध) व्यावहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता है, किसी समस्या के कारणों को ढूँढ़ निकालना और उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध के अंतर्गत नहीं आता है। विशुद्ध शोध तो 'ज्ञान के लिए ज्ञान' (Knowledge for knowledge sake) के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है। जब किसी घटना की खोज ज्ञान-प्राप्ति हेतु की जाए और वह भी वैज्ञानिक तटस्थता या वस्तुनिष्ठता बनाये रखकर तो उसे विशुद्ध, मौलिक या आधारभूत शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध कार्य में नीति-निर्माण या उपयोगिता का दृष्टिकोण सम्मिलित नहीं होता है। विशुद्ध शोध का लक्ष्य किसी समस्या को हल करना या किन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है बल्कि ज्ञान की प्राप्ति, मौजूदा ज्ञान-भण्डार में वृद्धि और पुराने ज्ञान का शुद्धिकरण है। सत्य की खोज, रहस्यों को जानने की इच्छा, सामाजिक घटनाओं को समझने की लालसा ही शोधकर्त्ता के प्रमुख लक्ष्य होते हैं, इसी दृष्टि से वह निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। ज्ञान की प्राप्ति तथा मौजूदा ज्ञान के परिमार्जन एवं परिवर्द्धन के लिए वैज्ञानिक प्रविधियों को काम में लेते हुए जो शोध-कार्य किया जाता है, उसे ही विशुद्ध या मौलिक शोध कहते हैं। इस प्रकार के शोध-कार्य द्वारा सामाजिक जीवन के संबंध में मौलिक सिद्धान्तों एवं नियमों की खोज की जाती है।

विशुद्ध सामाजिक शोध का उद्देश्य सामाजिक घटनाओं में कार्य-कारण संबंधों का पता लगाना होता है। साथ ही इस प्रकार के शोध-कार्य द्वारा घटनाओं में निहित या घटनाओं को संचालित करने वाले नियमों का पता लगाया जाता है। प्रत्येक घटना चाहे वह प्राकृतिक हो या सामाजिक, कुछ निश्चित नियमों के अनुसार ही घटित होती है। इन नियामों को खोज निकालना विशुद्ध शोध का प्रमुख लक्ष्य है। प्राकृतिक घटनाओं को संचालित करने वाले अनेक नियमों का पता प्राकृतिक वैज्ञानिकों द्वारा विशुद्ध शोध के माध्यम से ही लगाया जाता है। समाजशास्त्र भी सामाजिक घटनाओं के पीछे छिपे नियमों को खोज निकालने की दिशा में प्रयत्नशील है। इन नियमों की खोज के लिए विशुद्ध शोध का सहारा लेना आवश्यक है।

सामाजिक जीवन एवं घटनाओं के संबंध में मौलिक सिद्धांतों एवं नियमों की खोज विशुद्ध शोध का एक प्रमुख कार्य है। इस प्रकार शोध द्वारा न केवल नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं ज्ञान भण्डार में वृद्धि की जाती है बल्कि पुराने ज्ञान का पुन: परीक्षण द्वारा शुद्धिकरण भी किया जाता है। विशुद्ध शोध के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि परिस्थितियों के बदल जाने से पुराने सिद्धान्त एवं नियम वर्तमान में ठीक हैं या नहीं, हो सकता है कि वे सही उतरें। यह भी संभव है कि वर्तमान में बदली हुई परिस्थितियों में उनमें संशोधन करना पड़े। अत: नवीन सिद्धान्तों एवं नियमों का प्रतिपादन तथा पुरानों का सत्यापन विशुद्ध शोध का एक मुख्य लक्ष्य है।

नोट

विशुद्ध शोध संबंधित विज्ञानों की प्रगति एवं विकास में काफी योग देता है। इस प्रकार के शोध-कार्यो से संबंधित विज्ञान के लिए अवधारणाओं एवं शब्दावली का विकास होता है। विशुद्ध शोध के अन्तर्गत शोध-विधियों की उपयुक्तता की जांच भी आ जाती है।

निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि विशुद्ध शोध के निम्नलिखित पांच उद्देश्य हैं: प्रथम, ज्ञान-प्राप्ति, द्वितीय-नियमों की खोज; तृतीय सामाजिक संरचना की निर्मायक इकाइयों के प्रकार्यात्मक संबंधों की जानकारी; चतुर्थ, नवीन अवधारणाओं का प्रतिपादन, पंचम, शोध-विधियों की उपयुक्तता की जांच।

विशुद्ध शोध के संबंध में कुछ लोगों का कहना है कि 'ज्ञान के लिए ज्ञान' की पिपासा आज के इस भौतिकवादी युग में निरर्थक है। लेकिन यह बात सही नहीं है। आज भी ऐसे अनेक वैज्ञानिक है जो सत्य की खोज में निरन्तर लगे हुए हैं, उनमें अपने शोध-कार्य के प्रति लगन है, अपूर्व उत्साह है, यहाँ हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति एवं घटनाओं के पीछे छिपे नियमों की खोज अनन्त: मानव कल्याण में सहायक ही होती है। विशुद्ध शोध द्वारा प्राप्त ज्ञान का प्रयोग व्यावहारिक शोध के अन्तर्गत किया जा सकता और किया जाता है।

वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक पद्धति *(The Scientific or Experimental Method)*

अपनी विषय-सामग्री के अध्ययन में प्रत्येक विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इस पद्धति में पर्यवेक्षण (observation), प्रलेखन (recording), वर्गीकरण (classification), उपक्लपना (hypothesis), सत्यापन (verification) एवं पूर्वकथन (prediction) सम्मिलित हैं। पर्यवेक्षण का अर्थ है, वस्तुओं को ध्यान से देखना। पर्यवेक्षण दो प्रकार का होता है।

(*i*) स्वाभाविक (spontaneous) तथा (*ii*) नियंत्रित (controlled)।

स्वाभाविक पर्यवेक्षण उसको कहते हैं जब पर्यवेक्षण की जाने वाली घटना स्वाभाविक ढंग से घट रही हो, जैसे समाजशास्त्री किसी ग्रह की गति का पर्यवेक्षण कर रहा हो या स्वयं किसी दंगे का दृश्य अपनी आँखों से देख रहा हो। नियंत्रित पर्यवेक्षण जिसे प्रयोग भी कहा जाता है, वह होता है जब पर्यवेक्षण ाकर्त्ता घटना के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्पन्न कर उनमें घटना को होने देता है और उसका पर्यवेक्षण करता है। प्रयोग की परिभाषा ऐसी खोज से की जा सकती है जिसमें स्थिति या विषयों को अन्वेषणकर्त्ता व्यवस्थित रूप में चलाता है और नियंत्रित पर्यवेक्षण करता है, ताकि विभेदकों (variable) के संबंध में निश्चित उपकल्पनाओं की जाँच की जा सके प्रयोग केवल भौतिकशास्त्र और रसायनशास्त्र जैसे प्राकृतिक विज्ञानों में ही संभव होता है; परंतु समाजशास्त्र जैसे सामाजिक विज्ञानों में यह संभव नहीं है। कुछ लोगों को अभी तक संदेह है कि क्या सामाजिक व्यवहार का वास्तव में वैज्ञानिक अध्ययन हो सकता है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की है कि समाजशास्त्र में प्रयोगशाला विधि को अपनाना संभव नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र का अध्ययन-वस्तु 'मानव' है जिसके लिए कतिपय निर्धारित अवस्थाओं में बँध कर रहना संभव नहीं है।

यह कहा गया है कि जब प्रयोग पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो खोजों का कृत्रिम और तुच्छ होना स्वाभाविक है। परंतु इस पद्धति का प्रयोग अवस्थाओं के विभिन्न क्षेत्रों तथा व्यवहार के विभिन्न प्रकारों पर बड़ी सफलता से किया गया है। समाजशास्त्र लोगों के व्यवहार का उन्हीं अवस्थाओं में पर्यवेक्षण करता है जिन अवस्थाओं में वह किये जा रहे हैं। हाँ, यथासंभव यह सावधानी रखना आवश्यक है कि अध्ययनगत मनुष्यों को यह पता न चले कि उनके व्यवहार का पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

वैज्ञानिक पद्धति का दूसरा प्रक्रम लेखन (recording) है। इसमें पर्यवेक्षित तथ्यों अथवा आँकड़ों को लेखबद्ध किया जाता है। प्रलेखन सही एवं व्यक्तिनिष्ठ होना चाहिए। समाजशास्त्री अपने द्वारा पर्यवेक्षित अवस्था के तथ्यों का प्रलेख करता है।

वैज्ञानिक पद्धति का तीसरा प्रक्रम वर्गीकरण (classification) है। तथ्यों का पर्यवेक्षण एवं प्रलेखन करने के बाद हमें उनका एक निश्चित क्रम में वर्गीकरण करना होता है। वर्गीकरण द्वारा हम समान विशेषताओं वाले तथ्यों को एक ही वर्ग में रखते हैं। इस प्रकार, वर्गीकरण द्वारा एकत्रित तथ्यों के बीच अन्तर्सम्बन्ध मालूम करना संभव हो जाता है।

तदुपरांत उपकल्पना (hypothesis) का प्रक्रम आता है। इसका अर्थ होता है कि वर्गीकृत तथ्यों के अन्तर्सम्बन्ध के लिए कुछ संभावित व्याख्या दी जाये। वर्गीकरण हमें संगत तथ्यों को असंगत तथ्यों से अलग करने में सहायता देता है। कुछेक घटनाओं के बीच पाया गया अन्तर्सम्बन्ध तथा उनकी प्रकृति एवं पारस्परिक अन्तर्क्रिया के अध्ययन से हम अस्थायी व्याख्या देने के योग्य हो जाते हैं। परंतु यह आवश्यक नहीं कि हमारी यह व्याख्या ठीक हो। हमें इसी प्रकार के अन्य तथ्यों के आधार पर उसका सत्यापन करना होता है और यदि वह व्याख्या ठीक नहीं निकलती तो उसे छोड़ देना होता है और उसके स्थान पर नयी उपकल्पना खोजनी पड़ती है। जब तक सत्यापन नहीं हो जाता, तब तक यही उपक्रम चलता रहता है।

इसके बाद अंतिम प्रक्रम पूर्वकथन को है जिसका अर्थ है कि तथ्यों के पर्यवेक्षण के आधार पर निर्मित सामान्य सिद्धान्त भविष्य में भी सही होगा, यदि उस सिद्धान्त की निर्धारित दशाएँ वर्तमान होंगी। भौतिकविज्ञान, सही पूर्वकथन कर सकता है, परंतु समाजशास्त्र केवल अनुमानित पूर्वकथन ही; क्योंकि इसकी विषय-वस्तु विविध एवं जटिल है।

अतएव, समाजशास्त्र में प्रयोगात्मक पद्धति को प्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि मानव-व्यवहार बड़ा जटिल होता है जिसे पर्यवेक्षण, तुलना तथा प्रयोग के लिए नियंत्रित अवस्था में ला पाना कठिन होता है। *जार्ज लेविस* (George Lewis) का कथन है, "हम समुदाय के एक अंश को अपने हाथों में पकड़कर जैसा *ब्रोड बिगनेज* (Brod Bignase) के *राजा गुलवीर* (Gulliver) के साथ किया, सामाजिक समस्याओं का समाधन करने एवं अपनी संकल्पनात्मक जिज्ञासा को शांत करने हेतु इसके विभिन्न स्वरूप को नहीं देख सकते एवं न ही इसे विभिन्न स्थितियों में रख सकते हैं।" इसके अतिरिक्त सामाजिक माप के सही तोलन के लिये उपयुक्त वैज्ञानिक यंत्र उपलब्ध नहीं हैं। जो तत्व सामाजिक घटनावस्तु को प्रभावित करते हैं यथा मानवी भाव एवं सम्मतियाँ, उन्हें भी पूर्णतया सही तौर पर मापा नहीं जा सकता।

अतएव यह स्वीकार करना होगा कि सामाजशास्त्र में 'वैज्ञानिक' प्रयोग संभव नहीं है। तदपि अप्रत्यक्ष रूप से तथ्यों का पर्यवेक्षण करके उनका वर्गीकरण करके तथा उनके बीच अन्तर्सम्बन्ध स्थापित करके, उनकी अस्थायी व्याख्या करके, उस अस्थायी व्याख्या का सत्यापन करके, सामान्य समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का निर्माण करके तथा इन सिद्धान्तों के आधार पर पूर्वकथन करके समाजशास्त्र प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग अवश्य करता है। परंतु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समाजशास्त्र की परिकल्पनाएँ भौतिक विज्ञानों की भाँति ठोस और अटल नहीं हैं। समाजशास्त्र का विषय अनिश्चित ढंग से विविध, लगभग अनन्त और जटिल है। इसमें प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु के साथ अत्यधिक संबंधित है।

समाजशास्त्र में अभी तक वैज्ञानिक रूप में प्रमाणित सिद्धान्तों का विकास नहीं हो पाया है। इसमें अभी सामाजिक व्यवहार की प्रवृत्तियों एवं विधियों का विकास हो पाया है परंतु ऐसे सिद्धान्तों का विकास नहीं हो सका है जिनके बारे में पूर्वकथन किया जा सके एवं जिन्हें वैज्ञानिक तथ्य से प्रमाणित किया जा सके। समाजशास्त्र का अध्ययन अभी तक वर्णनात्मक विश्लेषण तक ही सीमित है। यह महत्त्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं की तर्कयुक्त व्याख्या प्रस्तुत करता है। इन विश्लेषणों में वैज्ञानिकता में कुछ तत्व सम्मिलित होते हैं परंतु यह वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणयोग्य सिद्धान्तों की प्रस्तुति नहीं करते।

ऐतिहासिक पद्धति (The Historical Method)

ऐतिहासिक पद्धति में भूतकालीन सभ्यताओं की घटनाओं, प्रक्रियाओं और संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, ताकि वर्तमान सामाजिक जीवन के आरम्भ तथा उसकी प्रकृति एवं कार्यविधि का ज्ञान हो सके। इतिहास और समाजशास्त्र का परस्पर इतना घनिष्ठ संबंध है कि जी. ई. हावर्ड (G.E. Howard) जैसे कई समाजशास्त्री इतिहास को भूतकालीन समाजशास्त्र और समाजशास्त्र को वर्तमान का इतिहास मानते हैं। स्पष्ट है कि हमारे सामाजिक जीवन के आधुनिक रूप (forms) हमारे रिवाज अथवा जीवन-यापन की विधियों (ways of living) की जड़ें अतीत से जुड़ी हैं। इसलिए इनकी व्याख्या उनके मूल स्रोतों की सहायता से ही की जा सकती है और ऐसा केवल इतिहास के सहयोग से ही संभव है।

परंतु इस पद्धति से समाजशास्त्र की सम्पूर्ण समस्याओं का अध्ययन संभव नहीं है। समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को इतिहास द्वारा प्रदत्त तथ्यों के अध्ययन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता। नि:सन्देह

जीवन-चरित्रों, डायरियों आदि में अंकित ऐतिहासिक तथ्य अनेक नई बातों का ज्ञान कराते हैं, परंतु वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उनका कोई विशेष महत्त्व नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर ऐतिहासिक तथ्य नहीं दे सकते। इसके अतिरिक्त इतिहास के तथ्यों के संबंध में यह शंका भी रहती है कि शायद उन तथ्यों के व्याख्याकारों ने उनका अध्ययन बिल्कुल निरपेक्ष होकर न किया हो।

सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के लिए ऐतिहासिक पद्धति पूर्णत: पर्याप्त तथा विश्वसनीय नहीं है। अत: समाजशास्त्र का अध्ययन करने के लिए अन्य पद्धतियों के प्रयोग की भी आवश्यकता है।

2.6 सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग (Scientific Method in Studying Social Phenomena)

आधुनिक युग में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि को ही विश्वसनीय माना जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग क्यों व कैसे किया जाता है, इसका उल्लेख करने से पूर्व विज्ञान एवं वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, यह जान लेना आवश्यक है।

विज्ञान अपने आप में कोई विषय-सामग्री नहीं होकर ऐसी सामग्री है जिसे वैज्ञानिक पद्धति (Scientific Method) को काम में लेते हुए प्राप्त किया गया हो। जहाँ प्राकृतिक विज्ञान में वैज्ञानिक पद्धति का सहारा लिया जाता है, वहाँ सामाजिक विज्ञानों में भी सामाजिक घटनाओं को समझने हेतु इसी पद्धति का उपयोग किया जाता है। अत: किसी भी विषय-सामग्री या ज्ञान-भण्डार को विज्ञान बनाने में इस बात का विशेष महत्त्व है कि उसे कैसे प्राप्त किया गया है, किस पद्धति को काम में लिया गया है। यदि वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से सामाजिक घटनाओं और विषय सामग्री को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है तो इसे विज्ञान कहा जायेगा। *स्टुअर्ट चेज* ने लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है न कि विषय समाग्री से। इस बात को अन्य शब्दों में व्यक्त करते हुए *प्रो. ग्रीन* ने लिखा है कि विज्ञान का अर्थ तथ्यों की खोज करने वाले तरीके से लिया जाता है। स्पष्ट है कि जिस किसी विषय में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है वही विषय विज्ञान है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में हो या सामाजिक विज्ञानों के क्षेत्र में।

कुछ लोगों का कहना है कि सामाजिक अनुसन्धान को वैज्ञानिक नहीं माना जा सकता क्योंकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति बहुत जटिल है, सामाजिक घटनाएँ बदलती रहती हैं, सामाजिक घटनाओं को नापा-तोला नहीं जा सकता तथा सामाजिक घटनाओं के कार्यकरण सम्बन्धों को ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि सामाजिक विज्ञानों के पास प्रयोगशाला नहीं है, वे सार्वभौमिक नियमों का प्रतिपादन नहीं कर सकते, वे भविष्यवाणी करने में असमर्थ हैं। ऐसी स्थिति में सामाजिक विज्ञानों और उनके क्षेत्र में किये जाने वाले सामाजिक अनुसन्धानों को कैसे वैज्ञानिक माना जा सकता है। वास्तविकता यह है कि आज विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इसकी सहायता से तथ्य एकत्रित किये जाते हैं, उन तथ्यों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया जाता है और ये नियम सार्वभौमिक होते हैं। ऐसी स्थिति में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विज्ञानों एवं सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र और इसके क्षेत्र में होने वाले अनुसंधानों की प्रकृति भी वैज्ञानिक है क्योंकि इनमें विज्ञान की सभी विशेषताएँ पायी जाती हैं। विज्ञान के प्रमुख तत्व या विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(*i*) अवलोकन, (*ii*) सत्यापन तथा वर्गीकरण, (*iii*) सामान्यीकरण, (*iv*) भविष्यवाणी, (*v*) वैज्ञानिक प्रवृत्ति। हम यहाँ यह देखने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का उपयोग किस प्रकार किया जाता है:

1. **सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित–**समाजशास्त्र में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। इनमें तथ्य-संकलन के लिए सामाजिक सर्वेक्षण-पद्धति, वैयक्तिक जीवन-अध्ययन पद्धति, समाजमिति, अवलो. कन, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली आदि का उपयोग किया जाता है। इनमें ऐतिहासिक, तुलनात्मक, संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक पद्धतियों का सहारा भी लिया जाता है। इनमें से उपयुक्त

पद्धतियों का प्रयोग करते हुए तथ्य एकत्रित किये जाते हैं, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है।

2. **केवल वास्तविक घटनाओं का अध्ययन**—समाजशास्त्रीय अध्ययनों में 'क्या है' में रुचि ली जाती है, न कि 'क्या होना चाहिए' में। तात्पर्य यह है कि समाजशास्त्र में घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जाता है, उनका यथार्थ चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में, जब दहेज-प्रथा पर समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाता है तो यही बताया जाता है कि दहेज प्रथा का वर्तमान स्वरूप क्या है, इसके लिए उत्तरदायी कारण क्या हैं, किन परिस्थितियों ने इसे प्रोत्साहन दिया, इस प्रथा का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके परिणाम क्या हैं आदि। समाजशास्त्री अपने अध्ययन में दहेज-प्रथा से संबंधित इन बातों की विवेचना करता है, वह यह नहीं कहता है कि इस प्रथा को बन्द किया जाना चाहिए अर्थात् वह उपदेशात्मक या आदर्शात्मक बातें नहीं कहता है।
3. **कार्य-कारण के संबंध पर आधारित**—समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कार्य-कारण सम्बन्धों की विवेचना की जाती है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है, नियम प्रतिपादित किये जाते हैं, उन नियमों का परीक्षण और पुनर्परीक्षण किया जाता है। समाज-विज्ञानों के क्षेत्र में प्रतिपादित नियमों में सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों की सहायता से न केवल वर्तमान घटनाओं की विवेचना और व्याख्या ही की जाती है बल्कि भविष्य में घटित होने वाली संभावित घटनाओं का उल्लेख भी किया जाता है। समाजशास्त्र ने अपने अध्ययनों के आधार पर भविष्यवाणी करने की क्षमता का काफी विकास कर लिया है। अत: हम कह सकते हैं कि चूँकि सामाजिक अनुसंधानों में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, अत: इनकी प्रकृति वैज्ञानिक है।
4. **नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा**—प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग इसलिए किया जा सकता है क्योंकि अध्ययन के आधार पर नियमित नियमों की परीक्षा एव पुनर्परीक्षा की जा सकती है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अवलोकन विधि का प्रयोग करते हुए कार्य-कारण संबंधों का पता लगाया तथा समाजशास्त्रीय नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। इन नियमों की प्रामाणिकता की जांच कभी भी की जा सकती है। एक स्थान पर बाल-अपराध को प्रोत्साहन देने में जो परिस्थितियाँ उत्तरदायी होती हैं, वे ही परिस्थितियाँ किसी अन्य स्थान पर इसके लिए उत्तरदायी होंगी। इस प्रकार बाल-अपराध के कारणों की सुगमता से जांच की जा सकती है।
5. **नियमों में सार्वभौमिकता**—यद्यपि समाजशास्त्रीय नियमों की प्रकृति सामाजिक होती है, परंतु फिर भी उनमें सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है और इसी कारण ये नियम वैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक घटनाओं से संबंधित जिन नियमों का समाजशास्त्र में प्रतिपादन किया जाता है, वे मुख्यत: सार्वभौमिक होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि एक-सी प्रकृति के समाजों में समान कारण सदैव समान प्रभाव को ही जन्म देंगे। यह बात अनेक समाजशास्त्रीय नियमों के आधार पर स्वयं प्रमाणित हो चुकी है। उदाहरणार्थ, औद्योगीकरण एवं नगरीकरण में वृद्धि के साथ-साथ संयुक्त परिवार टूटेंगे, विघटित परिवार अपराधियों को जन्म देंगे तथा स्त्री-शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति तुलनात्मक रूप से उन्नत होगी आदि।
6. **भविष्यवाणी की क्षमता**—समाजशास्त्री विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा केवल वर्तमान सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के आधार पर भी भविष्य की सम्भावनाओं पर प्रकाश डालता है। उदाहरणार्थ, एक समाज वैज्ञानिक सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर न केवल वर्तमान की ही व्याख्या कर पायेगा वरन् उसके आधार पर भविष्य के संबंध में भी बतला सकेगा। इसे हम परिवार के उदाहरण द्वारा भली-भाँति समझ सकते हैं। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए जब हम वर्तमान में पारिवारिक संगठन का अध्ययन करेंगे और उसमें होने वाले परिवर्तनों का पता लगायेंगे तो यह भविष्यवाणी भी की जा सकेगी कि आगे

आने वाले समय में पारिवारिक संगठन का स्वरूप क्या होगा। स्पष्ट है कि समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भविष्य की परिस्थितियों का पूर्वानुमान सुगमता से लगाया जा सकता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग उसी प्रकार से किया जा सकता है जिस प्रकार से भौतिक विज्ञानों में भौतिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है, किंतु यह भी सत्य है कि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति गुणात्मक होने से उनके बारे में ऐसे निश्चित निष्कर्ष एवं सिद्धांत प्राप्त नहीं किए जा सकते जैसे भौतिक विज्ञानों में प्राप्त किए जाते हैं।

नोट

2.7 वस्तुनिष्ठता एवं मूल्यनिरपेक्षता (Objectivity and Value Neutrality)

वस्तुनिष्ठता का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Objectivity)

तथ्यों का उनके वास्तविक रूप में अवलोकन, संकलन एवं विश्लेषण ही वस्तुनिष्ठता है। सामाजिक घटना को यथार्थ रूप में देखना और उसी रूप में व्यक्त कर देना ही वस्तुनिष्ठता है। तात्पर्य यह है कि जहाँ अध्ययनकर्ता स्वयं के विचारों, भावनाओं, अभिवृत्तियों, मूल्यों, पूर्वाग्रहों आदि से मुक्त रहकर घटनाओं का सूक्ष्म अवलोकन करता है, तथ्य संकलित करता है और उनके आधार पर निष्कर्ष निकालता है तो हम कह सकते हैं कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता है। चाहे अध्ययन के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष अच्छे हों या बुरे, उचित हों या अनुचित, मन को प्रसन्नता देने वाले हों या कष्ट पहुँचाने वाले, परंतु अनुसंधानकर्ता उन्हें उसी रूप में प्रस्तुत कर देता है जिस रूप में वे हैं। वह उनमें न तो अपनी ओर से कुछ जोड़ता है, न कुछ घटाता है और न ही कुछ छिपाता है। वह तो सत्य की खोज करता है और उसे सत्य रूप में ही प्रकट कर देता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता सत्य की खोज से संबंधित है और घटनाओं को उनके वास्तविक रूप में प्रकट करना ही वस्तुनिष्ठता है।

वस्तुनिष्ठता का अर्थ स्पष्ट करते हुए **प्रो. ग्रीन** ने लिखा है, "प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता ही वस्तुनिष्ठता है।" इस परिभाषा में दो बातों पर जोर दिया गया है, एक तो निष्पक्ष अध्ययन की इच्छा पर और दूसरा योग्यता पर। इसका तात्पर्य यह है कि घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखने और व्यक्त करने की अनुसंधानकर्ता में दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। योग्यता का तात्पर्य तटस्थ दृष्टिकोण अपनाकर यानि स्वयं के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, संस्कारों, पूर्व-धारणाओं आदि से पूर्णत: मुक्त होकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाये रखते हुए अध्ययन करने से है।

लावेल जे. कार ने लिखा है, "वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की घटनाओं से युक्त संसार किसी व्यक्ति के विश्वासों, आशाओं अथवा भयों से स्वतंत्र एक वास्तविकता है जिसका सब कुछ हम अंतर्दृष्टि एवं कल्पना से नहीं, बल्कि वास्तविक अवलोकन के द्वारा ही समझ सकते हैं।" इस परिभाषा से स्पष्ट है कि घटनामय संसार का अध्ययन निष्पक्ष अवलोकन द्वारा ही संभव है जिसमें अध्ययनकर्ता के स्वयं के विचारों, मूल्यों, विश्वासों, आशाओं, इच्छाओं व कल्पनाओं का कोई महत्त्व नहीं है।

फेयरचाइल्ड के अनुसार, "वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य एक ऐसी योग्यता से है जिसके द्वारा अध्ययनकर्ता या अनुसंधानकर्ता अपने को उन स्थितियों से अलग रख सके जिनका वह स्वयं एक भाग है एवं किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता (लगाव) या भावना के बजाय निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहों से स्वतंत्र होकर तर्कों के आधार पर विभिन्न तथ्यों को उनके स्वाभाविक रूप में अवलोकित कर सके।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि निष्पक्ष रहकर घटनाओं को उनके यथार्थ रूप में देखना और ठीक उसी रूप में उनका चित्रण कर देना ही वस्तुनिष्ठता (objectivity) है। अध्ययनकर्ता का पक्षपात- रहित दृष्टिकोण, यथार्थ अवलोकन एवं तथ्यों का उनके स्वाभाविक रूप में विश्लेषण एवं प्रस्तुतीकरण वस्तुनिष्ठता के मूल आधार हैं।

वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता : वस्तुनिष्ठता का महत्व (Need of Scientific Study: Importance of Objectivity)

नोट

अध्ययन या अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य प्रामाणिक निष्कर्षों अर्थात् ज्ञान की प्राप्ति है। यह उसी समय संभव है जब अध्ययन पूर्णत: वैषयिक या वस्तुनिष्ठ हो। यदि निष्पक्ष रूप से अवलोकन नहीं किया गया है, तथ्यों का संकलन सही रूप में नहीं किया गया है, यदि उन तथ्यों के विश्लेषण में कहीं भी व्यक्तिगत अभिनति या पक्षपात आ गया है तो ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकाले जाएँगे, वे वैज्ञानिक, प्रामाणिक या वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। जब निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकेगा, सत्य तक नहीं पहुँचा जा सकेगा। अत: घटनाओं की सहायता का पता लगाने के लिए अध्ययनों में, विशेषकर सामाजिक अनुसंधानों में वस्तुनिष्ठता का होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुनिष्ठता का महत्त्व एवं वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता निम्नलिखित विवेचना से स्वत: ही स्पष्ट हो जाएगी–

1. **समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाने हेतु (To make Sociological Studies Scientific)**–कुछ लोगों का मानना है कि समाजशास्त्रीय अध्ययन वैज्ञानिक नहीं होते एवं समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। उनकी इस प्रकार की मान्यता का प्रमुख कारण सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति एवं अध्ययनकर्ता का व्यक्तिनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना कठिन अवश्य है क्योंकि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचार, पूर्वाग्रह, अभिवृत्तियाँ एवं पसंद-नापसंद अध्ययन की यथार्थता या वैज्ञानिकता को समाप्त कर देते हैं। लेकिन यदि अनुसंधानकर्ता में वस्तुनिष्ठता बनाये रखने का दृढ़ संकल्प हो तो सामाजिक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन किया जा सकता है। यदि अध्ययनकर्ता में सामाजिक घटनाओं की वास्तविकताओं को खोज निकालने की बलवती इच्छा है और वह निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील हैं तो समाजशास्त्रीय अध्ययनों को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है। इस हेतु आवश्यक है कि तथ्यों का यथार्थ चित्रण किया जाए, वैज्ञानिक पद्धति व नियमों का पूर्णत: पालन किया जाए। यदि अध्ययन में तटस्थ भाव को बनाये रखते हुए घटनाओं का सही चित्रण किया जाए तो किसी भी अध्ययन को वैज्ञानिक बनाया जा सकता है।
2. **वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग हेतु (For Successful use of Scientific Method)**– सत्य तक पहुँचने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग आवश्यक है, परंतु केवल इस पद्धति के प्रयोग से ही प्रामाणिक या वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि वस्तुनिष्ठता के साथ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और अध्ययन में वैज्ञानिकता लायी जा सकती है। वास्तव में देखा जाए तो वैज्ञानिक पद्धति और वस्तुनिष्ठता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वैज्ञानिक पद्धति में सामाजिक घटनाओं का अवलोकन, वर्गीकरण विश्लेषण तथा सत्यापन आता है, परंतु यदि इनमें से किसी भी स्तर पर वस्तुनिष्ठता की कमी है तो वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकेंगे, अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के सफल प्रयोग के लिए वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है।
3. **प्रतिनिधित्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त करने हेतु (To get Adequate Representative Data)**– सामाजिक घटनाओं के संबंध में प्रतिनिधि तथ्य प्राप्त करने के लिए निदर्शन प्रणाली (Sampling Method) की सहायता से अध्ययन हेतु इकाइयों का चुनाव किया जाता है। यह चुनाव पक्षपात रहित होना चाहिए। पूर्ण वस्तुनिष्ठता के साथ होना चाहिए, अन्यथा समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाली इकाइयों का चुनाव नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा, ऐसे तथ्यों का संकलन किया जाना चाहिए जो समग्र (Universe) की सभी विशेषताओं का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करते हों। तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली, अनुसूची, साक्षात्कार, अवलोकन, वैयक्तिक अध्ययन-पद्धति आदि में से किसी एक का चुनाव कर प्रतिनिधि तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि तथ्य-संकलन की प्रविधियों का चुनाव एवं प्रयोग सुविधानुसार नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठता के साथ किया जाए अन्यथा प्रतिनिधि तथ्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा।

4. **तथ्यों के सत्यापन हेतु (For getting Data Verified)**–पुन: परीक्षा या सत्यापनशीलता वैज्ञानिकता की एक महत्त्वपूर्ण कसौटी है और इस कसौटी पर कोई भी अध्ययन तभी खरा उतरता है जब अनुसंधान के प्रत्येक चरण पर वस्तुनिष्ठता का सहारा लिया गया हो। अध्ययन में वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य यही है कि वह पूर्णत: तथ्यों पर आधारित है, न कि अध्ययनकर्ता के स्वयं के पक्षपातपूर्ण विचारों, भावनाओं या पूर्व-धारणाओं पर। जहाँ किसी अध्ययन में इन बातों का समावेश हो जाता है, वहाँ उस अध्ययन के निष्कर्ष वैज्ञानिक या प्रामाणिक नहीं रह जाते। ऐसे निष्कर्षों की पुन: परीक्षा और सत्यापन नहीं किया जा सकता। अत: तथ्यों के सत्यापन एवं वैज्ञानिक निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु वस्तुनिष्ठता अत्यंत आवश्यक है।
5. **निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु (To get Unprejudiced Conclusions)**–सामाजिक अनुसंधान की सार्थकता इसी बात में है कि प्राप्त निष्कर्ष निर्भर योग्य हों। यदि अनुसंधान के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष प्रामाणिक नहीं है, यदि उनकी सत्यता की जाँच नहीं की जा सकती है, यदि उनके आधार पर नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है तो ऐसे अनुसंधान की कोई उपयोगिता नहीं है। किसी अध्ययन या अनुसंधान के माध्यम से प्रामाणिक एवं निष्पक्ष निष्कर्षों की प्राप्ति हेतु प्रारंभ से अंत तक वस्तुनिष्ठता को बनाये रखना आवश्यक है। इसके अभाव में अनुसंधान निरर्थक हो जाएगा। अत: अध्ययनकर्ता वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर ही निष्पक्ष निष्कर्ष प्राप्त कर सकता और ऐसे निष्कर्ष ही किसी विषय को विज्ञान की श्रेणी में ला खड़ा करते हैं।
6. **वास्तविक ज्ञान की वृद्धि हेतु (To enrich Real Knowledge)**–अज्ञानता रूपी अंधकार को दूर करना विज्ञान का प्रमुख काम है और यह काम उसी समय उत्तमता के साथ पूरा किया जा सकता है जब वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर सामाजिक घटनाओं के संबंध में अधिक से अधिक मात्रा में यथार्थ जानकारी प्राप्त की जाए। जब इस प्रकार की जानकारी बढ़ेगी तो परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन के संबंध में हमारे ज्ञान में दिनोंदिन वृद्धि होती जाएगी। इससे लोगों को कुरीतियों एवं भ्रांत धारणाओं से छुटकारा मिल सकेगा। अत: वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति हेतु अध्ययनकर्ता को सजग रहते हुए अपने स्वयं के विचारों और पूर्व धारणाओं पर नियंत्रण रखना होगा। इसके लिए उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होगा।
7. **अनुसंधान के नये क्षेत्रों का पता लगाने हेतु (To explore New Fields of Investigation)**–जब कोई अध्ययनकर्ता वैज्ञानिक अध्ययन की दिशा में आगे बढ़ता है तो तथ्यों का पता लगाने या सामाजिक घटनाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाना होता है। जब अध्ययनकर्ता निष्पक्ष होकर किसी घटना या समस्या का अध्ययन करता है तो उसके संबंध में अनेक अज्ञात तथ्यों का पता चलता है, उससे संबंधित कई रहस्यों की जानकारी मिलती है, कई नवीन पक्ष प्रकाश में आते हैं जिनके संबंध में अनुसंधानकर्ता ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के संबंध में नवीन पक्षों की जानकारी अनुसंधान के नये क्षेत्रों को विकसित करने में योग देती है। भविष्य में अध्ययनकर्ता इन नवीन पक्षों को लेकर अनुसंधान की नयी योजनाएँ बना सकता है। यह सब कुछ उसी समय संभव है जब अध्ययन पूर्णत: वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक हो।
8. **अनुसंधानकर्ता पर नियंत्रण बनाये रखने हेतु (To Maintain Control over the Investigation)**–अनसंधानकर्ता जिस समाज, समूह, सामाजिक घटना या समस्या का अध्ययन करता है, उससे किसी न किसी रूप में सामान्यत: संबंधित होता है। ऐसी स्थिति में उसके स्वयं के विचार, भावनाएँ, अभिवृत्तियाँ, पूर्वाग्रह आदि अध्ययन में बाधक बन सकते हैं। इस स्थिति में छुटकारा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन में सर्वत्र वैज्ञानिकता बनाये रखी जाए। यह वैज्ञानिकता ही अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण रखकर उसे वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकती है। वस्तुनिष्ठता के आधार पर ही वह सत्य का पता लगा सकता और वैज्ञानिक निष्कर्ष प्राप्त कर सकता है।

नोट

9. **भ्रांतियों की समाप्ति हेतु (To get Rid of Fallacies)**–भ्रांत धारणाएँ अनेक व्यक्तियों व समूहों के बीच कई बार तनाव एवं संघर्ष उत्पन्न कर देती हैं। इस प्रकार की धारणाएँ जाति, प्रजाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, संस्कृति, प्रांत या क्षेत्र आदि से संबंधित होती हैं। सामान्य ज्ञान के आधार पर व्यक्ति भ्रांत धारणाओं को सही मान बैठता है क्योंकि उसके पास सत्यता को जानने का कोई आधार नहीं होता। वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों की सहायता से ही भ्रांत धारणाओं को दूर किया जा सकता है। विश्व में काफी लंबे समय तक एक भ्रांत धारणा यह प्रचलित रही है कि श्वेत प्रजाति ही सर्वश्रेष्ठ प्रजाति है तथा लोगों को सभ्य बनाने और उन पर शासन करने का उसी प्रजाति को अधिकार है। अब वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर यह प्रमाणित हो चुका है कि कोई भी प्रजाति अन्य की तुलना में श्रेष्ठ या हीन नहीं है। अत: भ्रांत धारणाओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक है।
10. **सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु (To get Social Problems Solved)**–आज के आधुनिक जटिल समाजों में अनेक सामाजिक समस्याएँ व्याप्त हैं। ये समाजरूपी शरीर में रोग के समान हैं। जब तक इनसे छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाता, तब तक समाज को स्वस्थ नहीं बनाया जा सकता, उसे प्रगति की ओर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विभिन्न प्रकार की समस्याओं की यथार्थ जानकारी वैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से ही प्राप्त हो सकती है। ऐसे अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता का होना नितांत आवश्यक है।

वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में कठिनाइयाँ (Difficulties in Achieving Objectivity)

यहाँ हम वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करेंगे जो निम्न प्रकार हैं–

1. **भावनात्मक प्रवृत्तियों का प्रभाव (Effect of Emotional Attitudes)**–प्रत्येक व्यक्ति के अपने कुछ सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, नैतिकता संबंधी धारणाएँ होती हैं। वह प्रारंभ से ही कुछ बातों को अच्छा और कुछ को बुरा मानने लग जाता है। व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया के दौरान उसकी जो भावात्मक प्रवृत्तियाँ बन जाती हैं, वे उसके व्यवहार-प्रतिमानों को प्रभावित करती हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई अध्ययनकर्ता संयुक्त परिवार, जाति-व्यवस्था, अस्पृश्यता, वेश्यावृत्ति, छात्रों में अनुशासनहीनता आदि का अध्ययन करता है तो उसकी भावात्मक प्रवृत्तियाँ उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने में कठिनाई उत्पन्न करती हैं।
2. **असत्य प्रतिमाएँ (Fasle Idols)**–*फ्रांसिस बेकन* का कहना है कि अनुसंधानकर्ता कई असत्य प्रतिमाओं से प्रभावित होकर अध्ययन के दौरान कुछ त्रुटियाँ कर बैठता है। आपने ऐसी चार प्रतिमाओं का उल्लेख किया है–गुफा की प्रतिमाएँ, न्यायालय की प्रतिमाएँ, बाजार की प्रतिमाएँ एवं जनजाति की प्रतिमाएँ। गुफा की प्रतिमाओं के अंतर्गत उन त्रुटियों को लिया गया है जो अनुसंधानकर्ता अपने संकीर्ण या एकाकी विचारों के कारण किसी वस्तु या घटना को समझने के संबंध में कर बैठता है। न्यायालयों की प्रतिमाओं के अंतर्गत वे गलतियाँ आती हैं जो एक अनुसंधानकर्ता केवल शब्दों पर बहुत अधिक भरोसा करने के कारण कर बैठता है। बाजार की प्रतिमाओं में वे त्रुटियाँ आती हैं, जो एक अनुसंधानकर्ता प्रथा, परंपरा, रूढ़ि आदि पर जरूरत से ज्यादा जोर देने एवं उन्हीं के आधार पर निष्कर्ष निकालने के कारण कर बैठता है। जनजाति की प्रतिमाओं के अंतर्गत वे त्रुटियाँ आती हैं जो एक अनुसंधानकर्ता अपने विशेष प्रकार से सोचने-विचारने एवं देखने के तरीके के कारण कर बैठता है। इन सब परिस्थितियों में अपने एकाकी दृष्टिकोण एवं सीमित ज्ञान के क्षेत्र से बाहर निकलकर वस्तुनिष्ठता के साथ कुछ निष्कर्ष निकालना अनुसंधानकर्ता के लिए कठिन हो जाता है।

   असत्य प्रतिमाओं के अलावा समाज में प्रचलित कुछ ऐसी धारणाएँ भी होती हैं जिनका कोई तार्किक तो नहीं होता, परंतु जो अनुसंधानकर्ता के अध्ययन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यदि अनुसंधानकर्ता इस धारणा पर विश्वास करके आगे बढ़ता है कि अस्पृश्य समझी जाने

वाली जातियों का बौद्धिक-स्तर निम्न होता है तो इसके फलस्वरूप उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वस्तुनिष्ठता की निश्चित रूप से कमी पायी जाएगी।

नोट

2. **सामान्य ज्ञान का प्रभाव (Influence of General Knowledge)**–*हार्ट* का यह कथन पूर्णतः सही है कि वस्तुनिष्ठता का संबंध वास्तविक ज्ञान से है, न कि सामान्य ज्ञान से। लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता सामान्य ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान समझने की गलती कर बैठता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। उदाहरण के रूप में, यदि कोई अनुसंधानकर्ता अपने सामान्य ज्ञान के आधार पर कोई प्राक्कल्पना बना लेता है तो परिणामस्वरूप वह जाने-अनजाने ऐसे तथ्यों के संकलन पर जोर देता है जो उसकी प्राक्कल्पना को ही प्रामाणित करने में योग दें और वह अन्य तथ्यों को जान-बूझकर छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति बहुत कठिन है।

4. **विशिष्टतामूलक भ्रांति (Particularistic Fallacy)**–अध्ययन में वस्तुनिष्ठता की कमी का एक मुख्य कारण विशिष्टतामूलक भ्रांति है। इसका तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी सामाजिक घटना के एक पक्ष या कारक को ही महत्त्वपूर्ण एवं निर्णायक मानकर उसी पर जोर देता है। यही विशिष्टतामूलक भ्रांति है। इसके परिणामस्वरूप, अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती और उसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष वैज्ञानिक नहीं हो सकते। उदाहरण के रूप में, यदि अनुसंधानकर्ता यह कहे कि 'बाल-अपराध के लिए बुरी संगति ही उत्तरदायी है, अथवा यह कहे कि धर्म-परिवर्तन का एकमात्र कारण निर्धनता है' तो ऐसी स्थिति में वह अन्य पक्षों या कारकों की अवहेलना करेगा, परिमणामस्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाएगी।

5. **अध्ययन में अति जल्दबाजी (Overhurry in Research Work)**–जल्दबाजी में सफलतापूर्वक अनुसंधान कार्य संपन्न करना तो दूर रहा, सामान्य कार्य भी बिगड़ जाता है। सामाजिक घटनाओं की प्रकृति ही कुछ ऐसी होती है कि उनका धैर्यपूर्वक लंबे समय तक अध्ययन करना होता है, तभी कहीं प्रामाणिक तथ्य प्राप्त किए और सही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इसके विपरीत, जहाँ किसी अनुसंधान को इसलिए जल्दबाजी में पूरा किया जाता है कि अनुसंधानकर्ता के पास समय की कमी है या अध्ययन के निष्कर्ष शीघ्र ही किसी सरकारी या गैर-सरकारी एजेंसी के सम्मुख प्रस्तुत करने हैं, वहाँ ऐसी दशा में अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। यही कारण है कि अनेक विकास-कार्यक्रमों का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं हो पाता।

6. **अनुसंधानकर्ता का व्यक्तिगत स्वार्थ (Vested Interest of the Researcher)**–व्यक्तिगत स्वार्थ व्यक्ति को अंधा बना देता है। यह स्वार्थ ही वस्तुनिष्ठता का सबसे बड़ा शत्रु है। स्वार्थ के आगे व्यक्ति असत्य को भी आँख मूँदकर स्वीकार कर लेता है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता तटस्थ होकर न तो तथ्यों का संकलन कर सकता है और न ही वैज्ञानिक निष्कर्ष निकाल सकता है। वह या तो ऐसे तथ्यों का संकलन करता है जो उसके स्वार्थों के अनुरूप हों या वह तथ्यों को इस प्रकार से तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करता है कि उनसे ऐसे निष्कर्ष निकल सकें जो उसके स्वार्थों की पूर्ति में सहायक हों। ये दोनों ही स्थितियाँ वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बाधक हैं। जब अनुसंधानकर्ता अध्ययन में अपने स्वार्थ को सर्वोपरि मान बैठता है तो वह वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन कर ही नहीं सकता।

7. **स्वार्थ-समूहों का दबाव (Pressure of Interest Groups)**–स्वार्थ-समूहों का दबाव या हस्तक्षेप भी वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में कठिनाई पैदा करता है। स्वार्थ-समूहों के अंतर्गत प्रथम, आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति और द्वितीय, सत्ताधारी या राजनीतिक-रूप से शक्तिशाली व्यक्ति आते हैं। यदि किसी अनुसंधान के निष्कर्षों से इनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो ये लोग अनुसंधानकर्ता पर दबाव डालकर या तो निकर्षों को बदलवा देने में समर्थ हो जाते हैं या ऐसे निष्कर्षों को प्रकाश में ही नहीं आने देते। कभी-कभी अनुसंध. ानकर्ता ऐसे संपन्न लोगों के दबाव में आकर तथ्यों को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनके

नोट

हितों को किसी प्रकार की कोई चोट नहीं पहुँचे। श्रमिकों से संबंधित अध्ययनों में स्वार्थ-समूहों के दबाव के कारण ही वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती।

8. **सजातिवाद (Ethnocentrism)**—इसका तात्पर्य यह है कि व्यक्ति अपने समूह, समाज, जाति, प्रजाति, भाषा, क्षेत्र, धर्म संस्कृति आदि को सर्वश्रेष्ठ मानकर चलता है। इसी धारणा के वशीभूत होकर जब अनुसंधानकर्ता कोई अध्ययन करता है तो वह अपने समाज की परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्थाओं, धर्म, संस्कृति आदि को सर्वोत्तम प्रमाणित करने का और अन्य लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को अपने से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता है। इस प्रकार के प्रयत्न का तात्पर्य यही है कि अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पायेगी, अनुसंधानकर्ता निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाकर अध्ययन नहीं कर सकेगा। किसी एक राजनीतिक विचारधारा से प्रतिबद्धता और उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानने की भूल वस्तुनिष्ठता के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। ऐसा अध्ययनकर्ता विषय का पक्षपातरहित होकर अध्ययन नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि सजातिवाद वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक है।

9. **सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति (Complex Nature of Social Phenomena)**— सामाजिक घटनाओं की जटिल प्रकृति के कारण सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति कई बार कठिन हो जाती है। सामाजिक घटनाएँ परिवर्तनशील हैं। इनमें समय के साथ-साथ परिवर्तन आते रहते हैं। इसका कारण यह है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित विभिन्न व्यक्तियों में अनेक भिन्नताएँ पायी जाती हैं; उनके व्यक्तित्व, विचार, भावनाएँ, मूल्य, परिस्थितियाँ एवं भूमिकाएँ आदि भिन्न-भिन्न होते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न व्यक्तियों के बीच पनपने वाले सामाजिक संबंध भी जटिल हो जाते हैं। ऐसी दशा में अध्ययनकर्ता कई बार स्वयं के विचारों, विश्वासों, भावनाओं एवं मूल्यों के आधार पर सामाजिक घटनाओं के संबंध में निष्कर्ष निकालता है। परिणामस्वरूप अध्ययन में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती।

10. **प्रशिक्षण का अभाव (Lack of Training)**—अनुसंधानकर्ता के लिए संपूर्ण अनुसंधान प्रक्रिया से भली-भाँति परिचित होना आवश्यक है, अन्यथा अनुसंधान में किसी भी स्तर पर अभिनति आ सकती है, अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो सकती है। अतः अनुसंधानकर्ता के लिए पूर्णतः प्रशिक्षित होना आवश्यक है। उसे इस दृष्टि से प्रशिक्षित होना चाहिए कि समग्र का निर्धारण कैसे किया जाए, इकाइयों को कैसे चुना जाए, तथ्य-संकलन हेतु कौन-सी प्रविधि अपनायी जाए, प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कैसे किया जाए, विभिन्न तथ्यों में सह-संबंध कैसे बताया जाए। साधारणतः देखा यह जाता है कि अधिकांश अनुसंधानों में कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण पर पूरा ध्यान नहीं दिया जाता, फलस्वरूप अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती।

11. **नैतिक आदर्श व मूल्य (Moral Ideals and Values)**—अनुसंधान-कार्य में अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए अन्यथा वह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत कर सकता है और ऐसी स्थिति में अध्ययन की वस्तुनिष्ठता समाप्त हो सकती है। *लुण्डबर्ग* ने इस स्थिति के संबंध में लिखा है कि अध्ययन में गलतियों का एक अधिक सामान्य और कम सचेत स्रोत वैज्ञानिक की, और विशेषकर समाज-वैज्ञानिकों की, यह प्रवृत्ति है कि वे समुदाय की प्रचलित नैतिक संहिता (Code of Morals) या नैतिकता संबंधी स्वयं के विचारों कों तथ्यों के संकलन एवं उन्हें तोड़-मरोड़कर रखने हेतु प्रभावित होने की छूट दे देते हैं। स्पष्ट है कि अनुसंधानकर्ता के स्वयं के नैतिक आदर्श एवं मूल्य वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधक हैं।

12. **मिथ्या-झुकाव (अभिनति) एवं पूर्वाग्रह (Bias and Prejudices)**—लुण्डबर्ग ने लिखा है कि मिथ्या-झुकाव (अभिनति) तथा पूर्वाग्रह सभी विज्ञानों में जटिलता पैदा करने वाले कारक हैं, लेकिन सामाजिक विज्ञानों की तुलना भौतिक विज्ञानों में उनका महत्त्व काफी कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि भौतिक विज्ञानों की विषय-वस्तु सामान्य उद्वेगात्मक भाव-ग्रंथियों (Common Emotional Complexes) के प्रभाव से काफी मुक्त होती हैं।

नोट

जबकि सामाजिक घटनाएँ प्राय: इससे प्रभावित होती हैं और इसी कारण सामान्य इंद्रियों द्व ारा भौतिक तथ्यों का प्रत्यक्ष ज्ञान बहुत कुछ एक-समान या समरूप होता है। *लुण्डबर्ग* के इस कथन से स्पष्ट है कि सामाजिक विज्ञानों में भौतिक विज्ञानों की तुलना में मिथ्या-झुकाव एवं पूर्वाग्रहों का प्रभाव काफी अधिक होता है और इसी वजह से सामाजिक अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति बहुत कठिन है। भौतिक घटनाओं का अध्ययन बिना किसी प्रकार के मिथ्या-झुकाव व पूर्वाग्रहों के सुगमता से किया जा सकता है क्योंकि इनके साथ अध्ययनकर्ता का न तो कोई भावात्मक लगाव या राग-द्वेष होता है और न ही ऐसे अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष अध्ययनकर्ता के विचारों, भावनाओं, मूल्यों, परंपराओं, धर्म, संस्कृति आदि को किसी भी रूप में ठेस पहुँचाते हैं। इसके विपरीत, सामाजिक घटनाओं से अध्ययनकर्ता भी संबंधित होता है। अपने मिथ्या-झुकाव के कारण या तो वह कुछ सामाजिक घटनाओं व समस्याओं के पक्ष में हो सकता है या विपक्ष में। परिणामस्वरूप वस्तुनिष्ठता की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। पूर्वाग्रहों का तात्पर्य यह है कि अध्ययनकर्ता किसी घटना, विषय-वस्तु, व्यक्ति, समस्या आदि के संबंध में पहले से ही किसी पूर्व-धारणा से ग्रसित होता है। पूर्व-धारणाएँ उसे निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने, सोचने-विचारने और निष्कर्ष निकालने में बाधा उत्पन्न करती हैं। यदि एक अनुसंधानकर्ता संयुक्त परिवार को अच्छा समझता है तो संयुक्त परिवार के अध्ययन के दौरान अपने इस पूर्वाग्रह या पूर्व-धारणा के आधार पर वह ऐसे तथ्यों की अवहेलना कर सकता है जिनसे ऐसे निष्कर्ष निकलते हों कि संयुक्त परिवार की बजाय एकाकी परिवार अधिक अच्छे हैं। यहाँ वह तटस्थ होकर या वस्तुनिष्ठता के साथ अपने पूर्वाग्रहों के कारण अध्ययन नहीं कर पाता है।

मिथ्या-झुकाव या पक्षपात में उद्वेगों या भावनाओं का काफी प्रभाव होता है और इसी कारण किसी के भी पक्ष या विपक्ष में बिना सोचे-विचारे राय व्यक्त कर दी जाती है जिसमें तार्किकता का अभाव होता है। दूसरी ओर जब किसी व्यक्ति, वस्तु, समस्या, घटना, सिद्धांत, आदि के संबंध में हम अपने मन में पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का मूल्यांकन करते हैं तो इसे पूर्वाग्रह (Prejudice) के नाम से पुकारते हैं। मिथ्या-झुकाव तथा पूर्वाग्रह दोनों के अर्थ से स्पष्ट है कि ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन के मार्ग में बाधक हैं। इसके प्रभाव से व्यक्ति खुले दिल और दिमाग से काम नहीं कर सकता। यहाँ हमें यह भी विचार करना है कि मिथ्या-झुकाव (पक्षपात) एवं पूर्वाग्रहों के आधार क्या हैं, इनके स्रोत कहाँ हैं? ये स्रोत निम्नलिखित हैं–

1. **अनुसंधानकर्ता का मिथ्या-झुकाव (Bias of Researcher)**–कई बार स्वयं अनुसंधानकर्ता अभिनति का स्रोत बन जाता है। उसकी पूर्व-धारणाएँ या पक्षपातपूर्ण विचार उसके वस्तुनिष्ठ तरीके से सोचने-विचारने और निष्कर्ष प्रस्तुत करने में बाधक बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ देता है और अपने विचारों एवं भावनाओं के अनुरूप निष्कर्ष निकाल लेता है। अध्ययनकर्ता की स्वयं की रुचि-अरुचि, विषय से जरूरत से ज्यादा भावात्मक लगाव, उसकी नैतिक धारणाएँ, आदर्श, मूल्य, धार्मिक एवं सांस्कृतिक मान्यताएँ आदि उसमें मिथ्या-झुकाव का स्रोत बन जाते हैं।
2. **सूचनादाताओं के पूर्वाग्रह (Prejudices of Informants)**–अनुसंधानकर्ता तथ्य-संकलन के लिए केवल अवलोकन का सहारा नहीं ले सकता। उसे सूचनादाताओं से मिलकर उनके प्रश्न पूछकर भी कई सूचनाएँ या तथ्य एकत्रित करने होते हैं। सूचनादाता भी सामाजिक प्राणी ही होते हैं। उनके भी हित-अहित, रुचि-अरुचि, राग-द्वेष, विचार, अनुभव, मूल्य, परंपराएँ, पूर्वाग्रह आदि होते हैं। ऐसी स्थिति में अध्ययन से संबंधित सूचना प्राप्ति हेतु उनसे जो कुछ पूछा जाता है, उसका उत्तर वे पूर्णत: सही ही देंगे, यह आवश्यक नहीं है। वे ऐसी सूचनाएँ भी दे सकते हैं जो पूर्णत: सत्य नहीं हों, जिनमें सच या झूठ का मिश्रण हो या जिन्हें बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया हो। ऐसी स्थिति में इस

प्रकार की सूचनाओं पर आधारित निष्कर्ष वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते। पिडिंगटन ने निम्न बातों के आधार पर यह समझाने का प्रयत्न किया है कि सूचनादाता स्वयं मिथ्या-झुकाव या अभिनति का स्रोत कैसे होते हैं: (अ) सूचनादाता जिन बातों को नहीं बताना चाहते, उनके संबंध में या तो वे झूठ बोल सकते हैं या बहाना बना सकते हैं कि इस संबंध में वे कुछ भी नहीं जानते। (ब) कभी-कभी अपने किसी स्वार्थ के कारण सूचनादाता कुछ तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत कर सकते हैं या कुछ बातों को जान-बूझकर छिपा सकते हैं। (स) कई बार शिष्टाचार के कारण सूचनादाता ऐसी सूचनाएँ ही देते हैं जो अनुसंध. ानकर्ता की रुचि के अनुकूल हों। (द) कभी-कभी अनुसंधानकर्ता का मजाक उड़ाने के उद्देश्य से भी सूचनादाता कुछ बातों को नहीं जानते हुए भी यह प्रदर्शित करने के लिए कि वह सब कुछ जानते हैं, गलत सूचनाएँ भी देता है। (य) कई उत्तरदाता संकोच या लज्जा के कारण कुछ प्रश्नों का उत्तर जानते हुए भी नहीं देते हैं।

वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने के साधन एवं विधियाँ (Means and Methods for Achieving Objectivity)

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं से संबंधित अध्ययनों में वस्तुनिष्ठता बनाये रखना काफी कठिन है, परंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है वस्तुनिष्ठता प्राप्त करना असंभव है। इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक यह है कि अनुसंधानकर्ता स्वयं पर नियंत्रण रखे, अपने को पूर्वाग्रहों से मुक्त रखे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण सर्वत्र बनाये रखे।

आज अनुभव व अनुसंधान के आधार पर ऐसी विधियों व साधनों का विकास हो चुका है जो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता प्राप्त करने में योग देते हैं। यहाँ हम उन्हीं का संक्षेप में उल्लेख करेंगे।

1. **पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का मानकीकरण (Standardisation of Terms and Concepts)**–समाजशास्त्र में सामान्यत: बोल-चाल के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका कई बार समान अर्थ नहीं लगाया जाता है। परिणास्वरूप समाजशास्त्रीय अध्ययनों के आधार पर प्राप्त निष्कर्ष में स्पष्टता का अभाव पाया जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है कि समाजशास्त्र में जिन पारिभाषिक शब्दों एवं अवधारणाओं का प्रयोग किया जाए, उनका मानकीकरण किया जाए, उनका सभी लोगों के द्वारा सभी स्थानों पर समान अर्थों में प्रयोग किया जाए। इससे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकेगी।
2. **दैव निदर्शन के उपयोग की प्रधानता (Priority to the use of Random Sampling)**– अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने की दृष्टि से आवश्यक है कि समग्र में से इकाइयों का चुनाव दैव निदर्शन विधि द्वारा किया जाए ताकि प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना रहे। दैव निदर्शन विधि द्वारा इकाइयों का चुनाव करने से अध्ययनकर्ता के पक्षपात या मिथ्या-झुकाव के अध्ययन में सम्मिलित होने की संभावना समाप्त हो जाती है और साथ ही प्रतिनिधि इकाइयों का चुनाव हो जाता है।
3. **क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं पर कम से कम निर्भरता (Minimum Dependency on Field Investigators)**–जहाँ वैयक्तिक अनुसंधान-कार्यों में स्वयं अनुसंधानकर्ता द्वारा तथ्यों का संकलन किया जाता है, वहाँ वह अपने को नियंत्रित करके पूर्वाग्रहों व मिथ्या-झुकाव से बच सकता है। लेकिन जहाँ अनुसंधान-कार्य हेतु तथ्यों का संकलन अनेक क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं द्वारा एक-साथ किया जाता है, वहाँ अभिनति या पक्षपात से बचने के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें किसी भी प्रकार की वैयक्तिक स्वतंत्रता नहीं दी जाए और उन पर पूरा नियंत्रण रखा जाए।
4. **प्रश्नावली व अनुसूची का प्रयोग (Use of Questionnaire and Schedule)**–प्रश्नावली व अनुसूची में निर्धारित प्रश्न होते हैं, मानक शब्दावली का इनमें प्रयोग किया जाता है।

परिणामस्वरूप सभी सूचनादाता प्रश्नों के समान अर्थ लगाते हैं और उनके द्वारा प्राप्त उत्तर भी प्रमाणीकृत होते हैं। इनके प्रयोग का लाभ यह है कि स्वयं अनुसंधानकर्ता पर भी नियंत्रण रहता है, वह मनमाने ढंग से प्रश्न नहीं पूछ पाता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता बनी रहती है।

5. **यांत्रिक साधनों का प्रयोग (Application of Mechanical Devices)**–तथ्यों के संकलन, सारणीयन एवं विश्लेषण हेतु यांत्रिक साधनों का उपयोग अध्ययन में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने में योग देता है। तथ्यों के संकलन में फोटोग्राफ व टेप-रिकार्डर काफी सहायक हैं। तथ्यों के सारणीयन एवं विश्लेषण में पंचिग मशीन, सार्टर, कैल्क्यूलेटर व कम्प्यूटर, आदि का विशेष उपयोग होता है। इन यांत्रिक साधनों के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अध्ययन में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण बना रहता है अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ जाती है।

नोट

6. **प्रयोगात्मक पद्धति का उपयोग (Use of Experimental Method)**–सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में अधिक-से-अधिक वस्तुनिष्ठता लाने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक पद्धति का प्रयोग दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। जहाँ इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, वहाँ दो समान समूहों का चुनाव कर लिया जाता है। इनमें से एक को नियंत्रित समूह और दूसरे को प्रयोगात्मक समूह के रूप में रखा जाता है। नियंत्रित समूह में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं लाया जाता जबकि प्रयोगत्मक समूह में किसी एक कारक के द्वारा परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है। यहाँ प्रयोगात्मक समूह में एक कारक के प्रभाव को देखा जाता है। तत्पश्चात् नियंत्रित व प्रयोगात्मक समूहों की एक-दूसरे से तुलना की जाती है। यदि तुलना के आधार पर प्रयोगात्मक सूमह में कोई अंतर पाजा जाता है तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह परिवर्तन अमुक कारक का प्रभाव है। स्पष्ट है कि सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वस्तुनिष्ठता लाने में प्रयोगात्मक पद्धति का काफी योग है।

7. **सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग (Use of Statistical Measurements)**–यदि अध्ययन के निष्कर्षों को सामान्य विवरण के रूप में ही प्रस्तुत किया जाए तो अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आ सकती है क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता तथ्यों को तोड़-मरोड़कर अपनी इच्छानुसार प्रस्तुत कर सकता है। इस कमी को सांख्यिकीय गणनाओं एवं सांख्यिकीय अनुमापों द्वारा दूर किया जा सकता है। सांख्यिकीय अनुमापों की सुगमता से जाँच भी की जा सकती है। इसी वजह से सामाजिक गणनाओं व सांख्यिकीय अनुमापों का प्रयोग सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है।

8. **समूह अनुसंधान पद्धति का प्रयोग (Use of Group Research Method)**–पक्षपात, मिथ्या-झुकाव व व्यक्तिनिष्ठता को कम करने या समाप्त करने की दृष्टि से सामूहिक अनुसंधान पद्धति का विशेष महत्त्व है। इस पद्धति का प्रयोग दो रूपों में किया जा सकता है। प्रथम, एक सामूहिक घटना का अध्ययन अलग-अलग रूप में तथा अलग-अलग समय पर दो या अधिक अनुसंधानकर्ताओं द्वारा एक ही पद्धति को काम में लेते हुए किया जाता है। फिर सब अनुसंधानकर्ता मिलकर निष्कर्ष निकालते हैं। द्वितीय, एक ही अध्ययनकर्ता दो समान क्षेत्रों में एक ही घटना का अध्ययन समान पद्धति को काम में लेता हुआ करता है। फिर वह प्राप्त निष्कर्षों की तुलना करता है तथा यथार्थ स्थिति क पता लगाता है। इससे अध्ययन में वस्तुनिष्ठता आने की संभावना अधिक रहती है।

9. **अंतर-वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग (Application of Interdisciplinary Method)**–विभिन्न विज्ञानों के सहयोग पर आधारित अध्ययन को ही अंतर-वैज्ञानिक अध्ययन कहते हैं और समाज-विज्ञानों में वर्तमान में इस प्रकार के अध्ययनों का महत्त्व बढ़ता ही जा रहा है। विभिन्न विज्ञापनों के बीच दिनोंदिन सहयोग बढ़ता ही जा रहा है। परिणामस्वरूप सामाजिक घटनाओं संबंधी अध्ययन अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ एवं यथार्थ होते जा रहे हैं। आजकल यह स्पष्टतः महसूस किया जाने लगा है कि किसी भी घटना के लिए कोई एक ही कारक

उत्तरदायी नहीं है। उदाहरणार्थ, अपराध, निर्धनता या भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक कारक उत्तरदायी हैं। जब तक इन कारकों को भली-भाँति नहीं समझ लिया जाता है, तब तक किसी समस्या, घटना या विषय का यथार्थ व वस्तुनिष्ठ ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता।

नोट

10. **मिश्रित सांस्कृतिक उपागम का उपयोग (Use of Cross-cultural Approach)**—जब किसी सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित किसी घटना या समस्या का अध्ययन विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित लोग (विशेषज्ञ) करते हैं तो वे यह कार्य अधिक निष्पक्षता एवं वस्तुनिष्ठता के साथ कर सकते हैं। अध्ययन किए जाने वाले सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित अनुसंधानकर्ता में पक्षपात व मिथ्या-झुकाव हो सकता है, लेकिन जब अन्य सांस्कृतिक क्षेत्रों से संबंधित अनुसंधानकर्ता अध्ययन-कार्य करते हैं तो वस्तुनिष्ठता की पूरी-पूरी संभावना रहती है। यही मिश्रित सांस्कृतिक उपागम कहलाता है।

2.8 तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएँ (Definition and Characteristics of Fact)

तथ्य क्या है? (What are Facts?)

अंग्रेजी भाषा में 'तथ्य' हेतु दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो वस्तुत: पर्यायवाची नहीं है। एक शब्द है 'फैक्ट' (Fact) तथा दूसरा 'डेटा' (Data) है। इन दोनों शब्दों के लिए हिंदी में हम 'तथ्य' शब्द का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी में ये दोनों शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची इसलिए नहीं है, क्योंकि, अनुसंधान की प्रक्रिया में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किन्हीं निश्चित स्तरों पर किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में जब विभिन्न स्रोतों से हम तथ्यों का संकलन कर लेते हैं, इस स्तर तक तथ्य के पर्यायवाची के रूप में डेटा (Data) शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इन तथ्यों की विश्वसनीयता इस सीमा तक पहुँच जाती है कि ये व्यवस्थात्मक प्रतीक (Systemic Symbol) का रूप ले लें, तभी इन तथ्यों को हम 'फैक्ट' (Fact) की संज्ञा देते हैं।

'डेटा' (Data) से 'फैक्ट' (Fact) तक पहुँचने के लिए एक निश्चित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। यद्यपि 'डेटा' (Data) ही 'फैक्ट' (Fact) बन जाता है। संभवत: इसीलिये हम हिंदी में इन दोनों शब्दों के लिये एक ही शब्द का प्रयोग करते हैं। यह अंतर हमें समझ लेना चाहिए ताकि यदि हम 'तथ्य' शब्द का प्रयोग करते हैं तो निश्चित अनुशासन के अंतर्गत करें।

औपचारिक रूप से तथ्य को परिभाषित करने के पूर्व एक बात की ओर संकेत करना आवश्यक है, क्योंकि इसका सीधा संबंध सामाजिक तथ्य (Social Data) से है। यहाँ हम आधुनिक समाजशास्त्रीय अनुसंधान को एक निश्चित परंपरा देने वाले फ्रेन्च समाजशास्त्री **इमाइल दुर्खीम** (Emile Durkheim) का उल्लेख करेंगे।

दुर्खीम के अनुसार, "सामाजिक तथ्य, व्यवहार का वह पक्ष है जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप में संभव है और जो विशेष ढंग से व्यवहार करने को बाध्य करता है।" इस प्रकार तथ्य के अनेक आयाम हैं और संदर्भ के अनुसार, हम उनके अलग-अलग विश्लेषण करते हैं। 'सामाजिक तथ्य' के अनुसंधान में इसकी पहचान के जो संकेत दुर्खीम ने दिये हैं, वे हैं इसकी बाह्यता (Exteriority) और बाध्यता (Constraints)। इसी संदर्भ में हम तथ्य को परिभाषित करेंगे। सामाजिक अनुसंधान में हम वैज्ञानिक प्रक्रिया एवं अनुशासन से बद्ध हैं। अत: किन्हीं निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही हम तथ्य को वास्तविक तथ्य कह सकेंगे।

तथ्य की परिभाषा एवं विशेषताएँ (Definition and Characteristics of Fact)

तथ्य की परिभाषा प्रस्तुत करने में दो दृष्टिकोण अपनाये जा सकते हैं। पहले दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे समक्ष वे परिभाषाएँ आती हैं जिन्होंने संदर्भ रूप में एक विस्तृत क्षेत्र को चुना है। इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान तीनों आते हैं। इस विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जो परिभाषाएँ दी

गई हैं उनमें पॉलिन यंग (Pauline V. Young), गुडे एवं हॉट (W.J. Goode & P.K. Hatt) तथा ब्रॉडबेक (May Brodbeck) आदि हैं।

पॉलिन यंग के अनुसार–"तथ्यों को ऐसे भौतिक या शारीरिक, मानसिक या उद्वेगात्मक घटनाओं के रूप में देखा जाना चाहिए जिनकी निश्चयपूर्वक पुष्टि की जा सकती है एवं जिन्हें 'भाष्य की दुनिया' (World of discours) में सच कहकर स्वीकार किया जाता है।" परंतु उपरोक्त उद्धरण वस्तुत: परिभाषा की ओर संकेत कम करता है, उसके पद्धतिशास्त्रीय आधार की ओर अधिक। इसे परिभाषित करते समय पॉलिन यंग ने तथ्य को केवल मूर्त चीजों तक ही सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार विचार, अनुभव एवं भावनाएँ भी तथ्य हैं। विशेषकर सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में।

गुडे एवं हॉट ने संक्षेप में तथ्य को एक अनुभव सिद्ध सत्यापनीय निरीक्षण माना है।

मे ब्राडबेक के अनुसार–तथ्य के अर्थ को स्पष्ट करते हुए ब्राडबेक ने लिखा है कि यह एक विशेष संबोधन (Thing) की ओर संकेत करता है (जैसे) कोई घटना या घटना के प्रकार या किसी स्थान में गृह स्वामियों का अनुपात आदि। उनके अनुसार किसी तथ्य को प्रस्तुत करने का अर्थ यह है कि हमारी अवधारणाओं को पुष्ट करने के लिये उदाहरण मिलते हैं।

तथ्य को परिभाषित करने में दूसरा प्रमुख दृष्टिकोण उन विचारकों का है जो तथ्य को केवल सामाजिक परिवेश में प्रस्तुत करना चाहते हैं। इसका तर्क यह है कि वस्तुत: सामाजिक अनुसंधान में हमारा सीधा संबंध सामाजिक तथ्यों से ही है। इसी दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए प्रारंभ में दुर्खीम द्वारा दी गई परिभाषा की चर्चा की गई है।

इन दृष्टिकोण को अपने समक्ष रखकर हम फेयर चाइल्ड द्वारा दी गई तथ्य की परिभाषा पर विचार कर सकते हैं, जिसमें एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

फेयर चाइल्ड के अनुसार–"तथ्य कोई प्रदर्शित की गई या प्रकाशित की जा सकने योग्य वास्तविकता का पद, पद या विषय है। तथ्य एक घटना है जिसके निरीक्षणों एवं मापों के विषय में सभी में बहुत अधिक सहमति पाई जाती है।"

समाजशास्त्र विश्वकोश के अनुसार–तथ्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "एक तथ्य यथार्थता की कोई प्रामाण्य घटना है जिसकी प्रामाणिकता की पुष्टि आनुभविक आधार पर संभव होती है। विज्ञान के तथ्य प्रेक्षण-परीक्षण की उपज होते हैं। घटनाओं के संबंध में ऐसे कथन ही तथ्य की श्रेणी में आते हैं जिनका आनुभविक आधार पर परीक्षण किया जा सके।"

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर तथ्य की सामान्य विशेषताएँ निम्नांकित रूप में प्रस्तुत की जा सकती हैं:

1. सामाजिक अनुसंधान के परिप्रेक्ष्य में हम 'तथ्य' उसी को मानेंगे जिसका निरीक्षण वैषयिक रूप में संभव हो, अर्थात् जिसकी वैषयिकता स्वयंसिद्ध हो।
2. तथ्य एकांगी नहीं होते, अर्थात् किसी तथ्य का संबंध अनेक तथ्यों से हो सकता है। अत: ये अंत: संबंधित होते हैं। जैसी हमारी आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और उसी संदर्भ में हम इसकी व्याख्या कर देते हैं।
3. तथ्य घटना के रूप में वह सत्य है जो वास्तविक रूप में हमारे समक्ष विद्यमान हैं अथवा था। अत: यह प्राय: प्रत्यक्षदर्शी (Emperical) है।
4. कोई तथ्य मूर्त या अमूर्त दोनों ही हो सकता है अर्थात् उसका प्रत्यक्ष दर्शन भौतिक या शरीरिक रूप में तथा मानसिक या भावात्मक रूप में भी संभव है। अत: तथ्य ज्ञानेन्द्रिय ग्राह्य (Senses perception) भी है और अतिन्द्रिय ग्राह्य (extra sense perception) भी है।
5. तथ्य एकांत अनुभव से भी प्राप्त हो सकते हैं लेकिन जब उनकी विश्वसनीयता अन्य के द्वारा भी परीक्षण योग्य हो सके तभी ही हम उसे वास्तविक तथ्य (pertinent facts) के रूप में स्वीकार करेंगे। अत: यह परीक्षण योग्य होता है।

6. तथ्य किसी अवधारणा की सृष्टि में सहायक भी होते हैं तथा उसकी पुष्टि भी करते हैं। अत: यह बहुउन्मेशी (multi-oriented) भी होते हैं। यही नहीं, बल्कि ये ही तथ्य सिद्धांत-निर्माण की प्रक्रिया (process of theory building) में कड़ी का कार्य करते हैं।

नोट

तथ्य की उपर्युक्त विशेषताओं में हम इस बात से तो आश्वस्त हो ही जाते हैं कि इनका अध्ययन, संकलन या प्रतिवेदन वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। तथ्य की विशेषताओं पर लिखते हुए प्राय: सभी विचारकों ने इसके एक विशेष पक्ष को गौण रखा है या उसकी चर्चा ही नहीं की है। इस ओर ज्योंबर्ग एवं रोजर नेट (Gideon SJoberg and Roger Nett) ने संकेत किया है। तथ्य स्वीकारात्मक (Positive) और नकारात्मक (Negative) दोनों होते हैं और दोनों का सामाजिक क्रिया में उतना ही महत्त्व होता है। सामाजिक अनुसंधान में हम पहले कोटि के तथ्यों पर अधिक महत्त्व देते हैं, जबकि, सत्य यह है कि नकारात्मक तथ्य भी उतने ही महत्त्वपूर्ण हैं। समाज वैज्ञानिक इन नकारात्मक तथ्यों की उपेक्षा नहीं कर सकता। अक्रिया (Non-action) स्वयं ही एक क्रिया (action) के रूप में तथ्य है, जैसे राष्ट्रीय गान के समय उठकर खड़ा नहीं होना अक्रिया है लेकिन यह स्वयं एक तथ्य है और महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

सामाजिक तथ्य (Social Facts)

सामान्यतया कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य एक अत्यंत जटिल विचार है, जिसमें बाह्यता, बाध्यता और अपरिहार्यता के गुण विद्यमान होते हैं दुर्खीम के मतानुसार समाजशास्त्र सभी मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं करता है, अपितु, सामाजिक तथ्य ही समाजशास्त्र के अध्ययन की विषय-वस्तु हैं

सामाजिक तथ्यों को दुर्खीम वस्तुओं के रूप में देखता है। दुर्खीम ने अपनी पुस्तक (The Rules of Sociological Method) के अंतर्गत 'वस्तु' शब्द का प्रयोग चार अलग-अलग संदर्भों में किया है, जो निम्नलिखित हैं:

1. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन विशिष्ट गुणों को ऊपरी तौर पर देखा जा सकता है।
2. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे अनुभव के माध्यम से ही जाना जा सकता है।
3. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसका अस्तित्व मनुष्य पर नहीं अपितु समाज पर निर्भर करता है।
4. सामाजिक तथ्य एक ऐसी वस्तु है जिसे बाहरी स्तर पर देखकर जाना जा सकता है।

दुर्खीम के मतानुसार सामाजिक तथ्य वास्तव में सामूहिक चेतना को व्यक्त करते हैं। इसीलिए सामाजिक तथ्य सामाजिक घटनाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। अत: सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक घटनाओं की मुख्य विशिष्टताओं का आसानी से पता लागाया जा सकता है। चूँकि 'वस्तु' के रूप में सामाजिक तथ्यों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण किया जा सकता है, इसलिए सामाजिक तथ्यों को सामाजिक घटनाओं का बोध करने के वैज्ञानिक आधार के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इसका वस्तुनिष्ठ रूप में (Objectively) निरीक्षण किया जा सकता है। वस्तु के रूप में सामाजिक तथ्य को स्वीकार करने का आशय यही है कि सामाजिक तथ्य कोई काल्पनिक धारणा, विश्वास अथवा विचार नहीं होता है, अपितु इसका अस्तित्व यथार्थ पर आधारित होता है। इस यथार्थ धरातल पर सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक बोध आसान हो जाएगा।

एक सामाजिक तथ्य व्यवहार (सोचने-समझने, अनुभव करने या क्रिया संपादित करने) का एक भाग है जो प्रेक्षक की दृष्टि में वस्तुपरक है तथा जिसकी प्रकृति बाध्यतामूलक होती है।

अत: सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे व्यवहार या विचार, अनुभव या क्रिया को सामाजिक तथ्य कहा जाएगा जिनका निरीक्षण-परीक्षण हो सकता हो। इस कथन के अनुसार 'भगवान' सामाजिक तथ्य नहीं हैं क्योंकि उनका निरीक्षण संभव नहीं है, जबकि उसी भगवान की सामूहिक प्रार्थना करना सामाजिक तथ्य है, क्योंकि इसका निरीक्षण संभव है।

नोट

सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए **दुर्खीम** ने लिखा है "एक सामाजिक तथ्य कार्य करने का वह प्रत्येक तरीका है, चाहे निश्चित हो या नहीं, जो कि व्यक्ति पर बाहरी दबाव डालने की क्षमता रखता हो।"

सामाजिक तथ्य को स्पष्ट करते हुए **दुर्खीम** ने लिखा है–"तथ्यों में, कार्य करने, सोचने, अनुभव करने के वे तरीके सम्मिलित हैं जो व्यक्ति हेतु बाहरी होते हैं तथा जो अपनी दबाव-शक्ति के माध्यम से व्यक्ति को नियंत्रित करते हैं।"

सामाजिक तथ्य को दूसरे शबदों में परिभाषित करते हुए दुर्खीम लिखते हैं "ये कार्य करने, सोचने या अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनमें व्यक्तिगत चेतना से बाहर भी अस्तित्व को बनाए रखने की उल्लेखनीय विशिष्टता होती है।"

अत: स्पष्ट होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ विशिष्ट तथ्य होते हैं अथवा सोचने कार्य करने एवं अनुभव करने के ऐसे तरीके होते हैं जो व्यक्ति पर बाध्यकारी प्रभाव डालते हैं जिन्हें प्राणिशास्त्रीय या मनोवैज्ञानिक तथ्य के रूप में न स्वीकार करके अपितु सामाजिक तथ्य के रूप में स्वीकार करना ही तर्कसंगत होता है। इस कड़ी में **दुर्खीम** का कथन है, कि विचार करने के ऐसे तरीकों को प्राणिशास्त्रीय घटनाओं के अंतर्गत स्वीकार नहीं करना चाहिए; क्योंकि उनमें क्रियाएँ तथा प्रतिनिधित्व सम्मिलित हैं। इसे मनोवैज्ञानिक घटनाओं से भी मिलाया नहीं जा सकता है। जिसका अस्तित्व वैयक्तिक चेतना और उसके माध्यम से ही होता है। इस प्रकार वे एक ढंग की घटनाएँ निर्मित करते हैं और मात्र इसी के लिए "सामा. जिक" शब्द का प्रयोग किया जाना चाहिए।"

उक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक तथ्य को स्पष्ट करने हेतु दुर्खीम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित दो शब्दों पर विशेष बल दिया है जिसे हम सामाजिक तथ्यों की विशेषता भी कह सकते हैं:

1. **बाह्यता (Exteriority)**–इसका आशय यह है कि सामाजिक घटनाओं या सामाजिक तथ्यों का निर्माण समाज के सदस्यों के माध्यम से ही होता है, जबकि सामाजिक तथ्य एक बार विकसित हो जाने के बाद पुन: व्यक्ति विशेष का नहीं रहता अपितु एक स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में उसकी अनुभूति की जाती है।
2. **बाध्यता (Constraint)**–समाज के अनेक सदस्यों के योगदान से सामाजिक तथ्यों का निर्माण होता है। इसी कारण से ये बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसीलिए ये व्यक्ति की रुचि के अनुरूप नहीं होते अपितु ये न सिर्फ व्यक्ति पर बाध्यकारी होते हैं वरन् व्यक्ति के व्यवहार तथा रुचियों को निर्देशित तथा नियंत्रित भी करते हैं। सामाजिक तथ्यों में सामाजिक बाध्यता या दबाव स्पष्ट करने हेतु दुर्खीम ने कतिपय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं यथा–समाज में प्रचलित अनेक सामाजिक तथ्य जैसे नैतिक नियम, धार्मिक विश्वास, वित्तीय व्यवस्थाएँ आदि मनुष्य के व्यवहार या कार्य-प्रणाली को प्रभावित करते हैं।

2.9 अवधारणा (Concept)

अवधारणा क्या है?

अवधारणा को सामान्यतया प्रत्यय अथवा संबोध भी कहा जाता है। वैज्ञानिक शोध में अवधारणा का प्रयोग यथार्थ के प्रत्यक्षीकरण, वर्गीकरण तथा बोध के लिए किया जाता है। सिद्धांत-रचना में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है। सिद्धांत-रचना के प्रथम स्तर पर मूर्त घटनाओं का अवधारणाओं के रूप में अमूर्तीकरण किया जाता है। तत्पश्चात् इन्हें तर्कसंगत आधार पर व्यवस्थित कर सिद्धांत में परिणत किया जाता है। अवधारणाएँ स्थिर नहीं होती हैं, अपितु इसके अर्थ में निरंतर संशोधन व परिमार्जन होता रहता है।

किसी भी वैज्ञानिक व्यवस्था की एक विशेष शब्दावली (Particular set of terminology) होती है। इसके अंतर्गत शब्द तो प्राय: अधिकांश वही होते हैं जिनका उपयोग हम दिन-प्रतिदिन की भाषा में करते

नोट

हैं परंतु, वैज्ञानिक व्यवस्था में इनके विशेष अर्थ होते हैं। ऐसे बहुत से शब्द खासकर सामाजिक विज्ञान में जिन्हें हम अपनी वैज्ञानिक शब्दावली के अंतर्गत भी मानते हैं तथा इनका सामान्य भाषा में भी प्रयोग होता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र के अंतर्गत 'समाज', 'संस्कृति', 'संस्था' आदि शब्दों के प्रयोग कुछ खास अर्थ में किये जाते हैं और इन्हें हम अपनी वैज्ञानिक शब्दावली के अंतर्गत भी स्थान देते हैं जबकि इन शब्दों का अर्थ सामान्य भाषा में भी किया जा सकता है। तथापि इन दोनों में इनका अर्थ एक समान नहीं होता है। सामान्य भाषा में हम असांस्कृतिक (uncultured) का प्रयोग खुले आम करते हैं। परंतु, मानवशास्त्र में यह प्रयोग अवैज्ञनिक तथा अव्यवहारिक माना जाता है। सामाजिक भाषा में गँवार को असंस्कृत कहते हैं। परंतु मानवशास्त्रीय शब्दावली में मनुष्य की बिना संस्कृति के कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस प्रकार चाहे कोई गँवार हो, बर्बर हो अथवा जंगली संस्कृति से पुष्ट होता है।

अवधारणा की जब हम व्याख्या करते हैं, तो कभी-कभी यह कहना कठिन हो जाता है कि शब्द मात्र शब्दावली का अंश है अथवा किसी अवधारणा को व्यक्त करता है। उपरोक्त शब्द समाज, संस्कृति आदि अवधारणाएँ भी हैं। प्रश्न यह उठता है कि हम इन्हें किस नाम से पुकारें इसी संदर्भ में हम अवधारणाओं के स्वरूप पर विचार करेंगे।

सर्वप्रथम हम यह मानकर चलते हैं कि किसी भी वैज्ञानिक व्यवस्था की शब्दावली में प्रयोग किए जाने वाले शब्द मानकीकृत (Standardised) हो जाते हैं तो उनका स्वरूप अवधारणा का हो जाता है। नये-नये शब्दों का चयन हम वैज्ञानिक शब्दावली के अंतर्गत करते रहते हैं। उनका उपयोग हम विश्लेषण में भी करने लगते हैं, फिर एकसमान अर्थ में ही सभी के द्वारा प्रयोग किये जाने लगते हैं, तब धीरे-धीरे उनका स्वरूप अवधारणा का होने लगता है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो मूल अंतर अवधारणा और शब्द में है वह अर्थ संप्रेषण के आयाम (Dimension of meaning communication) का है। उदाहरणार्थ, कोई शब्द मात्र एक अर्थ बतला सकता लेकिन, अवधारणा केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं होती अपितु एक विशेष अर्थ आयाम (meaning dimension) का संकेत करती है।

वैज्ञानिक व्यवस्था के अंतर्गत तथ्यों के किसी वर्ग या समूह या संकुल (Complex) को प्रदर्शित करने के लिए हम संक्षिप्त रूप में किसी एक शब्द अथवा कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे अवधारणा कहेंगे। इसमें दो तथ्य आवश्यक हैं। प्रथम, कोई अवधारणा जिन तथ्यों, वर्ग संकुलों का संकेत करती है वह स्थायी रूप से उन्हीं तथ्यों या संकुलों तक सीमित रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम अपनी सुविध. ानुसार किसी अवधारणा का अर्थ आयाम बढ़ाते-घटाते रहें। द्वितीय, अवधारणा का कुल संप्रेषित अर्थ न केवल उसकी अपनी प्रकृति को बतलाता है, बल्कि, अवधारणा का कुल सम्प्रेषित अर्थ आयाम से स्पष्टत: भिन्न भी कर लेता है। उदाहाणस्वरूप सांस्कृतिक मानवशास्त्र में संस्कृति और सभ्यता दोनों अवधारणाएँ न केवल अपने अर्थ आयाम को स्पष्ट करती हैं बल्कि एक से दूसरे को अलग भी करती हैं। अवधारणाओं की सृष्टि के लिए इन बातों पर अनुसंधानकर्ता का ध्यान अवश्य होना चाहिए।

अवधारणा की परिभाषा

समाजशास्त्र विश्वकोश के अनुसार–"किसी वस्तु, घटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेषण एवं बोध के आधार पर सीमित सामान्य विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए जिन विशिष्ट शब्द-संकेतों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वैज्ञानिक शब्दावली में अवधारणा, प्रत्यय या संबोध कहते हैं। एक अवधारणा, वस्तुओं, घटनाओं, व्यक्तियों, संबंधों, प्रक्रियाओं आदि व विशिष्ट वर्ग अथवा समूह को दिया गया एक विशिष्ट नाम अथवा संकेतात्मक पद हैं।"

सामाजिक अनुसंधान में अनुभवजन्यात्मक तथ्यों के आधार पर हम अवधारणाओं की सृष्टि करते हैं जो किसी निश्चित अर्थ या प्रक्रिया की ओर संकेत करती हैं। पालिन यंग ने अवधारणा को मात्र शब्द संकेत (Word Indicator) न मानकर प्रक्रिया संकेत (process indicator) माना है। अत: कोई अवधारणा न केवल तथ्यों के किसी वर्ग को या उसकी विशेषताओं को या विलक्षणताओं को कम से कम शब्दों के द्वारा संकेत करती है बल्कि तथ्यों की प्रकृति, परिवर्तन अथवा उनकी प्रक्रिया के एक व्यवस्थित एवं तार्किक रूप में आधार की ओर भी संकेत करती है। ये (अवधारणाएँ) सभी परिवर्तनों, प्रक्रियाओं अथवा स्थिति विशेष जिनका व्यवस्थित एवं तार्किक प्रक्रिया से अध्ययन हुआ है, उनका सामान्यीकरण (generalisations)

करती हैं। संक्षेप में पालिन यंग ने अवधारणा को परिभाषित करते हुए लिखा है, "अवधारणा तथ्यों के एक वर्ग या समूह की एक संक्षिप्त परिभाषा है।" **एकॉफ (Russell L. Ackoff)** ने अवधारणाओं को स्पष्ट करते हुए इसके प्रकार्यात्मक पक्षों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। एकॉफ का मत है कि अवधारणाओं की आवश्यकता किसी समस्या के निर्माण और उसके समाधान के लिए प्ररचना तैयार करने में होती है। इस प्रकार अवधारणा की परिभाषा के अंतर्गत इसके शाब्दिक एवं प्रकार्यात्मक अर्थ का समावेश होता है।

अवधारणा की विशेषताएँ (Characteristics of Concept)

विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम अवधारणाओं की निम्नांकित विशेषताओं का उल्लेख कर सकते हैं–

1. अवधारणाओं के एक समूह की एक ऐसी संक्षिप्त परिभाषा होती है जिसे एक दो शब्दों में व्यक्त किया जाता है।
2. अवधारणा किसी व्यवहार प्रतिमान की संपूर्ण व्याख्या नहीं होती उसका संकेत मात्र होती है।
3. अवधारणा का निर्माण वैज्ञानिक चिंतन के आधार पर होता है।
4. अवधारणा का एक तार्किक आधार होता है और उसका निर्माण प्रत्यक्ष ज्ञान, वास्तविक निरीक्षण व यथार्थ अनुभव के बल पर होता है।
5. अवधारणा सिद्धांत का संक्षिप्त रूप नहीं होती वरन् तथ्यों के एक वर्ग की विशेषताओं को संक्षेप में बताने वाला तथ्य होता है।
6. अवधारणा में आवश्यकतानुसार परिवर्तन भी होता रहता है।
7. अवधारणा किसी विशेष व्यवहार प्रतिमान को अभिव्यक्त करने वाला एक संक्षिप्त और व्यवस्थित वक्तव्य है।
8. अवधारणा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है क्योंकि समय, स्थान एवं उपकरणों के परिवर्तन तथा नए तथ्यों की प्राप्ति के साथ इसमें अकसर परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है।
9. अवधारणा केवल एक सारांश नहीं है बल्कि यह तथ्यों के किसी एक वर्ग को संक्षेप में स्पष्ट करने वाला प्रतीक है।
10. अवधारणाएँ ही वह मुख्य आधार हैं जिनकी सहायता से उपयोगी परिकल्पनाओं का निर्माण किया जा सकता है।

अवधारणा का महत्त्व (Importance of Concept)

वैज्ञानिक अन्वेषण का अंतिम उद्देश्य सामान्य सिद्धांतों का निर्माण करना होता है जो वास्तव में एक उच्च-स्तरीय अमूर्तता की अवधारणात्मक योजना होती है। कोई न कोई अनुसंधानकर्ता जो अनुभवजन्य अवलोकन करना चाहता है तथा अपने अवलोकन का विश्लेषण करना चाहता है तो उसे अवधारणात्मक संरचना का सहारा लेना पड़ता है। समाजशास्त्र जिसमें कि कई अवधारणात्मक शब्दों को सामान्य बोलचाल की भाषा से लिया गया है, जैसे–परिवार, विवाह, जाति, वर्ग, नातेदारी आदि उनका अर्थ समाजशास्त्र में सामान्य अर्थों से भिन्न है इसलिए अवधारणाएँ सुस्पष्ट होनी चाहिए।

मर्टन का कथन है कि सिद्धांत अवधारणाओं से बनते हैं। अवधारणाएँ स्वयं में सिद्धांत नहीं होतीं; जब विभिन्न अवधारणाएँ परस्पर तार्किक रूप से जुड़कर उपकल्पनाओं का निर्माण करती हैं तो घटना की व्याख्या एवं विश्लेषण करने में सक्षम होने पर सिद्धांतों का निर्माण होता है।

अवधारणाएँ किसी भी प्रघटना, स्थिति एवं अनुभव का संक्षिप्तीकरण करके एक शब्द अथवा शब्द-समूह के माध्यम से अभिव्यक्त करने का तरीका है। हम व्यक्तित्व, भीड़ एवं समूह की विभिन्न विशेषताओं को इन अवधारणाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं, अतः अवधारणाओं के माध्यम से अभिव्यक्ति संभव होती है। अनुसंधान में अवधारणाओं के माध्यम से प्रघटनाओं को समझने में सहायता मिलती है।

नोट

अवधारणाएँ सिद्धांत में प्रमुख भूमिकाएँ निभाती हैं। अवधारणा का प्रत्येक शब्द सामाजिक जगत के एक विशेष पक्ष को व्यक्त करता है जिसे किसी विशिष्ट लक्ष्य की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण समझा जाता है।

अवधारणाएँ विषय की विशिष्ट भाषा का निर्माण करती हैं जिसके माध्यम से संचार संभव हो जाता है। अवधारणाओं का प्रयोग करने वाले एक अवधारणा का अर्थ समान अर्थ में ही समझते हैं। इसी संदर्भ में **गुडे** तथा **हाट** ने लिखा है, किसी भी विज्ञान से संबंधित अवधारणाओं को अत्यधिक विशिष्ट अर्थ में संप्रेषण योग्य होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार से अस्पष्ट अथवा संदेहपूर्ण नहीं होना चाहिए। बल्कि उनकी रचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि उनका निर्माण करने वाली सभी इकाइयों को समझा जा सके।"

इसी अवधारणा के वास्तविक अर्थ के संप्रेषण पर ही उसकी उपयोगिता और सफलता निर्भर है।

सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से अवधारणाओं का अमूर्तीकरण आवश्यक है। अमूर्त अवधारणाओं के माध्यम से ही सिद्धांत निर्मित कर विशिष्ट आनुभाविक प्रघटनाओं के घटित होने को दर्शाया जा सकता है।

अवधारणाओं का महत्त्व दर्शाते हुए **गुडे** एवं **हाट** ने लिखा है कि अवधारणा को विकसित करने की प्रक्रिया अनुभवजनित ज्ञान को प्राप्त करने व उससे निष्कर्ष निकालने में सहायक सिद्ध होती हैं। तथ्यों के एक वर्ग या समूह के गुणों को समझना, उनका अध्ययन करना, उन्हें व्यवस्थित और पृथक् कना अवधारणाओं के माध्यम से संभव होता है। अवधारणाएँ हमारे विचारों को पनपाने की दृष्टि से आवश्यक हैं।

एक अनुसंधानकर्ता जब नवीन तथ्य संकलित करता है तो वह यह अनुभव करने लगता है कि तथ्यों के वास्तविक अर्थ को स्पष्ट किए बिना उनका समुचित संचार संभव नहीं है और यह कार्य केवल अवधाारणाओं के विकास से ही हो सकता है। इस प्रकार से अवधारणाएँ वैज्ञानिक पद्धति का ही एक अंग हैं जिनके समुचित प्रयोग के बिना सामाजिक शोध को वस्तुनिष्ठ रूप नहीं दिया जा सकता। अंत में हम **मर्टन** के शब्दों में कह सकते हैं कि "हमारा अवलोकन तथा एकत्रित तथ्य कितने ही महत्त्वपूर्ण क्यों न हों किंतु अवधारणाओं के अभाव में किसी भी शोध का कोई महत्त्व नहीं है।"

2.10 सिद्धांत (Theory)

सामाजिक विज्ञानों में 'सिद्धांत' शब्द का प्रयोग हम प्राय: देखते हैं। समाज वैज्ञानिकों ने भी इसकी उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। परंतु जब कभी हम यह समझना चाहते हैं कि सामाजिक विज्ञानों में सिद्धांत का क्या अर्थ है तो इसके उत्तर में सिद्धांत से संबंधित अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की जाती हैं, जो न केवल परस्पर विरोधी होती हैं, बल्कि अस्पष्ट एवं संदिग्ध भी होती हैं। सिद्धांत (Theory), 'सैद्धांतिक उन्मेष' (theoretical orientation), 'सैद्धांतिक संदर्भ' (theoretical frame of reference), सैद्धांतिक विस्तार' (theoretical sketch), 'मॉडल' (model) ऐसे अनेक शब्द हैं जिनका प्रयोग सामाजिक विज्ञानों में कही तो एक-दूसरे के पर्यायवाची के रूप में किया गया है और कहीं-कहीं इन शब्दों में अंतर स्थापित किया गया है।

'सिद्धांत अवधारणाओं के माध्यम से व्यक्त किये गये सामान्यीकरण (generalisation) हैं। 'सैद्धांतिक उन्मेष' का अर्थ किसी अन्य सिद्धांत या सिद्धांत समूहों की ओर विशेष रूप से प्रभावित होता है जैसे मार्क्सवादियों (Marxists) के विचारों का उद्‌गम मार्क्स का साहित्य है। 'सैद्धाांतिक संदर्भ' किसी भी ऐसे कथन का सूचक है जो कि किसी अन्य सिद्धांत पर आधारित होते हैं जैसे, ज्योतिषशास्त्र में बहुत सारे सैद्धांतिक संदर्भ नक्षत्र विज्ञान के सिद्धांतों से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार 'सैद्धांतिक विस्तार किसी सिद्धांत पर आधारित उसका विस्तृतीकरण होता है। प्राय: सभी सिद्धांत अवधारणाओं की एक विशिष्ट कड़ी के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। इसमें हमारी सीमाएँ अंकित होती हैं। अनुसंधान प्ररचनाएँ (research designs) सिद्धांत के इस पक्ष से सीधा संबंध रखती हैं। 'मॉडल' सिद्धांत का समानार्थी शब्द नहीं है। लेकिन, कहीं-कहीं लोग छोटे-मोटे अनुसंधान मॉडलों को भी सिद्धांत की कोटि में रखने लगे हैं। प्राय: इन सभी मॉडलों का उन्मेष किसी न किसी सैद्धांतिक समूह की ओर होता है।

परसी कोहेन (Percy S. Cohen) ने भी अपनी पुस्तक 'मॉडर्न सोशल थ्योरी' में सिद्धांत के बारे में प्रकाश डाला है जिससे सिद्धांत से संबंधित हमारे सामान्य भ्रम दूर होते हैं और सिद्धांत का महत्त्व स्पष्ट होता

है। उनका कहना है कि सिद्धांत शब्द एक खुले चेक के समान है जिसका संभावित मूल्य उसके उपयोग करने वाले और उसके उपयोग तरीके पर निर्भर करता है। कोहेन का मत है कि जब हम किसी कथन को सिद्धांत की संज्ञा देते हैं तो हमारा अभिप्राय यह होता है कि उसका मूल्य 'मात्र तथ्यों' (mere facts) से अधिक है। सिद्धांत का महत्त्व इसीलिए स्वीकार किया जाता है कि वे तथ्यों से आगे निकल जाते हैं। यदि सिद्धांत तथ्यों से आगे नहीं निकलें तो उनका कोई मूल्य या महत्त्व नहीं रह जायेगा। तथ्य केवल उन कथनों (statements) को कहा जाता है जिनके बारे में हमारा विश्वास है कि वे किन्हीं विशिष्ट घटनाओं के बारे में जो घटित हुईं हैं, सच हैं। कभी-कभी हम भ्रमवश सिद्धांत का संबंध कुछ विशिष्ट घटनाओं से लगाते हैं। परंतु **कोहेन** ने इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि तथ्यों का संबंध घटनाओं की संपूर्ण शृंखला से होता है। इस बात को उसने एक उदाहरण द्वारा और स्पष्ट किया है। **कोहेन** के ही शब्दों में "यदि कोई यह कहता है कि उसने एक पत्ते को झड़ते हुए देखा है तो उसने एक तथ्य कहा है। परंतु, वह यह कहता है कि उसने प्रायः पत्तों को झड़ते देखा है, तो वह मात्र अनिर्दिष्ट विशिष्ट घटनाओं से संबंधित अनेक कथनों को एक साथ जोड़ता है, जो कि एक जटिल तथ्य है। परंतु यदि वह यह कहता है कि सभी पत्तों को अनिवार्य रूप से झड़ जाना है तो वह किसी तथ्य को न कहकर एक सिद्धांत को प्रस्तुत करता है; क्योंकि, जो कुछ उसने सभी पत्तों के बारे में कहा है वह वही नहीं जो उसने देखा है; कोई भी व्यक्ति सभी पत्तों का निरीक्षण नहीं कर सकता, क्योंकि, झड़ने वाले पत्तों की संख्या अनंत हो सकती है।"

कभी ऐसा कहा जाता है कि सिद्धांत या कुछ सिद्धांत केवल सामान्य तथ्य (general facts) मात्र हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। सभी सिद्धांत निश्चित रूप से तथ्यों से आगे निकल जाते हैं। इसी प्रकार जब तथ्यों के बारे में कोई कथन (statement) कहा जाता है तो उसका तात्पर्य यह होता है कि सभी कथन भी तथ्यों से आगे निकल जाते हैं। यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि सभी सिद्धांत तो तथ्यों से आगे निकल जाते हैं परंतु सभी कथनों को जो तथ्यों से आगे निकल जाते हैं, उन्हें सिद्धांत की कोटि में नहीं रखा जा सकता। अनुसंधान में, तथ्यों के आधार पर अनुसंधान से संबंधित समस्या के बारे में अनुमान (guess) लगाया जाता है और यही अनुमान अनुसंधानकर्ता की उपकल्पना (hypothesis) होती है। उपकल्पना स्वयं में कोई सिद्धांत नहीं है। यह केवल विशिष्ट घटनाओं या घटनाओं के विशिष्ट संकुलों (particular events or particular complexes of events) के बारे में अनुसंधानकर्ता का अनुमान है जिसकी सत्यता का परीक्षण होना बाकी है। उपकल्पना की सत्यता का परीक्षण हम निरीक्षण या किसी अन्य पद्धति द्वारा करते हैं और परीक्षण के उपरांत अनुसंधान से संबंधित आवश्यक अवधारणाओं को विकसित किया जाता है जिससे सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया में सहायता मिलती है।

सिद्धांत क्या है? (What is Theory\)

जब से मानव जाति ने शृंखलाबद्ध चिंतन प्रक्रिया (linked reflective thought process) का प्रारंभ किया है तब से ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं कि ये जाति अपने सतत निरीक्षण एवं अनुभव के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण करती रही है। किसी जाति, प्रजाति, समूह अथवा राष्ट्र को अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु अपने अनुभवों को योजनाबद्ध रूप में आने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना होता है। इतना निश्चित रहा है कि आदिकाल से ही जब से मनुष्य ने अपने समाज का संगठन किया है जातिगत संस्कृति की रक्षा हेतु लोगों ने आने वाली पीढ़ियों को अपना अनुभव हस्तांरित किया है। ये सिद्धांत कोई आवश्यक रूप में दार्शनिक ही नहीं होते बल्कि खेती, गृहस्थी से भी संबंधित हो सकते हैं। भारतवर्ष में मौसम तथा कृषि से संबंधित सिद्धांत व्यावहारिक रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहे हैं। अकाल के लक्षण, उपज, मौसम आदि सभी विषयों से संबंधित सामूहिक सिद्धांत अत्यंत ही लोकप्रिय रहे हैं। परंतु इन सिद्धांतों की लोकप्रियता का कारण कोई सांस्कृतिक या भावनात्मक रूढ़िवादिता नहीं है। बल्कि अनुभवजन्यात्मक अन्वेषण (empirical investigation) है। एक निश्चित सीमा के अंतर्गत एक निश्चित प्रक्रिया से अनुबद्ध किसी भी सिद्धांत का निंरतर परीक्षण किया जा सकता है। वस्तुतः आधार रूप में जो मतांतर सिद्धांत के संबंध में हैं, वही दृष्टिकोण अंतराल (attitudinal gap) है। उदाहरणस्वरूप, बुद्धिजीवियों का एक वर्ग यह मानता रहता है कि सिद्धांत परीक्षण योग्य या परीक्षण प्रस्तुत हों, यह आवश्यक नहीं है। इसके अंतर्गत प्रायः अतिन्द्रिय जगत के अनुभव, धार्मिक सिद्धांत आदि आते हैं। अन्य दृष्टिकोण के अनुसार सिद्धांत न केवल

बोधगम्य होता है, अर्थात् जिसका अर्थ सर्वसुलभ हो, बल्कि उसका परीक्षण भी सर्वसुलभ हो सके। इस दृष्टिकोण में अनेक विचारक आते हैं। अनुभवजन्यात्मक अनुसंधान (emperical research) के साधक भी इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं। वास्तव में भौतिक विज्ञान में भी सिद्धांत के ये दो पक्ष सर्वमान्य हैं। किसी सिद्धांत के पीछे हजारों वर्षों के अनुभव हो सकते हैं और होते भी हैं, और हजारों वर्षों का यही अंतराल उनकी क्षमता का परिचायक होता है। इस प्रकार सिद्धांत की सृष्टि देश और काल से बिल्कुल आबद्ध नहीं है। जब हमारे अनुभव, बार-बार के अनुभव, परीक्षित अनुभव, पुन:परीक्षित अनुभव एक व्यवस्थात्मक प्रतीक का रूप ले लेते हैं तो सिद्धांत की सृष्टि हो जाती है। इस पूरी सृष्टि की प्रक्रिया में निरंतर, बार-बार ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिनसे कुछ प्रकार के विचारों को अर्थ या संकेत मिला जाता है। इन्हें ही अवधारणाएँ कहते हैं। विचार अमर बेल की तरह होता है जिसकी जड़ें नहीं होतीं और जो किसी वृक्ष के सहारे ही जीता है, जो प्राय: स्वयं नहीं मरता, भले ही वृक्ष मर जाये। यही वृक्ष शब्द है। अत: किसी भी विचार को किसी न किस शब्द पर आश्रित होना पड़ता ही है। जैसे-जैसे हम विचार करते हैं, हमारे समक्ष निश्चित रूप से ये शब्द भी तैरते रहते हैं। लिखित रूप में अथवा मौखिक रूप में, इन्हीं के द्वारा विचारों का संप्रेषण भी होता रहता है। जब हम ऐसे कुछ निश्चित तथा विश्वसनीय शब्दों को खोज लेते हैं जो विचारों के वाहक के रूप में काम आते हैं और जब अनुभव व्यवस्थात्मक प्रतीक का रूप लेने लगते हैं तो सिद्धांत का जन्म हो जाता है। जो शब्द किसी अकेले अर्थ का द्योतक होता है उसे अंग्रेजी में शब्दावली (terminology) कहा जाता है जो शब्द अनुभवजन्यात्मक व्यवस्थात्मक प्रतीकों के अर्थ बतलाते हैं, वे अवधारणा बन जाते हैं, और इन्हीं सृष्टिगत एवं परीक्षित शब्दों और अवधारणाओं पर सिद्धांत का निर्माण होता है।

सिद्धांत के मूल तत्व (The Elements of Theory)

जे. एच. टर्नर के सिद्धांतों के चार मूल तत्वों की चर्चा की है, जो निम्नलिखित हैं–

1. अवधारणाएँ (Concepts)
2. परिवर्त्य अथवा चर (Variables)
3. कथन (Statements)
4. आकार (Formats)

सिद्धांत के उक्त चारों मूल तत्वों की व्याख्या करते हुए टर्नर ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि इन्हीं के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण होता है; टर्नर की इस व्याख्या को निम्नलिखित बिंदुओं पर विवेचित किया जा रहा है–

(I) अवधारणा (Concept)–अवधारणाएँ घटनाओं को प्रदर्शित करती हैं। समस्त यथार्थ में से आवश्यकतानुसार, जितने अंश को हम अलग करके समझते हैं, उसे अवधारणा कहते हैं। अवधारणा वह प्रतीक या शब्द (या शब्द-समूह) है जिसके द्वारा किसी यथार्थ का बोध होता है। जैसे, समूह की अवधारणा से दो या दो से अधिक व्यक्ति, नेतृत्व, शक्ति, सामूहिक उद्देश्य आदि यथार्थ समझे जाते हैं। समाजीकरण की अवधारणा से हम यह समझते हैं कि व्यक्ति भूमिका कैसे ग्रहण करता है। अपराध की अवधारणा से हम उस व्यवहार को समझते हैं जिससे सामाजिक, सांस्कृतिक या विधिक हानि पहुँचती है। सामाजिक भूमिका से हम यह समझते हैं कि व्यक्ति क्या करता है। यथार्थ को सीमित करके, प्रतीक या शब्दों से यथार्थ को समझना, अवधारणा का उद्देश्य है। अवधारणा की उपयोगिता निम्नलिखित है–

1. अवधारणाओं की रचना परिभाषा द्वारा की जाती है। परिभाषित पद का जब अवधारणा के रूप में प्रयोग किया जाता है तो, उसके माध्यम से, वैज्ञानिक घटनाओं का अवलोकन कर लिया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अवधारणा से उसी यथार्थ को समझता है जिसे अवधारणा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे, जब हम 'संघर्ष' की अवधारणा का प्रयोग करते हैं तो समझते हैं कि दो पक्षों में से एक पक्ष, दूसरे पक्ष की लक्ष्य-पूर्ति में, बाधा डाल रहा है।

2. अवधारणा से समान अर्थ-बोध (common meaning) का संचार होता है। वैज्ञानिक समुदाय का प्रत्येक सदस्य एक अवधारणा का एक ही अर्थ लगाता है। शब्दबद्ध होने के कारण अवधारणाएँ बिल्कुल तटस्थ (neutral) नहीं होतीं। गणित में जिस प्रकार प्रतीकों का (अंक चिह्न) तटस्थ बोध कराता है, उस प्रकार सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाएँ तटस्थ नहीं होतीं। इस कारण कुछ समाज वैज्ञानिक अवधारणा के स्थान पर इकाई (unit) का प्रयोग करने लगे हैं।
3. अवधारणाओं द्वारा यथार्थ को वर्गीकृत किया जाता है। वर्गों में बाँट देने से विश्लेषण में सहायता मिलती है।
4. यथार्थ का अमूर्त रूप (abstraction) अवधारणाओं द्वारा प्रकट होता है। अवधारणाएँ दो प्रकार की होती हैं।

(अ) वास्तविक अवधारणाएँ (Referent Concepts)—अवधारणाओं से ठोस, वास्तविक एवं तथ्यागत घटनाओं का बोध होता है। जैसे, अपराध, संघर्ष, हिंसा, परिवर्तन, विघटन आदि।

(ब) अवास्तविक अवधारणाएँ (Non-Referent Concepts)—जिन अवधारणाओं से ऐसे गुण या वस्तु का बोध होता है जो वास्तविक जगत में दिखाई नहीं पड़ती, परंतु सिद्धांत निर्माण या यथार्थ की व्याख्या करने में उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे, ईश्वर, स्वर्ग-नरक, सामाजिक संतुलन, विश्वआत्मा आदि का ठोस अस्तित्व तो नहीं होता किंतु इनसे सामाजिक घटनाओं की समझ अवश्य होती है। गणित के सभी अंक और चिह्न मात्र प्रतीक स्वरूप होते हैं, परंतु उनसे यथार्थ की रचना, यथार्थ की मात्रा या वर्गीकरण निर्धारित होता है।

अवधारणाओं के आमूर्त चरित्र से एक समस्या उठ खड़ी होती है। हर क्षण बदलने वाले जगत के विषय में अवधारणाएँ किस प्रकार आवश्यक ज्ञान दे सकती हैं। इस कठिनाई को दूर करने के लिए कार्यकारी परिभाषा (Operational definition) या अवधारणा का निर्माण किया जाता है। अपनी आवश्यकतानुसार घटनाओं की कार्यकारी परिभाषा वैज्ञानिक बना लेता है। उसके अध्ययन में किसी अवधारणा से केवल वही और उतना ही समझा जायेगा, जितना कि कार्यकारी परिभाषा में वह रखना चाहता है। जैसे, किसी अध्ययन में अपराधी की कार्यकारी परिभाषा देते हुए कहा गया हो "व्यक्ति जो अदालत से सजा पाता है, अपराधी है।" "मरीज वह है जो अस्पताल में रोगी की हैसियत से पंजीकृत किया गया है।" "ग्रामीण नेता वह है जो निर्वाचन द्वारा किसी स्थानीय निकाय का पदाधिकारी चुना गया है।"

अवधारणाओं से यथार्थ परिभाषित और वर्गीकृत होता है। यथार्थ को व्यवस्थित रूप देने के लिए अवधारणाओं का प्रयोग किया जाता है।

(II) परिवर्त्य अथवा चर (Variables)—यह भी अवधारणा है। अवधारणाएँ दो तथ्य प्रगट करती हैं। पहला, घटनाओं का केवल नामकरण करती है। दूसरा, घटनाओं में अंशों का अंतर प्रगट करती है। जैसे 5 से 10 वर्ष के बालक, 11 से 15 वर्ष के बालक, अधिक संयुक्तता वाले संयुक्त परिवार, कम संयुक्तता वाले संयुक्त परिवार। इस प्रकार की अवधारणाओं को परिवर्त्य अथवा चर भिन्नता कहते हैं। टॉलकट पारसन्स सिद्धांत-निर्माण की प्रक्रिया (Process of theory building) पर जोर देते हुए सिद्धांत की व्याख्या करता है, वहीं मर्टन सिद्धांत सूत्र की परिभाषा प्रस्तुत करता है। दोनों समाजशास्त्री यह स्वीकार करते हैं कि सिद्धांत की सृष्टि तथ्यों से ही होती है। पारसंस द्वारा दी गई परिभाषा में इन्हीं ज्ञात तथ्यों पर बल दिया गया है। अर्थात् दूसरी प्रक्रिया की ओर संकेत किया गया है। इन्हीं ज्ञात तथ्यों से अवधारणों की भी सृष्टि होती है। जब अवधारणाएँ योजनाबद्ध रूप में अंतर्सम्बन्धित होकर किसी सत्य का उद्घाटन करती हैं तो सिद्धांत का जन्म हो जाता है। इस प्रकार इन दोनों परिभाषाओं में तथ्यगत अंतर देखने को नहीं मिलता।

मर्टन द्वारा दी गई सिद्धांत की परिभाषा को लूमिस (P. Loomis) ने भी स्वीकार किया है।

लूमिस के अनुसार–"तर्कसंगत रूप में अंत:संबंधित ऐसी अवधारणाएँ जिन्हें निरीक्षणों द्वारा सुझाये गये प्रस्तावों में संयुक्त किया गया हो, एक सिद्धांत का निर्माण करती है।" इस प्रकार मर्टन के समान लूमिस भी सिद्धांत को अवधारणाओं का योजनाबद्ध संयुक्तीकरण मानते हैं।

नोट

उपरोक्त परिभाषाओं से मूलत: तीन महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं–(1) सिद्धांत एवं अवधारणाएँ केवल उन्हीं तथ्यों पर आधारित होते हैं जिनकी विश्वसनीयता सिद्ध है। (2) सिद्धांत अवधारणाओं का योजनाबद्ध प्रस्तुतीकरण है। (3) सिद्धांत हमारे विस्तृत निरीक्षणों को योजनाबद्ध रूप में प्रस्तुत करने के लिये सुलभ कड़ी है।

ज्योंबर्ग एवं **रोजरनेट** ने वैज्ञानिक सिद्धांत की परिभाषा देते हुए इसे विस्तृत निरीक्षणों की कड़ी (link) के रूप में प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार ऐसे सभी निरीक्षण जिन्हें सिद्धान्त अर्थपूर्ण रूप में जोड़ता है, अनुभवजन्यात्मक अर्थपूर्णता के भी द्योतक होते हैं। इसी आधार पर **ज्योंबर्ग** एवं **रोजरनेट** ने विज्ञान में सिद्धांत के तीन मुख्य आयामों (dimensions) की चर्चा की है–(1) एक विस्तृत तर्कयुक्त संरचना अथवा स्वरूप, (2) वे सामान्यीकरण या प्रस्ताव जो अनुभवजन्यात्मक तथ्यों को एक प्रतिमान देते हैं तथा (3) वे अनुमान (assumptions) जो वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्यों की प्रकृति से संबंधित होते हैं।

सिद्धांत से संबंधित **टॉलकट पारसन्स** ने जिन्हें सिद्धांत के आवश्यक तत्व कहा है, उन्हीं को **ज्योंबर्ग** और **नेट** आयाम कहते हैं। इसी को सूत्ररूप में **पारसन्स** ने कहा है, "एक सैद्धान्तिक व्यवस्था अनुभवजन्यात्मक संदर्भ के तर्कसंगत रूप में **अंत:निर्भरशील** (logically interdependent) सामान्यीकृत अवधारणाओं का एक समूह है।" इस सूत्र में पारसन्स ने अवधारणाओं पर भी एक अंकुश लगा दिया है, अर्थात् अवधारणाओं को अंतत: योजनाबद्ध किस प्रकार किया जा सकता है या किन अवधारणाओं को योजनाबद्ध किया जा सकता है, इसके लिए पारसन्स ने एक आधार प्रस्तुत किया है। इसका अर्थ यह है कि अवधारणाएँ तर्कसंगत रूप में अंत:निर्भरशील होनी चाहिए। इस प्रकार सभी अवधारणाएँ जिनका संदर्भ हम सिद्धांत निर्माण में लेते हैं वे एक-दूसरे को भी स्वत: सिद्ध करती रहती हैं।

पारसन्स द्वारा दी गई परिभाषा का अधिक सुगम रूप समकालीन पद्धतिशास्त्रियों (contemporary methodologist) ने प्रस्तुत किया है। उदाहरणस्वरूप **ज्योंबर्ग** तथा **रोजरनेट** ने लिखा है, "वैज्ञानिक सिद्धांत विस्तृत निरीक्षणों की एक कड़ी है। अधिक विशिष्ट एवं तार्किक दृष्टि से सिद्धांत अंत:संबंधित प्रस्तावों (propositions) या कथनों (statements) का समूह (set) है। जो अनुभवजन्यात्मक रूप में अर्थपूर्ण होते हैं तथा साथ ही वे उन अनुमानों (assumptions) के लिये भी अर्थपूर्ण होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता अनुसंधान में अपनाई गई पद्धति एवं आंकड़ों के लिए चुनता है।"

उपर्युक्त परिभाषा में वैज्ञानिक सिद्धांत के निर्माण की प्रक्रिया के अतिरिक्त दूसरी व्यावहारिक उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला गया है जैसे, सिद्धांत अनुभवजन्यात्मक रूप में तो अर्थपूर्ण होते ही हैं, साथ ही उन अनुमानों के लिये भी महत्त्वपूर्ण हैं जिनका हम निर्माण, परीक्षण तथा पुन: परीक्षण अनुसंधान में करते रहते हैं।

सारांश रूप में यह कहा जा सकता है कि सिद्धांत हमारे उन अनुभवों पर आधारित होते हैं जो तर्कयुक्त होते हैं और अंत: निर्भरशील भी होते हैं। लेकिन ऐसे सभी अनुभव बार-बार परीक्षित हो गए हों ताकि वे अवधारणाओं का रूप ले सकें। इन्हीं अवधारणाओं को जब हम तर्कसंगत रूप में योजनाबद्ध करते हैं, तो सिद्धांत कहते हैं।

जे. एच. टर्नर के अनुसार–"सिद्धांत, एक मानसिक क्रिया है। यह विचारों के विकास की प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि कोई घटना क्यों और कैसे घटती है।"

माइकल हेरालॉम्बस के अनुसार–"सिद्धांत ऐसे विचारों का समुच्चय है, जो इस बात का दावा करते हैं कि कोई चीज किस प्रकार से कार्य करती है।"

समाजशास्त्र विश्वकोश के अनुसार–"विभिन्न परिवर्त्यों या चर (Variables) के मध्य कारणात्मक संबंधों को प्रदर्शित करने वाले प्रस्थापनाओं के एक समूह को सिद्धांत कहते हैं। यह एक ऐसा सामान्यीकरण

है जिसे तथ्यों के एक बृहद समूह के प्रमाणीकरण के बाद प्राप्त किया जाता है। सिद्धांत किसी घटना के संबंध में 'क्यों' और 'कैसे'? के प्रश्नों के उत्तर देने का एक तरीका है।"

2.11 परिकल्पना का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Hypothesis)

नोट

परिकल्पना सिद्धांत के क्षेत्रों में पाये जाने वाले ऐसे कथनों को कहते हैं जिन्हें परीक्षण की कसौटी पर कसा जा सकता है। एक परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों (variables) के बीच पाये जाने वाले संबंधों का अनुभवात्मक रूप से परीक्षण करने योग्य कथन है। परिकल्पना एक तीक्ष्ण अनुमान है जिसका प्रतिपादन तथा अस्थायी स्वीकृति अवलोकित तथ्यों अथवा दशाओं की व्याख्या करने और अनुसंधान का आगे मार्गदर्शन करने के लिए किया जाता है। सामाजिक घटनाओं के अध्ययनों को वैज्ञानिक रूप प्रदान करने में परिकल्पना का निर्माण अति आवश्यक है। यह सफल अनुसंधान की एक आवश्यक शर्त है। विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम परिकल्पना को और भी अधिक उत्तमता से समझ सकते हैं।

विभिन्न विद्वानों ने प्राक्कल्पना को निम्न प्रकार परिभाषित किया है–

'वेबस्टर न्यू इण्टरनेशनल डिक्शनरी आफ दी इंगलिश लेंग्वेज' के अनुसार, "प्राक्कल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होती है जोकि संभवत: बिना किसी विश्वास के मान ली जाती है जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सकें और ज्ञात या निर्धारित किये जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जाँच की जा सके।"

लुण्डबर्ग के अनुसार, "एक प्राक्कल्पना एक कामचलाऊ सामान्यीकरण है, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है।"

गुडे एवं हाट के अनुसार, "प्राक्कल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है।"

पी. वी. यंग के अनुसार, "एक कार्यवाहक विचार जो उपयोगी खोज का आधार बनता है, कार्यवाहक प्राक्कलपना माना जाता है।"

गार्डस के अनुसार, "एक प्राक्कलपना एक प्रस्थापना (Proposition) है जिसका परीक्षण किया जाता है।"

पीटर एच. मन्न के शब्दों में, "प्राक्कल्पना एक कामचलाऊ अनुमान है।"

टाउन सैण्ड के अनुसार, "प्राक्कल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है।"

एम. एच. गोपाल के अनुसार, "यह ज्ञात व प्राप्त तथ्यों के सामान्य अवलोकन पर आधारित एक कार्यकारी अस्थायी उपचार अथवा हल होती है जो कि कुछ विशेष घटनाओं को समझने व अन्य खोज में मार्गदर्शन के लिए अपनायाी गयी है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि **प्राक्कल्पना एक ऐसा पूर्व विचार, निष्कर्ष, कथन, सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्या हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जाँच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक प्राक्कल्पना विभिन्न चरों (variables) के बीच संबंधों को स्थापित करती है। प्राक्कल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है,** नवीन ज्ञान प्राप्ति की प्रेरणा प्रदान करती है। प्राक्कल्पना की तुलना हम ध्रुव तारे या कुतुबनुमा से कर सकते हैं जो अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है और उसे सही दिशा बताती है। प्राक्कल्पना के अभाव में अनुसंधान के क्षेत्र में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

नोट

एक अच्छी परिकल्पना की विशेषताएँ (Qualities of a Good Hypothesis)

परिकल्पना केवल ख्याली पुलाव तथा मीठे सपने नहीं होने चाहिए वरन् ऐसी होनी चाहिए जिनका प्रयोग हम अनुसंधान में कर सकें। एक उत्तम और उपयोगी परिकल्पना में निम्नांकित विशेषताएँ अथवा गुण होने चाहिए–

(*i*) **स्पष्टता (Clarity)**–परिकल्पनाएँ दो दृष्टि से स्पष्ट होनी चाहिए, एक भाषा की दृष्टि से तथा दूसरी अवधारणा की दृष्टि से। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द और उनके कार्य तथा विचार स्पष्ट एवं भ्रमरहित होने चाहिए। जहाँ तक संभव हो विशिष्ट शब्दों की परिभाषा और व्याख्या भी दी जानी चाहिए। परिकल्पना में प्रयुक्त शब्द ऐसे हों कि दूसरे लोग भी उनका सही अर्थ समझ सकें। परिकल्पना की स्पष्टता अनुसंधानकर्ता की सूझबूझ और अनुभव पर भी निर्भर करती है।

(*ii*) **प्रयोगसिद्धता (Empirical Referents)**–परिकल्पनाओं में इस प्रकार की अवधारणाओं का उपयोग होना चाहिए। जिनकी सत्यता की जाँच वास्तविक तथ्यों के आधार पर की जा सके। परिकल्पना में किसी नैतिकता अथवा आदर्श को प्रस्तुत करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए अर्थात् उसमें 'अच्छे' और 'बुरे' जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। परिकल्पना वास्तविक तथा वैज्ञानिक आधार पर जाँच करने योग्य होनी चाहिए। इस प्रकार की आदर्शात्मक परिकल्पनाएँ जैसे दहेज हिंदू समाज पर एक कलंक है, संयुक्त परिवार वर्तमान परिस्थितियों में अनुपयोगी हैं, जीव हत्या पाप है, दान देना अच्छी बात है आदि शोध की दृष्टि से अनुपयुक्त मानी जाती हैं।

(*iii*) **विशिष्टता (Specificity)**–एक प्राक्कल्पना को अध्ययन विषय के किसी विशिष्ट पहलू से संबंधित होना चाहिए। सामान्य शब्दों में व्यक्त की गयी प्राक्कल्पना का परीक्षण करना कठिन होता है एवं उसका क्षेत्र भी विस्तृत एवं अनिश्चित होता है। ऐसी प्राक्कल्पनाएँ तथ्य संकलन की दृष्टि से अनुपयोगी होती हैं। अत: यह आवश्यक है कि उपयोगी अध्ययन के लिए हम विशिष्ट और छोटी-छोटी प्राक्कल्पनाएँ बनाएँ जो हमें तथ्यों के संकलन में, शोध को व्यवस्थित करने में एवं निष्कर्ष निकालने में सहायता प्रदान कर सकें।

(*iv*) **उपलब्ध-प्रविधियों से संबद्ध (Related to Available Techniques)**–प्राक्कल्पना का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी सत्यता की परख उपलब्ध प्रविधियों के द्वारा हो सके। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध प्रविधियों की जानकारी हो। ऐसी प्राक्कल्पनाएँ अनुसंधान की दृष्टि से व्यर्थ मानी जाती हैं जिनके परीक्षण के लिए हमारे पास प्रविधियाँ उपलब्ध न हों।

गुडे एवं हाट लिखते हैं कि "जो सिद्धांतकार यह नहीं जानता है कि उसकी प्राक्कलपना की जाँच के लिए कौन-कौन सी प्रविधियाँ उपलब्ध हैं, वह उपयोगी प्रश्नों के निर्माण में असफल रहता है।" अत: स्पष्ट है कि प्राक्कल्पनाएँ प्रचलित प्रविधियों की पहुँच में हों, किंतु इसका यह तात्पर्य नहीं है कि हम प्राक्कल्पनाओं की जाँच के लिए नवीन प्रविधियों का निर्माण नहीं कर सकते। वर्तमान में विभिन्न समस्याओं एवं प्राक्कल्पनाओं के अध्ययन हेतु वैज्ञानिकों ने अनेक नवीन प्रविधियों को विकसित किया है।

(*v*) **सिद्धांत-समूह से संबंधित (Related to By of Theory)**–**गुडे एवं हाट** कहते हैं कि सामाजिक अनुसंधान के नौसिखिये विद्यार्थी इस नियम की अक्सर अवहेलना कर जाते हैं कि उनकी प्राक्कल्पना किसी सिद्धांत से संबद्ध नहीं होती। सामान्यत: वे ऐसे विषय का चयन करते हैं जो उन्हें रुचिकर तथा आकर्षक प्रतीत होता है। वे इस बात का भी ध्यान नहीं रखते कि उनका अनुसंधान कार्य पूर्व प्रचलित किसी सिद्धांत को गलत प्रमाणित करने अथवा उसकी पुष्टि करने या उसे संशोधित करने में सहायक होगा या नहीं। वे लिखते हैं, "एक विज्ञान तभी संचयी बन सकता है यदि वह उपलब्ध तथ्यों तथा सिद्धांत समूह पर पूर्णतया लागू होता

है। यदि प्रत्येक अध्ययन एक पृथक् सर्वेक्षण के रूप में होगा तो विज्ञान का विकास नहीं हो सकता।" प्राक्कल्पनाएँ और सिद्धांत एक-दूसरे पर निर्भर हैं और विज्ञान के विकास के लिए प्राक्कल्पनाओं का निर्माण सिद्धांतों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए।

(*vi*) **सरलता (Simplicity)**—एक उत्तम प्राक्कल्पना में सरलता का गुण भी होना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि उसमें अनावश्यक रूप से अधिक कारकों को स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में प्राक्कल्पना जटिल एवं परीक्षण के अयोग्य हो जाती है। **श्रीमती यंग** का मत है कि जो अनुसंधानकर्ता अपनी समस्या से पूरी तरह परिचित है एवं सूझबूझ रखता है, वह प्राक्कल्पना का निर्माण आसानी से कर सकता है। वे लिखती हैं, "सरलता एक तेज धार वाला यंत्र है जो व्यर्थ की प्राक्कल्पनाओं तथा विवेचनाओं को काट भी सकता है, अत: इसे विलियम ओकम का उस्तरा (Occam's razor) कहा गया है।' सरलता का यह अर्थ नहीं है कि प्राक्कल्पनाएँ सामान्य जन के लिए भी बोधगम्य हों। बहुत अधिक सरल प्राक्कल्पनाएँ घातक भी सिद्ध हो सकती हैं।

परिकल्पना के प्रकार (Types of Hypothesis)

समाजशास्त्र एवं समाज-विज्ञानों में अनेक प्रकार की प्राक्कल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राक्कल्पनाएँ भी कई प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न प्रकार की प्राक्कल्पनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ का हम यहाँ उल्लेख करेंगे।

गुडे तथा हाट ने निम्नांकित तीन प्रकार की प्राक्कल्पनाओं का उल्लेख किया है—

1. **अनुभावत्मक समानताओं से संबंधित (Related to empirical uniformities)**—ये प्राक्कल्पनाएँ मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्तव्यों, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती हैं। उदाहरण के लिए, सामान्यत: ऐसी कहावतें प्रचलित हैं कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौआ, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ऐसी प्राक्कल्पना में समान तथ्यों की जाँच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है।
2. **जटिल आदर्श-प्रारूपों से संबंधित (Concerned with Complex ideal types)**—इस प्रकार की प्राक्कल्पनाओं में प्राय: एक सामान्य तथ्य अथ्वा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी प्राक्कल्पनाएँ अल्पसंख्यक समूहों तथा पारिस्थितिकी दशाओं (ecological conditions) से संबंधित होती हैं। उदाहरण के लिए, **बर्गेस** ने अपने अध्ययन में यह प्राक्कल्पना की थी कि "केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं।" इस प्रकार की प्राक्कल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी प्राक्कल्पनाओं के विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर्संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राक्कल्पनाएँ (Relational Hypothesis) भी कहते हैं। चूँकि ये प्राक्कल्पनाएँ तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती हैं, अत: ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती हैं। दुर्खीम ने अपनी प्रसिद्ध कृति 'आत्महत्या' में निम्नांकित संबंधात्मक परिकलपनाओं को विकसित किया था:

(*i*) गाँवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पायी जाती है।

(*ii*) स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं।

विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित (Related to Analytical Variables)—कुछ प्राक्कल्पनाएँ विश्लेषणात्मक चरों के संबंध से संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के लिए, बाल-अपराध के लिए मनोविश्लेषणावादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और

दुर्बलता को, तो वंशानुक्रमणवादी 'बुरे वंशानुक्रम' को उत्तरदायी मानते हैं। इस प्रकार की प्राक्कल्पना को कारणात्मक प्राक्कल्पना (Causal Hypothesis) भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर (कारक) में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर (कारक) को प्रभावित करता है।

कुछ अन्य प्रकार की प्राक्कलनाएँ (Some other Types of Hypothesis)

1. **सकारात्मक कथनों से संबंधित (Related to Positive Statements)**–कुछ प्राक्कल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है जैसे-पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु होती हैं। गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध करते हैं।
2. **नकारात्मक कथनों से संबंधित (Related to Negative Statements)**–इस प्रकार की प्राक्कल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ अधिक दयालु नहीं होतीं, गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते।
3. **शून्य कथनों से संबंधित (Related to Null Statements)**–इस प्रकार की प्राक्कल्पना में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है, जैसे–पुरुषों और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होता, गरीब एवं धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई सार्थक अंतर नहीं होता।
4. **कामचलाऊ प्राक्कल्पना (Working Hypothesis)**–**श्रीमती पी.वी. यंग** ने ऐसे पैने अनुमान व अस्थायी महत्त्वपूर्ण विचारों को जो किसी अनुसंधान का आधार बन सकते हैं, कामचलाऊ प्राक्कल्पना कहा है। कामचलाऊ प्राक्कल्पना किसी भी अध्ययन को प्रारंभ करने का एक प्रारंभिक विचार होता है। ज्यों-ज्यों अध्ययनकर्ता को अनुभव होता जाता है, वह उसमें परिवर्तन एवं संशोधन करता जाता है। यह भी हो सकता है कि वह प्रारंभिक विचार को पूरी तरह त्याग कर उसके स्थान पर नई प्राक्कल्पना बना ले। चूँकि यह विचार एक अस्थायी, कार्यवाहक और काम चलाऊ महत्त्व का होता है, इसलिए इसे कामचलाऊ या कार्यावाहक प्राक्कल्पना कहते हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में भौतिक वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि परमाणु अविभाज्य है, किंतु बाद में अध्ययन के आधार पर उन्हें यह प्राक्कल्पना बदलनी पड़ी, जब यह ज्ञात हुआ कि परमाणु का और अधिक विभाजन संभव है।

परिक्ल्पना का महत्त्व (Importance of Hypothesis)

अनुसंधान में प्राक्कलपना के महत्त्व को अनेक प्रकार से दर्शाया गया है। विद्वान इसकी तुलना ध्रुव तारे एवं कुतुबनुमा से करते हैं तो कुछ समुद्र में जहाजों को रास्ता दिखलाने वाले प्रकाश स्तंभ (Light house) से जो अनुसंधानकर्ताओं और वैज्ञानिकों को भटकने से बचाते हैं। **मैक्स** वेबर का मत है कि प्राक्कल्पना से प्रत्येक वैज्ञानिक गवेषणा में नए प्रश्नों को प्रोत्साहन मिलता है। **गुडे एवं हाट** का मत है कि "एक प्राक्कल्पना यह बताती है कि हम किसकी खोज कर रहे हैं।" उन्होंने आगे फिर लिखा है, "अच्छे अनुसंधान में प्राक्कल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है।"

इस प्रकार स्पष्ट है कि किसी भी अनुसंधान में प्राक्कल्पना के अभाव में निश्चयात्मक निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन है। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता अपने मार्ग से भटक सकता है। इसी के द्वारा वह सत्य और असत्य की पुष्टि करता है एवं विषय से संबंधित वास्तविकता का पता लगता है। प्राक्कल्पना के अभाव में अनुसंधान पतवारविहीन जहाज की भांति होता है।

प्राक्कल्पना के महत्त्व की विवेचना हम निम्न प्रकार कर सकते हैं–

1. **अध्ययन के उद्देश्य का निर्धारण (Determination of the Goal of the Study)**–प्राक्कल्पना हमारे अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करती है कि हमें किसकी खोज करनी है। अध्ययन के उद्देश्य को स्पष्ट करके ही हम उससे संबंधित तथ्यों की गवेषणा करते हैं। प्राक्कल्पनाएँ हमें यह बताती हैं कि हमें किन तथ्यों का संकलन करना है और किन का

नहीं, कौन-से तथ्य हमारे उद्देश्य के अनुरूप और सार्थक हैं तथा कौन-से निरर्थक। **कोहेन** एवं **नागेल** लिखते हैं, "प्राक्कल्पना के अभाव में अनुसंधान एक अनिश्चित तथा विचारहीन भटकाव की भांति है। उसके निष्कर्षों को स्पष्ट अर्थ वाले तथ्यों के रूप में प्रकट नहीं किया जा सकता है।" अध्ययन के उद्देश्य हमारे संकलन स्रोतों का भी निर्धारण करते हैं।

नोट

2. **उचित दिशा प्रदान करना (Providing Suitable Direction)**–प्राक्कल्पना अनुसंधानकर्ता के लिए पथ-प्रदर्शक का कार्य करती है, उसे इधर-उधर भटकने से रोकती है। इससे अध्ययनकर्ता का ध्यान मुख्य विषय पर ही टिका रहता है, प्राक्कल्पना उसे विभिन्न मार्गों में से केवल उचित और सही मार्ग पर ही ले जाती है। **वान डलेन** प्राक्कल्पना को ऐसे शक्तिशाली आकाशदीप के रूप में मानते हैं जो अनुसंधानकर्ता का मार्ग प्रशस्त करता है। **पी.वी. यंग** लिखती हैं, "इस प्रकार प्राक्कल्पना का प्रयोग एक दृष्टिहीन खोज तथा अंधाधुंध तथ्य-संकलन से रक्षा करता है जो बाद में अध्ययन-समस्या के लिए अप्रासंगिक और अनुपयुक्त हो सकते हैं।"
3. **अध्ययन क्षेत्र को सीमित करना (Restricting the Field of Study)**–**लुंडबर्ग** के अनुसार प्राक्कल्पना के आधार पर, "हम जान-बूझकर अपनी विचार शक्तियों को स्वीकार करते हैं और अपने अनुसंधान के क्षेत्र को सीमित करके त्रुटियों की संभावना को कम करने का प्रयास करते हैं।" प्राक्कलपना अनुसंधान कार्य की सीमा निर्धारित करके अध्ययनकर्ता का ध्यान अध्ययन विषय के एक विशिष्ट पहलू अथवा तथ्यों पर ही केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में प्राक्कलपना अध्ययन को एक निश्चित सीमा में बाँध देती है। अध्ययनकर्ता के लिए यह संभव नहीं है कि वह एक विषय से संबंधित सभी पक्षों का एक साथ अध्ययन करे। अत: यह आवश्यक है कि अध्ययन को विशिष्ट, यथार्थ और वैज्ञानिक बनाने के लिए उसे सीमित किया जाए।
4. **अध्ययन में निश्चितता लाना (Bringing Definiteness in the Study)**–प्राक्कलपना के द्वारा अध्ययन को सुनिश्चित बनाया जा सकता है। इससे अध्यनकर्ता को यह ध्यान रहता है कि उसे कब, कहाँ और कौन-सी सूचनाएँ संकलित करनी हैं। इससे अनियमितता एवं अव्यवस्था की संभावना नहीं रहती।
5. **तथ्यों के संकलन में सहायक (Helpful in Collection of Facts)**–प्राक्कल्पना अनुसंधानकर्ता को समस्या से संबंधित उपर्युक्त तथ्यों को संकलित करने को प्रेरित करती है। प्रारंभ में ऐसा भी हो सकता है कि वैचारिक अस्पष्टता के कारण हम तथ्यों के एक जंगल को एकत्रित कर लें। किंतु बाद में उनमें से हमें कुछ विशिष्ट तथ्यों का ही चुनाव करना पड़ता है। इस कार्य में प्राक्कल्पना सहायक होती है। **एम.एच. गोपाल** ने लिखा है, "प्राक्कल्पना के बिना अध्ययनकर्ता अनावश्यक यहाँ तक कि व्यर्थ सामग्री भी एकत्रित कर सकता है और वास्तव में महत्त्वपूर्ण तथा लाभकारी तथ्य उसकी दृष्टि से छूट सकते हैं।"
6. **निष्कर्ष निकालने में सहायक (Helpful in Drawing Conclusions)**–प्राक्कल्पनाओं के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और तथ्यों के आधार पर ही ज्ञात किया जाता है कि हमारी प्राक्कल्पनाएँ सत्य हैं अथवा असत्य। दोनों ही स्थितियों में हमें सत्यान्वेषण करना होता है जो कि इसके अभाव में नहीं हो सकता। नॉर्थ्रोप (Northrop) का मत है कि "किसी प्राक्कल्पना में विद्यमान तथ्य समस्या के सामधान भी हो सकते हैं, तथा वे वास्तव में समाधान हैं, यह जाँच का कार्य है।"
7. **सिद्धांतों के निर्माण में सहायक (Helpful in Formulation of Theories)**–**पीटर एच. मन्न** का मत है कि प्राक्कल्पना तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की कड़ी हैं। एम. एच. गोपाल के शब्दों में, "एक सिद्धांत तथा एक प्राक्कल्पना के बीच का अंतर प्रकार की अपेक्षा मात्रा का अधिक है, क्योंकि जब प्राक्कल्पना सत्य सिद्ध हो जाती है तथा स्थापित हो जाती है तो वह एक सिद्धांत का भाग बन जाती है। एक प्रकार से ये एक-दूसरे से विकसित होते हैं।"

विलियम जॉर्ज ने लिखा है, "व्यावहारिक रूप से एक सिद्धांत एक विस्तृत प्राक्कल्पना है, यह एक सरल प्राक्कल्पना की अपेक्षा अधिक प्रकारों के तथ्यों से संबंधित होती है।" किसी भी सामाजिक अनुसंधान का प्रारंभ हम प्राक्कल्पनाओं के आधार पर करते हैं। जब तथ्यों के आधार पर ये प्राक्कल्पनाएँ सत्य सिद्ध हो जाती हैं तो वे सिद्धांतों का रूप ले लेती हैं।

नोट

डा. सुरेंद्र सिंह ने प्राक्कल्पना के निम्नांकित कार्यों (महत्त्व) का उल्लेख किया है:

(*i*) अनुसंधान से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को स्पष्ट करना,
(*ii*) अनुसंधान को उत्तेजना प्रदान करना,
(*iii*) अनुसंधान की विधितन्त्रीय व्यवस्था को आधार प्रदान करते हुए निर्देशित करना,
(*iv*) प्रयोगात्मक प्रविधियों के मूल्यांकन की कसौटियाँ प्रदान करना,
(*v*) सिद्धांत के निर्माण के लिए कार्यकारी उपकरण के रूप में कार्य करना, तथा
(*vi*) निगमन पद्धति का प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकालने में सहायता पहुँचाना।

परिकल्पना की सीमाएँ (Limitations of Hypothesis)

प्राक्कल्पनाएँ सामाजिक अनुसंधान में मार्गदर्शन की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं फिर भी यदि इनका प्रयोग सावधानी से नहीं किया जाता है तो ये अध्ययन के लिए खतरा भी पैदा कर सकती हैं। इनके दोष या सीमाएँ निम्नांकित हैं:

1. **प्राक्कल्पना में अटूट विश्वास (Full Confidence in Hypothesis)**—कई बार अध्ययनकर्ता प्राक्कल्पना को अपने अध्ययन का मार्गदर्शक न मानकर उसे सिद्ध करने के पक्ष में ही तथ्यों का संकलन करता है। ऐसी स्थिति में अध्ययन की वैज्ञानिकता समाप्त हो जाती है। इसलिए ही **पी.वी. यंग** ने लिखा है, "एक अनुसंधानकर्ता को अपनी प्राक्कल्पना की शुद्धता को स्थापित करने के उद्देश्य से अध्ययन का प्रारंभ नहीं करना चाहिए।"
2. **प्राक्कल्पना पर आधारित तथ्य (Hypothesis based Facts)**—प्रारंभ में अध्ययनकर्ता प्राक्कल्पना के आधार पर ही तथ्यों का संकलन करता है, किंतु उसे चाहिए कि वास्तविक तथ्यों के आधार पर अपनी प्राक्कल्पना में संशोधन एवं परिवर्तन कर ले। ऐसा न करने पर संकलित तथ्य हानिप्रद एवं व्यर्थ सिद्ध होते हैं। इस संदर्भ में **फ्राई** (Fry) ने लिखा है, "मात्र विशिष्ट प्रश्नों के संदर्भ में ही तथ्यों का संकलन नहीं करना चाहिए वरन् एक संस्था अथवा परिस्थिति की गवेषणा में प्रश्नों को सदैव सुझाव के रूप में समझना चाहिए।"
3. **विशिष्ट अभिरुचियों तथा संवेगों का प्रभाव (Influence of Specific Interests and Emotions)**—कई बार अनुसंधानकर्ता अपनी किसी विशिष्ट रुचि और संवेग के कारण एक विशेष अध्ययन-विषय का चुनाव करता है और उसके प्रति प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाता है, तब उसके द्वारा किया जाने वाला अध्ययन अवैज्ञानिक हो जाता है।
4. **अध्ययनकर्ता का प्रतिष्ठा बिंदु (Prestige Point of the Investigator)**—कई बार अध्ययनकर्ता अपनी प्राक्कल्पना को श्रेष्ठ व सही मान लेता है और उसके साथ अपने सम्मान को जोड़ लेता है। ऐसी स्थिति में वह प्राक्कल्पना के विपरीति यथार्थ तथ्यों को भी स्वीकार नहीं करना चाहता। यह स्थिति वैज्ञानिक सत्य तक पहुँचने में बाधक है।

   स्पष्ट है कि यद्यपि प्राक्कल्पनाएँ अनुसंधान के लिए उपयोगी होती हैं, फिर भी उनके प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। इस संदर्भ में **वेस्टावे** (Westaway) ने उचित ही लिखा है, "प्राक्कलपनाएँ वे लोरियाँ हैं जो कि असावधान को गाना गाकर सुला देती हैं।" **पी.वी. यंग** लिखती हैं, "यदि अध्ययनकर्ता वास्तविक वैज्ञानिक भावना के आधार पर किसी विशेष परिस्थिति में तथ्यों को सिद्ध करने की ओर नहीं वरन् सीखने और समझने की ओर बढ़ता है, तब उसकी प्राक्कल्पना कोई निहित स्वार्थ नहीं बनेगी और यदि नवीन तथ्य उसकी प्राक्कल्पना को असत्य सिद्ध करते हैं तो उसकी ख्याति तथा प्रतिष्ठा को कोई आघात नहीं पहुँचेगा।"

नोट

परिकल्पना निर्माण में प्रमुख कठिनाइयाँ (Main Difficulties in Formulation of Hypothesis)

प्राक्कल्पना का निर्माण करना कोई सरल कार्य नहीं है। **गुडे** व **हाट** के अनुसार इसके अंतर्गत दो प्रकार की कठिनाइयाँ आ सकती हैं–सैद्धांतिक ढाँचे संबंधित तथा अध्ययन प्रणालियों से संबंधित।

I. सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित (Related to Theoretical Frame-Work)–प्राक्कल्पना के निर्माण में सैद्धांतिक ढांचे से संबंधित निम्नांकित कठिनाइयाँ आ सकती हैं:

1. **स्पष्ट ढांचे की अनुपस्थिति (Absence of definite frame-work)**–कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अनुसंधानकर्ता को विषय से संबंधित सिद्धांतों का ही ज्ञान नहीं होता है तब वह उपयुक्त प्राक्कल्पनाओं का निर्माण नहीं कर पाता। नवीन विज्ञानों के संदर्भ में यह बात अधिक खरी उतरती है।
2. **ढांचे के तार्किक एवं कुशल प्रयोग का अभाव (Lack of Logical and Effieicent use of Frame)**–यदि सैद्धांतिक ढांचा उपलब्ध है, किंतु प्राक्कलपना निर्माण में उसका प्रयोग तार्किक एवं कुशलतापूर्वक करने में अध्ययनकर्ता अक्षम है, तब भी सही प्राक्कल्पना का निर्माण नहीं किया जा सकता।

II. अध्ययन प्रणालियों से संबंधित (Related to Research Techniques)–वर्तमान वैज्ञानिक ज्ञान एवं अनुसंधान की प्रणालियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिनके बारे में सभी को जानकारी होना आवश्यक नहीं है। आज सामाजिक संबंधों का अध्ययन एवं अभिव्यक्ति गणितीय सूत्रों में की जाने लगी है। कंप्यूटर द्वारा अध्ययन में मदद ली जाती है। अतः यह आवश्यक है कि प्राक्कल्पनाओं के निर्माण में अध्ययनकर्ता अध्ययन-प्रणालियों को भी ध्यान में रखे ताकि अध्ययन में समय, श्रम और धन की बचत की जा सके।

1. **घटना की परिवर्तनशीलता**–सामाजिक घटनाओं की यह विशेषता है कि वे परिवर्तनशील हैं। जो स्थिति आज है, वह कल नहीं रहेगी। मानव के विचार, विश्वास, भावनाएँ और मनोवृत्तियाँ बदलती रहती हैं, अतः उनके बारे में अनुमान लगाना कठिन है। मानव संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक एवं उनके पारस्परिक संबंध भी बदलते रहते हैं, अतः उनके बारे में परिकल्पना का निर्माण करना एक कठिन कार्य है।
2. **अध्ययनकर्ता का पक्षपात**–प्राक्कलपना निर्माण में एक कठिनाई अध्ययनकर्ता की अभिनति या पक्षपात भी है। यदि वह किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है या किसी घटना के प्रति भावात्मक लगाव रखता है तो उसके द्वारा निर्मित प्राक्कल्पना के दोषपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होने की संभावना रहती है।
3. **सजातिवाद या समूह केंद्रितता (Ethnocentrism)**–दूसरों की तुलना में अपने समूह, जाति, प्रजाति के प्रति व्यक्ति के मन में संवेदनशीलता और भावात्मक लगाव होता है, जिसे सजातिवाद या समूह केंद्रितता कहते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति अन्य समाजों, समूहों एवं संस्कृतियों की तुलना में अपने समाज, समूह और संस्कृति को श्रेष्ठ समझता है। ऐसी स्थिति में प्राक्कल्पना निर्माण में व्यक्ति का स्वयं का पक्षपात आना स्वाभाविक ही है। **पी.वी. यंग** में प्राक्कलपना के निर्माण के समय अध्ययनकर्ता को तीन बातों का ध्यान रखने का सुझाव दिया है: (अ) अनुसंधानकर्ता की तीक्ष्ण दृष्टि, (ब) नियंत्रित कल्पना शक्ति तथा रचनात्मक चिंतन, (स) सैद्धांतिक ढांचे की उपलब्धता तथा उसका ज्ञान।

   अंत में हम **कोहेन** के शब्दों में कह सकते हैं कि "जो लोग विषय पूर्व ज्ञान के अभाव में कोरे मस्तिष्क से अनुसंधान कार्य आरंभ करते हैं, उन्हें वैज्ञानिक उपलब्धियाँ बड़ी कठिनता से प्राप्त होती हैं। कुछ प्राप्त करने के लिए हमें विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। किसी पूर्ण ज्ञान के अभाव में हम नहीं जान पाते कि किन तथ्यों को खोजना है तथा जाँच हेतु क्या प्रासंगिक है?" प्राक्कल्पना का निर्माण करते समय उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है।

नोट

2.12 सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति (The Social Survey Method)

इस पद्धति में किसी निर्धारित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के रहन-सहन तथा काम-काज की अवस्थाओं के संबंध में आँकड़ें इकट्ठे किये जाते हैं, ताकि उनकी दशा सुधारने एवं उनके कल्याण के व्यवहारिक सामाजिक उपायों की योजना बनायी जा सके।

सामाजिक सर्वेक्षण की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

(*i*) **मार्क अब्राम** (Mark Abrams)–"सामाजिक सर्वेक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समुदाय (community) की रचना और गतिविधियों के सामाजिक पक्ष से सम्बन्धित संख्यात्मक तथ्यों को संग्रहित किया जाता है।"

(*ii*) **ए. एफ. वैल्स** (A.F. Wells)–"सामाजिक सर्वेक्षण श्रमिक-वर्ग की निर्धनता तथा अन्य किसी समुदाय की प्रकृति और उसकी समस्याओं से प्रमुख रूप से संबंधित तथ्य-निरूपण का अध्ययन है।"

(*iii*) **ई. डब्यू. बर्गेस** (E.W. Burgees)–"सामाजिक सर्वेक्षण किसी समुदाय की अवस्थाओं और आवश्यकताओं का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका लक्ष्य उसकी सामाजिक प्रगति के लिए रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत करना है।"

इस प्रकार सामाजिक सर्वेक्षण का उद्देश्य सामाजिक महत्त्व की किसी समस्या से संबंधित आँकड़े एकत्रित करना है, ताकि उसको सुलझाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, यथा–(*i*) सामान्य या विशेष सर्वेक्षण, (*ii*) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण, (*iii*) जनसंख्या सर्वेक्षण या प्रतिदर्श (sample) सर्वेक्षण (*iv*) प्राथमिक या गौण सर्वेक्षण, (*v*) प्रारम्भिक या पुनरावृत्तिक सर्वेक्षण, (*vi*) सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी सर्वेक्षण, (*vii*) विस्तृत या सीमित सर्वेक्षण, (*viii*) सार्वजनिक या गोपनीय सर्वेक्षण, (*ix*) पत्रमाध्यमिक या वैयक्तिक सर्वेक्षण, (*x*) नियमित या तदर्थ सर्वेक्षण।

सर्वेक्षण में ये क्रम होते हैं–(*i*) उद्देश्य या लक्ष्यों की परिभाषा, (*ii*) अध्ययनगत समस्या की परिभाषा, (*iii*) सारिणी में इस समस्या का विश्लेषण, (*iv*) सभी लिखित स्रोतों का अवलोकन, (*v*) क्षेत्र या विषय-क्षेत्र का परिसीमन, (*vi*) क्षेत्रीय कार्य, (*vii*) आँकड़ों को इकट्ठा करना, क्रमबद्ध करना तथा उनका सांख्यिकीय विश्लेषण करना, (*viii*) निष्कर्षों की व्याख्या करना, (*ix*) निगमन, (*x*) रेखाचित्रीय अभिव्यक्ति।

इस प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षण बड़े लाभदायक होते हैं, क्योंकि वे सामाजिक एवं आर्थिक तथ्यों के विस्तृत वर्णन ही प्रस्तुत नहीं करते, बल्कि किसी भूक्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के बीच विद्यमान सामाजिक कुरीतियों को भी प्रकट करते हैं जिससे सरकार का ध्यान इन कुरीतियों को दूर करने की ओर आकृष्ट होता है। अमेरिका तथा इंग्लैंड में अपनी सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु व्यापक स्तर पर काफी समय से सामान्य तथा विशिष्ट दोनों प्रकार के सामाजिक सर्वेक्षणों का उपयोग किया जा रहा है। भारत तथा अन्य अर्द्धविकसित देश भी नगरीय तथा ग्रामीण स्तर पर किये जा रहे सामाजिक सर्वेक्षणों से लाभ उठा रहे हैं। ऐसे सर्वेक्षण अन्य उन्नत देशों की सहायता एवं सहयोग से अथवा स्वयं प्रयत्नों से किये जा रहे हैं।

2.13 प्रकरण-अध्ययन पद्धति (The Case Study Method)

प्रकरण अध्ययन का अर्थ है, "किसी व्यक्ति या समूह के बारे में शोध, जिसके परिवर्त्यों (variable) को जिन्हें मापा तोला जाता है एवं जिनके आनुभाविक संबंधों की खोज की जाती है, उस व्यक्ति, दशा या संस्था का अत्यन्त सावधानी एवं पूर्ण पर्यवेक्षण द्वारा गुणात्मक विश्लेषण होता है। इसका प्रयोग किसी व्यक्ति-विशेष, समूह, समुदाय या संस्था के अध्ययन में किया जाता है। इस पद्धति के पीछे यह धारणा है कि जिस प्रकरण (case) का अध्ययन किया जाता है, वह यदि सबका नहीं तो बहुत से समान प्रकरण ों का प्रतिनिधि होता है, अतः इस प्रकरण के अध्ययन से जो निष्कर्ष प्राप्त होंगे, उनमें सामान्य सिद्धांतों का निर्माण संभव होगा।" **बर्गेस** (Burgess) ने इसे 'सामाजिक सूक्ष्मदर्शकयंत्र' (social microscope) की

संज्ञा दी है। इस पद्धति का प्रयोग पेशेवर अपराधियों तथा अन्य सामाजिक रूप से विचलित व्यक्तियों के अध्ययन में किया जाता है जिससे उस 'केस' से संबंधित सभी तत्वों की छानबीन एवं उनका विश्लेषण तथा सभी संभव दृष्टियों से उनकी व्याख्या की जाती है। **एच. ई. जैनसन** (H.E. Jenson) का कथन है, "निश्चित रूप से प्रारूपिक (typical) सर्वेक्षण केवल किसी समुदाय का प्रकरणात्मक अध्ययन नहीं है, ठीक उसी प्रकार जैसे व्यक्तित्व का विशुद्ध व्यवहारवादी अध्ययन व्यक्ति का प्रकरणात्मक अध्ययन नहीं है; दूसरी ओर मुझे यह कहना चाहिए कि प्रकरण-अध्ययन पद्धति किसी भी आकार के समूह पर लागू हो सकती है और इसका प्रयोग व्यक्तित्व के अध्ययन से लेकर स्वयं सभ्यता के अध्ययन के लिए किया जा सकता है। किसी भी समुचित सामजशास्त्रीय अध्ययन में प्रकरण पद्धति एवं ऐतिहासिक पद्धति का योग होता है। **गुडे एवं हार्ट्ज** (Goode and Harts) के अनुसार "यह अध्ययनगत सामाजिक विषय के एकात्मक स्वरूप को बनाये रखने हेतु सामाजिक आँकड़ों को संग्रह करने का एक ढंग है।" दूसरे शब्दों में, "यह एक ऐसा उपागम है जो सामाजिक इकाई को उसके सम्पूर्ण रूप में देखता है।" इस पद्धति में प्रयुक्त उपाय हैं—साक्षात्कार, प्रश्नवलियाँ, जीवन-वृत्त, विषय से संबंधित सभी प्रलेख तथा अन्य सभी ऐसी सामग्री जिसका अध्ययनगत विषय से संबंध हो। संपूर्णतया इस पद्धति का मूलाधार है।

प्रकरण-अध्ययनों के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। लेविन (Lewin) का कथन है कि जब तक उन सभी प्रकरणों को, जिन्हें एक विशेष समूह में संग्रहित किया गया है, तुलनात्मक रूप से सिद्ध नहीं किया जाता, तब तक सांख्यिकीय पद्धतियों का प्रयोग भ्रममूलक होगा। दूसरे किसी व्यक्ति या समुदाय के व्यवहार को समझने अथवा उसके बारे में पूर्वकथन करने के लिए निदान अवश्य कर लिया जाना चाहिए, ताकि आनुभाविक नियमों में रखे जाने वाले अचरों (constant) के मूल्यों को खोजा जा सके। तीसरे कोई भी एक प्रकरण अन्य प्रकरणों से प्राप्त सामान्यीकृत नियम को झुठलाने के लिए काफी हो सकता है। ऐसी दशा में उन परिवर्त्यों का पता लगाना आवश्यक है जो सामान्यीकृत नियम की पुष्टि नहीं करते।

2.14 प्रश्नावली एवं साक्षात्कार पद्धति *(Questionnaire and Interview Method)*

प्रश्नावली तथा साक्षात्कार पद्धतियाँ समाजशास्त्रियों की प्रिय पद्धतियाँ हैं। प्रश्नावली किसी समस्या से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण एवं सुसंगत प्रश्न की एक सूची होती है। **लुंडबर्ग** (Lundberg) के अनुसार, "प्रश्नावली उद्दीपकों (Stimuli) का एक समूह है जिसके अंतर्गत शिक्षित व्यक्तियों को उनके शाब्दिक व्यवहार के पर्यवेक्षण हेतु छोड़ दिया जाता है।" यह सम्बन्धित व्यक्तियों तथा समितियों को इस निवेदन के साथ प्रस्तुत की जाती है कि अपनी योग्यता तथा अपने ज्ञान के अनुसार उन प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करें। इसका उद्देश्य ऐसे तथ्यों की जानकारी करना होता है जो ज्ञापक के पास होते हैं, परंतु शोधकर्ता के पास नहीं होते। कुछेक प्रश्नों के प्राप्त उत्तरों से सामाजिक व्यवहार के बारे में पूर्वकथन किये जाते हैं। यह आवश्यक है कि प्रश्नावली के प्रश्न सावधानीपूर्वक बनाये जाने चाहिए। प्रश्न अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, उनकी संख्या बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए और न वे इतने क्लिष्ट हों कि साधारण समझ और बुद्धि का व्यक्ति उनका उत्तर न दे सके।

किसी विशेष स्थिति या समस्या के बारे में आवश्यक आँकड़े इकट्ठे करने के लिए प्रश्नावली पद्धति सारे संसार में प्रयुक्त की जाती है। कुछ समय पूर्व हमारे देश में शिक्षा-प्रणाली के सुधार से संबंधित एक प्रश्नावली अध्यापकों, लोक-व्यक्तियों, वकीलों, विद्वानों आदि को भेजी गयी थी। इस प्रकार एकत्रित तथ्यों के आधार पर कोठारी आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दी थी।

साक्षात्कार पद्धति के अंतर्गत शोधकर्त्ता समस्या से संबंधित व्यक्तियों या समूहों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करता है। ऐसे व्यक्ति या समूह से वैयक्तिक स्तर पर बातचीत की जाती है जिससे संबंधित समस्या को अच्छी तरह समझने तथा उसका हल करने में बड़ी सहायता मिलती है। इस पद्धति का प्रयोग अनेक विद्वानों द्वारा अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियों को लिखने में किया गया है। कुछेक महत्त्वपूर्ण कृतियाँ ये हैं—डॉ. डिकिन्सन एवं डॉ. बीम की 'ए मेडिकल स्टडी ऑफ सेक्स एडजस्टमेन्ट' (A Medical Study of Sex Adjustment); डॉ. ए. सी. किन्से (A.C. Kinsey) की 'दि सेक्सुअल बिहैवियर इन दि ह्यूमन मेल एण्ड फीमेल (The Sexual Behaviour in the Human Male and Female) आदि। प्रश्नावली या साक्षात्कार

नोट

पद्धति द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। प्रश्नावली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि व्यक्ति अनाम रहकर अधिक ठीक उत्तर दे सकता है। इसमें अनियंत्रित वैयक्तिक प्रभाव भी नहीं पड़ते तथा प्रश्नों के उत्तर देने में पूर्वाग्रह की कम संभावना होती है। साक्षात्कार एक नमनीय पद्धति है, क्योंकि कोई प्रश्न भिन्न-भिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न प्रकार से समझा जा सकता है, अतएव साक्षात्कारकर्त्ता उस प्रश्न के अर्थ को भली प्रकार से समझ सकता है। वह सही उत्तर को भी उगलवा सकता है तथा उत्तर देने वाले व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार के आधार पर अंकन कर सकता है। वह प्रश्नों का क्रम बदल सकता है, ताकि उत्तरदाता उत्तर देने से पूर्व सम्पूर्ण सूची को न पढ़े।

2.15 लोकमत-संग्रह पद्धति *(The Public Opinion Poll Method)*

इस पद्धति का प्रयोग किसी विषय पर जनता के विचारों, उनकी भावनाओं एवं उनके दृष्टिकोणों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अमेरिका में 'लोकमत-संग्रह' बड़ा प्रिय है। वहाँ सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं पर लोकमत को जानने में प्राय: इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जनता संबंधित प्रश्नों के उत्तर 'हाँ' या 'नहीं मालूम' में देकर अपने मत को प्रकट करती है। उदाहरणतया, लोकमत इस विषय पर इकट्ठा किया जा सकता है कि क्या कार्टर-देसाई वार्ता विश्व-शांति में सहायक होगी; क्या संयुक्त राष्ट्रसंघ को इसकी असफलताओं के बावजूद कामय रखा जाये? जनमत-संग्रह पद्धति से प्राप्त परिणामों के आधार पर सत्ताधारी अपनी नीतियों में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं।

2.16 वर्स्टेहन पद्धति *(The verstehen Approach)*

सामाजिक घटना-वस्तु के अध्ययन हेतु कुछेक समाजशास्त्रियों ने, जिनमें **मैक्स वैबर** (Max Weber) का नाम सर्वप्रमुख है, इस पद्धति का समर्थन किया है। वर्स्टेहन (Verstehen) एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है समाजशास्त्रीय से समस्याओं को समझना। इस पद्धति के समर्थकों का कथन है कि पर्यवेक्षित तथ्यों का कोई मूल्य नहीं है यदि उनमें निहित अर्थों की खोज तथा उनका मूल्यांकन न किया जाये। अमेरिकी समाजशास्त्री **सी. एच. कूले** (C.H. Cooley) ने अपनी पुस्तक 'Sociaological Theory & Social Research' में कहा है कि व्यक्तियों के व्यवहार के महत्त्व को समझने के लिये यह आवश्यक है कि पर्यवेक्षण को उनकी चिन्तन प्रक्रिया तथा उनकी भावना में बैठना तथा उनकी मानसिक अवस्था के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहिए। केवल तभी व्यक्तियों की क्रियाओं को अच्छी प्रकार से समझा जा सकता है।

इस पद्धति पर अधिक प्रकाश डालते हुए **कूले** (Cooley) ने अपनी पुस्तक (Life and Student) में लिखा है कि एक-दूसरे व्यक्तियें के मतों के साथ तादात्म्य स्थापित करके ही उनके बारे में 'समझ' आ सकती है। तादात्म्य से अभिप्राय है कि उन व्यक्तियों की भाँति ही अपने से भी वैसी ही चिंतन प्रक्रिया की जाये तथा उनकी मानसिक अवस्था के साथ सम्पर्क स्थापित किया जाये।

स्पष्ट है कि इस पद्धति का प्रयोग मेधावी, सुशिक्षितों तथा सूझ-बूझ वाले व्यक्तियों द्वारा ही स्पष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए केवल यही पद्धति पर्याप्त नही। इसका प्रयोग वैज्ञानिक या आनुभाविक पद्धति के साथ मिलाकर किया जाना चाहिए, केवल तभी उत्तम परिणाम प्राप्त हो सकते हैं।

2.17 प्रकार्यात्मक पद्धति (The Functional Theory)

कुछेक समाजशास्त्रियों ने सामाजिक घटना-वृत्ति के अध्ययन में प्रकार्यात्मक उपागम को अधिक महत्त्व दिया है। इस पद्धति के अंतर्गत समाज के किसी भाग को उसके कार्यों, न कि उद्‌भव अथवा उपयोगिता के अर्थ में समझने का प्रयास किया जाता है। दूसरे शब्दों में, प्रकार्यवाद सामाजिक संस्थाओं, यथा परिवार, वर्ग, राज्य, धर्म आदि का अध्ययन तथा उनके द्वारा किये गये कार्यों के दृष्टिकोण से करता है। यह समाज के विभिन्न भागों का प्रकार्यात्मक विश्लेषण है। **आर. के. मर्टन** (R.K. Merton) के अनुसार, यह सिद्धांत, पद्धति एवं काल तीनों की संधि पर आधारित है। प्रकार्य ऐसा योगदान है जो आंशिक

गतिविधि द्वारा सम्पूर्ण गतिविधि जिसका कि यह भाग है, के प्रति किया जाता है। प्रकार्यात्मक पद्धति इस मान्यता से लेकर चलती है कि समाज की सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था अन्तः संबंधित तथा अन्तःनिर्भर भागों को मिलाकर बनी है। प्रत्येक भाग समूह के जीवन के लिए आवश्यक कार्य करता है तथा इन भागों को उनके द्वारा किये गये कार्यों अथवा उनके द्वारा पूरित आवश्यकताओं के अर्थ में ही समझा जाता है। चूँकि ये भाग परस्पर-आश्रित हैं, अतएव उनको पूर्णरूपेण समझने के लिए अन्य भागों तथा सम्पूर्ण सामाजिक व्यवस्था के साथ उनके संबंध को समझना होगा।

मर्टन (Merton) ने प्रकार्यात्मक विश्लेषण की निम्नलिखित प्रमुख प्रक्रियाओं का जिक्र किया है–

(*i*) प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं की स्थापना;

(*ii*) संरचना तथा प्रक्रियाओं की व्याख्या;

(*iii*) क्षतिपूरक प्रक्रियाओं की खोज;

(*iv*) संरचना का विस्तृत वर्णन;

(*v*) प्रकार्यात्मक व्यवस्थाओं का विस्तृत वर्णन।

मर्टन के अनुसार, सामाजिक घटना-वस्तु के प्रकार्यात्मक विश्लेषणों में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए।

(*i*) सामाजिक संरचना में सहभागियों की परिस्थितियों की खोज;

(*ii*) व्यवहार के विकल्पात्मक तरीके;

(*iii*) प्रतिमान के प्रति दृष्टिकोण का वर्णन;

(*iv*) प्रतिमान में सहभाग-हेतु अभिप्रेरणा;

(*v*) व्यवहार की संगुणित (associated) अनभिज्ञात नियमितताएँ।

प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग काम्टे (Comte), स्पेन्सर (Spencer) जैसे समाजशास्त्रियों तथा मेलीनोबस्की (Melinowski) एवं रैडक्लिफ ब्राउन (Radcliffe Brown) जैसे मानवशास्त्रियों द्वारा किया गया था। अमेरिकी समाजशास्त्रियों पार्सन्स (Parsons) तथा मर्टन ने इस पद्धति की विशद् व्याख्या की है तथा इसे संरचनात्मक प्रकार्यवाद पद्धति की संज्ञा दी है, क्योंकि यह सामाजिक घटना-वस्तु के अध्ययन में सामाजिक संरचना या संस्थाओं को महत्त्व देती है।

संरचनाओं से तात्पर्य व्यवस्था में प्रचलित प्रबंधों से है जो प्रकार्यों को निष्पादित करते हैं जबकि प्रकार्य क्रिया के प्रतिमानों के परिणामों-उद्देश्यों एवं प्रक्रियाओं से संबंधि होते हैं।

परंतु इस पद्धति के कुछ दोष हैं। समाज के प्रकार्यात्मक स्वरूप पर ही संपूर्ण जोर देना ठीक नहीं है। प्रत्येक सामाजिक संस्था का उद्‌भव, उसकी उपयोगिता आदि अपने ढंग की होती है। इसके अतिरिक्त समाज गीतिशील है, अतः यह स्थिर पद्धति अधिक उपयोगी नहीं ही सकती।

2.18 सारांश (Summary)

- ऐतिहासिक पद्धति का एक दूसरा स्वरूप मैक्स वेबर की रचनाओं में परिलक्षित होता है। उन्होंने विकास की योजना एवं चरणों की व्याख्या नहीं की परंतु आधुनिक पूंजीवाद, नौकरशाही एवं नेतृत्व का अध्ययन ऐतिहासिक संदर्भ में किया। हाल के वर्षों में सी. राइट मिल्स एवं रेमां एरन ने भी ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर औद्योगिक समाजों के परिवर्तन का अध्ययन किया है।
- यद्यपि तुलनात्मक पद्धति का उदय विकासवादियों के साथ ही हुआ परंतु इसका विस्तृत वर्णन सर्वप्रथम **इमाइल दुर्खीम** ने दिया। उसके अनुसार समाजशास्त्रीय व्याख्या कारणात्मक संबंधों की खोज में निहित है। प्रकृति विज्ञानी इसे प्रयोगों के द्वारा प्राप्त करते हैं, परंतु समाजशास्त्र में यह संभव नहीं है इसलिये इसे दो या दो से अधिक सामाजिक तथ्यों की तुलना से प्राप्त किया जा सकता है।

नोट

- प्रकार्यवादी पद्धति का विकास विकासवादी पद्धति की आलोचना के फलस्वरूप हुआ। यह विकासवादियों के इस दावे को मानने को तैयार नहीं था कि मानव समुदाय के पूरे सामाजिक इतिहास की एक ही साथ वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है।
- स्वरूपात्मक पद्धति भी विकासवादी एवं सर्वज्ञानी उपायों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के स्वरूप उभरी। इसे जर्मन समाजशास्त्री जार्ज सिमेल ने विकसित किया और काफी दिनों तक यह जर्मन पद्धति ही रह गयी। इसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों एवं संपर्कों के स्वरूपों का पता लगाया जाता है।
- विशुद्ध अनुसंधान (शोध) व्यावहारिक उपयोगिता को दृष्टि में रखकर नहीं किया जाता। किसी समस्या के कारणों को ढूंढ निकालना और उसका हल प्रस्तुत करना भी विशुद्ध शोध तो अंर्तगत नहीं आता है। विशुद्ध शोध तो 'ज्ञान के लिए ज्ञान' (Knowledge for Knowledge sake) के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ता है।

2.19 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)

1. अन्वेषण की वैज्ञानिक अथवा प्रायोगिक पद्धति की व्याख्या कीजिए। समाजशास्त्र में इस पद्धति का प्रयोग किस सीमा तक संभव है?
2. समाजशास्त्रीय पद्धतियों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए।
3. समाजशास्त्र द्वारा सामाजिक तथ्यों के अन्वेषण-हेतु प्रयुक्त पद्धतियों का वर्णन कीजिए।
4. वर्स्टहन पद्धति पर टिप्पणी लिखिए। इसके प्रयोग में क्या बाधाएँ हैं?
5. प्रतिकूल निगमनात्मक पद्धति की व्याख्या कीजिए।
6. ऐतिहासिक, तुलनात्मक एवं आदर्श प्रकार पद्धति के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
7. प्रकार्यात्मक विश्लेषण का क्या अर्थ है? इस विषय पर मर्टन के विचारों का वर्णन कीजिए।

2.20 संदर्भ पुस्तकें (Further readings)

- बॉटोमोर, टाम. 1962. सोशियोलॉजी : ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, जार्ज, ऐलन एंड अनविन, लंदन।
- चौधरी, मैत्रेयी 2003. द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी. ओरियेंट लोंगमैन, नयी दिल्ली।
- बर्जर, पीटर एल. 1963. इनवीटेशन टू सोशियोलॉजी : ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. पेंगुइन, हारमंडस्वर्थ।
- गिंडिंस, एंथोनी. 2001. सोशियोलॉजी. चतुर्थ संस्करण, पोलिटी वेस, केंब्रिज।

इकाई–3
(Unit–3)

नोट

समाजशास्त्र एवं सामाजिक व्यवस्था
(Sociology and Social System)

रूपरेखा

3.1 उद्देश्य (Objectives)
3.2 प्रस्तावना (Introduction)
3.3 समाज (Society)
3.4 समुदाय (Community)
3.5 समिति (Association)
3.6 संस्था (Institution)
3.7 संगठन (Organisation)
3.8 सामाजिक संरचना (Social Structure)
3.9 सामाजिक व्यवस्था : अर्थ एवं परिभाषा (Social System : Meaning and Definition)
3.10 सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Stratification)
3.11 सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धान्त (Theories of Social Stratification)
3.12 धर्म-तंत्र की अवधारणा (Concept of Hierarchy)
3.13 असमानता तथा स्तरीकरण (Inequality and Stratification)
3.14 जाति तथा वर्ग (Caste and Class)
3.15 क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है? (Is Caste Changing into Class?)
3.16 व्यक्ति तथा समाज में वास्तविक संबंध (The Relationship between Individual and Society)
3.17 समाज की उत्पत्ति (The Origin of Society)
3.18 समाज के प्रकार (Types of Society)
3.19 औद्योगिक समाज (Industrial Society)
3.20 समाज का स्वरूप तथा तुलनात्मक अध्ययन (Structure of Society and comparative study)
3.21 मानव-समाज और पशु-समाज में भेद (Difference between Human Society and Animal Society)
3.22 भाषा तथा समाज (Language and Society)
3.23 सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)
3.24 सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन (Social Mobility and Social Change)
3.25 सारांश (Summary)
3.26 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)
3.27 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

3.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, विद्यार्थी योग्य होंगे :

- समाज, समुद्राय, समिति एवं संगठन की व्याख्या,

M-pc/E/Laxmi/Kunal ji 11-09-2020

- सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था एवं प्रकार, सामजिक स्तरीकरण के सिद्धांत इत्यादि का वर्णन एवं
- जाति, वर्ग समाज की उत्पत्ति एवं प्रकार, सामाजिक गतिशीलता इत्यादि की जानकारी।

नोट

3.2 प्रस्तावना (Introduction)

समाजशास्त्र क्या है? इस प्रश्न को पूर्ण रूप से समझने के लिए यह उचित होगा कि प्रमुख समाजशास्त्रियों द्वारा दी गई कुछ परिभाषाओं का अवलोकन किया जाए। कुछेक प्रमुख परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

- 'समाजशास्त्र सामाजिक घटना, वस्तु अथवा समाज का विज्ञान है।' –एल० एफ० वार्ड
- 'समाजशास्त्र की विषय-वस्तु मानवीय मस्तिष्कों की अंत:क्रिया है।' –एल० टी० हॉबहाउस
- 'समाजशास्त्र मानवीय अंत:क्रियाओं एवं अंत:संबंधों, उनकी दशाओं एवं परिणामों का अध्ययन है।' –गिन्सबर्ग
- 'समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक समूहों, उनके आंतरिक रूपों अथवा संगठन की विधियों, उन प्रक्रियाओं का, जो संगठन के इन रूपों एवं समूहों के मध्य संबंधों को स्थिर या परिवर्तित करती है, वर्णन करता है।' –जानसन, एच० एम०
- 'समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्यों के परस्पर व्यवहार, सामाजिक मेल-जोल की प्रक्रियाओं, मेल मिलाप एवं पृथकत्व को अध्ययन का केन्द्र मानता है।' –वॉन वीज
- 'समाजशास्त्र मनुष्यों एवं मानवीय पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन है।' –एच० पी० फेयरचाइल्ड
- 'समाजशास्त्र समाज-संबंधी ज्ञान का समुच्चय है। इसमें समाज को उच्चतर बनाने के ढंगों का वर्णन होता है। यह सामाजिक नीतिशास्त्र, सामाजिक दर्शनशास्त्र है, परंतु इसे सामान्यतया समाज का विज्ञान कहा जाता है।' –डब्लू० एफ० आगबर्न
- 'समाज शास्त्र मानव-व्यवहार का अध्ययन करता है। यह उन नियमों को जानने का प्रयत्न करता है जो मानव-व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए नहीं कि ये उसके सुबोध व्यक्तिगत अस्तित्व का परिचय देते हैं, अपितु इसलिए कि ये मनुष्य के द्वारा समूह बनाये जाने तथा ऐसे समूहों के कारण अंत:संबंधों पर प्रभाव डालते है।' –सिमल
- 'समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है।' –पार्क एवं बर्गेस
- 'सामान्य समाजविज्ञान मनुष्यों के इकट्ठा रहने का सिद्धांत है।' –टानी
- 'समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है।' –लुंडबर्ग आदि
- 'विस्तृत अर्थ में समाजशास्त्र जीवित प्राणियों के सामुदायिक जीवन से उत्पन्न अंत:क्रियाओं का अध्ययन है।' –गिलिन एवं गिलिन
- 'समाजशास्त्र समूहों में मनुष्य के व्यवहार का वर्णन करता है।' –यंग
- 'समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का अर्थपूर्ण बोध कराने का प्रयत्न करता है।' –मैक्स वेबर
- 'समाजशास्त्र उन विधियों का अध्ययन है जिनमें सामाजिक अनुभव अंत:वैयक्तिक प्रेरणा द्वारा मनुष्यों को विकसित होने, प्रबुद्ध होने एवं दबाने में कार्य करते हैं।' –बोगार्डस
- 'समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना का वैज्ञानिक अध्ययन है।' –यंग एवं मैक
- 'समाजशास्त्र उस सामग्री के अपरिपक्व पुंज का, जो हमें समाज का ज्ञान कराता है, नाम है।' –आर्थर फेयरबैक्स
- 'समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक संबंधों का समन्वयात्मक एवं सामान्यीकृत विज्ञान है।' –आर्नाल्ड ग्रीन

नोट

- 'समाजशास्त्र मानव-समाज के संरचनात्मक स्वरूपों से संबंधित वर्णनात्मक एवं विशिष्टात्मक अनुशासन है।' –जी. डंकन मिचैल
- 'समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, उनके प्रकारों, विभिन्नताओं, उनको प्रभावित करने वाले तत्वों एवं उनसे प्रभावित व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है।' –टी. एबैल
- 'समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की संरचना एवं उसके कार्यों का विज्ञान है।' –जान डब्ल्यू. बोनेट
- 'समाजशास्त्र सामाजिक-सांस्कृतिक घटनाओं के सामान्य स्वरूपों, प्रारूपों एवं अनेक प्रकार के अंत: संबंधों का सामान्य विज्ञान है।' –पी. ए. सोरोकिन
- 'समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधित्व का विज्ञान है।' –दुर्खीम
- 'समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है।' –गिडिंग्स
- 'समाजशास्त्र विकास प्रक्रिया में कार्यरत भौतिक तत्वों के द्वारा समाज, की गतिविधियों, संरचना, वृद्धि एवं उद्‌गम की व्याख्या का प्रयास है।' –गिडिंग्स
- 'समाजशास्त्र का उद्देश्य वैध नियमों एवं निरपेक्ष ज्ञान के भंडार की खोज करना है ताकि सामाजिक एवं मानवीय वास्तविकता का नियंत्रण एवं निर्देशन संभव हो सके।' –र्‌यूटर

उपर्युक्त परिभाषाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाजशास्त्र की परिभाषा के बारे में समाजशास्त्रियों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाये हैं। ये दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं–

(*i*) समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है।

(*ii*) समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विज्ञान है।

(*iii*) समाजशास्त्र समूहों में मानव-व्यवहार का अध्ययन है।

(*iv*) समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का अध्ययन है।

(*v*) समाजशास्त्र मानवीय संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है।

(*vi*) समाजशास्त्र सामाजिक समूहों अथवा सामाजिक व्यवस्था (social system) का अध्ययन है।

इस सभी दृष्टिकोणों में यह विचार सामान्य रूप से निहित है कि समाजशास्त्र का संबंध मानवीय संबंधों से है। इसकी विषय-वस्तु व्यक्ति नहीं, अपितु समाज है, यद्यपि व्यक्ति को समाज के वर्णन में भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्ति केवल तभी मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न स्वरूप यथा–राजनीतिक, आर्थिक मात्र सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। अतएव, यदि हम किसी सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन को समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित करते हैं, तो केवल इस कारण कि उनका अध्ययन सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। सामाजिक अंतर्क्रिया अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार सामाजिक संबंध ही है। सामाजिक संबंधों के कारण ही सामाजिक अंतर्क्रिया होती है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री समाज के उद्‌भव, इसकी प्रणालियों एवं संरचनाओं, सामाजिक संस्थाओं के विकास एवं उनके कार्यों, सामाजिक संबंधों के नियंत्रक रीति-रिवाजों एवं नियमों, मनुष्य द्वारा इतिहास के दौरान निर्मित समूहों एवं समुदायों, इन समूहों यथा–परिवार, जाति, सरकार, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह, आदि का अन्योन्याश्रित तथा सामाजिक परिवर्तन की संघटन की खोज करने का प्रयत्न करता है।

3.3 समाज (Society)

साधारण बोलचाल में 'समाज' शब्द व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों की अपेक्षा किसी विशिष्ट अंत:समूह के सदस्यों तथा व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसी आधार पर हम 'हरिजन समाज' शब्द का प्रयोग करते हैं। कभी-कभी इस शब्द का प्रयोग 'संस्थाओं' (institutions) के अर्थ में किया जाता है। जब हम 'आर्य समाज' अथवा 'ब्रह्म समाज' शब्दों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार प्रयुक्त 'समाज' शब्द 'अमूर्त्त' की अपेक्षा 'मूर्त्त', 'मानकों' (norms) की अपेक्षा 'विशिष्टों' (specifies) का बोध कराता है। समाजशास्त्र में 'समाज' शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं है, अपितु उनके मध्य उत्पन्न अंतर्क्रिया

की जटिल प्रणाली से है। मनुष्यों का महत्त्व केवल सामाजिक संबंधों के अभिकरणों (agencies) के रूप में ही है। वे "वस्तुएँ" हैं।

नोट

समाज अमूर्त्त है, यह 'वस्तु की अपेक्षा प्रक्रिया, संरचना की अपेक्षा गति' है। समाज का महत्त्वपूर्ण तत्व संबंधों की व्यवस्था, अंतर्क्रिया के मानकों का प्रतिमान है जिसके द्वारा समाज के सदस्य अपना निर्वाह करते हैं। कुछ लेखक 'समाज' शब्द में मनुष्यों के केवल उन्हीं संबंधों को सम्मिलित करते हैं जो समितियों में संगठित हैं तथा जिनकी निश्चित संरचना है। इस प्रकार ऐसे संबंधों को जो निश्चित समितियों में संगठित नहीं होते, समाज की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जाता। परंतु समाज की ऐसी व्याख्या अपूर्ण है, क्योंकि असंगठित वैयक्तिक संबंध, जो संगठनों के निर्माण को जन्म देते हैं, के अध्ययन को समाजशास्त्र के अध्ययन में भुलाया नहीं जा सकता।

कुछ समाजशास्त्रियों का विचार है कि समाज का अस्तित्व तभी कायम होता है जब इसके सदस्य एक-दूसरे को भली प्रकार जानते हों एवं उनके सम्मिलित हित अथवा उद्देश्य हों। इस प्रकार यदि दो व्यक्ति रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे हों, तो उनका एक ही डिब्बे में सह अस्तित्व, एक ही स्थान पर, एक ही समय में, एक ही साथ होना समाज का निर्माण नहीं करता। परंतु ज्यों ही वे एक-दूसरे को जान जाते हैं, उनके बीच 'समाज' तत्व का निर्माण हो जाता है। पारस्परिक जागरूकता (reciprocal awareness) की यह धारणा गिडिंग्स (Giddings) की समाज-विषयक परिभाषा में निहित है। उसके अनुसार, "समाज समान मानसिक चेतनायुक्त व्यक्तियों का समूह है जो अपनी समान मानसिकता से परिचित हैं तथा इसमें आनन्द महसूस करते हैं और इसलिए सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मिलकर काम करते हैं।" परंतु समाज की परिभाषा को 'पारस्परिक जागरूकता' के तत्व से बाँध देना असुविधाजनक है, क्योंकि अप्रत्यक्ष एवं अवचेतन संबंधों का भी सामाजिक जीवन में अत्यधिक महत्त्व है।

समाज की परिभाषाएँ (Some Definitions of Society)

1. "समाज कार्य-प्रणालियों एवं रीतियों की, अधिकार-सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव-व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है।" –मैकाइवर
2. "समाज स्वयं एक संघ है, एक संगठन है, औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सहयोगी व्यक्ति परस्पर-संबंद्ध हैं।" –गिडिंग्स
3. "समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों अथवा व्यवहार की विधियों द्वारा आपस में बँधे हुए हैं और उन व्यक्तियों से भिन्न हैं जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा आपस में बँधे हुए नहीं है अथवा जिनके व्यवहार उनसे भिन्न हैं।" –गिन्सबर्ग
4. "समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो काफी समय तक इकट्ठे रहने के कारण संगठित हो गये हैं तथा जो स्वयं को अन्य मानवीय इकाइयों से भिन्न इकाई समझते हैं।" –क्यूबर
5. "समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं, बल्कि यह मनुष्यों के अंत:संबंधों की जटिल व्यवस्था है।" –लापियर
6. "समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों या प्रतीकात्मक।" –पारसन्स
7. "समाज प्रक्रियाओं या आकारों की जटिलता है जिनमें से प्रत्येक दूसरों के साथ अंत:क्रिया द्वारा जीवित है और विकसित हो रहा है, संपूर्ण अस्तित्व इस प्रकार एकीकृत है कि एक भाग में जो घटता है, वह शेष सभी को प्रभावित करता है।" –कूले
8. "समाज समुदाय के भीतर संगठित समितियों एवं संस्थाओं की जटिल व्यवस्था है।" –जी. डी.एच. कोल

9. "समाज में केवल व्यक्तियों को परस्पर बाँधने वाले राजनीतिक संबंध ही शामिल नहीं हैं, अपितु मानवीय संबंधों एवं सामूहिक गतिविधियों का संपूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है।" –लीकाक
10. "समाज मनुष्यों, स्त्रियों एवं बच्चों का स्थायी अथवा अविच्छिन्न समूह है जो अपने सांस्कृतिक स्तर पर प्रजातीय चिरस्थायीकरण एवं अनुरक्षण की प्रक्रिया को स्वतंत्र रूप से चलाने की स्थिति में है।" –हॉकिन्स
11. "समाज एक अमूर्त्त धारणा है जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले आपसी संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है।" –र्‍यूटर

3.4 समुदाय (Community)

मैकाइवर के अनुसार, "समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके।" हम जानते हैं कि व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता। वह अन्य व्यक्तियों के साथ अनेक तरीकों से संबद्ध होता है जो व्यक्ति मिलकर समूह का निर्माण करते हैं। परंतु हम यह आशा नहीं कर सकते कि कोई व्यक्ति संसार के सभी समूहों का सदस्य बन सकता है। वह एक निश्चित भू-क्षेत्र में उसके निकट रहने वाले व्यक्तियों के साथ ही संबंध रख सकता है। कुछ समय तक किसी विशेष स्थान पर रहने वाले लोगों में सामाजिक समानता, सामान्य सामाजिक विचार, सामान्य प्रथाएँ तथा एक-दूसरे के प्रति अपनेपन की भावना उत्पन्न हो ही जाती है। सामान्य जीवन एवं सामान्य विशिष्ट क्षेत्र की भावना से समुदाय का जन्म होता है।

समुदाय की कुछ परिभाषाएँ (Some Definitions of Community)

(*i*) "समुदाय मनुष्यों की वह जनसंख्या है जो सीमित भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो और एक सामान्य परस्पर-आश्रित जीवन व्यतीत करती हो।" **–लुंडबर्ग**

(*ii*) "समुदाय व्यक्तियों का वह क्षेत्र है जो इस प्रकार इकट्ठे रहते हों तथा समानता की भावना रखते हों कि वे किसी विशिष्ट स्वार्थ के संभागी नहीं होते, अपितु स्वार्थों की पूर्णता के संभागी होते हैं।" **–मानहीम**

(*iii*) "समुदाय एक सामाजिक समूह है जिसमें 'हम-भावना' की कुछ मात्रा हो तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हों।" **–बोगार्डस**

(*iv*) "समुदाय व्यक्तियों का एक समूह है जो एक सन्निकट भौगोलिक क्षेत्र में रहते हों, जिसकी गतिविधियों एवं हितों के समान केंद्र हों तथा जो जीवन के प्रमुख कार्यों में इकट्ठे मिलकर कार्य करते हों।" **–आसबर्न एवं न्यूमेयर**

(*v*) "समुदाय किसी सीमित क्षेत्र के भीतर सामाजिक जीवन का पूर्ण संगठन है।" **–आगबर्न एवं निमकाफ**

(*vi*) "समुदाय लघुतम प्रादेशिक समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पक्षों का आलिंगन करता है।" **–डेविस**

(*vii*) "समुदाय सामाजिक प्राणियों का एक समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं जिनमें अनन्त प्रकार के एवं जटिल संबंध सम्मिलित हैं जो उस सामान्य जीवन के कारण उत्पन्न होते हैं अथवा जो इसका निर्माण करते हैं।" **–गिन्सबर्ग**

(*viii*) "समुदाय से मेरा अभिप्राय सामाजिक जीवन के स्वरूप से है, एक ऐसा स्वरूप जिसमें अनेक मानव प्राणी सम्मिलित हैं जो सामाजिक संबंधों की परिस्थितियों के अंतर्गत रहते हैं, जो सामान्य यद्यपि निरंतर परिवर्तनशील रीतियों, प्रथाओं एवं प्रचलनों द्वारा परस्पर संबद्ध हैं तथा कुछ सीमा तक सामान्य सामाजिक उद्देश्यों एवं हितों के प्रति जागरूक हैं।" **–जी.डी.एच. कोल**

नोट

(*ix*) "समुदाय भूक्षेत्र की एक इकाई है जिसमें कई जनसंख्या वितरित होती है जिसकी मूलभूत संस्थाएँ समान होती हैं जो उनके सामान्य जीवन को संभव बनाती हैं।"

(*x*) "समुदाय एक स्थानीय क्षेत्र है जिस पर रहने वाले लोग समान भाषा का प्रयोग करते हैं, समान रूढ़ियों का पालन करते हैं, न्यूनाधिक समान भावनाएँ रखते हैं तथा समान प्रवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं।" **–सदरलैंड**

(*xi*) "समुदाय व्यक्तियों का एक स्थानीय संग्रह है जिनके हित भिन्न तथा सामान्य, दोनों हैं तथा जो संग्रह से सेवित हों।" **–एफ.एल. लुम्ले**

(*xii*) "समुदाय व्यक्तियों का संग्रह है जो समीपस्थ छोटे क्षेत्र में निवास करते हैं तथा सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।" **–ग्रीन**

(*xiii*) "समुदाय किसी निश्चित भूक्षेत्र, क्षेत्र की सीमा कुछ भी हो, पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।" **–मजूमदार, एच.टी.**

समुदाय की संज्ञा प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि निवास-क्षेत्र अन्य निवास-क्षेत्रों से कुछ सीमा तक पृथक् हो तथा उस क्षेत्र के सामान्य जीवन की कुछेक अपनी विशेषताएँ हों। इस विषय में मुख्य बात रखने योग्य यह है कि समुदाय की अवधारणा में सामान्य जीवन के फलस्वरूप उत्पन्न एकता पर प्रादेशिक तत्व की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। यह एक ऐसा समूह है जिसमें इसके सदस्यों के संपूर्ण जीवन का समावेश हो सकता है।

समाज और समुदाय में समानताएँ (Similarities of Society and Community)

समाज और समुदाय में निम्नलिखित समानताएँ हैं–

1. समाज और समुदाय दोनों में पारस्परिक जागरूकता पाई जाती है।
2. समाज और समुदाय दोनों ही परिवर्तनशील हैं।
3. समाज व समुदाय दोनों का ही लगभग स्वत: विकास होता है।
4. समाज व समुदाय दोनों में ही सामाजिक संबंध पाये जाते हैं।
5. समाज व समुदाय दोनों में ही जनसमूह पाये जाते हैं।
6. समाज व समुदाय दोनों में विभिन्न समूह पाये जाते हैं।

समुदाय और समाज में अंतर (Difference between Community and Society)

बाह्य रूप से यद्यपि दोनों में काफी समानता झलकती है तथापि उनमें अनेक मौलिक अंतर भी हैं जो निम्नलिखित हैं–

(*i*) समाज बंधनों का एक जाल है। समुदाय के लिए एक निश्चित भू-भाग का होना आवश्यक है। (*ii*) समाज अमूर्त है, समुदाय मूर्तिमान है। (*iii*) समाज के अंतर्गत हम अनेक समुदाय को ले सकते हैं। समुदाय के अंतर्गत ऐसा संभव नहीं है। समुदाय में केवल एक समाज संभव है। (*iv*) प्रत्येक समाज को समुदाय नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक समुदाय को समाज कहा जा सकता है। (*v*) समाज में 'हम की भावना' का होना आवश्यक नहीं है। समुदाय के लिए 'हम की भावना' का होना आवश्यक है। (*vi*) समाज को किसी निश्चित भू-भाग की आवश्यकता नहीं होती। समुदाय के लिए निश्चित भू-भाग का होना जरूरी है। (*vii*) समाज में संगठन और विघटन दोनों ही पाये जा सकते हैं। समुदाय में संगठन का होना आवश्यक है। (*viii*) समाज का निर्माण पहले हुआ है। समुदाय का निर्माण बाद में हुआ है। (*ix*) समाज में व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। समुदाय में व्यक्ति के जीवन का एक अंश व्यतीत होता है। (*x*) समाज में अनेक उद्देश्य पाये जाते हैं। समुदाय का विशिष्ट उद्देश्य होता है। (*xi*) समाज में व्यक्तियों का जीवन सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी। समुदाय में समान्यत: व्यक्तियों का जीवन सामान्य रहता है।

क्या आश्रम, बन्दीगृह समुदाय हैं? (Is Monastery, Prison a Community?)

क्या आश्रम एवं बंदीगृह समुदाय हैं? ये समुदाय हैं या नहीं, इसका निश्चय करने के लिए हमें इन्हें समुदाय के आवश्यक तत्वों की कसौटी पर कसना होगा। समुदाय के तीन आवश्यक तत्व हैं—एक निश्चित भू-भाग, मानव समूह एवं 'हम की भावना'। सामान्य जीवन भी समुदाय का एक आवश्यक तत्व है। एक आश्रम या एक बन्दीगृह में समुदाय के ये आवश्यक तत्व पाये जाते हैं। बन्दीगृह या आश्रम का एक निश्चित भू-भाग पर बास होता है, मानव समूह होता है और वे सामान्य जीवन भी व्यतीत करते हैं। उनके अंदर 'हम की भावना' भी पाई जाती है। इस प्रकार हम उन्हें समुदाय मान सकते हैं। कुछ लोगों को इसमें आपत्ति है। उनका कहना है कि आश्रम या बन्दीगृह में सामान्य जीवन सीमित एवं प्रतिबंधित है, इसलिए उन्हें समुदाय नहीं कहना चाहिए। पर यह आपत्ति उचित नहीं है, क्योंकि प्रत्येक समुदाय में सामान्य जीवन समुदाय के नियमों के अनुसार सीमित होता है। हम आश्रम एवं बन्दीगृह को समुदाय मानेंगे?

क्या जाति एक समुदाय है? (Is Caste a Community?)

जाति में 'हम की भावना' तो अवश्य पायी जाती है, परंतु निश्चित भू-भाग और सामान्य जीवन नहीं पाया जाता। जाति के सदस्य अनेक भागों में बिखरे हुए रहते हैं। सामान्य जीवन भी नहीं होता। एक बंगाली ब्राह्मण का रहन-सहन एवं रीति-रिवाज कश्मीरी ब्राह्मण से बिल्कुल भिन्न होता है। 'हम की भावना' भी उतनी मजबूत नहीं होती। एक पंजाबी ब्राह्मण बंगाली ब्राह्मण की अपेक्षा वैश्य के प्रति अधिक अपनत्व की भावना प्रदर्शित करता है। अतः जाति को समुदाय कहना उचित न होगा।

3.5 समिति (Association)

समिति किसी विशेष प्रयोजन या सीमित प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु संगठित मनुष्यों का समूह है। मैकाइवर (Maciver) के अनुसार, "समिति किसी हित या कुछ हितों की सामूहिक प्राप्ति के लिए विचारपूर्ण निर्मित संगठन है और इसके सदस्य इसमें सामान्य सहभागी होते हैं।" गिन्सबर्ग (Ginsberg) के अनुसार, "सीमित सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य के कारण परस्पर-सम्बद्ध है कि उन्होंने किसी विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति-हेतु एक संगठन का मिलकर निर्माण किया है।" कोल (N.D.H. COle) का कथन है, "समिति से मेरा अभिप्राय है, व्यक्तियों का एक समूह जो सहयोगी काय्र के माध्यम से किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति में लगे हुए हैं एवं तदर्थ मिलकर प्रक्रिया की कुछेक विधियों तथा सामान्य कार्य हेतु कुछ नियमों, चाहे आरम्भिक प्रकार के ही हों, पर सहमत हैं।" बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार, "समिति सामान्यतया कुछेक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है।" समिति का निर्माण करने के लिए सर्वप्रथम, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए। दूसरे, ये व्यक्ति संगठित होने चाहिए, अर्थात् समूह में कुछ व्यवहार-सम्बन्धी नियम हों। तीसरे, उनका कोई सामान्य उद्देश्य होना चाहिए जिसकी प्राति हेतु वे संगठित हुए हैं।

समितियों का निर्माण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, यथा—अवधि के आधार पर स्थायी अथवा अस्थायी, बाढ़ सहायता समिति अस्थायी हैं, जबकि राज्य स्थायी है, सत्ता के आधार पर, अर्थात् संप्रभु (जैसे राज्य), अद्ध-संप्रभु (जैसे विश्वविद्यालय) एवं असंप्रभु (जैसे क्लब) कार्य के आधार पर, अर्थात् जैविक (जैसे परिवार), व्यावसायिक (जैसे अध्यापक-संघ या ट्रेड यूनियन), मनोरंजक (जैसे टेनिस क्लब या संगीत क्लब), परोपकारी (जैसे सेवा समिति)।

समिति की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. **व्यक्तियों का समूह (Group of individuals)**—समिति एक मूर्त संगठन है तथा इसका निर्माण कुछ व्यक्ति मिलकर करते हैं। व्यक्ति के बिना किसी भी समिति की कल्पना नहीं की जा सकती।
2. **निश्चित उद्देश्य (Definite aim)**—समिति का निर्माण सदैव एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कुछ व्यक्ति अपने सामान्य हितों के आधार पर ही एक समिति को संगठित करते हैं। बिना उद्देश्य के समिति नहीं हो सकती।

3. **जानबूझ कर स्थापना (Purposely established)**—समिति का निर्माण जानबूझ कर किया जाता है। समुदाय की भाँति इसकी उत्पत्ति स्वत: नहीं होती। इसे व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जानबूझ-कर बनाता है। इस प्रकार समिति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जानबूझ कर किया गया संगठित प्रयास है।

4. **एक निश्चित संगठन (A definite organisation)**—प्रत्येक समिति का एक निश्चित संगठन है। संगठन के अभाव में समिति अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं होगी। संगठन से ही सहायता एवं सहयोग की भावना विकसित होती है।
5. **सामाजिक नियमों पर आधारित (Based on social rules)**—प्रत्येक समिति के अपने कुछ नियम या कानून होते हैं जिसकी सहायता से इसके सदस्यों के व्यवहार को नियमित तथा निर्देशित किया जाता है। ये नियम या कानून समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं अर्थात् समाज के कानून के अंतर्गत ही होते हैं समाज विरोधी कार्य के लिए बनाया गया संगठन समिति नहीं हो सकता। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले को समिति से निकाला जा सकता है। ये नियम लिखित तथा अलिखित दोनों प्रकार के हो सकते हैं।
6. **ऐच्छिक सदस्यता (Voluntary membership)**—समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है अर्थात् यह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वह किसी समिति का सदस्य बने या न बने। व्यक्ति अपनी रुचि या हित के अनुसार ही समिति की सदस्यता ग्रहण करता है तथा अपनी इच्छानुसार ही इसकी सदस्यता छोड़ भी देता है।
7. **अस्थायी प्रकृति (Temporary nature)**—समिति की प्रकृति अस्थायी होती है। समिति का निर्माण एक या अनेक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। उद्देश्यों या आवश्यकताओं के पूरा होते ही समिति भंग हो जाती है तथा इसके सदस्य इसकी सदस्यता छोड़ देते हैं। इसीलिए इसकी प्रकृति अस्थायी होती है।
8. **औपचारिक संबंध (Formal relation)**—समिति के सदस्यों के मध्य परस्पर औपचारिक संबंध पाया जाता है। समिति के कुछ नियम तथा कानून होते हैं जिनके अंतर्गत व्यक्ति को कार्य करना होता है। इन्हीं नियमों के अंतर्गत व्यक्ति एक दूसरे से संबंध स्थापित करते हैं तथा केवल इतना ही संबंध रखते हैं जितना आवश्यकता पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। एक साथ एक व्यक्ति अनेक समितियों का सदस्य होता है। इसलिए भी परस्पर घनिष्ठता का संबंध नहीं रख पाता।
9. **साध्य न होकर साधन (Means and not an end)**—समिति कुछ आवश्यकताओं या उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संगठित की जाती है। अत: व्यक्ति समिति के माध्यम से ही अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि समिति कुछ उद्देश्यों की पूर्ति का साधन मात्र है।
10. **नाम एवं प्रतीक (Name and symbol)**—समूह की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता इसका नाम एवं प्रतीक है। प्रत्येक समिति का अपना कोई न कोई नाम होता है तथा इसके कुछ प्रतीकात्मक संकेत या चिह्न भी होते हैं। अलग-अलग नाम से अलग-अलग स्थितियों का बोध होता है तथा नाम से ही पता चलता है कि समिति का संगठन किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया गया है। जैसे, जीवन बीमा निगम का प्रतीक जलते हुए चिराग के दोनों ओर हाथ है।

समिति का समाजशास्त्रीय महत्त्व (Sociological Importance of Association)

1. **व्यक्तित्व का विकास**—समिति के द्वारा व्यक्तित्व का विकास संभव है। मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह समाज की भलाई के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से उन्नति करे। इसके आधार पर ही वह समाज का हितकारी अंग बन सकता है। समितियों में मनुष्य को सहयोग, सहानुभूति, भाईचारे की भावनाऐं आदि महत्त्वपूर्ण तत्व प्राप्त होते हैं। सनातन धर्म जैसी समितियाँ व्यक्तियों

को धार्मिक उन्नति करवाने का प्रयास करती हैं। इससे व्यक्ति का समुचित रूप से विकास संभव होता है।

2. **श्रम विभाजन**—समिति समाज में श्रम-विभाजन के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इस कारण कार्य के विशेषकीरण का प्रादुर्भाव होता है। आज आधुनिक युग में विशेषीकरण का प्रगति के लिए विशेष महत्त्व है।
3. **सामाजिक संगठन**—समिति सामाजिक संगठन का एक महत्त्वपूर्ण अंग होती है। यदि समिति अपने उद्देश्य की पूर्ति करती रहती है तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहती है। जिससे समाज की प्रगति निर्धारित लक्ष्य की तरफ होती रहती है।
4. **समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग**—समिति में सभी सदस्य एक उद्देश्य या उद्देश्यों को लेकर प्रवेश करते हैं। इसीलिए सभी सदस्य समिति के कार्य को पूरा करने में सहयोग देते हैं।
5. **उद्देश्यों की प्राप्ति**—समिति का निर्माण सामाजिक व्यक्तियों की आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। समिति का सदस्य बन कर कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है।
6. **व्यक्तियों में अच्छे गुणों का विकास**—समिति का निर्माण सद्‌भावना एवं सहयोग की भावना पर आधारित होता है। अत: समाज में व्यक्तियों के दिलों में अच्छे गुणों का विकास होता है, जो समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है।

समिति के प्रकार (Types of Association)

समितियाँ निम्न प्रकार की होती हैं:

1. आर्थिक समितियाँ—मजूदर संघ, व्यावसायिक समितियाँ
2. राजनैतिक समितियाँ—काँग्रेस, जनता दल आदि
3. धार्मिक समितियाँ—ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन
4. शैक्षणिक समितियाँ—शिक्षा मण्डल, समाजशास्त्र परिषद्
5. मनोरंजनात्मक समितियाँ—क्लब, खेलकूद परिषद्
6. सामान्य कल्याण समितियाँ—आदिवासी कल्याण, हरिजन सेवक समाज

समिति और समुदाय (Association and Community)

समिति मनुष्यों का वह समूह है जो किसी एक उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संगठित किया जाता है। समिति के लिए भू-भाग अनिवार्य नहीं है। समिति में सहयोगी भावना पर्याप्त है, हम की भावना की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तथ्यों से स्पष्ट है कि समिति (association), समुदाय (community) नहीं है। समिति समुदाय का एक संगठन मात्र है जो किसी उद्देश्य या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुदाय के अंतर्गत स्थापित की जाती है। **मैकाइवर तथा पेज** ने स्पष्ट लिखा है, "एक समिति एक समुदाय नहीं होती है, अपितु समुदाय के अंतर्गत एक संगठन होती है।"

3.6 संस्था (Institution)

'मैकाइवर' के अनुसार, "सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को संस्था कहते हैं।" समनर (Sumner) के अनुसार, "एक संस्था एक विचारधारा (विचार, मत, सिद्धांत या स्वार्थ) एवं एक संरचना से मिलकर बनती है।"

वुडवर्ड एवं मैक्सवैल (Woodward and Maxwell) ने लिखा है, "संस्था जनरीतियों एवं रूढ़ियों का समूह है जो कुछ मानवीय हितों या उद्देश्यों की पूर्ति हेतु केंद्रित हो जाती है।" ग्रीन (Green) के

विचारानुसार, "एक संस्था किसी इकाई में जनरीतियों एवं रूढ़ियों (और प्रायः कानूनों, परंतु आवश्यक नहीं) का ऐसा संगठन होता है जिसके द्वारा अनेक सामाजिक कार्य संपन्न होते हैं।"

गिलिन एवं गिलिन (Gillin and Gillin) के अनुसार, "एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमान (जिसमें कार्य, विचार, दृष्टिकोण एवं सांस्कृतिक सामग्री सम्मिलित है।) का प्रकार्यात्मक आकार है जिसमें कुछ स्थायित्व होता है तथा जो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।" गिन्सबर्ग (Ginsberg) के अनुसार, "संस्थाएँ सामाजिक प्राणियों के मध्य किसी बाह्य वस्तु या एक-दूसरे के प्रति संबंध की निश्चित एवं पुष्टिकृत विधियाँ अथवा रूप हैं।" हार्टन एवं हंट (Horton and Hunt) के अनुसार, "संस्था संबंधों की संगठित व्यवस्था है जिसमें कुछेक सामान्य नियम एवं प्रक्रियाएँ सन्निहित होती हैं तथा जो समाज की कुछ मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। मजूमदार (Mazumdar) ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है, "संस्था व्यवहार या अनुक्रिया का वह सामूहिक रूप है जो एक पीढ़ी पार कर चुका है, जो कार्य करने के लिए निश्चित ढंग की व्यवस्था करता है तथा जो समूह के सदस्यों को प्रतीकों, विधियों, संस्कारों एवं अधिकारियों, जिनके पास नियमन-शक्ति' अर्थात् दण्ड की शक्ति होती है, के माध्यम से एक समिति में इकट्ठा बाँधता है।" रॉस (Ross) के अनुसार, "सामाजिक संस्थाएँ सामान्य इच्छा से स्थापित या अभिमति-प्राप्त संगठित मानव-संबंधों का समूह हैं।" बोगार्डस (Bogardus) के अनुसार, "सामाजिक संस्था समाज का वह ढाँचा होती है जो मुख्य रूप से सुव्यवस्थित विधियों द्वारा लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संगठित की जाती है।"

उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि समाज प्रमुख मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ निश्चित साधनों या कार्य प्रणालियों को निर्धारित करता है जिसे संस्था कहते है। गिलिन और गिलिन ने अपनी पुस्तक में संस्थाओं की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है–

(*i*) सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई (Unit in the cultural system), (*ii*) अधिक स्थायित्व (Greater permanence), (*iii*) निश्चित उद्देश्य या उद्देश्य समूह (Well defined objective or objective), (*iv*) सांस्कृतिक उपकरण (Cultural Equipment), (*v*) प्रतीक (Symbol), (*vi*) परंपरा (Tradition)।

संस्था की विशेषताएँ

इन परिभाषाओं के आधार पर संस्था की सबसे प्रमुख विशेषताओं को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है:

1. **नियमों की व्यवस्था**–संस्था की सबसे आधारभूत विशेषता अथवा पहचान यही है कि संस्था का तात्पर्य कभी व्यक्तियों के संगठन से नहीं होता बल्कि यह अनेक नियमों और कार्यवाहियों की एक व्यवस्था है। ये नियम अथवा कार्यविधियाँ अनेक विचारों, जनरीतियों, लोकाचारों, लिखित नियमों अथवा कानूनों के रूप में देखने को मिलती हैं। इसी दृष्टिकोण से गिलिन का कथन है कि "संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्त्वपूर्ण इकाई है।"
2. **अमूर्त प्रकृति**–उपर्युक्त विशेषता से ही स्पष्ट हो जाता है कि संस्था एक मूर्त संगठन नहीं है। संस्था का निर्माण अनेक नियमों और कार्यविधियों द्वारा होता है। नियमों तथा कार्यविधियों में हम जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन उन्हें देख नहीं सकते हैं। इस कारण संस्था की प्रकृति सदैव अमूर्त होती है।
3. **सामूहिक स्वीकृति**–यदि नियमों की किसी व्यवस्था का निर्माण कुछ व्यक्ति अपने निजी स्थार्थो को पूरा करने के लिए कर लें तो इस व्यवस्था को संस्था नहीं कहा जा सकता। नियमों की कोई व्यवस्था संस्था तभी कहलाती है जब उसे संपूर्ण समूह अथवा समुदाय की स्वीकृति (Sanction) प्राप्त हो। उदाहरण के लिए संविधान एक संस्था है जिसके सभी कानून राज्य एवं विभिन्न समूहों द्वारा मान्य होते हैं।
4. **सुपरिभाषित उद्देश्य**–प्रत्येक संस्था के उद्देश्य पूर्णतया स्पष्ट और व्यावहारिक रूप से उपयोगी होते हैं। सभी संस्थाओं का कार्य एक विशेष समूह के व्यवहारों पर नियंत्रण रखना तथा

पारस्परिक संघर्षों की संभावना को दूर करना होता है। संस्था के ये उद्देश्य इतने स्थायी होते हैं कि नयी पीढ़ियों के जन्म के बाद भी इनकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है।

5. **स्थायित्व**–समुदाय और समिति की अपेक्षा संस्था कहीं अधिक स्थायी होती है। इसका कारण यह है कि कार्य का कोई तरीका जब बहुत लंबे समय तक उपयोगी प्रमाणित होता रहता है तथी वह संस्था का रूप ले पाता है। इसके उपरांत वह व्यवहार संस्कृति का अंग बन जाता है और उसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन को उचित नहीं समझा जाता। यही कारण है कि एक समाज के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में बहुत-से परिवर्तन हो जाने के बाद भी सामाजिक संस्थाओं के रूप में कोई परिवर्तन बहुत कठिनता से ही हो पाता है।
6. **प्रतीक**–प्रत्येक संस्था की विशेषताएँ इसके अनेक प्रतीकों द्वारा स्पष्ट हो जाती हैं। संस्था के प्रतीक भौतिक भी हो सकते हैं और अभौतिक भी। उदाहरण के लिए विवाह एक संस्था है तथा इसमें निहित भावनाओं को अनेक मंत्रों, हवन, वेदी, कलश तथा मंडप जैसे प्रतीकों से अभिव्यक्त किया जाता है।
7. **सामूहिक घटना**–यद्यपि संस्था के निर्माण का विचार सबसे पहले एक व्यक्ति के मन में ही उत्पन्न होता है, लेकिन जब बहुत से व्यक्ति उस विचार अथवा कार्य के तरीके को उपयोगी समझने लगते हैं तभी उसे एक संस्था का रूप मिल जाता है। इस प्रकार संस्था के विकास में सामूहिक प्रयत्नों का समावेश होने के कारण संस्था को एक 'सामूहिक घटना' कहा जाता है।

संस्था के उदाहरण

संस्था की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए यदि हम कुछ उदाहरणों की ओर संकेत करके चलें, तो इस धारणा को सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। इस प्रकार विवाह, नौकरी के नियम, संविधान, उत्तराधिकार के नियम, परीक्षा-प्रणाली, आचार-संहिता आदि के उदाहरण हैं जबकि राजनीतिक दल, दुकान अथवा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को व्यक्तियों का संगठन होने के कारण संस्था नहीं कहा जा सकता। यदि हम 'विवाह' की विशेषताओं को देखें तो स्पष्ट को जायेगा कि विवाह अनेक नियमों और कार्यविधियों की एक व्यवस्था है जिसका उपयोग परिवार की स्थापना करने के लिए किया जाता है। हम परिवार के सदस्य हो सकते हैं लेकिन विवाह के नहीं। इस प्रकार विवाह एक संस्था है जबकि परिवार एक समिति।

3.7 संगठन (Organisation)

'संगठन' शब्द का अर्थ है, 'व्यक्तियों अथवा अंगों की व्यवस्था।' इस प्रकार, परिवार, चर्च, कॉलेज, फैक्टरी, राजनीतिक-दल, क्रीड़ा-समूह, समुदाय, साम्राज्य, संयुक्त, राष्ट्रसंघ सभी संगठन के उदाहरण है। इन सभी में व्यक्तियों या अंगों की एक व्यवस्था होती है जो संगठन का निर्माण करती है। इस व्यवस्था में व्यक्ति अथवा अंग अंत: संबंधित एवं अंतर्निभर होते हैं। वे किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समन्वित ढंग से कार्य करते हैं। संगठन के सदस्यों के, उनकी स्थिति एवं भूमिका के अनुसार, निर्धारित कार्य एवं दायित्व होते हैं।

संगठन अनेक प्रकार के होते हैं। राज्य एक राजनीतिक संगठन है, क्योंकि इसका संबंध राजनीतिक मामलों से है। फैक्टरी एक आर्थिक संगठन है, क्योंकि यह धन के उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है। चर्च एक धार्मिक संगठन है। बैंक वित्तीय संगठन है। कॉलेज शैक्षिक संगठन है। परंतु ये सभी संगठन सामाजिक संगठन, अर्थात् समाज के संगठन भी हैं। इस प्रकार समाजशास्त्र में 'सामाजिक संगठन' शब्द का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसमें समाज का कोई भी संगठन सम्मिलित होता है। संगठन समूह से भिन्न होता है। समूह का तात्पर्य किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति-हेतु दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बंधन से है, जबकि संगठन अन्योन्याश्रित अंगों अथवा समूहों के बीच समन्वित सामाजिक संबंधों का परिचायक है।

3.8 सामाजिक संरचना (Social Structure)

नोट

समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना एक मूल अवधारणा है। लंबे समय से सामाजिक संरचना की परिभाषा देने के अनेक प्रयत्न किये गये हैं, परंतु अभी तक इसकी परिभाषा पर कोई सहमति नहीं है। हर्बर्ट स्पेन्सर समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक था, परंतु वह भी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दे सका। दुर्खीम (Durkheim) ने भी इसे परिभाषित करने का असफल प्रयत्न किया है। सामाजिक संरचना की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं–

(*i*) "स्थूल जनसंख्या एवं उसके व्यवहार, एक-दूसरे से संबंधित भूमिकाएँ अदा करने के रूप में कर्त्ताओं के बीच प्राप्य संबंधों की व्यवस्था अथवा प्रतिमान से अमूर्त्तीकरण के द्वारा हम समाज की संरचना पर पहुँच जाते हैं।"–एस० एफ० नाडेल

(*ii*) "सामाजिक संरचना अंत:संबंधित संस्थाओं, एजेन्सियों एवं सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा प्राप्त स्थितियों एवं भूमिकाओं की विशेष व्यवस्था को कहते हैं।"–टालकोट पारसन्स

(*iii*) "सामाजिक संरचना अंत: क्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना-बाना है जिससे विचारने एवं पर्यवेक्षण ढंगों का विकास हुआ है।" –कार्ल मानहीन

(*iv*) "सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक संगठन के प्रमुख रूप, अर्थात् समूहों, संस्थाओं एवं समितियों के प्रकारों तथा इनके स्वरूपों, जो समाजों का निर्माण करते हैं, से है।" –गिन्सबर्ग

(*v*) "सामाजिक संरचना के घटक मानव-प्राणी हैं, स्वयं संरचना व्यक्तियों की व्यवस्था है जिनके संबंध संस्थात्मक रूप से पारिभाषित एवं नियमित होते हैं।" –रैडक्लिफ ब्राउन

(*vi*) "समूहीकरण के विभिन्न ढंग इकट्ठे होकर सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण से सामाजिक प्राणियों के विभिन्न दृष्टिकोणों एवं हितों की भूमिका का पता चलता है।" –मैकाइवर

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त घटना-वस्तु है। यह समाज के बाह्य पहलुओं को निर्दिष्ट करती है। इसकी इकाइयाँ समूह, संस्थाएँ, समितियाँ तथा संगठन होती हैं। जैसा हमें विदित है, सभी व्यक्ति समाज में दूसरे व्यक्तियों के साथ रहते हैं। प्रत्येक समाज में संगठन का एक प्रतिमान होता है जिसका निर्माण मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों से उत्पन्न संरचनाओं को मिलाकर होता है। जब मनुष्य स्वयं को एक-दूसरे के साथ संबंधित करते हैं तो वे एक संरचनात्मक आकार को जन्म देते हैं। यह संरचनात्मक आकार समूह, समिति या कोई संगठन हो सकता है। सामाजिक संरचना का निर्माण इन्हीं संरचनात्मक आकारों से होता है, जो अंत: संबंधित ढंग से व्यवस्थित की जाती हैं, तांकि समाज सुसंगत रीति से कार्य कर सके। समाज इन संरचनात्मक इकाईयों के माध्यम से कार्य करता है। संस्थाएँ, समितियाँ, समूह, संगठन, समुदाय सभी सामाजिक संरचना के भाग हैं, अर्थात् उपकरण हैं जिनके माध्यम से यह कार्य करता है।

सामाजिक संरचना के अर्थ को जैविक संरचना के उदाहरण से भली प्रकार समझा जा सकता है। एक जैविक संरचना, जिसे शरीर कहते हैं, विभिन्न अंगों, यथा–हाथ, पैर, मुंह, आँख, कान आदि कि व्यवस्था है। व्यवस्था के इन अंगों को एक विशेष एवं क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, ताकि एक प्रतिमान का निर्माण हो सके। शरीर इन अंगों के द्वारा जो अन्योन्याश्रित एवं अंत: संबंधित है, कार्य करता है। यद्यपि जैविक संरचना के अंग सभी मनुष्यों में समान हैं, तथापि इन जैविक संरचनाओं का आकार भिन्न-भिन्न है। कुछ मनुष्य लंबे तो कुछ छोटे, कुछ मोटे, कुछ दुबले-पतले होते हैं। ऐसी ही कुछ स्थिति हम सामाजिक संरचना में भी देखते हैं। सभी सामाजिक संरचनाओं के अंग समान हैं, अर्थात् प्रत्येक सामाजिक संरचना में परिवार, धर्म, राजनीतिक संगठन, आर्थिक संगठन, भूप्रदेश आदि होते हैं, परंतु सामाजिक संरचना के आकार उसी प्रकार भिन्न-भिन्न हैं, जैसे शरीर का आकार है।

उदाहरणतया, सभी सामाजिक संरचनाओं में परिवार का आकार समान नहीं है। कुछ समाजों में एक-पत्नी परिवार है तो अन्य में बहु-पत्नी परिवार है। इसी प्रकार, सामाजिक संरचनाओं के अंग समान होते हुए भी उनके विशिष्ट आकारों में विभिन्नता होती है। अतएव निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना मानवीय संबंध-संरचनाओं की प्रतिमानित व्यवस्था है। ये संरचनायें हैं–(*i*) परिस्थितिकीय सत्ताएँ, (*ii*) मानवीय समूह, (*iii*) संस्थानीय एजेंसियाँ, (*iv*) संगठन तथा (*v*) सामूहिकताएँ (Collectivities)।

सामाजिक संरचना की विशेषता (Characteristics of Social Structure)

1. **सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है**–सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है। इसमें हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग; जैसे हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख, सिर, पेट, आदि एक व्यवस्थित क्रम में परस्पर जुड़ते हैं तो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाह्य रूप को स्पष्टत: देखा जा सकता है। इसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयाँ भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती है, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्य-विधि से नहीं है।
2. **सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है**–प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयाँ, व्यक्ति, समूह, संस्थाएँ, समितियाँ, आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती हैं, अत: वह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयाँ जब परस्पर एक क्रम में जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए, एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर खिड़की व दरवाजे आदि से मिलकर होता है। इन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने पर कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होता है।
3. **सामाजिक संरचना अंत:संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित स्वरूप हैं**–सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है, ये इकाइयाँ अस्त-व्यस्त और बिखरी हुई नहीं होती वरन् उनमें परस्पर संबंध पाया जाता है। उदाहरण के लिए, घड़ी का निर्माण करने वाली सभी इकाइयों को परस्पर जोड़ने पर ही घड़ी की संरचना बनती है।
4. **सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पायी जाती है**–किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण मात्र इकाइयों के झुंड या योग से नहीं होता वरन् उन्हें एक विशिष्ट क्रम में जोड़ने से होता है। क्रम के अभाव में संरचना नहीं बन सकती है। जैसे ईंट, चूने व पत्थर के ढेर से मकान नहीं बन सकता जब तक कि उन्हें एक क्रम में न जोड़ा जाए।
5. **सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है**–सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसके दो अर्थ हैं–(1) सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षतया स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह, समितियाँ एवं संस्थाएँ जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संगठन एवं विवाह, आदि समाज में अपेक्षतया स्थायी रूप से पाये जाते हैं। इनमें छोटा-मोटा परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती। (2) सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थायित्व पाया जाता है। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में पाया जाता है–एक तो इकाइयाँ स्वयं स्थायी होती हैं तथा दूसरे, इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी स्थिरता पायी जाती है।
6. **सामाजिक संरचना अमूर्त होती है–मैकाइवर** और **पारसन्स** सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका मत है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, एजेंसियों, प्रतिमानों, प्रस्थितियों एवं भूमिकाओं से मिलकर होता है। ये सभी इकाइयाँ अमूर्त हैं, इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या रूप नहीं है, उन्हें देखा या छुआ नहीं

नोट

जा सकता है। अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है, ये संबंध अमूर्त हैं, अतः सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है, किंतु रैडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना की इकाई व्यक्ति को मानते हैं, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में ही करते हैं।

7. **सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप-संरचनाओं से होता है**—प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण उप-संरचनाओं (Sub-structures) से मिलकर होता है। जिस प्रकार से शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन व श्वसन संस्थानों आदि से होता है जिसमें अनेक अंग होते हैं। उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप-संरचनाओं; जैसे परिवार, जाति, वर्ग, चर्च, शिक्षण-संस्था, धार्मिक-संस्था, आर्थिक-संस्था, आदि के द्वारा होता है जिनकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। इस प्रकार उप-संरचनाएँ मिलकर सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं जिनकी प्रत्येक की अपनी भी एक संरचना होती है।
8. **सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है**—प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से भिन्न होती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी-न-किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, राजनीतिक दशा एवं भौगोलिक परिस्थितियों में अंतर पाया जाता है, अतः सामाजिक संस्थाएँ भी इनसे प्रभावित होने के कारण भिन्न-भिन्न प्रकार की होती है। **रैडक्लिफ ब्राउन** ने सामाजिक संरचना की धारणा में स्थानीय विशेषताओं को भी उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण माना है।
9. **सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व-निश्चित स्थान व पद होता है**—सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का पद एवं स्थान निर्धारित होता है, उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अन्य स्थान पर होने पर संरचना बिगड़ जाती है। जिस प्रकार से शरीर संरचना में हाथ, पाँव, नाक, कान, आँख का एक स्थान तय है और यदि हाथ का स्थान पाँव, नाक का स्थान कान व आँख का स्थान जीभ ले ले तो शरीर संरचना विकृत हो जाएगी, उसी प्रकार सामाजिक संरचना में राज्य, चर्च, परिवार, विवाह, धर्म, न्याय-व्यवस्था, शिक्षण संस्था आदि सभी का स्थान पूर्व-निर्धारित है, यदि ये एक-दूसरे का स्थान ग्रहण कर लें तो सामाजिक संरचना में विकृति आ जायेगी।
10. **सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएँ भी महत्त्वपूर्ण होती हैं**—सामाजिक संरचना के निर्माण में सहयोगी एवं असहयोगी प्रक्रियाओं; जैसे सहयोग, अनुकूलन, व्यवस्थापन, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्द्धा एवं सहयोग, आदि की भूमिका भी महत्त्वपूर्ण है। ये सामाजिक प्रक्रियाएँ ही सामाजिक संरचना के स्वरूप के तय करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है।
11. **सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाये जाते हैं**—सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, किंतु कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती और न ही उसमें पूर्ण संगठन पाया जाता है। कई बार यह समाज में विघटन भी पैदा करती है। **मर्टन** तथा **दुर्खीम** का मत है कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता (anomie) पैदा करती है। सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही पैदा करने वाले तत्व पाये जाते हैं।

3.9 सामाजिक व्यवस्था अर्थ एवं परिभाषा (Social System : Meaning and Definition)

सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा भी सामाजिक संरचना की भाँति एक महत्त्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अवधारणा है। प्रत्येक समाज अथवा समूह में व्यवस्था होती है। व्यवस्था के अभाव में कोई इकाई काम नहीं कर सकती।

व्यवस्था का अर्थ (*Meaning of System*)

सामाजिक व्यवस्था के अर्थ को समझने से पूर्व, हमें 'व्यवस्था' शब्द का अर्थ समझ लेना चाहिए। सरल शब्दों में, व्यवस्था, सुव्यवस्थित इंतजाम है। हम शरीर व्यवस्था का उदाहरण ले सकते हैं। मानव शरीर के विभिन्न अंग, यथा–हाथ, पैर, कान, आँख, नाक, मुँह, हृदय, मन आदि हैं। इन अंगों का शरीर में नियत स्थान है तथा इनको एक विशेष ढंग से व्यवस्थित किया गया है जिसे 'अवयवी संरचना' कहते हैं। हम मनुष्य की संरचना एवं कुत्ते की संरचना में भेद कर सकते हैं, क्योंकि संरचना एक विशिष्ट प्रतिमान है। जिसके आधार पर एक संरचना का दूसरी संरचना से भेद किया जा सकता है। संरचना के प्रत्येक अंग का विशेष कार्य होता है।

इन कार्यों के आधार पर वे एक-दूसरे से अंत:संबंधित होते हैं तथा अंत:क्रिया करते हैं। इन अंगों के बीच अंत:क्रिया एवं अंतर्संबंध के द्वारा संरचना अधिक क्रियाशील हो जाती है। अवयवी संरचना के पहलू को अवयवी व्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार, 'व्यवस्था' शब्द इसी संरचना के घटक अंगों के मध्य प्रतिमानित संबंध को व्यक्त करता है जो प्रकार्यात्मक संबंध पर आधारित है तथा जो इन अंगों को क्रियाशील बनाकर एक इकाई में बाँधता है।

संक्षेप में, व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

(*i*) व्यवस्था एकात्मक अवधारणा नहीं है। व्यवस्था का निर्माण विभिन्न अंगों को मिलाकर होता है।

(*ii*) इन अंगों के संग्रह मात्र से ही व्यवस्था का निर्माण नहीं हो जाता। इन अंगों को क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उनके बीच क्रमबद्ध संबंध होना चाहिए।

(*iii*) इन अंगों की व्यवस्था से एक प्रतिमान (pattern) का जन्म होना चाहिए। एक घड़ी के पुर्जों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाजिए जिससे एक विशिष्ट प्रतिमान अर्थात् घड़ी का निर्माण हो सके। यह प्रतिमान ही है जिसके आधार पर साइकिल और घड़ी में भेद किया जाता है, यद्यपि दोनों में अंगों की व्यवस्था होती है।

(*iv*) व्यवस्था के अंगों में प्रकार्यात्मक संबंध होता है। प्रत्येक अंग का निश्चित कार्य होता है। व्यवस्था का संबंध प्रत्येक अंग से होता है तथा प्रत्येक अंग व्यवस्था से संबंधित होता है। उदाहरणतया, साइकिल के पहिए को घूमने के लिए इसे चेन, फ्रीह्वील आदि से संबंधित किया जाना चाहिए।

(*v*) अंगों का बाहुल्य एकता को जन्म देता है। यद्यपि अंग भिन्न-भिन्न कार्य करते हैं, तथापि प्रकार्यात्मक रूप से वे इस प्रकार संबंधित होते हैं कि एक नई वस्तु का निर्माण हो जाता है। फाउन्टेनपेन में एक निब, ट्यूब, क्लिप और बाड़ी होती है। इन अंगो को व्यवस्थित ढंग से संगृहीत किया जाता है जिससे फाउन्टेनपेन बन जाता है। व्यवस्था में अंग अपनी उपस्थिति नहीं खोते। वे जीवित रहते हैं तथा अपने विशिष्ट कार्यों को करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि किसी एक अंग में दोष सारी व्यवस्था की क्रिया को प्रभावित कर सकता है।

व्यवस्था के प्रकार (*Types of System*)

व्यवस्था प्रमुखतया दो प्रकार की होती हैं–

(*i*) प्राकृतिक (natural) एवं (*ii*) मानव-निर्मित (man made)

प्राकृतिक व्यवस्था का निर्माण प्रकृति द्वारा किया जाता है। यह मनुष्य की इच्छा से स्वतंत्र होती है। इसके दो प्रकार होते हैं–(*i*) अप्राणित (inorganic) तथा (*ii*) अंगीय (organic)। अप्राणित का संबंध अजीवित वस्तुओं, यथा सौर जगत् से होता है। अंगीय जैविक वस्तुओं, यथा–मानव-शरीर अथवा पौधों से संबंधित है।

मानव-निर्मित व्यवस्था मनुष्य द्वारा बनायी जाती है। इसके चार प्रकार हो सकते हैं–(*i*) यांत्रिक व्यवस्था (mechanical system), (*ii*) व्यक्तित्व-व्यवस्था (personality system), (*iii*) सांस्कृतिक व्यवस्था (cultural system), तथा (*iv*) सामाजिक व्यवस्था (social system)

सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा (Concept of Social System)

व्यवस्था का अर्थ समझ लेने के बाद सामाजिक व्यवस्था की अवधारणा को सुगमता से समझा जा सकता है। सामाजिक व्यवस्था सामाजिक अंत:-क्रियाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सुगठन है। यह अंत:-क्रियाशील संबंधों का समूह है। इसकी परिभाषा करते हुए कहा जा सकता है कि "व्यक्तियों का बाहुल्य है जो एक-दूसरे के साथ संभागी सांस्कृतिक प्रतिमानों एवं अर्थों के अनुसार अंत:-क्रिया करते हैं।" सामाजिक व्यवस्था के घटक अंग व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की एक भूमिका (role) होती है। वह अंत:-क्रियाशील संबंधों में भाग लेता है।

दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करता है तथा उनके व्यवहार से प्रभावित होता है। समाज में व्यक्तियों एवं समूहों का व्यवहार सामाजिक संस्थाओं द्वारा नियन्त्रित होता है। विविध समूह स्वतंत्र अथवा विलग ढंग से कार्य नहीं करते। वे एक समन्वित समग्र व्यवस्था से संलग्न अंग होते हैं। वे सामाजिक प्रतिमानों के अनुसार कार्य करते हैं। अपने अंत:संबंधों एवं अंत:क्रियाओं के आधार पर वे एक प्रतिमान का निर्माण करते हैं जिसे सामाजिक व्यवस्था कहा जाता है।

सामाजिक व्यवस्था एक संगठन है, क्योंकि इसमें अंगों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध सुगठन होता है, परंतु यह अंत:-क्रिया एवं अंगों के अंत:संबंधों पर बल देता है जो संगठन की अवधारणा में नहीं पाया जाता। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक उप-व्यवस्थाएँ होती हैं, जैसे राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आदि। इन सभी व्यवस्थाओं में प्रत्येक अंत:क्रियाशील व्यक्ति का कोई न कोई कार्य होता है।

3.10 सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Social Stratification)

सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भू-गर्भशास्त्र (Geology) से लिया गया है। भू-गर्भशास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बांटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार की अनेक सामाजिक परतें पायी जाती हैं। प्रत्येक समाज अपनी जनसंख्या को आय, व्यवसाय, संपत्ति, जाति, धर्म, शिक्षा, प्रजाति एवं पदों के आधार पर निम्न एवं उच्च श्रेणियों में विभाजित करता है। प्रत्येक विभाजन एक परत के समान है और वे सभी परतें जब उच्चता एवं निम्नता के क्रम में रखी जाती हैं तो सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जानी जाती हैं। विभिन्न विद्वानों ने सामाजिक स्तरीकरण को निम्न प्रकार परिभाषित किया है–

जिसबर्ट के अनुसार, "सामाजिक स्तरीकरण समाज का उन स्थायी समूहों अथवा श्रेणियों में विभाजन है जो कि आपस में श्रेष्ठता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा संबद्ध होते हैं।"

रेमण्ड मूरे के अनुसार, "स्तरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाईयों में समाज का क्षैतिज विभाजन है।"

सदरलैण्ड एवं वुंडबर्ड के शब्दों में, "स्तरीकरण केवल अंत:-क्रिया अथवा विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है।"

टालकॉट पारसन्स के अनुसार, "किसी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊँचे और नीचे क्रम-विन्यास में विभाजन ही स्तरीकरण है।"

ऑगबर्न एवं *निमकॉफ* के अनुसार, "वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों एवं समूहों को थोड़े-बहुत स्थायी परिस्थितियों के उच्चता एवं निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है, स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है।"

उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि सामाजिक स्तरीकरण द्वारा समाज विभिन्न उच्च एवं निम्न समूहों में विभाजित एवं व्यवस्थित होता है तथा ये समूह एक-दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं और सामाजिक एकता को बनाए रखते हुए समाज में स्थिरता कायम रखते हैं।

नोट

3.11 सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत (Theories of Social Stratification)

क्या कारण है कि विश्व के सभी समाजों में स्तरीकरण विद्यमान है, तथा इसकी प्रक्रिया क्या है? ऐसे ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए समाजशास्त्रियों ने विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। उनमें से यहाँ कुछ का उल्लेख करेंगे।

(1) संघर्ष का सिद्धांत (Conflict Theory)

इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स अग्रणीय है। उन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को समाज में पाये जाने वाले संघर्ष के आधार पर स्पष्ट किया है। इस सिद्धांत का उल्लेख उन्होंने अपनी कृति 'कंम्युनिस्ट मैनिफेस्टो' (Communist Menifesto) में किया है। वे लिखते हैं, "आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए उनका इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है।" इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक युग में सामाजिक वर्ग मौजूद रहे हैं और उनमें परस्पर संघर्ष रहा है। प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, कुलीन व अकुलीन, सामंत और अर्ध-दास, अत्याचारी और पीड़ित, आदि वर्ग रहे हैं। वर्तमान पूँजीवादी समय में बुर्जुआ (पूँजीपति) एवं सर्वहारा (श्रमिक) ये दो वर्ग प्रमुख हैं जो परस्पर संघर्षरत हैं। उच्च वर्ग ने सदैव ही निम्न वर्ग का शोषण किया है।

वर्गों का जन्म उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व अथवा अस्वामित्व के आधार पर होता है। इस आधार पर समाज में दो प्रधान एवं विरोधी वर्गों का जन्म होता है—एक वह जिसका उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होता है और दूसरा वह जो इससे वंचित होता है। वर्गों का स्वरूप उत्पादन के ढंग पर निर्भर करता है। उत्पादन का ढंग भी इसी बात पर निर्भर होता है कि वह समाज प्रौद्योगिकी के कौन से स्तर पर है। *शुम्पीटर* का मत है कि मार्क्स की प्रमुख रुचि वर्गों के विकास में थी। *बोटोमोर* कहते हैं कि मार्क्स सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन लाने में वर्गों की भूमिका में रुचि रखता था। वर्तमान औद्यागिक एवं पूँजीवादी व्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व की दृष्टि से दो वर्गों का उदय हुआ है—एक पूँजीपति का बुर्जुआ वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग (सर्वहारा) का। पूँजीपति अधिकाधिक लाभ कमाने के लिए श्रमिकों को कम-से-कम देना चाहते हैं। श्रमिक-वर्ग इस शोषण का विरोध करता है, किंतु पूँजीपति जो कि अपनी आर्थिक शक्ति के आधार पर राजनीतिक शक्ति भी धारण करते हैं, श्रमिकों के विरोध का थोड़े समय के लिए दमन कर देते हैं, किंतु उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रीकरण होने, यातायात के साधनों का विकास होने, पूँजीपति और श्रमिकों के बीच आर्थिक एवं सामाजिक दूरी के बढ़ने, आदि के कारण श्रमिक वर्ग में एकता एवं चेतना की वृद्धि होती है।

वे एकजुट होकर पूँजीपतियों से संघर्ष करते हैं और अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार मार्क्स आर्थिक कारण को ही वर्ग का आधार मानता है। यद्यपि वह इस बात से भली-भांति परिचित था कि सामाजिक विभेदीकरण से इन दो प्रधान वर्गों के अतिरिक्त विरोधी हितों वाले कई अन्य समूह भी उत्पन्न हो जाते हैं, किंतु उसने इस तथ्य की अनदेखी की। इसका कारण यह था कि वह वर्ग-विहीन समाज के आदर्श एवं राजनीतिक प्रतिबद्धता से बंधा हुआ था। मार्क्स वर्गों के जन्म में आर्थिक कारणों को ही प्रमुख और अन्य सभी कारणों को इससे प्रभावित मानते हैं। धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति, दर्शन एवं साहित्य सभी कुछ समाज की अर्थव्यवस्था से ही प्रभावित होते हैं। आर्थिक कारण ही प्रमुख है, नींव है जिस पर धर्म, सभ्यता, कला एवं संस्कृति की अधो-संरचना (Super-Structure) कायम है। मार्क्स श्रमिकों को अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए जागरूक एवं एकजुट होने का आमंत्रण देता है। वह कहता है—'दुनिया के मजदूरों एक हो, तुम्हें तुम्हारी बेड़ियों के सिवा कुछ नहीं खोना है' (Workers of the world unite, you have to loose nothing except your chains)। मार्क्स मजदूरों को धर्म से बचने के लिए भी कहते हैं क्योंकि उनके अनुसार धर्म अफीम है जिसका प्रयोग पूंजीपति अपने हितों की रक्षा के लिए भी करते हैं। यह पूँजीपतियों से किसी प्रकार का समझौता न करने की बात कहते हैं। मार्क्स श्रमिकों की विजय के प्रति काफी आशावादी रहे हैं।

आलोचना

मार्क्स के वर्ग-संघर्ष के सिद्धांत की अनेक आलोचनाएँ की जाती हैं—(1) मार्क्स ने अपने सिद्धांत में आर्थिक कारणों को आवश्यकता से अधिक महत्त्व दिया है और सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारकों की अवहेलना की है। (2) आज तक का इतिहास यह बताता है कि सभी समाजों में वर्ग रहे हैं, फिर मार्क्स द्वारा वर्ग-विहीन समाज का आदर्श एक कल्पना मात्र है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। (3) मार्क्स ने यह भी नहीं बताया कि वर्ग-विहीन समाज में सामाजिक स्तरीकरण का क्या आधार होगा क्योंकि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है। (4) जिन समाजों में वर्ग-व्यवस्था है, वहाँ वर्ग-संघर्ष का सिद्धांत लागू हो सकता है, किंतु भारत जैसे देश में जहाँ जाति-प्रथा विद्यमान है, यह पूरी तरह लागू नहीं होता है। (5) जॉनसन कहते हैं कि उत्पादन के दौरान संघर्ष की बजाय सहयोग अधिक होता है। बिना सहयोग के उत्पादन ठप हो जाता है। अत: श्रमिकों व पूँजीपतियों में सदैव संघर्ष की बात उचित प्रतीत नहीं होती है। (6) वर्तमान समय में सरकार एवं पूँजीपतियों ने श्रमिकों के कल्याण के लिए अनेक कार्य किये हैं। इससे उनमें संघर्ष के स्थान पर सहयोग बढ़ा है। (7) मार्क्स की कई भविष्यवाणियाँ गलत सिद्ध हुई हैं और आज वर्गों का विकास उस प्रकार से नहीं हो रहा है जिस प्रकार की उसने कल्पना की थी। (8) मार्क्स ने कुछ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह आवश्यक नहीं कि समाज में वर्गों का निर्माण उसकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के अनुसार ही हो। उसके विचारों में पक्षपात एवं अवैज्ञानिकता पायी जाती है।

(2) प्रकार्यवादी सिद्धांत (Functional Theory)

सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किंग्सले डेविस तथा विलबर्ट मूर ने अपने लेख 'सम प्रिन्सिपल ऑफ स्ट्रैटीफिकेशन' (Some Principles of Stratification) में किया है। उन्होंने अपना लेख इस मान्यता से प्रारंभ किया है कि कोई भी समाज वर्ग-विहीन नहीं है; सभी समाजों में संस्तरण पाया जाता है। सभी समाजों में स्तरीकरण इसलिए पाया जाता हे कि प्रत्येक समाज यह महसूस करता है कि सामाजिक संरचना में व्यक्तियों का कोई न कोई स्थान निश्चित होना चाहिए तथा विभिन्न पदों को प्राप्त करने की उन्हें प्रेरणा दी जानी चाहिए। इस प्रकार सामाजिक विषमता समाज में अचेतन रूप में विकसित होती है। इसके द्वारा समाज ऐसी व्यवस्था करता है, कि सबसे महत्त्वपूर्ण पदों पर सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्ति ही पहुँचे।

डेबिस कहते हैं, "समाज के विभिन्न पदों के लिए विभिन्न योग्यता एवं बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है तथा कुछ व्यक्तियों का महत्त्व अधिक होता है।" जो पद सामाजिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण होते हैं, ऐसे पदों के लिए अधिक पुरस्कार की व्यवस्था की जाती है। महत्त्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए विशेष प्रतिभा एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कुछ प्रशिक्षण कठिन और खर्चीले होते हैं। अत: उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए इन पदों के लिए, समाज अधिक सुविधा एवं पुरस्कार की व्यवस्था करता है। उदाहरण के लिए, समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, आई. ए. एस., आदि के पद महंगे और अधिक परिश्रम के बाद प्राप्त होते हैं—बजाय एक अध्यापक या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद के। अत: इन पदों के लिए समाज द्वारा अधिक वेतन एवं सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है। प्रश्न उठता है कि विभिन्न पदों को धारण करने एवं उनके अनुसार कार्य करने की प्रेरणा देने के लिए समाज लोगों को क्या पुरस्कार देता है, डेविस कहता है कि समाज तीन प्रकार के पुरस्कार देता है, प्रथम समाज वे वस्तुएँ देता है जो व्यक्तियों के जीवन-धारण एवं आराम के लिए आवश्यक होती हैं, अर्थात् आर्थिक प्रोत्साहन। द्वितीय, समाज मन बहलाव तथा सौंदर्य तथा बोधात्मक प्रकृति की वस्तुएँ प्रदान करता है। तृतीय, समाज आत्मसम्मान एवं अहं की तुष्टि करने वाली वस्तुएँ प्रदान करता है अर्थात् प्रतीकात्मक प्रोत्साहन देता है। उदाहरण के लिए, वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को 'परमवीर चक्र' और महावीर चक्र' प्रदान किये जाते हैं। राष्ट्रपति द्वारा दी जाने वाली 'भारत रत्न', 'पदम् विभूषण' तथा 'पद्मश्री', आदि उपाधियाँ सम्मानजनक पुरस्कार हैं।

इस प्रकार जब समाज में कुछ लोगों को अधिक अधिकार, पुरस्कार एवं सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं और कुछ को कम तो समाज में स्वत: ही स्तरीकरण पैदा हो जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या यह सिद्धांत केवल मुक्त समाजों (Open societies) में ही होता है। जहाँ व्यक्ति योग्यता एवं प्रशिक्षण के आधार पर

पदों को प्राप्त कर सकता है या यह उन समाजों पर भी लागू होता है जहाँ पद जन्म एवं पारिवारिक स्थिति के आधार पर प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए, भारत में अनेक पद जाति के आधार पर प्राप्त होते हैं। *डेविस* का मत है कि यह सिद्धांत बंद एवं मुक्त दोनों ही समाजों पर लागू होता है क्योंकि स्तरीकरण में व्यक्तियों का नहीं वरन् पदों को का-विन्यास (Ranking) होता है। भारत में भी पदों के महत्त्व एवं कार्यों की प्रकृति के अनुसार क्रम-विन्यास पाया जाता है। स्पष्ट है कि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक तथ्य है।

आलोचना

प्रकार्यवादी सिद्धांत की कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की है। *बोटोमोर* ने इसकी कुछ आलोचनाएँ निम्न प्रकार की हैं–

(1) यह बात सही नहीं है कि स्तरीकरण एक सार्वभौमिक: तथ्य है और सभी समाजों में पदों की एक सुनिश्चित व्यवस्था होती है।

(2) प्रकार्यवादियों द्वारा प्रयुक्त 'सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थितियाँ' और 'सार्वधिक योग्य व्यक्तियों' दोनों ही शब्दावलियाँ स्पष्ट नहीं हैं। समाज में सभी पद एवं व्यक्ति अपने-अपने स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं क्योंकि समाज को सभी प्रकार के कार्यों की आवश्यकता होती है। क्या चमार, जुलाहा और हरिजन का कार्य राजा से कम महत्त्वपूर्ण है? फिर यह कहना भी सही नहीं है कि महत्त्वपूर्ण पदों पर योग्य व्यक्ति ही पहुँचते हैं। कई बार अयोग्य व्यक्ति भी घूस एवं सिफारिश के द्वारा महत्त्वपूर्ण पदों पर पहुँच जाते हैं। कई बार यह व्यक्तियों की रुचि पर भी निर्भर करता है कि वे महत्त्वपूर्ण प्रस्थितियाँ ग्रहण करें या नहीं।

(3) यह सिद्धांत व्यक्तियों के पदों की अवधारणा पर आधारित है न कि सामाजिक समूह एवं वर्ग पर।

(4) यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न प्रकारों और एक प्रकार से दूसरे प्रकार में परिवर्तन की प्रक्रिया का भी विवरण प्रस्तुत नहीं करता, केवल उन्हें स्वीकार मात्र करता है।

(5) यह सिद्धांत सामाजिक स्तरीकरण और राजनीति संघर्ष के बीच के संबंधों पर प्रकाश नहीं डालता।

बोटोमोर द्वारा प्रस्तुत उक्त आलोचनाएँ महत्त्वपूर्ण हैं, परंतु फिर भी उनकी इस आलोचना को स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि स्तरीकरण सार्वभौमिक नहीं है।

(3) मैक्स वेबर का सिद्धांत (Theory of Max Weber)

मैक्स वेबर भी मार्क्स की भांति स्तरीकरण उत्पन्न करने में वर्गों के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। वे वर्ग के निर्धारण में आर्थिक कारकों के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। संपत्ति पर अधिकार, सामाजिक अवसर, जीवन संबंधी सुविधाओं एवं वर्ग निर्धारण के लिए महत्त्वपूर्ण है। जहाँ मार्क्स केवल आर्थिक कारकों को ही महत्त्वपूर्ण मानता है, वहाँ वेबर आर्थिक के साथ-साथ सत्ता एवं शक्ति को भी महत्त्वपूर्ण मानते हैं। संपत्ति के आधार पर दो वर्ग बनते हैं–एक संपत्ति के अधिकारी एवं दूसरा संपत्ति विहीन। इसी प्रकार सत्ता एवं सम्मान भी समाज में स्तर पैदा करते हैं। संपत्ति पर अधिकार रखने वाले लोगों का समाज में विशिष्ट सम्मान होता है तथा वे सत्ता प्राप्त करने में भी सक्षम होते हैं। इस प्रकार संपत्ति, शक्ति एवं सम्मान समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं।

(4) अन्य सिद्धांत (Other Theories)

सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित कुछ अन्य सिद्धांतों का हम यहाँ संक्षेप में उल्लेख करेंगे:

वेब्लन (Veblen) ने अपनी पुस्तक 'The Theory of Leisure Class' में विलासी वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया। वह वर्ग जिसके पास व्यक्तिगत संपत्ति बहुत होती है और जो उत्पादन की प्रौद्योगिकी प्रणाली अपनाती है, विलासी वर्ग के नाम से जाना जाता है। यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित होता है। इसका अधिकार बड़े-बड़े उद्योगों, व्यापार, बैंक, कानून व्यवस्था एवं औद्योगिक संस्थानों पर होता है। आर्थिक

नोट

बल के कारण ही यह वर्ग-अन्य सभी लोगों से अधिक सुविधाएँ और आराम भोगता है और दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करता है। यह वर्ग किसी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं करता है। इस प्रकार वेब्लन समाज को दो वर्गों में विभक्त करता है—प्रथम, वह जो अनुत्पादक होते हुए भी अपनी आर्थिक शक्ति के कारण विलास की वस्तुओं का उपभोग करता है एवं द्वितीय, वह जो उत्पादन कार्य में लगा होने पर भी अपनी क्षीण आर्थिक स्थिति के कारण इच्छानुसार उपभोग करने में असमर्थ होता है। वेब्लन का मत है कि उपभोग के संबंध में यह भिन्नता आदिम काल से चली आयी है, किंतु उस समय परंपराएँ ही तय करती थीं कि कौन किस वस्तु का उपभोग करेगा। इस प्रकार समाज में ऊँचे व नीचे दो वर्ग बन जाते हैं जो स्तरीकरण पैदा करते हैं।

वारनर (Warner) ने अमेरिकन समाज में वर्ग बनने के आधारों का अध्ययन किया और कहा कि सम्मान और प्रस्थिति-समूह वर्ग निर्माण में सहायक हैं। उसने अमेरिकन समाज में छः वर्गों का उल्लेख किया जो समाज में स्तरीकरण पैदा करते हैं। वे हैं—(1) उच्च उच्चतम वर्ग, (2) निम्न उच्चतम वर्ग, (3) उच्च मध्यम वर्ग, (4) निम्न मध्यम वर्ग, (5) उच्च निम्न वर्ग, तथा (6) निम्नतम वर्ग।

सी. राइट मिल्स (C. Wright Mills) ने स्तरीकरण के लिए शक्ति को महत्त्वपूर्ण माना है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न व्यक्ति सेना के उच्चाधिकारियों से अपने संबंध कायम कर लेते हैं और समाज में आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दृष्टि से प्रभावशाली बन जाते हैं। दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जिनका आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक प्रभाव कम या नगण्य होता है। यह भिन्नता ही समाज में स्तरीकरण पैदा करती है।

पारसन्स (Parsons) संपत्ति को व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति के निर्धारण में महत्त्वपूर्ण मानते हैं। पारसन्स प्रकार्यवादी की इस बात को स्वीकार करते हैं कि समाज के महत्त्वपूर्ण पदों को योग्य व्यक्तियों द्वारा ही भरा जाता है। समाज में कौन-सा पद महत्त्वपूर्ण होगा, यह सामाजिक मूल्यों एवं उद्देश्यों पर निर्भर करता है। संतुलन एवं एकता में विश्वास करने वाले, समाज के उद्देश्य संघर्ष में विश्वास करने वाले समाज से भिन्न होते हैं। इस प्रकार सामाजिक मूल्य एवं उद्देश्य स्तरीकरण के प्रमुख आधार हैं।

गोल्डहैमर तथा शिल्स (Goldhamer and Shils) ने शक्ति को सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना है। व्यक्ति की स्थिति उसे प्राप्त शक्ति की मात्रा के अनुसार ऊँची या नीची हो सकती है। प्रभाव की मात्रा और प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या के घटने-बढ़ने के साथ-साथ व्यक्ति की स्थिति में भी उतार-चढ़ाव आ सकता है।

3.12 धर्म-तंत्र की अवधारणा (Concept of Hierarchy)

जीवन के मौलिक प्रश्नों पर भारतीय चिंतक आदि-काल में ही विचार करते और समय-समय पर ऐसी व्यवस्थाओं को प्रस्तावित करते रहे हैं जो मानवता के विकास में योग देती हैं, मनुष्य को अपना जीवन सफल बनाने में सहायता पहुँचाती हैं और उसे अपने कर्तव्यों का बोध कराते हुए पालन करने की प्रेरणा देती हैं। भारतीय विद्वानों के चिंतन, मनन और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अनुभवों का प्रभाव भारतीय सामाजिक संस्थाओं पर बहुत गहरा पड़ता है। कुछ लोगों की तो यह मान्यता है कि संस्थाओं के विकास के पश्चात् उन्हें तर्क-संगत ठहराने की दृष्टि से मत रचे जाते हैं। इन विचारों को हृदयंगम कर हम भारतीय सामाजिक संस्थाओं को अधिक सरलता से समझ सकते हैं।

भारतीय समाज धर्म-प्राण समाज कहलाता रहा है और धर्म की प्रत्येक क्षेत्र में महत्ता रही है। धर्म, व्यक्ति, परिवार, समाज और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। यहाँ भौतिक सुख प्राप्ति को जीवन का परम लक्ष्य नहीं मानकर धर्म संचय को प्रधानता दी गई है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था मूलतः धर्म पर आधारित है। यहाँ धर्म के आधार पर जीवन के समस्त कार्यों की व्यवस्था करने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज में व्यक्ति ज्ञान, भक्ति अथवा कर्म के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयत्न करता रहा है। वह सत्, चित् और आनन्द की प्राप्ति का प्रयास तथा जीवन के परम सत्य को जानने की कोशिश में लगा रहा। **डॉ. राधाकृष्णन** ने लिखा है, "धर्म की धारणा के अंतर्गत हिंदू उन सब अनुष्ठानों और गतिविधियों को ले आता है, जो मानवीय जीवन को गढ़ती और बनाये रखती

है। हमारे पृथक्-पृथक् हित होते हैं, विभिन्न इच्छायें होती हैं और विरोधी आवश्यक होती है, जो बढ़ती है और बढ़ने की दशा में ही परिवर्तित भी हो जाती है। उन सबको घेरघार कर एक समग्र रूप में प्रस्तुत कर देना धर्म का प्रयोजन है। धर्म का सिद्धांत हमें आध्यात्मिक वास्तविकताओं को मान्यता देने के प्रति सजग करता है। संसार में विरक्ति द्वारा नहीं, अपितु इसके जीवन में, इसके व्यवसाय (अर्थ) और इसके आनन्द (काम) में आध्यात्मिक विश्वास की नियंत्रण शक्ति का प्रवेश कराने के द्वारा प्राप्त होता है। जीवन एक है और इसमें पारलौकिक (पवित्र) और ऐहिक (सांसारिक) का कोई भेद नहीं है। भक्ति और मुक्ति एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। धर्म, अर्थ और काम साथ ही रहते हैं। दैनिक-जीवन के सामान्य व्यवसाय सच्चे अर्थों में भगवान की सेवा है। सामान्य कृत्य भी उतने ही प्रभावी हैं जितनी की मुनियों की साधना।

स्पष्ट है कि धर्म हिंदुओं के जीवन को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक रूपों में प्रभावित करता रहा है। **टाल्सटॉय** ने कहा है–"हमारे युग के उद्‌भट विद्वानों ने तय कर दिया है कि अब धर्म की कोई आवश्यकता नहीं तथा यह भी कि विज्ञान धर्म का स्थान लेगा अथवा ले चुका है। किंतु फिर भी यह सत्य अमिट है कि धर्म के बिना न पहले, तथा न अब कोई मनुष्य, समाज और विवेकी पुरुष जीवित है, न रह सकता है।" **डॉ. राधाकमल मुकर्जी** ने बतलाया है "भारतीय जीवन रचना का निर्माण आत्मा, प्रकृति तथा परमात्मा और उनके पारस्परिक संबंधों की विवेचना करने वाले सूक्ष्म आध्यात्मिक दर्शन के आधार पर हुआ है।" इस प्रकार स्पष्ट है कि परंपरागत भारतीय सामाजिक व्यवस्था धर्म पर आधारित रही है।

धर्म एक अत्यंत व्यापक अवधारणा है। धर्म उस मौलिक शक्ति के रूप में जाना जा सकता है। जो भौतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था का आधार रूप है और जो उस व्यवस्था को बनाये रखने के लिए आवश्यक है। **गिलिन** और **गिलिन** ने धर्म को परिभाषित करते हुए लिखा है, "एक सामाजिक समूह में व्याप्त उन संवेगात्मक विश्वासों को जो किसी अलौकिक शक्ति से संबंधित है और साथ ही ऐसे विश्वासों से संबंधित प्रकट व्यवहारों, भौतिक वस्तुओं एवं प्रतीकों को धर्म के समाजशास्त्रीय क्षेत्र में सम्मिलित माना जा सकता है।" 'रिलीजन' शब्द के अंतर्गत अलौकिक विश्वास एवं अधि-प्राकृतिक शक्तियाँ आती हैं, परंतु हिंदू धर्म का संबंध मुख्यतः मनुष्य के कर्तव्य बोध से है। हिंदू धर्म एक ज्ञान है जो अलग-अलग परिस्थितियों में व्यक्तियों के विभिन्न कर्तव्यों को बतलाता है, उन्हें कर्तव्य पथ पर चलते रहने की प्रेरणा प्रदान करता है, मानवोचित गुणों को उनमें विकसित करता है। वेद, उपनिषद्, गीता, स्मृतियाँ, पुराण तथा मनुष्य का अंतः-करण हिंदू धर्म के मूल स्रोत हैं। ये ग्रंथ ऋषियों के अनुभूत प्रयोगों के परिणाम हैं, उनके चिंतन और मनन के ज्वलन्त उदाहरण हैं। इन धर्म-ग्रंथों के माध्यम से भारतीय सामाजिक व्यवस्था का स्वरूप निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। इन ग्रंथों में धर्म की विस्तृत व्याख्या की गई है, अनेक अर्थों में धर्म का प्रयोग किया गया है। **डॉ. इन्द्रदेव** ने लिखा है, "धर्म के अंतर्गत नैतिक नियम, कानून, रीति-रिवाज, वैज्ञानिक नियम इत्यादि बहुत-सी धारणायें आ जाती हैं। **मीज** ने अपनी पुस्तक 'धर्म एंड सोसायटी' में प्राचीन साहित्य में प्राप्त धर्म शब्द के अनेक अर्थों का विवेचन किया है। उन्होंने बतलाया है कि धर्म शब्द का प्रयोग मूर्त अथवा अमूर्त दोनों रूपों में हुआ है।

मनुष्य के समस्त आदिम और सभ्य समाजों में 'धर्म' संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है। धर्म मनुष्य समाज की सार्वदेशिक विशेषता है। किंतु प्रत्येक सपाज के धार्मिक विश्वास का स्वरूप और अभ्यास बहुधा दूसरे समाज के धर्म से भिन्न होते हैं। सभ्य संसार में कुछ ऐसे धर्म अवश्य हैं जिनके अनुयायीयों की संख्या करोड़ों तक पहुँच गई है और जो कई महाद्वीपों तक फैले हैं।

धर्म संस्कृति से प्रतिष्ठित ऐसा व्यवहार है जिसमें लोग किसी अलौकिक शक्ति या जीव में विश्वास करते हैं और सामुदायिक वैयक्तिक आचरण पर उस सर्वोपरि सत्ता को प्रसन्न कर अपने श्रेयस् की कामना करते हैं। धर्माचरण में मानसिक और शारीरिक क्रियाएँ दोनों ही का समावेश होता है। मानसिक क्रियाएँ वे गहरे उद्वेग और भावनाएँ हैं जो अलौकिक सत्ता में विश्वास के साथ जुड़े रहते हैं। शारीरिक क्रियाएँ वे कार्य या व्यवहार होती हैं जिनसे उस अलौकिक शक्ति को प्रसन्न किया जाता है।

अतएव धर्म के स्वरूप में तीन तत्व शामिल हैं: (1) अलौकिक अथवा पवित्र (प्राकृतिक नहीं) शक्ति या जीवन की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास, (2) इस विश्वास के साथ जुड़ी हुई उद्वेगपूर्ण भावनाएँ, (3) विश्वासों और भावनाओं के परिपालन के लिए प्रगट व्यवहार। धर्म के इन तीनों पहलुओं में घनिष्ठ अंतःसंबंध होता है।

नोट

3.13 असमानता तथा स्तरीकरण (Inequality and Stratification)

'उत्पत्ति की दृष्टि से सारे मनुष्य एक जैसे होते हैं'–अतीत में और वर्त्तमान समय में जितनी विचारधाराएँ उभरी हैं उन सबका स्थायी भाव यही है। पर यह सच्चाई है कि असमानताएँ मानव प्रकृति में अंतर्निहित होती हैं। स्वाभाविक भेदों के अतिरिक्त सामाजिक तौर पर स्वीकृत मानदंडों के आधार पर भी मनुष्य एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। ये मानदंड लिंग और आयु जैसे प्रकृति जनित भेदों या फिर नातेदारी, पेशा आदि जैसे सामाजिक भेदों पर आधारित होते हैं। उपर्युक्त आधारों पर सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसी सामाजिक स्थिति को जन्म देता है जिसमें स्वास्थ्य, आय, प्रस्थिति (स्टेटस), शक्ति आदि सामाजिक सुविधाओं के उपभोग की दृष्टि से भिन्न-भिन्न लोगों को सामाजिक तौर पर असमान माना जाता है। इन्हें हम सामाजिक असमानता के प्रमाण मान सकते हैं।

समाजशास्त्रीय विश्लेषण में हमें "मानव प्रकृति में अंतर्निहित असमानताओं से अपना ध्यान अस्तित्व की उनकी परिस्थितियों में अंतर्निहित असमानताओं की ओर ले जाना पड़ता है।" इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि जन्म के समय शारीरिक और मानसिक दोनों लिहाजों से मनुष्य असमान गुण व विशेषताएँ रखते हैं। पर इन सवालों को लेकर शोध-अनुसंधान करना जीव वैज्ञानिकों को सरोकार हैं न कि समाजशास्त्रियों का। समाजशास्त्री इन गुणों को मानकर चलते हैं। सच यही है कि वे उन सामाजिक दशाओं पर विचार करते हैं और विभिन्न प्रकार की असमानताओं को जन्म देते हैं। सामाजिक विभेदीकरण असमानता का ऐसा ही एक प्रकार है। अत: हर जगह और हर काल में लिंग के आधार पर लोगों में विभेदीकरण व्याप्त रहा है। पुरुषों और नारियों की अलग-अलग प्रस्थितियाँ और भूमिकाएँ हैं। न केवल उनके क्रियाकलाप भिन्न-भिन्न हैं बल्कि इन क्रियाकलापों का मूल्यांकन भी अलग-अलग तरह से होता है। आयु के आधार पर भी इसी तरह का सामाजिक विभेदीकरण किया जाता है। जिन क्रियाकलापों के प्रतिपादन की आशा युवकों और बुर्जुगों से की जाती है उनके आधार पर वे एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। सामाजिक मर्यादा और प्रतिष्ठा, जो उनके व्यक्तित्वों से जुड़ी होती है के आधार पर भी उनमें भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। इसी तरह नातेदारी का लोक प्रचलित व्यवहार, जो विभिन्न नातेदारी या कुटुम्बी जनों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करता है, विभेदीकरण का बीजारोपण करता है। इस संदर्भ में हम चाल-चलन और आचार-विचार के कुछ नियमों पर विचार कर सकते हैं। अत: आदर-भाव जताने से संबंधित लोकाचार सामाजिक असमानता के पारंपरिक प्रतीक हैं। इसके अनुसार, निम्नतर प्रस्थिति वाला व्यक्ति उच्चतर प्रस्थिति वाले व्यक्ति के प्रति आदर व सम्मान जताता है। सामाजिक विभेदीकरण का व्यापक रूप से स्वीकृत एक अन्य आधार पेशा या रोजगार है। इस लिहाज से लोग अभियंताओं, डॉक्टरों और शिक्षकों, आदि जैसे समूहों में विभक्त होते हैं। रोजगार पर आधारित ये विभाजन समाज के 'लम्बवत्' (बर्टिकल) विभाजनों को जन्म देते हैं।

सामाजिक असमानता या वैषम्य की उपर्युक्त धारणाओं के अतिरिक्त सामाजिक असमानता की एक और कोटि होती है जो समाजशास्त्रीय दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण होती है। ये भिन्न-भिन्न सामाजिक तबकों में समाज का 'क्षितिजीय' विभाजन है। इस आधार पर प्रत्येक तबका सामाजिक तौर पर उच्चतर या निम्नतर प्रस्थिति की पहचान लिए हुए एक कमोबेश स्थायी सामाजिक वर्ग का निर्माण करता है। मौरिस गिन्सबर्ग ने सामाजिक वर्गों को "समुदाय के ऐसे अंशों अथवा व्यक्तियों के ऐसे संकलनों" के होते हे और अन्य हेयता तथा श्रेष्ठता के स्वीकृत या अनुशस्ति पर आधारित मानकों के कारण समाज के अन्य तबकों से अलग होते हैं।" जिस समाज में इस तरह के सामाजिक वर्गों का अस्तित्व होता है उसे स्तरीकृत समाज कहा जाता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण की तीन विशेषताएँ हैं: (1) प्रस्थिति समूहों का संस्तरण (2) श्रेष्ठ-हीन स्तरीकरण की पहचान (3) कुछ हद तक संरचना या ढांचे का स्थायित्व।

"भू-विज्ञानों से सादृश्य के आधार पर लिया गया पद 'सामाजिक स्तरीकरण' सामान्य तौर पर 1940 ई. के आस-पास से ही समाजशास्त्रीय प्रयोग में आया। यद्यपि यह जिन चीजों का संकेत देता है वे काफी लंबे समय से 'सामाजिक वर्ग' शीर्षक के अंतर्गत चर्चा में आते रहे हैं पर भू-वैज्ञानिक प्रयोग के विपरीत स्तरीकरण की अवधारणा के समाजशास्त्रीय प्रयोग के अंतर्गत सांकेतिक या स्पष्ट तौर पर उच्चतर और

निम्नतर स्तरों का थोड़ा-बहुत मूल्यांकन भी आता है जिन्हें मूल्यों के एक मानदंड के अनुसार अच्छा या बुरा, बेहतर या बदतर माना जाता है।"

सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति की अधिक व्यापक समझ हासिल करने के लिए हम इस बात का अवलोकन कर सकते हैं कि विभिन्न सामाजिक तबकों की सामाजिक प्रस्थितियाँ संपत्ति, शक्ति, सामाजिक मूल्यांकन और मानसिक संदोष (साइकिल ग्रैटिफिकेशन) के अनुसार असमान होती हैं।

'संपत्ति' विभिन्न वस्तुओं और सुविधाओं पर किसी व्यक्ति के अधिकारों का द्योतक है। अत: किसी व्यक्ति की आमदनी या आमदनी जुटाने वाला धन उसकी संपत्ति के अंतर्गत आएगा। 'शक्ति' इस बात का प्रतीक है कि कोई व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और माँगों की पूर्ति करने में कितना सक्षम है। जाहिर है कि 'शक्ति संपत्ति कम अविच्छिन रूप से जुड़ी होती है और अधिक संपत्ति अधिक शक्ति का तथा कम संपत्ति का शक्ति का परिचायक है, 'सामाजिक मूल्यांकन' का अर्थ है वह प्रतिष्ठा या सम्मान जो किसी खास सामाजिक तबके से जुड़े होने के कारण समाज की सहमति से किसी खास स्तृति या स्तर से संबद्ध लोग अन्य स्तृतों अथवा स्तरों से जुड़े लोगों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा और सम्मान के हकदार हैं। 'मानसिक संतुष्टि' (उच्चतर ससामाजिक वर्गों से संबंधित लोगों के लिए प्रयोग में आने वाली अवधारणा) उस संतुष्टि या सुख का द्योतक है जो कोई व्यक्ति शक्ति, प्रतिष्ठा या संपत्ति के आधार पर प्राप्त करता है।

3.14 जाति तथा वर्ग (Caste and Class)

जाति तथा वर्ग समाज में संस्तरण के प्रमुख आधार हैं। जाति का आधार जन्म है तो वर्ग का आधार धन, संपत्ति, आय, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन-स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्ष, आदि हैं। वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। एकसमान सामाजिक स्थिति वाले व्यक्तियों के समूह को वर्ग माना जाता है। एक वर्ग में आना-जाना संभव है, जबकि जाति में ऐसा असंभव है, व्यक्ति जीवनपर्यन्त एक ही जाति में बना रहता है। जाति एवं वर्ग की परिभाषाओं एवं विशेषताओं का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं।

जाति और वर्ग में अंतर (Distinction between Caste and Class)

(1) जाति एक बंद वर्ग है जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है—चूँकि जाति का आधार जन्म है, अत: उसकी सदस्यता जीवनपर्यंत होती है उसे बदला नहीं जा सकता, जबकि वर्ग का आधार शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति, आदि होने के कारण इसे बदला जा सकता है। एक व्यक्ति धन अर्जित कर श्रमिक वर्ग से मालिक वर्ग में तथा शिक्षा ग्रहण कर शिक्षितों के वर्ग में जा सकता है। इसी कारण कहा जा सकता है कि जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वर्ग में खुलापन पाया जाता है।

(2) जाति का आधार जन्म है वर्ग का नहीं—जाति-व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यक्ति उसी जाति का सदस्य होता है जिसमें उसने जन्म लिया है। वर्ग का आधार शिक्षा, संपत्ति, पेशा एवं धर्म, आदि होने के कारण इनमें से व्यक्ति जिसे भी प्राप्त कर लेता है, उसी के आधार पर उसकी वर्ग सदस्यता का निर्धारण होता है।

(3) जाति की सदस्यता प्रदत्त है वर्ग की अर्जित—एक व्यक्ति जाति की सदस्यता प्रयत्न करने पर भी बदल नहीं सकता क्योंकि वह समाज द्वारा जन्म के आधार पर एक ही बार प्रदान की जाती है, इसलिए यह स्थिर भी है, जबकि एक व्यक्ति जागरूक प्रयत्नों द्वारा किसी भी वर्ग की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, अत: वर्ग की सदस्यता अर्जित है।

(4) जाति में पेशे निश्चित होते हैं, वर्ग में नहीं—जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति का व्यवसाय परंपरागत एवं पूर्व-निर्धारित होता है, उसी को अपनाकर जाति के सदस्य अपना जीवनयापन करते हैं। वर्ग का कोई निश्चित पेशा नहीं होता। एक वर्ग के लोग अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार विभिन्न व्यवसायों में लगे होते हैं। सभी श्रमिक एक ही व्यवसाय नहीं करते और न सभी पूँजीपति एक ही धंधे में पूँजी लगाते हैं।

(5) जाति में खान-पान पर प्रतिबंध है, वर्ग में नहीं—प्रत्येक जाति के खान-पान संबंधी नियम होते हैं, सदस्य यह जानते हैं कि वे किन-किन जातियों के यहाँ कच्चा व पक्का भोजन, पानी तथा हुक्का-बीड़ी ग्रहण कर सकते हैं और किन के यहाँ नहीं, जबकि वर्ग में इस प्रकार के कठोर प्रतिबंध नहीं होते हैं।

(6) जाति वर्ग की अपेक्षा अधिक स्थिर है—चूँकि जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है, और यह बदली नहीं जाती है, अतः जाति व्यवस्था एक स्थिर संगठन है। दूसरी ओर वर्ग-व्यवस्था समाज की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। सामन्त, दास, भूस्वामी, जोतदार, पूँजीपति, श्रमिक, आदि के रूप में समय-समय पर अनेक वर्ग अस्तित्व में आते रहे हैं।

(7) वर्ग की अपेक्षा जातियों का संस्तरण अधिक निश्चित एवं स्पष्ट—जाति-व्यवस्था में एक जाति से दूसरी जाति के बीच सामाजिक दूरी निश्चित होती है, कौन-सी जाति किससे ऊँची व किससे नीची है, यह स्पष्ट है, किंतु वर्ग-व्यवस्था में एक संस्तरण होते हुए भी संस्तरण के नियम कठोर नहीं हैं, एक वर्ग के महत्त्व को दूसरे की अपेक्षा कम नहीं कहा जा सकता।

वर्ग की मार्क्सवादी अवधारणा (Marxian Concept of Class)

साम्यवाद के पिता, कार्ल मार्क्स ने वर्ग की आर्थिक व्याख्या की है। इस प्रकार उसने बुर्जुआ (Bourgeoisie), जो उत्पादन के स्वामी हैं तथा श्रमिक-वर्ग (Proletariat), जिनके पास उत्पादन के साधन नहीं हैं, में विभेद किया है। बुर्जुआ की समाज में उच्च स्थिति है, क्योंकि उनके पास संपत्ति है, जबकि श्रमिक-वर्ग की स्थिति निम्न है, क्योंकि उत्पादन के साधनों के स्वामी होने के बजाय वे केवल परिश्रम करते हैं। इसलिए मार्क्स के अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व व्यक्तियों की प्रस्थिति का निर्धारण करता है। मैक्स वैबर (Max Weber) ने भी वर्ग की परिभाषा आर्थिक तत्त्वों का प्रतिफल कह कर की है। उसका कथन है कि "वर्ग का निर्धारण व्यक्ति की 'मार्केट स्थिति', जो प्रमुख रूप से इस बात पर आश्रित है कि उसके पास संपत्ति है या नहीं, से होता है।" गिन्सबर्ग (Ginsberg) का भी विचार है कि वर्ग के प्राथमिक निर्धारक तत्त्व आर्थिक होते हैं।

मार्क्स ने यह भी कहा था कि सभी पूर्व इतिहास वर्ग-संघर्ष का इतिहास है। वर्ग-संघर्ष तब समाप्त होगा जब श्रमिक-वर्ग संगठित होकर रक्तीय क्रांति द्वारा पूँजीवाद को उखाड़ कर समानता पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गहीन समाज की स्थापना करने में सफल हो जाएगा।

मैकाइवर (Maclver) ने मार्क्स द्वारा बुर्जुआ एवं श्रमिक-वर्ग में किए गए अंतर को मूल रूप में त्रुटिपूर्ण एवं गलत तथ्यों पर आधारित बतलाया है। आर्थिक विभाजन के आधार पर सामाजिक वर्गों का श्रेणीकरण दो कारणों से त्रुटिपूर्ण है। प्रथम, कुछ वर्ग-प्रस्थिति के अंतर ऐसे हैं, जो आर्थिक अंतरों से मेल नहीं खाते। इस प्रकार, ब्राह्मण वर्ग के सदस्य जो उच्च वर्ग हैं, एक निम्न वर्ग के नौकर हो सकते हैं और संपत्ति के दृष्टिकोण से उनका स्थान अंतोक्त से निम्न हो सकता है। मार्क्स के विचारानुसार, ब्राह्मण वर्ग एक निम्न वर्ग होगा, क्योंकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं है और वे नौकरी करते हैं, परंतु हिंदू समाज में उनको उच्च पद प्राप्त होता है। पुनः एक पुरातन संस्थापित भूमिदार वर्ग धनी वर्ग की अपेक्षा सामाजिक पदक्रम में उच्च समझा जा सकता है। आर्थिक कारकों के रूप में इनमें विभेदीकरण करना कठिन होगा। एक सफेदपोश क्लर्क एक मजूदर से बेशक अधिक न कमाता हो, चाहे कम ही कमाता हो, फिर भी समाज में मजदूर की अपेक्षा उसका पद ऊँचा है। इस प्रकार वह आर्थिक दृष्टि से निम्न है, परंतु सामाजिक दृष्टि से उच्च है। इसके अतिरिक्त, सभी श्रमिकों को एक अकेले वर्ग-प्रोलीटेरियट-में श्रेणीबद्ध नहीं किया जा सकता। आधुनिक पश्चिमी समाज में विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न कौशल के श्रमिकों में विभेद किया जाता है। वे अपनी अभिरुचियों, दृष्टिकोणों एवं भावनाओं में एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। श्रमिकों में प्रतियोगी वर्ग-भावना पाई जाती है। कोई उन्हें एक वर्ग से संबंधित सोच भी नहीं सकता। पूँजीपतियों का भी एक अकेला वर्ग नहीं है। छोटे पूँजीपतियों के हित बड़े पूँजीपतियों के हितों के विरोधी हैं। उनके हितों में टक्कर है, अतएव उनको एक ही सामाजिक वर्ग का सदस्य नहीं माना जा सकता।

दूसरे, यदि हम सामाजिक वर्ग की परिभाषा किसी वस्तुनिष्ठ कसौटी, जैसे संपत्ति का स्वामित्व, के आधार पर करें तो इसका समाजशास्त्रीय महत्त्व धुँधला पड़ जाता है। वर्ग की प्रमुख विशेषता इसकी 'वर्ग चेतना' की भावना है, जो किसी वर्ग के सदस्यों को इकट्ठा रखती है और उन्हें दूसरों से अलग करती है। यदि 'सफेदपोश' श्रमिक स्वयं को औद्योगिक श्रमिकों से अलग समझते हैं तो फिर उनका एक सामाजिक वर्ग कैसे हो सकता है। एक वर्ग के सदस्यों की भावना समान होती है और यदि उनकी भावना समान नहीं है तो वे एक वर्ग का निर्माण नहीं कर सकते। मार्क्स का कथन था कि समान आर्थिक दशाएँ वर्ग के सदस्यों में समान विचारों एवं दृष्टिकोणों, अर्थात् वर्ग-चेनता को जन्म देती हैं। परंतु मैकाइवर के अनुसार, आर्थिक कसौटी पर परिभाषित वर्ग-सदस्यता एवं आत्मनिष्ठ वर्ग-चेतना के मध्य कोई अनिवार्य संबंध नहीं है। टानी (Tawney) का कथन है कि "वर्ग के तथ्य की वर्ग-चेतना जो भिन्न वस्तु है, के साथ भ्रांति से बचना आवश्यक है। तथ्य, चेतना को उत्पन्न करता है, चेतना तथ्य को नहीं।"

उपर्युक्त के अतिरिक्त मार्क्स उद्योगवाद के भावी विकास को ठीक से न देख सका। अब प्रबंधकीय कार्य स्वामित्व के कार्यों से भिन्न है तथा एक नए मध्य वर्ग, जिसमें क्लर्क, निचले पदों पर काम करने वाले प्रबंधक तथा तकनीकी व्यक्ति शामिल हैं, का जन्म हुआ है। मध्य वर्ग के विकास ने पूँजीपति एवं औद्योगिक श्रमिकों के दो विलग गुटों की ओर प्रवाह को समाप्त कर दिया है। इस प्रकार, आधुनिक संसार में वर्गों के विकास के बारे में मार्क्स की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई है। वर्गों के मध्य विभेद केवल आर्थिक नहीं है, अपितु सामाजिक, राजनीतिक, दृष्टिकोणीय तथा जीवन-शैली पर आधारित है। मनुष्य का व्यवहार पूर्णतया आर्थिक हितों से ही अभिप्रेरित नहीं होता।

वैबलिन का अवकाश-वर्ग का सिद्धांत *(Veblen's Theory of leisure Class)*

थार्सटेन वैबलिन (Thorstein Veblen) ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'अवकाश-वर्ग' का सिद्धांत (The Theory of the leisure Class), 1899 में प्रकाशित, अवकाश-वर्ग के आरंभ, उसकी प्रकृति और विशेषताओं का विश्लेषण किया है। उन्होंने मानव-संस्कृति को प्रमुख तीन अवस्थाओं में विभक्त किया है–जंगली, बर्बर और सभ्य। इन तीन अवस्थाओं को उन्होंने पुन: निम्न और उच्च में विभक्त किया है। निम्न जंगली समाजों का कोई 'अवकाश-वर्ग' नहीं था। विभेदीकरण प्रमुखतया नर और नारी के बीच श्रम-विभाजन पर आधारित था। नारी को घटिया काम सौंपे जाते थे। आदिम समाज के योद्धा समाज में परिवर्तन के साथ ही 'अवकाश वर्ग' प्रकट हुआ। ऐसे वर्ग को उत्पन्न करने वाली दो अवस्थाएँ थीं–जीवन का पर-भक्षी ढंग (Predatory mode of life) और जीवन की आवश्यकताओं का पर्याप्त या उचित संभरण (adequate supply of the necessities of life)। अंतोक्त अवस्था ने लोगों के एक समूह को उत्पादन-श्रम से मुक्त करना संभव बना दिया। लोगों के एक ऐसे समूह का जन्म हुआ, जो कोई उत्पादन-कार्य नहीं करता था। वे अपना समय अपने आप को बिना किसी औद्योगिक व्यवसाय में लगाए अवकाश में व्यतीत करते थे और इसी प्रकार अवकाश-वर्ग और श्रमिक-वर्ग में विभेद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अवकाश-वर्ग की परिभाषा हुई, "लोगों का ऐसा समूह जो सामाजिक संतुष्टियों के उत्पादन में कोई योगदान नहीं देता और जिसके पास अपने अवकाश का आनन्द उठाने के लिए काफी धन है।" वे अपने कुछ या बहुत से विशेषाधिकार बनाए रखते हैं, यद्यपि वे अपने कार्यात्मक महत्त्व को खो बैठते हैं। काम से छूट अवकाश-वर्ग की एक प्रमुख विशेषता है, जो इसे निम्न वर्गों से भिन्न बनाती है। बर्बरता की निम्न अवस्थाओं में वैबलिन का कथन है कि अवकाश-वर्ग अभी अपनी आरंभिक अवस्था में है। बर्बरता की उच्च अवस्थाओं में रोजगार के आधार पर यह विभेद पूर्ण हो जाता है। और अवकाश-वर्ग पूर्णतया स्थापित हो जाता है।

कुछ समाजों में कुछ लोगों के लिए किसी भी प्रकार के कार्य की पूर्ण वर्जना (taboo) होती है। वैबलिन ने पोलिनीशयन सरदारों का उदाहरण दिया है, जिन्हें अपने आप खाने की मनाही है। वे भूखे मर जायेंगे परंतु अपने मुँह में स्वयं भोजन नहीं डालेंगे। एक फ्रांसीसी बादशाह की कथा है जो आग के पास बिछाई हुई कुर्सी को नौकर की अनुपस्थिति में न उठा सकने के कारण जलकर मर गया।

यद्यपि उन आधारों में, जिनकी बिना पर अवकाश-वर्ग बना था, परिवर्तन हो गया है, फिर भी वे आधुनिक समाज में बने हुए हैं। छोटे या घटिया काम के लिए आज भी आदतन नफरत है। तथाकथित उच्च

नोट

वर्ग कोई काम नहीं करते। उनके पास काफी संगृहीत धन है। उन्हें काम करने की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार आज भी कुछ लोग सामाजिक तुष्टियों के लिए कोई उत्पादन-कार्य नहीं करते। उनके पास अपने उपभोग के लिए काफी रुपया है। वैबलिन के अनुसार संगृहीत धन, आधुनिक समाज में उच्च और निम्न के विभेदीकरण में नितान्त महत्त्वपूर्ण आधारों में से एक है। वैबलिन का कथन है कि अब हम देखते हैं कि "आधुनिक संस्कृति आर्थिक संस्कृति (pecuniary culture) में परिवर्तित हो रही है, जिसकी विशेषताएँ हैं आर्थिक स्पर्द्धा, आर्थिक जीवन-स्तर, आर्थिक अभिरुचियाँ और इन सबके साथ उत्कृष्ट अवकाश और उत्कृष्ट उपभोग।"

अवकाश-वर्ग यद्यपि समाज के सामाजिक रूप के उत्पादनशील सदस्यों के सहारे स्थित है, फिर भी इसका अपना सामाजिक महत्त्व है। यद्यपि उनका समाज को कोई वास्तविक देन नहीं है, तथापि वे श्रमिक-वर्ग के सदस्यों के लिए स्वप्नों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहा गया है कि प्रत्येक समाज में कुछ शौकीन अभिजाततंत्र होना चाहिए, जिसकी ओर साधारण जन देखें। परंतु ऐसा वर्ग छोटा होना चाहिए। यदि यह जनसंख्या का एक बड़ा भाग हो जाएगा तो यह अपने विशेषधिकारों को बनाए रखने के लिए सत्ता का प्रयोग कर सकता है, जिससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होगा।

3.15 क्या जाति वर्ग में परिवर्तित हो रही है (Is Caste Changing into Class?)

जाति व्यवस्था में होने वाले विभिन्न परिवर्तनों को देखकर कई विद्वान यह निष्कर्ष देते हैं कि भारत में जातियाँ वर्ग का रूप ले रही हैं। उनका मत है कि औद्योगीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव के कारण जाति संरचना में परिवर्तन हुए हैं, जन्म का महत्त्व घटा है और व्यवसाय एवं जाति के आर्थिक आधारों में परिवर्तन हुआ है। जाति के अंदर ही वर्ग पैदा होने लगे हैं और विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक वर्ग में सम्मिलित हो रहे हैं। जाति ने अपना जातीय संगठन बनाकर वर्ग की विशेषताएँ ग्रहण की हैं। उदाहरण के लिए, शहरों में हरिजनों की अपनी ट्रेड यूनियन है जो अपने हितों के लिए उसी प्रकार से संघर्ष करती है; जैसे, मजदूर वर्ग मालिक वर्ग से। इसी प्रकार से उद्योग में पाये जाने वाले श्रमिक संगठनों में सभी जातियों के सदस्य होते हैं। इन संगठनों के निर्माण का आधार जाति नहीं वरन् समान व्यवसाय है। एक व्यवसाय में लगे विभिन्न जातियों के लोगों में वर्ग चेतना पैदा हुई है। वे अपनी माँगों को मंगवाने के लिए एक ही झंडे, मंच एवं राजनीतिक दल के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। देश के विभिन्न भागों में बनने वाले जातीय संगठनों में एकाधिक जातियों के सदस्य पाये जाते हैं। विशेष तौर पर निम्न जातियों द्वारा बनाये जाने वाले संगठनों में एकाधिक निम्न जातियाँ सम्मिलित हुई हैं। **रजनी कोठारी** ने गुजरात में क्षत्रिय जाति के संगठन का उल्लेख करते हुए कहा है कि इस संगठन में एकाधिक जातियों के सदस्य हैं। इस प्रकार जाति जो कि पहले एक बंद व्यवस्था थी, में अब वर्ग की भाँति ही खुलापन (Openness) आता जा रहा है। उद्योगों में ही नहीं वरन् कृषि में भी सही स्थिति है। औद्योगीकरण के कारण ग्रामीण व्यवसायों के नष्ट हो जाने से ग्रामीण दस्तकारी जातियाँ अपने व्यवसाय को छोड़कर कृषि कार्य करने लगी हैं और वे भूमिहीन कृषक के रूप में सर्वहारा वर्ग में बदल रही हैं। निम्न जातियों को वर्ग रूप में बदलने में प्रजातन्त्रीय व्यवस्था एवं उन्हें दिये गये आर्थिक-राजनीतिक अधिकारों ने भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी नौकरियों, विधान-मंडलों एवं संसद, आदि में निम्न जातियों को दी गयी सुविधा के कारण उनमें राजनीति सत्ता द्वारा अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जब एकजुटता होती है तब भी वे वर्ग की विशेषता ग्रहण कर लेती है।

ब्राइस रेन का मत है कि जाति व्यवस्था का आधार विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नता का पाया जाना है, किसी प्रकार के संघर्ष का पाया जाना नहीं। आज एक ओर विभिन्न जातियों के बीच सांस्कृतिक अंतर कम हुआ है अर्थात् विवाह, खान-पान एवं सामाजिक सहवास के नियमों में शिथिलता आयी है, किंतु दूसरी ओर उनके बीच पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। इसका अर्थ हुआ कि जाति में वर्ग-संघर्ष की विशेषताएँ आती जा रही हैं और जाति वर्ग का रूप ले रही है। उपर्युक्त विश्लेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में जाति वर्ग के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में है।

नोट

इतना सब होने पर भी हम सह स्वीकार नहीं कर सकते कि जाति ने वर्ग का रूप ग्रहण कर लिया है या भविष्य में कर लेगी। जाति का आधार सामाजिक है और वर्ग का आर्थिक। इन दोनों की प्रकृति एवं मौलिक विशेषताओं में काफी अंतर है। इतना अवश्य है कि समय के साथ जाति में कुछ वर्ग की विशेषताएँ आने लगी हैं। फिर भी वह अपनी पृथकता बनाये रखेगी। इस संदर्भ में **डॉ. योगेन्द्र सिंह** ने उचित ही लिखा है कि "किसी समान राजनीतिक या आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कई बार कुछ जातियाँ संगठित हो जाती हैं और इस दृष्टि से उनमें वर्ग की विशेषताएँ दिखायी देने लगती हैं, लेकिन ये परिवर्तन क्षणिक हैं। ऐसे लौकिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद जातियाँ पुनः अपने मौलिक प्रकार्यों जैसे, वैवाहिक, सहभोजी तथा धार्मिक अनुष्ठान पर लौट आती हैं।" **नर्मदेश्वर प्रसाद** का मत है कि "भारतीय जाति व्यवस्था धार्मिक-पौराणिक किस्म की है जबकि यूरोपीय जाति व्यवस्था आर्थिक-राजनीतिक किस्म की। आधुनिक समय में भारतीय जाति व्यवस्था ने आर्थिक-राजनीतिक विशेषताओं को भी ग्रहण कर लिया है; अर्थात् अब इसमें दोनों किस्मों का सम्मिश्रण है। यूरोप में जाति वर्ग के रूप में बदलने की और वर्ग के जाति के रूप में दृढ़ होने की सदैव संभावना रही है, लेकिन भारत में जाति ने कभी अपने को पूर्णतः वर्ग के रूप में मुक्त नही किया।" **डॉ. सक्सेना** का मत है कि "वर्तमान भारत उन्हीं परिवर्तनकारी शक्ति के प्रभाव में है जिन्होंने पश्चिमी समाज की वर्ग व्यवस्था को जन्म दिया, किंतु निश्चयपूर्वक यह नहीं कहा जा सकता कि जाति-प्रथा वर्ग व्यवस्था में परिवर्तित हो जायेगी क्योंकि समान परिवर्तनकारी शक्तियाँ दो विभिन्न समाजों में परिवर्तन की समान गति और दिशा को जन्म नहीं दे सकती।" **डॉ. के. एल. शर्मा** लिखते हैं कि जाति की प्रकृति संस्कारात्मक एवं धर्म-सभा से हटकर चुनावों, व्यवसायों एवं नौकरी में अपने सदस्यों को सुविधाएँ प्रदान करने के रूप में बदल गयी हैं, लेकिन जातियाँ न तो मार्क्सवादी और न ही वेबर द्वारा बतलाये गये वर्गों के रूप में बदलती हैं। संपूर्ण विवरण से स्पष्ट है कि यह कहना भ्रामक है कि भारत में जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था के रूप में परिवर्तित हो रही है।

3.16 व्यक्ति तथा समाज में वास्तविक संबंध (The Relationship between Individual and Society)

जैसा कि हम देख चुके हैं, उपर्युक्त सिद्धांत व्यक्ति तथा समाज के संबंध को अच्छी तरह व्यक्त नहीं कर पाये हैं। सामाजिक संविदा सिद्धांत में व्यक्ति को अधिक महत्त्व दिया गया है और इस प्रकार समाज के महत्त्व को कम किया गया है; उसे मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन बताया गया है। सावयव सिद्धांत तथा समूह-मन सिद्धांत में सामाजिक जीवन में मनुष्य के महत्त्व को लगभग उपेक्षणीय माना गया है। समाज तथा व्यक्ति का संबंध एकपक्षीय नहीं है, जैसा कि इन सिद्धांतों में बताने का प्रयत्न किया गया है।

इसके पहले कि हम मनुष्य तथा समाज के बीच वास्तविक संबंध का अध्ययन करें, हमें इस बात पर विचार कर लेना चाहिए कि मनुष्य को किस दृष्टि से सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है। मनुष्य को तीन आधारों पर सामाजिक प्राणी कहा जा सकता है—

1. **मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है (Man is social by nature)**—पहली बात तो यह है कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है। मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है कि वह अकेले नहीं रह सकता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसका बिल्कुल निर्जन से संतुलित विकास हुआ हो। मैकाइवर ने ऐसे तीन उदाहरण दिए हैं जिनमें मनुष्य के सामाजिक स्वभाव के संबंध में परीक्षण करने के लिए शिशुओं को सभी सामाजिक संबंधों से अलग रखा गया। पहला उदाहरण कैस्पर हॉसर (Kasper Hauser) का है जिसे बचपन से सत्रह वर्ष की आयु तक न्यरेमबर्ग के जंगलों में रखा गया था। उसके संबंध में यह देखा गया कि सत्रह वर्ष का होने के बाद भी वह कठिनता से चल-फिर सकता था; उसकी बुद्धि बच्चों की-सी थी, और वह केवल कुछ निरर्थक शब्द ही बोल पाता था। बाद में उसको ठीक शिक्षा दी गयी, फिर भी वह सामान्य मनुष्य नहीं बन पाया।

नोट

दूसरा उदाहरण दो हिंदू बच्चों का था जो 1920 में एक भेड़िये की माँद से मिले थे। एक बच्चा तो पाये जाने के कुछ समय बाद ही मर गया। दूसरा बच्चा चारों पंजों के सहारे चलता था; वह मनुष्य की बोली बोल ही नहीं सकता था; केवल भेड़ियों की तरह गुर्राता था। वह मनुष्यों से शर्माता था और उनसे डरता भी था। बड़ी सावधानी तथा सहानुभूति पूर्ण ट्रेनिंग देने के बाद वह कुछ सामाजिक आदतें सीख पाया।

तीसरा उदाहरण एक अबोध अमरीकी बच्ची अन्ना (Anna) का था जिसे 7 महीने की आयु से एक कमरे में रखा गया और पाँच वर्ष बाद उसे वहाँ से निकाला गया। उसके आसपास जो लोग थे, उनमें उसे कोई रुचि नहीं थी।

इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जब समाज में रहता है और अपने साथियों के साथ समाज की गतिविधियों में भाग लेता है, तभी उसका विकास होता है। सामाजिक बंधनों से मुक्त होकर जंगलों में रहने वाले तथा फल खाकर अपनी भूख मिटाने वाले तपस्वियों की कथाओं का कोई ऐतिहासिक मूल्य नहीं है। यहाँ तक कि सांसारिक जीवन से विरक्त होने वाले साधु भी वनों में अन्य साधुओं के साथ रहते हैं। इन सब बातों से पता लगता है कि समाज मानव-संरचना की कुछ बड़ी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। समाज कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अचानक ही मनुष्य के साथ जोड़ दी गयी है, या जबर्दस्ती मनुष्य पर लाद दी गयी है। वस्तुतः मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक है।

2. **आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बनाती है (Necessity makes a man social)**– दूसरी बात यह है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं से बाध्य होकर समाज में रहता है। यदि वह अपने साथियों की सहायता न ले तो उसकी बहुत-सी जरूरतें पूर्ण ही नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति स्त्री-पुरुष के बीच स्थापित सामाजिक संबंध की उपज है। बच्चा माँ-बाप की देखभाल में पलता है और उनके साथ रहकर ही नागरिकता का पहला पाठ पढ़ता है। यदि नवजात शिशु को समाज का संरक्षण तथा उसकी देखभाल न मिले तो वह एक दिन भी जीवित नहीं रहा सकता। ऐसे किसी, शिशु का प्रमाणीकृत उदाहरण नहीं मिलता जो स्वयं जीवित रहा हो या भेड़ियों, लंगूरों या दूसरे पशुओं ने उसे पाला हो। मानव शिशु इतना निरीह है कि उसे समाज का संरक्षण अनिवार्य है। हम दूसरों के साथ रहकर तथा उनकी सहायता से ही अपने भोजन, आवास तथा कपड़े की जरूरतें पूरी करते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों से सिद्ध होता है कि मनुष्यों के संपर्क से दूर पशुओं के बीच पले बच्चों की आदतें पशुओं की-सी ही होती हैं। शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए समाज का क्या महत्त्व है, यह स्पष्ट है। कोई भी व्यक्ति मनुष्य नहीं बन सकता जब तक कि वह अन्य मनुष्यों के साथ नहीं रहता। जंगली जानवरों के भय के कारण कुछ लोग दूसरों का सहयोग चाहते हैं, विनिमय या वस्तु-विनिमय के माध्यम से भूख तथा विश्राम की जरूरत पूरी करने के लिए लोगों को दूसरों से संबंध स्थापित करना पड़ता है। कुछ सम्मिलित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जिन्हें अकेला व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, मिलकर काम करने या श्रम-विभाजन की आवश्यकता पड़ी। हर व्यक्ति को अपनी रक्षा की जरूरत महसूस होती है जिसके कारण वह सामाजिक बनता है। अतः केवल स्वभाव के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों के कारण भी मनुष्य को समाज में रहना पड़ता है।

3. **समाज व्यक्तित्व का विकास करता है (Society determines personality)**–अंतिम बात यह है कि मनुष्य अपने मानसिक तथा बौद्धिक विकास के लिए समाज में रहता है। समाज हमारी संस्कृति को सुरक्षित रखता है और उसे अगली पीढ़ी तक पहुँचाता है। समाज व्यक्तियों के रूप में हमारी सुप्त शक्तियों को विकसित तथा उन्हें मर्यादित करता है और हमारे दृष्टिकोण, विश्वास तथा आदर्शों को समुचित रूप में ढालता है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरणों से प्रकट है कि समाज में रहे बिना मनुष्य का मस्तिष्क वयस्कता प्राप्त करने के बाद भी बच्चे जैसा ही रहता है। सांस्कृतिक विरासत से हमारे व्यक्तित्व के विकास में

सहायता मिलती है। अत: समाज केवल हमारी शारीरिक आवश्यकताओं को ही पूर्ण नहीं करता, बल्कि हमारा बौद्धिक विकास भी करता है।

यह निश्चित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य के रूप में जीवन व्यतीत करने के लिए समाज अत्यंत आवश्यक है। एक या कुछ विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपनी प्रवृत्तियों के कारण मनुष्य समाज में नहीं रहता, बल्कि वास्तव में समाज में रहे बिना उसके व्यक्तित्व का विकास ही नहीं हो सकता। यद्यपि व्यक्ति अपने समाज की उपज है, तथापि कई बार उसके और उसके समाज के किन्हीं पहलुओं में गंभीर विरोध उत्पन्न हो सकता है। मानव इस प्रकार का व्यक्तित्व प्राप्त कर सकता है जो उसकी परिस्थितियों से मेल ने खाता हो। यह व्यक्ति जो युद्ध में सेना का नायक बनने की मनोकामना को जीवन में पूर्ण करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाता, वह अपने समाज में बिगड़ा रहता है, वह निराश हो जाता है। सामाजिक व्यवस्था में ह्रास के कारण भी व्यक्ति और समाज में विरोध हो सकता है। राजनीतिक स्वतंत्रता में पाला-पोसा हुआ व्यक्ति दासप्रथा को कष्टदायक और दमनकारी समझेगा। वह मजदूरी के अधीन कार्य करेगा, परंतु यह उसे बुरा लगेगा और वह समाज विरोधी हो जाएगा जो विरोध किसी भी समय आकस्मिक और अभूतपूर्व (unprecedented) के रूप में फूट सकता है।

उपर्युक्त चर्चा के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि व्यक्ति तथा समाज अन्योन्याश्रित हैं। मनुष्य तथा समाज के बीच का संबंध एकपक्षीय नहीं है। दोनों ही एक दूसरे के विकास के लिए अनिवार्य हैं। न तो मनुष्य और समाज के बीच में वह संबंध है जो एक कोष का शरीर से होता है और न ही समाज मनुष्य की कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक साधन मात्र है।

समाज अपने सदस्यों की जो सेवा करता है, उसके आगे उसका स्वयं कोई मूल्य नहीं है; और, व्यक्ति समाज के बिना अपना विकास नहीं कर सकता है। न तो समाज व्यक्तित्व के विकास में बाधक है और न ही व्यक्तियों के बिना उसकी स्थिति हो सकती है। 'क्या व्यक्ति समाज से पूर्ववर्ती है या समाज व्यक्ति से'–इस प्रश्न के संबंध में संपूर्ण वाद-विवाद ऐसे ही निरर्थक है जैसे कि 'मुर्गी पहले या अंडा' के बारे में। तथ्य यह है कि सभी मानव किसी न किसी प्रकार समाज में उत्पन्न हुए हैं और उससे प्रेरणा पाते हैं। वास्तव में दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं।

व्यक्ति तथा समाज के संबंध की व्याख्या करते हुए **मैकाइवर** का कहना है कि "अपनी सभी परंपराओं, संस्थाओं तथा सज्जाओं के होते हुए भी समाज, सामाजिक जीवन की एक महान परिवर्तनशील व्यवस्था है जो व्यक्ति की मानसिक तथा शारीरिक आवश्यकताओं से पैदा होती है। यह वह व्यवस्था है जिसमें मनुष्यों का जन्म होता है तथा उसकी सीमाओं के भीतर उनका विकास होता है और वह भावी पीढ़ी हेतु जीवन के लिए आवश्यक बातें छोड़ जाता है। हमें ऐसे किसी भी दृष्टिकोण को अस्वीकार कर देना चाहिए जो व्यक्ति या समाज के संबंधों को केवल एक अथवा दूसरी दृष्टि से देखता है।"

3.17 समाज की उत्पत्ति (The Origin of Society)

समाज की उत्पत्ति की व्याख्या हेतु विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किये गये हैं। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत (Divine Origin Theory) समाज को ईश्वर की कृति मानता है। जिस प्रकार ईश्वर ने संसार की अन्य जड़ और चेतन वस्तुएँ उत्पन्न की, उसी प्रकार उसने समाज का भी निर्माण किया। इस सिद्धांत ने धीरे-धीरे सोलहवीं और सत्रहवीं शताब्दी तक दैवी अधिकरों के सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लिया। शक्ति सिद्धांत (Force Theory) समाज को सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम समझता है। इस सिद्धांत के अनुसार, समाज की उत्पत्ति शक्तिशाली द्वारा निर्बल की अधीनता में निहित है। आदिम काल मे असाधारण शक्तिशाली व्यक्ति अपने साथियों को आतंकित कर तथा उनके ऊपर अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल हो गया। इस प्रकार, शारीरिक बल के आधर पर व्यक्तियों को इकट्ठा रहने के लिए बाध्य किया गया। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक सिद्धांत समाज को परिवार का वृहत् रूप बतलाते हैं। सर हेनरी मेन (Sir Henry Maine) ने पितृसत्तात्मक सिद्धांत की परिभाषा इस प्रकार की है, "यह समाज की उत्पत्ति अलग-अलग परिवारों में मानता है जो ज्येष्ठतम् पुरुष व्यक्ति की सत्ता एवं उसके आरक्षण के अधीन परस्पर इकट्ठे थे।" उसका विचार है कि समाज परिवार का विकसित रूप है। मातृसत्तात्मक सिद्धांत की धारणा है कि आदिम काल

नोट

मे एकपत्नित्व या बहुपतित्व एवं अस्थायी विवाह संबंध अधिक प्रचलित थे। ऐसी परिस्थिति में वंश का नाम माता के नाम पर चलता था जेंक्स (Jenks) ने कहा है, "ऐसे मामलों में मातृत्व एक तथ्य है, जबकि पितृत्व केवल एक मत है।"

सामाजिक संविदा का सिद्धांत (Social Contract Theory)

उक्त सिद्धातों के अतिरिक्त संविदा का सिद्धांत (Contract Theory) भी है जिसके अनुसार समाज एक संविदा (समझौता) है जो कि मनुष्यों के कुछ उद्देश्यों की पूर्त्ति के लिए बनाया गया है। हॉब्स (Hobbes) का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था (state of nature) में मनुष्य अपने मूलतः स्वार्थी स्वभाव के कारण सदैव ही अपने पड़ोसियों से लड़ता-झगड़ता रहता था। उसके शब्दों में, मनुष्य का जीवन एकांतमय, निरीह, दुःखी, पशुवत् तथा अल्प था। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शत्रु था। दुष्परिणामों से बचने के लिए मनुष्य से अपने को समाज में संगठित किया, ताकि वह अन्य मनुष्यों के साथ शान्तिपूर्वक रह सके। संविदा सिद्धांत को मानने वाले एक अन्य विद्वान्, लॉक (Locke) का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों में युद्ध नहीं होते थे। वह शान्ति, सद्भावना, पारस्परिक सहायता तथा सुरक्षा की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में केवल एक ही दोष था कि उस समय कानून तथा न्याय की कोई सामान्य प्रणाली नहीं थी। इस कमी को दूर करने के लिए और अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करने की इच्छा से प्रेरित होकर मनुष्य ने एक समझौता किया जिसके द्वारा समुदाय को कुछ अधिकार सौंप दिये गये।

जे. जे रूसो (J. J. Rousseau) ने अपनी पुस्तक 'कांट्रेक्ट सोशल' (Contract Social 1762) में लिखा कि "प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों में समान आत्मनिर्भरता तथा संतुष्टि थी। वे आनन्द तथा सादगी का जीवन व्यतीत करते थे। परंतु मनुष्यों की संख्या बढ़ने तथा उनमें झगड़े बढ़ जाने के किरण एक सभ्य समाज की स्थापना की आवश्यकता महसूस हुई। अतः मनुष्यों ने एक समझौता किया जिसके द्वारा हर व्यक्ति दूसरों के साथ एकता में बँध कर भी पहले की ही भाँति स्वतंत्र है।" एडम स्मिथ (Adam Smith) के अनुसार, "समाज पास्परिक अर्थ-प्रबंध के विकास-हेतु निर्मित एक कृत्रिम उपाय है।"

विभिन्न सिद्धांतों की संक्षिप्त आलोचना (Brief Criticism of the Various Theories)

समाज की उत्पत्ति-विषयक उपर्युक्त सिद्धांतों से स्पष्ट पता नहीं लगता कि समाज का जन्म कैसे हुआ। इनमें से सभी सिद्धांतों की कड़ी आलोचना की गई है। हम इन सिद्धांतों की आलोचना का ब्योरेवार वर्णन न करके इनके संबंध में कही गयी मुख्य-मुख्य बातों को लेंगे। ईश्वर ने समाज का निर्माण नहीं किया है, समाज मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति का परिणाम है। समाज के विकास में शक्ति निस्संदेह एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व रही है, परंतु इसे ही एकमात्र कारण नहीं माना जा सकता। समाज के जन्म में जितना हाथ शक्ति का है, उतना ही ऐच्छिक भावना का भी है। मातृप्रधान तथा पितृप्रधान परिवार सार्वभौमिक नहीं माने जा सकते। **लीकॉक** के शब्दों में "आदिमवासियों में परिवार या समूह का कोई एक स्वरूप नहीं था। कहीं मातृप्रधान परिवार थे, तो कहीं पितृप्रधान परिवार थे—यही उस समय की व्यवस्था थी। हो सकता है कि बाद में उनमें से किसी एक प्रणाली ने दूसरे को समाप्त कर दिया हो।" इस बात को अब बिल्कुल ही नहीं माना जाता कि समाज एक कृत्रिम निर्माण है। सामाजिक संविदा सिद्धांत में यह माना गया है कि मनुष्य का जन्म समाज से पहले हुआ था। परंतु यह धारणा गलत है, क्योंकि सामाजिकता का जन्म मनुष्य के साथ ही हुआ। जब मनुष्य ने दूसरे मनुष्यों के साथ जन्म लिया, तो समाज एक वास्तविकता के रूप में विद्यामान था। मनुष्य समाज के अंदर ही मनुष्य है समाज के बाहर नहीं। समाज धीरे-धीरे विकसित होकर बना। यह किसी एक दिन अचानक नहीं पैदा हो गया। उपर्युक्त सिद्धांत से भले ही इस बात का पता लगे कि किस प्रकार विभिन्न समाज अस्तित्व में आये, परंतु इनसे यह पता नहीं लगता कि समाज की उत्पत्ति कैसे हुई।

विकासवादी सिद्धांत (Evolutionary Theory)

विकासवादी सिद्धांत समाज की उत्पत्ति के बारे में सामान्यतः ठीक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इस सिद्धांत के अनुसार, समाज का निर्माण नहीं हुआ है, बल्कि यह विकास का फल है। समाज क्रमिक विकास का परिणाम है। समाज असंगठित से संगठित और अपूर्ण से पूर्ण की ओर निरंतर विकास करता जाता है।

इसके विकास में समय-समय पर विभिन्न तत्त्वों में सहायता मिली है। नातेदारी तथा परिवार प्रारंभिक बंधन थे जिन्होंने मनुष्यों को संगठित किया। मैकाइवर का कहना है कि "नातेदारी ने समाज का निर्माण किया।" पितृप्रधान समाज का संगठन पुरुषों के माध्यम से नातेदारी के आधार पर हुआ। धर्म एक और तत्त्व था जिसने सामाजिक चेतना के विकास में सहायता दी। गेटल (Gettell) का कहना है, "नातेदारी तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू मात्र थे।" इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध था कि बाद में कबीले का प्रधान ही धार्मिक पुरोहित भी होने लगा। इसके बाद मनुष्य ने खानाबदोशी की आदत छोड़ दी, वह गाँवों तथा नगरों में बस गया और पशुपालन तथा कृषि का काम उसने आरंभ कर दिया। इस प्रकार जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी। धन का संचय हुआ। संपत्ति की धारणा भी पैदा हो गई। आर्थिक जीवन खुशहाल हो गया। इन सब बातों के कारण सामाजिक संबंधों के रूपों में परिवर्तन आये और मनुष्य सामाजिक संगठन के उन प्रगतिशील स्तरों तक पहुँच गया कि उसने राष्ट्र-राज्य बना लिये।

अत: स्पष्ट है कि समाज का जन्म किसी समझौते या विशेष उपबंध के कारण नहीं हुआ। इसका जन्म स्वत: हुआ और इसका क्रमश: विकास होता गया। आधुनिक जटिल स्वरूप तक पहुँचने से पहले यह विकास के कई चरणों से गुजर चुका है। काम्टे के अनुसार, "समाज इन चरणों से गुजर चुका है—धार्मिक (theological), तात्विक (metaphysical) और सकारात्मक (posititve)। उसके विचारानुसार, संघ की आवश्यकता के परिणामस्वरूप समाज का जन्म हुआ। मनुष्यों द्वारा अनुभव की गयी यह आवश्यकता निश्चित नियमों के अनुसार विकसित हुई। विद्यमान समाज विकास के विभिन्न चरणों पर है। उसके अनुसार, प्रगति अनिवार्य है, यद्यपि यह धीरे-धीरे, धीमी-धीमी और असीम होती है। हर्बर्ट स्पेन्सर ने भी सामाजिक विकास के सिद्धांत का पोषण किया है। उसके अनुसार समाज विकास के उन सभी सिद्धांतों के अधीन है जिनके अधीन सब चर और अचर पदार्थ हैं। उसके लिए भी विकास का अर्थ प्रगति था। मानव-समाज जंगली अवस्था से सभ्य अवस्था को प्राप्त कर चुका है। उसने सामाजिक विकास के मार्ग में पुरातन, आदिम (primitive), सैनिक (Militant) और औद्यागिक (industrial) अवस्थाओं या चरणों को बतलाया।

बहुत से समाजशास्त्रियों ने काम्टे और स्पेंसर द्वारा विकास को प्रगति कहे जाने का विरोध किया है। यह कहना कठिन है कि प्रगति क्या है? परिवर्तन केवल देखा जा सकता है, परंतु परिवर्तन का अर्थ आवश्यक रूप से प्रगति ही नहीं हो सकता।

3.18 समाज के प्रकार (Types of Society)

जिस ग्रह पर मनुष्य रहता है उस पर लोग सामाजिक संबंधों का जाल बनाकर रहते हैं।

1. जनजातीय समाज (Tribal Society)

जनजातीय समाज आदिम समाज की विशेषता है जो मानव इतिहास के आरंभिक युग में वर्तमान थी, यद्यपि अफ्रीका, एशिया एवं यूरोप के पिछड़े देशों में इसे अब भी देखा जा सकता है। इस समाज की संरचना एवं प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं—

(*i*) **आर्थिक संरचना (Economic Structure)**—जनजातीय समाज में लोग प्राकृतिक पर्यावरण के निकट संपर्क में रहते हैं जो उसकी आर्थिक क्रियाओं को निर्धारित करती है। उनकी प्रमुख आर्थिक क्रिया शिकार एवं भोजन इकट्ठा करना होता है। कुछ जनजातीय समाज प्रमुखतया शिकार पर ही जीवन निर्वाह करती हैं। केवल कुछेक कंदमूलों को अपने भोजन के पूरक के रूप में इकट्ठा करने के अतिरिक्त वे न केवल भोजन अपितु आश्रय, वस्त्रों एवं उपकरणों हेतु भी पशुओं पर आश्रित होते हैं।

अतएव, उनकी प्रमुख प्रौद्योगिकी में शिकार-कौशल एवं पशुओं की खाद्य-भोजन, आश्रय एवं वस्त्रों तथा आवश्यक उपकरणों में रूपान्तरित करने की प्रविधियाँ सम्मिलित हैं। कुछ जनजातीय समाज प्रमुखतया शिकार की अपेक्षा भोजन इकट्ठा करने पर अधिक निर्भर होते हैं। कंदमूल, जंगली अन्न एवं फल उनका भोजन होते हैं। वृक्षों की छाल एवं पौधों के रेशों

नोट

को बुनकर चटाइयाँ एवं घर बनाये जाते हैं। लकड़ी को, उपकरणों एवं शस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है।

जनजातीय समाजों में श्रम विभाजन नहीं पाया जाता। केवल लिंग एवं आयु के अनुसार कार्यों का थोड़ा बहुत विभेदीकरण होता है। महिलाएँ सामान्यतया घरों की देखभाल करती हैं, भोजन एकत्र करती हैं एवं उसे तैयार करती हैं तथा बच्चों का पालन-पोषण करती हैं। पुरुष शिकार करते हैं, शत्रुओं से युद्ध करते हैं एवं जनजातीय समारोहों में भाग लेते हैं। प्रत्येक जनजातीय समूह में एक भोजन-संभरणकर्त्ता होता है। व्यापार द्वारा प्राप्त केवल कुछेक वस्तुओं को छोड़कर परिवार के लिए प्रत्येक आवश्यक वस्तु, वस्त्र, जूते, बर्तन, उपकरण, आदि परिवारिक सदस्यों द्वारा ही निर्मित की जाती है। उत्पादन का विशिष्टीकरण, यदि कोई है, तो वह अविमूल रूप का होता है।

जनजातीय समाज में व्यक्तिगत संपत्ति, विनिमय एवं ऋण संबंधी संस्थाओं की अनुपस्थिति होती है। निस्संदेह जनजातीय समाज के लोगों के पास अपने व्यक्तिगत उपकरण एवं युद्ध संबंधी सामग्री होती हैं परंतु इन वस्तुओं को व्यक्तिगत संपत्ति की संस्था नहीं कहा जा सकता। ऋण देने वाली संस्थाओं, विनिमय प्रणाली अथवा सरकारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जनजातीय समाज में आर्थिक क्रिया के प्रतिमान औद्योगिक समाज की तुलना में सरल एवं अविभेदीकृत होते हैं।

(*ii*) **सामाजिक जीवन (Social Life)**–जनजातीय समाज में जीवन सरल एवं समेकित होता है। यह आर्थिक, धार्मिक, शैक्षिक एवं मनोरंजनात्मक श्रेणियों में विभेदीकृत नहीं होता जिसके अंतर्गत आधुनिक समाज में प्रत्येक व्यक्ति अनेक विशिष्ट भूमिकायें निभाता है। सामाजिक अंतर्क्रिया प्राथमिक समूह की होती है। व्यवस्था की देखभाल लोकरीतियों एवं लोकाचारों पर अधिक निर्भर करती है, जनजातीय नेताओं के सत्ता पर कम। समूह निन्दा अथवा गंभीर मामलों में निर्वासन दंड के सामान्य रूप हैं। बच्चे का सामाजीकरण परिवार एवं दैनिक संबंधों में होता है। प्रत्येक जनजाति को व्यवहार के मानकों का ज्ञान होता है तथा जनजातीय नेताओं का दायित्व होता है कि वह यह देखें कि बच्चे स्वीकृत मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। जनजातीय समाज का आकार लघु होता है। एवं यह समरस होता है। जनजातीय लोग धार्मिक होते हैं तथा टोटमवाद, जादू एवं वस्तु-पूजा में विश्वास करते हैं। निष्कर्ष रूप में, जनजातीय समाज, औद्योगिक समाज जो जटिल, विषम, असमेकित एवं विभेदीकृत होता है, कि तुलना में सरल, समरस, समेकित एवं अविभेदीकृत होता है।

2. कृषक समाज (Agrarian Society)

आर्थिक क्रिया के विभिन्न स्वरूपों के आधार पर समाजों को कृषक एवं औद्योगीकृत में वर्गीकृत किया जाता है। कृषक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया कृषि होती है जबकि औद्योगिक समाज में फैक्टरी उत्पादन आर्थिक क्रिया का प्रमुख रूप होता है। आज भी विश्व जनसंख्या का दो-तिहाई से तीन-चौथाई भाग कृषक समाजों में रहता है।

आदिम व्यक्ति परिवार एवं रक्तबंधनों के आधार पर निर्मित छोटे-छोटे गिरोहों (bounds) में रहते थे। उनकी अर्थव्यवस्था में अधिकांशतया शिकार, भोजन को इकट्ठा करना, मत्स्यपालन सम्मिलित थे। नवपाषाण क्रांति ने समाज के इतिहास में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये जिसका सम उदाहरण औद्योगिक क्रांति में ही देखा जा सकता है। नवपाषाण युग लगभग 13,000 वर्ष पूर्व निकटवर्ती पूर्व एवं नील घाटी में आरंभ हुआ। तीन अथवा चार हजार वर्ष पूर्व यह केंद्रीय एवं पश्चिमी यूरोप में प्रसारित हुआ। इस युग के दौरान लोगों ने पाषाण निर्मित उपकरणों को पालिश करना एवं उनमें तीखे काटने वाले किनारे बनाना आरंभ किया तथा वर्तन बनाने एवं गूँथने की कलाओं का अविष्कार किया। परंतु यह सार्वधिक महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं था। पौधों एवं पशुओं के पालन ने कृषक समाज की नींव रखी।

कृषि के विकास से सामाजिक संरचना एवं संस्थाओं में परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था की नई शैली से जनसंख्या की द्रुत वृद्धि संभव हुई। इसने अधिक स्थायी निवासों को भी जन्म दिया। लोगों ने देहातों की उत्पत्ति की जिससे सामाजिक संरचना एवं सामाजिक नियंत्रण के नये स्वरूपों की आवश्यकता अनुभव हुई।

कृषक समाज की संरचना एवं विशेषताएँ

(*i*) **व्यवसायिक सरंचना (occupational structure)**–कृषक समाज मुख्यतया पौधों एवं पशुओं के पालन से संबद्ध है। पौधों के पालन का अर्थ है कृषि तथा पशुपालन का अर्थ है पशुओं का रखरखाव। बहुधा कृषि एवं पशुओं यथा गाय, बकरी एवं भेड़ जैसे पालतू पशुओं के प्रयोग मिश्रित कार्य होते हैं। परंतु कृषि एवं पशु–पालन के अतिरिक्त कृषक समाज में लोगों के अन्य आर्थिक क्रियाएँ भी होती हैं। इस प्रकार इस समाज में शिल्पी तथा बुनकर, कुम्हार, लोहार, छोटे दुकानदार, सेवा–कर्मचारी जैसे, सफाई कर्मचारी, चौकीदार, घरेलू नौकर एवं तुच्छ व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्ति भी होते हैं।

(*ii*) **कृषक समाजों में भू-स्वामित्व का रूप (Forms of land ownerlipism agrarian societies)**–सामान्यतया इस समाज में भू–स्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्त एवं फसल भागीदार होते हैं। भू–स्वामी, भूमि के स्वामी होते हैं परंतु स्वयं काश्त नहीं करते। वे भूमि की फसल भागेदारी के लिये दे देते हैं। पर्यवेक्षी कृषक वह होते हैं जो अपनी भूमि को श्रमिकों से काश्त करवाते हैं। काश्तकार स्वयं अपनी भूमि की काश्त करता है। फसल भागीदार वे व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की भूमि पर काश्त करके फसल का भाग प्राप्त करते हैं। शिल्पी उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है एवं अपने श्रम से उत्पादन करता है। व्यापारी वस्तुओं का लघुमात्रा में क्रय–विक्रय करते हैं। यह भी ध्यान रहे कि शिल्पी एवं व्यापारी भी कृषक समाज में कभी–कभी भूमि के स्वामी होते हैं। जिसे वे स्वयं श्रमिकों द्वारा काश्त करते हैं अथवा भागेदारी के आधार पर काश्त हेतु दे देते हैं।

(*iii*) **ग्रामीण समुदाय व्यवस्था (village community system)**–कृषक समाज में ग्रामीण समुदाय प्रणाली की संस्था पायी जाती है। कृषक अर्थव्यवस्था के कारण आवास हेतु मकानों की आवश्यकता अनुभव की गयी। सुरक्षा एवं सहयोग हेतु एक दूसरे के एवं भूमि के निकट रहने से कृषक ग्रामों का जन्म हुआ। ग्राम, कृषकों का केवल आवासीय स्थान ही नहीं है अपितु इसे सामाजिक समेकन कर्त्ता भी कहा जा सकता है। यह सामाजिक जीवन का केंद्रिय स्थान होता है एवं व्यक्ति ग्राम में अपना पूर्ण जीवन जीते हैं। लोगों के जीवन–प्रतिमान स्थिर होते हैं। उनकी आदतें, अभिवृत्तियाँ एवं उनके विचार औद्योगिक समाज में वासी व्यक्तियों से भिन्न होते हैं।

(*iv*) **न्यूनतम श्रम विभाजन (Minimal division of labour)**–कृषक समाज की अन्य संरचनात्मक विशेषता न्यूनतम श्रम विभाजन से है। लिंग एवं आयु पर आधारित मूल विभाजन के अतिरिक्त विशेषीकृत भूमिकाएँ बहुत कम होती हैं। केवल एक ही व्यवसाय प्रमुख होता है अर्थात् पौधों एवं पशुओं का पालन। सभी व्यक्तियों के लिए पर्यावरण, भौतिक एवं सामाजिक समान होता है। कृषक समाज समरस होता है। जहाँ लोगों की एक ही प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। कार्य का विभाजन एवं उपविभाजन नहीं होता। सामाजिक एवं आर्थिक संगठनों का बाहुल्य नहीं होता कोई श्रमिक संघ अथवा व्यवसायिक समितियाँ नहीं होते। ग्रामीण व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना एवं सांस्कृतिक प्रतिमान में समान होते हैं।

(*v*) **परिवार की भूमिका (Role of family)**–कृषक समाज की एक विशेषता परिवार की भूमिका है जो न केवल प्रजनन एवं बाल पोषण इकाई के रूप में अपितु आर्थिक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। अनेक समाजों में व्यक्ति नहीं अपितु संपूर्ण परिवार समूह के रूप में भूमि को जोतता है एवं सफल की कटाई करता है तथा अन्य आवश्यक कृषि संबंधी कार्य मिल–जुलकर करता है। कृषक परिवार पितृसत्तात्मक होता है। परिवार की प्रस्थिति व्यक्ति की प्रस्थिति को निर्धारित करती है। विवाह, धर्म, मनोरंजन एवं व्यवसाय के बारे में निर्धारित

परिवार मानक होते हैं। सभी पुरुषों एवं स्त्रियों का जीवन परिवारिक जीवन में समावेशित होता है, क्योंकि अधिक विशेष संगठन नहीं होते, अतएव परिवार ही सहायता एवं सुरक्षा के कार्यों के निष्पादन हेतु अकेला संगठन होता है।

नोट

(*vi*) **एकता की भावना (Sense of unity)**–कृषक समाज के सदस्यों में अंत:समूह की भावना होती है, क्योंकि उनका संपूर्ण जीवन एक ऐसे समाज में जो भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से समरस है, से समावेशित होता है। अत: वे संपूर्ण बाह्य संसार को बाह्य समूह समझते हैं। उनमें सशक्त 'हम' भावना होती है। हार के और मान-सम्मान के नाम पर ग्रामवासी अपने जीवन का बलिदान करने को तत्पर रहते हैं। व्यक्तियों के मध्य संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। ग्रामीण रीतिरिवाजों एवं मूल्यों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कठोर दंड दिया जाता है।

(*vii*) **अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण (Infound social control)**–कृषक समाज में देहातों की प्रधानता होती है। ग्रामीण समुदाय में पारंपरिक व्यावहारिक नियमों का मुख्य स्थान होता है। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को पहचानता है। ग्रामीण समुदाय के लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तथा एक दूसरे के सुख एवं दुख में भाग लेते हैं। अपराध की मात्रा कम होती है। दंड अनौपचारिक प्रकार का–निंदा, अफवाह एवं बहिष्कार होता है। लोगों का व्यवहार लोकरीतियों द्वारा शासित होता है।

(*viii*) **सादगी एवं एकरूपता (Simplicity and uniformity)**–कृषक समाज में लोगों के जीवन में सादगी एवं एकरूपता होती है। कृषक, प्राकृतिक शक्तियों के प्रति भयभीत होता है क्योंकि उसकी कृषि, प्रकृति की दया पर निर्भर होती है। वह प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करता है। कृषक समाज धार्मिक समाज होता है। इसके अतिरिक्त कृषकों की जीवन शैली सरल होती है। उनका भोजन, उनके वस्त्र एवं मकान सादे होते हैं। वे औद्योगिक सभ्यता के दोषों से दूर रहते हैं। उनका व्यवहार स्वभाविक होता है उसमें कृत्रिमता नहीं होती। वे शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते है। मानसिक दबाव कम होते हैं। उन्हें हृदय आघात जैसे रोग नहीं होते। वे सत्यवादी, परिश्रमी एवं सत्कारशील होते हैं। उनके लिये भूमिक। सबसे मूल्यवान धरोहर है।

निष्कर्ष में यह भी उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि हमारे समय में कृषक समाज औद्योगिक समाज की विशेषताओं से अधिक से अधिकतर प्रभावित हो रहा है। कृषक अब फालतू वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, जिन्हें वे मंडी में विक्रय करते हैं, औद्योगिक युग की मुद्रा व्यवस्था का उपयोग करते हैं तथा कर भुगतान एवं मतदान के माध्यम से देश की राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेते हैं। यांत्रिक कृषि के आगमन से एवं लाभ पर दृष्टि केंद्रित हो जाने से कृषक समाज के सामाजिक संगठन पर अति प्रभाव पड़ा है। भारतीय समाज जो कृषक समाज है औद्योगीकरण के प्रभावाधीन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। नगरीकरण का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, ग्रामवासियों की जीवन शैली बदल रही है, एवं उनके विचारों में परिवर्तन हो रहा है।

3.19 औद्योगिक समाज (Industrial Society)

समाज के इतिहास में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना औद्योगिक क्रांति रही है जिसने समाजों की संरचना में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन किये हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व अधिकांश श्रमिक स्वयं अपना कच्चा माल प्रबंध करते थे एवं उनके अपने उपकरण होते थे। वे घर की छत के नीचे अपने समयानुसार कार्य करते थे एवं उत्पादित वस्तु की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता निर्धारित करते थे तथा इसे किसी उपभोक्ता को स्वयं विक्रय करते थे। उत्पादक को अपने कार्य के प्रति अत्यंत रुचि होती थी और वह प्रसिद्धि पा लेता था। वह पारंपरिक सामुदायिक लोकचारों द्वारा शासित सादा जीवन व्यतीत करता था। उसके बच्चे अपने पिता को कार्य करते देखते, उसकी सहायता करते एवं धीरे-धीरे पिता के कार्य को सीख जाते थे।

परंतु औद्योगिक क्रांति के आरंभ होने से सामाजिक संरचना में परिवर्तन होने लगा। उद्योगपति, एक पूँजीवादी व्यक्ति ने आकर कुछ क्रियाएँ संभाल ली। वह आकांक्षी एवं बुद्धियुक्त व्यक्ति था एवं उसने फैक्ट्री

स्थापित कर ली। उसने कच्चा माल प्राप्त किया, बाजार की स्थिति का अध्ययन किया तथा कर्मिकों को उनके घरों से लाकर अपनी फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन करने हेतु श्रम पर लगाया। उसने उत्पादन को बाजार में विक्रय किया। इस प्रक्रिया में श्रमिक उत्पादन के साधनों से विलग हो गया। अब वह कच्चे माल का स्वामी नहीं था और न ही उपकरणों, भवन अथवा उत्पादित वस्तु का स्वामी था। वह केवल श्रमिक था। फैक्ट्री उत्पादन निश्चित पूँजी एवं श्रम इस क्रांति की विशेषताएँ थी।

इस आर्थिक क्रांति के परिणामस्वरूप सामाजिक संरचना में अनेक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन घटित हुये एवं एक नये समाज जिसे औद्योगिक समाज कहा, का जन्म हुआ।

औद्योगिक समाज की विशेषताएँ (Features of Industrial Society)

(*i*) **आधुनिक परिवार की उत्पत्ति (Emergence of Modern family)**–पारंपरिक पैतृक परिवार के स्थान पर आधुनिक परिवार का जन्म औद्योगिक समाज की प्रथम विशेषता है। औद्योगिक समाज का परिवार संस्था न होकर एक सहभागिता है। स्त्री अब पुरुष की दासी नहीं है अपितु जीवन में समान अधिकार सहित उसकी संगिनी है। अब केवल पुरुष ही घर से बाहर कार्य पर नहीं जाते अपितु महिलाएँ भी कार्यालयों एवं उद्योगों में कार्य करती हैं। परिवार उत्पादन इकाई न रहकर उपभोक्ता इकाई बन गया है। आधुनिक परिवार अब वह कार्य नहीं करता जो पारंपरिक परिवार में होते थे। यहाँ तक कि बच्चों के पालन-पोषण का कार्य भी बाह्य एजेन्सियों ने संभाल लिया है। बच्चों का जन्म परिवार में न होकर अस्पताल में होता है। और उसकी प्रारंभिक शिक्षा किंडरगार्टेन स्कूल में होती है। औद्योगिक समाज में व्यक्तियों का दृष्टिकोण व्यक्तिवादी हो गया है। इस प्रकार, औद्योगिक समाज में परिवार की संरचना एवं उसके कार्य कृषक समाज से नितांत भिन्न हैं।

(*ii*) **आर्थिक संस्थाएँ (Economic Institutions)** औद्योगिक समाज एवं पूर्व-औद्योगिक समाज के मध्य सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण अंतर आर्थिक संस्थाओं की संरचना में देखा जा सकता है। औद्योगिक समाज की उत्पादन, वितरण एवं विनिमय प्रणाली पूर्णतया भिन्न प्रकार की है। घरानों के स्थान पर अब फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ कार्य को अनेक लघु अंशों में विभक्त किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना हो गयी है। निगमों की स्थापना की गयी है। स्वामित्व एवं नियंत्रण में विभेद किया जाता है। बड़े-बड़े उद्योग यथा टाटा एवं बिड़ला के एक व्यक्ति द्वारा नहीं अपितु लाखों शेयर होल्डरों के मध्य उनका स्वामित्व बिखरा हुआ है जो इनके प्रबंध को वेतनभोगी प्रबंधकों के नियंत्रण में दे देते हैं। वस्तुत: औद्योगीकृत समाज में स्वामित्व की सामूहिकता होती है। पूँजीवाद औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषता है। इस प्रकार व्यक्तिगत संपत्ति, श्रम विभाजन, लाभ, प्रतियोगिता, श्रम, वेतन एवं साख औद्योगीकृत समाज की विशेषताएँ हैं। श्रमिक संघों की वृद्धि भी औद्योगिक समाज की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

(*iii*) **व्यावसायिक उपसंस्कृतियाँ (Occupational sub-culture)**–जौस ऊपर वर्णित किया गया है, औद्योगिक समाज में श्रम विभाजन की अति होती है। किसी कारखाने में साधारण से साधारण वस्तु यथा–जूतों का उत्पादन करने हेतु हजारों व्यक्ति विशिष्ट कार्य करते हैं। इसी प्रकार, प्रबंध कार्य भी विभाजित होता है, एक कच्चे माल के क्रय को, अन्य मशीनरी की देखभाल को, तीसरा उत्पादन प्रक्रिया को, अन्य विक्रय को तथा दूसरे लेखों को देखता है। ऐसे श्रम विभाजन से, समाजशास्त्रियों के अनुसार, संबद्ध व्यवसायिक विशिष्टताओं की अलग-अलग प्रणालियाँ जो एक-दूसरे से भिन्न होती हैं, पदोशोषनात्मक ढंग से जन्म लेती हैं। प्रत्येक प्रणाली विशिष्ट मानकों की स्थापना करती हैं जिसे संबंधित व्यवसाय के सभी कर्मिक अनुसरण करते हैं। यह व्यवसायिक उपसंस्कृतियाँ सदस्यों को दूसरों से अलग कर देती हैं। इस प्रकार, चिकित्सकों एवं नर्सों के मूल्यों को इंजीनियरों एवं चालकों द्वारा अनुपालन नहीं किया जाता। वकीलों के व्यवसायिक मूल्य प्राध्यापक के मूल्यों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार, औद्योगिक समाज जो विभिन्न व्यवसाय विशिष्टताओं से चिह्नित होता है, व्यवसायिक

नोट

उपसंस्कृतियों में विभक्त हो जाता है। यह इस उदाहरण से प्रगट हो जाता है कि भारत के चिकित्सक अमेरिका के चिकित्सकों से अधिक संपर्क रखते हैं अपेक्षाकृत अपने ही देश के कृषकों से।

(*iv*) **खंडित भूमिकाएँ (Segmentalized Roles)** औद्योगिक समाजों में लोगों की भूमिकाएँ खंडित होती हैं। व्यक्ति, धार्मिक, गुरु, पिता, राजनीतिक दल का सदस्य, क्रिकेट टीम का सदस्य हो सकता है परंतु इनमें से किसी की अन्य के साथ ही संबंध नहीं होता जो जनजातीय समाज में जनजातीय व्यक्ति का होता है। ऐसे समाज में व्यक्ति को केवल उसके वंश का पता लगाना होता है जिसके आधार पर उसके व्यवसाय, उसके संबंध एवं उसकी शैक्षिक प्राप्ति का पूर्वकथन किया जा सकता है।

(*v*) **अवैयक्तिक संबंध (Impersonality of Relationship)** औद्योगिक समाज वैयक्तिक संबंधों की अपेक्षा निर्वैयक्तिकता संबंधों को चिह्नित करता है। व्यावसायिक विशिष्टीकरण औद्योगिक जीवन की निर्वैयक्तिकता को बढ़ाता है। समितियों को गौण स्वरूप, व्यवसायों की बहुलता, प्रकार्यों का विशिष्टीकरण एवं प्रतियोगिता स्नेह को कम कर देती है एवं व्यक्तियों में संपूर्ण समाज के प्रति तादात्मीयता की भावना को विकसित होने से रोकती है। कार्यस्थान, निवास स्थान से दूर होने के कारण पिता बच्चों की दृष्टि से लंबे समय तक ओझल रहते हैं। अनेक बच्चों को ज्ञात ही नहीं होता कि उनके पिता क्या व्यवसाय करते हैं। केवल बच्चे ही नहीं, अनेक पत्नियों को भी अपने पति के व्यवसाय की पूर्णभिज्ञता नहीं होतीं। पत्नी को यह तो ज्ञात होता है कि उसका पति वस्त्र उद्योग में कार्य करता है परंतु वह इस उद्योग में उत्पादन कक्ष, भंडार, प्रबंध कार्यालय, जन-संपर्क विभाग अथवा किस अन्य विभाग में कार्य करता है, उसको ज्ञात नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में परिवार बालक को युवा द्वार पार करके वयस्क व्यवसायिक भूमिका में प्रवेश दिलाने में असमर्थ रहता है।

(*vi*) **प्रस्थिति से संविदा (Status to contract)** औद्योगिक समाज की एक प्रमुख विशेषता वह प्रवृत्ति है जिसे समाजशास्त्री प्रस्थिति से संविदा की ओर प्रस्थान कहते हैं। मध्ययुगीन समाज में, कुलीन कुलीन के रूप में जन्म लेता था क्योंकि उसके दादा कुलीन थे, अतएव उसे भी कुलीन बनने का अधिकार था। दास उसके प्रति निष्ठा रखते थे क्योंकि वह दास परिवार में जन्म लेते थे। संपूर्ण समाज प्रदत प्रस्थिति पर संरचित था औद्योगिक समाज ने इस संरचना को खंडित कर दिया है। औद्योगिक समाज में अधिकांश व्यक्ति विशालकाय संगठनों के लिये संविदा के आधार पर कार्य करते हैं। प्रस्थिति व्यवस्था का स्थान संविदा व्यवस्था ने ले लिया है। इस समाज में अब वेतन संविदा, सामाजिक सुरक्षा संविदा, बेरोजगारी बीमा संविदा आदि होते हैं। पारस्परिक दायित्व व्याख्या के स्थान पर औद्योगिक समाज में संविदा व्यवस्था पायी जाती है।

(*vii*) **सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)** क्योंकि औद्योगिक समाज प्रस्थिति के स्थान पर संविदा पर व्यवस्थित है, अतएव इसमें सामाजिक गतिशीलता पायी जाती है। औद्योगिक समाज का व्यक्ति अपनी उपलब्धि के आधार पर सामाजिक स्तरीकरण में उच्च से उच्च सामाजिक पद पा सकता है। प्रस्थिति के निर्धारक तत्त्व के रूप में जाति का महत्त्व कम हो गया है।

(*viii*) **महिलाओं की स्थिति (Position of women)** कृषक समाज में महिलाओं के लिये अपेक्षाकृत कम आर्थिक व्यवसाय उपलब्ध होते हैं। वे अधिक समय घरेलू कार्यों में व्यस्त रहती हैं एवं फसल बोने तथा काटने के समय पुरुषों की सहायता करती हैं। औद्योगिक समाज में महिलाओं के लिए अनेक मार्ग खुले होते हैं। औद्योगिकरण एवं विशिष्टीकरण ने महिलाओं को कारखानों में स्थान दे दिया है। वे अब घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर विस्तृत संसार में प्रवेश कर गयी हैं जिस कारण उनकी अभिरुचियों में महान परिवर्तन आया है। मुक्ति अभियान (Lib Movement) औद्योगिक समाज की देन है।

(*ix*) **विचलन एवं अप्रतिमानता (Deviance and anomic)** औद्योगिक समाज एक जनसमाज है जिसमें विभिन्न उपसंस्कृतियाँ विद्यमान हैं। इसके सदस्य प्रतियोगिता की अति के कारण अत्यधिक दबावों एवं उलझनों के अधीन कार्य करते हैं। कारखानें रात दिन चलते हैं। व्यक्ति अनेक गतिविधियों में संलग्न हैं एवं भारी गति से कार्य करते हैं। वे विभिन्न एजेन्सियों द्वारा निर्धारित व्यवहार के जटिल एवं विषम नियमों से घिरे हुये हैं। उनके व्यवहार पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध हैं। पूंजीवादी, शोषण, वर्ग-संघर्ष, संस्कृति विलम्बना, निर्वैयक्तिक संबंध, व्यक्तिवाद की प्रधानता एवं यांत्रिक जीवन-औद्योगिक समाज के तत्व, मानसिक एवं भावनात्मक असंतुलन को जन्म देते हैं। समाज के सदस्यों में विभिन्न प्रकार की मानसिक विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। औद्योगिक समाज में, आत्महत्या की, नशीली वस्तुओं के सेवन की दर वृद्धि पर है।

निष्कर्ष रूप में, औद्योगिक समाज ने संस्थागत संरचना एवं मूल्यों में भारी परिवर्तन किये हैं। अमेरिकन समाज औद्योगिक समाज है जहाँ लोग अत्यधिक शिक्षित, वैज्ञानिक तौर पर प्रशिक्षित, आर्थिक रूप से समृद्ध परंतु अति व्यक्तिवादी होते हैं। क्यों ऐसे समाज में मानवसंबंध अधिक समेकित एवं स्थायी होंगे? उत्तर निश्चित नहीं है। तदपि अधिक से अधिक कृषक समाज औद्यीगीकरण के युग में प्रवेश कर रहे हैं एवं भविष्य में औद्योगीकृत समाजों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होगी।

3.20 समाज का स्वरूप तथा तुलनात्मक अध्ययन (Structure of Society and Comparative Study)

समाज के स्वरूप का प्रश्न व्यक्ति और समाज के संबंध के प्रश्न से बहुत संबंधित है। बहुत प्राचीन काल में अरस्तु ने कहा था कि मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक प्राणी है और जो मनुष्य समाज में नहीं रहता, वह या तो ईश्वर है या जंगली पशु है। मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहने के साथ ही हमारे सामने यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मनुष्य किस दृष्टि से सामाजिक प्राणी है? हम समाज पर किस प्रकार निर्भर हैं? दूसरे शब्दों में, मनुष्य तथा सामाजिक व्यवस्था के बीच किस प्रकार के संबंध हैं?

दो सिद्धांत (Two theories)

व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यत: दो सिद्धांत हैं जिनका अनेक विद्वानों ने समर्थन किया है। एक सिद्धांत सामाजिक संविदा (Social Contract) का है और दूसरा सावयवी विकास (Organic Theory) का सिद्धांत है। सामाजिक संविदा के सिद्धांत का वर्णन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना बताने की आवश्यकता है कि सामाजिक संविदा के सिद्धांत में यह बात निहित है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समाज में रहता था, क्योंकि यदि वह समाज में न रहा होत तो उसके मन में विचार तथा भावनाएँ उत्पन्न होतीं जिनके परिणामस्वरूप उसने सामाजिक समझौता किया।

समाज का सावयवी सिद्धांत (The organic theory of society)

यह सिद्धांत भी अरस्तु तथा प्लेटों के जमाने का है। प्लेटों ने समाज या राज्य की तुलना एक बृहत् मनुष्य से की। उसने मनुष्य की तीन विशेषताओं—बुद्धिमता, साहस तथा इच्छा के आधार पर समाज को तीन भागों-शासक, योद्धा तथा कारीगरों में बाँटा। अरस्तु ने राज्य की तुलना एक शरीर से की और बताया कि मनुष्य समाज का अभिन्न अंग है। हाल में ब्लंशाची तथा हर्बर्ट स्पेन्सर (Bluntschi and Herbert Spencer) ने व्यक्ति के शरीर तथा समाज के ढाँचे में सूक्ष्मतम समानता ढूँढ निकाली है। बलशली ने तो राज्य में भी लैंगिक विशेषता बताई है। उसका कहना है कि राज्य का स्वरूप पुलिंग है और चर्च का स्वरूप स्त्रीलिंग है। स्पेन्सर का कहना है कि "राज्य के विकास तथा पतन पर वही नियम लागू होते हैं जो मनुष्य के विकास तथा पतन पर लागू होते हैं राज्य की भी किशोरावस्था, युवावस्था तथा मृत्यु होती हैं। मनुष्य की ही भाँति राज्य के भी सहायक अवयव होते हैं।"

मजदूर, खेती करने वाले व्यक्ति, खानों तथा कारखानों में काम करने वाले व्यक्ति समाज के पोषक (alimentary) अंग हैं। थोक व्यापारी, खुदरा दुकानदार, बैंकर, रेलवे तथा सटीन से चलने वाले जहाजों में काम करने वाले व्यक्ति समाज में उसी तरह हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में रक्तवाहिनी नलिकाएँ हैं। डाक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों, शासकों, पुरोहितों आदि का समाज में वही महत्त्व है जो मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क तथा नाड़ी-संस्थान का होता है।" 'मुरे' (Murray) ने व्यक्ति तथा समाज में स्पेन्सर द्वारा बताये गये आधार पर कुछ समानताएँ इस प्रकार प्रकट की हैं–

1. दोनों छोटे-छोटे एककों से आरंभ होकर बढ़ते हैं।
2. ज्यों-ज्यों उनका विकास होता जाता है, त्यों-त्यों उनकी आरंभिक सापेक्ष सरलता के स्थान पर उनमें अधिकाधिक जटिलता पैदा होती जाती है।
3. ज्यों-ज्यों उनमें अधिकाधिक भिन्नता बढ़ती जाती है, त्यों-त्यों उनके विभिन्न भागों मे अधिकाधिक पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाती है। प्रत्येक का जीवन तथा सामान्य क्रिया संपूर्ण जीवन पर निर्भर हो जाती है।
4. संपूर्ण का जीवन उनके विभिन्न अंगों के जीवन से बिल्कुल अलग हो जाता है।

उपर्युक्त समानताओं के आधार पर स्पेन्सर ने यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य एक जीव है–एक सामाजिक जीव। व्यक्ति समाज के अंग हैं और शरीर के कोषों की भाँति कार्य करते हैं जिनके कार्य तथा जीवन का उद्देश्य संपूर्ण शरीर का हित करना होता है। जिस प्रकार अंगों को शरीर से पृथक् कर देने पर उनमें जीवन नहीं रह जाता, उसी प्रकार व्यक्ति को समाज से अलग करने पर उसमें जीवन नहीं रह जाता। व्यक्ति समाज के अंदर ही रहते हैं।

आलोचना (Criticism)

निश्चित ही समाज तथा जीवन मे महत्त्वपूर्ण समानताएँ हैं, परंतु साथ ही दोनों में महत्त्वपूर्ण भेद या अंतर भी हैं। हर्बर्ट स्पेन्सर ने स्वयं इन भेदों की ओर ध्यान दिया था और इन्हीं के आधार पर उसने राज्य के व्यक्तिवादी सिद्धांत (individualistic theory) की रचना की। समाज तथा व्यक्ति के अवयव में उसने निम्नलिखित अंतर प्रकट किये।

1. समाज का कोई ऐसा विशिष्ट रूप नहीं है। जिसकी किसी व्यक्ति के शरीर से तुलना की जाये।
2. समाज के अंग अपनी-अपनी जगहों पर उस तरह स्थिर नहीं है, जैसे मनुष्य के शरीर के अंग।
3. समाज की इकाई अलग-अलग व्यक्ति होते हैं और व्यक्ति के शरीर के कोषों की भाँति वे शरीर से संयुक्त नहीं होते।
4. समाज में कोई 'सामान्य-ज्ञान-केंद्र' (Common sensorium) नहीं होता, बोध तथा ज्ञान का कोई केंद्रीय अवयव नहीं होता, जैसा कि मनुष्य के शरीर में होता है।

इसके अतिरिक्त समाज तथा मनुष्य के शरीर में और भी कई अंतर हैं। यह कथन ठीक नहीं है कि समाज का जन्म भी वैसे ही हुआ है, जैसे मनुष्य का होता है। हम जानते हैं कि मनुष्य का जन्म तब होता है जब पुरुष का एक कोष स्त्री के एक कोष में मिलता है, परंतु समाज के संबंध में यह बात चरितार्थ नहीं होती। समाज मे व्यक्तियों का संयोग इस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार स्त्री के शरीर में दो कोषों का संयोग होता है। इसके अतिरिक्त न ही समाज उस तरह मरता है जिस तरह व्यक्ति मरता है। सच तो यह है कि सावयव सिद्धांत समाज पर केवल एक रूपक के रूप में लागू होता है, वास्तविक रूप में नहीं। समाज न तो जीव है और न जीव हो सकता है। यह एक जीव की भाँति है। यह मानसिक प्रणाली है, शारीरिक प्रणाली नहीं। समाज का कोई शरीर नहीं होता, यह एक मानसिक संरचना और सम्मिलित प्रयोजनों के लिए मानसिक संगठन है।

समूह-मन सिद्धांत (Group mind theory)

समूह-मन सिद्धांत या आदर्शवादी सिद्धांत (idealist theory) का सावयव सिद्धांत से बड़ा घनिष्ठ संबंध है। प्लेटो, हीगल, बोसांके (Bosanquet), आटो गिर्के (Otto Gierke) और मैक्डूगल जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। प्लेटो ने समाज को एक 'बृहत् मन' (a mind write large) माना है और बुद्धिमता, साहस तथा इच्छा के आधार पर उसने समाज को तीन भागों-शासक, योद्धा तथा कारीगर में बाँटा है। परंतु समाज तथा मनुष्य के मन की यह तुलना एक रूपक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।

हीगल (Hegel)—आदर्शवादी जर्मन विद्वान हीगल का विचार है कि समाज एक 'पूर्ण मन' (absolute mind) है। यह ऐतिहासिक विश्व-प्रक्रिया, सार्वभौमिक आत्मा या पूर्ण विचार का प्रतीक है। राज्य जो परिवार तथा सिविल समाज के पूर्ववर्ती तत्वों को संजोये हुए विद्यमान है, मन के द्वंद्वात्मक विकास का अंतिम चरण है और पृथ्वी पर उसका चरम विकास है। राज्य की इच्छा 'पूर्ण मन' की पूर्ण अभिव्यक्ति है। व्यक्ति जब तक राज्य का सदस्य है, तभी तक उसका वास्तविक अस्तित्व है। राज्य के बिना व्यक्ति एक कल्पना या भाव मात्र है; समाज की सदस्यता से ही उसे महत्त्व, मान्यता, नैतिक पद आदि प्राप्त हैं। राज्य मनुष्य की अपेक्षा एक उच्चतर साध्य है, क्योंकि यह स्वयं व्यक्ति है जो अपने आकस्मिक तथा स्वल्पायु विशेषताओं से रहित और अपनी सार्वभौमिकता से युक्त होता हुआ तटस्थता तथा चिरंतरता को धारण किये हुए है।

बोसांके (Bosanquet)—हीगल के बाद टी. एच. ग्रीन, एफ. एच. ब्रैडले और बी. बोसांके ने इस मत का समर्थन किया। बोसांके के कथनानुसार "राज्य सभी नागरिकों के मन का मिला-जुला सार है।" किसी निश्चित राज्य-क्षेत्र तथा किसी प्रभुसत्ता के अधीन रहने वाले लाखों पुरुषों व स्त्रियों ाके ही राज्य नहीं कहा जा सकता, बल्कि राज्य एक समूह-मन हैं किसी सम्मिलित प्रयोजनों के लिए संयुक्त हो जाने पर मनों का समूह-मन बन जाता है। यद्यपि समूह-मन का अस्तित्व व्यक्तियों के मन से पृथक नहीं हो सकता, परंतु फिर भी यह एक यथार्थ है। समूह-मन व्यक्तियों के मनों से श्रेष्ठ है। यह मानसिक जीवन का एक श्रेष्ठतर रूप है और अंतर्वस्तु तथा प्रकार में व्यक्ति-मन से उच्चतर होते हुए भी उसको अपने में समाविष्ट रखता है।

मैक्डूगल (Mc Dougall)—समूह-मन के विचार की मैक्डूगल ने पुष्टि की। 1920 मे प्रकाशित अपनी पुस्तक 'दि ग्रुप माइण्ड' (The Group Mind) में उसने लिखा, "समाज एक योग (व्यक्तियों का) है; उसका पृथक् व्यक्तित्व है और एक सच्ची इकाई है जो कि बहुत अधिक सीमा तक अपने अंगों की गतिविधि का ढंग तथा उसका स्वरूप निर्धारित करती है। यह एक पूर्ण जीव है। समाज का मानसिक जीवन होता है जो कि उसके अंतर्गत स्वतंत्र इकाइयों के रूप में रहने वाले मानसिक जीवन का योग मात्र नहीं है; और जहाँ तक इकाइयों को अलग-अलग माना जा सकता है, उनके पूर्ण ज्ञान से हम पूर्ण जीवन के स्वरूप के संबंध में उस ढंग से निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, जैसा कि स्पेन्सर के उदाहरणों में कहा गया है।" "अत: सामाजिक योग का एक सामूहिक मानसिक जीवन होता है जो कि उसकी इकाइयों के मानसिक जीवन का योग मात्र नहीं होता है। यह कहा जा सकता है कि समाज में केवल सामूहिक जीवन ही नहीं होता, बल्कि सामूहिक मन या कुछ लोगों के कथनानुसार 'सामूहिक आत्मा' भी होती है।" मैक्डूगल ने आगे लिखा है, "समुदाय की आत्मा का स्वरूप तथा गठन हर प्रकार से उतना ही पूर्ण मानसिक या भौतिक है जितना कि व्यक्ति के मन का ढाँचा तथा गठन होता है।" इस प्रकार मैक्डूगल तथा बोसांके के विचार लगभग एक-से ही हैं। दोनों का कहना है कि समाज केवल अपने सदस्यों के कुछ गुणों या लक्षणों को प्रकट करने वाला एक समूह मात्र नहीं है, बल्कि स्वयं एक मन तथा एक यथार्थ है।

आलोचना (Criticism)

हॉबहाउस (Hobhouse), लॉस्की तथा मैकाइवर जैसे विद्वानों ने समूह-मन सिद्धांत की कटु आलोचना की है। ये आलोचक इस बात को तो मानते हैं कि समाज संबंधित व्यक्तियों का केवल समूह मात्र नहीं है, परंतु वे यह नहीं मानते कि समाज का अपना पृथक् मन तथा उसकी अपनी पृथक् इच्छा है जो कि समाज के सदस्यों के मन तथा उनकी अपनी पृथक् इच्छा से बिल्कुल भिन्न व अलग है।

मैकाइवर का कहना है कि "यदि हम किसी समूह-मन की चर्चा करते हैं, तो इस संबंध में हमारे पास कोई तथ्य या प्रमाण नहीं होते, अतः हमें यह कल्पना करने का कोई अधिकार नहीं है कि वह एक ही ढंग से महसूस करने वाले या सोचने वाले, समान ढंग से प्रतिक्रिया करने वाले और एक-जैसा या सम्मिलित हितों से प्रभावित होने वाले समाज के सदस्यों के मन से कुछ भिन्न चीज हैं।" समूह-मन की कल्पना को केवल एक रूपक के रूप में ही प्रयोग किया जा सकता है, वास्तविक दृष्टि से कदापि नहीं। भावना तथा क्रिया के केंद्र तो व्यक्ति ही है। समाज में व्यक्ति उन परस्परिक संबंधों में बँधे होते हैं जिनका निर्माण वे स्वयं करते हैं। जब हम कहते हैं कि हमारा मन किसी प्रयोजन में समाविष्ट हो गया है, तो यह रूपक के माध्यम से कहने का ढंग ही है जिसका अर्थ यह है कि हम उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए मिलकर सहयोग कर रहे हैं। मैक्डूगल ने मानसिक प्रणाली और मन को एक ही माना है, वह सही नहीं है। समूह-मन, समाज-मन, कॉलेज-मन भी हो सकते हैं, परंतु यह भी हो सकता है कि उनका कोई मानसिक कार्य न हो। "मन का मन से संबंध हो सकता है, परंतु एक मन दूसरे मन का स्थान नहीं ले सकता।" विभिन्न व्यक्तियों के मानसिक कार्यों का समन्वय तथा एकीकरण किसी अकेले व्यक्ति के मानसिक कार्यों का समन्वय कभी भी नहीं होता।

इसलिए समाज में मन की स्थापना करना और उसे व्यक्ति के मन के समान मानना सामाजिक प्राणी के व्यक्तित्व के साथ न्याय नहीं है।

मनुष्य-समाज बनाम पशु-समाज (Human Vs. Animal Society)

समाज मनुष्य तक ही सीमित नहीं है (Society not confined to man)—समाज की धारणा तथा उसके स्वरूप का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। जैसा कि उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट हो गया होगा, समाज उन सामाजिक संबंधों का नाम है जिसके माध्यम से हर व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से संबंधित है। परंतु समाज केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। वस्तुतः कई प्रकार के पशु-समाज भी हैं। केवल मनुष्य ही ऐसा नहीं है जो समाज में रहना चाहता है और जिसमें स्वाभाविक सामाजिक प्रवृत्ति है, बल्कि पशु भी अपनी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए समाज में रहना चाहते हैं।

पशुओं के लिए समाज की आवश्यकता (Need of Society for Animals)

कामवृत्ति (Sexual instinct)—मनुष्यों की भाँति पशुओं को समाज बनाने के लिए प्रेरित करने वाली अपनी जाति को चलाते रहने की उनकी सहजवृत्ति है। पशुओं में कामवृत्ति भी समान रूप से होती है। कामवृत्ति तथा प्रजन्न-कामना को संतुष्ट करने के लिए पशुओं को संभोग करना होता है।

शारीरिक आवश्यकताएँ (Physical Needs)—दूसरे, पशुओं को सुरक्षा, आराम तथा पालन-पोषण के लिए भी सामाजिक आवश्यकता पड़ती है। पशु-बच्चे के पैदा होते ही उसे समाज की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य के बच्चे की भाँति पशु का बच्चा भी रक्षा तथा पालन-पोषण के लिए अपने माँ-बाप पर निर्भर रहता है। यदि माँ-बाप बच्चे के लिए सुखकर आवास का प्रबंध न करें तो बच्चा सर्दी, गर्मी या बरसात के कारण मर जाएगा। यदि वे उसके लिए भोजन न लायें तो वह जिंदा नहीं रह सकता। अतः जिस प्रकार नवजात मानव-शिशु के लिए माँ-बाप भोजन तथा आवास की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार पशु-बच्चे के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए उसके माँ-बाप उसके लिए भोजन तथा आवास की व्यवस्था करते हैं।

पशुओं का संस्कृति से कोई मतलब नहीं (Culture irrelevant to animal)—मनुष्य केवल भोजन तथा सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा, साज-समाज, विचारों तथा आकांक्षाओं के लिए समाज पर भी निर्भर है। इसमें संशय नहीं कि हमारे बहुत से कार्य पशुओं के समान हैं। हम पशुओं के समान भोजन प्राप्त करने, तैयार करने और खाने में समय व्यतीत करते हैं। परंतु उनके समान होते हुए भी हम उनसे भिन्न हैं। यह कहा जा सकता है कि मनुष्य ऐसा पशु है जिसके पास मस्तिष्क है और बोलने की योग्यता है। पशु तो पशु ही है और संस्कृति से उसे कोई मतलब नहीं होता, अतः इन प्रयोजनों के लिए उसे समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य को ही वह बुद्धि प्राप्त है जिससे संस्कृति तथा भाषा की वृद्धि होती है। संस्कृति केवल मनुष्य की सम्पत्ति हैं मनुष्य के सभी अनुपम गुण इसी कारण हैं और इसके बिना

मनुष्य पशु होता है। संस्कृति तथा भाषा के विकास के लिए मनुष्य समाज पर निर्भर होता है। परंतु चूँकि पशु को इन बातों की आवश्यकता नहीं होती, अत: इन आवश्यकताओं के लिए वह समाज नही बनाता।

नोट

3.21 मानव-समाज और पशु-समाज में भेद (Difference between Human Society and Animal Society)

मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद को दो श्रेणियों (1) जैविकीय (biological) एवं सामाजिक सांस्कृतिक (Socio-cultural) में वर्गीकृत किया जा सकता है।

जैविकीय भेद (Biological Differences)

यद्यपि पशु समाज के सदस्यों एवं मानव समाज के सदस्यों में अनेक जैविकीय समानताएँ हैं तदपि इन दोनों के मध्य अनेक अंतर भी हैं–

(*i*) **शारीरिक संरचना (Physical structure)**–मानव समाज के सदस्यों की शारीरिक संरचना लगभग समान होती है परंतु पशु समाज के सदस्यों की शारीरिक संरचना में अनेक अंतर पाये जाते हैं। हाथी की शारीरिक रचना शेर की शारीरिक रचना से पर्याप्त भिन्न है। एक ही प्रकार के पशुओं में भी अंतर पाये जाते हैं उदाहरणतया, पर्वतीय गाय मैदानी क्षेत्र की गाय से भिन्न होती हैं। पशु स्वयं को शीत अथवा ग्रीष्म ऋतु से सुरक्षित रखने के लिए कृत्रिम साधनों का प्रयोग नहीं करते जैसा कि मनुष्यों को आवश्यकता होती है।

(*ii*) **मानसिक योग्यता (Mental Capacity)**–स्पष्ट है कि मनुष्य का मस्तिष्क पशु की अपेक्षा अधिक विकसित है। यद्यपि पशु सुंदर घोसलों का निर्माण करते हैं एवं अनेक आश्चर्यजनक क्रिया करते है तदपि यह प्रमाणित किया गया है कि सबसे चतुर पशु का मस्तिष्क भी मनुष्य के मस्तिष्क की घनात्मक योग्यता का एक-तिहाई होता है।

(*iii*) **सीधा खड़े होने की योग्यता–(Capacity to stand straight)** पशु समाज एवं मानव समाज के मध्य अन्य जैविकीय अंतर यह है कि मनुष्य अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो सकता है एवं अपने हाथों को स्वतंत्रतापूर्वक प्रयोग कर सकता है दूसरी ओर, पशु न तो मनुष्य की भाँति खड़े हो सकते हैं एवं न ही अपने हाथों का प्रयोग कर सकते हैं।

(*iv*) **स्मरणशक्ति (Memory)**–स्मरणशक्ति भी इन दोनों समाजों के मध्य अंतर का एक बिंदु है। मनुष्य अपनी भूतकालीन त्रुटियों को याद रख सकता है तथा उन्हें सुधार सकता है। वह पारस्परिक विचार विमर्श द्वारा जटिलतम समस्याओं का समाधान खोज सकता है। दूसरी ओर, पशुओं में यह योग्यता नहीं होती जिस कारण उनका समाज संरचनात्मक दृष्टि से मानव समाज से अति भिन्न होता है।

सामाजिक-सांस्कृतिक अंतर (Socio-cultural difference)

सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से मानव समाज निम्नलिखित बातों में पशु समाज से भिन्न है–

(*i*) **मानव-समाज सभ्य और सुसंस्कृत प्राणियों का समाज है (Human society is a society of civilized and cultural beings)**–अत: स्पष्ट है कि कुछ प्रयोजनों के लिये पशु भी समाज बना कर रहते है; परंतु स्तर तथा प्रकार दोनों दृष्टियों से मनुष्य-समाज पशु-समाज से भिन्न होता है। मनुष्य-समाज सभ्य तथा सुसंस्कृत व्यक्तियों का समाज होता हैं। वह मनुष्यों की शारीरिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है। वह समाज उच्च स्तर का होता है जिसमें लोग देश के कानून के अनुसार एक-दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते उसमें जो सामाजिक चेतना होती है, उसके प्रति पूर्णत: जागरूक होते हैं।

इसके विपरीत पशु-समाज जंगली जीवों का समाज होता है जिसका सभ्यता और संस्कृति से कोई संबंध नहीं होता। पशुओं की आवश्यकताएँ बहुत थोड़ी और प्राय: शारीरिक होती हैं जिनकी पूर्ति वह परंपरा-प्राप्त यंत्र-रचनाओं से कर लेता है, जबकि मानव-समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति सांस्कृतिक संचरण (cultural transmission) होती है।

(*ii*) **सामाजिक बोध (Social awarness)**—पशु समाज में रहते हैं, परंतु उन्हें इस बात का ध्यान नहीं होता। सामाजिक चेतना तो उसमें बहुत ही कम होती है। उसमें वस्तुओं के बीच तार्किक संबंधों को समझने की योग्यता नहीं होती और मानसिक संश्लेषण के माध्यम से वस्तुओं के विभिन्न क्रमों से सामंजस्य (केवल संभोग नहीं) पैदा करने की शक्ति उनमें नहीं होती। हाँ, यह कहा जा सकता है कि मधुमक्खियाँ शहद इकट्ठा करने के लिए सात कोने वाले घरों का छत्ता बनाती हैं और पक्षी अपने घोंसले बनाने, संगीत, शिकारियों से अपने को बचाने में बड़ी चतुराई का परिचय देते हैं, फिर भी यह बात कोई नहीं कहेगा कि मधुमक्खियाँ, पक्षी तथा पशु मनुष्य की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान हैं। इसका कारण यह है कि पशुओं का काम करने का ढंग अर्द्धयांत्रिक तथा घिसा-पिटा होता है, जबकि मनुष्य मामूली काम को भी काफी समझ-बूझ कर तथा विवेक से करता है।

(*iii*) **व्यवस्था की विधि (ढंग) (Mode of organization)**—पशुओं की व्यवस्था के ढंग निश्चित और कठोर होते हैं, जबकि मानव के लचीले और अनुकूलनीय (adaptable) होते हैं। मनुष्य मधुमक्खियों और चींटियों के समान इकट्ठा रहने के लिए प्रवृत्त नहीं है। वह व्यवस्था के जटिल ढंगों का विकास करने में समर्थ है और आवश्यकताओं में परिवर्तन के साथ उन्हें बदल सकता है।

(*iv*) **प्रतीकात्मक संचार की अनुपस्थिति (Absence of symbolic communication)**—पशु समाज उन जीवों का समाज है जिसमें बुद्धि, तर्क, संस्कृति नहीं होती और जो हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी उसी स्तर पर रहते हैं। यह वृत्ति पर आधारित समाज प्रतीकात्मक संचार में असमर्थ होने के कारण पशु अपनी संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में समर्थ नहीं होते। पशुओं की प्रत्येक पीढ़ी को वही ज्ञान और प्रवृत्तियाँ अपने कार्यों से सीखनी पड़ती हैं। जब तक वे किसी वस्तु को वास्तविक रूप में देख नहीं लेते, उन्हें उसके बारे में कुछ नहीं सिखलाया जा सकता है। वे जब तक साँप को देख न लें, उन्हें समझाया नहीं जा सकता कि साँप भयानक होता है। उन्हें देवताओं, आत्माओं और भूत-प्रेतों की सत्यता, देश-भक्ति एवं कर्तव्य के बारे में समझाया नहीं जा सकता। कुछ शोधकर्ताओं ने पशुओं को बोलना सिखलाने का असफल प्रयत्न किया है। पशु अपने दाँतों को ब्रुश करना, थूकना, चम्मच से खाना, बिस्तर पर सोना तथा मानवीय क्रियाएँ सीख सकता है, परंतु वह बोलना नहीं सीख सकता। पशुओं के पास 'भाषा' नहीं होती। संस्कृति की अनुपस्थिति उन्हें मानव-समाज, जो 'जीव-सामाजिक-सांस्कृतिक' (bio-socio-cultural) समूह होता है, से पृथक कर देती है। 'जीव-सामाजिक' (bio-social) व्यवस्था के रूप में तो मानव-समाज एवं पशु-समाज की सामान्य विशेषताओं को प्रकट करता है, परंतु पशु-समाज में सामान्य विशेषताओं की अभिव्यक्ति तथा उनमें परिवर्तन प्रमुख रूप से शरीर-क्रियात्मक आधार पर होते हैं, जबकि मानव-समाज में सांस्कृतिक आधार पर होते हैं। मानव-समाज व्यवस्था के आधार पर गुणात्मक रूप में पशु-समाज से भिन्न होते हैं।

डार्विन तथा उसके अनुयायियों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मनुष्य तथा उच्च पशुओं की मानसिक शक्तियों में कोई बुनियादी अंतर नहीं होता। कई मामलों में परीक्षण करने के बाद डार्विन (Darwin) ने यह निष्कर्ष निकाला कि "मनुष्य तथा उच्च पशुओं की बुद्धि में महान् अंतर अवश्य है, परंतु यह अंतर केवल मात्रा का है, प्रकार का नहीं।" परंतु मात्रा का अंतर कालांतर में प्रकार का अंतर बन जाता है। अबोध बच्चे तथा पशु के अचेतन बच्चे में वैसे तो कोई अंतर नहीं होता, परंतु जहाँ पशु का बच्चा अधिक से अधिक कुछ समझदार बन सकता है, वहाँ मनुष्य का बच्चा नेपोलियन या न्यूटन बन सकता

है। डार्विन तथा उनके अनुयायियों के विचारों का खंडन करते हुए आर. ए. विल्सन (R.A. Wilson) ने लिखा है कि ये लेखक अपने अध्ययन में अधिक महत्त्वपूर्ण बात को, अर्थात् "मनुष्य की केंद्रीय या संपूर्ण एकीकरणिक मानसिक शक्ति" (the total or central unifying mental faculty of man) को भूल जाते हैं जो "पशु की केंद्रीय एकीकरणिक मानसिक शक्ति से निश्चय ही उच्च है।" पशु 'सच्ची भाषा जैसी कोई वस्तु' कभी भी विकसित नहीं कर पाये हैं। पशुओं की भाषा सदैव ही अल्पवर्धित रही है। केवल मनुष्य ही भाषा का आश्चर्यजनक विकास कर पाया है। यदि पशु यह काम कर लेते तो वे भी मनुष्य बन गए होते। अतः तथ्य यह है कि कोई भी पशु संधिक भाषा बोलने वाले मनुष्य के स्तर तक विकास नहीं कर पाया है। अनेक शोधकर्ताओं ने पशुओं को बोलना सिखाने के प्रयत्न किए, परंतु व्यर्थ ही। एक उदाहरण में कुछ पशुओं ने दाँतों पर ब्रुश करना, चम्मच के साथ खाना, बिस्तर पर सोना तथा अन्य कई मानवीय क्रियाएँ सीख लीं, परंतु वे बोलना न सीख सके। दूसरे उदाहरण में एक वनमानुष की जबान करनी (spatula) से बार-बार पीछे मोड़ी गयी ताकि वह कठोर ध्वनि 'द' या 'क' बोल सके, परंतु उस पशु की समझ मे नहीं आया कि इस सबका क्या मतलब है। इन अन्वेषकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि भाषा के वास्तविक अर्थ में पशुओं में भाषा के पूर्णता का कभी प्रयत्न नहीं करता। समाजशास्त्र में हमारा संबंध मनुष्यों के समाज से है।

3.22 भाषा तथा समाज (Language and Society)

उपर्युक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य स्वभावतः सामाजिक प्राणी है। उसके स्वभाव का यह मूल लक्षण है कि छोटे या बड़े प्रयोजनों की प्राप्ति-हेतु वह अपने साथियों के साथ संगठित हो जाता है। अपने साथियों की बात समझने के लिए और उन्हें अपनी बात समझाने के लिए मनुष्यों ने भाषा बनाने का प्रयत्न किया जिसके बिना वे पारस्परिक विचारों का आदान-प्रदान नहीं कर सकते थे। संचार (Communication) की इच्छा भाषा के निर्माण का मुख्य कारण थी। "आवश्यकता आविष्कार की जननी है" यह कहावत भाषा के इतिहास पर पूरी तरह लागू होती है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। चार्ल्स विनिक (Charles Winick) ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार की है, "भाषा स्वेच्छ वाक्चिह्नों की वह व्यवस्था है जिसका प्रयोग सामाजिक समूह के सदस्य या वाणी-समुदाय विचारों और भावनाओं को प्रकट करने के लिए करते हैं जिससे वे अंत:क्रिया एवं सहयोग के योग्य हो जाते हैं।" यह मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है।

भाषा का जन्म (The Origin of Language)

भाषा एक संस्था है (Language is an Institution)—भाषा किसी एक कारक की नहीं, बल्कि अनेक कारकों की उपज है। वस्तुतः यह एक सामाजिक सृजन है, मानवीय आविष्कार है– संपूर्ण समुदाय का एक सहज आविष्कार है। जैसा कि प्रो. ह्विटनी (Prof. Whitney) ने कहा है कि "यह लिखित कानूनों के संग्रह-जैसी ही एक संस्था है और विकासोन्मुख समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका जन्म हुआ है।" हमारे भाषाशास्त्री यह बताने की अवस्था में नहीं हैं कि मानव के इतिहास में कब भाषा के लक्षण प्रकट हुए और इसके विकास के विभिन्न स्तरों पर कितना समय लगा। परंतु इस बात से सभी सहमत हैं कि भाषा के विकास का काम बहुत धीरे-धीरे हुआ। **ह्विटनी** का कथन है कि "भाषा का निर्माण सामाजिक जीवन तथा संस्कृति के विकास की केवल एक आकस्मिक घटना मात्र है। यह समझना उतना ही गलत है कि किसी एक समय पर मनुष्य अपने भविष्य के प्रयोग तथा आने वाली पीढ़ी के प्रयोग के लिए भाषा का निर्माण कर रहे थे, जितना कि यह सोचना किसी समय पर मनुष्य ऐसी धारणाएँ तथा निष्कर्ष संग्रहित कर रहे हैं जो भविष्य में आगे आने वाली पीढ़ी में अभिव्यक्ति पायेंगे। हर काल में वही हुआ जिसकी जरूरत महसूस हुई, उससे अधिक कुछ नहीं। ... भाषा का सृजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह उस भाषा का बोलने वाले समुदाय की परिस्थितियों तथा आदतों के अनुसार गति तथा किस्म में भिन्न-भिन्न होती है, परंतु यह प्रक्रिया कभी भी समाप्त नहीं होती। यह बात वर्तमान की अपेक्षा से भी पूर्णतः सत्य नहीं दिखाई पड़ी।"

इस प्रकार भाषा किसी एक व्यक्ति या काल की उपज नहीं है, बल्कि यह एक संस्था है जिसके सृजन में सैकड़ों पीढ़ियों तथा असंख्य व्यक्तियों ने अपना योगदान किया है।

अभिव्यक्ति के तीन माध्यम (Three Instrumentalities of Expression)

नोट

विचार-अभिव्यक्ति के परंपरागत माध्यम संकेत, हाव-भाव तथा बोली (gestures, grimace and tone) –संकेत का अर्थ है शरीर के विभिन्न अंगों, विशेषतया सक्रिय अंगों, जैसे भुजा तथा हाथों की स्थिति में परिवर्तन करना। हाव-भाव का अर्थ है आकृति या चेहरे के भाव में परिवर्तन लाना और बोली का अर्थ है सुनाई पड़ने वाली आवाज पैदा करना। इन्हें अभिव्यक्ति का नैसर्गिक साधन माना जाता है। अभिव्यक्ति की प्रथम अवस्था में इन तीनों साधनों का साथ-साथ प्रयोग किया जाता था और ऐसा कोई भी समय नहीं जाया जब ये तीनों साधन व्यवहार में न लाये जाते रहे हों। आज भी इनका प्रयोग होता है। यह जानना बड़ा मनोरंजक होगा कि किन विचारों को प्रकट करने के लिए कौन-से संकेत या हाव-भाव का प्रयोग किया जाता था। इन संकेतों की व्याख्या करना यहाँ संगत नहीं है। जेम्स ने दक्षिण अमेरिका के भारतीयों द्वारा शब्दों के स्थान पर काम में लाये जाने वाले 104 संकेतों की सूची दी है। उदाहरण के लिए, अँधेरे का संकेत हाथों को फैलाकर उन्हें झुलाने से, आदमी का संकेत ऊँगली को सीधे ऊपर पकड़ने से, दौड़ने का संकेत पहले बाजुओं को दोहरा कर फिर कुहनियों को आगे और पीछे घुमाने से किया जाता था। अभिव्यक्ति के इन माध्यमों में से आवाज या बोली संचार का मुख्य साधन बनी।

शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से वर्तमान अवस्था में आने के बाद कितने समय तक मनुष्य संकेतों से अपने विचार प्रकट करने का काम लेता रहा, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर अनुमान से भी नहीं दिया जा सकता। यह बता पाना असंभव है कि ये संक्षिप्त तथा आकारहीन संकेत किस प्रकार वर्तमान वाणी की विविधता तथा संपूर्णता प्राप्त कर सका। इसका कारण यह है कि इस परिवर्तन की सारी प्रक्रिया भूत-काल के अंधकार में निहित है शायद बोलना सीखने में मनुष्य को उतनी ही कठिनाई उठानी पड़ी होगी जितनी कि आजकल एक बच्चे को अपनी मातृभाषा सीखने में उठानी पड़ती है। अंतर केवल इतना ही है कि आदिम मनुष्य वसस्क था जिसने अपने लिए स्वयं भाषा का परिश्रमपूर्वक विकास किया, जबकि आज बच्चे को पहले से बनी-बनाई भाषा को केवल सीखना पड़ता है।

भाषा का महत्त्व (Importance of Language)

भाषा संस्कृति का एक अनिवार्य अंग हें इसने मनुष्यों को जंगली अवस्था से संस्कृति के उच्च स्तर पर पहुँचाया। यदि भाषा न होती, तो मनुष्य जंगली ही रहता। मनुष्य तथा पशु में एक मुख्य अंतर यह है कि मनुष्य भाषा जानता है। यद्यपि पशुओं में भी अपनी बात प्रकट करने की एक शक्ति है, परंतु इनकी शक्ति मनुष्य की शक्ति से निम्न कोटि की ही नहीं है, बल्कि मनुष्य की शक्ति से बहुत भिन्न भी है। भाषा मनुष्य की बौद्धिक प्रतिभा का एक प्रकट तथा मूल लक्षण है। मनुष्य तथा समाज के लिए भाषा का अत्यधिक महत्त्व हैं वैयक्तिक दृष्टि से भाषा मनुष्यों में केवल संचार का साधन या ढंग ही नहीं है, बल्कि यह उनके व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति की एक विधि भी है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भाषा मनुष्यों को शैशवावस्था से ही प्रभावित करती है। बच्चा भाषा द्वारा ही संसार की अधिक वस्तुओं को जान पाता है। यह उसके व्यक्तित्व का एक महत्त्वपूर्ण विशेषण या गुण है। समाज के लिए इसका महत्त्व निम्न प्रकार से है–

1. **सामाजिक संपर्क में सुविधा (Easy social contact)**–इसके द्वारा सामाजिक संपर्क आसान हो जाता है। हम जानते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का ताना-बाना है जिसके कारण व्यक्तियों में सामाजिक संपर्क का विकास होता है। भाषा के द्वारा संपर्क आसानी से स्थापित किये जा सकते हैं, क्योंकि इसकी सहायता से मनुष्य आसानी से विचारों का आदान-प्रदान कर सकते हैं। ई. एच. स्टर्टबैंट (E. H. Sturtevant) के अनुसार, "भाषा स्वेच्छ वाक्चिह्नों की व्यवस्था है जिसके द्वारा सामाजिक समूह के सदस्य सहयोग एवं अंत:क्रिया करते हैं।"
2. **संस्कृति का वाहक (Culture-carrier)**–भाषा संस्कृति के प्रसार में बाधक या सहायक सिद्ध होती है। कभी-कभी किसी विचार या अवधारणा का अनुवाद करना कठिन होता है,

क्योंकि इसकी अभिव्यक्ति के लिए उचित शब्द नहीं होते। हम इस कठिनाई को अने देश में अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, में विज्ञानों में प्रयुक्त अनेक अंग्रेजी शब्दों के समानार्थक शब्द नहीं हैं। हिंदी भाषाविदों ने अंग्रेजी के कुछ शब्दों के लिए कुछ हिंदी शब्द गढ़े हैं, परंतु अंग्रेजी भाषा के शब्दों की अपेक्षा इन हिंदी शब्दों को समझना अधिक कठिन है। भाषा हमारी संस्कृति एवं सभ्यता को सुरक्षित रखकर इन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुँचाती है। भाषा को संस्कृति का वाहक कहा जा सकता है। किसी स्थान-विशेष अथवा काल की संस्कृति भूतकाल की देन होती है जो उस स्थान अथवा काल के दृष्टिकोणों, विचारों, ज्ञान, दोषों एवं पूर्वाग्रहों का संचय होती है। चूँकि पशु केवल कुछ पैदा कर सकते हैं, बोल नहीं सकते; अतः उनकी कोई सभ्यता एवं संस्कृति नहीं होती। केवल मनुष्य ने भाषा के माध्यम से उच्चकोटि की सभ्यता एवं संस्कृति का विकास किया है। भाषा की सहायता से ही मनुष्य जंगली अवस्था से उठकर सभ्य अवस्था तक पहुँचा है।

3. **विचारों का सहज प्रेषक (Easy conveyance of ideas)**—तीसरे, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में विचारों के संप्रेषण-हेतु भाषा एक शक्तिशाली माध्यम प्रदान करती हैं। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय विचारों को संकेतों या आवाज द्वारा प्रकट किया जाता था। इन संकेतों तथा आवाजों का अर्थ समझ पाना कठिन होता था, कुछ संकेत तो बहुत जटिल होते थे, जैसे 'मनुष्य कहने के लिए मुट्ठी बंद करके तर्जनी से पेट की नाभि से नीचे की ओर तक अधिकाधिक लंबी रेखा खींच कर संकेत किया जाता था। परंतु भाषा का आविष्कार हो जाने के बाद अब अनेक विचारों तथा भावनाओं को बड़ी आसानी तथा सरल ढंग से व्यक्त किया जा सकता है। जो भाषा 'बाढ़ आई और मकान को बर्बाद कर गयी' के विचारों को शब्दों द्वारा प्रकअ कर सकती है, वह उस भाषा से कहीं उच्च तथा सरल है जो इस विचार को भिन्न-भिन्न प्रकार की चीखों-चिल्लाहटों से प्रकट करती थी।

अतएव समाज में भाषा का महत्त्व स्पष्ट है। इसने मनुष्य को भद्दे पशु की अवस्था से उठाकर सही अर्थ में मनुष्य बनाया है। भाषा ने हमारे विचार-प्रेषण को सरल बनाया है, सामाजिक संपर्कों को आसान बनाया है, हमारी संस्कृति को संरक्षित रखा है तथा इसे भावी पीढ़ियों तक पहुँचाया है। वस्तुतः भाषा मनुष्य की बहुमूल्य निधि है जिसने उसे जंगली पशु की अवस्था से उठाकर 'सृष्टि का स्वामी' बना दिया है।

सार्वभौम भाषा की आवश्यकता (Need for a Universal Language)

संसार के विभिन्न भागों के लोग विभिन्न भाषाएँ बोलते हैं। इतना ही नहीं, एक ही प्रदेश में रहने वाले मनुष्य विभिन्न भाषाओं या बोलियों का प्रयोग करते हैं। संसार के लोगों की भाषाओं के इन भेदों ने अंतःसमूह संचार को सीमित कर दिया है जिससे सामाजिक बिलगाव को बढ़ावा मिला है। क्योंकि भाषा संचार का एक महान् माध्यम है, अतएव यह कल्पना की गयी है यदि संसार के सभी लोगों की समान भाषा हो तो यह सांस्कृतिक अवरोधकों को दूर करने में बड़ी सहायक सिद्ध हो सकती है तथा संसार के लोगों को एक-दूसरे के निकट लाकर अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं सहयोग में वृद्धि कर सकती है। निःसंदेह, एक सर्वाभौम भाषा संसार के लोगों की सांस्कृतिक एकता में सहायक हो सकती है तथा उन गलतफहमियों को दूर कर सकती है जो प्रभावी रूप से संचार न कर पाने की असमर्थता से उत्पन्न होती हैं, परंतु व्यावहारिक कठिनाई ऐसी सार्वभौम भाषा की खोज की है। विभिन्न भाषाओं के पोषक यह दावा करते हैं कि हमारी भाषा दूसरी भाषा से श्रेष्ठ है तथा यही संचार का सर्वाधिक कुशल माध्यम है, अर्थात् यह अधिक पुष्ट, अधिक तार्किक, अधिक नमनीय एवं समझने में अधिक आसान है। वर्तमान भाषाओं को सुधारने तथा उन्हें उन्नत करने के भी प्रयत्न किये गए हैं, परंतु अभी तक सार्वभौम भाषा के बारे में सहमति नहीं हो पाई है जिसके फलस्वरूप भाषायी विभेद वर्तमान है और शायद बढ़ते रहेंगे। वास्तव में, किन्हीं भी लोगों के लिए अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त दूसरी भाषा को सुगमता से सीखना कठिन होता है।

नोट

3.23 सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility)

जब सामाजिक संरचना में या सामाजिक संबंधों के प्रतिमान में कोई हेर-फेर होता है तो उस स्थिति को हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं, पर जब उसी सामाजिक संरचना की किसी इकाई की स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। उदाहरणार्थ, कितने ही व्यक्ति एक पेशे को छोड़कर दूसरे पेशे को, एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अथवा एक वर्ग की सदस्यता को छोड़कर दूसरे धर्म की सदस्यता को स्वीकार कर लेते हैं। एक क्लर्क मेहनत से पढ़ लिखकर अधिकारी बन सकता है, ये सभी सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं। सामाजिक गतिशीलता का तत्व प्रत्येक समाज में पाया जाता है अंतर सिर्फ इतना है कि आदिम समाज में इसकी गति मंद थी और आज के युग में यह शिक्षा, औद्योगीकरण और विज्ञान के प्रभाव से इसमें तीव्रता आ गयी है सामाजिक गतिशीलता का अर्थ-प्रो. पीटर के अनुसार, "समाज के सदस्यों के सामाजिक जीवन में होने वाले स्थिति, पद, पेशा या निवास-स्थान संबंधी परिवर्तनों को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं।"

सोरोकिन के अनुसार, "एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु अथवा मूल्य अर्थात् मानव क्रिया-कलाप द्वारा बनायी या रूपांतरित किया कोई भी चीज में एक सामाजिक स्थिति में दूसरी सामाजिक स्थिति को होने वाले परिवर्तन को सामाजिक गतिशीलता कहते है।"

सोरोकिन की परिभाषा से स्पष्ट है कि संपूर्ण सामाजिक जीवन दो प्रकार के तथ्यों से बना है– (1) वे तथ्य जो प्रकृति की देन हैं और जिन्हें कि मनुष्यों ने नही बनाया है, (2) वे तथ्य जो मानव द्वारा बनाए गए हैं और उन्हीं के द्वारा जिन्हें परिवर्तित किया जाता है। इस दूसरी स्थिति में होने वाले परिवर्तन या स्थानांतरण को ही सोरोकिन सामाजिक गीतिशीलता कहा है इस अर्थ में यदि एक व्यक्ति निम्न आर्थिक वर्ग से उच्च आर्थिक वर्ग का सदस्य बन जाता है तो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में होने वाला यह परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता हो सकती है।

सामाजिक गतिशीलता के प्रकार

मुक्त तथा प्रवृत्त प्रतिदर्श (Open and Closed Models)

मुक्त (खुली) गतिशीलता (Open Mobility)–इस प्रकार की गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूहों के सदस्यता का आधार जन्म या आनुवंशिकता न होकर व्यक्ति के गुण योग्यता एवं उपलब्धियाँ होती हैं। परिणामस्वरूप, व्यक्ति की किसी भी स्तर समूह की सदस्यता का निर्धारण जीवन भर के लिए नहीं होती है। वह एक स्तर एवं पद में जा सकता है। आज व्यक्ति एक स्थिति-समूह का सदस्य है, आगे आने वाले समय में वह अपनी योग्यता, गुणों एवं परिश्रम के आधार पर उपलब्धियों को बढ़ाकर किसी उच्च-स्तर, पद या समूह की सदस्यता कर सकता है। मुक्त व्यवस्था वाले समाजों में गतिशीलता को स्वीकार किया जाता है, और बढ़ावा दिया जाता है। एक व्यक्ति अपनी प्रस्थिति और पद में वृद्धि और प्रगति के लिए स्वतंत्र होता है इसलिए ही यह खुली या मुक्त वर्ग-व्यवस्था पर आधारित संस्तरण की व्यवस्था वाले समाजों में दिखाई देती है। यूरोप के ज्यादातर समाजों एवं अमेरिका में मुक्त गीतिशीलता अधिक पायी जाती है, क्योंकि वहाँ सामाजिक संस्तरण वर्ग के आधार पर निर्मित है। वहाँ वर्ग की सदस्यता का निर्धारण विशेष रूप से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के आधार पर होता है। राजनीतिक सत्ता या शक्ति तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियाँ भी गतिशीलता उत्पन्न करने में सहायक होती हैं।

बंद गतिशीलता (Closed Mobility)–इस प्रकार की गतिशीलता बन्द स्तरीकरण वाले समाज व्यवस्था में देखने को मिलती है। ऐसे समाजों में व्यक्ति के पद एवं स्तर समूह का निर्धारण जन्म या आनुवंशिकता के आधार पर होता है जिसे वह अपने जीवनकाल में नहीं बदल सकता है। अत: एक समूह को त्यागकर दूसरे समूह की सदस्यता ग्रहण का करने प्रश्न ही नहीं उठता है। बंद स्तरीकरण वाली श्रेष्ठ व्यवस्था का उदाहरण भारत की जाति-प्रथा है। इसके अंतर्गत व्यक्ति की जाति का निर्धारण जन्म के समय से ही हो जाता है। व्यक्ति आजीवन उसी जाति का सदस्य बना रहता है जिसमें उसका जन्म हुआ है। जातियाँ बदलना संभव नहीं है। प्रत्येक जाति की समाज में स्थिति, अधिकार, दायित्व एवं कार्य निश्चित होते हैं।

जाति-प्रथा में व्यक्ति की गतिशीलता के अवसर नगण्य होते हैं किन्तु वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगीकरण, पाश्चात्य सभ्यता, शिक्षा और संस्कृति, नवीन संविधान, प्रजातंत्र एवं कानूनों के प्रभाव के कारण जातीय कठोरता में कमी हुई है और एक जाति के व्यक्ति दूसरी जातियों के व्यवसायों, मूल्यों, व्यवहारों, प्रथाओं आदि को अपना रहे हैं। डॉ. एम. एन. श्रीनिवास के अनुसार, भारत में निम्न जातियाँ 'संस्कृतीकरण' की प्रक्रिया द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति ऊँचा उठा रही हैं अपने को उच्च जातियों में सम्मिलित करने हेतु प्रयत्नशील है।

अंतः और अंतर्पीढ़ीय गतिशीलता (Intra and Inter Generational Mobilily)–

अंत:पीढ़ीय गतिशीलता के अंतर्गत व्यक्ति अपने जीवनकाल में एक प्रतिस्थिति से दूसरी प्रस्थिति प्राप्त करता है। एक लिपिक का अफसर बन जाना अन्त:पीढ़ी गतिशीलता का उदाहरण है। इसके विपरीत किसी लिपिक के पुत्र का आर.ए.एस. में चयन हो जाना अन्त:पीढ़ी गतिशीलता के अंतर्गत आता हैं, क्योंकि दोनों की पीढ़ियाँ भिन्न हैं और दोनों में व्यावसायिक गतिशीलता देखने का मिलती है। यदि इस आर.ए.एस. अधिकारी का पुत्र आई.ए.एस. में चयनित हो जाता है तो यह गतिशीलता की तीनों पीढ़ियों को उदाहरण होगा।

खुले समाज में गतिशीलता के सदैव अवसर रहते हैं जबकि बन्द समाज में प्रस्थिति यथावत रहती है। बन्द समाजों में व्यक्ति की उन्नति और गतिशीलता की संभावना विशिष्ट प्रकार के मापदण्डों (Particularistic Criteria) पर निर्भर करती है। उसमें पिता घराना, भाई-भतीजों की स्थिति आदि महत्त्वपूर्ण कारक हैं। खुले समाज में व्यक्ति के प्रयास ही महत्त्वपूर्ण हैं। उनमें प्रस्थिति को सुधारने के अवसर रहते हैं क्योंकि यह सार्वभौमिक मानदंडों (Universalistic Criteria) के द्वारा पदों के वितरण के पक्ष में है। ट्यूमिन (Tumin) ने गतिशीलता को समझने के लिए छ: कारकों पर जोर दिया है, जो निम्नलिखित हैं–

1. गतिशीलता समय के आयाम में समझनी चाहिए। परिवर्तन एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ि की प्रतिस्थितियों में देखा जा सकता है। इसे अन्त:पीढ़ी गतिशीलता कहते हैं। इसी प्रकार ही पीढ़ि में परिवर्तन आ सकता है, उसे अन्त:पीढ़ी गतिशीलता कहेंगे।
2. दूसरा कारक यह हो सकता है कि गतिशीलता में समय की कितनी मात्रा लगी।
3. गतिशीलता किस संस्था में अथवा किस संदर्भ में आई है। यहाँ शिक्षा में गतिशीलता, व्यवसाय में गतिशीलता, सत्ता व भौतिक साधनों में परिवर्तन से तात्पर्य है।
4. गतिशीलता में चौथी महत्त्वपूर्ण बात प्रस्थिति को ग्रहण करने का तरीका है। जैसे व्यक्ति प्रस्थिति को जन्म के आधार पर पाता है या अर्जित गुणों के आधार पर।
5. पाँचवीं बात गतिशीलता की इकाई (unit) है। गतिशीलता की इकाई व्यक्ति, संस्था, समूह, परिवार, स्तर अथवा समूचा समाज हो जाता है।
6. अंतिम बात यह है कि गतिशीलता नापने के वस्तुपरक व व्यक्तिपरक दोनों मापदंडों का सहयोग जरूरी है।

विषम और समस्तरीय गतिशीलता (Vertical and Horizontal Mobility)

सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता को दो भागों में विभक्त किया है।

1. विषय स्तरीय सामाजिक गतिशीलता (Horizontal social mobility)
2. समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता (Vertical social mobility)

विषय स्तरीय सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें कि एक व्यक्ति या सामाजिक वस्तु का एक ही स्तर में स्थित एक समूह से दूसरे समूह में स्थानांतरण होता है। एक व्यक्ति द्वारा धर्मांतरण करना, संयुक्त परिवार को छोड़कर एकाकी परिवार में आ जाना, एक ही तरह के व्यावसायिक पद पर एक फैक्ट्री को छोड़कर दूसरी फैक्ट्री में चले जाना, सभी क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता के उदाहरण हैं।

विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता वह है जिसमें कि एक व्यक्ति या साामजिक वस्तु का स्थानांतरण एक सामाजिक स्तर से अन्य उच्च या निम्न सामाजिक स्तर को होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति का

स्थानांतरण, लाटरी जीत जाने के कारण निम्न आर्थिक वर्ग से उच्च आर्थिक वर्ग में हो जाता है अथवा कोई फैशन उच्च वर्ग से निम्न वर्ग में चला जाता है तो उसे उदग्र सामाजिक गतिशीलता कहेंगे।

नोट

सोरोकिन के अनुसार, स्थानांतरण की दिशा के आधार पर उदग्र सामाजिक गतिशीलता के दो प्रकार हो सकते हैं—उर्ध्वगामी (Ascending) और अधोगामी (Descending) अथवा सामाजिक उत्थान (Social climbing) और सामाजिक पतन (Social Sinking)। इस प्रकार की सामाजिक गतिशीलता मुख्यतः हमें आर्थिक, राजनैतिक तथा व्यावसायिक क्षेत्र में देखने को मिलती है। उदाहरणार्थ, आज का सत्तासीन मुख्यमंत्री कल विपक्ष का अधिकार विहीन नेता और कल विपक्ष का नेता आज मुख्यमंत्री बन सकता है।

इसी प्रकार अधोगामी सामाजिक गतिशीलता के भी दो प्रकार होते हैं— एक या कुछ व्यक्तियों का उच्च स्थिति से निम्न स्थिति में गिर जाना, और दूसरा एक सामाजिक समूह का समग्र रूप में अधोगमन या अवनति, यह अवनति दूसरे समूहों की तुलना में अपने समूह की स्थिति को गिरा देने के रूप में हो सकती है अथवा एक सामाजिक इकाई के छिन्न-भिन्न हो जाने के रूप में भी हो सकता है।

व्यक्तिगत स्तर पर उर्ध्वगामी और अधोगामी गतिशीलता के अनेक उदाहरण हमें दैनिक जीवन में दृष्टिगत् होते हैं जैसे एक बड़े व्यवसायी का दिवालिया हो जाना या साधारण व्यावसायिक पद से उच्च अधिकारी के पद पर चले जाने की घटना।

संपूर्ण समूह की उर्ध्वगामी और अधोगामी सामाजिक गतिशीलता का सबसे अच्छा उदाहरण भ. ारतीय जाति प्रथा है। प्राचीनकाल में संपूर्ण ब्राह्मण जाति की उर्ध्वगामी गतिशीलता का प्रमाण मिलता है लेकिन आधुनिक युग में सामाजिक और राजनीतिक समानता की सक्रियता के कारण ब्राह्मणों में अधोगामी गतिशीलता तुलनात्मक रूप में देखने को मिलती है। आज अनेक सरकारी कार्यालय में तथाकथित निम्न जाति के सदस्यों के मातहत ब्राह्मण कार्यरत हैं। इससे जन्म के आधार पर बनी ब्राह्मण श्रेष्ठता को आघात लगा।

इसके विपरीत कायस्थों ने अपनी स्थिति में पर्याप्त सुधार कर लिया है, और वे अब ब्राह्मण के बाद या ब्राह्मण के समतुल्य स्थान का दावा कर रहे हैं। तथाकथित निम्न जातियों में उर्ध्वगामी और अधोगामी गतिशीलता के दर्शन होते हैं। आधुनिक युग में 'अछूत' शब्द या उनका प्रयोग भी बुरा माना जाता है। इन्हें अब 'हरिजन' या अनुसूचित जाति के नाम से संबोधित किया जाता है। अब उन्हें कानूनी रूप से संरक्षित, समाज में अन्य जातियों के समान सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। यही कारण है कि हरिजन जातियों के अनेक सदस्य आज मिनिस्टर, प्रशासक, उच्च अधिकारी आदि हैं। अनुस. ूचित जातियों में आज निश्चित रूप से उर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है।

3.24 सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन (Social Mobility and Social Change)

सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का ही एक अंग है। क्षैतिज एवं उदग्र सामाजिक गतिशीलता सामाजिक सरंचना में परिवर्तन लाती है तथा इसके द्वारा परिवर्तन की गति एवं मात्रा भी तीव्र होती हैं, सामाजिक परिवर्तन में समाज की संरचना, समूहों, संगठनों, संस्थाओं एवं संबंधों में परिवर्तन आता है जबकि सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह के पदों में परिवर्तन आता है।

सामाजिक गतिशीलता एवं सामाजिक परिवर्तन में घनिष्ठ संबंध है। सामाजिक परिवर्तन का क्षेत्र व्यापक है जिसमें सामाजिक व्यवहारों, प्रथाओं, संबंधों, संगठनों, भूमिकाओं आदि में परिवर्तन को सम्मिलित किया जाता है जबकि सामाजिक गतिशीलता में केवल व्यक्ति या समूह की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को। इन दोनों में निम्नलिखित भेद हैं—

1. **व्यापकता के आधार पर**—सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता की तुलना में अधिक व्यापक और विस्तृत है। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति या समूह की प्रस्थिति या पद में होने वाले परिवर्तन को ही सम्मिलित करते हैं जबकि सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक ढाँचे एवं प्रकार्य में होने वाले परिवर्तनों को।

2. **संबंध के आधार पर**—सामाजिक परिवर्तन चूँकि एक व्यापक अवधारणा है, अत: सामाजिक गतिशीलता उसका एक अंग है। इनके संबंधों को हम संपूर्णता तथा अंग के रूप में प्रकट कर सकते हैं।
3. **सामूहिकता के आधार पर**—सामाजिक परिवर्तन का संबंध किसी समूह, समाज या समाज के बहुत बड़े परिवर्तन से है न कि किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत संबंधों या व्यवहारों में परिवर्तन से। सामाजिक गतिशीलता में तुलनात्मक रूप से व्यक्ति पर अधिक जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, संपूर्ण जाति-व्यवस्था छोड़कर दूसरा व्यवसाय ग्रहण करना सामाजिक गतिशीलता है।
4. **कार्य-कारण के आधार पर**—सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता को संभव बनाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता का कारण है और सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। उदाहरण के लिए, स्वतंत्रता के पश्चात् सरकार द्वारा निम्न जातियों की सामाजिक दशा को उन्नत करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं जिससे जाति-व्यवस्था में परिवर्तन आए और निम्न जातियों को उच्च पद व प्रस्थितियाँ प्राप्त करने के अवसर मिले। किंतु कई बार सामाजिक गतिशीलता भी सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र कर देती है।
5. **गति के आधार पर**—सामाजिक परिवर्तन की तुलना में सामाजिक गतिशीलता की गति धीमी होती है, प्रमुख रूप से जाति-व्यवस्था वाले समाजों में ऐसा अधिक होता है क्योंकि वहाँ गतिशीलता का विरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी जाति त्याग कर उच्च जाति की सदस्यता को ग्रहण करना चाहता है तो लोग उसका विरोध करते हैं।

3.25 सारांश (Summary)

- समाजशास्त्र में 'समाज' शब्द का अर्थ व्यक्तियों के समूह से नहीं है, अपितु उनके मध्य उत्पन्न अंतक्रिया की जटिल प्रणाली से है। मनुष्यों का महत्त्व केवल सामाजिक संबंधों के अभिकरणों (agencies) के रूप में ही है। वे वस्तुएँ हैं।
- "समाज कार्य-प्रणालियों एवं रीतियों की, अधिकार-सत्ता एवं पारस्परिक सहायता की, अनेक समूहों एवं श्रेणियों की तथा मानव-व्यवहार के नियंत्रणों एवं स्वतंत्रताओं की एक व्यवस्था है।"—मैकाइवर
- मैकाइवर के अनुसार, "समुदाय सामाजिक जीवन के उस क्षेत्र को कहते हैं जिसे सामाजिक संबद्धता अथवा सामंजस्य की कुछ मात्रा द्वारा पहचाना जा सके।"
- समिति किसी विशेष प्रयोजन या सीमित प्रयोजनों की प्राप्ति हेतु संगठित मनुष्यों का समूह है। गिन्सबर्ग (Ginsberg) के अनुसार, "समीति सामाजिक प्राणियों का समूह है जो इस तथ्य के कारण परस्पर-संबद्ध है कि उन्होंने किसी विशिष्ट लक्ष्य या लक्ष्यों की प्राप्ति-हेतु एक संगठन का मिलकर निर्माण किया है।"
- 'संगठन' शब्द का अर्थ है, 'व्यक्तियों अथवा अंगों की व्यवस्था।' इस प्रकार, परिवार, चर्च, कॉलेज, फैक्टरी, राजनीतिक दल, क्रीड़ा-समूह, समुदाय, साम्राज्य, संयुक्त, राष्ट्रसंघ सभी संगठन के उदाहरण हैं।
- सामाजिक स्तरीकरण समाज को उच्च एवं निम्न वर्गों में विभाजित करने और स्तर निर्माण करने की एक व्यवस्था है। स्तरीकरण शब्द समाजशास्त्र में भू-गर्भशास्त्र (Geology) से लिया गया है। भू-गर्भशास्त्र में मिट्टी व चट्टानों को विभिन्न स्तरों में बाँटा जाता है। समाज में भी उसी प्रकार की अनेक सामाजिक परतें पायी जाती हैं।

3.26 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)

नोट

1. "समाज सामाजिक संबंधों का ताना-बाना है।" व्याख्या कीजिए।
2. मानव-समाज की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
3. "मानव सामाजिक प्राणी है।" मनुष्य एवं समाज के बीच संबंध का वर्णन कीजिए।
4. मानव-समाज तथा पशु-समाज में क्या अंतर है? मानव-समाज में भाषा के महत्त्व को स्पष्ट कीजिए।
5. संस्कृति के लिए भाषा के महत्त्व की व्याख्या कीजिए।
6. समाज का क्या अर्थ है? इसकी परिभाषाएँ दीजिए।
7. औद्योगिक समाज का क्या अर्थ है? वर्णन कीजिए।
8. सामाजिक गतिशीलता की परिभाषा और प्रकार बताइये।

3.27 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

- बॉटोमोर, टाम. 1962. *सोशियोलॉजी: ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर.* जार्ज, ऐलन एंड अनविन, लंदन।
- चौधरी, मैत्रेयी. 2003. द *प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी.* ओरियेंट लोंगमैन, नयी दिल्ली।
- बर्जर, पीटर एल. 1963. *इनवीटेशन टू सोशियोलॉजी: ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव.* पेंगुइन, हारमंडस्वर्थ।
- गिंडिंस, एंथोनी. 2001. *सोशियोलॉजी.* चतुर्थ संस्करण, पोलिटी बेस, केंब्रिज।

इकाई-4
(Unit-4)

समाजशास्त्र की उत्पत्ति और विकास
(Origin and Development of Sociology)

रूपरेखा

4.1 उद्देश्य (Objectives)
4.2 प्रस्तावना (Introduction)
4.3 समाजशास्त्र की उत्पत्ति (Origin of Sociology)
4.4 समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology)
4.5 भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in India)
4.6 समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सिद्धांत (Theories of the Origin of Sociology)
4.7 धर्म और समाज (Religion and Society)
4.8 धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Religious Minorities)
4.9 धर्म निरपेक्षता (Secularisation)
4.10 धर्मनिरपेक्षता के कारण (Causes of Secularisation)
4.11 धार्मिक रूढ़िवाद (Religious Fundamentalism)
4.12 धार्मिक रूढ़िवाद-एक वैश्विक समस्या/इसके परिणाम
(Religious Fundamentalism – A Global Problem)
4.13 धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव के कारण (Origin Causes of Religious Fundamentalism)
4.14 सारांश (Summary)
4.15 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)
4.16 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

4.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, विद्यार्थी योग्य होंगे:

- समाजशास्त्र के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन,
- धर्म और समाज की विवेचना एवं
- धर्म निरपेक्षता एवं धार्मिक रूढ़िवाद की जानकारी।

4.2 प्रस्तावना (Introduction)

समाजशास्त्र का विषय-वस्तु व्यक्ति नहीं, अपितु समाज है, यद्यपि व्यक्ति को समाज के वर्णन में भुलाया नहीं जा सकता। व्यक्ति केवल तभी मनुष्य बनता है जब वह सामाजिक संबंधों में प्रवेश करता है। सामाजिक जीवन के विभिन्न स्वरूप यथा – राजनीतिक, आर्थिक केवल मात्र सामाजिक संबंधों की अभिव्यक्ति है। अतएव, यदि हम किसी सामाजिक प्रक्रिया के अध्ययन को समाजशास्त्र की अध्ययन सामग्री में सम्मिलित करते हैं, तो केवल इस कारण कि उनका अध्ययन सामाजिक संबंधों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। सामाजिक अंत:क्रिया अथवा सामाजिक प्रक्रियाओं का आधार सामाजिक संबंध ही है।

सामाजिक संबंधों के कारण ही सामाजिक अंत:क्रिया होती है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करते समय समाजशास्त्री समाज के उद्‌भव, इसकी प्रणालियों एवं संरचनाओं, सामाजिक संस्थाओं के विकास एवं उनके कार्यों, सामाजिक संबंधों के नियंत्रक रीति-रिवाजों एवं नियमों, मनुष्य द्वारा इतिहास के दौरान निर्मित समूहों एवं समुदायों, इन समूहों यथा–परिवार जाति, सरकार, आर्थिक समूह, धार्मिक समूह आदि का अन्योन्याश्रित, तथा सामाजिक परिवर्तन की संघटन की खोज करने का प्रयत्न करता है।

4.3 समाजशास्त्र की उत्पत्ति (Origin of Sociology)

सन् 1838 में ऑगस्त कॉम्टे ने उपर्युक्त प्रस्तावित विज्ञान को 'सोशियोलॉजी' नाम दिया। यह लैटिन के 'सोश्यस' तथा ग्रीक के 'लोगस' शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है– समाज का विज्ञान या शास्त्र। इसे ही हिंदी में समाजशास्त्र कहा गया।

उन्नीसवीं शताब्दी में समाजशास्त्र के विकास में ऑगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स तथा हर्बर्ट स्पेन्सर का योगदान महत्त्वपूर्ण है। इस समय समाजशास्त्री समाज के वैज्ञानिक विश्लेषण के प्रति जागरूक थे। इस दिशा में कॉम्टे ने 'वैज्ञानिक दर्शन का सिद्धांत' प्रतिपादित किया। मार्क्स ने इसी समय 'वैज्ञानिक समाजवाद' नामक सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस समय समाजशास्त्र पर एक ओर तो भौतिक विज्ञानों का एवं दूसरी ओर प्राणी-विज्ञानों का प्रभाव पड़ा। इसी समय सामाजिक उद्‌विकास, उन्नति एवं प्रगति के सिद्धांतों तथा सोपानों का पता लगाने का प्रयत्न किया गया। तीन विचारकों–कॉम्टे, मार्क्स तथा स्पेन्सर ने सामाजिक उद्‌विकास पर प्रकाश डाला। काल मार्क्स ने आदिम साम्यवाद के स्तर से शुरू करके साम्यवाद तक की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण 'इतिहास की भौतिक व्याख्या' के सिद्धांत के आधार पर किया। स्पेन्सर ने बाताया कि प्राणी-जगत के समान ही समाज का भी उद्‌विकास हुआ है।

उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों में जर्मन समाजशास्त्री टॉनीज, जार्ज सिमेल एवं फ्रेंच समाजशास्त्री इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में योग दिया। टॉनीज ने समाज का समूदायों एवं समितियों के रूप में वर्गीकरण प्रस्तुत किया। सिमेल ने 'स्वरूपात्मक समाजशास्त्र' के विकास में योगदान दिया जिसके अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख विषय-वस्तु समाजिक अंत:क्रिया के स्वरूप का अध्ययन है।

जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर का भी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के विकास में काफी योगदान रहा है। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का कार्य प्रारंभ हो चुका था। इस समय यहां थार्स्टन वेबलन, फ्रेंकर्वाड तथा ई. ए. रॉस प्रसिद्ध समाजशास्त्री हुए। इटली में विल्फ्रेडो पैरेटो ने 'अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत' प्रतिपादित किया।

4.4 समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology)

अब हम यहां समाजशास्त्र के विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर विचार करेंगे।

1. **समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था (First Stage of Development of Sociology)**

   साधारणतया यह माना जाता है कि समाज के विकास की प्रारंभिक अवस्था यूरोप से शुरू हुई, परंतु कुछ भारतीय विचारकों की मान्यता है कि समाजिक जीवन से संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण बातें वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाकाव्यों एवं स्मृतियों, आदि से मिलती हैं। यहां प्रचलित वर्णाश्रम व्यवस्था इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय चिंतकों ने समाज और जीवन की एक व्यापक व्यवस्था का विकास पाश्चात्य विद्वानों के इस दिशा में चिंतन के बहुत पहले ही कर लिया था।

   पश्चिमी सामाजों के सामाज संबंधी अध्ययनों का प्रारंभ यूनानी विचारकों से हुआ। प्लेटो तथा अरस्तू की रचनाएं इस दिशा में प्रमुख प्रयास थे। प्लेटो ने अपनी पुस्तक 'रिपब्लिक' (427-347 ई.पू.) तथा अरस्तू ने 'इथिक्स एंड पॉलिटिक्स' (384-322 ई.पू.) में सामाजिक जीवन से संबंधित विभिन्न समस्याओं एवं घटनाओं का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत किया।

प्लेटो तथा अरस्तू के पश्चात् सामाजिक जीवन के अध्ययन एवं समाजशास्त्र के विकास में लुकेशियस - (96-55 ई. पू.), सिरसो (106-43 ई.पू.), मारकस आरेलियस (121-180 ए.डी.), सेंट आगस्टाइन (354-430 ए.डी.) आदि का उल्लेखनीय योगदान है।

2. **समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था (Second Stage of Development of Sociology)**

   छठी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक का काल समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। इस काल में भी काफी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता रहा, लेकिन तेरहवीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया। धीरे-धीरे सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में तर्क का महत्त्व बढता गया। थामस एक्यूनस (1227-1274) तथा दांते (1265-1321) की रचनाओं से यह बात भली-भाँति स्पष्ट है।

3. **समाजशास्त्र के विकास की तृतीय अवस्था (Third Stage of Development of Sociology)**

   इस अवस्था का प्रारंभ पंद्रहवीं शताब्दी से माना गया है। इस काल में समाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग प्रारंभ हुआ। माण्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक 'दी स्पिरिट आफ लॉज' में समाज का भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया। विको नामक विद्वान ने 'दी न्यू साइन्स' में सामाजिक शक्तियों की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत की। माल्थस ने जनसंख्या-सिद्धांत और जनाधिक्य से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला। एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्यों का विचार दिया। कन्डोरसेट ने सामाजिक परिर्वतन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जेम्स हेरिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था से संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन सभी और अनेक अन्य विद्वानों का यद्यपि समाजशास्त्र के विकास में काफी यागेदान है, परंतु इनके अध्ययनों में एकरूपता और विशेषीकरण का अभाव है। कई विद्वान सामाजिक घटनाओं को आर्थिक घटनाओं से पृथक् करके उनका अध्ययन नहीं कर पाए।

4. **समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था (Fourth Stage of Development of Sociology)**

   समाजशास्त्र के विकास की इस चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ ऑगस्त कॉम्टे (1798-1875) के समय से माना जाता है। यही समाज शास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्त कॉम्टे के गुरु सेण्ट साइमन भौतिक विज्ञानों के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन किया जा सके इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऑगस्त कॉम्टे ने अपने गुरु के इन्हीं विचारों को मूर्त्त रूप देने का प्रयत्न किया। अपने समाज से संबंधित अध्ययन को **'सामाजिक भौतिकी'** (Social Physics) के नाम से पुकारा। सन् 1838 में आपने इस नाम को बदलकर इसे **'समाजशास्त्र'** (Sociology) नाम दिया। यही कारण है कि आपको समाजशास्त्र का जन्मदाता या पिता (Father of Sociology) कहा जाता है।

समाजशास्त्र रूपी विशाल भवन का आधार ऑगस्त कॉम्टे का चिंतन ही है। आपने ही सर्वप्रथम सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया। आपने ही समाजशास्त्रीय प्रणाली का विकास किया। आपने स्पष्टत: बताया है कि प्राकृतिक घटनाओं के समान सामाजिक घटनाओं का भी वैषयिक तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन किया जा सकता है। सन् 1849 में जान स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैण्ड को समाजशास्त्र शब्द से परिचित कराया। बाद मे प्रसिद्ध ब्रिटिश समाजशास्त्री हरबर्ट स्पेन्सर ने समाजशास्त्र के विकास में सक्रिय योग दिया। आपने ही अपनी रचना 'सिनथेटिक फिलॉसफी' के एक भाग 'प्रिंसीपल्स ऑफ सोशियोलॉजी' में कॉम्टे के विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयत्न किया। आपने अपने प्रसिद्ध 'सावयवी सिद्धांत' में समाज की तुलना मानव शरीर से की है। **सर्वप्रथम अमरीका के येल विश्व विद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ।**

समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों से पृथक् एक स्वतंत्र एवं वैषयिक विज्ञान बनाने का श्रेय फ्रांसीसी विद्वान इमाइल दुर्खीम (1858-1918) को है। आपने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों (Collective Representations) का विकज्ञान माना है। एडवुड ने बताया है कि यद्यपि कॉम्टे ने फ्रांस में समाजशास्त्र की नींव डाली, लेकिन इसे वैषयिक विज्ञान बनाने वाली विचारधारा का जनक दुर्खीम को ही माना जा सकता है। आपने ही समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र और इतिहास से स्वतंत्र किया। प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री **मैक्स बेबर** (1864-1920) ने समाजशास्त्र को विज्ञान का रूप देने का पूरा-पूरा प्रयत्न किया। इटली के समाजशास्त्री विल्फ्रेडो पैरेटो (1848-1923) का समाजशास्त्र के व्यवस्थित विज्ञान के रूप में विकास में काफी योगदान हैं।

समाजशास्त्र के विकास में विश्व के विभिन्न देशों के विद्वानों का महत्त्वपूर्ण सहयोग है। विशेषतः 20 वीं शताब्दी में फ्रांस, जर्मनी एवं संयुक्त राज्य अमरीका में इस विषय का काफी विकास हुआ। इंग्लैण्ड में इसके विकास की गति धीमी रही। अमरीका में समाजशास्त्र के विकास तथा अध्ययन-अध्यापन पर काफी ध्यान दिया गया, लेकिन वहाँ भी 20 वीं शताब्दी में ही इस विषय का विकास हुआ। इस बात से स्पष्ट है कि हार्वर्ड जैसे प्रसिद्ध विश्वविद्यालय में सन् 1930 तक समाजशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन की कोई व्यवस्था नहीं थी।

समाजशास्त्र के विकास में इंग्लैण्ड के हरबर्ट स्पेन्सर, मिल, चार्ल्स बूथ, हॉबहाउस, वेस्टरमार्क, मानहीम, गिन्सबर्ग, आदि का उल्लेखनीय योगदान है। इन्होंने इंग्लैण्ड में समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया। वहाँ सन् 1907 में समाजशास्त्र का अध्यापन-कार्य प्रारंभ हुआ। फ्रांस मे दुर्खीम, टार्डे, लीप्ले, आदि ने समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से सराहनीय कार्य किया। वहाँ सन् 1889 में समाजशास्त्र का अध्ययन-अध्यापन प्रारंभ हुआ। जर्मनी में 19 वीं शताब्दी के अंतिम वर्षो और 20 वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में समाजशास्त्र के विकास में टॉनीज, वान विज, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, वीरकान्त, सिमैल, आदि विद्वानों का काफी योगदान रहा अमरीका मे समाजशास्त्र का बहुत विकास हुआ। वहाँ गिडिंग्स, समनर, वार्ड, पार्क, बर्गेस, सॉरोकिन, जिमर मैन, मैकाइवर, ऑगबर्न, पारसन्स, मर्टन, यंग, कॉजर, रॉस, आदि ने इस दिशा में विशेष सहयोग दिया। वहाँ सन् 1876 में येल विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। सनृ 1924 में मिस्त्र में और 1947 में स्वीडन में समाजशास्त्र विभाग स्थापित किए गए। वर्तमान में सभी विकसित और विकासशील देशों में समाजशास्त्र का अध्ययन साधारणतः प्रारंभ हो चुका है। यद्यपि कुछ देश अपवाद अवश्य हैं। वर्तमान में समाजशास्त्र की उपयोगिता और लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है।

4.5 भारत में समाजशास्त्र का विकास (Development of Sociology in India)

भारत में समाजशास्त्र के विकास को तीन युगों में बांटा जा सकता है:

1. **प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास**–प्राचीन भारतय ग्रन्थों-वेद, उपनिषद्, रामायण, महाभारत, गीता स्मृतियों आदि में सामाजिक चिन्तन का व्यवस्थित रूप देखने को मिलता है। इन ग्रन्थों के सूक्ष्म अवलोकन से ज्ञात होता है कि यहाँ उस समय सामाजिक व्यवस्था काफी उन्नत प्रकार की थी और जीवन के आवश्यक मूल्यों पर गहन चिन्तन प्रारम्भ हो चुका था। साथ ही उस समय सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने वाले आवश्यक तत्वों पर भी गंभीरता से विचार चल रहा था। उस काल के ग्रंथों के अध्ययन से पता चलता है कि उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जीवन को किस प्रकार संचालित कर रही थी। यह व्यवस्था व्यक्ति और समाज के बीज सुंदर समन्वय का एक उत्तम उदाहरण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चार पुरुषार्थ जीवन के चार प्रमुख उद्देश्य थे, जिन्हे प्रकार करने के लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता था और अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए समाजिक जीवन को उन्नत बनाने में योग देता था। उस समय व्यक्ति को इतना महत्त्व नहीं दिया गया कि वह समाज पर हावी हो जाए और साथ ही समाज को भी इतना शक्तिशाली नहीं मान लिया गया

कि व्यक्ति का व्यक्तित्व दबकर रह जाए और वह (समाज) व्यक्ति को निगल जाए। उस समय के चिन्तक इस बात से परिचित थे कि केवल भौतिकता और व्यक्तिवादिता के आधार पर व्यक्ति के जीवन को पूर्णता प्रदान नहीं की जा सकती। अत: उन्होंने आध्यात्मवाद का सहारा लिया, धर्म के आधार पर व्यक्ति के आचरण को निश्चित करने का प्रयत्न किया। यह सम्पूर्ण सामाजिक चिन्तन समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से अमूल्य सामग्री है।

कौटिल्य (चाणक्य) के अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य के नीतिशास्त्र, मनु की मनुस्मृति, मुगल काल में लिखी गयी आईन-ए-अकबरी आदि ग्रन्थों से पता चलता है कि उस समय सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार के रीति-रिवाज, सामाजिक प्रथाएँ, परम्पराएँ और आचरण सम्बन्धी आदर्श-नियम प्रचलित थे। इस ग्रन्थों के अध्ययन से उस समय की समाज-व्यवस्था को समझने और उसमें समय-समय पर होने वाले परिवर्तनों को जानने में सहायता मिलती है। उदाहरण के रूप में, मनुस्मृति में समाजिक ज्ञान भरा पड़ा है। इसमें वर्ण, जाति, विवाह, परिवार, राज्य, धर्म आदि पर गम्भीरता से विचार किया गया। इस ग्रंथ ने समाज को भावी स्वरूप को निर्धारित करने में काफी योग दिया। प्राचीन ग्रंथों का समाजशास्त्रीय दृष्टि से अध्ययन करने की दिशा में प्रो. विनयकुमार सरकार, प्रो. बृजेन्द्रनाथ, डॉ भगवानदास एवं प्रो. केवल मोतवानी ने महत्त्वपूर्ण योग दिया। वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि प्राचीन भारतीय विचारों पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से चिन्तन और मनन किया जाए। यहाँ हमें इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि उस समय की समाज-व्यवस्था एवं सामाजिक चिन्तन पर धर्म का काफी प्रभाव था। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैदिम काल से ही भारत में समाजशास्त्र के विकास की परम्परा प्रारम्भ हो चुकी थी, यद्यपि मध्यकाल में यहाँ समाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन पर ध्यान दिया गया।

2. **भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग–**भारत में, समाजशास्त्र एक नवीन विज्ञान है। यद्यपि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में यूरोप में समाजशास्त्र का एक व्यवस्थित विषय के रूप में विकास प्रारम्भ हो चुका था, परन्तु भारत में बीसवीं शताब्दी के पहले तक ऐसा कोई विज्ञान नहीं था जो समाज का सम्पूर्णता में अध्ययन करे। पश्चिम के देशों में समाजशास्त्र का विकास तेजी से होता जा रहा था। ऐसी दशा में भारतीयों का ध्यान भी भारत में समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में विकसित करने की ओर गया। परिणामस्वरूप यहाँ समाजशास्त्र के अध्ययन-अध्यापन का कार्य प्रारम्भ हुआ। सन् 1914 से 1947 तक का काल भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक प्रतिस्थापन युग कहा जा सकता है।

 यहाँ सर्वप्रथम सन् 1914 में बम्बई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र का अध्ययन-कार्य प्रारम्भ हुआ। यहीं सन् 1919 में ब्रिटिश समाजशास्त्री प्रो. पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई और समाजशास्त्र की स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू की गयीं। सन् 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रो. बृजेन्द्रनाथ शील के प्रयत्नों से अर्थशास्त्र विषय के साथ समाजशास्त्र का अध्ययन-कार्य चालू किया गया। डॉ. राधाकाल मुकर्जी, विनय कुमार, डॉ. डी. एन. मजुमदार तथा प्रो. निर्मल कुमार बोस जैसे प्रतिभाशाली विद्वान डॉ. बृजेन्द्रनाथ शील के ही विद्यार्थी थे जिन्होंने आगे चलकर समाजशास्त्र के विकास में काफी योग दिया। सन् 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के अन्तर्गत समाजशास्त्र को मान्यता अवश्य दी गयी, परन्तु इस विषय का अध्ययन अर्थशास्त्र विषय के अन्तर्गत ही किया जाने लगा। यहाँ देश के प्रमुख विद्वान डॉ. राधाकमल मुकर्जी को समाजशास्त्र का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सन् 1924 में प्रो. पैट्रिक गेडिस के बाद उन्हीं के शिष्य और देश-विदेश में जाने-माने समाजशास्त्री डॉ. जी. एस. घुरिये को बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के विभागाध्यक्ष का पद सुशोभित करने का अवसर मिला। प्रो. राधाकमल मुकर्जी और डॉ. जी. एस. घुरिये का भारत में समाजशास्त्र के विकास में महत्त्वपूण र्ा योगदान रहा है। मैसूर विश्वविद्यालय में सन् 1923 में स्नातक कक्षाओं में इस विषय को

पढ़ाया जाने लगा। इस वर्ष आन्ध्र विश्वविद्यालय में भी समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में मान्यता प्रदान की गयी। सन् 1930 में पूना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग प्रारम्भ हुआ और श्रीमती इरावती कार्वे ने विभागाध्यक्ष का पद संभाला। धीरे-धीरे देश के कुछ अन्य विश्वविद्यालयों में भी समाजशास्त्र को बी.ए. तथा एम.ए. के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। सन् 1947 के पूर्व तक देश में समाजशास्त्र के विकास की गति काफी धीमी रही परन्तु इस काल में यहाँ समाजशास्त्र की नींव अवश्य पड़ चुकी थी। इतना अवश्य है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व तक कहीं समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ तो कहीं मानवशास्त्र या दर्शनशास्त्र के साथ जुड़ा रहा और एक स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर सका।

3. **स्वतन्त्र भारत में समाजशास्त्र का व्यापक प्रसार युग**—सन् 1947 में स्वन्त्रता प्राप्ति के बाद से यह युग प्रारम्भ होता ह। इस युग में समाजशास्त्र को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक व्यवस्थित स्वतन्त्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा इसके अध्ययन-अध्यापन की ओर लोगों का ध्यान गया। वर्तमान में देश में आधे से अधिक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, मैसूर, पूना, बड़ौदा, गुजरात, पटना, भागलपुर, गोरखपुर, दिल्ली, जबलपुर, पंजाब, नागपुर, राजस्थान, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, इन्दौर, जीवाजी, भोपाल, रायपुर, रांची, काशी विद्यापीठ, कुमाऊं, रुहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, रविशंकर, मेरठ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चेन्नई, कानपुर आदि विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र विभागों की स्थापना हो चुकी है। इनके अतिरिक्त देश के अनेक राजकीय एवं अराजकीय महाविद्यालयों में भी बी.ए. और एम.ए. स्तर पर समाजशास्त्र का अध्यापन कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस विषय की लोकप्रियता एवं उपयोगिता तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब तो अनेक विश्वविद्यालयों में समाजशास्त्र से सम्बन्धित शोध-कार्य भी चल रहे हैं। साथ ही समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से कुछ शोध संस्थान भी स्थापित किए गए हैं।

भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रवृत्तियाँ (Trends of Development of Sociology in India)

1. **पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परम्परा से प्रभावित** (Influenced by Western Sociological Thinking)—इस विचारधारा के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत में पश्चिमी समाजशास्त्री सिद्धान्तों एवं अध्ययन पद्धतियों को काम में लेते हुए ही समाजशास्त्र का विकास किया जा सकता है।

   भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिन्तन से प्रभावित होकर जाति, वर्ग, विवाह, परिवार, नातेदारी और धर्म से सम्बन्धित अनेक अनुभवात्मक अध्ययन (Empirical Studies) किये गये हैं। ऐसे अध्ययनकर्ताओं में डॉ. हट्टन, रिजले, डॉ. घुरिये, मजूमदार एवं कापडिया के नाम विशेषत: उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने उपर्युक्त पर गहन अध्ययन कर समाजशास्त्र के विकास में अपर्वू योग दिया। **डॉ. हट्टन** और **मजूमदार** ने भारतीय जाति-व्यवस्था की सूक्ष्म विवेचना प्रस्तुत की है। डॉ. घुरिये ने विभिन्न समाजशास्त्रीय विषयों पर लिखा है जिनमें जाति, वर्ग, व्यवसाय, परिवार, धर्म आदि मुख्य हैं। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें (*i*) Caste Class and Occupation; (*ii*) Culture and Society; (*iii*) Cities and Civilization प्रमुख हैं। आपके प्रयत्नों से सन् 1952 में Indian Sociological Society की स्थ. ापना हुई जिसने 'सोशियोलॉजिकल बुलेटिन' (Sociological Bulletin) का प्रकाशन किया। आप ही इस पत्रिका के प्रथम सम्पादक रहे हैं। डॉ. के. एम. कापडिया ने विवाह, परिवार और नातेदारी पर अपने अध्ययनों के आधार पर बहुत कुछ लिखा है। आपने कई लेखों के अतिरिक्त दो महत्त्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं: (*i*) Marriage and Family India, तथा (*ii*) Hindu

Kinship। डॉ. मजूमदार ने बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसन्धान कार्य किया है। जाति-व्यवस्था और ग्रामीण भारत के के सम्बन्ध में भी आपने काफी कुछ लिखा है। आपकी पुस्तकों में निम्नलिखित पुस्तकें प्रमुख हैं: (*i*) Races and Cultures of India; (*ii*) An Introduction to Social Anthropology; (*iii*) A Tribe in Transition तथा (*iv*) Caste and Communication in an Indian Village।

इस विचारधारा से सम्बन्धित अन्य विद्वानों में वे लोग आते हैं जिन्होंने धार्मिक विश्वासों तथा नैतिक विचारों के तुलनात्मक अध्ययन पर जो दिया है। उदाहरण के रूप में, डॉ. एम. एन. श्रीनिवास ने दक्षिण के कुर्ग प्रदेश में कुर्ग लोगों का इस दृष्टि से अध्ययन किया और अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'Religion and Society among the Coorgs of South India' लिखी। अन्य समाजशास्त्रियों ने इस प्रकार के अध्ययनों में कोई विशेष रुचि नहीं दिखायी; यद्यपि भारत में ऐसे अध्ययनों की काफी महत्ता की काफी महत्ता एवं उपयोगिता है। आपने भारत में जाति के सन्दर्भ में होने वाले परिवर्तनों को समझाने हेतु संस्कृतीकरण (Sankritization) नामक अवधारणा प्रस्तुत की। आपकी उपयुक्त पुस्तक के अलावा अन्य प्रमुख पुस्तकें निम्नलिखित हैं। (*i*) Marriage and Familiy in Mysore; (*ii*) Caste in Modern India and other Essays; (*iii*) Social Change in Modern India, (*iv*) Indian Villages।

यहाँ अनेक विद्वानों ने 'ग्रामीण अध्ययन' (Village Studies) भी किये हैं। ये अध्ययन अमेरिमा की सामजशास्त्रीय परम्परा से काफी प्रभावित हैं। भारत में डॉ. एस. सी. दुबे, डॉ. मजूमदार, डॉ. ए. आर. देसाई आदि प्रमुख समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में विशेष रुचि दिखायी है। डॉ. दुबे की निम्नलिखित पुस्तकें काफी लोकप्रिय हैं: (*i*) An Indian Village (*ii*) India's Changing Villages तथा (*iii*) The Kamar। प्रथम दो पुस्तकों में शोधकार्यों के आधार पर ग्रामीण समुदायों पर बहुत कुछ लिखा गया और साथ ही वहाँ चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति के कारणों का विश्लेषण किया गया है। **डॉ. मजूमदार** ने अपनी पुस्तक 'Rural Profile' में ग्रामीण समाज का समाजशास्त्रीय दृष्टि से चित्रण किया है। **डॉ. ए. आर. देसाई** ने भारतीय ग्रामीण समाज पर काफी कुछ सामग्री उपलब्ध करायी है। आपकी पुस्तकें (*i*) Rural Sociology in India तथा (*ii*) Rural India in Transition काफी लोकप्रिय हैं।

समाजशास्त्र की इस परम्परा से सम्बन्धित एवं अन्य प्रवृत्ति सामाजिक और आर्थिक कारकों के एक-दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से सम्बन्धित हैं। इस प्रवृत्ति को 'सामाजिक अर्थशास्त्र' के नाम से जाना जाता है। इस प्रवृत्ति के विकास में डॉ. राधाकमल मुकर्जी और प्रो. डी. पी. मुकर्जी का विशेष योगदान है। डॉ. राधाकमल मुकर्जी ने 'अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धान्त' (Institutional Theory of Economics) प्रतिपादित किया। इसमें आपने बताया है कि सामाजिक मूल्य और परम्पराएँ आर्थिक जीवन को काफी मात्रा में प्रभावित करती हैं। **डॉ. डी. पी. मुकर्जी** ने अर्थशास्त्र से सम्बन्धित प्राचीन ज्ञान को इतिहास एवं समाजशास्त्र से जोड़ने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य किया। यद्यपि ये दोनों विद्वान प्रमुखत: अर्थशास्त्री थे, परन्तु इन्होंने अपने मौलिक चिन्तन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण समाजशास्त्र के विकास में काफी योग दिया।

भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन पर पश्चिम का काफी प्रभाव होने के कारण यहाँ समाजशास्त्र का स्वतन्त्र रूप से विकास नहीं हो सका। यहाँ समाजशास्त्र में आत्म-निर्भरता (Self-Sufficiency) का अभाव पाया जाता है। डॉ. एस. सी. दुबे की मान्यता है कि भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तन और लेखन में उपनिवेशवाद का स्पष्ट प्रभाव अब भी देखने को मिलता है। यहाँ के बुद्धिजीवी अब भी पाश्चात्य देशों के समाजशास्त्रियों से समाजशास्त्रीय चिन्तन की दृष्टि से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, परन्तु वर्तमान में विश्वासपूर्वक यह कहा जा सकता है कि अब समाजशास्त्र उपनिवेशवाद के प्रभाव से छुटकारा प्राप्त करता और स्वतन्त्र रूप से विकसित होता जा रहा है।

नोट

2. **परम्परागत भारतीय चिन्तन से प्रभावित** (Influenced by Traditional Indian Thinking)– भारत में समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय प्रवृत्ति के समतर्थकों के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रीय चिन्तन की धारा का आधार पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धान्त नहीं होकर भारतीय परम्परागत सिद्धान्त होने चाहिए। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिन्हें पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों का अन्धानुकरण करके ठीक से नहीं समझा जा सकता। ऐसी स्थिति में भारत में समाजशास्त्र का विकास परम्परागत भारतीय समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम भारतीय समाज को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। इस प्रवृत्ति के समर्थकों में श्री आनन्द कुमार स्वामी, डॉ. भगवानदास, प्रो. ए. के. सरन, डॉ. नगेन्द्र, नर्मदेश्वर प्रसान आदि हैं। श्री आनन्द कुमार स्वामी एवं डॉ. भगवानदास ने भारतीय संस्कृति का काफी गहनता के साथ अध्ययन किया है। इस विद्वानों की मान्यता है कि पश्चिम से लिए गए सिद्धांतों एवं अवधारणाओं के आधार पर हम भारत को ठीक से नहीं समझ पायेंगे। भारतीय समाज और पाश्चात्य समाजों के सामाजिक मूल्य, जीवन-दर्शन एवं संस्कृति में कुछ ऐसे मौलिक अन्तर हैं कि पाश्चात्य सिद्धान्त यहाँ लोगों को भारतीय समाज को वास्तविक रूप में समझने में मदद नहीं दे पाएंगे। इन दोनों विद्वानों के अनुसार परम्परागत भारतीय विचारों का अध्ययन तार्किक दृष्टि से किया जाना चाहिए। प्रो. सरन ने भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन के लिए सामाजिक मूल्यों को भली-भाँति समझने पर ज़ोर दिया है। प्रो. नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति-व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज और सम्पूर्ण जीवन-व्यवस्था को समझाने का प्रयत्न किया है। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय समाज, सामाजिक संस्थाएँ और संस्कृति इतने व्यापक एवं जटिल हैं कि इनके अध्ययन से हम सम्पूर्ण भारतीय समाज-व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं।

   आज अधिकतर समाजशास्त्री यह मानने को तैयार नहीं हैं कि केवल परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। आजकल लोग बौद्धिक समन्वय में विश्वास करते हैं। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के क्षेत्र में जो कुछ कार्य हुआ है, उस भारतीय परिप्रेक्ष्य में विचार किया जाना चाहिए। यहाँ दृष्टिकोण यह नहीं होना चाहिए कि जो कुछ परम्परागत भारतीय चिन्तन या सिद्धान्त हैं, उन्हें हमें छोड़ना ही है तथा जो कुछ पाश्चात्य है, उसे ग्रहण करना ही है। भारत की समाज-व्यवस्था को ठीक से समझने और यहाँ समाजशास्त्र के एक विज्ञान के रूप में विकास में न केवल परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों का बल्कि जहाँ आवश्यक और लाभलायक हो, पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों एवं अवधारणाओं का भी सहारा लिया जाना चाहिए।

3. **पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परम्पराओं के समन्वित चिन्तन से प्रभावित** (Influenced by Synthetical Thinking of Western and Indian Sociological Traditions)– इस प्रवृत्ति के समर्थकों में डॉ. राधाकमल मुकर्जी, प्रो. डी. पी. मुकर्जी, डॉ. जी. एस. घुरिये एवं डॉ. आर. एन. सक्सेना के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से परम्परागत एवं आधुनिक विचारों के समन्वय पर ज़ोर दिया है। **डॉ. राधाकमल मुकर्जी** ने बताया है कि समाजशास्त्रीय विचारों को भली-भाँति समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आपकी मान्यता है कि समाज के सामान्य सिद्धान्त को समझने हेतु समाज की संस्तरणात्मक प्रणाली (Hierarchial System) और साथ ही उस समाज में मौजूद अलौकिक विश्वासों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। पाश्चात्य सामाजशास्त्रीय परम्पराओं से प्रभावित होकर आपने भारत में परिस्थितीय समाजशास्त्र (Ecological Sociology) के विकास की काफी कोशिश की। आपकी एक प्रमुख देन 'प्रवासिता का सिद्धान्त' है। आपने अपने विचारों का प्रतिपादन अपनी निम्नलिखित प्रमुख पुस्तकों में विशेषतः किया है: (*i*) Dynomics of Morals, (*ii*) Social Ecology; (*iii*) Social Structure of Values।

डॉ. डी. पी. मुकर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में काफी योग दिया है। आपका दृढ़ विश्वास है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिन्तन है, स्वयं की कुछ मान्यताएँ हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आप भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय समाजशास्त्रियों के लिए प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। आपकी मान्यता है कि भारत में अनुसन्धान कार्य केवल पश्चिम से आयातित सिद्धान्तों, अवधारणाओं एवं अध्ययन-पद्धतियों के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ अनुसंधान के लिए भारतीय परंपराओं, प्रथाओं, संस्कारों, जनरीतियों आदि को ठीक से समझा जाना चाहिए। यहाँ भारतीय संस्कृति पर समय-समय पर अन्य संस्कृतियों का और विशेषत: पश्चिमी संस्कृतियों का प्रभाव भी पड़ा और इसके परिणामस्वरूप संस्कृतीकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई। संस्कृति के इस समन्वय को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए। आपका दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत में पाश्चात्य और भारतीय परम्पराओं के समन्वित चिन्तन के आधार पर ही समाजशास्त्र का उपयोगी ढंग से विकास हो सकता है। आपने अपने विचार प्रमुखत: निम्नलिखित पुस्तकों में व्यक्त किये हैं: (*i*) Basic Concepts in Sociology; (*ii*) Modern Indian Culture (*iii*) Diversities; (*iv*) Personality and Social Science।

डॉ. जी. एस. घुरिये की मान्यता है कि केवल पश्चिमी के अन्धानुकरण के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पाश्चात्य और भारतीय परम्पराओं के समन्वित चिन्तन की आवश्यकता है। पश्चिम में समाजशास्त्र का जो कुछ विकास हुआ है, जो कुछ सिद्धान्त एवं अवधारणाएँ विकसित हुई हैं, जो पद्धतियाँ अपनायी गयी हैं, उन्हें भारतीय परिस्थितियों एवं समाज-व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना उसी रूप में अपनाना किसी भी दृष्टि से हितकर नहीं होगा। अत: उनमें आवश्यकतानुसार संशोधन करके भारतीय परम्पराओं को ध्यान में रखकर समन्वित चिन्तन के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। आपकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख पहले किया जा चुका है। डॉ. आर. एन. सक्सेना भी उपयुक्त प्रवृत्ति के ही समर्थक हैं। आपकी मान्यता है कि परम्परागत भारतीय सिद्धान्तों को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। आपने बताया है कि पुरुषार्थ सिद्धान्त-धर्म, काम और मोक्ष व्यक्ति के सभी प्रकार के समाजिक सम्बन्धों का आधार है और समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। आपके अनुसार प्राचीन भारतीय विचारों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

भारत में **समाजशास्त्र के विकास की अन्य प्रवृत्ति मार्क्सवादी चिन्तन से प्रभावित** हैं। प्रो. डी.पी. मुकर्जी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित रहे हैं, यद्यपि आपने सांस्कृतिक परम्पराओं के अध्ययन के आधार पर समाज-व्यवस्था को समझने पर जोर दिया है।

भारत में समाजशास्त्र के विकास में उपयुक्त विद्वानों के अतिरिक्त डॉ. पी. एन. प्रभु, प्रो. सच्चिदानन्द, डॉ. योगेश अटल, डॉ. योगेन्द्र सिंह, प्रो. एल. पी. विद्यार्थी, प्रो. राजाराम शास्त्री, प्रो. एम. एस. ए. राव, प्रो. वाई बी. दामले, डॉ. श्रीमती इरावती कार्वे, डॉ. टी. के. एन. यून्निनाथ, डॉ. बृजराज चौहान, प्रो. एस. पी. नागेन्द्र आदि विद्वानों का योगदान भी काफी महत्त्वपूर्ण है।

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से अब तक भारत में समाजशास्त्रीय चिन्तन की कोई स्पष्ट दिशा नहीं बन पायी है। यहाँ अन्य देशों से आयातित समाजशास्त्रीय सिद्धान्तों को भारतीय समाज-व्यवस्था की विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना, अपनाये जाने की प्रबल प्रवृत्ति रही है। भारतीय समाज, संस्कृति और सामाजिक चिंतन पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से कम विचार हुआ है। यही कारण है कि यहाँ समाजशास्त्र की किसी निश्चित पुष्ट परंपरा का विकास अभी तक नहीं हो पाया, यद्यपि इसके लक्षण अब अवश्य दिखाई देने लगे हैं।

4.6 समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सिद्धांत (Theories of the Origin of Sociology)

नोट

आधुनिक (The Modern)–सोलहवीं शताब्दी में राज्य तथा समाज का अंतर स्पष्ट किया गया। लेखकों ने जीवन की समस्याओं को अधिक यथार्थ स्तर पर समझा। इनमें सबसे प्रसिद्ध हाब्स (Hobbes) और मैकियावेली (Machiavelli) थे। मैकिया वेली की पुस्तक 'दी प्रिंस' (The Prince) राज्य तथा राज्य-मर्मज्ञता का एक यथातथ्य अध्ययन है और उसमें मुख्यत: राज्य को सफलतापूर्वक चलाने के सिद्धांतों का वर्णन है। इन सिद्धांतों को उसने ऐतिहासिक आँकड़ों के आधार पर निर्मित किया था। सर थामस मूर (Sir Thomas More) इस युग के अन्य प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होने सन् 1515 में प्रकाशित अपनी 'यूटोपिया' (Utopia) में, एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था का चित्रण और दैनिक जीवन की सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है। वास्तविक जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात को बताने के लिए मूर ने जिस शैली में आदर्श जीवन का चित्रण किया है, उस शैली का अनुकरण अन्य लेखकों ने भी अपनी पुस्तकों में किया, जैसे थॉमस कैम्पेवेला (Thomas Campavclla) ने अपनी पुस्तक 'सिटी आफ दी सन' (City of the Sun), सर फ्रैंसिस बेकन (Francis Bacon) ने अपनी पुस्तक 'न्यू एटलाण्टिस' (New Atlantis) और जेम्स हेरिंग्टन (James Harrington) ने अपनी पुस्तक 'दी कॉमन वैल्थ आफ नेशन्स' (The Commonwealth of Nations) में।

सामाजिक घटनावस्तु की वैज्ञानिक खोज की दशा में अपनी महत्त्वपूर्ण देन के लिए इटली के लेखक विको (Vico) और फ्रांसीसी लेखक मांटेस्क्यू विशेष उल्लेखनीय हैं। विको ने अपनी पुस्तक 'दि न्यूज साइन्स' (The New Science) में कहा है कि समाज कुछ निश्चित कानूनों या नियमों के अधीन होता है। इन कानूनों को यथातथ्य निरीक्षण द्वारा ही समझा जा सकता है। मांटेस्क्यू ने अपनी विख्यात पुस्तक 'दि स्पिरिट ऑफ लाज' (The Spirit of Laws) में इस बात का विश्लेषण किया है कि बाह्य तत्व, विशेषतया जलवायु, मानव-समाज के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। मान्टेस्क्यू के अनुसार, "कानून राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक है और उनसे जिस भावना का पता लगता है, उसकी व्याख्या उन सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्थाओं को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए जिनमें लोग रह रहे हों।" जलवायु सामाजिक जीवन का मुख्य निर्णायक है। मान्टेस्क्यू के निष्कर्ष कल्पनात्मक दार्शनिकों की अपेक्षा कुछ अच्छे थे, परंतु उसका दोष यह था कि उसने सामाजिक जीवन से संबंधित समग्र सत्यता को एक ही आधार पर समझाने का प्रयत्न किया। अरस्तू के समान यह भी इसी रूढ़िवादी परिणाम पर पहुँचा कि 'जो है', वह अवश्य 'रहना चाहिए'।

आगस्ट काम्टे (Auguste Comte)–तत्पश्चात् आगस्ट काम्टे का युग आया। उसे समाजशास्त्र का जन्मदाता कहना ठीक ही है, क्योंकि उसने एक ऐसे विज्ञान की स्थापना का प्रयत्न किया जिसके अंतर्गत समग्र मानव-जीवन व मानवीय गतिविधियाँ सम्मिलित थीं। वह आधुनिक युग का पहला विचारक था जिसने स्पष्ट शब्दों में इस तथ्य को प्रतिपादित किया कि सामाजिक जीवन की दिशाएँ एकता के सूत्र में बँधी हुई हैं और यह भी बताया कि यह एकता विकासोन्मुख है। उसके अनुसार–मानव सामाजिक विकास की तीन अवस्थाओं धार्मिक, भौतिक और वैज्ञानिक के द्वारा आगे बढ़ता जाता है। यहाँ तक प्राकृतिक घटना-वस्तु के चिंतन का प्रश्न है, मानव अब वैज्ञानिक अवस्था को प्राप्त कर चुका है, परंतु उसका समाज-संबंधी चिंतन अभी तक आधिभौतिक अवस्था में ही है। सौभाग्य से आधिभौतिक अवस्था लगभग पूर्ण हो चुकी है और मानवता वैज्ञानिक अवस्था की दहलीज पर है। हाँ, काम्टे पर्याप्त आशावादी था।

जीव वैज्ञानिक (The Biologists)–डार्विन की पुस्तक 'ओरिजिन ऑफ स्पेशीज' (Origin of species) के प्रकाशित होने के उपरांत समाजशास्त्र के विकास की दिशा में पर्याप्त अध्ययन किया गया। डार्विन का सिद्धांत है कि 'बलिष्ठ: अतिजीवित:' (survival of the fittest)। इसी के आधार पर जीवन के संपूर्ण रूप विकसित हुए हैं। आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभाशाली अंग्रेज विद्वान् हरबर्ट स्पेन्सर (Herbert Spencer) ने 'बलिष्ठ: अतिजीवित:' तथा प्राकृतिक चयन सिद्धांतों को समाजशास्त्र के क्षेत्र में प्रयुक्त किया। यह कहा जा सकता है कि उसकी समाजशास्त्र संबंधी रचनाओं ने समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय का स्थान प्रदान किया। स्पेन्सर ने तमाम विज्ञानों को एक प्रारूप में समन्वित करने और एक मूल नियम, जिसके द्वारा प्राकृतिक और सामाजिक संबंधों की व्याख्या हो सके, को खोजने का प्रयत्न किया। उसके प्रमुख सिद्धांतों

में से एक सिद्धांत यह है कि जीवों के समान ही सामाजिक घटना-वस्तु भी सरल, समरूप से जटिल तथा विषम रूप की ओर धीरे-धीरे विकसित होती है। आदिम मानव उसके लिए साधारण मानव-प्रकार था जिससे सभ्य मानव विकसित हुआ। उसकी दूसरी महत्त्वपूर्ण देन तथाकथित जैविक सिद्धांत (organic analogy) है जिसमें उसने समाज की समानता मानवीय शरीर से दिखलाई है। ऐसी देनों के कारण स्पेन्सर सामजशास्त्र की जीवविज्ञान-विचारधारा में अग्रिम स्थान रखता है। उसने समाज की प्राकृतिक घटना-वस्तु के रूप में व्याख्या करके सामाजिक तथ्यों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भूमिका तैयार कर दीं

मनोवैज्ञानिक (The Psychologists)—हरबर्ट स्पेन्सर के अनुयायियों की संख्या बहुत थी और जीवविकास-संबंधी उनका सिद्धांत 19वीं शताब्दी के अंत तक प्रचलित रहा, परंतु 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सामाजिक घटना-वस्तु के संबंध में उसकी जैविक व्याख्या के स्थान पर मनोवैज्ञानिक व्याख्या की स्थापना हुई। यह दिखाने के प्रयत्न किये गये कि समाज का विकास किस प्रकार मानव-मन के विकास पर निर्भर है। इंग्लैंड में ग्राहम वैलेस (Graham Wallace), मैक्डूगल (Mc-Dougal) और हॉबहाउस (Hobhouse) ने और अमरीका में वार्ड (Ward), गिडिंग्स (Giddings), कूले (Cooley), मीड (Meed) और डीवी (Dewey) ने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से सामाजिक विकास की व्याख्या अपने-अपने ढंग तथा अपने-अपने क्षेत्रों में की।

दुर्खीम (Durkheim)—एक फ्रांसीसी लेखक (1858-1917) समाज की वास्तविकता पर बल देने वाला प्रथम आधुनिक लेखक था। उसने सामाजिक वास्तविकताओं पर बल दिया तथा समाजशास्त्र को मनोविज्ञान से अलग पृष्ठभूमि प्रदान की। उसके अनुसार, सामाजिक तथ्य बाह्य होते हैं जो सामान्य विज्ञान का विषय हो सकते हैं क्योंकि उन्हें श्रेणियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। उसने श्रमविभाजन की एक सामाजिक संस्था-एक ऐसी समग्रता जिसमें अनेक व्यक्ति सामाजिक समन्वयता प्राप्त करते हैं, का अध्ययन किया। उसने अप्रतिमानता 'anomic' की अवधारणा प्रस्तुत की जो

(*i*) उद्योगों के प्रबंधक का श्रम से अलगाव

(*ii*) व्यक्तिगत प्राकृतिक प्रतिभा के प्रति असम्मान एवं

(*iii*) प्रकार्यात्मक गतिविधियों के अनुचित समन्वय का परिणाम है।

दुर्खीम का यह विचार था कि पारंपरिक धर्म वैज्ञानिक अन्वेषण की भावना को पूर्ण करने में असमर्थ रहा है एवं इससे किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। उसने 'चर्म' के नैतिक प्राधिकार को अस्वीकृत किया। उसके अनुसार, "दैवीयता केवल सामाजिक महिमान्वीकरण एवं प्रतीकात्मक अवधारणा है।" उसने यह भी कहा, "हमें ईश्वर एवं समाज में से एक को छाँटना होगा।"

उसकी मुख्य कृत्तियाँ हैं : 'Dc La Division his Travail Social' and 'has formes Elementaries de La view Religievse'.

जर्मन समाजशास्त्री (German Sociologist)

जर्मन समाजशास्त्रियों—वान वीजे (Von Vrise), टोनी (Tonnies), वीरकांत (Vier Kandt), सिमेल (simmel) एवं मैक्स वैबर (Max Waber) ने भी समाजशास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान दिया है।

मैक्स वैबर (Max Waber) के महत्त्वपूर्ण योगदान सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, प्राधिकार की अवधारणा, नौकरशाही की अवधारणा तथा आदर्श प्रकार की अवधारणा है। मैक्स वैबर के अनुसार, समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का वृहद विज्ञान है। उसने सामाजिक क्रिया को इसके अभिविन्यास की विधि के अनुसार चार श्रेणियों में विभक्त किया, अर्थात्

(*i*) असंबद्ध व्यक्तिगत उद्देश्यों के तार्किक अभिविन्यास के रूप में,

(*ii*) निरंकुश मूल्य के तार्किक अभिविन्यास के रूप में,

(*iii*) स्नेहात्मक अभिविन्यास के रूप में एवं

(*iv*) परंपरा के रूप में।

मैक्स वैबर के अनुसार, राज्य प्राधिकार का सर्वप्रमुख रूप है जिसे निश्चित प्रदेश के अंदर शारीरिक बल के वैध प्रयोग का एकाधिकार प्राप्त है। उसने प्राधिकार के तीन प्रकार बतलाये हैं : पारंपरिक, तार्किक-कानूनी एवं करिश्मावादी।

नोट

'नौकरशाही' के अपने अध्ययन में, यद्यपि मैकस वैबर इसके लाभों से परिचित हैं, तदपि वह इसके भविष्य के बारे में आश्वस्त नहीं हैं। उसे आशंका थी कि भविष्य में नौकरशाही के पास पहुँच दुर्लभ हो जायेगी।

आदर्श प्रकार का, मैक्स वैबर के अनुसार, पूर्णता से कोई संबंध नहीं है एवं न ही यह मूल्य निर्णयों से संबद्ध है। यह विशुद्ध तर्क युक्तविधि है जिसके अंतर्गत - विषय वस्तु को इसके आंतरिक तर्क को उजागर करके अथवा इसका निर्माण करके बुद्धिग्राह्य बनाया जाता है। आदर्श प्रकार का कार्य है–"आनुभविक वास्तविकता के साथ तुलना जिससे इसकी समानताओं अथवा असमानताओं को स्पष्ट किया जा सके। इसके सर्वाधिक स्पष्ट अवधारणाओं का वर्णन किया जा सके एवं कारणात्मक रूप से इसकी व्याख्या की जा सके।"

कार्ल मार्क्स (Karl Marx, 1818-1883) का न केवल मानवी विचार धारा अपितु सामाजिक संरचना पर भी गहन प्रभाव हुआ है। उसके प्रमुख विचारों का प्रतिपादन उसकी कृतियों यथा 'Communist Manifesto' एवं 'Das Capital' में किया गया है। उसके प्रमुख समाजशास्त्रीय योगदान हैं।

(*i*) ऐतिहासिक भौतिकवाद

(*ii*) निजी संपत्ति का सिद्धांत एवं

(*iii*) राज्यविहीन समाज।

(*i*) ऐतिहासिक भौतिकवाद (Historical Materialism)–मोटे तौर पर मार्क्स का विचार है, "सभी सामाजिक, राजनीतिक एवं बौद्धिक संबंधों, तथा धार्मिक एवं विधि व्यवस्थाओं, सभी सैद्धांतिक विचारों जिनका इतिहास के बारे में उद्‌भव हुआ है, जीवन की भौतिक अवस्थाओं का परिणाम हैं।" दूसरे शबदों में, समाज की संरचना उत्पादक शक्तियों की आधारशिला पर खड़ी की गयी है। समाज को समझने हेतु, हमें इसमें प्रचलित उत्पादन एवं विभाजन की प्रणाली को समझना होगा। ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांतानुसार "सभी सामाजिक परिवर्तनों एवं राजनीतिक क्रांतियों के अंत:कारण, मनुष्य के मस्तिष्क, सनातन संघ एवं न्याय की खोज में उसकी अंतर्दृष्टि में न खोजकर, उत्पादन एवं विनिमय की विधि में आये परिवर्तनों में खोजे जाने चाहिये, उनकी तलाश दर्शन में नहीं अपितु संबंधित युग के अर्थशास्त्र में की जानी चाहिये।" ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत द्वारा मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के कारणों में आर्थिक तत्व को आधारिक भूमिका प्रदान की है।

(*ii*) निजी संपत्ति का सिद्धांत (Theory of Private Property)–निजी संपत्ति पूँजीवाद का आधार है जो इसे शोषणकारी बनाती है। मार्क्स के अनुसार, निजी संपत्ति विच्छिन्न व्यक्ति, विच्छिन्न जीवन एवं विमुख मनुष्य से प्राप्त की जाती है। श्रमिक अपने कार्य से विच्छिन्न हो जाता है। उसके लिये कार्य केवल जीवन-यापन के साधन हैं एवं वह स्वयं एक वस्तु है। विलगाव पूँजीवादी समाज में गंभीर रूप से व्याप्त है। मनुष्य स्वयं से, एक दूसरे से एवं प्रकृति से विलग हो गया है। विलगाव को दूर करने हेतु निजी संपत्ति की व्यवस्था को समाप्त करना होगा।

(*iii*) वर्ग संघर्ष (Class Struggle)–कार्ल मार्क्स के अनुसार, "अब तक अवस्थित समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है।" मार्क्स का कथन है कि प्रत्येक युग का समाज दो श्रेणियों में विभक्त हो जाता है– शोषण एवं शोषित जिनमें सदैव संघर्ष चलता रहता है क्योंकि उनके हितों में टकराव है। श्रमिकों एवं मालिकों के मध्य वर्तमान वर्ग-संघर्ष अन्तत: सर्वहारा की विजय को जन्म देगा। इस विजय के फलस्वरूप, वर्ग भेदभाव समाज से दूर हो जायेंगे एवं उनके समाप्त हो जाने पर वर्ग-संघर्ष भी दूर हो जायेगा तथा वर्गहीन समाज का जन्म होगा।

(*iv*) **राज्यविहीन समाज (Strikless Society)**–कार्ल मार्क्स के अनुसार, "राज्य अन्ततः समाप्त हो जायेगा परंतु ऐसा होने से पूर्व सर्वहारा वर्ग के अल्पकालीन अधिनायक तंत्र का युग आयेगा। सर्वहारा राज्य पूँजीवाद समाज के स्थान पर राज्यविहीन समाज का मार्ग प्रशस्त करेगा। राज्य की बल के अभिकरण रूप में आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि साम्यवादी समाज में लोग किसी विवशता एवं अधीनस्थता के बगैर सामाजिक जीवन के प्रारंभिक नियमों का स्वयमेव पालन करने के अभ्यस्त हो जायेंगे। मानवजाति उस समय आवश्यकता के साम्राज्य से निकलकर स्वतंत्रता के साम्राज्य में प्रवेश करेगी।"

टालकॉट पार्सन्स (Talcott Parsons)

टालकॉट पार्सन्स के दो प्रमुख योगदान हैं–

(*i*) क्रिया एवं इसके घटक, एवं

(*ii*) संरचनात्मक-प्रकार्यात्मक विश्लेषण।

पारसन्स की पुस्तक 'The Structure of Social Action' (1937), को "अमेरिकन समाजशास्त्र के विकास में सामान्य रूप से तथा समाजशास्त्रीय सिद्धांतवाद में विशेषतया एवं विभाजक रेखा समझा जाता है यह एक प्रमुख कृति थी क्योंकि इसने एक नयी दिशा–प्रकार्यात्मक विश्लेषण की दिशा आरंभ की।" उसकी अन्य पुस्तकें 'Social System' में विभिन्न परिस्थितियों के समरूप संस्थागत मूल्यों एवं मानकों तथा विभिन्नकृत सामाजिक भूमिकाओं के महत्त्व पर बल दिया गया है।

1. **क्रिया-परिधि (Action - Frame)**–टालकॉट पारसन्स के अनुसार, क्रिया के चार तत्व हैं,

(*i*) कर्त्ता, चाहे वह व्यक्ति अथवा समूह हो,

(*ii*) लक्ष्य (end),

(*iii*) स्थिति (situation),

(*iv*) साधन (Means)।

अतएव, किसी कार्य के निर्धारण में तीन व्यवस्थाएँ

(*i*) व्यक्ति-व्यवस्था (personality system),

(*ii*) सामाजिक व्यवस्था (social system), एवं

(*iii*) सांस्कृतिक व्यवस्था (cultural system) भूमिका अदा करती हैं।

इन तीन में से सांस्कृतिक व्यवस्था जो मूल्यों, मानकों एवं प्रतीकों से निर्मित होती है, सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। यह तीनों व्यवस्थाएँ परस्पर परिवर्तनशील न होकर, स्वायत्तशासी हैं, किंतु वे एक-दूसरे को अंतर्भेदन करती हैं तथा एक दूसरे के लिये परमावश्यक हैं। इस प्रकार, वे वास्तविकता के पृथक् परंतु संबद्ध स्वरूप हैं।

अपने कार्य सिद्धांत से, पारसन्स ने विलोम युग्मों (pattern-variable) की अवधारणा का विकास किया। उसके अनुसार पाँच मूलभूत विलोम-युग्म अथवा प्रतिमान युग्म होते हैं–

(*i*) अनुभावात्मकता तथा अनुभावात्मक तटस्थता (Affectivity and Affective Neutrality) (तृप्ति-अनुशासन दुविधा)

(*ii*) स्व-अभिमुखीकरण-समूह अभिमुखीकरण (Self orientation-collectivity orientation) व्यक्तिगत बनाम समूह हित दुविधा।

(*iii*) सार्वभौतिक एकादेशी (Universalism Particulousis) मूल्य आधारित व्यवहारों के विभिन्न प्रकारों के मध्य चयन।

(*iv*) आरोपण - उपलब्धि (Ariacption Achievement) सामाजिक विषयवस्तु प्रकारों के मध्य चयन।

(*v*) विशिष्ट - विस्तृत अंग्रेजी विषय में रुचि क्षेत्र एवं इसकी परिभाषा।

नोट

2. **संरचनात्मक-प्रकार्यवाद विश्लेषण (The Structural - Functional Analysis)–** पारसन्स ने सामाजिक घटना वस्तु के अध्ययन में संरचनात्मक - प्रकार्यवाद की विधि को प्रयुक्त किया है। संरचनात्मक - प्रकार्यवाद विश्लेषण प्रकार्यों एवं संरचनाओं की दो अवधारणाओं पर टिका हुआ है। सन्निहित मूल प्रश्न हैं

   (*i*) किसी व्यवस्था मे किन प्रकार्यो की पूर्ति होती है,

   (*ii*) किन संरचनाओं द्वारा, एवं

   (*iii*) किन परिस्थितियों के अधीन।

   प्रकार्यों का संबंध परिणामों जिनमें उद्देश्यों एवं प्रक्रिया - क्रिया प्रतिमान निहित होते हैं, से है जबकि संरचनाओं का संबंध व्यवस्था में कार्यरत उन प्रबंधों से होता है जिनके द्वारा कार्य किये जाते है। टालकॉट पारसन्स ने सामाजिक व्यवस्था की जीविता के लिये चार प्रकार के प्रकार्यात्मक अपेक्षाओं को आवश्यक बतलाया है। यह हैं–

   (*i*) प्रतिमान संभरण तथा तनाव प्रबंध (Pattern maintenance and tension main apperent),

   (*ii*) लक्ष्य प्रति (goal attainment),

   (*iii*) अनुकूलन (Adaptation) एवं

   (*iv*) एकीकरण (Intogration)।

4.7 धर्म और समाज (Religion and Society)

प्रजातियों की तरह हमारे देश में भी भिन्नताएँ हैं। भारत धर्मों की लीला भूमि है। यहाँ एकाधिक धर्म और उसके अनुयायी कितने ही वर्षों से साथ-साथ रहते हैं और अब भी रह रहे हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म के अनगणित रूपों और संप्रदायों के अतिरिक्त इस देश में बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई आदि धर्मों का प्रचलन है। केवल हिंदू धर्म के ही विविध संप्रदाय व मत सारे देश में फैले हुए हैं–जैसे वैदिक धर्म, पौराणिक धर्म, सनातन धर्म, शाक्त धर्म, वैष्णव धर्म, राजा वल्लभी संप्रदाय, नानक पंथी, आर्य समाजी, ब्रह्मसमाजी आदि। इनमें से कुछ धर्म साकार ईश्वर की पूजा करते हैं तो कुछ धर्म निराकर ईश्वर की आराधना करते हैं, कोई धर्म बलि और यज्ञ पर बल देता है तो कोई अहिंसा का पुजारी है। किसी धर्म में भक्ति मार्ग की प्रधानता है तो किसी में ज्ञानमार्ग की।

भारतीय धर्मों में हिंदू धर्म का स्थान सर्वप्रथम है क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या का 82 प्रतिशत लोग इसी धर्म के अनुयायी हैं। वैदिक धर्म हिंदू धर्म का आदि रूप है। इसमें अनेक देवी-देवताओं की पूजा अराधना की जाती है। धार्मिक उत्सव, दान-व्रत हवन या यज्ञ, पाठ, मूर्ति पूजा, मंदिर, तीर्थ यात्रा आदि इस धर्म के प्रधान अंग बन गए हैं। दूसरा भारतीय धर्म बौद्ध धर्म है जिसके प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। छठी शताब्दी ई, पू. हिंदू धर्म में कर्मकाण्ड की जटिलता, पशुओं की बलि, अंधविश्वास, बाहरी दिखावा आदि दोष उत्पन्न हो गए थे, बौद्ध धर्म का विकास उसी की प्रतिक्रिया थी। इस धर्म में सम्यक दृष्टि, सत्य भाव, सत्य भाषण, सत्य कर्म, सत्य निर्वाह, सत्य प्रयत्न, सत्य विचार, और सत्य ध्यान इन आठ संयमों पर विशेष बल दिया जाता है। सत्य व अहिंसा इस धर्म का आधार है। जैन धर्म में त्याग अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक मुहम्मद साहब (570 - 632 ई.) थें। यह एकेश्वरवादी धर्म है–अल्लाह एक है और उसके अलावा अन्य कोई देवता नहीं है वह सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और करुणामय हैं। नियमित रूप से नमाज़ अदा करना, संयम, परोपकार, क्षमा, ईमानदारी, सभी मुसलमान भाई-भाई हैं आदि इस धर्म के प्रमुख नैतिक नियम हैं। सिक्ख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। यह धर्म एकेश्वरवादी तथा मूर्ति-पूजा-विरोधी है। ईश्वर सर्वव्यापी, अनंत, अखंड, अभेद्य, अछेद्य और अनादि है। मनुष्य को सदैव उसके ही चिंतन-ध्यान में जीवित रहना चाहिए। नानक ने क्रमशः शरण, ज्ञान, कर्म और सच इन चार सोपनों को पार कर ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग बलताया है। ईसाई धर्म को महात्मा ईसा ने प्रतिपादित किया था। उन्होंने ईश्वर की एकता तथा उसकी सर्ववत्सलता एवं निष्पक्षता को लोगों के सामने रखा और प्रेम,

करुणा, मानव सेवा, अहिंसा, त्याग और परोपकार का संदेश दिया। ये है भारत के या भारतवासियों के कुछ प्रमुख धर्म और उनके आदर्श व उपदेश। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है कि धर्मों की विभिन्नता भी भारत की अपनी एक रोचक विशेषता है।

भारत के प्रमुख धार्मिक संप्रदाय हैं—हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन और पारसी। इनमें अंतिम दो संख्या में कम हैं पर अनेक सदियों से महत्त्वपूर्ण हैं। सन् 1991 में असम को छोड़कर कुल जनसंख्या में हिंदुओं की संख्या 67.25 करोड़, मुस्लिम 9.52 करोड़, ईसाई 1.88 करोड़, सिख 1.62 करोड़, बौद्ध 0.63 करोड़ जैन 0.33 करोड़ थी। 1991-2001 तक आबादी में वृद्धि 15.63 करोड़ की हुई है हिन्दुओं की आबादी में वृद्धि 12.48 करोड़ मुस्लिमों की वृद्धि 2.34 करोड़, ईसाई 26 लाख, बौद्ध 17 लाख, सिख 13 लाख और जैन केवल 2 लाख बढ़े है।

जहाँ लगभग हर धर्म के लोगों की आबादी में काफी वृद्धि हुई जैन धर्म के अनुयायियों की वृद्धि केवल 4.42 : ही है। इसके बाद ईसाईयों का स्थान आता है लेकिन उनकी वृद्धि दर 16.84 है। हिन्दू 22.78; सिख 25.48; बौद्ध धर्म 35.48; और मुसलमान 32.79; बढ़े हैं।

जैनों की आबादी बिहार, हरियाणा, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और चंड़ीगढ़ में घटी है। त्रिपुरा और अंडमान निकोबार जहाँ जैनियों की आबादी बढ़ी है। वह नाम मात्र की है। यहाँ बढ़ोत्तरी केवल 9 लोगों की हुई है।

हिन्दुओं की आबादी केवल एक राज्य मिजोरम में घटी है और वह भी केवल 457 लोगों की। बाकी हर प्रदेश में हिन्दुओं की आबादी बढ़ी है। ईसाईयों की आबादी केवल आंध्र प्रदेश में घटी है। वहाँ पहले 14 लाख ईसाई थे अब घटकर 12 लाख रह गए हैं। सिख अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड और पांडिचेरी में घटे हैं, लेकिन कुल कमी 61 लोगों की है।

रुचिकर बात यह है कि केरल में 1991-2001 के 10 वर्षों में बौद्धों की आबादी में न तो कमी आयी है और न ही बढ़ोत्तरी हुई है। 1991 में जहाँ 223 बौद्ध थे और अब भी इतने ही हैं लेकिन पंजाब में बौद्धों की जनसंख्या में अप्रत्यासित वृद्धि हुई है। 1981 में वहाँ 799 बौद्ध थे जो कि 91 में बढ़कर 24930 हो गए। इस प्रकार यहाँ बौद्धों की वृद्धि का प्रतिशत 3020.15 है। उत्तर प्रदेश में भी बौद्धों की वृद्धि अधिक हुई है। यहाँ वृद्धि का प्रतिशत 305.99 है। 1991 में यहाँ बौद्ध 2.21 लाख है जबकि 81 में इनकी संख्या केवल 54 हजार थी।

लक्षद्वीप की कुल आबादी 51707 है और 1991 की जनगणना में यहाँ केवल एक सिख बताया गया है। अर्थात् एक पूरा सिख परिवार भी वहाँ नहीं है। 1981 की जनगणना में तो वहाँ एक भी सिक्ख नहीं था।

कुछ आबादी में वृद्धि के प्रतिशत के आंकड़ों को देखें तो स्थिति कुछ भिन्न दिखती है। देश की कुल आबादी में हिंदुओं का प्रतिशत चूँकि 0.68 घटा है तो इसका असर बिहार (0.55), गुजरात (0.50), हरियाणा (0.15), कर्नाटक (0.32), मध्य प्रदेश (0.16), महाराष्ट्र (0.28), तमिलनाडु (0.19), त्रिपुरा (2.84), उत्तर प्रदेश (1.57), पश्चिम बंगाल (2.24) और दादर एवं नगर हवेली (0.28), पर भी पड़ता। ईसाईयों की कुल आबादी में 0.13 प्रतिशत घटा है। सिखों का 1981 से 91 तक की आबादी में प्रतिशत न तो घटा और न ही बढ़ा है।

देश में मुस्लिम समुदाय की आबादी दूसरे प्रमुख धार्मिक समुदायों की तुलना में तेजी से बढ़ी है। 1981-91 के बीच इसमें 32.76 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि इस दौरान जनसंख्या का राष्ट्रीय औसत 23.79 प्रतिशत रहा।

भारत के जनगणना आयुक्त की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार 1981-91 के बीच देश की मुस्लिम जनसंख्या दो करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा बढ़ी। इस अवधि में देश में हिंदू समूदाय की जनसंख्या में 22.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई। यह दर राष्ट्रीय औसत की तुलना में लगभग एक प्रतिशत कम थी। अठाईस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 26 में मुस्लिम जनसंख्या अन्य समुदायों की तुलना में तेजी से बढ़ रही थी।

1991 में देश की कुल जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा 10.88 प्रतिशत था जो 1991 में बढ़कर 11.67 प्रतिशत हो गया। इसी दौरान हिंदू आबादी का अनुपात 83.09 प्रतिशत से घटकर 82.41 प्रतिशत

रह गया। इस अवधि में ईसाई, सिख और जैन समुदायों की जनसंख्या 16.81, 25.48 और 4.42 प्रतिशत बढ़ी। केवल बौद्ध धर्मावलम्बी जिनकी आबादी केवल 0.77 प्रतिशत है।

रिपोर्ट के मुताबिक 1981 में हिंदू आबादी 54 करोड़ 77 लाख 90 हजार थी जो 1991 से बढ़कर 67 करोड़ 25 लाख 90 हजार, सिख एक करोड़ 29 लाख 40 हजार से एक करोड़ 62 लाख 40 हजार, बौद्ध 46 लाख 50 हजार से बढ़कर 63 लाख 20 हजार और जैन 31 लाख 90 हजार से बढ़कर 33 लाख 30 हजार हो गए।

रिपोर्ट में महिला पुरुष अनुपात को देखें तो प्रति एक हजार पुरुष के बीच सिखों में 888, हिंदुओं में 925, मुसलमानों में 930, जैनियों 946, बौद्धों में 952 और ईसाईयों में 994 महिलाएं थी। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैण्ड, चंडीगढ़ दादर और नगर हवेली व दिल्ली में मुस्लिम आबादी की वृद्धि दर 50 प्रतिशत से अधिक रही।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मुसलमानों में उर्वरता दर सबसे अधिक है इसके बाद बौद्धों, हिन्दुओं, सिखों, जैनों और ईसाईयों में है। राष्ट्रीय स्तर पर जैनियों और ईसाईयों में कुल उर्वरता दर समान 26 है। लेकिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जैनियों में ईसाईयों में अधिक उर्वरता है।

सभी क्षेत्रों में कुल उर्वरता दर में यह स्पष्ट विरोध ग्रामीण-शहरी विभेदी मिश्रण के कारण है। सिखों की कुल उर्वरता दर 3.4 हिंदुओं और बौद्धों के लिए 3.6 और मुसलमानों की 4.1 है। विभिन्न जातियों में ईसाई अनुपात पुरुषों की तुलना में बहुत अधिक है प्रति 1000 पुरुषों में उनमें 992 स्त्रियां, बौद्धों में 953, जैनियों में 941, मुसलमानों में 937, हिंदुओं में 933 और सिक्खों में 880 है।

दूसरी ओर जनगणना के अनुसार ईसाईयों की उर्वर आयु वर्ग (15 वर्ष से 49 वर्ष) का प्रतिशत केवल 62.15 है, जबकि सिखों में यह 90.40 : जैनियों में 72.09 : बौद्ध में 79.26 : मुसलमानों में 80.42 और हिन्दुओं में 82.35 : है।

1931 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 धार्मिक समूह थे। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी और अन्य जनजातीय एवं गैर जनजातीय धार्मिक समूह सम्मिलित हैं। 1961 की जनगणना में केवल सात धार्मिक कोटियों को अंकित किया गया है– ये है हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म तथा सम्प्रदाय। भारत में धर्म वास्तव में एक जटिल तथ्य है।

उदाहरण के लिए विभिन्न स्तरों पर सांस्कृतिक और जनजातीय धर्म के तत्व मिश्रित रूप में पाए जाते हैं। यही बात दीर्घ और लघु परंपराओं के बीच अंत:क्रिया की प्रकृति के बारे में कही जा सकती है। सांस्कृतिक हिंदु धर्म और जनजातीय धर्म का एकीकरण भी पाया जाता है। उदाहरण के लिए, संथाल, उच्च जाति के कई तयोहारों को मनाते हैं। वे निम्न और अछूत जातियों के त्योहार भी मनाते हैं। कुछ जन जातियाँ शिव की पूजा करते हैं। एम. एन श्री निवास के अनुसार विभिन्न जनजातियों में एक समान सांस्कृतिकरण नहीं होता। एक ही जनजाति के विभिन्न धर्म से भी समान रूप से सांस्कृतीकरण नहीं पाया जाता।

विगत कई दशकों से ईसाई और इस्लाम धर्म को अपनाना एक विवादास्पद प्रश्न बना हुआ है। यह कहा जाता है कि इस सदी के दूसरे दशक और स्वतंत्रता के पश्चात् पिछड़े वर्गो और जनजातियों के सदस्यों ने धर्म परिवर्तन करके ईसाई, इस्लाम और सिख धर्मो को अपना लिया। बिहार, बंगाल, असम और अन्य भागों में बहुत से आदिवासियों ने हिंदू धार्मिक कृत्यों और व्यवहार प्रतिमानों को स्वीकार कर लिया। हरिजनों ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म को अपना लिया। लालच देकर या दबाव डालकर धर्म परिवर्तन भारत के संविधान और देश के कानून के विरूद्ध है। धर्म परिवर्तन के अनेक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। परंतु अधिकतर लोगों ने धार्मिक कट्टरपंथता से मुक्ति पाने के लिए धर्म परिवर्तन किया है।

अल्पसंख्यक धर्मो के लोगों में **साक्षरता** का प्रतिशत बहुसंख्यक धर्म के लोगों से अधिक है। ऐसा पारसी, जैन, यहूदी और ईसाई समुदायों में देखा गया हैं ईसाईयों को छोड़कर इन समुदायों के सदस्य हिंदुओं और मुसलमानों में अधिक संख्या में व्यापार और कारोबार में लगे हुए है। एक अध्ययन के अनुसार, यद्यपि पारसी, यहूदी और जैन विविध धंधों में नहीं हैं फिर भी व्यापार में वे अन्य समुदायों से आगे हैं। चूँकि हिंदू और मुसलमान संख्या से अधिक हैं और पूरे देश में बसे हुए हैं, इसलिए वे विविध धंधों में नहीं हैं

फिर भी व्यापार में वे अन्य समुदायों से आगे हैं। अल्पसंख्यक समूह विशिष्ट क्षेत्रों, उपक्षेत्रों और शहरों में केंद्रित हैं, इसलिए ये व्यापार करने के लिए लाभकारी स्थिति में हैं। सीरियन ईसाई, मोपला, पारसी और दूसरे समूह केरल और महाराष्ट्र में महत्त्वपूर्ण स्थान पर रहने के कारण लाभान्वित हुए हैं।

एम. एन. श्रीनिवास ने धर्म की भूमिका की जाँच व्यक्तियों और समूहों के बीच एक बंधनकारी शक्ति के रूप में की है। एम. एन. श्रीनिवास धार्मिक व्यवहार को सामाजिक जीवन का अंग मानते हैं। उन्होंने निम्न बातों का जिक्र किया है;

1. ग्रामीण और अन्य स्थानीय स्तरों पर विभिन्न जातियों और धार्मिक जातियों और धार्मिक समूहों में संबंध,
2. देश के आर्थिक विकास में धर्म की आम भूमिका, और
3. धर्म और सामाजिक-आर्थिक विशेषाधिकार।

भारत में बहुजातीय गाँवों की तरह बहुधार्मिक गाँव बहुतायत में नहीं हैं फिर भी, उत्तर प्रदेश में हिंदू काश्तकार और मुसलमान भू-स्वामी और हिंदू भू-स्वामी और मुसलमान काश्तकार मिलते हैं। कर्नाटक में रामपुर गाँव में कुछ बड़े हिंदू जमींदारो के काश्तकार और नौकर मुसलमान थे और मुसलमान जमींदारों के काश्तकर और नौकर हिंदू थे। चूंकि मुसलमानों के पास जमीन पर्याप्त नहीं थी, वे अनेक तरह के आर्थिक कामों में लगे हुए थे। हिंदू आम के बगीचों के मालिक थे, लेकिन मुसलमान आम का व्यापार करते थे। हिंदू और मूसलमान त्योहारों, विवाहों और अन्य अवसरों पर एक दूसरे के साथ क्रियाशील पाए गए। जब भी किसी समुदाय के लोग आर्थिक क्षेत्र में कुशलता प्राप्त करते हैं, दूसरे धर्मों के लोग उसके उपभोक्ता या ग्राहक बन जाते हैं।

धार्मिक समुदायों और उनके व्यवसायों और धंधों में संबंध होता है। उदाहरण के लिए, मंदिरा के व्यापार पारसियों के हाथों में है। मोपला व्यापारी प्रायः केरल, मैसूर, मद्रास और बंबई में पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैन व्यपारी बंबई, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक और बंगाल में रहते हैं। इस तरह का संबंध गाँवों में भी पाया जाता है। हिंदू धर्मावलंबी में, गुजराती, बनिया, तेलगू, कोमती, तामिल चोट्टियार और राजस्थानी बलियां समुदायों ने आर्थिक गतिविधियों में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है फिर भी, कई नए जाति, समूह, व्यापार और अन्य कारोबार करने लगे हैं। जाति के बंधन कमजोर पड़े है ओर स्थानिय गतिशीलता अधिक तेज हो गई है। पूरे देश में विभिन्न समुदायों के फैलाव और उनके आर्थिक कार्यों की विविधता के परिणामस्वरूप सामाजिक एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला है।

यद्यपि धर्म एकीकरण का एक यंत्र है फिर भी इसका उपयोग संकीर्ण सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। विशिष्ट धार्मिक समूह के सदस्यों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अनेक संगठनों और समूहों के धार्मिक नाम रखे गए हैं ताकि उनमें धार्मिक चेतना जाग सके। हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग इस प्रयोग के ज्वलंत उदाहरण हैं। यहाँ तक कि शैक्षणिक संस्थाओं के नाम भी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिक्ख धर्मों से जुड़े हुए हैं। धार्मिक समूहों की तरह अनेक जातियों ने राजनीति में भी अपने सदस्यों को सक्रिय किया है।

4.8 धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ (Problems of Religious Minorities)

भारत में अल्पसंख्यक मुख्य रूप से सांस्कृतिक तथा भाषायी आधार पर लिये जाते हैं। इनमें मुस्लिम, ईसाई तथा सिख प्रमुख अल्पसंख्यक है। भारत में मुसलमानों का आगमन वैसे तो प्राचीन काल से रहा है परंतु 12 वीं शताब्दी में यह भारत में स्थापित हो गये। संघर्ष समायोजन सहयोग तथा परसंस्कृति ग्रहण की सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वह भारतीय समाज के अभिन्न अंग बन गये।

समय के साथ यह पूरे भारत में फैले तथा इनकी निम्नलिखित विशेषताएँ उभर कर आयीं।

1. यह मुख्य रूप से प्रशासन तथा सेना से संबंद्ध रहे।
2. यह गैर कृषक रहे एवं शिल्प, दस्तकारी, हस्तशिल्प व्यापार, व्यवसाय आदि में संलग्न रहे।
3. यह मुख्य रूप से नगर केंद्रीय समुदाय हैं।

ब्रिटिश आगमन तथा उसकी नीतियों के फलस्वरूप मुसलमानों को भारत में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा।

नोट

1. 1857 के विद्रोह के पश्चात् ब्रिटिश शासन ने यह महसूस किया कि मुसलमान औपनिवेशिक सत्ता को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। अत: इसको कमजोर किया जाना आवश्यक है और इस क्रम में सुनियोजित तरीके से सेना प्रशासन जैसे क्षेत्रों में गैर-मुसलमानों को बढ़ावा दिया गया।
2. ब्रिटिश औपनिवेशिक एवं आर्थिक नीति का भी सबसे दुष्प्रभाव इन्हीं पर पड़ा। विदेशी वस्तुओं की भारतीय बाजार में एकाधिकार बनाने के लिये इनके परंपरागत हस्तशिल्प, दस्तकारी आदि को क्षति पहुँचाई गयी जिससे इनमें गरीबी तथा बेरोजगारी बढ़ी।
3. ब्रिटिश काल में जो औपनिवेशिक हुआ उसके बड़ी संख्या में ग्राम नगर प्रवजन हुये। जिससे शहरों में जनकीर्णता बढ़ी जीवन स्तर में गिरावट आयी। (जीवन निर्वाह खर्च) में वृद्धि हुई जिससे इनके जीवन की गुणवत्ता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।
4. ग्राम नगर प्रवजन के कारण जो गैर मुस्लिम समूह नगरों में आए उन्होंने धीरे-धीरे उनकी विशेषज्ञता वाले व्यवसाय सीखे और उनके प्रतिस्पर्धी हो गये जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में और गिरावट आयी। 19 वीं शताब्दी के अंत में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की समस्याओं का कारण ब्रिटिश शासन की उपेक्षा को माना तथा मुसलमानों से ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा रखने की अपील की। चूंकि यह नीति औपनिवेशिक शासन के 'फूट डालों और शासन करो' की नीति के अनुरूप थी जिसे उन्होंने भी प्रोत्साहित किया इससे भारत में सांप्रदायिकता की नींव पड़ी।

कालांतर में बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन, लियाकत आंदोलन, सांप्रदायिक पंचाट जैसी कई विकास रहे जिन्होंने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच लगातार विभाजन का काम किया जिसकी अंतिम परिणति हिंसा के बीच देश का विभाजन रहा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पृष्ठभूमि के कारण हिंदू तथा मुसलमानों के बीच सहज संबंध बनने में कई बाधायें रही जिससे कि मुख्य धारा में मुसलमान अन्य अल्पसंख्यकों की तरह न जुड़ सके। जहां एक ओर हिन्दुओं को यह विश्वास था कि इनका देश धर्म के आधार पर पाकिस्तान है इसलिये भारत के संसाधनों एवं अवसरों पर अब इनका कोई अधिकार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मुसलमान भी यहाँ ऐसी ही भावना पालने के लिये विवश हुये।

अबीद सुरती के अनुसार मुसलमानों में स्वतंत्रता संग्राम तथा उसके पश्चात से हर माइनोरिटी फियर साइकोसिस (अल्पसंख्यक भय मनोग्रंथि) विकसित हो गयी जिसके कारण वह असुरक्षा से पीड़ित रहे और अपने विचार एवं व्यवहार में संकीर्ण होते गये।

प्रो. मुशीरूल हसन मानते हैं कि मुसलमानों में आत्मविश्वास घर गया तथा देश विभाजन के कारण वह भारत को अपना मानने की मनोवृत्ति विकसित नहीं कर सके। वह राष्ट्रीयता की भावना से न जुड़ पाने के कारण न तो राष्ट्र निर्माण में अपनी क्षमता के अनुरूप योगदान दे सके और न ही वह राष्ट्र के संसाधनों का समुचित उपयोग कर पाये।

असगर अली इंजीनियर ने हिंदू-मुसलमानों के बीच होने वाले सांप्रदायिक तनावों एवं दंगों का अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि–

1. 1950 के दशक तक सांप्रदायिक दंगे असंगठित, अचानक तथा अभियोजित होते थे परंतु 1960 के दशक से यह नियोजित एवं संगठित रूप में होने लगे।
2. उन क्षेत्रों में जहाँ सापेक्षित वंचन अधिक है तथा राज्य की वैधता सीमित है वहाँ सांप्रदायिक दंगे अधिक होते हैं।
3. गाँव की अपेक्षा शहरों में दंगे अधिक होते हैं।

4. जहाँ मुसलमानों की जनसंख्या 15-35% के बीच है वहाँ दंगे की संभावनाएँ अधिक हैं।
5. सांप्रदायिक दंगे राजनैतिक लाभ के लिये प्रायोजित किये जाते हैं।
6. हिंदुओं की अपेक्षा मुसलमानों की जान-माल की हानि अधिक होती है।
7. सांप्रदायिक दंगे राष्ट्रीय समस्या न होकर एक सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक समस्या है।

सांप्रदायिक दंगों के अतिरिक्त मुसलमानों की अन्य गंभीर समस्यायें हैं–

1. **बेरोजगारी–**ग्राम नगर प्रवजन-जीवन प्रत्यशा में वृद्धि तथा मृत्युदर में कमी के कारण न सिर्फ इनमें बेरोजगारी की समस्या है बल्कि परंपरागत व्यवसायों में होने के कारण जहाँ एक ओर वह उन व्यवसायों पर अपना एकाधिकार खो बैठे वहीं दूसरी तरफ नये अवसरों की पकड़ पाने में भी सफल नहीं हुये। इससे बेरोजगारी की गंभीर समस्या पनपी।
2. **आधुनिकीकरण एवं आधुनिक शिक्षा का अभाव–**पारंपरिक तथा धार्मिक होने के कारण, धर्मनिरपेक्ष, रोजगार मूलक एवं उपयोगितावादी शिक्षा से यह वंचित रहे जिससे बदलती परिस्थितियों के अनुसार न ही यह अपने को ढाल पाये और नहीं परिवर्तनों के प्रति सहज भाव रख पाये।
3. **जनसंख्या तथा गरीबी–**जनसंख्या तथा गरीबी में एक दुश्चक्र संबंध है। दोनों एक दूसरे को बढ़ाते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मुसलमानों की ही रही। गरीबी, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, धार्मिक रूढ़िवादिता आदि के कारण जनसंख्या नियंत्रण के प्रति अन्य समूहों जैसी जागरूकता इनमें नहीं आयी जिससे गरीबी एवं जनसंख्या के दुष्चक्र से यह निकल न सके।

उपरोक्त समस्याओं के कारण धार्मिक रूढ़िवादिता, उग्रता, मुख्यधारा के प्रति उदासीनता, आतंकवाद, धर्मांधता जैसी समस्याएँ इस समुदाय के साथ जुड़ गयी जिसका इनकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। न्यायमूर्ति सच्चर समिति के अनुसार जहाँ इनकी कुल जनसंख्या भारत की 13% है। सार्वजनिक जीवन में इनकी सहभागिता मात्र 3% है। ऐसे में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक समस्याएँ स्वाभाविक हैं।

समाधान

1. संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत इन्हें पहचान कर इन्हें अन्य सुविधा वंचितों की श्रेणी में रखकर प्राथमिकताएँ देते हुये इनका सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षणिक स्थिति में सुधार का प्रयास किया जाना चाहिये।
2. इनकी संस्थागत शिक्षा व्यवस्था, मदरसा का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिये जो वैज्ञानिक एवं रोजगारमूलक शिक्षा को बढ़ावा दे।
3. हिंदू तथा मुसलमान के वैसे संगठन जो अपने राजनैतिक हितों के लिये एक-दूसरे के प्रति आरोप-प्रत्यारोप एवं विषवमन करते हैं उन पर कठोरता से नियंत्रण लगाया जाना चाहिये।
4. सार्वजनिक जीवन में मुसलमानों के पास Role Modles की कमी होती है अत: ऐसे लोग जो इस समुदाय से आते हैं तथा अपने क्षेत्र विशेष में बहुत बड़े व्यक्ति हैं उनका सहयोग इन्हें प्रेरित करने के लिये लिया जाना चाहिये।
5. जिस प्रकार समाज में अनुसूचित जाति और जनजाति, विकलांग आदि के लिये कल्याणकारी योजनाएँ होती हैं वैसी ही कुछ योजनाएँ इनके लिये भी होनी चाहिये जो इनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास को गति दे सके।
6. वैसे इतिहास साहित्य आदि को संशोधित किया जाना चाहिये जो दोनों समुदायों के बीच असहजता एवं असंवेदनशीलता विकसित करते हैं। प्रशासनिक कठोरता एवं न्यायिक सक्रियता के कई ऐसी समस्याएँ जो अनावश्यक रूप से समाज को अस्थिर करती हैं रोका जा सकता है।

सिखों की समस्याएँ

भारत में सिखों की कुल जनसंख्या लगभग 2% है। सिख धर्म मध्यकाल में गुरुनानक द्वारा प्रारंभ किया गया एक समाज सुधार आंदोलन था जो आगे चलकर पथ एवं गुरु गोविंद सिंह के समय एक धर्म के रूप में अस्तित्व में आया। प्रारंभ में इसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों कर्मकांडों, आडंबरों आदि को समाप्त कर सममानवतावादी समाज तथा संस्कार विकसित करना था। इस धर्म में संगत तथा पंगत का अत्यधिक महत्त्व है। सिखों के दसवें गुरु गोविंद सिंह ने अपने अनुयायियों के लिये पंचक का प्रावधान किया और यह एक पृथक धर्म के रूप में अस्तित्व में आया जिसका उद्देश्य मुगलों एवं मुसलमानों से समाज की रक्षा करना था।

प्रारंभ से ही यह समूह अपने शौर्य तथा समृद्ध संस्कृति के लिये विख्यात रहा है तथा स्वतंत्रता संग्राम में लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, सरदार भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों का अविस्मरणीय योगदान रहा है। 1920 में भारत में सभी गुरुद्वारों के प्रबंधन तथा नियंत्रण के लिये श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन हुआ जिसका उद्देश्य गुरुद्वारों की संपत्ति का धर्मपूर्वक प्रबंधन था। 1940 के दशक में जब मुहम्मद अली जिन्ना ने धर्म के आधार पर पृथक राज्य की मांग की उस समय कुछ सिख चरमपंथियों ने भी स्वतंत्र राज्य की मांग रखी परंतु राष्ट्रीयता की तीव्र भावना ने ऐसी मांग को सक्रिय होने नहीं दिया।

इसी बीच 1947 में देश का विभाजन हुआ जिसकी सबसे अधिक क्षति पंजाब तथा सिखों को उठानी पड़ी क्योंकि–

1. संयुक्त पंजाब सिख बाहुल्य था परंतु विभाजन के पश्चात सिख दोनों ही पंजाबों में अल्पसंख्यक हो गये।
2. विभाजन के कारण जो जान-माल के नुकसान हुये उसमें भी सर्वाधिक क्षति इन्हीं की हुई।
3. इसका सबसे पवित्र तीर्थ-स्थल ननकाना साहिब पाक में चला गया।
4. भारतीय पंजाब में लोग, पंजाबी बोलते थे एवं गुरुमुखी लिखते थे परंतु जनगणना में हिन्दी लिखवाने लगे जिससे भाषायी भावना को भी क्षति पहुँची।
5. भाषायी तथा सांस्कृतिक आधार पर जो हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा वैसे अलग राज्य बने उससे भी इनमें पृथकता की भावना आयी।

उपरोक्त कारणों से सिखों में असंतोष एवं असहजता फैलती रही। 1957 में मास्टर तारासिंह श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुये जिन्होंने स्वतंत्र खालिस्तान की मांग रखी तथा अभी नहीं तो कभी नहीं की मांग का नारा दिया।

1966 में भाषायी आधार पर हरियाणा राज्य के गठन ने खालिस्तान की मांग को नैतिक आधार तथा वैधानिकता प्रदान की।

1970 के दशक के खालिस्तान आंदोलन अत्यधिक संगठित, हिंसक तथा शक्तिशाली हो गया जिसे रोकने के लिये 1983 में 'आपरेशन ब्लू स्टार' चलाया गया। जिससे सैन्य कार्यवाही के विरूद्ध सिखों में भारी असंतोष की भावना पनपी जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी के सिख अंगरक्षकों ने ही उनकी हत्या कर दी जिससे पूरे भारत में सिख विरोधी दंगे फैले तथा लाखों जानें गयी। मात्र दिल्ली में सिख विरोधी दंगों में 80,000 से अधिक सिख मारे गये।

1990 के दशक प्रारंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री सरदार बेअंत सिंह एवं पुलिस महानिदेशक के. पी. एस. गिल के कठोर प्रयासों से पंजाब में आंतकवाद की समस्या समाप्त की गयी।

सिख तथा पंजाब भारत की समृद्ध संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। अपनी उद्यमशीलता, विनोदप्रियता एवं वीरता के लिये परम विख्यात हैं। कृषि, सेना, व्यापार एवं परिवहन व्यावसाय में इनकी वृहद भागेदारी है तथा समाज के पुनर्निर्माण में इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका थी।

ईसाईयों की समस्यायें

भारत में ईसाई आबादी लगभग 2.4% है। भारत में सर्वप्रथम ईसाई दसवीं शताब्दी के आस-पास, मिशनरी सेंट थॉमस के नेतृत्व में केरला के मालाबार तट पर आये तथा वहाँ की सर्वश्रेष्ठ जाति नम्बूदरी ब्राह्मणों को इसाई धर्म में धर्मान्तरित करने में सफल रहे जिन्हें सीलिन क्रिश्चियन कहा जाता है।

परंतु मिशनरी गतिविधियाँ ब्रिटिश शासन के दौरान तीव्र हुयी जिसमें उत्तर-पूर्वी के राज्य, सार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि प्रमुख रहे। इन्हें रोकने के लिये प्रतिक्रियावादी संगठन आर्यसमाज, देवसमाज आदि का गठन हुआं यह गतिविधियाँ प्रोत्साहन एवं विरोध के बाद जारी रहीं।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् धर्मान्तरण के समर्थन तथा विरोध को लेकर संविधान सभाओं में व्यापक बहस हुई जिसमें के. एम. मुंशी जैसे विद्वान इसके समर्थन में, वहाँ वल्लभ भाई पटेल आदि इसके विरोध में।

अंततः संविधान के मूल अधिकार में अनुच्छेद 25-26 का प्रावधान किया गया जिसके अनुसार भ. ारत के नागरिकों को नैतिक सूचना के साथ किसी भी धर्म को मानने तथा उसके प्रचार-प्रसार का अधि कार दिया गया। मिशनरी गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं की गंभीरता 1982 में मीनाक्षीपुरम (तमिलनाडु) में धर्मान्तरण के विरुद्ध ईसाई तथा गैर-ईसाइयों के बीच हुये दंगों से पता चला।

आगे चलकर आस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टेन्स तथा उनके बच्चों की हत्या (महोहर पुर उड़ीसा) झासुआ (मध्य प्रदेश) में ननों के साथ बलात्कार, डाँग में पादरियों की हत्या, जैसी कई ऐसी घटनाएँ हुई जिसने इस समस्या के प्रति देश का ध्यान आकर्षित किया।

इस समस्या के मूल में अनुच्छेद 25-26 का अपने-अपने तरीके से व्याख्या की है। जहाँ मिशनरी मानते हैं कि धर्म का प्रचार-प्रसार उनका मौलिक अधिकार है वहीं प्रतिक्रियावादी संगठन मानते हैं कि मिशनरियाँ प्रलोभन तथा दंड के सहारे धर्मांतरण करती हैं।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गठित न्यायमूर्ति नियोगी समिति ने भी ऐसी ही अनुशंसा देखी। मध्य प्रदेश बनाम स्टेन शिलास वाद में मानवीय सर्वोच्य न्यायालय ने यही माना कि धर्मान्तरण करना किसी का मौलिक अधिकार नहीं है।

इस विवाद से वैसे क्षेत्र जहाँ मिशनरी गितिविधियाँ चलती हैं सदैव सामाजिक तनाव का महौल बना रहता है एवं हिंसा की संभावना होती है। ऐसे में अनुच्छेद 25 को सुस्पष्ट कर एवं मिशनरी गतिविधियों को पूर्णतः एक स्पष्ट दिशा निर्देश देकर इस समस्या को रोका जा सकता है, साथ ही प्रतिक्रियावादी संगठन जो कानून को अपने हाथों में लेते हैं उसे भी कठोरता से निपटा जाना चाहिये।

पिछले कुछ वर्षो से दलित ईसाईयों के लिये आरक्षण की मांग प्रारंभ हुई है परंतु यह अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में है।

इसके अतिरिक्त ईसाईयों की कोई विशेष समस्या नहीं है क्योंकि शिक्षा, व्यवसाय आदि के क्षेत्र में यह काफी सचेत एवं सफल है।

4.9 धर्म निरपेक्षता (Secularisation)

भारत जो किसी समय आध्यात्मिकता पर बल देने वाला धार्मिक देश था, अब धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया से गुजर रहा है। **एम. एच. श्रीनिवास (M. H. Srinivas)** के अनुसार, "शब्द धर्म निरपेक्षता" का तात्पर्य है कि पहले जिसे धार्मिक समझा जाता था, उसे अब ऐसा नहीं समझा जाता एवं इसमें विभेदीकरण की प्रक्रिया भी निहित है जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न स्वरूप-आर्थिक, राजनीतिक, विधिक एवं नैतिक एक-दूसरे से अधिक पृथक् होते जाते हैं।" इस प्रकार, धर्म निरपेक्षता धर्मवाद का विपरीत है। दूसरे शब्दों में, जैसे-जैसे धर्म निरपेक्षता का विकास होता है, धर्मवाद का ह्रास होता है। अनेक धार्मिक क्रियाएँ एवं सांस्कारिक उत्सव जो किसी समय भारतीय लोगों के व्यक्तित्व एवं सामाजिक जीवन के अंग थे, उनका अब परित्याग कर दिया गया है। न केवल नगरों में, अपितु देहातों में भी धर्म निरपेक्षता की प्रक्रिया को कार्यशील देखा जा सकता है। हमारे दैनिक जीवन में धर्म का स्थान निश्चय ही कम हो गया है। जन्म,

विवाह एवं मृत्यु के उत्सवों पर अब पुराने सभी संस्कारों को नहीं किया जाता। हिंदू धर्म पर अन्य धर्मों की अपेक्षा धर्म निरपेक्षता का प्रभाव अधिक है। धर्म निरपेक्षता की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:

(*i*) **धर्मवाद का ह्रास (Decrease of religionism):** जैसा की ऊपर बतलाया गया है धर्म निरपेक्षता की वृद्धि में धर्मवाद का ह्रास निहित है। हिन्दू समाज में जीवन के विभिन्न पक्षों पर धर्म के गिरते हुए प्रभाव के कारण धर्म निरपेक्षता का अधिक प्रभाव पड़ रहा है।

(*ii*) **विभेदीकरण (Differentiation):** धर्म निरपेक्षता की वृद्धि सामाजिक जीवन के विभिन्न स्वरूपों में विभेदीकरण उत्पन्न कर देती है। इस प्रकार, वर्तमान समाज में आर्थिक, राजनीतिक, विधिक एवं नैतिक प्रश्नों को एक-दूसरे से पृथक् रखा जाता है। धर्म उनके समाधान को प्रभावित नहीं करता। आर्थिक प्रश्नों का समाधान आर्थिक नियमों के आधार पर किया जाता है, इसी प्रकार राजनीतिक प्रश्नों का समाधान राजनीतिक नियमों के आधार पर होता है। इस प्रकार, धर्म जो पहले जीवन के विभिन्न स्वरूपों को एक सूत्र में संयुक्त रखता था, का महत्त्व अब समाप्त हो गया है। राजनीति को नैतिक से विलग नहीं रखा जाता है, नैतिक को आर्थिक से।

(*iii*) **विवेकशीलता (Rationality):** विवेकशीलता धर्म निरपेक्षता की अगली विशेषता है। मानव-जीवन की समस्याओं की अब विवेकशील व्याख्या की जाती है एवं उनका तर्कयुक्त समाधान खोजने का प्रयत्न किया जाता है।

प्राचीन प्रथाओं एवं परंपराओं का अनुसरण शिक्षित व्यक्ति द्वारा उसी दशा में किया जाता है यदि ये उसे युक्तिसंगत दिखाई देती हैं।

(*iv*) **वैज्ञानिक दृष्टिकोण (Scientific attitude):** धर्म निरपेक्षता की अन्य विशेषता यह है कि वैज्ञानिक खोजों ने पुरानी प्रथाओं में लोगों के विश्वास को समाप्त कर दिया है। अनेक प्राकृतिक घटनाओं एवं सामाजिक परिघटना की धार्मिक व्याख्याओं का स्थान वैज्ञानिक व्याख्याओं ने ले लिया है।

4.10 धर्मनिरपेक्षता के कारण (Causes of Secularisation)

धर्म-निरपेक्षता के कारणों में निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण हैं–

(*i*) **आधुनिक शिक्षा (Modern education):** भारत में धर्म-निरपेक्षता का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण पाश्चात्य शिक्षा है जिसने पाश्चात्य संस्कृति का सूत्रपात किया एवं भातीय संस्कृति के प्रभाव को कम कर दिया। कहा जा सकता है कि भारत में धर्म-निरपेक्षता की प्रक्रिया इस देश में अंग्रेजों के आगमन से प्रारंभ हुई। आधुनिक शिक्षा ने मानवी समस्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया। शिक्षित वर्ग ने अनेक परंपरागत विश्वासों एवं क्रियाओं के लिए वैज्ञानिक व्याख्याओं की खोज करने का प्रयत्न किया। सहशिक्षा-प्रणाली ने समाज में स्त्रियों की भूमिका के बारे में अनेक विश्वासों को समाप्त कर दिया। विवाह, व्यवसाय एवं अन्य मानवी क्रियाओं के प्रतिधर्म-निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया गया।

(*ii*) **यातायात एवं संचार के साधनों का विकास (Development of the means of transport and communication):** यातायात एवं संचार के साधनों में परिवर्तनों ने शारीरिक गतिशीलता को बढ़ा दिया है। देश के विभिन्न भागों में रहने वाले व्यक्तियों के अंतर्मिश्रण से अधिकांश भ्रांतियाँ दूर हो गयीं एवं उदार विचारों का विकास हुआ। जाति-प्रणाली को धक्का लगा एवं अस्पृश्यता-संबंधी विचारों में भी परिवर्तन आया। यातायात के साधनों की वृद्धि ने ग्रामीण समुदाय के धर्म-निरपेक्षता में काफी सहायता की है।

(*iii*) **सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन (Social and religious reform movement):** भारतीय नेताओं, यथा राजा राममोहन राय, सर सैयद अहमद खाँ, केशवचंद सेन, स्वामी

दयानंद, देवेन्द्रनाथ टैगोर एवं महात्मा गांधी द्वारा चलाए विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी भारत में धर्म-निरपेक्षता की प्रक्रिया को गति प्रदान की।

(*iv*) **नगरीकरण (Urbanization):** धर्म निरपेक्षता ग्रामीण जीवन की अपेक्षा नगरीय जीवन में अधिक प्रमुख है। मकानों की कमी, यातायात एवं संचार के साधनों की बहुलता, आर्थिक समस्याओं, शोभाचार, शिक्षा, नगरीय सामाजिक एवं राजनीतिक संरचना, पाश्चात्य संस्कृति का नगरीय जीवन पर प्रभाव, व्यक्तिवाद–इन सभी तत्वों ने नगरीय दृष्टिकोण को धर्म-निरपेक्ष बना दिया।

(*v*) **विधान (Legislation):** अंग्रेज शासकों ने अनेक अधिनियम, यथा–विधवा पुनर्विवाह कानून-1856, जाति अयोग्यताएँ उन्मूलन अधिनियिम-1850, विशेष विवाह कानून-1872 पारित किए जिन्होंने भारतीय लोगों के रूढ़िगत विचारों पर प्रहार किया। आधुनिक समय में हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून-1956, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून, 1956; पालन-पोषण कानून एवं दत्तक-ग्रहण कानून ने विवाह एवं परिवार की हिंदू संस्थाओं के धर्म-निरपेक्षता में योग दिया है।

(*vi*) **भारतीय संविधान (Indian constitution):** भारत के संविधान ने धर्म-निरपेक्षता की प्रक्रिया को द्रुत बनाया है। संशोधित प्रस्तावना में भारत को धर्म-निरपेक्ष घोषित किया गया है। सभी नागरिकों को जाति, लिंग अथवा संप्रदाय के भेदभाव के बिना समान अधिकारों का विश्वास दिलाया गया है। सार्वजनिक कुएँ एवं विनोद-स्थान सभी जातियों के लिए समान रूप से खुले हैं। नागरिकों को कोई भी व्यवसाय करने की छूट है। अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित धाराएँ 27-30 भारत को धर्म-निरपेक्ष राज्य बनाती है। भारतीय संविधान ने भारतीय जीवन की धर्म-निरपेक्षता में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

(*vii*) **पाश्चात्य संस्कृति (Western culture):** पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय जीवन को धर्म-निरपेक्ष बनाया है। पाश्चात्य संस्कृति भौतिकवाद, व्यक्तिवाद, विषयासक्ति, अधर्मवाद एवं स्वच्छंदता पर बल देती है। इसने भारत में लोगों के पारिवारिक संबंधों एवं दृष्टिकोण को प्रभावित किया है। केवल धर्म ही अब विवाह, शिक्षा, लिंग एवं पारिवारिक जीवन अथवा आर्थिक गतिविधियों से संबंधित विषयों का निर्धारण नहीं करता। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावाधीन भारतीय संस्कृति ने नए विचारों को आत्मसात् कर लिया है। सांस्कृतिक गतिविधियों की धार्मिक व्याख्या का स्थान धर्म-निरपेक्ष व्याख्या ने ले लिया है। धर्म-निरपेक्षता के प्रभाव को साहित्य एवं कला के क्षेत्रों में भी देखा जा सकता है जिनके विषय अब धर्म-निरपेक्ष, वैज्ञानिक, तर्कयुक्त एवं प्रजातंत्रीय विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भारत एक धर्म-निरपेक्ष देश है, अतएव देश द्वारा प्रचार के सभी साधन धर्म-निरपेक्षता का प्रचार करते हैं।

4.11 धार्मिक रूढ़िवाद (Religious Fundamentalism)

रूढ़िवाद (Fundamentalism) का अर्थ किंही मूल विश्वासों में आस्था तथा किन्हीं मूल सिद्धांतों का अनुसरण एवं उनके प्रति कठोर प्रतिबद्धता है। रूढ़िवाद का स्वरूप धार्मिक एवं गैर धार्मिक दोनों हो सकता है, उस दृष्टि से फासीवाद अथवा साम्यवाद के रूप में सर्वसत्तावाद ही रूढ़िवाद के स्वरूप कहे जा सकते हैं।

धार्मिक रूढ़िवाद किसी धर्म के व्यक्ति उस धर्म के मूल सिद्धांतों में विश्वास, आस्था या प्रतिबद्धता का वह रूप है जो धर्मान्धिता की सीमाओं को छू लेती है। जब किसी धर्म विशेष के मतावलंबियों द्वारा सारी दुनिया को अपने ही धर्म के संबंध में देखा जाता है और अपने परंपरागत धर्म को अंतिम सत्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाता है तो यह धार्मिक रूढ़िवाद कहलाता है।

नोट

धार्मिक रूढ़िवाद अपने धर्म के ऊपर सभी जीवन शैली को भ्रष्ट जीवन शैली मानते हैं और इसको शुद्ध करने का प्रयास करते हैं जैसे मौलाना मौदुढी (भारत में जमायते इस्लामी के संस्थापक) ने वर्तमान जीवन पद्धति को अज्ञानी की संज्ञा दी और इसे भ्रष्ट बताया; भिण्डरावाले ने पतित सिखों का उल्लेख किया जो अपनी दाढ़ी बनाते हैं, अपने बाल कटाते हैं और परंपरागत सिख पद्धति का पालन नहीं करते हैं। इसी संदर्भ में हम अफगानिस्तान के तालिबानियों और पाकिस्तान में लाल मस्जिद के मौलवियों के क्रिया-कलापों की चर्चा कर सकते हैं जिन्होंने परंपरागत मुस्लिम जीवन पद्धति को इस्लाम के अनुरूप माना और आधुनिक जीवन पद्धति का विरोध किया। एक धार्मिक व्यक्ति होना तथा एक धार्मिक रूढ़िवादी होना एक समान नहीं है, क्योंकि धर्म रूढ़िवाद नहीं होता, धार्मिक रूढ़िवाद धर्म का विलोम है, धर्म का शोषक है जो सामान्य हितों को त्यागकर व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु धर्म की भ्रष्ट माध्यम के रूप में प्रयोग करता है। (जेम्स वार्नर, वर्क मैन 'Fundamentalism, Revivalism and voilance in South Asia'—Book)

उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर धार्मिक रूढ़िवाद के निम्न लक्षणों की चर्चा की जाती है–

1. एक धार्मिक रूढ़िवादी अपने धर्म/संप्रदाय अथवा इनसे जुड़े विश्वास व्यवस्था को अनिवार्य, यथेष्ट तथा पूर्णत: प्रमाणित मानता है।
2. रूढ़िवादी कभी समझौतावादी नहीं होते हैं बल्कि अपने विश्वास में धर्मान्ध एवं स्वरूप में आक्रामक होते हैं।
3. धार्मिक रूढ़िवाद के सिद्धांत उल्लंघनीय, आक्षरिक, निरंकुश तथा बाध्यकारी होता है। यह केवल अधिरोपण की जबान समझता है और अपने मत को सही मानते हुए समसत समाज को उस मत को मानने पर बल देता है।
4. धार्मिक रूढ़िवाद का स्वयं का मत होता है वह भले धर्म में हो या, न हो परंतु रूढ़िवादी अपने मत को तर्क द्वारा या धर्म की पुनर्व्याख्या द्वारा धर्म सम्मत सिद्ध कर देते हैं, जैसे जेहाद। (स्टीव ब्रूस Fundamentalism Book)
5. धार्मिक रूढ़िवाद विज्ञान एवं विवेकवाद दोनों को अस्वीकार करता है।
6. धार्मिक रूढ़िवादी अपने व्यवहार में उग्रता को प्रदर्शित करते हैं।

4.12 धार्मिक रूढ़िवाद-एक वैश्विक समस्या/इसके परिणाम (Religious Fundamentalism – A Global Problem)

यद्यपि धार्मिक रूढ़िवाद की शुरुआत 1979 में ईरान में आयातुल्ला खुमैनी के नेतृत्व में मुस्लिम रूढ़िवादियों द्वारा मोहम्मद रजा शाह के तख्ता पलट की घटना को तथा अमेरिका में संकीर्णतावादी रूढ़िवादियों द्वारा चलाये गये नवधार्मिक आंदोलन के रूप में हो गयी थी तथापि हाल के वर्षों में धार्मिक रूढ़िवाद एक प्रमुख घटना के रूप में उभरकर सामने आया है। हाल के वर्षों में अफगानिस्तान में तालिबानी क्रिया-कलापों, पाकिस्तान में लाल मस्जिद से जुड़े मुस्लिम रूढ़िवादियों के क्रिया-कलापों तथा भारत में हिंदू रूढ़िवाद एवं मुस्लिम रूढ़िवाद से संबंधित क्रिया-कलापों में इसको एक ज्वलंत समकालीन समस्या के रूप में प्रस्तुत किया है जिससे आधुनिक नागरिक समाज के समक्ष कई समस्यायें/चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं, जैसे–

1. धार्मिक रुढ़िवाद ने समकालीन विश्व में धार्मिक पुर्नउत्थान की प्रवृत्ति को तीव्र किया है जिससे धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया बाधित हुई है और आधुनिक समाज के निर्माण का प्रयास कमजोर हुआ है। (Anthony Giddens)
2. इसने विश्व में कमोवेश सभी देशों में सांप्रदायिक तनाव एवं संघर्ष में वृद्धि को संभव बनाया है और वैश्विक स्तर पर 'समस्याओं के मध्य संघर्ष' (Hutington) की संभावना की पुष्ट किया है।

3. भारत में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष; मध्यपूर्व में इस्लाम, जुडाइज्म, और पश्चिमी क्रिश्चियन के बीच संघर्ष, पाकिस्तान में शिया एवं सुन्नी के बीच संघर्ष या फिर भारत के पंजाब में सिख एवं डेरा सच्चा सौदा के बीच संघर्ष इस तथ्य को परिलक्षित करते हैं।
4. विश्व के लगभग सभी देशों में धार्मिक रूढ़िवाद ने विवेकसम्मत एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विरोध करके धर्म निरपेक्षीकरण की प्रक्रिया के समक्ष चुनौती प्रस्तुत की है।
5. चूँकि धार्मिक रूढ़िवाद विवेकसम्मत एवं वैज्ञानिक दृष्टि का विरोधी एवं परंपरा उन्मुख होता है इस दृष्टि से इसने दुनिया के लगभग सभी देशों में नवीनता एवं परिवर्तन का विरोध करके सामाजिक, आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है। अफगानिस्तान, ईराक आदि के विकास को अवरुद्ध करने में धार्मिक रूढिवाद एम प्रमुख कारक सिद्ध हुआ है।
6. धार्मिक रूढ़िवाद का एक प्रमुख परिणाम धार्मिक आतंकवाद है जिसने समकालीन विश्व के सभी देशों को त्रस्त कर रखा है।

स्पष्ट है कि धार्मिक रूढ़िवाद समकालीन वैश्विक समाज के लिए समस्यात्मक एवं आधुनिक नागरिक समाज के लए निर्माण का विरोधी रहा है परंतु अगर पीटर बेयर को मानें तो यह परोक्ष रूप से धार्मिक समुदाय में आंतरिक एकता और धर्म के आधार पर राष्ट्रवाद के विकास में भी सहायक रहा है। ईराक, इजरायल, जापान आदि देशों में उसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

4.13 धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव के कारण (Origin Causes of Religious Fundamentalism)

वैश्विक स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद की घटना के उद्भव के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे–

1. तीव्र सामाजिक परिवर्तन से उत्पन्न उथल-पुथल और पहचान संकट धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव का एक प्रमुख कारण रहा है क्योंकि यह न केवल पहचान संकट का समाधान प्रस्तुत करता है बल्कि एक अच्छे पूर्ववर्ती युग के वापसी का वादा भी करता है। (Anthony giddens)
2. धर्म आधारित नृजाति केंद्रीयता की भावना एवम् इसकी प्रतिक्रिया भी धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव में प्रमुख रहा है। इस्लाम में सिया-सुन्नी संघर्ष और भारत में हिंदू-मुस्लिम संघर्ष के पीछे यह एक प्रमुख कारक रहा है।
3. रूढ़िवादी व्यक्ति का संगठन द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयासों को भी व्यापक स्तर पर धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव एवं प्रसार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इस्लामिक रूढ़िवाद के प्रसार में ओसामा बिन लादेन का प्रयास इसका प्रमुख उदाहरण है।
4. विभिन्न व्यक्तियों या राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता में बने रहने या सत्ता की प्राप्ति हेतु मतों को लामबंद करने एवं जनसमर्थन को प्राप्त करने की दिशा में धार्मिक भावना का प्रयोग भी धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव का एक प्रमुख कारक रहा है हटिंगटन की माने तो इराक में सद्दाम हुसैन द्वारा अमेरिकी उपनिवेशवाद के विरुद्ध जन समर्थन प्राप्त करने हेतु धार्मिक भावनाओं का प्रयोग इसका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
5. पीटर बेमर ने जापान, ईराक, इजरायल जैसे देशों में राष्ट्रवाद के विकास में किये गये धर्म के प्रयोग को भी धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव के लिए एक प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया है।
6. विभिन्न समूहों द्वारा राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति को प्राप्त करने हेतु धर्म को एक संगठनिक शक्ति के आधार के रूप में किया गया प्रयोग भी धार्मिक रूढ़िवाद के उद्भव एवं विकास हेतु उत्तरदायी रहा है।

7. अगर बोर्डिलाड के विचारों के संदर्भ में देखें तो क्षेत्रीय स्तर पर, सामूहिक स्तर पर, एवं व्यक्तिगत स्तर पर विद्यमान सामाजिक आर्थिक विषमता, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी सामाजिक समस्याओं ने भी धार्मिक रूढ़िवाद को प्रोत्साहित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

नोट

मूल्यांकन–स्पष्ट है धार्मिक रूढ़िवाद वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख समकालीन समस्या के रूप में उभरा है जिसने मानव समाज के लिए कई नकारात्मक परिणामों के साथ-साथ कुछ एक साकारात्मक परिणामों को भी उत्पन्न किया है। यह घटना कई संयुक्त कारकों का परिणाम है और उन कारकों को दूर करते हुए एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष एवं विकसित समाज की स्थापना हेतु कई प्रयास भी किये जा रहे हैं। जरूरत है इन प्रयासों को और सुदृढ़ करने की, तभी हम एक आदर्श, समृद्ध एवम् आधुनिक वैश्विक समाज के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और विविधता में एकता की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं और इसके लिए कुछ सुझावों पर अमल किया जा सकता है, जैसे–

1. तार्किक एवं वैज्ञानिक दृष्टि का अधिकाधिक प्रसार किया जाए तथा जगत एवं जीवन के सभी क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु वैज्ञानिक एवं तार्किक तरीकों पर बल दिया जाए।
2. धर्म निरपेक्षता को सशक्त विचारधारात्मक स्तर पर जन आंदोलन का रूप दिया जाए और धर्म के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए धर्म निरपेक्षता के पक्ष में जनचेतना एवं जनमत का निर्माण किया जाए।
3. सभी धर्मों को अधिकाधिक तार्किक एवं व्यावहारिक बनाया जाए (धर्म का धर्म निरपेक्षीकरण) अमेरिका में महिलाओं को पादरी बनने का अधिकार देना, भारत में अन्य जातियों को पुजारी बनने का अधिकार देना या हाल ही में Mumbai में मुस्लिम Personal Law Board द्वारा महिलाओं को तलाक का अधिकार देना इस दिशा में सराहनीय प्रयास है।
4. विभिन्न धर्मों के बीच विद्यमान विभिन्नता के बजाय समानता के पक्षों को उजागर करके विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए और उनके बीच सांस्कृतिक अंत:क्रिया को प्रोत्साहित किया जाए। Anthony Giddens या Petter Bayer के विचारों के संदर्भ में देखा जाए तो वैश्विकरण की प्रक्रिया ने 'Universalisation' के रूप में इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रही है फिर भी इसके कई आयाम ऐसे है जिस पर विचार एवं प्रयास आवश्यक है।
5. विभिन्न धार्मिक समुदायों में विद्यमान विषमता और विश्व स्तर पर विद्यमान क्षेत्रीय विषमता को दूर किया जाए (बोर्डिलाड) साथ ही हाशिये पर के लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करके इन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए।
6. धर्मान्ध व्यक्तियों, संगठनों एवं राजनीतिक दलों की असामाजिक गतिविधियों को हतोत्साहित किया जाए।
7. संचार साधनों एवं स्वयंसेवी संगठनों को इस दिया में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका के निर्वहन हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

4.14 सारांश (Summary)

- सन् 1838 में ऑगस्त कॉम्टे ने उपर्युक्त प्रस्तावित विज्ञान को 'सोशियोलॉजी' नाम दिया। यह लैटिन के 'सोश्यस' तथा ग्रीक के 'लोगस' शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है–समाज का विज्ञान या शास्त्र। इसे ही हिंदी में समाजशास्त्र कहा गया।
- छठी शताब्दी से चौदहवीं शताब्दी तक का काम समाजशास्त्र के विकास की द्वितीय अवस्था मानी जाती है। इस काल में भी काफी लंबे समय तक सामाजिक समस्याओं को समझने के लिए धर्म और दर्शन का सहारा लिया जाता रहा, लेकिन तेरहवीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने का प्रयत्न किया गया।

- समाजशास्त्र के विकास की चतुर्थ अवस्था का प्रारंभ ऑगस्त कॉम्टे (1798-1875) के समय से माना जाता है। यही समाज शास्त्र के वैज्ञानिक विकास की वास्तविक अवस्था है। फ्रांसीसी विद्वान ऑगस्त कॉम्टे के गुरु सेण्ट साइमन भौतिक विज्ञानों के समान समाज को एक ऐसा विज्ञान बनाना चाहते थे जिसमें सामाजिक घटनाओं का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन तथा विश्लेषण किया जा सके।
- जर्मन समाजशास्त्रियों–वान वीजे (Von Vrise), टोनी (Tonnies), वीरकांत (Vier Kant), सिमेल (simmel) एवं मैक्स वैबर (Max Waber) ने भी समाजशास्त्र के विकास में अपूर्व योगदान दिया है।
- एम. एन. श्रीनिवास ने धर्म की भूमिका की जाँच व्यक्तियों और समूहों के बीच एक बंधनकारी शक्ति के रूप में की है। एम. एन. श्रीनिवास धार्मिक व्यवहार को सामाजिक जीवन का अंग मानते हैं। उन्होंने निम्न बातों का जिक्र किया है; 1. ग्रामीण और अन्य स्थानीय स्तरों पर विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों से संबंध, 2. देश के आर्थिक विकास में धर्म की आम भूमिका, और 3. धर्म और सामाजिक-आर्थिक विशेषाधिकार।

4.15 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)

1. समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं इसके विकास का वर्णन कीजिए।
2. समाजशास्त्र की उत्पत्ति के सिद्धांत बताइए।
3. धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्याएँ बताइए।
4. धर्म-निरपेक्षता का क्या अर्थ है? इसके महत्त्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए।
5. धार्मिक रूढ़िवाद का क्या अर्थ है? इसेक लक्षणों का वर्णन कीजिए।

4.16 संदर्भ पुस्तकें (Further readings)

- बॉटोमोर, टाम. 1962. सोशियोलॉजी : ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर. जार्ज, ऐलन एंड अनविन, लंदन।
- चौधरी, मैत्रेयी. 2003. द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी, ओरियेंट लोंगमैन, नयी दिल्ली।
- बर्जर, पीटर एल. 1963. इनवीटेशन टू सोशियोलॉजी : ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. पेंगुइन, हारमंडस्वर्थ।
- गिंडिंग्स, एंथोनी. 2001. सोशियोलॉजी. चतुर्थ संस्करण, पोलिटी वेस, केंब्रिज।

इकाई-5
(Unit–5)

नोट

समाजीकरण
(Socialization)

रूपरेखा

5.1 उद्देश्य (Objectives)
5.2 प्रस्तावना (Introduction)
5.3 समाजीकरण का अर्थ (Meaning of Socialization)
5.4 समाजीकरण की प्रक्रिया (Process of Socialization)
5.5 समाजीकरण के अभिकरण (Agencies of Socialization)
5.6 समाजीकरण के तत्त्व (Elements of Socialization)
5.7 समाजीकरण के महत्त्व (Role of Socialization)
5.8 प्रौढ़ों का समाजीकरण (Socialization of Adults)
5.9 वैयक्तीकरण (Individualisation)
5.10 वैयक्तीकरण के पक्ष (Aspects of Individualization)
5.11 महिलाएँ एवं समाज (Women and Society)
5.12 कन्याधन एवं दहेज-प्रथा (Bride-wealth and Dowry System)
5.13 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण एवं उपाय (Causes and Measures of Violence Against Women)
5.14 हिंदू महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Hindu Women)
5.15 मुस्लिम महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Muslim Women)
5.16 महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न (Efforts to Solve Problems of Women)
5.17 सरकार द्वारा किए गए प्रयत्न (Efforts Made by the Government)
5.18 सारांश (Summary)
5.19 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)
5.20 संदर्भ पुस्तकें (Further Readings)

5.1 उद्देश्य (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात्, विद्यार्थी योग्य होंगे:

- समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन,
- वैयक्तिकरण के पक्ष की व्याख्या एवं
- महिलाएँ एवं समाज के संबंधों की जानकारी।

5.2 प्रस्तावना (Introduction)

मानव समाज, एक बाह्य घटना-वस्तु नहीं है, अपितु इसकी अवस्थिति इसके सदस्यों के मन में ही देखी जा सकती है। मानव-शिशु संसार में पशु की आवश्यकताओं से युक्त एक जीवित अवश्य के रूप

M-pc/E/Laxmi/Kunal ji 11-09-2020

में आता है। वह धीर-धीरे एक सामाजिक प्राणी के रूप में ढल जाता है तथा कार्य करने और सोचने के सामाजिक ढंगों को सीख लेता है। ढालने की इस प्रक्रिया के बिना न तो समाज जीवित रह सकता है और न संस्कृति; और न ही व्यक्ति, पुरुष (person) बन सकता है। ढालने की इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहा जाता है।

नोट

5.3 समाजीकरण का अर्थ (Meaning of Socialization)

मैकाइवर के अनुसार, "समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी एक-दूसरे के साथ अपने व्यापक तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं जिसमें वे एक-दूसरे से अधिकाधिक बँध जाते हैं और एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की भावना का विकास करते हैं, जिसमें वे अपने एवं दूसरों के व्यक्तित्व को अधिक अच्छी तरह समझने लगते हैं तथा जिसमें वे निकटतर एवं अधिक विस्तृत साहचर्य की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं।"

किम्बल यंग (Kimball Young) की दृष्टि में "समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है तथा समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है और जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों तथा मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है।" समाजीकरण निश्चित रूप से सीखने की प्रक्रिया है, जैविक वंशानुक्रम की नहीं। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही एक नवजात शिशु सामाजिक प्राणी बनता है तथा वह समाज के पूर्ण सदस्य के रूप में विकसित होता है। मनुष्य जो कुछ है, वह समाजीकरण के द्वारा बनता है। **बोगार्डस** (Bogardus) के अनुसार, "समाजीकरण इकट्ठा मिलकर कार्य करने, समूह-दायित्व की भावना विकसित होने तथा अन्य व्यक्तियों की कल्याणकारी आवश्यकताओं से मार्गदर्शन लेने की प्रक्रिया है।" **आगबर्न** (Ogburn) के अनुसार, "समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे कि व्यक्ति समूह के आदर्श, नियमों के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है।" रॉस के अनुसार "समाजीकरण साथियों में 'हम भावना' तथा इनमें इकट्ठे काम करने की इच्छा एवं समर्थता का विकास है।" समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा मनुष्य एक सामाजिक व्यक्ति बनता है तथा व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। **लुंडबर्ग** (Lundberg) के अनुसार, "समाजीकरण अंत: क्रिया की जटिल प्रक्रियाओं का नाम है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक समूहों एवं समुदायों में प्रभावी भाग लेने हेतु आदतों, चतुराइयों, विश्वासों एवं निर्णय के मानकों को सीखता है।" **जॉनसन** (Johnson) के अनुसार, "समाजीकरण एक प्रकार का सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने के योग्य बनाता है।" **ग्रीन** (Green) के अनुसार "समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है।" **हॉटर्न एवं हंट** (Horton and Hunt) के अनुसार, "समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपने समूह के मानकों को आत्मसात् कर लेता है। जिससे उनके 'आत्म' का विकास होता है जो उस व्यक्ति की अपनी विशेषता है।" **एच० टी० मजुमदार** (H.T. Mazumdar) के अनुसार, "समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रकृति मानव-प्रकृति में बदल जाती है तथा पुरुष व्यक्ति बन जाता है।" प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को उस पर्यावरण एवं परिस्थिति में समंजित करने का प्रयत्न करता है जो उस समय समाज द्वारा, जिसका वह सदस्य है, निर्धारित की गई होती है। यदि वह इस प्रयत्न में असफल रहता है तो वह सामाजिक विचलन (deviant) बन जाता है। समंजन की इसी प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। यह व्यक्तिकरण के विपरीत है। यह 'आत्म' (self) के विस्तार की प्रक्रिया है। यह उसमें सामुदायिक भावना का विकास करता है। संक्षेप में, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति मानवी व्यवहार के प्रतिमानों को गृहीत करता है।

समाजीकरण सामाजिकता एवं समाजवाद से भिन्न है। सामाजिकता एक गुण है, समाजीकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकता का अर्थ है, दूसरों से मिलने-जुलने तथा उनके साथ सुगमता एवं सरलता से संबंध बनाने की क्षमता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, चाहे उसमें बहुत अधिक सामाजिकता न हो। समाजीकरण की प्रक्रिया से मनुष्य सामाजिकता का गुण ग्रहण करता है।

समाजवाद–समाजवाद एक सिद्धांत है, गुण अथवा प्रक्रिया नहीं। यह समाज के भावी पुनर्निर्माण का सिद्धांत है। इस शब्द की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति एवं दल स्वयं को समाजवादी कहता है। **जोड** (Joad) ने इसकी तुलना एक ऐसे टोप से की है जो अपनी शक्ति खो बैठा है, क्योंकि प्रत्येक

व्यक्ति इसे पहनता है। सही अर्थ में समाजवाद एक सिद्धांत है जिसका अभिप्राय है कि उत्पादन, विनियम तथा वितरण के साधन या तो राज्य के हाथों अथवा नियंत्रण में होने चाहिए अथवा ऐसे संघों के हाथों में होने चाहिए जो प्रत्यक्षा रूप से समुदाय के प्रति उत्तरदायी हो। ऐसी व्यवस्था से संपत्ति का अपेक्षाकृत समान वितरण होगा, लोग गरीबी, रोग एवं अज्ञान से मुक्त हो सकेंगे। समाजवाद का संबंध इस बात से है कि 'क्या होना चाहिए।'

समाजीकरण का 'परिपक्वता' (maturation) से भी अंतर दिखलाया जा सकता है। परिपक्वता मूल रूप से विकास की भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं, जिन पर मनुष्य का अपेक्षाकृत कम नियंत्रण होता है, से संबंधित है। यह जीव (organism) के विकसित होने एवं धीरे-धीरे परिवर्तित होने की प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य आदतों एवं प्रतिमानित व्यवहार को सीखता है। यह उन तमाम सामाजिक प्रक्रियाओं एवं दबावों को निर्दिष्ट करता है जिनके द्वारा समूह या समुदाय के आदर्श नियमों एवं मानकों को व्यक्ति-सदस्यों के व्यवहारों एवं विश्वासों में बैठा दिया जाता है।

5.4 समाजीकरण की प्रक्रिया (Process of Socialization)

सामाजिक व्यवस्था मुख्यत: समाजीकरण पर आधारित है। यदि व्यक्ति अपने समूह के आदर्श नियमों के अनुसार आचरण नहीं करेंगे तो समूह छिन्न-भिन्न हो जायेगा। परंतु समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है? यह कहा जाता है कि यह प्रक्रिया शिशु के जन्म से पूर्व ही आरंभ हो जाती हैं उसके जन्म से पूर्व सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत सीमा तक यह निर्धारित कर देती हैं कि यह किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा। माता-पिता की प्रेम-लीला और जीवन-साथी का चुनाव, गर्भाधान एवं जन्म से संबंधित रीति-रिवाज तथा परिवार में प्रचलित सांस्कृतिक क्रियाओं की संपूर्ण प्रणाली बच्चे के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। माता-पिता द्वारा देखभाल की विधियाँ उसके जन्म लेने एवं स्वस्थ रहने की संभावनाओं को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार, जन्म से पूर्व की परिस्थितियों का अप्रत्यक्ष रूप से समाज में उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। परंतु प्रत्यक्ष समाजीकरण जन्म के पश्चात् ही आरंभ होता है। नवजात शिशु में जीव के रूप में कुछ वस्तुएँ होती हैं जो समाजीकरण को परिसीमित करती हैं अथवा उसमें सहायक होती हैं। इन वस्तुओं को जो उसमें होती हैं, प्रतिवर्त्त (reflexes), मूल-प्रवृत्तियाँ (instincts), अंत:प्रेरणाएँ (urges) तथा क्षमताएँ (capacities) कहा जा सकता है।

प्रतिवर्त्त समाजीकरण पर कठोरतम सीमाएँ लगा देती हैं। प्रतिवर्त्त दत्त उद्दीप्तियों के प्रति जीव की स्वचालित और अनमनीय प्रतिक्रियाएँ होती हैं। वे सीखी हुए नहीं होतीं और उनको बदला भी नहीं जा सकता। जीव क्या कर सकता है, ये उसकी सीमा निर्धारित कर देती हैं। परंतु वे ऐसे आधार नहीं हैं जिनसे समाजीकरण का जन्म होता हो। तेज रोशनी में आँख की पुतली का सिकुड़ जाना, शक्कर या चीनी के चखने से मुख की ग्रंथियों का लारस्रवण (salivation) प्रतिवर्त्त के उदाहरण हैं।

कुछ मनोवैज्ञानिकों ने मानव-व्यवहार की व्याख्या मूल-प्रवृत्तियों के संदर्भ में की है। व्यवहार मूल-प्रवृत्यात्मक कहा जाता है यदि वह किसी अंत:प्रेरणा या रुचि के कारण आरंभ हो, उसमें बाह्य संसार का कुछ बोध निहित हो, यांत्रिक एवं विचित्र रूप से स्थिर हो, वंशानुगत संरचना पर आधारित अतएव जाति (species) की विशिष्टता हो तथा इसके साथ ही अत्यधिक अनुकूली (adaptive) एवं क्रियात्मक (functional) हो। परंतु मूल-प्रवृत्तियों के आधार पर मानव-व्यवहार की व्याख्या करना भ्रामक है, क्योंकि मानव प्राणी जन्म के समय कोई पूर्ण सहज प्रवृत्ति नहीं रखता, परंतु कुछेक तत्त्व, यथा सहजक्रियाएँ एवं अंत: प्रेरणाएँ रखता है।

अंत:प्रेरणा के आधार पर मानव:-व्यवहार की अधिक ठोस व्याख्या की जा सकती है। यदि मानव की आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं होती तो इसके अंदर एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है और तब तक बना रहता है, जब तक किसी अभिप्रेरणा (stimulus) द्वारा वह दूर नहीं हो जाता। इस प्रकार अंत:प्रेरणा व्यवहार के पीछे एक गतिशील शक्ति है, यह समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु को प्रदान करती है।

प्रत्येक व्यक्ति कुछ क्षमताएँ लेकर जन्म लेता है। एक व्यक्ति जो कुछ कर सकता है, उसकी कुछ सीमाएँ होती हैं; परंतु इस सीमा को लाँघा जा सकता है और सभ्यता के विकास द्वारा ऐसा किया जा

रहा है। मनुष्य के सीखने की क्षमता में प्रशिक्षण एवं अभिप्रेरणाओं की नयी विधियों द्वारा वृद्धि की जा सकती हैं। आजकल मानव इतना नहीं सीख पाता जितना वह अनुकूल परिस्थितियों में सीख सकता था, क्योंकि उसकी सीखने की क्षमता का अधिकतम सीमा तक प्रयोग नहीं किया जाता। सभी समाज मानव की शिक्षण-समर्थता को नष्ट करने के दोषी हैं।

आत्म का विकास (The development of self)–'आत्म' का विकास समाजीकरण का केंद्रबिंदु है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे स्वयं या दूसरों की कोई चेतना नहीं होती। उसमें व्यवहार की वे यंत्र-रचनाएँ होती हैं जो व्यक्ति को किसी समूह का अंग एवं सदस्य बनाती हैं। संक्षेप में, जन्म के समय उसे अपने तथा दूसरों के बीच संबंधों की कोई चेतना नहीं होती। इन संबंधों को बच्चा समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा सीखता है। यह उसके वैयक्तिक विकास एवं वृद्धि के लिए उसकी कार्य-क्षमताओं की पूर्ति है। यह प्राणिशास्त्रीय जीव को मानवीय बनाता है तथा उसमें 'आत्म' का विकास करता है जिससे उसमें पहचान करने की समझ तथा कुछ आदर्शों, मूल्यों एवं इच्छाओं का विकास हो जाता है। समाजीकरण वैयक्तिकता एवं चेतना के विकास की अनिवार्य शर्त है।

'आत्म' के विकास की व्याख्या से संबंधित तीन प्रमुख सिद्धांत हैं जो कूले (Cooley), मीड (Mead) एवं फ्रायड (Freud) ने प्रतिपादित किये हैं। इन सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

1. **कूले का सिद्धांत (Cooley's Theory)**–आत्म विकास संबंधी कूले के सिद्धांत को 'दर्पण सिद्धांत' (looking glass concept) कहा गया है। उसके अनुसार, मनुष्य 'स्व' के बारे में धारणा दूसरे व्यक्तियों की सहायता से बनाता है। मनुष्य उस समय तक अपने बारे में कोई धारणा नहीं बनाता जब तक वह दूसरों के संर्पक में नहीं आता तथा अपने बारे में उनकी धारणा को नहीं जान लेता। वह अपने 'स्व' की धारणा अपने बारे में अन्य लोगों की धारणा के आधार पर बनाता है। इस प्रकार जब हमारे मित्र हमको बुद्धिमान या सामान्य, लंबा या छोटा, मोटा या पतला कहते हैं तो हम उनकी ऐसी धारणा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं तथा अपने बारे में वही धारणा बना लेते हैं जो उन्होंने हमारे बारे में बनाई हैं दूसरे शब्दों में, जिस प्रकार दर्पण शारीरिक 'स्व' का बिंब है, उसी प्रकार दूसरों की धारणा हमारे सामाजिक 'स्व' का बिंब है। स्वयं के बारे में ज्ञान दूसरे व्यक्तियों की प्रतिक्रिया में प्राप्त होता है। दूसरे व्यक्ति हमारा सामाजिक दर्पण हैं जिसके माध्यम से हम अपने बारे में धारणा बनाते हैं।

   दर्पण सिद्धांत के तीन मुख्य तत्व हैं–

   1. दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं?
   2. दूसरे लोगों ने जो धारणा मेरे बारे में बनायी है, उसके संदर्भ में मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ?
   3. मैं अपने बारे में सोचकर अपने को कैसा मानता हूँ।

   एक उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जा सकता है। कल्पना कीजिए कि जब कभी भी तुम कमरे में प्रवेश करते हो तो वहाँ बैठे हुए व्यक्ति, जो आपस में बात कर रहे हैं, उठकर बहाना बनाकर चले जाते हैं। ऐसा अनेक बार हुआ है। क्या यह तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित नहीं करेगा? अथवा जब कभी भी तुम बाहर जाते हो, व्यक्तियों का समूह तुम्हारे चारों ओर बन जाता है, लोगों द्वारा ऐसा मान तुम्हारी 'स्व' भावनाओं को किस प्रकार प्रभावित करेगा? इस प्रकार, हम स्वयं को अपने प्रति दूसरों की प्रतिक्रिया के माध्यम से जानते हैं। यह आत्मज्ञान पहले हमें माता-पिता से प्राप्त होता है जो बाद में अन्य व्यक्तियों की प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप बदल जाता है। यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि सभी दूसरे व्यक्तियों की हमारे बारे में प्रतिक्रिया समान नहीं होती अथवा हम उनकी प्रतिक्रियाओं का गलत मूल्यांकन कर सकते हैं। अहं को बढ़ाने वाली उनकी अभ्युक्ति केवल मात्र चमचागिरी हो सकती है। इस प्रकार दर्पण के माध्यम से आत्म के बारे में बनायी गई धारणा से बिल्कुल भिन्न हो सकती है जो दूसरों ने वास्तविक रूप से हमारे बारे में बनाई है। दूसरे व्यक्तियों को किसी के बारे

नोट

में क्या वास्तविक विचार हैं तथा वे उसे कैसा चित्रित करते हैं, इस विषय पर व्यक्ति की धारणा में काफी भिन्नता हो सकती है। 'आत्म' का विकास सामाजिक अनुभव का विषय है और यह सामाजिक अंत:क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है।

2. **मीड का सिद्धांत (Mead's Theory)**–मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। उसके अनुसार, बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक संपर्क (communicative contact) होता है, तब 'आत्म' का विकास होता है। नवजात शिशु की भोजन और वस्त्र संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं। माता इन आवश्यकताओं की पूर्ती करती है जिससे बच्चा उसके ऊपर निर्भर हो जाता है और वह भावनात्मक स्तर पर माता के साथ स्वयं का तादात्म्यीकरण कर लेता है। परंतु कालांतर में बच्चा स्वयं को माता से अलग समझने लगता है जिससे वह स्वयं को तथा माता को एक नयी सामाजिक व्यवस्था, दो व्यक्ति, दो भूमिक-व्यवस्था में समाकलित करता है। इस व्यवस्था में माता की भूमिका श्रेष्ठ तथा बच्चे की अधीनस्थ होती है। तदुपरांत बच्चा इसी प्रक्रिया को पिता के लिए दोहराता है। वह पिता को माता से भिन्न मानता है तथा उसका सामाजिक व्यवस्था में समाकलन करता है। इस प्रकार, बच्चे के लिए अन्य 'महत्त्वपूर्णों' (significance) की संख्या बढ़ती जाती है और वह इन 'अन्यों' की भूमिका को अंतरीकृत करता है। वह स्वयं को 'अन्यों' की भूमिका में ढालता है और तब अपने ही शब्दों और कार्यों का इस प्रकार उत्तर देता है जैसा कि 'अन्य' देंगे। इस प्रकार आत्म का विकास होता है। 'आत्म' का एक अनिवार्य तत्व इसका परावर्तनीय (reflexive) रूप है। इससे मीड का अभिप्राय है कि 'आत्म' स्वयं में कर्ता भी हो सकता है और कर्म भी। वह स्वयं अपने बारे मे विचार कर सकता है, अथवा जैसा कि अक्सर हम कहते हैं, वह स्वयं के प्रति चेतनाशील हो सकता है। आत्मचेतना या आत्मवाद की सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई व्यक्ति अपने से बाहर निकल कर अपने चित्र का विषय स्वयं किस प्रकार बन सकता है? वह ऐसा केवल दूसरों के माध्य से कर सकता है, अर्थात् थोड़ी देर के लिए अपने को दूसरों के रूप में मानकर वह अपनी ओर देखे, मानो वह दूसरों की आँखों से अपने को देख रहा है। इस प्रकार वह कल्पना करना सीखता है कि वह दूसरों को कैसा दिखाई पड़ता है; दूसरे व्यक्ति उसकी आकृति के बारे में क्या सोचते हैं और इस प्रकार वह यह भी सीख जाता है कि दूसरों के निर्णय के प्रति अपनी कल्पना के अनुसार वह किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा। इस प्रकार अपने प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को अपनाकर स्वयं को कर्ता एवं कर्म की स्थिति में रखता है।

परंतु स्वयं के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण को अपना लेना व्यक्ति के लिए काफी नहीं है। वह अपने प्रति उनके दृष्टिकोण की खोज करता है। ऐसा उसके लिए आवश्यक है, अन्यथा वह न तो अपने व्यवहार को नियंत्रित कर सकेगा और न इसके बारे में कोई पूर्वकथन। शिशु छोटी आयु में ही यह सीख जाता है कि अपने भागय को वश में करने की एक महत्त्वपूर्ण विधि यह है कि अपने प्रति दूसरों की भावनाओं को प्रभावित किया जाए।

दूसरों के दृष्टिकोणों का ज्ञान प्रतीकात्मक संचार की यंत्र विधि द्वारा ही हो सकता है, अत: वह भाषा सीखता है। जब वह दूसरों के दृष्टिकोण को अपने दृष्टिकोण के रूप में अपना लेता है तो वह निर्णय कर सकता है कि दूसरों की प्रतिक्रिया वैसी होगी जैसी अपने द्वारा उच्चारित शब्दों के प्रति उसकी अपनी प्रतिक्रिया थी। इस प्रकार व्यक्ति स्वयं से ही प्रश्नोत्तर करता रहता है। बच्चे की 'स्वयं' के बारे में चेतना ही 'आत्म' का निर्माण करती है वह दूसरों की भूमिका निभाने लगता है। उदाहरणार्थ, बच्चा गुड़िया को बाथरूम में नहाने के लिए ले जाता है, क्योंकि गुड़िया का तादात्म्य उसने शायद अपनी माँ अथवा बहन से कर लिया है। **मीड** के अनुसार, "इस प्रकार की सभी क्रियाओं के दौरान 'बच्चा' अपने बारे में एक विशेष धारणा बना लेता है। यह धारणा उस बच्चे के प्रति दूसरे लोग अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के विचारों से प्रभावित होती है। हमारे स्वयं के 'आत्म' तथा दूसरों के 'आत्म' के बीच

नोट

कोई स्पष्ट रेखा नहीं खींची जा सकती, क्योंकि हमारा 'आत्म' हमारे अनुभव में उसी प्रकार कार्य करता है जैसा दूसरों के आत्म भी हमारे अनुभव में कार्य करता है।" "आत्म कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो पहले अस्तित्व में आती है और फिर दूसरों से संबंध स्थापित करती है। यह सामाजिक अंत:क्रिया से विकसित होने वाली वस्तु है जो नयी परिस्थितियों एवं संघर्षों का जन्म होने पर स्वयं को निरंतर समायोजित करती रहती है। यह सामाजिक व्यवस्था की पूर्वस्थिति की कल्पना करती है, तदपि यह ऐसा पोत है जिसमें एवं जिसके द्वारा व्यवस्था गतिमान रहती है।"

3. **फ्रायड का सिद्धांत (Freud's Theory)**—कूले तथा मीड के सिद्धांतों में 'आत्म' एवं 'समाज' के बीच मूल्य-संगति की कल्पना की गयी है। कूले के अनुसार, व्यक्ति तथा समाज अलग-अलग घटना-वस्तुएँ नहीं हैं, परंतु केवल एक ही वस्तु के सामूहिक एवं वितरणात्मक पहलू हैं। फ्रायड, मनोविश्लेषण का पिता, आत्म तथा समाज की इस अवधारणा से सहमत नहीं है। उसके अनुसार, आत्म एवं समाज समरूप नहीं हैं। उसने समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या 'इड' (Id), 'अहम्' (Ego), तथा 'पराहम्' (super-ego), जो मन की तीन व्यवस्थाएँ हैं, की अवधारणाओं के माध्यम से की हैं। 'इड' व्यक्ति की मूल प्रेरणाओं से संबंधित है। हमारी सभी इच्छाएँ 'इड' द्वारा प्रेरित होती है। 'अहम्' वास्तविकता है, अर्थात् समाज ने व्यक्ति की इच्छा-पूर्ति के लिए क्या नियम आदि बना रखे हैं—इसका ज्ञान हमें 'अहम्' देता है। 'पराहम्' व्यक्ति की वह चेतना अथवा अंतरात्मा है जो निश्चय करती है कि व्यक्ति को अमुक कार्य करना चाहिए अथवा नहीं। 'इड' तथा 'अहम्' में बहुधा संघर्ष रहता है। 'इड' को सामान्यतया दबाया जाता है, परंतु कभी-कभी यह 'पराहम्' का खुला विरोध करके फूट पड़ता है। कभी-कभी इसकी अभिव्यक्ति छद्मवेष में होती है। उदाहरणतया, जब पिता अपने क्रोध को दूर करने के लिए बच्चे को पीटता है। ऐसी अवस्था में 'अहम्' की तुलना अपने कार्य के आधार का ज्ञान नहीं होता। फ्रायड ने 'इड' की तुलना घोड़े तथा 'अहम्' की तुलना घुड़सवार से की है। उसका कथन है कि 'अहम्' का कार्य घुड़सवार जैसा है, अर्थात् घोड़े, जो 'इड' हैं, का मार्गदर्शन करना। परंतु कभी-कभी घुड़सवार की भाँति 'अहम्' घोड़े अर्थात् 'इड' को अपनी इच्छानुसार मार्गदर्शित करने में असफल हो जाता है जिससे उसे विवशतया 'इड' को उसी दिशा अथवा मामूली भिन्न दिशा की ओर जाने देना पड़ता है जिस ओर वह जाने के दृढ़प्रतिज्ञ है।" 'इड' एवं 'अहम्' के संघर्ष में मनोविक्षिप्त का जन्म होता है। फ्रायड का निष्कर्ष है कि 'इड', 'अहम्' एवम् 'पराहम्' के अंत:द्वंद्व की प्रक्रिया में ही व्यक्ति का समाजीकरण होता है।

5.5 समाजीकरण के अभिकरण (Agencies of Socialization)

समाजीकरण की प्रक्रिया केवल बचपन में ही नहीं, अपितु जीवन-पर्यन्त क्रियाशील रहती है। यह जन्म से आरंभ होकर व्यक्ति की मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। यह अविराम प्रक्रिया है। कुछ समय पूर्व 'समाजीकरण' शब्द वयस्कों द्वारा सीखे गये अनुभवों के लिए प्रयुक्त नहीं होता था; इसे केवल बच्चों द्वारा सीखे गये अनुभवों के लिए सीमित रखा गया। परंतु हाल में, समाजीकरण की अवधारणा को विस्तृत किया गये है जिससे वयस्क आचरण को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है। अब इसे "एक अंत:क्रियात्मक प्रक्रिया समझा जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का व्यवहार उसके समूहों, जिनका वह सदस्य है, के सदस्यों की प्रत्याशाओं के अनुरूप ढाला जाता है।" विचारकों ने इस प्रक्रिया की व्याख्या केवल बच्चों के संदर्भ में इसलिए की है, क्योंकि उसमें ऐसे जटिल तत्व का अभाव होता है जो उस समय उत्पन्न हो जाते हैं जब व्यक्ति 'आत्म' तथा दूसरों के बारे में चेतन हो जाता है। जब व्यक्ति पुस्तकें पढ़ना और कहानियाँ सुनना आरंभ कर देता है तथा एक आदर्श समाज की कल्पना करने योग्य हो जाता है, तो उस समय वस्तुनिष्ठ तत्वों को वस्तुपरक तथ्यों से पृथक् करना तथा बच्चे के समाजीकरण में उनमें क्रमश: योगदान का मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है।

नोट

चूँकि, समाजीकरण समाज के लिए एक महत्त्वपूर्ण विषय है, अतएव यह वांछनीय ही है कि बच्चे का समाजीकरण केवल आकस्मिक घटना पर न छोड़ा जाए, बल्कि संस्थागत माध्यमों द्वारा नियंत्रित होना चाहिए। बच्चा क्या बनने जा रहा है, यह अधिक महत्त्वपूर्ण बात है अपेक्षतया इसके कि वह क्या है। समाजीकरण के द्वारा ही बच्चा समाज का उपयोगी सदस्य बनता है और सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करता है। अतएव यह जानना परमावश्यक है कि बच्चे का समाजीकरण कौन करता है?

बच्चे के समाजीकरण के दो मुख्य स्रोत हैं। प्रथम, वे लोग हैं जो बच्चे के ऊपर सत्ता रखते हैं; दूसरे वे लोग हैं जिनकी सत्ता उसके समान है। प्रथम श्रेणी में माता-पिता, शिक्षक, वृद्धजन एवं राज्य आते हैं। दूसरी श्रेणी में क्रीड़ा-संगी, मित्र एवं क्लब के साथी सम्मिलित हैं। उसके प्रशिक्षण का महत्त्व एवं इसकी अंत:-वस्तु इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके समाजीकरण का स्रोत क्या है। पहली श्रेणी के संबंध बाध्यता के, जबकि दूसरी श्रेणी के संबंध सहयोग के तत्व पर आधारित हैं। बाध्यता के संबंध का आधार सत्ताधारी व्यक्तियों के प्रति एकपक्षीय आदर है, जबकि सहयोग का संबंध समान व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। पहली श्रेणी के अंतर्गत आचरण के नियमों को श्रेष्ठ, निरंकुश एवं बाह्य समझा जाता है, परंतु दूसरी श्रेणी के नियमों की स्वयमेव कोई श्रेष्ठता अथवा पूर्णता नहीं होती, वे केवल सहयोग के क्रियात्मक नियम होते हैं। बच्चे पर सत्ता रखने वाले व्यक्ति सामान्यतया आयु में बड़े होते हैं, जबकि उसके साथ समता रखने वाले उसकी ही आयु के होते हैं।

सत्तायुक्त विधियों द्वारा ही समाजीकरण क्यों हो, इसके कई कारण हैं, संस्कृति में प्रत्याशित व्यवहार के प्रतिमान सहज नहीं होते, कभी-कभी ये प्राणिशास्त्रीय प्रवृत्ति के विपरीत होते हैं। अतएव यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को बच्चे के समाजीकरण का दायित्व सौंपा गया है, उन्हें आदेश देने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा अधिकार केवल आयु में बड़े व्यक्तियों को ही दिया जा सकता है, क्योंकि जब समाजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तब शिशु से छोटा कोई अन्य नहीं होता और बराबर आयु वालों के साथ सहयोग करने की समर्थता उसमें नहीं होती। इसलिए माता-पिता पहले व्यक्ति होते हैं जो बच्चे का समाजीकरण करते हैं। वे केवल परिवार-व्यवस्था में ही उससे घनिष्ठ संबंधित नहीं होते, अपितु प्राकृतिक रूप से भी अन्यों की अपेक्षा उसके निकट होते हैं। माता, पिता से पहले, समाजीकरण की प्रक्रिया को आरंभ करती है। उससे ही बच्चे को प्रथमतया सामाजिक अभिप्रेरणा मिलती है। वह इन अभिप्रेरणाओं की नकल करता है। माता-पिता तथा बच्चे के बीच आयु एवं अनुभव का व्यापक अंतर होने के कारण वह उनके द्वारा संचारित सभी बातों के तर्क एवं स्वरूप को समझने में असमर्थ होता है। यदि बच्चा नियमों का पालन नहीं करता तो उसे बाध्य किया जाता है, क्योंकि सामाजिक दृष्टिकोण से अनिवार्य बात यह नहीं है कि बच्चे को अपने व्यक्तित्व के कटीकरण के लिए वर्जन (toboo) से मुक्त किया जाए, बल्कि अनिवार्य यह है कि उसे जनरीतियों एवं रुढ़ियों का पालन करना सिखाया जाए तथा उसे बचपन की मूर्खताओं से सुरक्षित रखा जाए। अतएव बच्चा उनसे पहले जो कुछ ग्रहण करता है, वह अधिकांशतया बंधन की रीतिकता है। समाज किसी प्रकार का जोखिम उठाये बिना अपनी संस्कृति के मूल्यवान् तत्व बच्चे को संचारित कर देता है। इस प्रकार सामाजिक नैतिकता विवेकशील समझ का विषय न होकर संवेदनशील दायित्व का विषय है।

बच्चा कुछ बातें, जो वह सत्ताधारी व्यक्तियों से नहीं सीख सकता, अपने हमजोलियों से सीखता है। उनसे वह सहकारी नैतिकता तथा संस्कृति की कुछ अनौपचारिक बातें तथा मामूली जनरीतियाँ, शौक, सनकें, परितुष्टि की गुप्त विधियाँ और निषिद्ध ज्ञान सीखता है। सामाजिक दृष्टिकोण से इन बातों की जानकारी आवश्यक है। उदाहरण के लिए, हमारे समाज में लैंगिक संबंधों का ज्ञान नवयुवक के लिए अवांछित समझा जाता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। यदि ऐसे ज्ञान को विवाह तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए तो यौन जीवन के बहुत से कार्यो की पूर्ति विवाह के बाद कठिन हो जाएगी। अतएव यौन ज्ञान को पूर्णतया बहिष्कृत नहीं किया गया, यद्यपि औपचारिक रूप से इसे आवांछनीय समझा जाता है। यह ज्ञान बच्चा अपने हमजोलियों से प्राप्त करता है, यद्यपि बच्चा अपने समान आयु वाले बच्चे से इतना ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तथापि "जहाँ तक बच्चा समान आयु वाले समूह से सहकारी प्रयत्नों के अंग-स्वरूप नियमों को समझना सीखता है, जहाँ तक वह सत्ताधारी व्यक्तियों के संरक्षण या पराश्रय की हीनता के बिना अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है, उस सीमा तक वह कुछ मूल्यवान बातें सीखता है जो सत्तायुक्त संबंध-व्यवस्था में सीखना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है।"

इस प्रकार, सत्तायुक्त एवं समतायुक्त दोनों प्रकार के संबंध बच्चे के समाजीकरण में योगदान करते हैं। ऐसी बातें जिनके संचार में अनुशासन एवं दायित्व निहित होते हैं, सत्तायुक्त संबंधियों को जबकि अन्य बातें समतायुक्त संबंधियों को सुपुर्द की जाती हैं।

समाजीकरण की प्रमुख एज़ेन्सियाँ संक्षिप्त रूप में निम्नलिखित हैं–

(*i*) **परिवार (Family)**–परिवार प्राथमिक और सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है जो बच्चे के समाजीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। माता-पिता का बच्चे के साथ न केवल घनिष्ठ संबंध होता है, अपितु वे दूसरों की अपेक्षा अधिक उसके निकट भी होते हैं। बच्चा, माता-पिता से अपनी भाषा एवं बोली सीखता है। उसे सामाजिक नैतिकता सिखाई जाती है। वह सत्ताधारी मनुष्यों के प्रति आदर-भावना सीखता है। परिवार में वह अनेक नागरिक गुणों को भी सीखता है। परिवार को ठीक ही नागरिक गुणों की पाठशाला कहा गया है। बच्चा सहयोग, सहकारिता, सहिष्णुता, आत्म-बलिदान, स्नेह आदि के प्रथम पाठ परिवार में ही सीखता है। पारिवारिक वातावरण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि व्यक्ति जो कुछ है, वह परिवार के कारण है। बुरे परिवार में बच्चा बुरी आदतें सीखता है जबकि अच्छे परिवार में वह अच्छी बातें सीखता है। बाल-अपराध का एक कारण बुरा पारिवारिक वातावरण होता है। जीवन-साथी का चयन करते समय माता-पिता लड़के-लड़की के परिवार के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं, ताकि उससे उन्हें अच्छी या बुरी बातों का पता लग सके। माता-पिता तथा बच्चे के बीच संबंध बाध्यता का संबंध हैं माता-पिता आयु में बड़े होने के कारण उसे आज्ञापालन का आदेश देने का अधिकार रखते हैं। यदि बच्चा उनके आदेश का पालन नहीं करता तो उसे दण्ड दिया जाता है। माता-पिता में से माता का स्थान समाजीकरण की प्रक्रिया में पिता से पूर्व आता है। परिवार जीवन-पर्यन्त व्यक्तित्व को प्रभावित करता रहता है। समाज में परिवार के महत्त्व के ऊपर काफी साहित्य प्राप्त है।

(*ii*) **शिक्षण-संस्थाएँ (Educational institutions)**–समाजीकरण का अगला अभिकरण स्कूल है। स्कूल में बच्चा शिक्षा प्राप्त करता है जो उसके विचारों एवं दृष्टिकोणों को प्रभावित करती है। अच्छी शिक्षा को अच्छा नागरिक बना सकती है, जबकि बुरी शिक्षा उसे अपराधी बना सकती है। शिक्षा का समाजीकरण में महत्त्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा की सुनियोजित प्रणाली समाजीकृत व्यक्तियों को जन्म दे सकती है।

(*iii*) **क्रीड़ा-साथी अथवा मित्र (Playmates and friends)**–क्रीड़ा-साथी एवं मित्र भी समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण हैं। बच्चे तथा उसके क्रीड़ा-साथी के बीच समानता का संबंध होता है। यह सहयोग एवं पारस्परिक सद्भावना पर आधारित है। उनकी आयु लगभग समान होती है। बच्चा अपने साथियों एवं मित्रों से वह सब कुछ ग्रहण करता है जो वह माता-पिता से ग्रहण नहीं कर सकता। उनसे वह सहकारी नैतिकता तथा संस्कृति की कुछ अनौपचारिक बातें यथा फैशन, सनकें, कामतुष्टि के ढंग एवं निषिद्ध ज्ञान सीखता है। इस प्रकार का ज्ञान सामाजिक दृष्टिकोण से आवश्यक है। उदाहरणतया लैंगिक ज्ञान हमारे समाज में विवाह से पूर्व निषिद्ध माना जाता है। यदि ज्ञान पूर्णतया बंद कर दिया जाए तो लैंगिक जीवन के अनेक कार्य विवाह के बाद पूरे करना कठिन हो जायेगा। बच्चा इस ज्ञान को अपने साथियों एवं मित्रों से प्राप्त करता है।

(*iv*) **चर्च (Church)**–चर्च से तात्पर्य धार्मिक संस्थाओं से है। प्रारंभिक समाज में धर्म ने एकता के बंधन का महत्त्वपूर्ण कार्य किया था। यद्यपि आधुनिक समाज में धर्म का महत्त्व कम हो गया है, तथापि यह हमारे विश्वासों एवं जीवन के ढंगों को प्रभावित करता है। प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ धार्मिक क्रियाएँ किसी न किसी अवसर पर होती हैं। बच्चा अपने माता-पिता को मंदिर जाते तथा धार्मिक संस्कार करते देखता है। वह धार्मिक प्रवचनों को सुनता है जो उसके जीवन की दिशा को निर्धारित तथा उसके विचारों को प्रभावित कर सकते हैं।

(*v*) **राज्य (State)**—राज्य एक सत्तायुक्त एजेन्सी है। यह लोगों के लिए कानूनों का निर्माण करती है तथा उनसे अपेक्षित आचरण के नियमों को निर्धारित करती है। लोगों को इन कानूनों का अवश्यमेव पालन करना पड़ता है। यदि उनका आचरण राज्य के कानूनों के अनुरूप नहीं होता तो उन्हें दण्ड दिया जाता है। इस प्रकार, राज्य भी हमारे व्यवहार को ढालता है।

उपर्युक्त एजेन्सियों के अतिरिक्त, आर्थिक संस्थाएँ, सांस्कृतिक संस्थाएँ, विवाह, पड़ोस तथा नातेदारी समूह भी समाजीकरण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं यह भी ध्यान में रखा जाए कि इन एजेंसियों को सुदक्ष ढंग से कार्य करना चाहिए, ताकि समाजीकृत प्राणियों का निर्माण हो सके। समाज में बढ़ते हुये अपराध का एक प्रमुख कारण सामाजिक अभिकरणों की बच्चे के उचित एवं यथेष्ठ रूप से समाजीकरण में असफलता है। आधुनिक परिवार संकट का सामना कर रहा है, इसमें माता-पिता कुसमंजन में त्रस्त हैं जो समाजीकरण की प्रक्रिया को कुप्रभावित करता है। शिक्षा व्यवस्था दोषपूर्ण है। विद्यालय शिक्षा के मंदिर नहीं रह गये हैं, अपितु यह ऐसे स्थान बन गये हैं जहाँ युवक-युवतियाँ नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं एवं अनुचित साधनों से सफलता पाना चाहते हैं। सांस्कृतिक विरासत के यह अब केंद्र नहीं हैं। नगरीकरण की द्रुतगति से पड़ोसीपन समाप्त हो गया है, क्रीड़ास्थलों का ह्रास हो गया है, बच्चों के क्रीड़ा साथी नहीं रहे हैं, वह अब इलेक्ट्रोनिक खेल घर में बैठकर खेलते हैं, पड़ोस में जाकर बच्चों के साथ नहीं खेलते। इसी प्रकार धर्म का भी नगरीय समाज में पतन हुआ है तथा राज्य सत्ता का भी अब पालन कम होता है, उल्लंघन अधिक। आधुनिक समाज को समाजीकरण की अनेक समस्याओं को हल करना है। तदर्थ इन सभी अभिकरणों को अधिक क्रियाशील एवं प्रभावशाली बनाना होगा।

5.6 समाजीकरण के तत्त्व (Elements of Socialization)

ऊपर हमने समाजीकरण की प्रक्रिया, जैसे यह समाज में कार्य करती है, का वर्णन किया है। समाजीकरण में सबसे पहली प्रेरणा बच्चे को माँ से मिलती है। परंतु जैसे ही उसके संबंध विस्तृत होते हैं; पिता, भाई और बहनें, साथी, अध्यापक और पुलिस का सिपाही आदि दूसरे व्यक्ति उसके व्यवहार को ढालना आरंभ कर देते हैं।

व्यक्ति की समाजीकरण-प्रक्रिया में तीन तत्व कार्य करते हैं। ये हैं–

1. व्यक्ति की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक बपौती,
2. पर्यावरण जिसमें उसका जन्म हुआ है तथा
3. संस्कृति जिसमें वह इन तत्त्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण रहता है।

क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है जो व्यक्ति के निर्माण तथा समाज में उसकी स्थिति को काफी हद तक निर्धारित करती है। आइए, इस प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करें।

बच्चा अपने परिवार के पर्यावरण में कुछ जन्मजात शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं को लेकर जन्म लेता है। अपनी क्षमताओं के अनुसार वह परिवार की संस्कृति को ग्रहण करता है। यदि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताएँ उत्तम नहीं होती तो वह अपने पर्यावरण से लाभ नहीं उठा सकता। इसके विपरीत, यदि उसके परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है, तो अपनी शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के बावजूद भी वह अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। मानव-व्यक्तित्व के विकास में पर्यावरणीय प्रेरणा की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। अच्छा स्कूल, सामाजिक समानता, राजनीतिक स्वतंत्रता, संक्षेप में अच्छा वातावरण बहुत कुछ सीमा तक इस बात का निर्धारण करता है कि बच्चे पर सामाजिक या आत्मकेंद्रित शक्तियों में किसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि व्यक्ति समाज में वैसा व्यवहार करता है, जैसा वह परिवार में ढल जाता है। **हैली एवं ब्रोनर** (Healy and Bronner) ने बतलाया है कि बाल-अपराधी अधिकांशत: उन परिवारों से होते हैं जो किसी समय सामाजिक संबंधों की पूर्ति में किसी बाधा के शिकार रहे हैं। वेश्या-वृत्ति की समस्या माता-पिता, बच्चे, के संबंध की समस्या कही जाती है। जिस प्रकार मरुस्थल में पुष्प अपनी सुगंध को प्रकट नहीं कर सकता और अनेदखा मुरझा जाता है, उसी प्रकार यदि उपयुक्त वातावरण न मिले तो मनुष्य अपनी प्रतिभा को चमका नहीं सकता। परंतु जैसे हमने ऊपर बतलाया है,

केवल उपयुक्त वातावरण ही व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता, यदि मनुष्य में उचित मानसिक एवं शारीरिक क्षमताएँ न हों।

पर्यावरण पर समूह का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है। मनुष्य समूह में रहता है, अत: उसे अपने समूह के रीति-रिवाजों, विश्वासों तथा आदर्शों का पालन करना पड़ता है। सामाजिक प्रकृति का विकास समूह में एवं उसके माध्यम से होता है। **डब्लू० आई० थामस (W.I. Thomas)** ने परिस्थिति की परिभाषा (definition of the situation) शब्दावली की रचना की जिससे उसका अभिप्राय था कि बच्चा जिस स्थिति में स्वयं को पाता है, उस स्थिति का निर्धारण उसके लिए पूर्व ही हो चुका होता है तथा उसे जिन नियमों के अनुसार आचरण करना है, उसका निर्धारण भी उस समूह के द्वारा जिसमें उसका जन्म होता है, किया जाता है। बच्चे को समूह द्वारा निर्धारित नियमों के प्रतिकूल अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की बहुत कम छूट होती है। उसकी इच्छाओं एवं क्रियाओं में बाधा पड़नी आरंभ हो जाती है और धीरे-धीरे पारिवारिक परिभाषाओं, स्कूल के क्रीड़ा-साथियों, पठन, औपचारिक शिक्षण एवं स्वीकृति तथा अस्वीकृत के अनौपचारिक चिह्नों द्वारा वयस्कता की ओर बढ़ते हुए सदस्य समाज की नियमावली को सीख लेते हैं। इस प्रकार, समूह के प्रभाव भी मानव-व्यक्तित्व के विकास को निर्धारित करते हैं। अत: उपर्युक्त तीन तत्त्वों की अंत:क्रियाओं के फलस्वरूप मानव-प्राणी सामाजिक प्राणी बनता है।

समाजीकरण की प्रक्रिया की व्याख्या करते समय कुछ समाजशास्त्रियों ने चौथे तत्व—व्यक्ति के अनुभव का भी वर्णन किया है। कभी-कभी यह देखा गया है कि उपयुक्त वातावरण के होते हुए भी मनुष्य अपनी मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाता, क्योंकि अपने निजी अनुभव के कारण वह उस वातावरण से अलग रहता है। यदि किसी बच्चे को पढ़ने के लिए बाध्य किया जाय, तो वह पढ़ाई को शारीरिक दण्ड के साथ संबद्ध समझने लगता है और भगोड़ा बन जाता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य में परिपक्वता बढ़ती जाती है, वह एक के बाद दूसरे कठोर अनुभव प्राप्त करता जाता है। कभी-कभी उसकी बहुप्रिय वस्तु भी उससे छिन जाती है जिस कारण वह दूसरों के कल्याण में अधिक रुचि लेने लगता है। कभी-कभी दु:ख भी मनुष्य का समाजीकरण कर देता है।

5.7 समाजीकरण के महत्त्व (Role of Socialization)

मानव-व्यवहार एवं मानव-मनोवृत्ति के विकास में समाजीकरण का महत्त्व 'अन्ना' (Anna) तथा 'इजाबेला' (Isabela) के दो उदाहरणों से दिखाया जा सकता है। एक अवैध बच्ची अन्ना को ऊपर के कमरे में अकेला बंद रखा गया। जब लगभग छह वर्ष की आयु में उसे कमरे से निकाला गया, अन्ना न ही बोल सकती थी, न ही चल-फिर सकती थी और न वह कोई ऐसा कार्य कर सकती थी जिससे उसकी बुद्धि का पता लगे। वह भावनाशून्य और प्रत्येक वस्तु के प्रति विरक्त थी। वह अपनी ओर से कोई कार्य नहीं कर सकती थी। इससे स्पष्ट है कि समाजीकरण के अभाव में केवल शारीरिक या प्राणिशास्त्रीय साधन पूर्ण व्यक्तित्व के विकास में योग नहीं दे सकते। संवहनात्मक संपर्क समाजीकरण का केंद्रबिंदु हैं।

इजाबेला साढ़े छह वर्ष की आयु में मिली थी। अन्ना के समान वह भी एक अवैध संतान थी और इसी कारण एकांत में रखी गयी थी। जब वह मिली तो उसे किसी भी प्रकार के संबंधों का ज्ञान नहीं था। किसी भी नवागन्तुक के प्रति उसका व्यवहार जंगली जानवर जैसा था। जब उसके प्रशिक्षण की एक व्यवस्थित और क्षमतापूर्ण योजना बनाई गयी तो प्रारंभ में तो वह कार्य निराशाजनक लगा, लेकिन धीरे-धीरे आशाजनक फल मिलने लगे। साढ़े आठ वर्ष की आयु तक वह एक सामान्य स्तर पर पहुँच गई।

इजाबेला के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि छह वर्ष की आयु तक की पृथकता जिसमें किसी प्रकार की वाणी को प्राप्त नहीं किया गया, इसके बाद में प्राप्ति का निषेध नहीं करती। किंतु यह कहना बहुत कठिन है कि किस आयु तक समाज से बिल्कुल पृथक् रहने पर भी मनुष्य समाज की संस्कृति सीखने योग्य रह जाता है। इतना तो निश्चय प्रतीत होता है कि पन्द्रह वर्ष की पृथकता के बाद ऐसा संभव नहीं होगा, संभवत: दस वर्ष की आयु तक पृथक् रहने पर भी ऐसा ही हो। हाँ, ये दोनों उदाहरण अनोखे रूप से व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण के महत्त्व को स्पष्ट करते हैं। इनके माध्यम से मानव-व्यक्तित्व के विकास में दो कारकों को "मूर्त रूप से विभक्त करके देखा जाना संभव है, जो अन्यथा विश्लेषण

द्वारा पृथक् ही किये जाते हैं। यह कारण जीव-जननिक (bio-genic) तथा समाज-जनानिक (Socio-genic) है।" संक्षेप में, व्यक्तित्व के विकास में समाजीकरण का महत्त्वपूर्ण भाग है।

5.8 प्रौढ़ों का समाजीकरण (Socialization of Adults)

नोट

अभी तक हम बच्चों के समाजीकरण की चर्चा कर रहे थे, परंतु जैसा पूर्व में ही कहा जा चुका है, समाजीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह किसी आयु-विशेष पर समाप्त नहीं हो जाती है, परंतु जीवन-पर्यन्त चलती रहती है। प्रौढ़ों का समाजीकरण बच्चों के समाजीकरण से सरल है; प्रथमतया इसलिए कि प्रौढ़ साधारणतया अपने तथा पूर्वपरिलक्षित लक्ष्य की ओर कार्य करने को प्रेरित होता है; दूसरे, इसलिए कि जिस भूमिका को वह अंतरीकृत करने का प्रयत्न कर रहा है, वह उसके व्यक्तित्व में पूर्वविद्यमान भूमिकाओं से काफी समानताएँ रखती हैं; तीसरे, इसलिए कि समाजीकरण का अभिकर्ता भाषण के द्वारा उससे क्षमता से बातचीत कर सकता है।

हाँ, प्रौढ़ों का समाजीकरण एक लंबी एवं कठिन प्रक्रिया हो सकती है। ऐसा विशेषतया तब होता है जब सीखी जाने वाली भूमिकाएँ कठिन हों तथा भूमिका के दायित्व कठोर हों। उसके अतिरिक्त, प्रौढ़ों, में उनके आदर्श एवं दृष्टिकोण पहले ही घर कर चुके होते हैं, अतएव जब रखे जाने वाले आदर्श एवं दृष्टिकोण व्यक्तित्व में पूर्व निहित आदर्शों के विपरीत होते हैं तो प्रौढ़ों के समाजीकरण की प्रक्रिया कठिन हो जाती है।

समाज में समाजीकृत वृत्तियों के महत्त्व को कम नहीं किया जा सकता। समाजीकृत दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति कभी भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जो समाज के लिए हानिकारक थे। वह ऐसा कोई व्यापार-कार्य भी नहीं करेगा जो सामाजिक हित की दृष्टि से अनुत्पादक हो अथवा जो अस्वस्थ प्रतियोगिता पर आध ारित हो। समाजीकृत नागरिक सामाजिक कल्याण को अपने व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा अधिक स्थान देगा। वह मानवीय मूल्यों को सर्वोपरि स्थान देगा। समाजीकरण सामाजिक दूरी को कम करके निकटता की वृद्धि करता है। आधुनिक समाज को अभी बचपन एवं यौवन के सभी स्तरों पर समाजीकरण की समस्यओं को हल करना है। यह कहना कठिन है कि कोई भी समाज व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण लाभ उठाता है।

समाजीकरण में सुधार मानव-प्रकृति एवं मानव-समाज के भावी परिवर्तन के लिए सबसे बड़ी संभावना प्रदान करता है।

5.9 वैयक्तीकरण (Individualization)

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व वैयक्तीकरण तथा इसकी क्रिया प्रणाली की व्याख्या करना उचित होगा। वैयक्तीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य को उसके समूह से न्यूनाधिक स्वतंत्र बना देती है तथा उसमें स्वयं की आत्म-चेतना का विकास हो जाता है। **मैकाइवर (Maclver)**–के अनुसार "वैयक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य अधिक स्वायत्त अथवा आत्म-निर्णयकारी हो जाते हैं जिसमें वे केवल अनुकरणीयता या बाह्य अनुशस्ति लिए मानकों की स्वीकृति से आगे बढ़ जाते हैं जिसमें वे परंपराओं एवं प्रथाओं द्वारा अपने जीवन के नियमन में कम बाधित होते हैं, विचार एवं मत के मामलों में सत्ता एवं आदेश के कम आधीन होते हैं तथा इस बात को मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक अलग प्राणी है जो अपने जीवन के लक्ष्यों की पूर्ति तभी कर सकता है जब वह स्वयं इनके बारे में चेतनायुक्त हो तथा ये स्वयं उसके द्वारा चाही गयी हो।" वैयक्तीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य स्वयं को जानने लगता है तथा आंतरिक दायित्व की भावना ग्रहण करता है। यह स्वयं को जान लेने की प्रक्रिया है।

जब व्यक्ति किसी कार्य को केवल इसलिए नहीं करता कि दूसरे भी उसे कर रहे हैं, अपितु इसलिये करता है क्योंकि उसकी अंतरात्मा उसे ऐसा करने की स्वीकृति देती है। वह अपने व्यक्तित्व के बल पर चलता है जो उसका एक गुण है। समाजीकरण मनुष्य का दूसरों के साथ संबंध स्थापित करता है, जबकि वैयक्तीकरण उसे स्वायत्त अथवा आत्मनिर्धारक बनाता है। वैयक्तीकरण की प्रक्रिया को समझने से पूर्व दो भ्रामक धारणाओं को दूर कर लेना श्रेयस्कर होगा। प्रथमतया, यह धारणा की वैयक्तीकरण स्वयं व्यक्ति द्वारा अकेले रूप में चालित प्रक्रिया है; दूसरी व्याख्या यह है कि वैयक्तीकरण पूर्वप्रचलित विचारों के

नोट

द्वारा फैलायी गयी मानसिक प्रक्रिया है। जब व्यक्ति आत्म की प्राप्ति कर लेता है, तो उसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति अपने समूह के प्रभाव से पूर्णतया मुक्त हो गया है। न केवल स्वयं व्यक्ति, अपितु समाज भी उसे दायित्व की आंतरिक भावना को प्राप्त करने तथा स्वयं को जानने में उसकी सहायता करता है। इस प्रकार, वैयक्तीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति एवं समाज दोनों के द्वारा चलाई जाती है। द्वितीय, समाजशास्त्री कार्य केवल यह नहीं है कि वह किसी समय प्रचलित विचारों को मालूम करे, अपितु उसे इस बात की भी खोज करनी होती है कि इन विचारों का जन्म कैसे हुआ। स्वयं विचार वैयक्तीकरण का विकास नहीं करते, वे तो वैयक्तीकरण की प्रक्रिया की केवल मात्र मानसिक अभिव्यक्तियाँ होते हैं।

5.10 वैयक्तीकरण के पक्ष (Aspects of Individualization)

मानहीम (Mannheim) ने वैयक्तीकरण को चार प्रमुख स्वरूपों में विभेदित किया है। ये हैं–

1. दूसरे लोगों से विभिन्न ढंग से सीखने की प्रक्रिया से वैयक्तीकरण,
2. आत्मसंबंधी क्रियाओं के नये रूपों के स्तर पर वैयक्तीकरण,
3. वस्तुओं के माध्यम से वैयक्तीकरण,
4. आत्म-गंभीरता के रूप में वैयक्तीकरण–जिसका अभिप्राय है आत्म-संबंधी अनुभवों को ग्रहण करना तथा वैयक्तीकरण की शक्तियों का अपने भीतर एवं इर्द-गिर्द उन्नयन करना। ये सब प्रक्रियाएँ नितांत भिन्न घटनाएँ हैं।

वैयक्तीकरण के पहले स्वरूप में दूसरे व्यक्तियों से भिन्न बनने की प्रक्रिया सम्मिलित है। व्यक्तियों के बाह्य विभेद नये समूहों की रचना करते हैं। आधुनिक औद्योगिक समाज की विशेषता, श्रम-विभाजन ने ऐसे समूहों के विकास को बढ़ावा दिया है। ये समूह आंतरिक संरचना एवं विनियमों की मात्रा एवं गंभीरता के अनुपात में अपने सदस्यों को न्यूनाधिक वैयक्तिकता की अनुमति दे देते हैं। इन दो तत्त्वों अर्थात् बाह्य विभेद एवं श्रम-विभाजन के अतिरिक्त तीसरा तत्त्व भी है जो प्रकारों के बाह्य भेद को जन्म देता है। यह है–संपर्कों का अभाव। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों से अलग रहते हैं, उनका व्यक्तित्व भिन्न प्रकार का होता है। प्रजातंत्रीकरण, स्वतंत्र प्रतियोगिता एवं सामाजिक गतिशीलता भी वैयक्तीकरण को, जो भिन्न बनने की प्रक्रिया है, आगे बढ़ाते हैं।

अपने विशिष्ट गुणों से परिचित होना तथा आत्म-मूल्यांकन के एक नये प्रकार का जन्म भी वैयक्तीकरण है। व्यक्ति स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ एवं अलग मानता है तथा अपना मूल्यांकन ऊँचे शब्दों में करता है। वह अपने जीवन एवं चरित्र को अनुपम समझने लगता है। वैयक्तीकरण की इस प्रक्रिया की कुछ पूर्व शर्तें हैं–प्रसिद्ध अभिजात वर्ग की दूरी एवं कठोर विभेदीकरण, समूह का इस प्रकार संगठन कि कुछ लोगों को निरंकुश बनने का अवसर प्राप्त हो सके, दरबारी व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जहाँ निरंकुश शासक को यदि ईश्वर नहीं तो शक्तिशाली होने का भ्रम हो सके। ये पूर्व शर्तें व्यक्ति को निरंकुश बना देती हैं जिसकी शक्ति शारीरिक बल एवं आध्यात्मिक अवपीड़न पर आधारित होती है। इतिहास ऐसे अत्याचारियों के उदाहरणों से भरा पड़ा है। जो स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझते थे और अनुभव करते थे कि उनका जीवन और चरित्र अनुपम है। यह आत्मभिमान की भावना है। असुरबनीपाल (Assurbanipal) (885-860 बी. सी.) के इतिवृत्त से उद्धृत निम्न पैरा आत्मभिमान की इस भावना का स्पष्ट उदाहरण है–

"मैं राजा हूँ। मैं स्वामी हूँ। मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। मैं महान शक्तिशाली हूँ। मैं प्रसिद्ध हूँ, मैं कुलीन हूँ। युद्ध का स्वामी हूँ। मैं एक सिंह हूँ। मेरी नियुक्ति स्वयं ईश्वर ने की है। मैं अजेय शस्त्र हूँ जो शत्रुओं के छत्र को भग्नावशेष कर देता है। मैंने उनको जीवित पकड़ कर खंभों पर टाँग दिया। मैंने उनके खून से पहाड़ों को ऊन की तरह रँग दिया। उनमें से बहुतों की खाल उधेड़ कर मैंने दीवारों को ढँक दिया। मैंने जीवित शरीरों से स्तंभ बनाया और एक दूसरे स्तंभ की रचना उनके सिरों से की। परंतु बीच में मैंने उनके सिरों को अंगूर की बेल पर टाँग दिया। मैंने अपने शाही ठाठ की एक बड़ी तस्वीर बनायी और उस पर अपनी शक्ति एवं प्रभुता को खुदवाया मेरा चेहरा भग्नावशेषों पर चमकता है। अपनी क्रोध-पिपासा को शांत करने में मुझे संतुष्टि मिलती है।"

वैयक्तिकरण का तीसरा स्वरूप वस्तुओं द्वारा इच्छाओं का वैयक्तिकरण है। कुछ लोग कुछेक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के प्रति स्थिर भावना बना लेते हैं। मनोवैज्ञानिक विश्लेषकों ने इसे 'निर्धारित काम-वासना' (libido fixations) का नाम दिया है। कृषक एवं जमींदार अभिजात वर्ग की इच्छाएँ नगरों के गतिशील धनी लोगों की अपेक्षा अधिक स्थिर होती है। वैयक्तिक रुचि को अनेक तत्त्व, जैसे संपत्ति, उत्पादन एवं वितरण की प्रक्रिया प्रभावित करते हैं। सामाजिक गतिशीलता भी व्यक्ति को विशिष्ट अभिलाषाओं से बाँधें रखती है। पारिवारिक परिस्थितियाँ भी व्यक्ति की इच्छाओं को रूप प्रदान करती हैं।

विरक्ति या एकान्तवासी बनने की भावना व्यक्ति को अंतर्खोजी और अंतर्मुखी बना सकती है। बड़े नगरों में जहाँ मैत्री वातावरण का अभाव है, विमुखता एवं अस्त-व्यस्तता है तथा जहाँ समुदाय का अपने सदस्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं है, वहाँ विरक्ति की भावना अधिक विशिष्ट है। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति के अंदर अकेलेपन या आंशिक अलगाव की भावना उत्पन्न हो जाती है। इससे व्यक्ति अंतर्खोजी बन जाता है जो वैयक्तीकरण का ही एक रूप है।

5.11 महिलाएँ एवं समाज (Women and Society)

महिलाएं साधारणतया प्रत्येक समाज का एक महत्त्वपूर्ण अंग हैं जिनकी संख्या लगभग पुरुषों के समान ही होती हैं। जहां तक भारतीय समाज का प्रश्न है, स्त्रियों की स्थिति काफी उच्च रही है, विशेषतया हिंदू समाज में पुरुष के अभाव में स्त्री को, स्त्री के अभाव में पुरुष को अपूर्ण माना गया है। इसी कारण हिंदू समाज में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। धीरे-धीरे स्मृतिकाल, धर्मशास्त्रकाल तथा मध्यकाल में इनके अधिकार छिनते गए और पुरुषों की तुलना में इनकी स्थिति में गिरावट आई। इन्हें परतंत्र, नस्सहाय और निर्बल मान लिया गया। अंग्रेजी शासन काल में देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में जागृति आने लगी। समाजसुधारकों एवं नेताओं का ध्यान स्त्रियों की स्थिति को सुधारने की ओर गया। यहां पिछले कुछ वर्षों में स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।

भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 102.87 करोड़ है। इनमें पुरुषों की संख्या 53.223 करोड़ है जबकि महिलाओं की जनसंख्या 49.651 करोड़ है। जहां तक स्त्री और पुरुष अनुपात का प्रश्न है, यह 2001 में 933 प्रति हजार पुरुष हो गया है। जो कि पिछले वर्षों की तुलना में कुछ कम है। केरल में स्थिति भिन्न है, वहां स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है। वहां 1058 प्रति हजार पुरुष का अनुपात है। भारतीय संदर्भ में 950 या उससे अधिक का स्त्री-पुरुष अनुपात महिलाओं के अनुकूल माना जा सकता है। केरल और हिमाचल प्रदेश के अलावा इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले राज्य व केंद्रशासित प्रदेश इस प्रकार हैं—आंध्र प्रदेश (978), गोआ (961), कर्नाटक (965), मणिपुर (974), उड़ीसा (972), तमिलनाडु (987), दादर और नगर हवेली (812), दमन और दीव (710) तथा पुडुचेरी (1001)।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिलाओं में साक्षरता की दर 18.33 प्रतिशत (पुरुष साक्षरता 27.16 और महिला साक्षरता 8.86 प्रतिशत) थी। 2001 में भारत में साक्षरता की दर 64.8 प्रतिशत (पुरुष साक्षरता दर 75.3 और महिला साक्षरता दर 53.7) थी।

जहाँ तक देश में कार्यशील महिलाओं का प्रश्न है यह कहा जा सकता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार शहरों तथा गांवों दोनों में घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्त्रियां आर्थिक दृष्टि से उपार्जन का कार्य करने लगी हैं। 1971 की जनगणना के अनुसार केवल 13 प्रतिशत भारतीय स्त्रियां देश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कार्यरत थीं। 2004 में यह प्रतिशत बढ़कर 28 हो गया। कार्यशील स्त्रियों में कृषि में अप्रत्यक्ष रूप से लगी हुई महिलाओं का प्रतिशत करीब 72 है। केंद्रीय और राज्य स्तर की प्रशासनिक सेवाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में कार्यशील जनसंख्या का करीब 18.5 प्रतिशत भाग महिलाएं हैं। कृषि श्रमिकों के रूप में महिलाओं की संख्या 2001 में 9.13 करोड़ हो गई। भारत में कार्यशील लोगों में महिलाओं की कुल जनसंख्या में 100 कार्यरत स्त्रियों में 52.29 अशिक्षित हैं तथा 28.56 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल तक शिक्षा प्राप्त हैं। 13.78 प्रतिशत उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं और केवल 5.07 स्नातक या इससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। नगरीय क्षेत्रों में 100 नौकरीशुदा स्त्रियों में 25.83 अशिक्षित हैं एवं 35.49 प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त हैं, 25.71 उच्च माध्यमिक तक शिक्षा प्राप्त

हैं और 12.97 स्नातक तथा इससे उच्च शिक्षा प्राप्त हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 100 नौकरीशुदा महिलाओं में 88.11 अशिक्षित हैं, 10.68 प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर तक शिक्षित हैं और 1.21 माध्यमिक स्तर से ऊपर की शिक्षा प्राप्त हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, यौन शोषण एवं उत्पीड़न

नोट

महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध कोई आज के युग की ही घटना नहीं है वरन् प्राचीन भारत में भी इसके अनेक उदाहरण मिलते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए में दांव पर लगा दिया था और दुर्योधन ने भरी सभा में उसका चीर-हरण कर अपमानित किया था। रामायण काल में रावण ने सीता का अपहरण किया था। विधवाओं को भारत में अनेक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा तथा नाना प्रकार के कष्ट दिए जाते रहे हैं। दहेज को लेकर नारी को जला देने या हत्या कर देना आज के युग की सबसे बड़ी त्रासदी है। सतीत्व के नाम पर महिलाओं को इसी देश में जिन्दा जलाया जाता रहा है। हम आए दिन पत्र-पत्रिकाओं में बलात्कार की घटनाएँ पढ़ते रहते हैं जिनमें से कुछ में तो पुलिस और प्रशासन भी शामिल होता है। इस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न एवं शोषण, उनके साथ बलात्कार, उन्हें बहला फुसला कर भगा ले जाना एवं वेश्यावृत्ति के लिए उन्हें बेच देना, उनके साथ मारपीट एवं गाली-गलौज करना, उन्हें जला देना, उनकी हत्या कर देना, आदि महिला अपराध के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं।

वर्तमान में समाजशास्त्र में महिलाओं के बारे में अध्ययन में रुचि का विकास हुआ है। रैडिकल समाजशास्त्री जो समाज के दलित एवं उपेक्षित वर्ग के अध्ययन में रुचि रखते हैं, भी महिलाओं के अध्ययन के प्रति काफी संवेदनशील हैं। समाज-सुधारकों, राज्य सरकारों, विश्व-विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में स्थापित महिला अध्ययन प्रकोष्ठों, मनोरोग विशेषज्ञों, अपराधशास्त्रियों आदि ने भी महिला अध्ययनों में रुचि दर्शायी है और महिलाओं से संबंधित अनेक आयामों का अध्ययन किया जा रहा है। वर्तमान में कुछ लोग अपराध में महिलाओं की भूमिका एवं महिलाओं के प्रति हिंसा एवं अपराध विषयों में भी रुचि लेने लगे हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य है महिलाओं के निकट रिश्तेदारों; जैसे माता-पिता, भाई-बहिन, सास-ससुर, देवर, ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार एवं उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक मानसिक आघात पहुँचाता है।

नन्दिता गांधी एवं **नन्दिता शाह** ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है, "महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएँ, पत्नी को यातनाएँ देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम में स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है।"

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के वर्गीकरण में हिंसा को तीन भागों में विभक्त किया गया है:

1. **अपराधिक हिंसा;** जैसे बलात्कार एवं अपहरण, आदि।
2. **घरेलू हिंसा;** जैसे दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार, आदि।
3. **सामाजिक हिंसा;** जैसे पत्नी एवं पुत्र-वधू को मादा भ्रूण की हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़-छाड़;, विधवा को सती होने के लिए बाध्य करना, दहेज के लिए तंग करना एवं स्त्री को संपत्ति में हिस्सा न देना, आदि।

भारत में महिलाओं के प्रति किए जाने वाले अपराधों एवं हिंसा की जानकारी हमें गृह मंत्रालय, पुलिस अन्वेषण विभाग तथा नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ सोशल डिफेन्स विभाग द्वारा प्रसारित आंकड़ों से होती है। दहेज संबंधी हत्या में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2002 में 6,822 थी वह 2004 में बढ़कर 7,026 के स्तर पर पहुंच गई। वर्ष 2005 में सार्वधिक दहेज हत्या के मामले उत्तर प्रदेश, बिहार तथा मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। भारत में प्रत्येक 33 मिनट में महिलाओं के प्रति एक अपराध की घटना होती है। महिलाओं के साथ किये जाने वाले अपराधों में से 2/3 अपराध भारत के पांच राज्यों—मध्य प्रदेश, (17.6), उत्तर प्रदेश (15.7), महाराष्ट्र (13.9%), आंध्र प्रदेश (7.9%), तथा राजस्थान (7.5%) में होते हैं। 37.4% महिला

अपराध शेष भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में होते हैं। महिलाओं के बारे में प्रदर्शित किए गए ये आंकड़े अपूर्ण हैं क्योंकि उनके प्रति किए गए सभी अपराधों को पुलिस में दर्ज नहीं कराया जाता है तथा नारी के प्रति घर में ही किए जाने वाले अपराधों को घरेलू मामला समझ कर पुलिस उनमें हस्तक्षेप नहीं करती और स्त्रियाँ भी उन्हें बाहर उजागर करना उचित नहीं मानतीं।

नोट

महिलाओं के प्रति होने वाले कुछ प्रमुख आपराधिक कृत्य निम्न प्रकार हैं:

बलात्कार (Rape)

भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code) की धारा 376 के अनुसार बलात्कार एक दंडनीय अपराध है। जिसमें अपराधी को आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस धारा के अनुसार जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उसकी इच्छा के विरुद्ध या सम्मति के बिना या मृत्यु का भय दिखाकर सम्मति से संभोग करता है तो वह बलात्कारी कहलाता है। बलात्कार की समस्या सभी समाजों में पायी जाती है, किंतु भारत की तुलना में पाश्चात्य देशों में ऐसी घटनाएं अधिक घटित होती हैं। बलात्कार के सभी मामलों की जानकारी संभव नहीं है। केवल कुछ मामले ही पुलिस में दर्ज करवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि सरकारी आंकड़ों की तुलना में वास्तविक बलात्कार की संख्या पांच गुना से भी अधिक है। लंदन में 1,236 स्त्रियों का एक सर्वेक्षण किया गया तो पाया कि प्रत्येक 6 महिलाओं में से एक के साथ बलात्कार हुआ है शेष पांच में से एक ने उसके प्रति किए जाने वाले बलात्कार के प्रयत्न के प्रति संघर्ष किया। बलात्कार के जितने मामले हुए, उनमें से आधे स्त्री के घर पर और आधे बलात्कारी के घर पर हुए। जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, उनमें से अधिकांश उस घटना को भुला देना चाहती हैं, वे अपना मेडिकल मुआयना करवाना एवं पुलिस व न्यायालय द्वारा जांच करवाना नहीं चाहतीं क्योंकि कानूनी प्रक्रिया लंबा समय लेने वाली एवं परेशानी पैदा करने वाली होती है। वकीलों द्वारा इस संदर्भ में पूछे जाने वाले प्रश्न भी नारी को पीड़ा पहुंचाने वाले होते हैं। पेशी का माहौल भी नारी में भय पैदा करता है तथा नारी को आरोपी से न्यायालय में आमना-सामना भी करना पड़ता है। न्यायालय भी नारी के प्रमाणों के आधार पर ही आरोपी को दण्डित नहीं करता है, उसे अन्य प्रमाण भी देने होते हैं जिन्हें जुटाना कठिन होता है। राजस्थान में आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिला भंवरी बाई के साथ कुछ लोगों ने बलात्कार किया, किंतु प्रमाणों के अभाव में बलात्कारियों के प्रति कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इसी प्रकार से उत्तराखण्ड की स्थापना की मांग को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन करने जाने वाली महिलाओं के साथ भी पुलिस द्वारा बलात्कार किया गया, किंतु दोषी पुलिस कर्मियों के प्रति कोई कठोर कार्यवाही नहीं की गई। बलात्कार किया गया है इसका प्रमाण जुटाना, बलात्कारी को पहचानना और यह सिद्ध करना कि बिना स्त्री की सहमति के यह घटना घटी है, एक कठिन कार्य है। निर्जन एवं रात्रि में अंधेरे स्थानों पर किए गए बलात्कार के प्रमाण जुटाना तो और भी कठिन हो जाता है। पति द्वारा पत्नी के प्रति किए गए बलात्कार को कानूनी रूप से बलात्कार नहीं माना जाता है क्योंकि यह विवाह का एक प्रतिफल माना जाता है। जब तक तलाक न हो जाए स्त्री-पुरुष को पृथक्-पृथक् रहने की राजाज्ञा प्राप्त होने पर भी यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी से बलात्कार करता है तो उसे बलात्कार नहीं माना जाता। विवाह में बलात्कार को अवैध नहीं माना गया है। कुछ पश्चिमी देशों जैसे कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन एवं नार्वे में विवाहित पुरुष यदि अपनी पत्नी के साथ बलात्कार करता है तो वह जुर्म है।

बलात्कार से संबंधित सामान्य तथ्य इस प्रकार हैं:

1. अधिकांशत: बलात्कार गरीब महिलाओं के साथ हुए।
2. कामकाजी महिलाओं के साथ बलात्कार उनके ऑफिस के बॉस द्वारा किए जाते हैं।
3. फैक्ट्री में काम करने वाली श्रमिक महिलाओं के साथ बलात्कार उनके मालिकों द्वारा किए जाते हैं।
4. अस्पताल में मरीजों के प्रति बलात्कार अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं।
5. जेल में महिला कैदियों के साथ बलात्कार जेल कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं।

6. आवारागर्दी करने वाली व संदिग्ध हालत में पायी जाने वाली स्त्रियों के साथ बलात्कार पुलिस कर्मियों द्वारा किए जाते हैं।
7. पागल, गूंगी, बहरी, अपंग एवं भिखारिन महिलाओं के साथ भी बलात्कार किए जाते हैं।

बलात्कार से पीड़ित महिलाएं उनके प्रति किए गए अपराध को खामोशी से बर्दाश्त कर लेती हैं। वि. रोध करने पर उन्हें सामाजिक निन्दा एवं अपमान का डर होता है। साथ ही नौकरी छूट जाने का भय बच्चों व परिवार का भरण-पोषण करने की चिन्ता भी उन्हें सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए मजबूर कर देती है।

डॉ. आहूजा ने राजस्थान में बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का अध्ययन करने पर पाया कि बलात्कार की घटना सदैव अपरिचित लोगों में नहीं होती है। बलात्कार एक व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है और एक से अधिक द्वारा समूह में भी। बलात्कार के लिए महिलाओं को आर्थिक प्रलोभन भी दिया जाता है और उन पर मौखिक दबाव भी डाला जाता है। उन्होंने पाया कि सर्वाधिक बलात्कार 15 से 20 वर्ष की आयु की स्त्रियों के साथ हुए तथा सर्वाधिक बलात्कार 23 से 30 वर्ष की आयु समूह के पुरुषों द्वारा किए गएं इसका तात्पर्य है कि बलात्कार में आयु एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है और युवा अवस्था इसको प्रेरित करने में प्रमुख रही है।

सामाजिक अध्ययनकर्ताओं ने बलात्कार संबंधी अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला कि:

1. यह धारणा गलत है कि यदि महिला विरोध करे तो उसके साथ बलात्कार नहीं हो सकता।
2. बलात्कार केवल सुन्दर स्त्रियों के साथ ही होता है, यह विचार त्रुटिपूर्ण है।
3. यह सोचना भी त्रुटिपूर्ण है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, वे उसका आनंद लेती हैं।
4. यह विचार सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कारी मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति होते हैं।
5. यह कहना भी सही नहीं है कि अधिकांश बलात्कार स्वत: होते हैं और उनकी अग्रिम योजना नहीं बनायी जाती।
6. यह कहना भी उचित नहीं है कि बलात्कार का संबंध पुरुष में अत्यधिक काम उत्तेजना की भावना तथा उच्चता एवं शक्ति की भावना से है।
7. मैथुन की तीव्र इच्छा एवं बलात्कार में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है।

पिछले कुछ वर्षों में पश्चिमी देशों में नारी संगठन बलात्कार के बारे मे वैधानिक एवं जनसोच को बदलने के लिए प्रयत्नशील रहे हैं। वे इस बात पर बल देते रहे हैं कि बलात्कार को यौन अपराध न माना जाए वरन् इसे एक हिंसक अपराध (Violent Crime) माना जाए। यह मात्र एक शारीरिक आक्रमण ही नहीं वरन् यह व्यक्ति की निष्ठा और सम्मान पर भी आक्रमण है। इस अभियान का असर हुआ है और आज कई पश्चिमी देशों में बलात्कार को वैधानिक रूप से एक विशेष प्रकार की अपराधिक हिंसा के रूप में स्वीकार किया गया है।

अमेरिका में एक स्त्री संगठन ने बलात्कार से बचने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। वे हैं:

1. अपने घर को अत्यधिक सुरक्षित बनाइए। घर के ताले, खिड़कियां एवं दरवाजे कार्य करने की स्थिति में होने चाहिए। यदि आप घर बदलें तो ताले भी बदल दीजिए।
2. यदि आप अकेले रह रहें हों तो ऐसा प्रकट करें कि यहां एक से अधिक व्यक्ति रहते हैं, यह बहाना करें कि घर में पुरुष भी हैं। जब कोई दरवाजा खटखटाए तो आप जोर से कहें कि दरवाजा खोल रही हूं तुम कमरे में ही रहो।
3. दरवाजे पर पूरा नाम लिखने के स्थान पर अपना छोटा नाम लिखें; जैसे संतोष कुमारी अग्रवाल के स्थान पर एस. के. अग्रवाल लिखें।
4. अजनबी से दूर रहें तथा अजनबी के आने पर दरवाजा न खोलें।

5. निर्जन मकानों में अकेले न रहें।
6. रात्रि में गलियों एवं विश्वविद्यालयों में अकेले न घूमें।
7. अपने पास हथियार, लाइटर, कांटे-छुरी एवं सीटी (Whistle) रखें। समूह में घूमें अकेले नहीं।
8. यदि आप कार चलाती हैं तो कार के दरवाजे बिना ताला लगाए न छोड़ें तथा कार में बैठने से पूर्व पीछे की सीट की जांच कर लें।
9. आक्रमण होने पर बलात्कार-बलात्कार (Rape-Rape) न चिल्लाएं वरन् कहें गोली चलाओ-गोली चलाओ (Fire-Fire)।

नोट

भगा ले जाना व अपहरण करना (Abduction and Kidnapping)

भारतीय दंड संहिता की धारा 366 के अनुसार भगा ले जाने का तात्पर्य है किसी महिला को जबरदस्ती, कपटपूर्वक या धोखाधड़ी करके उसे बहला-फुसला कर ले जाना तथा उसके साथ अवैध यौन संबंध स्थापित करना या उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह के लिए बाध्य करना जबकि भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के अनुसार अपहरण का तात्पर्य है एक नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु की लड़की व 21 वर्ष से कम आयु का लड़का) को उसके माता-पिता या वैधानिक संरक्षक की अनुमति के बिना ले जाना। अपहरण में जिसका अपहरण किया जाता है, उसकी सहमति का कोई महत्त्व नहीं होता जबकि भगा ले जाने में, जिसे भगाया जाता है उसकी सहमति अपराधी को क्षमा कर देती है।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग 1,500 महिलाओं को भगाकर ले जाया जाता है अथवा उनका अपहरण किया जाता है। दूसरें शब्दों में प्रतिदिन 42 लड़कियों को भगाने या अपहरण के मामले होते हैं। दूसरे शब्दों में प्रति एक लाख जनसंख्या पर दो मामले भगा ले जाने या अपहरण के होते हैं। जिन्हें भगाया जाता है उनमें से 54.8% महिलाएं 18 से 30 वर्ष की आयु की, 35.3% 30 से 50 वर्ष की आयु की, 4.5% 18 वर्ष से कम आयु की तथा 5.4% 50 वर्ष से अधिक आयु की होती हैं। अपहरण के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश में (3,099) तथा उसके बाद क्रमशः राजस्थान (2,018), बिहार (1,219), मध्य प्रदेश (1,202) तथा असम (1,010) में हुए हैं।

डॉ. आहूजा द्वारा अपहरण और भगा ले जाने संबंधी किए गए एक अध्ययन से ज्ञात होता है कि

(*i*) विवाहित की अपेक्षा अविवाहित लड़कियों को अधिक भगाया जाता है।
(*ii*) भगाने वाला एवं भागने वाली दोनों ही एक दूसरे से परिचित होते हैं।
(*iii*) इन दोनों का संपर्क उनके घरों अथवा पड़ोस के कारण होता है।
(*iv*) अधिकांशतः भगा ले जाने में एक ही व्यक्ति का हाथ होता है।
(*v*) भगा ले जाने का प्रमुख उद्देश्य मैथुन एवं विवाह होता है।
(*vi*) 1/10 मामलों में आर्थिक उद्देश्य से भी ऐसा किया जाता है।
(*vii*) भगा ले जाने के लिए माता-पिता के नियंत्रण का अभाव, परिवार में स्नेहपूर्ण संबंधों का अभाव, आदि प्रमुख कारण हैं।
(*viii*) लगभग 80% मामलों में भगा ले जाने के बाद लड़की पर लैंगिक आक्रमण होता है।

हत्या (Murder)

हत्या के मामले स्त्री और पुरुष दोनों ही के साथ घटित होते हैं, किंतु विश्व में सर्वत्र ही स्त्रियों की तुलना में पुरुषों की ही हत्या अधिक होती है। अमेरिका में प्रति वर्ष कुल हत्या का 20 से 25 प्रतिशत भाग महिला हत्या का होता है जबकि भारत मे यह प्रतिशत केवल 10 ही है। भारत में हत्या में सम्मिलित लोगों में 96.7 प्रतिशत पुरुष एवं 3.34 प्रतिशत महिलाएं होती हैं।

1. डॉ. आहूजा द्वारा हत्या संबंधी किए गए अध्ययन में यह पाया गया कि हत्या करने वाले एवं हत्या के शिकार एक ही परिवार के होते हैं। (लगभग 94%)।

2. 80% हत्यारे 25 से 40 वर्ष की आयु समूह में से थे।
3. हत्या की शिकार औरतों का प्रतिशत लगभग 50 था।
4. जिन स्त्रियों की हत्या की गई, उनमें से आधी स्त्रियों की संतानें थीं।
5. अधिकांश हत्यारे निम्न व्यवसाय एवं आयु समूह से संबंधित थे।
6. 2/3 हत्याएं भावावेश में तथा अनियोजित ढंग से की गई थीं।
7. महिलाओं की हत्या के प्रमुख कारण स्त्री की लंबी बीमारी, अन्य पुरुषों से यौन संबंध एवं छोटे-मोटे घरेलू झगड़े थे।

दहेज हत्याएं (Dowry Deaths)

भारत में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। दहेज के अभाव में भारत में हजारों स्त्रियों को प्रतिवर्ष जलाया जाता है, उन्हें सास-ससुर, देवर-जेठ, पति एवं ससुराल पक्ष वालों के द्वारा कई प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं। उन्हें भूखा रखा जाता है, अपने पीहरवालों से पैसा मंगाने के लिए तंग किया जाता है और यहां तक कि आत्महत्या करने एवं घर छोड़कर चले जाने तक के लिए मजबूर किया जाता है जिससे कि पति दूसरी शादी कर दहेज जुटा सके।

यद्यपि 1961 में भारत सरकार ने 'दहेज निरोधक अधिनियम' (Dowry Prohibition Act) बना दिया और इस अधिनियम के अंतर्गत दहेज लेना व देना दोनों ही अपराध माने गये हैं, किंतु वास्तविक स्थिति यह है कि दहेज समाज में कैंसर की तरह बढ़ता जा रहा है और दहेज संबंधी मुकदमों की संख्या नगण्य है। देश में प्रतिवर्ष लगभग पांच हजार हत्याएं दहेज के कारण होती हैं। भारत में प्रतिदिन 33 तथा प्रतिवर्ष 5,000 हत्याएँ दहेज से संबंधित होती हैं। चूँकि अधिकांश दहेज संबंधी हत्याएँ लड़की की ससुराल में ही होती हैं, अतः ससुराल वाले हत्या संबंधी प्रमाण मिटा देते हैं और उसे आत्महत्या या हादसे का रूप दे देते हैं। साक्ष्य के अभाव में अपराधी अकसर बच जाते हैं।

सामान्यतः यह देखा गया है कि

(*i*) दहेज संबंधी हत्या एवं उत्पीड़न के मामले निम्न एवं उच्च वर्ग की तुलना में मध्यम वर्ग में अधिक होते हैं।

(*ii*) दहेज में उत्पीड़ित 70% महिलाएं 21 से 24 वर्ष के आयु समूह में से होती हैं।

(*iii*) दहेज की समस्या निम्न जातियों की तुलना में उच्च जातियों में अधिक पायी जाती हैं।

(*iv*) हत्या से पूर्व वधू को कई यातनाएँ दी जाती हैं एवं अपमानित किया जाता है।

(*v*) परिवार की रचना नववधू को जलाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

(*vi*) स्त्री की शिक्षा के स्तर एवं दहेज हत्या में कोई कार्य-कारण का संबंध नहीं पाया जाता है।

सोचा यह गया था कि शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ दहेज से संबंधित बुराइयों का अंत होगा, किंतु हुआ इसके बिल्कुल विपरीत और प्रतिवर्ष दहेज संबंधी हत्याएँ एवं उत्पीड़न की घटनाएँ बढ़ती ही जा रही हैं जो पूरे समाज के लिए शर्म की बात है।

पत्नी को पीटना : गृह हिंसा (Domestic Violence)

भारत में पत्नी के रूप में नारी की प्रतिष्ठा रही है और उसे यहाँ गृह-लक्ष्मी की संज्ञा से संबोधित किया गया है। पत्नी को पुरुष की अर्द्धांगिनी, सहधर्मचारिणी, धर्मपत्नी भी कहा जाता है, यहाँ पत्नी के अभाव में पति द्वारा किए गए धार्मिक कार्यों को निष्फल माना गया है, किन्तु यह तस्वीर का एक पहलू है। पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने एवं उसे मारने-पीटने की घटनाएँ भी कई बार सुनने में आती हैं। विवाह के बाद पति से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी पत्नी का भरण-पोषण करेगा, उसे प्रेम करेगा और संरक्षण प्रदान करेगा। भारत में पति के लिए 'भर्ता' शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है भरण-पोषण करने वाला। सामान्यतः यह माना जाता है कि घर नारी के लिए सुरक्षा एवं प्रसन्नता की दृष्टि

से स्वर्ग है, किंतु अनेक स्त्रियों के साथ घर में हिंसा का व्यवहार किया जाता है। उन्हें लातों, घूसों, चांटों व डंडों (लकड़ियों) से मारा जाता है, हड्डियाँ तक तोड़ दी जाती हैं। पहल ने अपने अध्ययन में पाया कि पतियों द्वारा अपनी पत्नियों को चाकुओं से गोदा गया। फर्नीचर फेंक कर मारा गया, सीढ़ियों से गिराया गया और कुछ स्त्रियों के तो पैरों में कीलें ठोकी गईं।

नोट

19वीं सदी के अन्त तक इंग्लैंड में ऐसा कोई कानून नहीं था जो पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज करने, चोट पहुँचाने या हत्या करने से रोके, किन्तु आज तो वहाँ नारी को अधिक कानूनी सुरक्षा प्राप्त है। कानूनी दृष्टि से आज नारी चाहे अच्छी स्थिति में क्यों न हो, किन्तु फिर भी स्त्रियाँ घर में उनके प्रति की गयी हिंसा के विरुद्ध पुलिस में शिकायत नहीं करतीं और कानून व न्यायालय की शरण नही लेती हैं। इस बारे में पुलिस का दृष्टिकोण भी असहयोगी ही होता है, वह इसे घरेलू मामला, पति-पत्नी का निजी मामला मान कर कोई कार्यवाही नहीं करते। जब कभी ऐसी स्थिति में पुलिस से मदद मांगी जाती है तो वह केवल झगड़े को शान्त करने तक ही हस्तक्षेप करती है, पुरुष पर दबाव डालने या उस पर आरोप लगाने में उसकी कोई रुचि नहीं होती है।

नारी की यह मजबूरी है कि उसके साथ हिंसा का व्यवहार होने पर भी वह आर्थिक व सामाजिक कारणों, बच्चों के प्रति अपने दायित्वों एवं सामाजिक निन्दा से बचने, आदि कारणों से सब कुछ शान्त भाव से सहन करती रहती है। यह इसे ही अपना भाग्य मानती है, पूर्व जन्म के कर्मों का फल मानती है। समाज के लोग भी इसे सहिष्णु होने का ही उपदेश देते रहते हैं। उसे कहा जाता है–'पति के घर में डोली में बैठ कर आयी थी, अब तो यहाँ से तुम्हारी अर्थी ही उठेगी।' और वह बेचारी जहर के घूंट पीकर जिन्दा लाश की तरह घर में बनी रहती है।

डॉ. आहुजा ने अपने अध्ययन में पाया कि (1) 35 वर्ष से कम आयु की स्त्रियों के साथ पीटने की घटनाएँ अधिक होती हैं। (2) कम आय वाले परिवारों में ऐसी घटनाएँ अपेक्षतया अधिक होती हैं। (3) पत्नी को पीटने क कारणों में यौन सम्बन्धों में असमायोजन, भावात्मक गड़बड़, पति की अहंभावना या हीनभावना, पति का शराबी होना, ईर्ष्या एवं पत्नी द्वारा पति के दुर्व्यवहार के प्रति निष्क्रियता बरतना, आदि प्रमुख हैं। (4) शिक्षित स्त्रियों की तुलना में अशिक्षित स्त्रियों को अधिक पीटा जाता है। (5) उन पत्नियों को जो अपने पति से 5 वर्ष से अधिक छोटी होती हैं अपने पति द्वारा पीटे जाने की सम्भावना अधिक होती है। (6) परिवार के आकार और उसकी रचना का पत्नी का पीटने से परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं है, (7) वे लो जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए थे बड़े होने पर पत्नी को पीटने की ओर अधिक रुझान रखते हैं। (8) शराबी पतियों द्वारा पत्नी को पीटने की मात्रा अधिक पायी जाती है जो नशे की तुलना में होश-हवास में अधिक पीटते हैं।

विधवाओं के प्रति हिंसा (Violence Against Widows)

भारत में विशेष रूप से हिन्दुओं में विधवाओं की एक गम्भीर समस्या है क्योंकि हिन्दुओं में विवाह को धार्मिक संस्कार माना गया है और यह पति-पत्नी का जन्म-जन्मान्तर का बन्धन है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अतः पति की मृत्यु के बाद पत्नी को दूसरा विवाह करने की छूट नहीं है। यही कारण है कि पति की मृत्यु के बाद से ही विधवा स्त्री के दुःख प्रारम्भ हो जाते हैं। उसके सिर को मुंडवा दिया जाता है, वह अच्छे वस्त्र नहीं पहन सकती, श्रृंगार नहीं कर सकती, इत्र व तेल का प्रयोग नही कर सकती, सार्वजनिक उत्सवों एवं शुभ कार्यों में उसकी उपस्थिति को अपशकुन माना जाता है। सास-ससुर एवं पति के परिवार के लोग विधवा पर अत्याचार करते हैं, उसे डायन की संज्ञा देते हैं जिसने अपने पति को ही खा लिया है। विधवाओं के भी अनेक प्रकार हो सकते हैं; जैसे बिना बच्चों वाली युवा विधवा, एक-दो बच्चों वाली प्रौढ़ विधवा एवं अधिक उम्र वाली विधवा, अधिकांशतः युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएँ ही अधिक हैं। अधिक उम्र वाली विधवा तो अपने बच्चों के परिवार का अंग बन जाती हैं, वह अपने पोते-पोतियों को देखरेख करने, खाना पकाने, घर के कार्यों में मदद करने एवं मार्गदर्शन करने की दृष्टि से उपयोगी मानी जाती हैं। युवा एवं प्रौढ़ विधवाओं की समस्याएँ गम्भीर होती हैं। उनके साथ ही अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार किए जाते हैं। उन्हें पीटा जाता है, गालियाँ दी जाती हैं, उनके साथ व्याभिचार एवं लैंगिक दुर्व्यवहार का प्रयत्न

किया जाता है, उन्हें पति की सम्पत्ति से वंचित किया जाता है। भारत में स्त्रियों में अशिक्षा की अधिकता के कारण उन्हें पति के व्यापार, सम्पत्ति, बीमे की रकम और जमापूँजी आदि की जानकारी नहीं होती है। इसका लाभ उठाकर उसके ससुराल वाले उससे कागजों पर अंगूठा लगवा कर उसकी वैधानिक सम्पत्ति को हड़पने का प्रयत्न करते हैं। (1) विधवाओं के उत्पीड़न के तीन प्रमुख कारण होते हैं–शक्ति, सम्पत्ति और कामवासना की पूर्ति। आयु, शिक्षा और वर्ग की सदस्यता का भी विधवा उत्पीड़न से घनिष्ठ सम्बन्ध है। इस दृष्टि से (2) वृद्ध विधवाओं की तुलना में युवा विधवाओं, (3) शिक्षित विधवाओं की तुलना में अशिक्षित विधवाओं तथा उच्च वर्ग की विधवाओं की तुलना में मध्यम एवं निम्न वर्ग की विधवाओं को अधिक उत्पीड़ित किया जाता है। (4) विधवा स्त्री की निष्क्रिय कायरता भी उसके उत्पीड़न का प्रमुख कारक है। (5) यद्यपि विधवाओं को पुनर्विवाह की छूट देने की दृष्टि से भारत में 'विधवा पुनर्विवाह अधिनियम' 1856 बना हुआ है, किन्तु विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह बहुत कम ही किए जाते हैं। (6) सास का सत्तावादी व्यक्तित्व एवं पति के भाई बहनों का असामंजस्य विधवा उत्पीड़न के प्रमुख कारण हैं। (7) परिवार की रचना और उसके आकार से विधवा उत्पीड़न का कोई संबंध नहीं है। हिंसा के अपराधकर्ता अधिकांशतः पति के परिवार के सदस्य होते हैं।

वेश्यावृत्ति (Prostitution)

एक सामाजिक बुराई के रूप में वेश्यावृत्ति अति प्राचीन काल से प्रचलित रही है। वेश्यावृत्ति को यौन तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इससे व्यक्ति का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है, उसे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तथा यह मानव के पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन में विष घोल देती है। **इलियट** और **मैरिल** लिखते हैं, "वेश्यावृत्ति एक भेद-रहित और धन के लिए स्थापित किया गया अवैध यौन संबंध है जिसमें भावात्मक उदासीनता होती है।" वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए 1956 में **'स्त्रियों तथा कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम'** पारित किया गया, फिर भी यह भी प्रकट और अप्रकट दोनों ही रूप में भारत में विद्यमान है। प्रकट समूह में वे वेश्याएँ आती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं तथा स्पष्ट रूप से वेश्यालय चलाती हैं। शहरों में ऐसे क्षेत्र को जहाँ वेश्याएँ रहती हैं 'लाल रोशनी क्षेत्र' (Red Light Area) कहते हैं। अप्रकट रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियाँ नौकरी या व्यवसाय के साथ-साथ यह कार्य भी करती हैं। वर्तमान में बड़े-बड़े शहरों के शराबघरों, होटलों, कैबरे स्थलों, नाचघरों तथा क्लबों में शिक्षित और उच्च घरों की लड़कियाँ भी इस व्यवसाय में लगी होती हैं। होटलों के मालिक, टैक्सी ड्राइवर, कैबरे नृत्य के संयोजक एवं अन्य दलाल अपना कमीशन लेकर इस कार्य में सहयोग देते हैं।

वेश्यावृत्ति का एक रूप देवदासी प्रथा भी है। इस प्रथा के अनुसार लड़कियों को मन्दिरों में देवताओं की सेवा के लिए भेंट चढ़ा दिया जाता है। ये लड़कियाँ मन्दिरों में गायन एवं नृत्य का कार्य करती ही हैं, साथ ही पंडितों, पुजारियों एवं जमींदारों की यौन-भूख बुझाने का कार्य भी करती हैं। गरीबी, विलासी जीवन व्यतीत करने की लालसा, स्त्री की आर्थिक-पराश्रितता, पारिवारिक-परिस्थितियाँ, विवाह-विच्छेद, विधवा विवाह पर रोक, दहेज-प्रथा, दुखी वैवाहिक जीवन, अनैतिक व्यापार, अवैध संबंध, असामान्य कामुकता एवं धार्मिक कारण लड़कियों को वेश्यावृत्ति करवाने के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं।

वेश्यावृत्ति के कारण नारी जगत का अपमान होता है, वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक विघटन में वृद्धि होती है, नैतिक पतन होता है, आर्थिक हानि होती है, यौन रोगों में वृद्धि होती है। अतः मानवता का यह तकाजा एवं नैतिकता की मांग है कि वेश्याओं को इस कुकर्म से रोक कर नारी जाति के प्रति किए जाने वाले इस अपराध से नारी की रक्षा की जाए।

नारी हत्या तथा भ्रूण हत्या (Femicide and Foeticide)

भारतीय समाज पुरुष प्रधान है तथा यहाँ लड़की की तुलना में लड़के को अधिक महत्त्व दिया जाता है। धार्मिक कारणों से भी पुत्र प्राप्ति आवश्यक माना गया है क्योंकि वही श्राद्ध एवं तर्पण द्वारा मृत पिता एवं पूर्वजों को स्वर्ग पहुँचाता है। उत्तराधिकार की दृष्टि से भी पुत्र का होना आवश्यक है, किंतु कई बार किसी परिवार में लड़कियों की संख्या अधिक होने पर लड़की के पैदा होते ही मार दिया जाता है (female

infanticide) जो नारी हत्या का ही एक रूप है। नारी हत्या हमें प्रकट और अप्रकट कई रूपों में देखने को मिलती हैं। माता के गर्भ में ही नारी शिशु को मार देना या जन्म के बाद उसे मार देना या दहेज के लोभ में बहू को जला देना या पीट-पीट कर मार देना, उसका उत्पीड़न करना या ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर देना जिनमें नारी आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाए, जहर देकर मार देना, गलाघोंट देना, आदि सभी नारी हत्या के प्रत्यक्ष रूप हैं। नारी हत्या का अप्रत्यक्ष रूप वह है जिसमें नारी शिशु के पालन-पोषण एवं चिकित्सा की ओर उचित ध्यान नहीं देने से वे मौत की शिकार हो जाती हैं। वैज्ञानिक प्रगति ने मानव को हजारों सुख-सुविधा के साधन जुटाए हैं, आज हम माता के गर्भ की जांच जिसे 'एमनियोसेंटेसिस' (Amniocentesis) कहा जाता है, के द्वारा भ्रूण की जांच कर यह पता लगा सकते हैं कि उत्पन्न होने वाला शिशु लड़का है या लड़की।

इस वैज्ञानिक ज्ञान का लोगों ने दुरुपयोग किया है और वह यदि भ्रूण लड़की का है तो उसका गर्भपात करवा देते हैं जो भ्रूण हत्या है। लड़के की चाह में लड़की की हत्या मानवता के माथे पर बहुत बड़ा कलंक है। आज के युग में तो लड़के व लड़कियाँ सभी समान हैं। वास्तव में जो स्थितियाँ देखने व सुनने में आती हैं उनके अनुरूप तो लड़कों की तुलना में लड़कियाँ ही माता-पिता की अधिक सेवा करती हैं और विश्वविद्यालयो एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम यह बताते हैं कि योग्यता सूची में लड़कियाँ लड़कों से आगे ही हैं।

आज के जीवन के हर क्षेत्र में लड़कियों को दक्षता से कार्य करते हुए देखा जा सकता है। अतः लोगों के मन से यह भ्रम निकालना होगा कि पुत्र प्राप्ति आवश्यक है और उसकी चाह में किसी भी रूप में नारी हत्या अमानवीय है एवं नैतिकता व कानून के विरुद्ध अपराध है। नारी हत्या में पुरुष की अपेक्षा स्वयं नारी का योगदान भी कम नहीं होता है। वास्तव में देखा जाए तो नारी ही नारी की दुश्मन है। अतः सर्वप्रथम तो नारी को ही नारी के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उठ खड़ा होना पड़ेगा।

छेड़छाड़ (Reasing)

नारी के विरुद्ध अपराधों में छेड़छाड़ भी एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति है। महाविद्यालयों के परिसर में, रेलों एवं बसों में, बाजारों में मनचले एवं उद्दण्ड किस्म के लड़कों द्वारा लड़कियों को भद्दे और गन्दे इशारे किए जाते हैं, उन पर फब्तियाँ कसी जाती हैं, उन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, उनके साथ गाली-गलौज की जाती है, उनको छूने का प्रयत्न किया जाता है, उन्हें नोंचने या उनके चिकुटी काटने, नाखून चुभोने जैसी गन्दी हरकतें की जाती है। कभी-कभी ऐसे लोगों की सार्वजनिक रूप से जनता द्वारा पिटाई भी कर दी जाती है या पुलिस की गिरफ्त में आ जाने पर अच्छी खासी मरम्मत भी हो जाती है। इस प्रकार की गुण्डागर्दी बड़े शहरों में और विशेष रूप से उत्तरी भारत में अधिक पायी जाती है। दिल्ली, कानपुर, आगरा, बनारस और अन्य बड़े शहरों में छेड़छाड़ की घटनाएँ ज्यादा होती हैं।

ऐसी घटनाओं के विरोध में दिल्ली एवं अन्य नगरों में नारी संगठनों द्वारा प्रदर्शन भी किए गए हैं तथा गुण्डागर्दी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही हेतु अभियान भी चलाए गए हैं, किन्तु कानून की लम्बी और थका देने वाली महंगी प्रक्रिया के कारण सज्जन व्यक्ति इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं और इससे गुण्डों के हौंसले और बुलन्द होते हैं। नारी के प्रति छेड़छाड़ की घटनाओं को सिनेमा एवं केम्पस जैसे सीरियलों से बढ़ावा ही मिला है क्योंकि इनमें प्रदर्शित अच्छाई से नहीं वरन् बुराई से ही लोग अधिक प्रभावित होते हैं।

ऐसी घटनाओं से बचने के लिए स्वयं लड़कियों को ही अपने आपको समर्थ बनाना होगा, समूह बनाकर ऐसे गुण्डों से उन्हें ही निपटना होगा। सब कुछ सरकार, पुलिस और कानून पर ही नहीं छोड़ा जा सकता।

नारी के विरुद्ध उपर्युक्त अपराधों एवं बढ़ती हिंसा के अतिरिक्त भद्दे और भौंडे विज्ञापनों में नारी के नग्न एवं अर्द्ध-नग्न चित्रों के द्वारा वस्तुओं को बेचने का प्रयास भी नारी की मजबूरी का लाभ उठाना ही है। नाचघरों एवं होटलों में उससे कैबरे नृत्य करवाना भी अप्रत्यक्ष रूप से नारी की मांसल देह का शोषण ही है, किंतु इन सब के लिये मात्र पुरुष को ही उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, स्त्री भी कम जिम्मेदार नहीं है। अतः सब से पहला प्रयास तो स्वयं नारियों को ही अपने आप को संयत करके व नैतिक बनाकर करना होगा, अन्य उपाय तो बाद में होते हैं।

5.12 कन्याधन एवं दहेज-प्रथा (Bride-wealth and Dowry System)

नोट

वर्तमान में दहेज एक गम्भीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता-पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। सामान्यत: दहेज उस धन या सम्पत्ति को कहते हैं जो विवाह के समय कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। **फेयरचाइल्ड** के अनुसार, "दहेज वह धन सम्पत्ति है जो विवाह के अवसर पर लड़की के माता-पिता या अन्य निकट सम्बन्धियों द्वारा दी जाती है।" **मैक्स रेडिन (Max radin)** लिखते हैं, "साधारणत: दहेज वह सम्पत्ति है जो एक पुरुष विवाह के समय अपनी पत्नी या उसके परिवार से प्राप्त करता है।" **दहेज निरोधक अधिनियम**, 1961 के अनुसार, "दहेज का अर्थ कोई ऐसी सम्पत्ति या मूल्यवान निधि है, जिसे (*i*) विवाह करने वाले दोनों पक्षों में से एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अथवा (*ii*) विवाह में भाग लेने वाले दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष के माता-पिता या किसी अन्य व्यक्ति ने किसी दूसरे पक्ष अथवा उसके किसी व्यक्ति को विवाह के समय, विवाह के पहले या विवाह के बाद विवाह की आवश्यक शर्त के रूप में दी हो अथवा देना स्वीकार किया हो।" दहेज की यह परिभाषा अत्यन्त विस्तृत है जिसमें वर-मूल्य एवं कन्या-मूल्य दोनों ही आ जाते हैं। साथ ही इसमें उपहार एवं दहेज में अन्तर किया गया है। दहेज विवाह की एक आवश्यक शर्त के रूप में दिया जाता है जबकि उपहार देने वाला अपनी स्वेच्छा से देता है।

कभी-कभी वर-मूल्य एवं दहेज में अंतर किया जाता है। दहेज लड़की के माता-पिता स्नेहवश देते हैं, यह पूर्व-निर्धारित नहीं होता और कन्या-पक्ष के सामर्थ्य पर निर्भर होता है, जबकि वर-मूल्य वर के व्यक्तिगत गुण, शिक्षा, व्यवसाय, कुलीनता तथा परिवार की स्थिति, आदि के आधार पर वर-पक्ष की ओर से मांगा जाता है और विवाह से पूर्व ही तय कर लिया जाता है। वर्तमान में दहेज एवं वर मूल्य में विशेष फर्क नहीं समझा जाता है, क्योंकि आजकल अधिकांशत: दहेज का प्रचलन वर-वधू के रूप में या विवाह की शर्त के शुरू में ही है।

दहेज का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। ब्रह्म विवाह में पिता वस्त्र एवं आभूषणों से सुसज्जित कन्या का विवाह योग्य वर के साथ करता था। रामायण एवं महाभारत काल में भी दहेज का प्रचलन था। सीता एवं द्रौपदी आदि को दहेज में आभूषण, घोड़े, हीरे-जवाहरात एवं अनेक बहुमूल्य वस्तुएँ देने का उल्लेख किया है। उस समय दहेज कन्या के प्रति स्नेह के कारण स्वेच्छा से ही दिया जाता था। दहेज का प्रचलन राजपूत काल में तेरहवीं एवं चौदहवीं सदी से प्रारम्भ हुआ और कुलीन परिवार अपनी सामाजिक स्थिति के अनुसार दहेज की मांग करने लगे। बाद में अन्य लोगों में भी इसका प्रचलन हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्त, धनी, अच्छे व्यवसाय या नौकरी में लगे हुए एवं उच्च कुल के वर को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में लड़की के पिता को अच्छा-खासा दहेज देना होता है। शिक्षा एवं सामाजिक चेतना की वृद्धि के साथ-साथ दहेज का प्रचलन घटने की बजाय बढ़ा दिया गया है और इसने वीभत्स रूप ग्रहण कर लिया है।

भारतवर्ष इस प्रथा के लिए विश्वभर में बदनाम है। यहाँ जन्म से ही लड़की को पराया धन कहा जाता है उसके पालन-पोषण पर लड़कों से कम ध्यान दिया जाता है। माता-पिता कन्या को पराया धन समझकर उसके साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार करते हैं। लड़की को अपने साथ दहेज नहीं ले जाने पर ससुराल में ताने सुनने पड़ते हैं; साथ ही दहेज के कारण लड़कियों को जलाकर मार भी दिया जाता है।

दहेज के कारण (Causes of Dowry)

1. **जीवन-साथी चुनने का सीमित क्षेत्र–**जब कन्या का विवाह अपने ही वर्ण, जाति या उपजाति में करना होता है तो विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है और योग्य वर के लिए दहेज देना आवश्यक हो जाता है।
2. **बाल-विवाह–**बाल-विवाह के कारण वर एवं वधू का चुनाव उनके माता-पिता द्वारा किया जाता है और वे अपने लाभ के लिए दहेज की मांग करते हैं।
3. **विवाह की अनिवार्यता–**हिंदुओं में कन्या का विवाह अनिवार्य माना गया है। इसका लाभ उठाकर वर पक्ष के लोग अधिकाधिक दहेज की मांग करते हैं।

नोट

4. **कुलीन विवाह**–कुलीन विवाह के कारण ऊँचे कुलों के लड़कों की मांग बढ़ जाती है और उन्हें प्राप्त करने के लिए कन्या पक्ष को दहेज देना होता है।
5. **शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा**–वर्तमान समय में शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का अधिक महत्व होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति अपनी कन्या का विवाह शिक्षित एवं प्रतिष्ठित लड़के के साथ करना चाहता है जिसके लिए उसे काफी दहेज देना होता है क्योंकि ऐसे लड़कों की समाज में कमी पायी जाती है।
6. **धन का महत्त्व**–वर्तमान में धन का महत्त्व बढ़ गया है और इसके द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा निर्धारित होती है। जिस व्यक्ति को अधिक दहेज प्राप्त होता है, उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। यही नहीं, बल्कि अधिक दहेज देने वाले व्यक्ति की भी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है।
7. **महंगी शिक्षा**–वर्तमान में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काफी धन खर्च करना पड़ता है जिसे जुटाने के लिए वर पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हैं। शिक्षा के लिए, लिये गये ऋण का भुगतान भी कई बार दहेज द्वारा किया जाता है।
8. **प्रदर्शन एवं झूठी प्रतिष्ठा**–अपनी प्रतिष्ठा एवं शान का प्रदर्शन करने के लिए भी लोग अधिकाधिक दहेज लेते एवं देते हैं।
9. **गतिशीलता में वृद्धि**–वर्तमान समय में यातायात के साधनों की उन्नति एवं विकास हुआ है, नगरीकरण एवं औद्योगीकरण बढ़ा है, परिणामस्वरूप एक जाति एवं उपजाति की गतिशीलता में वृद्धि हुई है और उनके सदस्य दूर-दूर तक फैल गये हैं। इस कारण अपनी ही जाति या उपजाति में वर ढूँढ़ना कठिन हो गया है। फलस्वरूप दहेज-प्रथा को बढ़ावा मिला है।
10. **सामाजिक प्रथा**–दहेज का प्रचलन समाज में एक सामाजिक प्रथा के रूप में ही पाया जाता है। जो व्यक्ति अपनी कन्या के लिए दहेज देता है वह अपने पुत्र के लिए भी दहेज प्राप्त करना चाहता है।
11. **दुष्चक्र (Vicious circle)**–दहेज एक दुष्चक्र है जिन लोगों ने अपनी लड़कियों के लिए दहेज दिया है वे भी अवसर आने पर अपने लड़कों के लिए दहेज प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार से लड़के के लिए दहेज प्राप्त करके वे अपनी लड़कियों के विवाह के लिए देने के लिए उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं।

दहेज-प्रथा के दुष्परिणाम (Evil Eeffects of Dowry System)

दहेज-प्रथा के परिणामस्वरूप समाज में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुई हैं, इनमें से प्रमुख निम्न प्रकार हैं–

1. **बालिका वध**–दहेज की अधिक मांग होने के कारण कई व्यक्ति कन्या को पैदा होते ही मार डालते हैं। इसका प्रचलन राजस्थान में विशेष रूप से रहा है, किन्तु वर्तमान में यह प्रथा प्राय: समाप्त हो चुकी है।
2. **पारिवारिक विघटन**–कम दहेज देने पर कन्या को ससुराल में अनेक प्रकार के कष्ट दिये जाते हैं। दोनों परिवारों में तनाव एवं संघर्ष पैदा होते हैं और पति-पत्नी का सुखी वैवाहिक जीवन उजड़ जाता है।
3. **हत्या एवं आत्महत्या**–जिन लड़कियों को अधिक दहेज नहीं दिया जाता उनको ससुराल में अधिक सम्मान नहीं होता, उन्हें कई प्रकार से तंग किया जाता है। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए बाध्य होकर कुछ लड़कियाँ आत्महत्या तक कर लेती हैं। दहेज के अभाव में कन्या का देर तक विवाह न होने पर उसे सामाजिक निन्दा का पात्र बनना पड़ता है, ऐसी स्थिति में भी कभी-कभी लड़की आत्महत्या कर लेती है। जब दहेज की मात्रा आकांक्षाओं के अनुरूप नहीं होती है तो बहू को जला दिया जाता है या उसकी हत्या कर दी जाती है। सन् 1987

में 2,912, सन् 1990 में 4,148 और 1991 में 5,157 मामले दहेज हत्या के दर्ज किये गये। पति और ससुराल वालों द्वारा क्रूरता के 1983 में 1,160 और 1991 में 15,949 मामले दर्ज किये गये। दहेज हत्या के सर्वाधिक मामले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश में दर्ज किये गये।

4. **ऋणग्रस्तता**—दहेज देने के लिए कन्या के पिता को रुपया उधार लेना पड़ता है या अपनी जमीन एवं जेवरात, मकान आदि को गिरवीं रखना पड़ता है या बेचना पड़ता है परिणामस्वरूप परिवार ऋणाग्रस्त हो जाता है। ब्याज की ऊँची दर के कारण उधार लिया हुआ रुपया चुकाना कठिन हो जाता है। अधिक कन्याएँ होने पर तो आर्थिक दशा और भी बिगड़ जाती है।
5. **निम्न जीवन स्तर**—कन्या के लिए दहेज जुटाने के लिए परिवार को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ती है। बचत करने के चक्कर में परिवार का जीवन-स्तर गिर जाता है।
6. **बहुपत्नी विवाह**—दहेज प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति कई विवाह करता है इससे बहुपत्नीत्व का प्रचलन बढ़ता है।
7. **बेमेल विवाह**—दहेज के अभाव में कन्या का विवाह अशिक्षित, वृद्ध, कुरूप, अपंग एवं अयोग्य व्यक्ति के साथ भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में कन्या को जीवन भर कष्ट उठाना पड़ता है।
8. **विवाह की समाप्ति**—दहेज के अभाव में कई लोग अपने वैवाहिक संबंध कन्या पक्ष से समाप्त कर देते हैं। कई बार तो दहेज के अभाव में तोरण द्वार से बारात वापस लौट जाती है और कुछ लड़कियों को कुंआरी ही रहना पड़ता है।
9. **अनैतिकता**—दहेज के अभाव में कई लड़कियों का देर तक विवाह नहीं हो पाता है और वे अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति अनैतिक तरीकों से करती हैं इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है।
10. **अपराध को प्रोत्साहन**—दहेज जुटाने के लिए कई अपराध भी किये जाते हैं, रिश्वत, चोरी, एवं गबन के द्वारा धन एकत्र किया जाता है, आत्महत्या एवं भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है।
11. **मानसिक बीमारियाँ**—दहेज एकत्र करने एवं योग्य वर की तलाश में माता-पिता चिन्तित रहते हैं। माता-पिता एवं लड़कियों में चिन्ता के कारण कई मानसिक बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं।
12. **स्त्रियों की निम्न स्थिति**—दहेज के कारण स्त्रियों की सामाजिक स्थिति गिर जाती है, उनका जन्म अपशकुन माना जाता है और उन्हें भावी विपत्ति का सूचक समझा जाता है।

दहेज-प्रथा के लाभ (Merits of Dowry)

कुछ लोग दहेज के पक्ष में निम्नांकित तर्क देते हैं—

1. दहेज के कारण कुरूप कन्याओं का भी विवाह हो जाता है।
2. दहेज न जुटाने की स्थिति में कन्याओं का देर तक विवाह न होने से बाल-विवाह समाप्त हो जाते हैं।
3. दहेज के अभाव में देर तक विवाह न होने पर माता-पिता लड़कियों को शिक्षा दिलाते रहते हैं, इससे स्त्री-शिक्षा में वृद्धि होती है।

दहेज-प्रथा को समाप्त करने हेतु सुझाव (Suggestions to end of Dowry System)

डॉ. अल्टेकर ने लिखा है कि हिन्दू समाज के लिए यह उचित समय है कि दहेज की दूषित प्रथा को जिसने अनेक अबोध कन्याओं को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया है, समाप्त कर दे। इसे समाप्त करने हेतु निम्नांकित सुझाव दिये जा सकते हैं—

1. **स्त्री-शिक्षा**—स्त्री-शिक्षा का अधिकाधिक प्रसार किया जाए ताकि वे पढ़-लिखकर स्वयं कमाने लगें। ऐसा होने पर उनकी पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता समाप्त होगी तथा इसके परिणामस्वरूप विवाह की अनिवार्यता भी न रहेगी।

नोट

2. **जीवन-साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता**—लड़के व लड़कियों को अपना जीवन-साथी स्वयं चुनने की स्वतन्त्रता प्राप्त होने पर अपने आप दहेज प्रथा समाप्त हो जायेगी।
3. **प्रेम-विवाह**—प्रेम-विवाह की स्वीकृति होने पर भी दहेज की समस्या समाप्त हो जायेगी।
4. **अन्तर्जातीय विवाह**—अन्तर्जातीय विवाह की छूट होने पर विवाह का दायरा विस्तृत होगा। परिणामस्वरूप दहेज-प्रथा समाप्त हो सकेगी।
5. **लड़कों को स्वावलम्बी बनाया जाए**—जब लड़के पढ़-लिखकर स्वयं अर्जन करने लगेंगे तो योग्य वर का अभाव दूर हो जायेगा, उनके लिए प्रतियोगिता कम हो जायेगी फलस्वरूप दहेज भी घट जायेगा।
6. **स्वस्थ जनमत**—दहेज विरोधी जनमत तैयार किया जाए। लोगों में जागृति पैदा की जाए जिससे कि वे दहेज का विरोध करें। इसके लिए अधिकाधिक प्रचार एवं प्रसार के साधनों का उपयोग किया जाए। समाज-सुधारकों एवं युवकों द्वारा इस ओर अपने विशेष प्रयत्न किए जाने चाहिए।
7. **दहेज विरोधी कानून**—दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए कठोर कानूनों का निर्माण किया जाए एवं दहेज मांगने वालों को कड़ी-से-कड़ी सजा दी जाए। वर्तमान में 'दहेज निरोधक अधिनियम, 1961' लागू है, परंतु यह अधिनियम अपनी कई कमियों के कारण दहेज-प्रथा को कम करने में असफल रहा है। वर्तमान में इस अधिनियम को संशोधित कर इसे कठोर बना दिया गया है तथा दो व्यक्तियों को अधिक सजा देने की व्यवस्था की गयी है।
8. **युवा आन्दोलन**—दहेज-प्रथा को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि युवक स्वयं जागरूक होकर इसका विरोध करें। इसके लिए दृढ़ निश्चय का होना अनिवार्य है।

दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 (Dowry Prohibition Act, 1961)

हिंदू समाज में दहेज की भीषण समस्या को हल करने के लिए भारतीय संसद में मई 1961 में 'दहेज निरोधक अधिनियम' पारित किया गया। इसकी प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

(1) इस अधिनियम में दहेज को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "विवाह के पहले या बाद मे विवाह की एक शर्त के रूप में, एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गयी कोई भी सम्पत्ति या मूल्यवान वस्तु 'दहेज' कहलायेगी।" (2) विवाह के अवसर पर दी जाने वाली भेंट या उपहार को 'दहेज' नहीं माना जायेगा। (3) दहेज लेने व देने वाले तथा इस कार्य में मदद करने वाले व्यक्ति को छ: माह की जेल और पांज हजार रुपये तक का दण्ड दिया जा सकता है। (4) दहेज लेने व देने संबंधी किया गया कोई भी समझौता गैर-कानूनी होगा। (5) विवाह में भेंट दी गयी वस्तुओं पर कन्या का अधिकार होगा। (6) धारा 7 के अनुसार दहेज संबंधी अपराध की सुनवाई प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ही कर सकता है और ऐसी शिकायत लिखित रूप में एक वर्ष के अंदर ही की जानी चाहिए।

इस संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि दहेज निरोधक अधिनियम में उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकारों ने संशोधन कर इसे कठोर बना दिया है। उत्तर प्रदेश ने 1976 में इस अधिनियम में संशोधन किया जिसके अनुसार विवाह के समय कोई भी पक्ष 5 हजार रुपयों से अधिक खर्च नहीं करेगा जिसमें विवाह के उपहार भी सम्मिलित हैं। अब बिना किसी शिकायत के भी पुलिस और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट ऐसे मामले की रिपोर्ट तथा जांच कर सकते हैं। 1984 एवं 1986 में दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 में संशोधन कर इसे और कठोर बनाया गया। दहेज के विरुद्ध अपराध अब संज्ञेय (Cognizable), गैर-ज़मानती है तथा अभियुक्त को ही यह प्रमाण देना होता है कि वह निर्दोष है। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 के संदर्भ में एक बात उल्लेखनीय है कि दहेज निरोधक अधिनियम में उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने संशोधन किया है।

5.13 महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण एवं उपाय (Causes and Measures of Violence Against Women)

नोट

हिंसा की शिकार कौन अथवा हिंसा की शिकार महिलाओं की विशेषताएँ (Who are the Victims of Violence or Characteristics of Victims of Violence)

जिन महिलाओं के साथ अपराध किया जाता है अथवा जिनके विरुद्ध हिंसा की जाती है, वे हैं:

1. जो गरीब, असहाय एवं अवसादग्रस्त (depressed) होती हैं, जो स्वयं अपनी नजरों में गिर चुकी होती हैं तथा उनके प्रति किए गए अपराध एवं हिंसा के कारण वे भावात्मक रूप से विघटित हो चुकी होती हैं।
2. जो विघटित परिवारों में रहती हैं तथा जिन पर परिवार के सदस्यों का दबाव बना रहता है जिससे उनमें अनेक प्रकार की कुंठाएँ पायी जाती हैं।
3. जिनमें मानसिक एवं सामाजिक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है।
4. जिनके पति या ससुराल पक्ष के लोग विकृत व्यक्तित्व के होते हैं।
5. जिनके पति शराबी एवं नशेबाज होते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के अपराधकर्ता की विशेषताएँ (Characteristics of Perpetrators of Violence Against Women)

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा करने वाले अपराधकर्ताओं की प्रमुख विशेषताएँ जो विभिन्न अध्ययनों द्वारा ज्ञात हुई हैं, वे निम्नांकित हैं:

1. वे लोग जो बचपन में हिंसा के शिकार हुए हैं, बड़े होने पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध करते हैं।
2. जो लोग शराब अधिक पीते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं।
3. जो लोग अपने पारिवारिक जीवन में तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करते हैं वे भी महिलाओं के विरुद्ध हिंसा अधिक करते हैं।
4. जो लोग शक्की, प्रभुता चाहने वाले एवं मालिकानापन वाली प्रकृति के होते हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं।
5. जिन लोगों में व्यक्तित्व संबंधी दोष होते हैं और जो मनोरोगी होते हैं वे भी महिलाओं के प्रति हिंसापूर्ण व्यवहार करते हैं।
6. जो व्यक्ति अवसादग्रस्त (depressed) होते हैं, जिनमें हीन-भावना होती है और जिनमें आत्म-सम्मान का अभाव होता है वे भी महिलाओं के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करते हैं।
7. जिन लोगों के पास प्रतिभा, साधन एवं दक्षता का अभाव होता है वो भी महिलाओं के प्रति हिंसक व्यवहार करते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण (Causes of Violence Against Women)

हम यहाँ उन कारणों का उल्लेख करेंगे जो महिलाओं के प्रति हिंसा को प्रेरित करते हैं:

1. **पुरुष प्रधानता (Male Domination)**—भारत में ही नहीं वरन् विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुषों की प्रधानता पायी जाती है। वह शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित एवं साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है।
2. **स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता (Economic dependency of Women on Men)**—भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पायी जाती है। पति ही पत्नी का भरण-पोषण करता है। ऐसी स्थिति में उसे पति के अत्याचार सहन करने पड़ते हैं। यदि उसे पति घर से निकाल देता है तो वह बेसहारा हो जाएगी एवं जीवनयापन की कठिनाई भी सामने आएगी।

नोट

3. **अशिक्षा (Illiterarcy)**—भारत में स्त्रियों में साक्षरता का प्रतिशत 2001 की जनगणना के अनुसार 53.6 है तथा पुरुषों में 75.2 है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएँ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं तथा वे यह भी नहीं जानती कि उनके हितों की रक्षा के लिए कौन-कौन से कानून बने हुए हैं तथा उन पर अत्याचार होने पर उन्हें किन संगठनों की मदद लेनी चाहिए। अशिक्षा उन्हें घर की चहारदीवारी तक ही कैद करके रख देती हैं और वह अत्याचार सहने के लिए मजबूर हो जाती हैं।
4. **महिलाओं के प्रति विद्वेष (Hostility towards Women)**—कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावना भरी होती है जिसे वे उनके प्रति अत्याचार करके शांत करते हैं। जिन लोगों को अपने भूतकाल में किसी स्त्री ने तंग किया हो या जिसका प्रेम असफल हो गया हो, वी सम्पूर्ण नारी जगत के प्रति बदले की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। उसके मन में स्त्रियों के प्रति घृणा एवं ईर्ष्या इतनी गहराई से बैठ जाती है कि उसके जीवन का उद्देश्य ही नारी उत्पीड़न हो जाता है और वह नारी को अपमानित करने में ही सुख की अनुभूति करता है।
5. **सामाजिक कुप्रथाएँ (Evil Social Traditions)**—भारत में अनेक कुप्रथाएँ प्रचलित हैं जिनमें बाल-विवाह, परदा-प्रथा, दहेज प्रथा विधवा पुनर्विवाह का अभाव, आदि प्रमुख हैं। इन कुप्रथाओं का शिकार महिलाओं को ही होना पड़ता है और उनसे संबंधित अत्याचार भी महिलाओं को ही झेलने पड़ते हैं।
6. **पारिवारिक तनाव (Family Tensions)**—पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्यचार के लिए उत्तरदायी है। जब पति-पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता है। विचारों में अंतर होता है तब भी पुरुष अपने को पत्नी पर थोपने का प्रयत्न करता है, उसे अपने अनुकूल बनने के लिए बाध्य करता है और अनुकूल न बनने एवं विरोध करने की स्थिति में पति द्वारा पत्नी पर जुल्म ढाए जाते हैं।
7. **पीड़ित द्वारा भड़काना (Provocation by Victim)**—कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई स्त्री अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करती है, वह ऐसे लोगों से बातचीत करती है जिन्हें उसका पति पसन्द नहीं करता है, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करती है, घर की ओर ध्यान नहीं देती है, किसी पराए मर्द से अनैतिक सम्बंध रखती है, सास-ससुर की आज्ञा का पालन नहीं करती है, पति के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप करती है या उस पर शक करती है, उसे ताने देती या अपमानित करती है तो ऐसी स्थिति में पति भड़क जाता है और पत्नी के प्रति मार-पीट, गाली-गलौज एवं दुर्व्यवहार करता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि जिन महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, वे ऐसी भाव-भंगिमाएँ एवं मुद्राएँ प्रकट कर रही थीं कि पुरुष बलात्कार के लिए उत्तेजित हो गया। हत्या के मामलों में भी यह पाया गया कि महिला ने बहस के दौरान ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि पुरुष हत्या के लिए उद्वेलित हो गया। अध्ययनों से यह भी प्रकट हुआ है कि भगा ले जाने के मामलों में भी लड़कियों ने ऐसा करने के लिए अपनी सहमति दी थी, किन्तु पकड़े जाने पर पुलिस एवं माता-पिता के दबाव में आकर उन्होंने पुरुष पर जबरन भगा ले जाने का आरोप लगा दिया।
8. **नशा (Intoxication)**—ये पुरुष जो शराब पीते हैं या अन्य प्रकार का नशा करते हैं, नशे के दौरान भी पत्नी के प्रति अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में यह पया गया कि बलात्कारी नशे में धुत्त था। पति शराब पीकर जब घर आता है और पत्नी से कहा सुनी हो जाती है तब भी वह पत्नी को गाली देने या पीटने का कार्य करता है। इसका कारण यह है कि नशे की हालत में व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कार्यों के परिणामों की जानकारी नहीं होती है जिसके लिए वह होश में आने पर पश्चाताप करता है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बार व्यक्ति अपराध करने के लिए साहस जुटाने के लिए भी शराब का सेवन करता है।

9. **अपराधी के प्रति निष्क्रियता (Passiveness towards Criminal)**—कई बार अपराध की शिकार महिलाएँ अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं और वे पुलिस या न्यायालय की शरण में जाने या अन्य लोगों से मदद लेने का प्रयत्न नहीं करती हैं। ऐसी स्थिति में अपराधी को निरन्तर अपराध करने की प्रेरणा मिलती रहती है और वह ऐसा करता चला जाता है।
10. **परिस्थितिवश प्रेरणा (Situational Urge)**—कई बार परिस्थितियाँ ही ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपराध कर बैठता है। उदाहरण के लिए, अन्धेरी रात्रि में कोई स्त्री अकेले वीरान स्थान से गुजर रही हो तो वहाँ उपस्थित व्यक्ति बलात्कार के लिए प्रेरित हो जाता है। खेत, खान या फैक्ट्री में स्त्री के अकेले होने पर भी मालिक उसके साथ छेड़छाड़ या अवैध संबंध का प्रयत्न कर सकता है।

महिलाओं के प्रति हिंसा को रोकने के उपाय : सुझाव (Measures to Check Violence Against Women : Suggestions)

महिलाओं के प्रति किए जाने वाली हिंसा को रोकने के लिए हम निम्नांकित उपाय अपना सकते हैं:

1. **आश्रय की व्यवस्था (Arragement for Shelter)**—सरकार के स्वयंसेवी संगठनों को ऐसी महिलाओं के लिए आवास की व्यवस्था करनी चाहिए जो पति और ससुराल वालों के अत्याचार से तंग आकर घर छोड़ना चाहती हैं। जिन महिलाओं का अपहरण किया गया है या जिन्हें भगा कर ले जाया गया है वे जब पकड़ ली जाती हैं तो उनके लिए तथा जिन्हें मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं या जिनके प्रति प्रतिदिन हिंसा हो रही है, ऐसी महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्थायी या अस्थायी आश्रय जुटाना चाहिए।
2. **रोजगार की व्यवस्था (Arrangement for Employment)**—स्त्रियों द्वारा उनके प्रति की जाने वाली हिंसा को बर्दाश्त करने का एक कारण आर्थिक है। वे अपने व अपने बच्चों के भरण-पोषण के लिए पति एवं ससुराल पक्ष के लोगों पर निर्भर होती हैं। यदि ऐसी महिलाओं के लिए रोजगार एवं नौकरी की व्यवस्था की जाए, उन्हें छोटा-मोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करायी जाए और परामर्श की सुविधा प्रदान करायी जाए तो वे अपने प्रति की गयी हिंसा को सहन नहीं करेंगी और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करेंगी।
3. **शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए (Provide Educational Facilities)**—स्त्री पर अत्याचार का एक कारण स्त्रियों का अशिक्षित होना भी है। इसे रोकने के लिए भी शिक्षा का प्रसार किया जाए, जो पढ़ाई छोड़ चुकी हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए निःशुल्क शिक्षा एवं व्यावसायिक एवं अन्य प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होंगी और अपने प्रति किए जाने वाले अत्याचारों का विरोध कर सकेंगी।
4. **दण्ड की व्यवस्था (Punishment)**—जो लोग अपनी पत्नियों को परेशान करते हैं, उनकी सामाजिक निन्दा की जाए और उन्हें सार्वजनिक रूप से दण्डित किया जाए, जिससे कि अन्य लोगों को भी सबक मिले और वे ऐसा करने के लिए प्रेरित न हों।
5. **महिला न्यायालयों की स्थापना (Establishment of Women Courts)**—महिलाओं के प्रति किए गए अपराधों एवं हिंसा की सुनवायी के लिए पृथक् से महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए जिसमें अनुभवी महिला न्यायधीश हों। इससे सामान्य न्यायालयों में जाने का महिलाओं में जो भय होता है वह समाप्त होगा और वे अपनी बात को इन न्यायालयों में साफ-साफ कह पाएंगी। ऐसे न्यायालयों की सुनवाई एवं कार्यवाही सार्वजनिक रूप से न हो। उनमें केवल न्यायाधीश, परिवादी एवं पीड़ित महिला की मदद करने वाले लोगों एवं आरोपियों को ही आने की इजाजत हो।

नोट

6. **कानूनी सहायता एवं परामर्श (Legal Aid and Consultancy)**–पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता प्रदान करने एवं उनके विवादों को निपटाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को आगे आना होगा और वे मुफ्त में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद करें एवं उन्हें उचित सलाह देकर उनका मार्ग दर्शन करें ताकि वे पुनः सुखी जीवन व्यतीत कर सकें।
7. **महिला संगठनों का निर्माण (Formation of Women Organizations)**–पीड़ित महिलाओं को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने, उन्हें कानूनी एवं आर्थिक मदद देने, उन्हें नैतिक सम्बल देने एवं उनमें आत्मविश्वास जगाने के लिए अधिकाधिक महिला संगठनों की स्थापना की जाए। ऐसे संगठन पीड़ित महिला के पति, सास-ससुर एवं ससुराल पक्ष वालों से बातचीत कर, उन पर सामाजिक व नैतिक दबाव डालकर समस्या का समाधान करने का प्रत्यत्न करे। व्यक्तिगत स्तर के स्थान पर यदि महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से प्रयत्न किए जाएंगे तो वे अधिक कारगर होंगे।
8. **वैचारिक परिवर्तन (Change in Attitude)**–महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के माता-पिता के विचारों में भी परिवर्तन लाना होगा। वे लड़कियों में बचपन से ही इस प्रकार का समाजीकरण करते हैं जिसमें उन्हें पति परमेश्वर की धारणा सिखायी जाती है, उन्हें कहा जाता है पति के घर डोली जाती है और अर्थी भी वहीं से उठती है, स्त्री को सहिष्णु होना चाहिए, आदि। ऐसे संस्कारों के कारण ही स्त्री सब कुछ बर्दाश्त करती रहती है और प्रतिरोध नहीं करती। वे अपनी पुत्रियों को विवाहित एवं विधवा जिन्हें उनके पति पीटते हैं या ससुराल वाले दुर्व्यवहार करते हैं, को उनकी इच्छा के विरुद्ध ससुराल में रहने को मजबूर क्यों करते हैं, वे उनको अपने घर क्यों नहीं बुला लेते, सामाजिक कलंक के डर से वे अपनी पुत्री को बलि का बकरा क्यों बनाते हैं?

दूसरी ओर महिलाओं को भी निष्क्रिय रूप से अत्याचार नहीं सहना चाहिए, वे अपने दमन एवं शोषण के प्रति जागरूक हों, उनका विरोध करें, न्यायालय, कानून एवं अपने परिजनों से मदद माँगें। उनके द्वारा अत्याचार सहने का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ता है और वे भी भीरु हो जाते हैं, उनके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता। अतः सर्वप्रथम तो स्वयं महिलाओं को ही उठना होगा, जागना होगा, विरोध प्रकट करना होगा तभी वे संकट की स्थितियों से मुक्त हो पाएंगी।

5.14 हिन्दू महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Hindu Women)

हिन्दू स्त्रियों की प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं–

1. **पारिवारिक समस्याएँ**–हिन्दू समाज पुरुष-प्रधान है। भारत में परम्परात्मक रूप से पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार व्यवस्था पायी जाती है जिसमें परिवार के पुरुष सदस्यों को तो अनेक अधिकार एवं सुविधाएँ प्राप्त हैं, किन्तु महिलाओं को उनसे वंचित किया गया है। संयुक्त परिवार व्यवस्था में महिलाओं की बड़ी दुर्दशा होती है। वे दासी की तरह जीवन व्यतीत करती हैं। उनका जीवन खाना बनाने, बच्चों को जन्म देने, उनकी देख-रेख करने एवं परिवार के सदस्यों की सेवा में ही व्यतीत हो जाता है। महिला को मनोरंजन का साधन समझा जाता है। उसे सास-ननद के उलाहने, गालियों एवं प्रताड़ना का शिकार बनना पड़ता है, शिक्षा एवं बाहरी संसार से उसका कोई नाता नहीं रह पाता है। वह सार्वजनिक जीवन से अनभिज्ञ बनी रहती है और उसके व्यक्तित्व का समुचित विकास नहीं हो पाता है।
2. **वैवाहिक समस्याएँ**–परिवार की भाँति ही भारतीय महिलाओं की वैवाहिक समस्याएँ भी गंभीर हैं। विवाह से संबंधित उनकी प्रमुख समस्याएँ निम्न प्रकार हैं–

   (क) *बाल-विवाह*–प्राचीन समय से ही भारत में बाल-विवाह का प्रचलन रहा है। हमारे धर्म-ग्रन्थों के रचनाकार बाल-विवाह के पक्ष में रहें हैं और कम आयु में ही लड़की का विवाह कर देना माता-पिता का धार्मिक कर्तव्य माना गया है। भारत की धर्मभीरु

नोट

जनता धार्मिक ग्रंथों से प्रेरणा लेकर छोटे-छोटे अबोध बालकों का विवाह करती रही हैं और आज भी ग्रामों में ऐसे विवाह बहुत ही संपन्न होते हैं। महाराष्ट्र में तो दो गर्भवती महिलाएँ पहले से ही यह तय कर लेती हैं कि उनमें से एक के लड़का और दूसरी के लड़की हुई तो उन दोनों का परस्पर विवाह करवा दिया जाएगा। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तो दूध पीते बच्चों को गोद में उठाकर और थाली में बैठाकर शादी करवा दी जाती है। सामान्यजन की तो बात ही क्या कई विधान निर्माता भी बाल-विवाह सम्पन्न कराते रहे हैं। कम आयु में विवाह होने, संतानें होने एवं पारिवारिक दायित्व आ जाने के कारण, स्त्रियों का स्वास्थ्य गिर जाता है और वे रुग्ण बनी रहती हैं, फलस्वरूप उनकी मृत्यु-दर बढ़ जाती है और औसत जीवन अवधि घट जाती है। कम आयु में विवाह के कारण जन्म-दर में भी वृद्धि हो जाती है और दुर्बल सन्तानें पैदा होती हैं।

(ख) *विधवा-पुनर्विवाह का अभाव*–हिन्दुओं में पत्नी की मृत्यु के बाद पति को तो दूसरा विवाह करने की छूट दी गई है। क्योंकि पत्नी के बिना वह धार्मिक कार्य सम्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह करने की मनाही है। विधवा स्त्री अच्छा भोजन नहीं कर सकती, उसके भोजन में मीठे, चटपटे, स्वादिष्ट एवं पौष्टिक तत्वों के स्थान पर सादी वस्तुएँ मात्र होनी चाहिए। उसे इत्र, तेल, फूल एवं चमकीले-भड़कीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए क्योंकि इनसे यौन उत्तेजना पैदा होती है जो उसे पथ-भ्रष्ट कर सकती है। विधवा-पुनर्विवाह के अभाव ने सती-प्रथा को जन्म दिया जिसके अनुसार एक स्त्री अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में आत्मदाह कर लेती है। शुभ कार्यों में विधवाओं की उपस्थिति अपशकुन मानी जाती है। उन्हें परिवार में संपत्ति एवं अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है तथा अनेक प्रकार की यातनाएँ दी जाती हैं। इस प्रकार विवाह की यह सुविधा एकपक्षीय है जो पुरुष ने अपने लिए तो रखी, किंतु स्त्रियों को इससे वंचित कर दिया। विधवा-पुनर्विवाह का अभाव उच्च एवं द्विज जातियों में ही है, निम्न जाति में तो इसकी छूट है। किन्तु जिन जातियों में विधवा-पुनर्विवाह की अनुमति है, वहाँ विधवाओं पर अन्य नियोग्यताएँ लागू की जाती हैं और उनका दूसरा विवाह पहले की तरह धूमधाम और उत्साह से नहीं किया जाता है। उन्हें वैदिक रीति से विवाह करने की बजाय 'नाता' विवाह करने की छूट है।

वर्तमान में विधवाओं की स्थिति में सुधार हुआ है, कानून द्वारा पति की संपत्ति में उन्हें अधिकार मिला है। सरकारी कर्मचारियों की विधवाओं को आजीवन पारिवारिक भत्ता एवं पेन्शन देने के नियमों ने भी विधवाओं को आर्थिक संरक्षण प्रदान किया है। किंतु गांवों में तो स्थिति अब भी विकट है।

(ग) *दहेज*–वर्तमान में दहेज एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसके कारण माता-पिता के लिए लड़कियों का विवाह एक अभिशाप बन गया है। जीवन-साथी चुनने का सीमित क्षेत्र, बाल-विवाह की अनिवार्यता, कुलीन विवाह, शिक्षा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा, धन का महत्त्व, महंगी शिक्षा, सामाजिक प्रथा एवं प्रदर्शन तथा झूठी शान, आदि के कारण दहेज लेना और देना आवश्यक हो गया है। दहेज के कारण न जाने कितनी स्त्रियों को जला दिया गया, यातनाएँ दी गयीं और आत्महत्याएँ हुई हैं। आए दिन पत्र-पत्रिकाओं में हम दहेज के कारण स्त्रियों की हत्याओं एवं उन्हें जला देने के समाचार पढ़ते हैं। दहेज ने ही बालिका-वध, पारिवारिक विघटन, ऋणग्रस्तता, निम्न जीवन-स्तर, बहुपत्नी प्रथा, बेमेल-विवाह, अनैतिकता, अपराध, भ्रष्टाचार एवं अनेक मानसिक बीमारियों को जन्म दिया है। दहेज के कारण ही कई परिवारों में पुत्री के जन्म को अपशकुन माना जाता है।

सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ बढ़ जाने के कारण दहेज एक महत्त्वपूर्ण प्रलोभन बन गया है। दहेज में रुपया से लेकर बर्तनों, जेवर, रेफ्रिजरेटर, कार तथा एयर कण्डिशनर

नोट

तक की शर्तें होती हैं इस प्रकार के लेने-देन के पीछे माता-पिता की इच्छा यह होती है कि इससे लड़की को ससुराल में प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होगी। किंतु पुत्री के लिए सुरक्षा और उच्च सामाजिक स्थिति की यह कामना उसके माता-पिता को ऐसे असुरक्षित कगार पर ला खड़ा कर देती है जहाँ उन्हें ऐसी मांगें भी पूरी करनी पड़ती हैं जो उनकी आर्थिक क्षमता के बाहर होती हैं तब वे कर्जदार बन जाते हैं। वर्तमान में तो दहेज उन जातियों में भी प्रचलित हो गया है जहाँ पहले इसका नाम भी नहीं था। दहेज के कारण लड़कों के मोल-भाव होते हैं और जो ऊँची बोली लगाता है, उसे ही अच्छा वर मिल पाता है।

(घ) *तलाक*–हिन्दुओं में स्त्री के लिए पतिव्रत एवं सतीत्व की बात कही गयी है, अतः स्त्री द्वारा पति को त्यागने की कल्पना ही नहीं की जा सकती और ऐसा करना उसके लिए सामाजिक व धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है यद्यपि वैदिक काल में कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जैसे पति दुश्चरित्र हो, जाति से च्युत हो, बहुत समय से विदेश में हो, पुरुषत्वहीन हो, उससे पत्नी के जीवन को संकट उत्पन्न हो सकता हो, ऐसी स्थिति में पत्नी पति को तलाक दे सकती थी। किंतु ईसा काल से ही नैतिकता की दुहाई देकर विवाह-विच्छेद को अधार्मिक, अपवित्र एवं घृणित कार्य समझा जाने लगा और बाद में इस पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। आज भी स्त्री द्वारा पति को तलाक देने को उचित नहीं माना जाता, यद्यपि पुरुष तो जब चाहे ऐसा कर सकता है। जो अधिकार पुरुषों को है समानता के युग में वही अधिकार स्त्रियों को भी होना चाहिए। दुराचारी एवं दुश्चरित्र पति को त्यागने का अधिकार स्त्री को अवश्य होना चाहिए। इससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति ऊँची उठेगी। बेमेल-विवाह समाप्त होंगे और सामाजिक जीवन संतुलित होगा।

(ङ) *बेमेल-विवाह*–बाल-विवाह एवं जीवन-साथी के चुनाव की स्वतन्त्रता के नहीं होने के कारण कई बार लड़कियों का विवाह अनुपयुक्त लड़कों से करवा दिया जाता है। जब वर एवं वधू मानसिक धरातल पर एक होने में असमर्थ हों, उनमें वैचारिक मिन्नता हो, शिक्षा के स्तर एवं सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर हो तो उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों को ही अधिक कष्ट उठाना होता है।

(च) *अन्तर्जातीय विवाह का अभाव*–वैदिक युग में अन्तर्वर्ण विवाह प्रचलित थे। किंतु रक्त को पवित्र बनाए रखने की भावना, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता की धारणा, मुसलमानों एवं अन्य आक्रमणकारियों से धर्म की रक्षा एवं कठोर जातीय नियमों के कारण भारत में अन्तर्जातीय विवाह करने को पाप एवं अपराध माना गया, ऐसे व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। अपनी ही जाति में विवाह करने के कारण विवाह का दायरा बहुत सीमित हो जाता है, दहेज की समस्या पैदा होती है, बेमेल-विवाह होते हैं और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं मिल पाती। ये सभी स्थितियाँ नारी की अनेक वैवाहिक समस्याओं को जन्म देती हैं।

(छ) *बहुपत्नी विवाह*–भारत के अनेक भागों में बहुपत्नी प्रथा का प्रचलन है। यह स्त्रियों के लिए घोर अपमानजनक एवं आपत्तिजनक है। बहुपत्नीत्व के कारण परिवार में संघर्ष, वैमनस्य एवं ईर्ष्या का वातावरण बना रहता है। इससे परिवार की सुख-शान्ति समाप्त होती है, स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है और पति की मृत्यु होने पर उसकी सभी पत्नियाँ विधवा एवं अनाथ हो जाती हैं। एकाधिक पत्नियों का भरण-पोषण भी उचित रूप से नहीं हो पाता। नवीन विधानों के प्रभाव, शिक्षा के प्रसार, महँगाई, आदि के कारण बहुपत्नी विवाह धीरे-धीरे समाप्त हो रहे हैं और एकविवाह की संख्या बढ़ रही है, किंतु आज भी निम्न जातियों में एकाधिक स्त्रियाँ रखना प्रतिष्ठासूचक माना जाता है। बहुपत्नी प्रथा के कारण स्त्रियों की पारिवारिक एवं सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है। बंगाल में जहाँ कुलीन विवाह प्रचलित रहे हैं, यह प्रथा अधिक रही है।

3. **परदा-प्रथा**–भारतीय स्त्रियों की प्राचीन काल से चली आ रही एक समस्या परदा रखने की भी है। स्त्रियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे घूँघट निकालें और अन्य पुरुषों से दूरी बरतें, उनके सामने खुले मुँह बात न करें। परदा-प्रथा के कारण स्त्रियों के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता है, वे शिक्षा ग्रहण करने एवं अर्जन करने से वंचित रह जाती हैं तथा इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में धीरे-धीरे यह प्रथा समाप्त होती जा रही है।
4. **वेश्यावृत्ति**–वेश्यावृत्ति एक सामाजिक बुराई के रूप में अति प्राचीन काल से प्रचलित है। वेश्यावृत्ति, यौन-तृप्ति का एक विकृत एवं घृणित साधन माना गया है। इस प्राचीन व्यवसाय का वर्तमान में व्यापारीकरण हुआ है। यौन पवित्रता पर बल, बाल-विवाह, विधवा-विवाह का अभाव, दहेज, जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने की इच्छा, गरीबी, नारी की आर्थिक पराश्रितता, दु:खी वैवाहिक जीवन एवं स्त्रियों के लिए रोजगार के अपर्याप्त अवसर, आदि ऐसे कारण हैं जिन्होंने इस बुराई को फैलाने में योग दिया है।
5. **स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ**–भारत में स्वास्थ्य का निम्न स्तर पाया जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे गरीबी, बेकारी, स्वास्थ्य के नियमों के प्रति अज्ञानता, चिकित्सा सुविधाओं का अभाव एवं व्यापक बीमारियाँ। चूँकि भारतीय समाज पुरुष-प्रधान है, अत: पुरुषों के स्वास्थ्य की अपेक्षा स्त्रियों के स्वास्थ्य की तरफ समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है। इसी कारण यहाँ लिंग अनुपात में पुरुषों की अधिकता, स्त्रियों में मृत्यु-दर की अधिकता एवं जीवन अवधि कम है। यद्यपि स्त्री-पुरुष दोनों की औसत आयु में वृद्धि हुई है फिर भी पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की जीवन अवधि सदैव ही कम रही है। असमान लिंग अनुपात, स्त्रियों की औसत आयु में कमी एवं मृत्यु-दर की अधिकता के लिए बाल-विवाह, प्रसव-काल में स्त्रियों की मृत्यु, स्त्रियों की आर्थिक पराश्रितता, लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्त्व देना, कुपोषण एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आदि उत्तरदायी हैं। अधिकांशत: महिलाओं में यौन संबंधी रोग भी देखने को मिलते हैं।
6. **शैक्षणिक समस्याएँ**–भारत में साक्षरता का प्रतिशत बहुत कम है। स्त्रियों में तो यह प्रतिशत और भी निम्न है। 1971 में महिलाओं में साक्षरता का प्रतिशत 18.4 व पुरुषों में 39.5 था जो 2001 में बढ़कर क्रमश: 53.7 व 75.2 हो गया। यह भिन्नता अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। केरल में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, जबकि राजस्थान व अरुणाचल प्रदेश में कम है। राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दर 60.4 है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में तो स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत केवल 43.9 ही है। जो कि देश में सबसे कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 33.88 करोड़ स्त्रियाँ निरक्षर हैं। भारत में नगरों की तुलना में गाँवों में तो स्त्री साक्षरता बहुत कम है। डॉक्टरी, इन्जीनियरिंग, वकालत एवं अन्य तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की संख्या तो और भी कम है। स्त्रियों को शिक्षा न दिलाने का कारण परदा-प्रथा और स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता एवं उनका कार्य-क्षेत्र घर तक ही सीमित होना है। ग्रामीण लोग तो सामान्यत: यह कहते हैं कि लड़की तो पराया धन है, उसे पढ़ाकर हमें कोई राज नहीं करवाना है। लड़कियों को पढ़ाना अब भी कई ग्रामीण लोग उचित नहीं मानते। यही कारण है कि भारतीय स्त्रियाँ अशिक्षित हैं और अशिक्षा के कारण उत्पन्न समस्याओं का उन्हें शिकार होना पड़ता है।
7. **आर्थिक समस्याएँ**–गरीबी इस देश की सबसे बड़ी समस्या है जो अनेक अन्य समस्याओं को भी जन्म देती है। भारतीय नारियों की भी समस्याएँ उनकी गरीबी, आर्थिक पराश्रितता एवं शोषण से जुड़ी हुई हैं। भारत में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों को कम वेतन एवं पारिश्रमिक दिया जाता रहा है। चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, उद्योग हो या कोई अन्य क्षेत्र हो। अधिकांशत: महिलाएँ कृषि-कार्य से ही संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन, पशु-पालन एवं श्रमिक कार्य में भी लगी हुई हैं। उच्च पदों पर आसीन स्त्रियाँ तो गिनती की हैं। जब महिलाएँ रोजगार

नोट

कार्यों में भागीदार बहुत कम हैं तो उनकी आय भी कम है। संयुक्त परिवार प्रणाली, पुरुषों पर निर्भरता, स्त्री अशिक्षा, अज्ञानता, परदा-प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कारणों से स्त्रियों का कार्यक्षेत्र घर तक ही सीमित है और वे अक्सर कमाने के लिए बाहर नहीं जातीं, फलस्वरूप उन्हें अपने भरण-पोषण तक के लिए पुरुष की ओर देखना होता है। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण परिवार एवं समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा उच्च नहीं हो पाती और उन्हें इसके कई दुष्परिणाम भुगतने होते हैं।

8. **सामाजिक समस्याएँ**–पारिवारिक एवं वैवाहिक समस्याएँ सामाजिक समस्याएँ ही हैं जिनका उल्लेख हम पूर्व में कर चुके हैं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों की एक समस्या स्त्री-पुरुषों की भूमिका में विभेद करने की है। यद्यपि भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुषों के बीच अधिकारों की समानता पर जोर दिया गया है फिर भी कुछ क्षेत्र जैसे, सेना, आदि में उनकी सेवाएँ नहीं ली जातीं। स्त्रियों को प्रमुख रूप से घर से संबंधित माना गया है और उन्हें गृहकार्य की देखभाल का कार्य करना होता है। पत्नी एवं मां की भूमिकाएँ ही उनकी प्रमुख भूमिकाएँ मानी गयी हैं। स्त्रियाँ चाहे खेतों में, कारखानों में, भवन-निर्माण एवं खदानों में काम करें और चाहे सफेदपोश नौकरियाँ करें उनसे उसी प्रकार गृहकार्यों के निर्वाह की आशा की जाती है जिस प्रकार एक गृहस्थी तक सीमित स्त्री से की जाती है। बाह्य संसार में उनकी भूमिका को पुरुषों की भूमिका की तरह स्वीकार नहीं किया गया है। समुदाय के लिए निर्णय लेने, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने, गांव एवं जाति-पंचायत में भाग लेने, आदि कार्यों को पुरुषों तक ही सीमित किया गया है। घर के बाहर पुरुष चाहे शारीरिक श्रम का कार्य करें, किंतु वही कार्य घर में करना उसके लिए अपमानजनक माना जाता है और स्त्री से ही उसे करने की अपेक्षा की जाती है। खाना बनाना व कपड़े सीना, आदि कार्य पुरुष व्यवसाय के रूप में तो अपना सकता है, किंतु घर में ये कार्य स्त्रियों पर छोड़ दिए जाते हैं। परिवार में और उसके बाहर के कार्यों में निर्णय लेने में भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष ही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
9. **राजनीतिक समस्याएँ**–जब स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र घर ही तय कर दिया गया हो और बाह्य जीवन में उनके किसी भी प्रकार के योगदान की अपेक्षा नहीं की गई हो तो उन्हें राजनीतिक जीवन से लेना-देना ही क्या है? यही कारण है कि भारत में स्त्रियों में कभी राजनीतिक चेतना नहीं रही और वे राजकाज में भागीदार नहीं हुईं। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ सुधार आन्दोलनों का प्रयत्न भी नारी को परिवार में नई स्थिति दिलाना रहा। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में महिला संगठनों की स्थापना हुई जिन्होंने राजनीतिक अधिकारों की मांग की। 1917 में सरोजिनी नायडू ने ब्रिटिश पार्लियामेण्ट में स्त्रियों की भी पुरुषों के समान मताधिकार की मांग की। 1921 में सम्पन्न एवं शिक्षित महिलाओं को मतदान का अधिकार दे दिया गया। विदेशी शासकों को यह विश्वास भी नहीं होता था कि भारतीय समाज में भी कभी स्त्रियों को पुरुषों के समकक्ष राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। गांधीजी ने भी स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर बल दिया और स्वतन्त्रता आन्दोलन में उनसे प्रेरित होकर कई महिलाओं ने भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं ने विधायकों, सांसदों, राज्यपाल, मन्त्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक का दायित्व संभाला है। इससे स्पष्ट है कि उनमें राजनीतिक चेतना बढ़ी है, फिर भी पुरुषों की तुलना में वे अब भी पिछड़ी हुई हैं।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारतीय नारियाँ आज भी विभिन्न पारिवारिक, वैवाहिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। इन समस्याओं से मुक्ति के बिना समानता के इस युग में स्त्रियों को उनकी सच्ची प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने एवं उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने हेतु यहाँ सुधार आन्दोलन हुए हैं और सरकारी व गैर-सरकारी स्तर पर कल्याण कार्य भी किए गए हैं।

हिंदुओं के साथ-साथ मुसलमान भी भारतीय समाज के एक प्रमुख अंग हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत में हिन्दुओं के बाद उनका दूसरा स्थान है। अतः यहाँ पर मुस्लिम स्त्रियों की समस्याओं का उल्लेख करना भी उचित होगा।

5.15 मुस्लिम महिलाओं की समस्याएँ (Problems of Muslim Women)

सैद्धान्तिक रूप से मुस्लिम महिलाओं को अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किन्तु तस्वीर का दूसरा पहलू भी है, व्यावहारिक दृष्टि से वे आज अनेक समस्याओं से ग्रस्त हैं, परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक स्थिति काफी गिरी हुई है। ये समस्याएँ निम्न प्रकार हैं:

नोट

1. **बहुपत्नीत्व की समस्या**–मुस्लिम समाज में एक पुरुष को चार तक पत्नियाँ रखने की सामाजिक एवं वैधानिक स्वीकृति प्राप्त है। अधिक स्त्रियाँ होने पर पुरुष से समान व्यवहार की अपेक्षा नहीं की जा सकती। उनके प्रति भेदभाव बरता जाता है और उन्हें पत्नीत्व का वास्तविक सुख नहीं मिल पाता। स्त्री की पुरुष पर निर्भरता के कारण भी उनकी स्थिति ऊँची नहीं उठ पाती, सभी स्त्रियों के बच्चों को भी परिवार में समान स्थिति नहीं मिल पाती, ऐसी दशा में उसे कभी-कभी संघर्ष भी करना पड़ता है।
2. **तलाक की समस्या**–सैद्धान्तिक रूप से तो मुस्लिम महिलाओं को भी पुरुष के समान ही तलाक के अधिकार प्राप्त हैं। किन्तु पुरुष पर आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा एवं समाज में पुरुषों की प्रधानता के कारण पुरुष वास्तव में इस अधिकार का प्रयोग मनमाने ढंग से करता है, किन्तु महिलाएँ इस अधिकार का प्रयोग करने में अपने को असहाय पाती हैं।
3. **परदा प्रथा**–मुस्लिम समाज में महिलाओं को कुदृष्टि से बचाने के लिए परदा करने का आदेश दिया गया है। परदा-प्रथा के कारण मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा नहीं हो पायी है। शिक्षा के अभाव में उनमें अज्ञानता एवं रूढ़िवादिता व्याप्त है, वे स्वतंत्र रूप से अर्थोपार्जन नहीं कर पाती हैं और राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में भाग लेने से वंचित रही हैं। देश की शिक्षित महिलाओं में उनका प्रतिशत बहुत ही कम है। यही कारण है कि समाज निर्माण एवं सुधार में भी उनका योगदान बहुत कम है।
4. **धार्मिक कट्टरता**–मुस्लिम धर्म कठोर अनुशासन एवं नियन्त्रण की मांग करता है। अत: इसमें कट्टरता पाई जाती है। यह नवीनता एवं परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, यही कारण है कि जेट युग में भी अरबी समाज एवं मोहम्मद साहब के युग के नियमों का पालन किया जाता है। हिन्दुओं में धर्म-सुधार के आन्दोलनों ने धार्मिक कठोरता को कम किया है। उसी प्रकार से टर्की में कमाल पाशा के नेतृत्व में महिलाओं की स्थिति में सुधार के प्रयत्न हुए, किन्तु आज पुन: ईरान में शाह की सरकार के पतन के बाद एवं पाकिस्तान में सरकार के नेतृत्व में प्राचीन इस्लाम के नियमों को कठोरता से लागू करने के प्रयत्न किए गए। इसका प्रभाव हुआ कि मुस्लिम देशों में महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में प्राप्त उन अधिकारों से पुन: वंचित किया जा रहा है जिन्हें प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया है।
5. **अधिकारों की अव्यावहारिकता**–मुस्लिम महिलाओं को विवाह, परिवार एवं सम्पत्ति से सम्बन्धित अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इनका उपयोग करना उनके लिए कठिन है। विधवा स्त्री को पुनर्विवाह का अधिकार है, किन्तु ऐसी स्त्री को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है। इसी प्रकार से विवाह के पूर्व स्त्री से स्वीकृति ली जाती है, किन्तु वह एक औपचारिकता ही है, उसे माता-पिता की इच्छा के अनुसार स्वीकृति देनी ही पड़ती है। मेहर की राशि पर भी स्त्री का नहीं वरन् पुरुष का या परिवार का ही अधिकार होता है। सम्पत्ति में उसे कोई हिस्सा नहीं दिया जाता है और ऐसा करने के लिए उसे न्यायालय की शरण में ही जाना पड़ता है। वह व्यवहार में अपने तलाक के अधिकार का भी कम ही प्रयोग कर पाती है। इस सारे विवरण से स्पष्ट है कि आज भी मुस्लिम महिला की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है यद्यपि सैद्धान्तिक दृष्टि से उसे कई अधिकार प्रदान किए गए हैं।

मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न

मुस्लिम समाज परम्परावादी है तथा धार्मिक कट्टरता में विश्वास करता है। मुसलमानों के जीवन के सभी क्षेत्रों का संचालन कुरान के नियमों के आधार पर होता है। यही कारण है कि नवीन परिवर्तनों के

नोट

बावजूद भी मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति को ऊँचा उठाने एवं समस्याओं के समाधान हेतु भारत में कोई विशेष प्रयत्न नहीं हुए हैं। अंग्रेजी शासनकाल में उनके विवा से संबंधित दो अधिनियम अवश्य पारित हुए–(1) मुस्लिम शरीयत अधिनियम, 1937; (2) मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1939। शरीयत अधिनियम मुस्लिम महिला को पति के नंपुसक होने और उसके द्वारा पत्नी पर झूठा व्यभिचार का दोषारोपण करने तथा इला व जिहर के आधार पर तलाक की छूट देता है। मुस्लिम विवाह-विच्छेद अधिनियम मुस्लिम महिलाओं को निम्नांकित आधारों पर तलाक देने की छूट देता है, जैसे–पति भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, सात वर्ष से अधिक वर्षों के लिए जेल में हो, नपुंसक, पागल, यौन रोग व कुष्ठ रोग से ग्रसित हो, क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा डालता हो एवं एकाधिक पत्नियाँ होने पर सबके साथ समान व्यवहार न करता हो।

स्पष्ट है कि मुस्लिम महिलाएँ आज भी विभिन्न समस्याओं से ग्रस्त हैं, जिन्हें दूर करने के लिए कारगर उपाय करने की सख्त आवश्यकता है। अब हम यहाँ महिलाओं की समस्याओं के समाधान लिए किए गए सुधार आन्दोंलनों एवं विभिन्न उपायों का उल्लेख करेंगे।

5.16 महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु प्रयत्न (Efforts to Solve Problems of Women)

महिलाओं की सामाजिक स्थिति को परिवर्तित करने में निम्न कारकों का योग रहा है:

1. **सुधार आन्दोलन–**19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही कुछ चिन्तनशील व्यक्तियों, जैसे राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द सरस्वती, केशवचन्द्र सेन, ऐनीबेसेण्ट, महर्षि कर्वे, आदि ने भारतीय समाज में महिलाओं की दयनीय स्थिति पर विचार करना प्रारंभ कर दिया था। कई महापुरुषों ने समाज-सुधार के आन्दोलनों का संचालन कर महिलाओं की स्थिति को ऊँचा उठाने का प्रयत्न किया। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और आपके प्रयत्नों से ही 1829 में सती-प्रथा निरोधक अधिनियम बना। आपने बाल-विवाह को समाप्त तथा 'विधवा पुनर्विवाह' को प्रचलित कराने के पक्ष में जनमत तैयार किया। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा बाल-विवाह और परदा प्रथा को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बहुपत्नी विवाह एवं विधवा-पुनर्विवाह निषेध का विरोध किया और आपके प्रयत्नों से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना। महर्षि कर्वे ने भी विधवा-पुनर्विवाह एवं महिला-शिक्षा के लिए प्रयास किए। केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से 1872 में विशेष विवाह अधिनियम' बना जिसने विधवा-पुनर्विवाह एवं अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता प्रदान की। इस शताब्दी में कई महिलाओं एवं महिला संगठनों ने महिलाओं को अधिकार दिलाने एवं उनमें जागृति लाने के प्रयत्न किए। रमाबाई रानाडे, मैडम कामा, तोरदत्त, मारग्रेट नोबल तथा ऐनीबेसेण्ट, आदि महिलाओं तथा 'अखिल भारतीय महिला सम्मेलन', 'भारतीय महिला समिति', 'विश्वविद्यालय महिला संघ', 'अखिल भारतीय महिलाओं शिक्षा संस्था', 'कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट', आदि महिला संगठनों ने भी महिलाओं की निर्योग्यताओं को कम करने एवं उनकी स्थिति को सुधारने के प्रयत्न किए। महात्मा गांधी महिलाओं-पुरुषों की समानता के समर्थक थे। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
2. **संवैधानिक व्यवस्थाएँ–**समय-समय पर अनेक ऐसे अधिनियम पारित किए गए जिन्होंने महिलाओं की दशा को सुधारने में योग दिया। 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम में महिला-पुरुषों को विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए, बाल-विवाह समाप्त कर दिया गया और महिलाओं को पृथक्करण तथा विवाह-विच्छेद एवं विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति दी गयी। 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, महिलाओं और कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम, दहेज निरोधक अधिनियम 1961, आदि ने महिलाओं की स्थिति को सुधारने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

3. **शिक्षा का प्रसार**–जब महिलाओं में शिक्षा का प्रसार हुआ तो वे परम्परागत बन्धनों, रूढ़िवादिता व धर्मान्धिता से मुक्त हुई। जिन सामाजिक कुरीतियों को वे सीने से चिपटाए हुए थीं, उन्हें त्याग, उनमें तर्क और विवेक जागा और ज्ञान के द्वार खुले। आधुनिक शिक्षा प्राप्त महिलाएँ बन्धन से मुक्ति चाहती हैं, पुरुषों की दासता को स्वीकार नहीं करतीं और वे स्वतन्त्रता तथा समानता की पोषक हैं। शिक्षा ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक बनाया। इस प्रकार शिक्षा का प्रसार भी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के लिए मुख्य कारक रहा है।
4. **पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव**–भारत में 150 वर्षों तक अंग्रेजों का राज्य रहा। इससे भारत के लोग पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के सम्पर्क में आए। पश्चिमी संस्कृति में स्त्री-पुरुषों की समानता, स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। पश्चिम में सम्पर्क का प्रभाव भारतीय महिलाओं पर भी पड़ा और वे भी अपने जीवन में पश्चिम के मूल्यों, विचारों और विश्वासों को अपनाने लगीं। उन्होंने स्वतन्त्रता, समानता, न्याय और अपने अधिकारों की मांग की जिसके फलस्वरूप उन्हें कई सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सुविधाएँ एवं अधिकार प्राप्त हुए।
5. **औद्योगीकरण एवं नगरीकरण**–औद्योगीकरण के कारण महिलाओं की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता कम हुई, वे स्वयं कारखानों में काम करने लगीं, इससे उनमें आत्म-विश्वास जागा, आत्मनिर्भरता पैदा हुई और पुरुषों की दासता व निर्भरता समाप्त हुई। नगरों में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पायी जाती है, इस कारण वहाँ प्रेम-विवाह, अन्तर्जातीय विवाह तथा विधवा-पुनर्विवाह को बुरा नहीं माना जाता। नगरों में महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। वे वहाँ राजनीतिक जीवन में भी भाग लेती हैं। इस प्रकार औद्योगीकरण एवं नगरीकरण ने महिलाओं की स्थिति को परिवर्तित करने में महत्त्वपूर्ण योग दिया है।
6. **संयुक्त परिवारों का विघटन**–परम्परागत भारतीय समाज में संयुक्त परिवारों की बहुलता थी। संयुक्त परिवार में महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना होता था तथा घर की चारदीवारी ही उनका कार्य-क्षेत्र होता था। किन्तु जब नवीन परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार टूटने लगे और उनके स्थान पर एकाकी परिवार बनने लगे तो महिलाओं की स्वतन्त्रता, सम्मान एवं गतिशीलता में वृद्धि हुई।
7. **आर्थिक कठिनाइयाँ**–आधुनिक समय में महंगाई के कारण मध्यम वर्ग के परिवारों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा भोजन, अच्छा मकान और सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए वे यह चाहते हैं कि महिलाएँ भी धन अर्जित करें। अत: उन्हें पढ़ा-लिखा कर नौकरी एवं व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है। इससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं पारिवारिक स्थिति में सुधार हुआ।
8. **अन्तर्जातीय विवाह**–जब एक जाति की लड़की दूसरी जाति के लड़के से प्रेम-विवाह या अर्न्तजातीय विवाह करने लगी तो महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ, वे अब परिवार पर आर्थिक भार नहीं समझी जाने लगीं तथा ऐसे विवाह से बने परिवार में पति-पत्नी में समानता के भाव पाए जाते हैं और स्त्री को पुरुष की दासी नहीं समझा जाता।

5.17 सरकार द्वारा किये गये प्रयत्न (Efforts Made by the Government)

महिला कल्याण कार्यक्रम

1. 2001 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या 102.8 करोड़ है जिसमें से 49.65 करोड़ महिलाएँ हैं जो देश की कुल आबादी का 48.3 प्रतिशत हैं। समाज के इतने बड़े भाग की उपेक्षा कर भारत प्रगति नहीं कर सकता। महिलाओं के कल्याण हेतु देश में कई कार्य किए गए हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति का अध्ययन करने एवं उसमें सुधार हेतु 1971 में

एक कमेटी बनी जिसने 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखकर महिला कल्याण के लिए अनेक कार्य किए गए हैं।

2. महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 1979 में 'समान वेतन अधिनियम' पारित किया गया। इसके द्वारा पुरुषों और महिलाओं के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गयी।
3. 1961 में दहेज निरोधक अधिनियम पारित किया गया जिसमें 1986 में संशोधन कर उसे और अधिक कठोर बना दिया गया।
4. 1955 में हिन्दू विवाह अधिनियम पारित कर स्त्रियों को भी विवाह-विच्छेद संबंधी सुविधा प्रदान की गयी।
5. 1961 एवं 1976 में मातृत्व हित लाभ अधिनियम बनाए गए।
6. 15 से 45 वर्ष की आयु समूह की महिलाओं के लिए 1975-76 से ही प्रकार्यात्मक साक्षरता का कार्यक्रम चल रहा है जिसमें महिलाओं को स्वच्छता एवं स्वास्थ्य, भोजन तथा पोषक तत्वों, गृह प्रबन्ध तथा शिशु देख-रेख, शिक्षा तथा व्यवसाय के संदर्भ में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान की जाती है।
7. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान 40% महिलाओं को शामिल किया गया। देश के सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लेह, हिमाचल, लाहौल तथा किन्नौर, उत्तराखण्ड में चमोली, गुजरात के बनासकांठा व राजस्थान के जैसलमेर एवं श्रीकरणपुर में मातृत्व सेवाएँ, शिशु देखभाल, दस्तकारी प्रशिक्षण एवं सामाजिक शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्र में कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए हैं।
8. ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए गांवों में महिला मण्डल बनाए गए हैं।
9. 1975 में सारे विश्व में अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष मनाया गया। भारत में भी इस वर्ष महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक-आर्थिक कल्याण के कदम उठाए गए। 8 मार्च, 1992 से प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है।
10. महिलाओं को उत्तम रोजगार सेवाएँ उपलब्ध कराने की दृष्टि से सन् 1986-87 में 'महिला विकास निगम' (WDC) स्थापित किए गए।
11. विज्ञापनों में महिलाओं के भद्दे और भोंड़े प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए 'महिलाओं का अश्लील चित्रण (निवारण) अधिनियम, 1986 बनाया गया जिसमें दोषी व्यक्तियों को दो हजार रुपए एवं दो वर्ष तक का कारावास का दण्ड देने का प्रावधान किया गया।
12. गरीब और जरूरतमन्द महिलाओं तक ऋण की सुविधा पहुँचाने के लिए, 'महिलाओं के लिए राष्ट्रीय ऋण कोष' की स्थापना की गई है।
13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड—1953 में महिलाओं, बच्चों तथा विकलांगों के कल्याण कार्यक्रमों को स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से लागू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड गठित किया गया। इसके अन्तर्गत अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं; जैसे—आंगनबाड़ी, शिशु सदन, बच्चों के अवकाश शिविर, कामकाजी महिलाओं के होस्टल, आदि।
14. वेश्यावृत्ति और अनैतिक व्यवहार को रोकने की दृष्टि से भारत सरकार ने वर्ष 1956 में स्त्रियों व कन्याओं का **अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम**, 1956 पारित किया, जो 1 मई, 1985 से पूरे भारत में लागू है।
15. घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा करने संबंधी कानून **'घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम, 2005'** 26 अक्टूबर, 2006 से लागू हो गया है। इससे पत्नी अथवा महिला संगिनी की उसके पति अथवा पुरुष साथी के किसी प्रकार का अत्याचार अथवा हिंसा से बचाव किया जा सकेगा।

16. **शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम** की योजना, जो स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना का घटक है, में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाली शहरी महिलाओं को सहायता प्रदान की जाती है। महिलाओं को रोजगार एवं आय सृजन के लिए कृषि, डेयरी, हस्तशिल्प, हथकरघा, पशुपालन, रेशम उत्पादन और मत्स्य पालन के परम्परागत क्षेत्रों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनिक समान, घड़ी बनाने, कम्प्यूटर प्रोग्राम तैयार करने, आभूषण बनाने, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्य, कढ़ाई, बुनाई जैसे गैर-परम्परागत क्षेत्रों में भी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं।
17. **जननी सुरक्षा योजना**—निर्धनता रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं हेतु 12 अप्रैल, 2005 से प्रारंभ इस योजना ने **'राष्ट्रीय प्रसूति लाभ योजना'** का स्थान लिया है तथा यह **'राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन'** का घटक है। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केन्द्र में पंजीकरण के बाद से शिशु जन्म तक सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराते हुए बच्चे के जन्म पर एकमुश्त नकद सहायता भी उपलब्ध कराना है।
18. इन्दिरा आवास योजना में यह अनिवार्य है कि मकानों का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम अथवा पति और पत्नी दोनों के संयुक्त नाम से किया जाना चाहिए।
19. राष्ट्रीय महिला नीति—20 मार्च, 2001 को पारित राष्ट्रीय महिला नीति का उद्देश्य महिलाओं की अधिकारिता, प्रगति और विकास लाना तथा महिलाओं के खिलाफ सभी तरह के भेदभाव को खत्म करना और जीवन तथा कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है।
20. राष्ट्रीय महिला आयोग—1992 में स्थापित महिला आयोग जो एक सांविधानिक निकाय है, महिलाओं के अधिकारों और हितों की सुरक्षा करता है।
21. स्वयंसिद्धा योजना—इन्दिरा महिला योजना तथा महिला समृद्धि योजना के स्थान पर संचालित योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के गठन द्वारा महिलाओं को स्वरोजगार के माध्यम से आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करना है।
22. महिला कम्पोनेन्ट प्लान—इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं से संबंधित सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए, 30 प्रतिशत से कम फन्ड/बजट निर्धारित न किए जाएँ।
23. स्वावलम्बन कार्यक्रम—वर्ष 1982-83 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परम्परागत और गैर-परम्परागत धन्धों का प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें टिकाऊ आधार पर रोजगार अथवा स्वरोजगार प्राप्त करने में सहायता करना है।
24. रोजगार तथा प्रशिक्षण के लिए सहायता देने का कार्यक्रम (स्टेप)—वर्ष 1986-87 से महिलाओं हेतु प्रारम्भ इस कार्यक्रम का उद्देश्य पम्परागत क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल में सुधार कराकर रोजगार उपलब्ध कराना है।
25. मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृति योजना—1 अगस्त, 2003 से प्रारंभ इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय की गरीब प्रतिभाशाली लड़कियों को विशेष छात्रवृत्ति प्रदान कर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
26. स्वशक्ति—विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष से सहयोग प्राप्त इस योजना का उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना और इसके लिए आलस्य का त्याग, समय बचाने के तरीके अपनाना, स्वास्थ्य, साक्षरता तथा विश्वास में अभिवृद्धि तथा हुनर का विकास करके, आय बढ़ाकर और आमदनी पर अपना नियन्त्रण बढ़ाना है।

27. स्वाधार–कठिन परिस्थितियों में पड़ने वाली महिलाओं के लाभ हेतु वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ इस योजना के अन्तर्गत आवास, खाना-पीना, कपड़े, स्वास्थ्य की देखभाल, आचरण संबंधी प्रशिक्षण के द्वारा कामकाजी हुनर और व्यक्तित्व के विकास, आदि शामिल हैं। यह योजना 31 मार्च, 2009 को समाप्त हो चुकी है।
28. वन्देमातरम् योजना–9 फरवरी, 2004 से शुरू इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निजी चिकित्सकों की सहायता से निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना है।
29. राष्ट्रीय पोषण मिशन–इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना है ताकि वह कुपोषण से मुक्ति पा सकें।
30. महिला उद्यमियों हेतु ऋण योजना–वर्ष 2001-02 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य महला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित करना है।
31. जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना–वर्ष 2002-03 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग वाली महिलाओं को गम्भीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं के जन्मजात अपंग होने की दशा में उन्हें सुरक्षा कवच प्रदान करना है।
32. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना–अगस्त 2004 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में बालिकाओं का शैक्षिक पिछड़ापन दूर करते हुए निःशुल्क आवासीय विद्यालय खोलकर गुणवत्तायुक्त बालिका शिक्षा की व्यवस्था करना है।
33. महिला शिक्षा हेतु कन्डेस्ड पाठ्यक्रम–इस कार्यक्रम का उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को शिक्षा तथा उचित ज्ञान (हुनर) उपलब्ध कराकर सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारिता उपलब्ध कराना है।
34. अल्पावधि प्रवास गृह परियोजना–वर्ष 1969 से प्रारम्भ इस परियोजना का उद्देश्य पारिवा. रिक विवादों, सामाजिक बहिष्कार, नैतिक पतनके खतरे के कारण सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक परेशानियों से जूझ रही महिलाओं और बालिकाओं को संरक्षण देना और उनका पुनर्वास करना है।
35. स्त्रीशक्ति पुरस्कार योजना–वर्ष 1999 से प्रारम्भ ये पुरस्कार योजना भारत की पांच महायशस्विनी नारियों के नाम पर दिए जाते हैं। ये है–कन्नगी, माता जीजाबाई, देवी अहिल्याबाई होल्कर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और रानी गैडिलियू। ये पुरस्कार (एक लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र) प्रति वर्ष 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दिए जाते हैं।
36. डॉ. दुर्गाबाई देशमुख पुरस्कार योजना–महिला विकास से संबंद्ध यह पुरस्कार (5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति-पत्र तथा शाल) प्रतिवर्ष ऐसे संगठन को दिया जाता है जिसने महिला अधिकारिता तथा महिलाओं के कल्याण हेतु उत्कृष्ट व अभिनव योगदान दिया हो।
37. पैतृक सम्पत्ति में बेटियों को समान अधिकार का कानून–पैतृक सम्पत्ति में बेटे के समान ही बेटी को अधिकार देने वाला कानून 9 सितम्बर, 2005 से प्रभावी हो गया है। हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 को संसद में पारित किया गया था।
38. आश योजना–वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य देश के सभी गांवों में एक्रिडेटिड सोशल हैल्थ वर्कर (आशा) की नियुक्ति के माध्यम से घर-घर महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी व सेवाएँ उपलब्ध कराना है।
39. आंगनबाड़ी विशेषता बीमा योजना–वर्ष 2004-05 से प्रारम्भ इस योजना का उद्देश्य देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को सरकारी सहायता के माध्यम से बीमा कवच उपलब्ध कराना है।

5.18 सारांश (Summary)

नोट

- मैकाइवर के अनुसार, "समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सामाजिक प्राणी एक-दूसरे के साथ अपने व्यापक तथा घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हैं जिसमें वे एक-दूसरे से अधिकाधिक बँध जाते हैं और एक-दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों की भावना का विकास करते हैं, जिसमें वे अपने एवं दूसरों के व्यक्तित्व को अधिक अच्छी तरह समझने लगते हैं तथा जिसमें वे निकटतर एवं अधिक विस्तृत साहचर्य की जटिल संरचना का निर्माण करते हैं।"
- मीड ने समाजीकरण की प्रक्रिया का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया है। उसके अनुसार, बच्चे का दूसरे व्यक्तियों से जब संवहनात्मक सम्पर्क (communicative contact) होता है, तब 'आत्म' का विकास होता है। नवजात शिशु की भोजन और वस्त्र संबंधी आवश्यकताएँ होती हैं।
- व्यक्ति की समाजीकरण-प्रक्रिया में तीन तत्व कार्य करते हैं। ये हैं–(1) व्यक्ति की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक बपौती, (2) पर्यावरण जिसमें उसका जन्म हुआ है तथा (3) संस्कृति जिसमें वह इन तत्त्वों की क्रिया-प्रतिक्रिया के कारण रहता है। क्रिया-प्रतिक्रिया की प्रक्रिया बड़ी जटिल होती है जो व्यक्ति के निर्माण तथा समाज में उसकी स्थिति को काफी हद तक निर्धारित करती है। आईये, इस प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करें।
- मानहीम (Mannheim) ने वैयक्तीकरण को चार प्रमुख स्वरूपों में विभेदित किया है। ये हैं–(1) दूसरे लोगों से विभिन्न ढंग से सीखने की प्रक्रिया से वैयक्तिकरण, (2) आत्मसंबंधी क्रियाओं के नये रूपों के स्तर पर वैयक्तिकरण, (3) वस्तुओं के माध्यम से वैयक्तिकरण, (4) आत्म-गंभीरता के रूप में वैयक्तिकरण–जिसका अभिप्राय है आत्म-संबंधी अनुभवों को ग्रहण करना तथा वैयक्तिकरण की शक्तियों का अपने भीतर एवं इर्द-गिर्द उन्नयन करना। ये सब प्रक्रियाएँ नितान्त भिन्न घटनाएँ हैं।

5.19 अभ्यास प्रश्न (Review Questions)

1. समाजीकरण का क्या अर्थ है?
2. महिलाओं के प्रति होने वाले मुख्य अपराधिक कृत्यों का वर्णन कीजिए।
3. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसात्मक कारणों का उल्लेख कीजिए।
4. भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याओं का वर्णन कीजिए।
5. स्त्रियों की समस्याओं के समाधान हेतु सरकार ने कौन-कौन से प्रयत्न किये हैं।

5.20 संदर्भ पुस्तकें (Further readings)

- बॉटोमोर, टाम. 1962. सोशियोलॉजी : ए गाइड टू प्रॉब्लम्स एंड लिटरेचर, जार्ज, ऐलन एंड अनविन, लंदन।
- चौधरी, मैत्रेयी. 2003. द प्रैक्टिस ऑफ सोशियोलॉजी. ओरियेंट लोंगमैन, नयी दिल्ली।
- बर्जर, पीटर एल. 1963. इनवीटेशन टू सोशियोलॉजी : ए ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव. पेंगुइन, हारमंडस्वर्थ।
- गिंडिंस, एंथोनी. 2001. सोशियोलॉजी. चतुर्थ संस्करण, पोलिटी बेस, केंब्रिज।